॥ श्रीः ॥

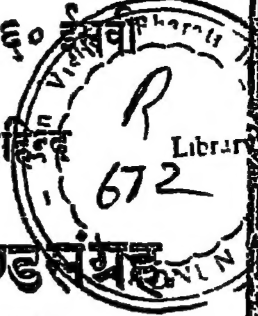
ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ईसवी

या

मजमूआ ताजीरातहिन्द

अर्थात्

हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह



जिसमें

चारो हाईकोर्टोंकी नजीरें तथा समस्त संशोधन
व स्पष्टीकरण सम्मिलित है.



मुरादाबादनिवासी

पण्डित बलदेवप्रसाद मिश्रद्वारा सम्पादित.



जिसको

खेमराज श्रीकृष्णदासने

मुम्बई

खेतवाडी ७ वीं गली खम्बाटा लेन,

निज "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम्-मुद्रणयन्त्रालयमें

मुद्रितकर प्रकाशितकिया.

संवत् १९७०, सन् १९१३ ई



भूमिका।

सर्वसाधारण महाशयगण इस बातको जानते हैं कि प्राचीन समयमे लेन देन, व्यापार व्यवहार, झगडे झझट, क्लेश आनन्द जो कुछ भी कार्य होता था वह समस्तही वचनद्वारा निर्वाह होता था। परन्तु जैसे २ नई सभ्यता और नई रोशनीका जमाना आता गया वैसेही वैसे बात २ में बेईमानी, विश्वासघातकता, कुटिलता, अनैक्यता, लडाई, झगडे, वध और क्रूरता इत्यादि कलियुगी बातोंका जोर होगया। बलवान लोग दुर्बलोपर अत्याचार करने लगे, महाजन लोग कर्जदारोंको बात २ मे सताने लगे, जिमींदार लोग अपनी पुत्रवत् प्रजाको बारम्बार दुःख देने लगे, बदमाशोका जोर होगया, अोग्रह पुरुषोंका शोर होगया। दीन लोग दारिद्रसे सताये जाकर दुःख पाने लगे, पतिव्रता स्त्रियोको अपने सतीत्वकी रक्षा करना कठिन कार्य होगया, इन समस्त अत्याचारोंमे ऐसा कुलाहल हुआ कि ब्रिटिशगणोंने भारतवर्षमें आकर अपने अपूर्व और अद्भुतगुणोसे शान्तिराज्यका प्रचार किया, इस राज्यका आगमन होतेही बाघ और बकरी एक घाटपर पानी पीने लगे। अनाथ, दीन, दुःखी, आर्त्त और पीडित लोगोंको आराम मिला, तथापि समयके प्रभावसे कहीं प्रगट और कहीं अप्रगट रीतिसे दुष्ट लोग अपने अन्याचारोंसे सर्वसाधारणको कष्ट पहुँचातेही रहे। दूरदर्शिनी ब्रिटिश सरकारने यह समाचार पातेही सम्पूर्ण मनुष्योके लाभार्थ दीवानी और फौजदारीके अनेक कानून बनाये। दीवानीके कानूनोंसे स्थावर और अनस्थावर धनका व्यवहार करनेवालोंको सुभीता हुआ और दुष्टोको दण्ड देने तथा शातिका प्रचार करनेके लिये फौजदारी कानून प्रचलित हुए। समस्त फौजदारी कानूनोमे "ताजीरात हिन्द" मुख्य माना जाता है पहले २ अगरेजी भाषामें समस्त कानून लिखे गये, और छपाए गये जिनके द्वारा केवल अंगरेजी जाननेवालोंनेही लाभ उठाया तत्पश्चात् प्रत्येक प्रान्तकी प्रत्येक भाषामें कानूनोका अनुवाद होकर प्रकाश हुआ। बगालमें कोर्टकी दूसरी भाषा बगाली हुई इस कारणसे कानून भी बगभाषामे छपे। महाराष्ट्रदेशमें महाराष्ट्री, गुजरातमें गुजराती और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें अभाग्यवश कचहरियोंमें उर्दूभाषा प्रचलित होनेके कारण उर्दूमें कानून छपे और प्रकाशित हुए पश्चिमोत्तर प्रान्तमे जिसका नाम अब युक्तप्रदेश है बहुतायतसे हिन्दीभाषा बोली जाती है और अधिकाश मनुष्य नागरी अक्षरोंके जाननेवाले पाये जाते हैं ईसाई लोगोंकी रपोर्टसे यह बात प्रमाणित होगई है* कि हिन्दीभाषाके जाननेवाले समस्त प्रांतोंमें अधिकतासे वर्त्तमान हैं ऐसा होनेपर भी हिन्दीभाषामे कानूनोंका अनुवाद न होकर प्रकाशित न होना

* वेंकटेश्वर समाचार ६ जून सन् १९०२ ई० तथा भारतमित्र और वसुन्धराने इस रिपोर्टको विस्तारसे प्रकाशित किया है।

अत्यन्त लाजकी बात थी जब कि सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, कार रोजगार और लेन देन इत्यादि समस्त कार्योंमे ही कानून लागू हो जाता है तब प्रत्येक हिन्दीहितैषीको कानूनोका पढना लाभकारी हो सकताहै, परन्तु बिचारे हिन्दी जाननेवालोके अभाग्यसे सरकारने इस ओर किंचित् भी ध्यान नहीं दिया हॉ इतना तो अवश्य किया कि नागरी-अक्षरोमें फारसी भाषाके दो चार कानून प्रकाशित किये परन्तु समयमे न आनेके कारण हिन्दीभाषाके जाननेवालोंने उनसे किंचित् भी लाभ नहीं उठाया। कुछ दिन पीछे स्वर्गवासी मुन्शी नवलकिशोरजी स्वत्वाधिकारी "नवलकिशोर प्रेस लखनऊ" का इस बातके ऊपर ध्यान पहुँचा और उन्होने ताजीरात हिन्दको हिन्दीभाषामें अनुवाद करके अपने प्रेसमे छापा। तदुपरात आगरेके शिलायंत्रमे और हरिद्वार से टाईपमे छपकर ताजीरात हिन्द प्रकाशित हुआ परन्तु हिन्दीवालों की पूरी अभिलाषा किसीके द्वाराभी सिद्ध न हुई। थोडे दिन हुए हैं कि "ला-प्रेस छिन्दवाडे" के किसी वकीलसाहबने ताजीरात हिन्दकी एक सुन्दर आवृत्ति प्रकाशित की है। जिसमे उदाहरण स्पष्टीकरण नजायर इत्यादि अधिकतासे सम्मिलित है। इसके प्रकाशित होनेसे हिन्दीवालोंको अधिक लाभ पहुँचा परन्तु ४॥, रु० मूल्य अधिक होनेके कारण साधारण लोग कानूनीलाभ उठानेसे वंचित रह गये। इस बातका विचार करके मैंने सोचा कि हिन्दीभाषामे सस्ता और समस्त आवश्यकीय लेखोसे संयुक्त एक ऐसा ताजीरात हिन्द (हिन्दुस्थानका दंडसग्रह) प्रकाशित किया जावे जिसको धनी निर्धन सबही अधिकताके साथ मोलले और पढकर लाभ उठावे। ऐसा विचारने के कुछही दिन पीछे श्रीमान् सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी स्वत्वाधिकारी श्रीवेंकटेश्वर प्रेस व श्रीवेंकटेश्वर समाचार बंबईने एक ऐसे ताजीरात हिन्दकी छापने की इच्छा प्रगटकी जैसा कि मैं चाहता था। मैंने तत्काल उक्त सेठजी साहबकी आज्ञाका पालन करके एक वर्षमे ताजीरात हिन्द (हिन्दुस्थानके दंडसग्रह) का अनुवाद कर डाला।

यह हिन्दुस्थानका दंडसंग्रह ब्रिटिश इंडियामे लगभग ४२ वर्षसे प्रचलित है तबसे कई बार इसमें संशोधन भी हो चुका है। इसही न्यायग्रंथके अनुसार एक छोटेसे मजिस्ट्रेटसे लेकर हाईकोर्टके जजतक अपना न्याय कार्य पूरा करके अपराधियोको दंडित करते है। इसहीके भयसे आज कोई धनी पुरुष किसी तुच्छातितुच्छ दरिद्रपर भी अत्याचार नहीं कर सकता है और जो करता है उसका सर्वनाश होजाता है। अतएव ऐसे कानूनका जानना और पढना प्रत्येक देशवासीका आवश्यकीय कार्य है।

प्रस्तुत अनुवादमे इस बातका अधिक ध्यान रक्खा गया है कि कहींपर कठिन शब्द न आवे इसमे प्रायः उन्ही शब्दोका अधिक प्रयोग किया गया है जो आजकल पश्चिमोत्तर प्रान्तकी बोलचालमे प्रचलित हैं। वरन जो शब्द कठिन आभी गए है उनके आगे कोष्ठमे उर्दू शब्द लिख दिये हैं। न्यायालयोमे विशेषतः उर्दूका अधिक प्रचार होनेके कारण कहीं २ उर्दूके शब्दोंका भी प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अनुवादमें जहांतक समत्र हुआ नजीरें (दृष्टान्त या उदाहरण) अधिक लिखीं हैं। चारों हाईकोर्ट यथा,—कलकत्ता, बम्बई, मदरास और इलाहाबादकी नजीरोंके अतिरिक्त चीफ कोर्ट पंजाब व जुडिशियल कमिश्नर मध्यप्रदेशकी भी नजीरोंको यथा स्थानमें सन्निवेशित किया गया है। पाठकगण! हिन्दी और उर्दू भाषामें अबतक कोई हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह इतने दृष्टान्तोंके सहित प्रकाशित नहीं हुआ।

इस पुस्तकके सम्पादन करनेमें मुरादाबादके प्रसिद्ध वकील चौधरी रामप्रसाद साहब और लाला अम्बा प्रसादजी मुख्तार अदालतने अपनी सम्मति देकर मुझको अत्यन्तही अनुग्रहीत किया है। अतएव उपरोक्त दोनो महाशयोंको बारम्बार आशीर्वाद देकर भूमिकाकी समाप्ति करताहूं।

मुझको पूर्ण आशा है कि, हिन्दीभाषासे अनुराग रखनेवाले देश हितैषी महाशयगण तथा वकील मुख्तार, पुलिस कर्मचारी व मजिस्ट्रेट आदि इसकी एक २ प्रति अपने यहां रखकर अवश्यही लाभ उठावेंगे।

मोहल्ला दीनदार पुरा
मुरादाबाद (युक्तप्रदेश)
१५।६।१९०२ ई०

कृपाकांक्षी,
बलदेव प्रसाद मिश्र.

हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अध्यायोंका-
सूचीपत्र।



हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहका धारानुसार-

सूचीपत्र।



अध्याय ३.

दण्डोंके वर्णनमें ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
७४	एकान्त वासकी अवधि ।
७५	दंड उन मनुष्योंको जो एक बेर अपराधी ठहरकर फिर किसी ऐसे अपराधके अपराधी ठहरें जो अध्याय १२ व १७ के अनुसार प्रमाणित हों ।

अध्याय ४.

साधारण छूट

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
७६	वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिस पर उसका करना अवश्य हो अथवा जो वृत्तान्तको न समझकर अपने ऊपर उसका करना कानूनानुसार अवश्य जानता हो ।
७७	जजका काम जब कि वह अदालतका काम कर रहा हो ।
७८	काम जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी तजवीज या आज्ञाके अनुसार किया जावे ।
७९	काम जो कोई ऐसा मनुष्य करे जो कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी है या जो यथार्थ बातकी गलत समझीसे अपनेको कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी समझ लिया हो ।
८०	उचित कामके करनेमें इत्तिफ़ाकका आजाना ।
८१	काम जिससे हानिका पहुँचना सम्भव है परन्तु किसी कुप्रयोजनके विना और दूसरी हानि रोकनेके लिये किया जावे ।
८२	सात वर्षसे कम अवस्थाके बालकका काम ।
८३	सात वर्षसे अधिक और बारह वर्षसे कम अवस्थाके बालकका काम जो यथोचित पक्की बुद्धि न रखता हो ।
८४	उस मनुष्यका काम जो सिडी हो ।
८५	उस मनुष्यका काम जो अपनी इच्छाके विरुद्ध दिये हुए नशेके कारण विचार करनेमें असमर्थ हो ।
८६	जिस अपराधके लिये किसी विशेष अभिप्रायकी आवश्यकता हो उसको कोई मनुष्य नशेकी अवस्थामें करे ।
८७	काम जिससे मृत्यु अथवा भारी दुःख का अभिप्राय न हो और न उसका होना सम्भव हो और प्रसन्नतासे किया गया हो ।
८८	काम जो मृत्यु करनेके अभिप्राय विना शुद्धभावसे किसी मनुष्यकी प्रसन्नतासे उसके भलेके लिये कियाजाय ।
८९	काम जो शुद्धभावसे किसी बालक अथवा सिडी मनुष्यके भलेके लिये उसके रक्षककी ओरसे अथवा प्रसन्नतासे किया जाय ।
९०	धोखे अथवा भयसे जो प्रसन्नता कराई गई ।
,,	किसी बालक अथवा सिडी मनुष्यकी प्रसन्नता ।
९१	काम जो इस बातको छोडकर भी कि प्रसन्नता देनेवाले मनुष्यको उससे हानि पहुँची आपही अपराध हो दफा ८७ व ८८ व ८९ की छूटमें न गिने जायँगे ।
९२	काम जो शुद्धभावसे किसी मनुष्यके भलेके लिये विना प्रसन्नताके किया जाए ।
,,	नियम ।
९३	शुद्धभावसे कुछ प्रगट करना ।
९४	काम जिसके करनेके लिये कोई मनुष्य धमकीद्वारा विवश किया जाय ।
९५	कोई काम, जिससे कुछ तुच्छ हानि हो ।
९६	कोई काम जो निज रक्षाके लिये किया जाय अपराध न होगा ।
९७	तन और धनकी रक्षाके अधिकार ।
९८	निज रक्षाका अधिकार किसी सिडी मनुष्य आदिके कामसे ।
९९	काम जिनके रोकनेके लिये निज रक्षाका अधिकार न होगा ।

अध्याय ५.

सहायताके विषयमें।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
१४५	किसी अनीति जमावमे यह जानकर साझी होना अथवा साझी रहना कि उसके फैल फूट होजानेकी आज्ञा होचुकी है।
१४६	बल जो साझियोके अभिप्रायके लिये एक साझीकी ओरसे वर्त्ता जाय।
१४७	बलवा करनेका दंड।
१४८	मृत्युकारक हथियार लेकर बलवा करना।
१४९	अनीति जमावका प्रत्येक साझी उस अपराधका अपराधी गिना जायगा जो साझियोंका अभिप्राय प्राप्त करनेके लिये किया जाय।
१५०	किसी अनीति जमावमे मिलनेके लिये मनुष्योंका नौकर रखना अथवा नौकर रखनेमे सलाह देना।
१५१	पांच अथवा अधिक मनुष्योके जमावमे यह जानबूझकर मिलना या रहना कि उसके फैल फूट होनेकी आज्ञा होचुकी है।
१५२	किसी सरकारी नौकर पर उस समय आक्रमण करना अथवा उसको रोकना जब कि वह बलवा आदिको दूरकर रहा हो।
१५३	बलवा करानेके अभिप्रायसे विना बात क्रोध करानेका काम करना।
”	यदि बलवा होजावे।
”	यदि बलवा न हो।
१५४	उस धरतीका स्वामी या अधिकारी जिसपर कोई अनीति जमाव इकट्ठा हो।
१५५	उस मनुष्यका दण्ड योग्य होना जिसके लाभके लिये बलवा किया जाय।
१५६	उस स्वामी या अधिकारीके कारिन्देका दण्ड योग्य होना जिसके लाभके लिये बलवा हो।
१५७	उन मनुष्योको जो किसी अनीति जमावके लिये नौकर रक्खे गये हा छुपा रखना।
१५८	किसी अनीति जमावमे तरफदारीके लिये नौकर रक्खा जाना।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
”	या हथियार लिये हुए फिरना।
१५९	हगामा (खानेजगी)
१६०	हगामेका दण्ड।

अध्याय ९.

अपराध जो सरकारी नौकरोंकी ओरसे किये जॉय अथवा जो उनमे सम्बन्ध रक्खे।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
१६१	सरकारी नौकर जो अपने ओहदेके किसी कामके मध्ये सिवाय कानूनानुसार चाकरीके कुछ घूंसकी भॉति ले।
१६२	अनुचित उपायोंसे सरकारी नौकर पर दवाव डालनेके लिये घूस लेना।
१६३	सरकारी नौकरके साथ निज वर्त्ताव काममे लानेके लिये घूस लेना।
१६४	उस सहायताका दण्ड जो सरकारी नौकर उन अपराधोमे करे जिनका वर्णन ऊपर किया गया है।
१६५	सरकारी नौकर किसी मनुष्यसे जो किसी मामले या मुकद्दमेमे सम्बन्ध रखता हो जिसको उस सरकारी नौकरने पूरा किया कोई मूल्यवान पदार्थ विना बदला प्राप्त करे।
१६६	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुंचानेके अभिप्रायसे कानून विरुद्ध अनुरोध करे।
१६७	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे झूठे दस्तावेज तैयार करे।
१६८	सरकारी नौकर जो अनुचित रीतिपर व्यापारसे सम्बन्ध रक्खे।
१६९	सरकारी नौकर जो अनुचित रीतिपर कोई माल ले अथवा उसके लिये बोली बोले।
१७०	सरकारी नौकर बनना।
१७१	छलके अभिप्रायसे वह लिबास पहिने

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	रना या वह चिह्न लिये फिरना जिस को सरकारी नौकर काममे लाता हो।

अध्याय १०.

सरकारी नौकरोंके उचित अधिकारोंके अपमानके विषयमें।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
१७२	सरकारी नौकरके जारी किये हुए सम्मन अथवा इत्तिलाअनामेसे बचनेके लिये छिप जाना।
१७३	सम्मन अथवा और इत्तिलाअनामेको अपने या औरके पास तक पहुँचनेको या उसके प्रगट किये जानेको रोकना।
१७४	सरकारी नौकरकी आज्ञाके अनुसार हाजिर होनेमे चूकना
१७५	वह मनुष्य किसी सरकारी नौकरके सामने किसी दस्तावेजके पेश करनेमें चूक करे जिसपर उस दस्तावेजका पेश करना कानूनानुसार अवश्य है।
१७६	वह मनुष्य सरकारी नौकरको इत्तिला या खबर देनेमे चूक करे जिस पर इत्तिला या खबर देनी कानूनानुसार अवश्य है।
१७७	झूठी खबर देना।
१७८	शपथ करनेसे नाहीं करना जब कोई सरकारी नौकर कानूनानुसार शपथ करनेकी आज्ञा दे।
१७९	किसी सरकारी नौकरको जो प्रश्न करनेका अधिकार रखता है उत्तर देनेसे नाहीं करना।
१८०	बयान पर दस्तखत करनेसे नाहीं करना।
१८१	सरकारी नौकर या उस मनुष्यसे जो शपथ करानेका अधिकार रखता है शपथ करके झूठ बयान करना।
१८२	इस अभिप्रायसे झूठी खबर देना कि कोई सरकारी नौकर अपना उचित अधिकार वर्तकर किसी मनुष्यको हानि पहुँचावे।
१८३	किसी मालके लिये जानेमे जो किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार लिया जाता हो रोक टोक करना।
१८४	किसी मालके नीलाममे जो किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार नीलाम पर चढाया गया हो, रोक टोक करना।
१८५	कोई माल जो सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार नीलाम पर चढाया गया हो कानूनविरुद्ध लेना अथवा उसके लिये बोली बोलना।
१८६	सरकारी नौकरीके पूरा करनेमे सरकारी नौकरकी रोक टोक करनी।
१८७	सरकारी नौकरको सहायता देनेमें चूक करना जब कि कानूनानुसार सहायता देना अवश्य हो।
१८८	न मानना किसी आज्ञाको जो किसी सरकारी नौकरने कानूनानुसार प्रगट की हो।
१८९	सरकारी नौकरको हानि पहुचानेकी धमकी देना।
१९०	हानि पहुँचानेकी धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरसे रक्षा मांगनेसे रुक जाय।

अध्याय ११.

झूठी गवाही और सर्व सम्बन्धी न्यायमे विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
१९१	झूठी गवाही देना।
१९२	झूठी गवाहीका बनाना।
१९३	झूठी गवाहीका दण्ड।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
१९४	दण्डवधके योग्य अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायसे झूँठी गवाही देना अथवा बनाना।
”	यदि निरपराधी मनुष्य उसके कारणसे अपराधी प्रमाणित होजाए और दण्ड वध पाजाए।
१९५	देशनिकालेके दण्डका अपराध अथवा कैदका अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायसे झूँठी गवाही देना अथवा बनाना।
१९६	काममे लाना ऐसे प्रमाणका, जो जान-लिया गया हो कि झूँठा है।
१९७	झूँठा सार्टीफिकट जारी करना अथवा उस-पर दस्तखत करना।
१९८	किसी सार्टीफिकटको जिसमें कोई आव-श्यकीय बात झूँठ जानी हुई हो सच्चे सार्टीफिकटकी रीतिसे काममें लाना।
१९९	झूँठा बयान किसी ऐसे इजहारमे जो कानू-नानुसार प्रमाण (सबूत) की भाँति लिया जा सकता हो।
२००	किसी ऐसे इजहारको सच्चेकी भाँति काममे लाना, जो जान लिया गया हो कि झूँठा है।
२०१	अपराधीको बचानेके लिये अपराधके प्रमा-णको गुप्त कर देना अथवा उसके मध्ये झूठी खबर देना।
”	यदि अपराध बधके दण्ड योग्यहो।
”	यदि अपराध देश निकालेके दण्ड योग्यहो।
”	यदि अपराध दश वर्षसे कमकी कैदके योग्यहो।
२०२	किसी अपराधका समाचार देनेमें वह मनुष्य जानबूझकर चूककरे जिसे समाचार देना अवश्य हो।
२०३	होगये हुए अपराधके मध्ये झूँठा समाचार देना।
२०४	किसी दस्तावेजका नष्ट करदेना इसलिये कि वह प्रमाणकी रीतिपर काममें न आसके।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२०५	किसी मुकद्दमेमें कुछ काम अथवा कार-वाई करनेके लिये दूसरे मनुष्यका रूपधरना।
२०६	किसी वस्तुका छल पूर्वक उठा लेजाना अथवा छुपा देना इस अभिप्रायसे कि कुर्की अथवा इजराय डिगरीमे उसका लिया जाना रुकजाये।
२०७	किसी वस्तुपर छलपूर्वक दावा करना, इस अभिप्रायसे कि उसका लिया जाना कुर्कीमें अथवा इजराय डिगरीमे रुक जाय।
२०८	अनुचित रुपयेके लिये छलसे डिगरी जारी होने देना।
२०९	कोर्ट आफ जस्टिसमें अधर्मसे झूँठा दावा करना।
२१०	अनुचित रुपयेके लिये छलपूर्वक डिगरी प्राप्त करना।
२११	हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे अपराधका झूँठा दावा।
२१२	अपराधीको आश्रय देना।
”	यदि वधके दण्ड योग्य हो।
”	यदि देशनिकालेके दंड अथवा कैदके दंड योग्य हो।
२१३	अपराधीको दंडसे बचानेके लिये इनाम आदि लेना।
”	यदि वधके दंड योग्य हो।
”	यदि देश निकालेके दंड अथवा कैदके दंड योग्य हो।
२१४	अपराधीको दण्डसे बचानेके बदले इनाम देना अथवा कुछ वस्तु फेर देना।
”	यदि अपराध वधके दंड योग्य हो।
”	यदि अपराध देश निकालेके दंड योग्य अथवा कैदके दंड योग्य हो।
२१५	चोरी इत्यादिका माल निकालनेमे सहायता देनेके बदले इनाम लेना।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२१६	ऐसे अपराधीको आश्रय देना जो हिरासत (चौकसी) से भागाहो अथवा जिसके पकड़े जानेकी आज्ञा होचुकी हो।
"	यदि अपराध वधके दण्ड योग्य हो।
"	यदि अपराध देशनिकालेके दंड योग्य अथवा कैदके दंड योग्य हो।
२१७	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे अथवा मालको जब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे कानूनी आज्ञाको न माने।
२१८	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे अथवा मालकी जब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे सरिश्तेके झूठे कागज अथवा लेख बनावे।
२१९	सरकारी नौकर जो अदालती कार्रवाईमें कुप्रयोजनसे ऐसी आज्ञा दे अथवा ऐसी रिपोर्ट इत्यादि करे जिसे वह कानून विरुद्ध जानता हो।
२२०	जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी मनुष्यको बधन (कैद) में रक्खे अथवा तजवीज के लिये ऊपरके हाकिमको सौंपे यह जानबूझकर कि मैं कानूनके विरुद्ध करता हूं।
२२१	जिस सरकारी नौकरपर किसीको पकड़ना कानूनानुसार अवश्य हो उसकी ओरसे पकड़नेमें जानबूझकर चूक हो।
"	दंड।
२२२	जिस सरकारी नौकरपर पकड़ना किसी मनुष्यका, जिसके मध्ये कोर्ट आफ जस्टिसने दंडकी आज्ञा की हो अवश्यहो उसकी ओरसे पकड़नेमें जानबूझकर चूक हो।
"	दंड।
२२३	सरकारी नौकर अपनी असावधानीसे किसीको बंधनसे भाग जाने दे।
२२४	जो कोई मनुष्य अपनी उचित गिरफ्तारीमें कुछ रोक टोक करे।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२२५	किसी और मनुष्यकी उचित गिरफ्तारीमें रोक टोक।
"	दंड।
२२५ (अ)	ऐसी अवस्थाओंमें सरकारी नौकरकी ओरसे गिरफ्तारीमें चूक अथवा भाग जाने देना जिनके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा न हो।
२२५ (ब)	ऐसी अवस्थाओंमें उचित रीतिपर गिरफ्तार किये जानेमे रोक टोक करना या भाग जाना या छुड़ा लेना जिनके मध्ये और प्रकारसे आज्ञा न हो।
२२६	अनीति रीतिपर देश निकालेसे लौट आना।
२२७	दंडकी माफीके नियमोंको तोड़ना।
२२८	जानबूझकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करना अथवा उसके किसी काममें विघ्न डालना, जब कि वह अदालतकी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें इजलास कर रहा हो।
२२९	ज्यूरी अथवा असेसर बनना।

अध्याय १२.

सिक्के अथवा गवर्नमेन्ट के स्टाम्प सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२३०	सिक्का।
"	श्रीमती महारानीका सिक्का।
२३१	खोटा सिक्का बनाना।
२३२	श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनाना।
२३३	खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना अथवा बेचना।
२३४	श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना अथवा बेचना।
२३५	औजार या सामानको खोटे सिक्के के लिये काममें लानेके अभिप्रायसे पास रखना।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
२३६	हिन्दुस्थानमें रहकर हिन्दुस्थानके बाहर खोटे सिक्केकी सहायता करना।
२३७	खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर लेजाना।
२३८	श्रीमती महारानीके खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर ले जाना।
२३९	लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह खोटा है उसे किसी और के सिपुर्द करना।
२४०	लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है उसे किसी और के सिपुर्द करना।
२४१	ऐसे सिक्केको सच्चे सिक्केकी रीतिपर किसी और को देना जिसको देनेवालेने पहिले अधिकारमे लेते समय न जाना हो कि यह खोटा है।
२४२	उस मनुष्यका खोटा सिक्का पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो।
२४३	श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का उस मनुष्यका पास रखना जिसने उसे अधिकारमे लेते समय खोटा जाना हो।
२४४	वह मनुष्य किसी टकसालमे नियत हो सिक्केकी तौल अथवा धातुसे जो कानूनानुसार ठहराई गई हो सिक्केको दूसरी तौल अथवा धातुका बनावे।
२४५	अनुचित रीतिपर टकसालसे सिक्का बनानेका ठप्पा लेजाना।
२४६	छल या अधर्मसे किसी सिक्केकी तौल या धातुका बदलना।
२४७	छल या अधर्मसे श्रीमती महारानीके सिक्केकी तौल या धातु बदलना।
२४८	किसी सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चल जावे।
२४९	श्रीमती महारानीके सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चलजावे।
२५०	अधिकारमें लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला हुआ है उसे किसी औरको सिपुर्द करना।
२५१	अधिकारमे लेते समय श्रीमती महारानीके जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला है उसे किसी और के सिपुर्द करना।
२५२	उस मनुष्यका बदला हुआ सिक्का पास रखना जिसने उसे अधिकारमे लेते समय जाना हो कि यह बदला हुआ है।
२५३	उस मनुष्यका श्रीमती महारानीके सिक्केको पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय बदला हुआ जाना हो।
२५४	ऐसे सिक्केको असली सिक्केकी भांतिसे किसी औरके सिपुर्द करना जिसको सिपुर्द करनेवालेने पहिले अधिकारमे लेते समय बदला हुआ न जाना हो।
२५५	गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बनाना।
२५६	गवर्नमेंटका स्टाम्प खोटा बनानेके अभिप्रायसे कोई औज़ार या सामान पास रखना।
२५७	गवर्नमेंटका स्टाम्प खोटा बनानेके अभिप्रायसे औज़ार बनाना या बेचना।
२५८	गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बेचना।
२५९	गवर्नमेंटके खोटे स्टाम्पको पास रखना।
२६०	जाने हुए गवर्नमेंटके खोटे स्टाम्पको सच्चे स्टाम्पकी रीतिसे काममे लाना।
२६१	गवर्नमेंटको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे किसी पदार्थसे जिसपर गवर्नमेंट स्टाम्प हो कोई लेख मिटाना या किसी दस्तावेजसे वह स्टाम्प जो उसके लिये काममे लाया गया है दूर करना।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२६२	काममें लायेहुए गवर्नमेंटस्टाम्पको जानबूझकर काममें लाना।
२६३	उस चिह्नको छीलना जिससे यह प्रगट होता है कि स्टाम्प काममें आचुका है।

अध्याय १३.

नाप तोल सम्बन्धी अपराधोंके विषयमे।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२६४	तौलनेके झूँठे औजारको छलछिद्रसे काममे लाना।
२६५	झूँठे बाट या पैमानोंको छलसे काममें लाना।
२६६	झूँठे बाटों या पैमानोंको पास रखना।
२६७	झूँठे बाट या पैमाने बनाना या बेचना।

अध्याय १४.

सर्व सम्बन्धी आरोग्यता या कुशलता और सज्जनता अथवा सुशीलता मे विघ्न डालने वाले अपराधो के विषयमे।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२६८	सर्व सम्बन्धी बाधाका काम।
२६९	असावधानीसे वह काम करना जिससे प्राणको भय पहुँचानेवाले किसी रोगके फैलनेका सम्भवहो।
२७०	दुर्भावका काम जिससे फैलना जीवजोखिमके रोगका अति सम्भवहो।
२७१	क्वारटाइनके कायदेको न मानना।
२७२	खाने या पीनेके पदार्थमें जिसके बेचनेका अभिप्राय हो मिलावट करना।
२७३	खाने या पीनेके हानिकारक पदार्थको बेचना
२७४	दवाओंमे मिलावट करना।
२७५	मिलावट की हुई दवाओको बेचना।
२७६	किसी दवाको दूसरी दवाके नामसे बेचना।
२७७	सर्व संबन्धी सोते या कुण्डके पानीको बिगाड़ना।
२७८	हवाको आरोग्यताके अयोग्य करना।
२७९	किसी सर्वसंबंधी मार्गपर असावधानीसे गाडी चलाना या सवार होकर निकलना।
२८०	असावधानीसे नावको चलाना।
२८१	झूँठाप्रकाश या झूँठा चिह्न या पानीपर तैरनेवाला चिह्न दिखाना।
२८२	किसी मनुष्यको पानीकी राह भाडेपर नावद्वारा लेजाना जिसमे बहुत अधिक बोझ लदाहो।
२८३	जल या स्थलके सर्वसंबधी मार्गपर जोखिम या रोक पहुँचाना।
२८४	किसी विषैले पदार्थके मध्ये असावधानी करना।
२८५	आग या आगवाले पदार्थके मध्ये असावधानी करना।
२८६	भकसे उडजानेवाले पदार्थके मध्ये असावधानी करना।
२८७	किसी कलके मध्ये जो अपराधीके पासहो अथवा उसके प्रबन्धमेंहो असावधानी करना।
२८८	किसी घर आदिके गिराने या उसकी मरम्मत करनेके मध्ये असावधानी करना।
२८९	किसी पशुके मध्ये असावधानी करना।
२९०	सर्व दुःखदायी कामका दण्ड।
२९१	सर्व दुःखदायी कामके न करते रहनेकी आज्ञापाकर उसे करते रहना।
२९२	अश्लील पुस्तकका बेचना आदि।
२९३	अश्लील पुस्तकोंको बेचने या दिखानेके लिये पास रखना।
२९४	अश्लील गीत।
२९४	(अ) चिट्ठी डालनेके दफ्तरका रखना।

अध्याय १५.

उन अपराधोके बयानेम जो मतसे संबन्ध रखते है।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२९५	किसी सम्प्रदायके मतकी निंदा करनेके अभिप्रायसे किसी पूजाके स्थानको हानि पहुँचाना या अपवित्र करना।
२९६	किसी मत संबधी समाजको कष्ट पहुँचाना।
२९७	कबरस्तान आदिपर मदाखलतबेजा करना।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
३६८	ले भागे हुए मनुष्यको छुपाना या बंधनमे रखना।
३६९	दश वर्षसे न्यून अवस्थाके बालकको उसके शरीरपरसे स्थावर धन चुरालेनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा ले जाना।
३७०	किसी मनुष्यको गुलामकी रीतिपर मोल लेना अथवा उसको अपने अधिकारसे अलग करना।
३७१	स्वभावसे ही दासोंका व्यापार करना।
३७२	किसी नाबालिगको व्यभिचार आदिके अभिप्रायसे बेचना या भाडेपर चलाना।
३७३	नाबालिगको व्यभिचार आदिके अभिप्रायसे मोललेना या अधिकारमे लाना।
३७४	अनुचित वेगारपर विवश करना।
	बलपूर्वक व्यभिचारके विषयमे।
३७५	बलपूर्वक व्यभिचार (जिना बिलजब्र)
३७६	बलपूर्वक व्यभिचारका दंड।
	स्वभावके विरुद्ध अपराधोके विषयमें।
३७७	स्वभाव विरुद्ध अपराध।
	अध्याय १७.
	माल संबंधी अपराधोंके विषयमें।
	चोरीका वर्णन।
३७८	चोरी।
३७९	चोरीका दंड।
३८०	घर या डेरा या नावमे चोरी।
३८१	जब कोई गुमास्ता अथवा नौकर अपने स्वामीके पाससे कोई वस्तु चुरावे।
३८२	चोरी करनेके अभिप्रायसे मृत्यु करने अथवा भारी दुःख पहुँचानेकी तैयारी करनेके पश्चात् चोरी करना।
	दबाकर लेनेके विषयमें
३८३	दबाकर लेना (इस्तेहसाल बिलजब्र)
३८४	दबाकर लेनेका दण्ड।
३८५	दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानिका भय दिखाना।
३८६	किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुँचानेका डर दिखानेके द्वारा दबाकर कुछ प्राप्त करना।
३८७	दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःखका डर दिखाना।
३८८	किसी अपराधीकी तुहमत लगानेकी धमकीसे दबाकर प्राप्त करना जिसके बदलेमे मृत्यु अथवा देश निकाले आदिका दंड ठहराय गया है।
३८९	दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको अपराध लगानेका डर दिखाना।
	बलपूर्वक चोरी व डकैतीके वर्णनमें
३९०	बलपूर्वक चोरी (सरका बिलजब्र)
"	जिस अवस्थामें चोरी बलपूर्वक चोरी है।
"	जिस अवस्थामे दबाकर लेना बलपूर्वक चोरी (जोरी) है।
३९१	डकैती।
३९२	बलपूर्वक चोरी (जोरी) का दंड।
३९३	जोरी करनेका उद्योग।
३९४	जोरी करनेके उद्योगमे जानबूझकर दुःख पहुँचाना।
३९५	डकैतीका दंड।
३९६	शातघातके साथ डकैती।
३९७	जोरी अथवा डकैती मृत्यु करने या भारी दुःख पहुँचानेके उद्योगके साथ।
३९८	घातक हथियार लेकर जोरी अथवा डकैती करनेका उद्योग।
३९९	डकैती करनेके लिये तैयारी करना।
४००	डकैतोंके झुंडमे साझी होनेका दंड।
४०१	चोरोंके इधर उधर घूमनेवाले झुंडमें साझी होनेका दंड।
४०२	डकैती करनेके लिये इकट्ठा होना।
	मालके अनीतिव्ययके वर्णनमें।
४०३	अधर्मसे मालका अनीतिव्यय।

अध्याय १८.

उन अपराधोंके विषयमें जो लिखतमो और व्यापार, अथवा मालके चिह्नोंसे सम्बन्ध रखते हो।

दफा	संक्षिप्त विवरण
४७०	जाली दस्तावेज ।
४७१	जाली दस्तावेजको सच्ची दस्तावेजकी रीतिसे छलपूर्वक काममें लाना ।
४७२	जालसाजी करनेके अभिप्रायसे जो दफा ४६७ के अनुसार दड योग्य है खोटी मुहर आदि बनाना या पास रखना ।
७७३	जालसाजी करनेके अभिप्रायसे जिसका दूसरा दड नियत है खोटी मुहर आदि बनाना या पास रखना ।
४७४	जानी हुई जाली दस्तावेजको सच्चीकी रीति पर काममें लानेके अभिप्रायसे पास रखना ।
४७५	चिह्न या निशानका खोटापन जो दफा ४६७ में कही हुई दस्तावेजकी तसदीकके लिये काममें आए अथवा खोटा चिह्न किये हुए पदार्थका पास रखना ।
४७६	चिह्न या निशानका खोटापन जो दफा ४६७ की दस्तावेजोंके अतिरिक्त और दस्तावेजोकी तसदीकके लिये काममे आवे अथवा खोटा चिह्न किये हुए पदार्थका पास रखना ।
४७७	वसीअत नामेको काटना अथवा उसका नष्ट करना आदि ।
	व्यापार और मालके चिह्नोंके विषयमें ।
४७८	व्यापारका चिह्न ।
४७९	मालका चिह्न ।
४८०	व्यापारका झूठा चिह्न काममें लाना ।
४८१	मालका झूठा चिह्न काममें लाना ।
४८२	किसी मनुष्यको धोखा देने या हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे व्यापार या मालके झूठे चिह्नको काममें लानेका दड ।
४८३	हानि या नुकसान पहुँचानेके अभिप्रायसे व्यापार या मालके उस चिह्नका खोटापन जिसको कोई और मनुष्य काममें लाता है।
४८४	मालका कोई ऐसा चिह्न जिसको कोई सरकारी नौकर कामभे लाता हो अथवा ऐसा चिह्न जिसको वह किसी मालका तैयार होना आदि प्रगट करनेके लिये काममें लाता हो झूठ बनाना ।
४८५	कोई ठप्पा या चपरास या माल या व्यापारके किसी सर्व सम्बन्धी या विशेष चिह्नके खोटेपनका औजार छलपूर्वक बनाना या पास रखना ।
४८६	ऐसे असबाबको जानबूझकर बेचना जिसपर माल या व्यापारका झूठा चिह्न बना हो ।
४८७	किसी गठरी या बर्तनपर जिसमें असबाब हो झूठा चिह्न छलपूर्वक बनाना ।
४८८	किसी ऐसे झूठे चिह्नको काममें लानेका दड ।
४८९	हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे कोई मालके चिह्नको बिगाड़ना ।
	कारेंसी नोट और बेंक नोटोंके वर्णनमें ।
	झूँठा कारेंसी या बेंकनोट बनाना जाली या खोटे बेंकनोट या कारेंसी नोटको सच्चेकी रीतिपर काममें लाना ।
	जाली या खोटे बेंकनोट या कारेंसी नोटोंका अपने अधिकारमें रखना ।
	कारेंसी नोट या बेंक नोटको जाली या खोटा बनानेके अभिप्रायसे औजार या सामान बनाना या पास रखना ।
	अध्याय १९.
	दण्ड योग्य नौकरीका कौल करार तोड़नेके विषयमें ।
४९०	जल अथवा थलके सफरमें नौकरीका कौल करार तोड़ना ।
४९१	असमर्थ मनुष्यकी सेवा करने और उसे आवश्यकीय पदार्थ पहुँचानेका कौल करार तोड़ना ।
४९२	किसी स्थानमें सेवा करनेका कौल करार

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	तोडना जहा नौकर स्वामीके खर्चसे पहुँचाया गया हो ।

अध्याय २०.

उन अपराधोंके विषयमे जो व्याहसे सम्बन्ध रखते हैं ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
४९३	संभोग जो किसी पुरुषने उचित व्याह होजानेका धोखा देकर किया हो ।
४९४	पति अथवा स्त्रीके जीतेजी दूसरा व्याह करना ।
४९५	वही अपराध पहिले व्याहका उससे जिसके साथ पिछला व्याह हुआ छिपाकर करना,
४९६	बिना करने उचित विवाहके छलके अभिप्रायसे व्याहकी रीतिका पूरा करना ।
४९७	व्यभिचार ।
४९८	बुरे अभिप्रायसे किसी व्याही स्त्रीको फुसला ले जाना या ले उठना या रोक रखना ।

अध्याय २१.

अपयश लगानेके विषयमे

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
४९९	अपयश लगाना ।
"	किसी सच्ची बातकी तुहमत जिसका करना या प्रगट करना सर्वसाधारणके लाभके लिये अवश्य है ।
"	सरकारी नौकरका निजकर्तव्यकर्म करना ।
"	तुहमत जो कोई मनुष्य अपने स्वार्थकी रक्षाके लिये या सम्बन्धी सर्व दूसरोंके लाभके लिये नेक नियतीसे लगावे ।
"	सावधान करना जिसमें उस मनुष्यका लाभ हो कि जिसे सूचना दी गई हो अथवा जिससे सर्व साधारणका कामहो ।
५००	अपयश लगानेका दण्ड ।
५०१	किसी वस्तुका छापना या खोदकर दिखाना यह जानकर कि वह अपयश लगानेवाली है ।
५०२	बेचना किसी छपी हुई खुदी हुई वस्तुका जिसमे अपयश लगानेवाली बात हो ।

अध्याय २२

दण्ड योग्य धमकी और अपमान व रंज दिलानेके विषयमे ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
५०३	दण्ड योग्य धमकी (तखवीफ मजुरिमाना)
५०४	सर्व साधारणकी कुशलतामे विघ्न डालनेके अभिप्रायसे जानबूझकर अपमान करना ।
५०५	वर्णन जो सर्वसाधारणकी हानिका कारण हो ।
५०६	दण्ड योग्य धमकीका दण्ड,
"	-यदि मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुचानेकी धमकी हो ।
५०७	विना नामकी मुखबिरीके करके दण्ड योग्य धमकी ।
५०८	काम जो किसी मनुष्यको यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि उसपर ईश्वरका कोप होगा या कराया जावेगा ।
५०९	किसी स्त्रीकी लज्जाका अपमान करनेके अभिप्रायसे वचन कहना या सैन देना ।
५१०	सर्व साधारणके सामने किसी नशा पिये हुए मनुष्यकी बदचलनी ।

अध्याय २३.

अपराध करनेके उद्योगके विषयमें ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
५११	उन अपराधोंके उद्योगका दण्ड जिनके लिये जन्म भरका देश निकाला या कैदका दण्ड ठहराया गया है ।

इति ।

ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ईस्वी.

अर्थात्

हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह.



(जिसको श्रीयुत नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरने ६ अक्टूबर सन् १८६०ई० को स्वीकार किया)

अध्याय पहिला १.



जो कि यह बात उचित है कि, भारतवर्षमे समस्त अगरेजी राज्यके लिये एकही दण्ड संग्रह बनाया जावे अतएव निम्नलिखित आज्ञा हुई कि:—

इस ऐक्टका सिरनामा और उसके प्रचारका फैलाव.

(१) शुद्ध किया गया ऐक्ट ६ सन् १८९१ ई० व ऐक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार इस ऐक्टका नाम हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह होगा और यह १ जनवरी सन् १८६२ ई० के आरमसे उन देशोंमें प्रचलित होगा कि, जो श्रीमती महारानी विक्टोरियाको अपने सिंहासनपर बैठनेके २१ वे व २२ वें सालवाले कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रबंध ठीक करनेके निमित्त हुआ था, अब प्राप्त हैं, अथवा आगे प्राप्तहों ।

नोट—ऐक्ट नं० ५ सन् १८६७ के अनुसार हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह स्ट्रेट सेटलमंटमे भी प्रचलित किया गया है ।

उन अपराधोका दण्ड जो उपरोक्त देशोंमें किये जांय.

(२) शुद्ध किया गया ऐक्ट ६ सन् १८९१ ई० व ऐक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार—प्रत्येक मनुष्य जो उक्त देशोमे पहली जनवरी सन् १८६२ ई० को या उसके पश्चात् किसी ऐसे अपराधका अपराधी हो जो इस संग्रहके विरुद्ध हो, वह इसी संग्रहके अनुसार दण्डके योग्य होगा किसी दूसरे कानूनके अनुसार नहीं ।

नोट—ऐक्ट नं० ५ सन् १८९८ ई० में यह आज्ञा है कि, जिन अपराधोंका दण्ड इस संग्रहके अनुसार हो सकता है उन सबकी तहकीकात तथा दूसरी कार्रवाई ऐक्ट फौजदारीके अनुसार की जावेगी ।

(३) जो कोई मनुष्य किसी कानूनके अनुसार कि जिसको श्रीयुत गवर्नर जनरल बहादुर हिंद वइजलास कौंसलने चलाया हो किसी ऐसे अपराधमें दण्डके योग्य हो कि, जो उपरोक्त देशोकी सीमाके बाहर हुआ है तो उस मनुष्यके साथ किसी अपराधके सम्बन्धमे कि जो उपरोक्त देशोकी सीमाके बाहर हुआ हो इस संग्रहके लेखोके अनुसार उसी प्रकार वर्त्ताव किया जावेगा कि मानो उसने वह अपराध उन देशोके भीतर ही किया है ।

उन अपराधोका दण्ड जो उपरोक्त देशोके बाहर किये जांय परन्तु उनकी जाच कानूनके अनुसार उन देशोके भीतर होसकती है.

(४) शुद्ध किये गये ऐक्ट ६ सन् १८६१ ई० व ऐक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार श्रीमती महारानीका प्रत्येक नौकर इस संग्रहके अनुसार दण्डका भागी होगा कि जो कार्य अथवा चूक कि जिसको उसने नौकरीके समयमे इस संग्रहके लेखोके विरुद्ध किसी ऐसे महाराजा अथवा राजाके राज्यमे किया हो कि, जिसकी मित्रता श्रीमती महारानीके साथ किसी सधिपत्र अथवा कारारनामेके द्वारा हो जो अबसे पहिले सर्कार ईस्टइंडिया कम्पनीके साथ होचुकी हो अथवा हिन्दुस्थानकी किसी सर्कारके साथ श्रीमतीके नामसे लिखी गई हो अथवा आगे लिखीजाय ।

उन अपराधोका दण्ड कि जो श्रीमती महारानीके किसी नौकरद्वारा अन्य हितकारी राज्योमें होवे.

(५) *यह अभिप्राय नहीं है कि, इस संग्रहका कोई लेख निम्नलिखित कानूनोंकी किसी आज्ञाको पलटे अथवा न्यून करे या मिटावे अर्थात् अध्याय ८५ ऐक्ट आफ पार्लीमेंट कि जो महाराजा चतुर्थ विलियम्के सिंहासन बैठनेपर ३ व ४ सालमे प्रचलित हुआ ।

मुख्य कानून कि जिनमे इस ऐक्टका कुछ प्रभाव न होगा.

अथवा कोई ऐक्ट आफ पार्लीमेंट जो उपरोक्त ऐक्टके पश्चात् प्रचलित होकर सर्कार ईस्टइंडिया कम्पनी या ऊपर कहे हुए देशो अथवा उपरोक्त देशोके निवासियोपर किसी प्रकारसे प्रचारित हुआ हो ।

अथवा कोई ऐक्ट जो महारानी विक्टोरियाके नौकर अफ्सरों और सिपाहियोकी बगावत और नौकरीपरसे भागजानेके दण्डसे सम्बन्ध रखता हो ।

अथवा कोई कानून किसी विशेष कार्यके लिये अथवा कोई कानून किसी विशेष स्थानके लिये ।

---

* देखो दफा १ ऐक्ट नं० १४ सन् १८७० ई० ।

अध्याय दूसरा २.

साधारणार्थ स्पष्टीकरणके विषयमें ।

(६) इस समस्त सग्रहमें किसी अपराधका प्रत्येक लक्षण और प्रत्येक दण्डका नियम तथा उस लक्षण अथवा दण्डके नियमका प्रत्येक उदाहरण उन छूटोंके अधीन समझा जायगा जो साधारण छूटोके अध्यायमें लिखा हुआ है, चाहे प्रत्येक लक्षण या दण्डके नियम तथा उदाहरणमें उन उपरोक्त छूटोंका दूसरी वार वर्णन न हुआ हो ।

इस सग्रहमें लिखी हुई तारीफे (लक्षण) छूटों के अधीन समझी जायें

उदाहरण ।

(क) इस सग्रहकी उन दफोमे जहाँ अपराधोंके लक्षण लिखे हैं यह नहीं लिखा गया कि, सातवर्षसे न्यून अवस्थाका बालक इन अपराधोंका अपराधी नहीं हो सकता परंतु उन लक्षणोंको उस साधारण छूटके अधीन समझना चाहिये जिसमे यह नियत है कि, कोई काम जो सातवर्षसे कम अवस्थाका बालक करे अपराध नहीं है ।

(ख) यदि शिवशंकर कि जो पुलीसका नौकर है बिना वारटके रमाशंकरको कि जो अपराधी शातघात (कत्लअम्द) का है कैद करे तो इस अवस्थामें शिवशंकर अनीतिबंधन (हब्सबेजा) का अपराधी न गिना जायगा, क्योंकि रमाशंकरका कैद करना कानूनके अनुसार उसका कर्तव्य कर्म था, अतएव ऐसी अवस्था उस साधारण छूटके अधीन समझी जायगी कि जिसमे यह नियत हुआ है कि कोई काम अपराध नही है जो ऐसा मनुष्य करे कि जिसका करना कानूनके अनुसार उसका कर्तव्य कर्म है ।

(७) प्रत्येक शब्द जिसका स्पष्टीकरण (तशरीह) इस सग्रहमें किसी एक स्थानपर हुआहै उसी स्पष्टीकरणके अनुसार इस सग्रहके प्रत्येक स्थानपर उसी अर्थसे वर्त्ता गया है ।

उन शब्दोंका अभिप्राय कि जो एकवार समझाये गये है.

(८) शब्द "वह" और उसके कारक प्रत्येक मनुष्यके लिये, चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री, वर्त्ते गये हैं ।

लिंग.

(९) यदि प्रसगमें कुछ विरुद्धता न प्रगट हो तो एक वचनके अर्थ देनेवाले शब्दोमे बहुवचन भी समझा जायगा और बहुवचनके अर्थ देनेवाले शब्दोंमें एकवचन ।

एकवचन व बहुवचन

(१०) पुरुष शब्दसे किसी अवस्थावाले मनुष्य–जातिके पुल्लिङ्गसे अभिप्रायहै और स्त्री शब्दसे किसी अवस्थावाली मनुष्य–जातिकी स्त्रीलिंगसे ।

पुरुष व स्त्री.

(११) मनुष्य शब्दसे प्रत्येक कम्पनी और समाज तथा झुंड मनुष्योंका समझा जायग चाहे उनको सर्कारसे सनद मिली हो या नहीं ।

मनुष्य.

(१२) सर्वसाधारणका शब्द सब मनुष्योके प्रत्येक गिरोह और प्रत्येक मत (मजहब)से सम्मिलितहै ।

सर्वसाधारण.

(१३) श्रीमती महारानीके शब्दसे समयके बादशाह ग्रेटबृटन और आयलडकी अधीश्वरीसे अभिप्राय है ।

श्रीमतीमहारानी.

(१४) श्रीमती महारानीके नौकर इन शब्दोका संकेत सब अहलकारों अथवा नौकरोसे है जो श्रीमती महारानीके राज्यके साल २१ व २२ की कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रबंध सुधारनेके लिये हुआ था नियत हुए हों अथवा गवर्नमेण्ट हिंद या और किसी गवर्नमेण्टकी आज्ञासे हिन्दुस्थानमे नौकरीपर बने हों या नियत किये गये हों या कामपर लगाये गये हों ।

श्रीमती महारानीके नौकर.

(१५) शुद्ध हुए-ऐक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार–ब्रिटिश इण्डियाके शब्दसे उन देशोंका अभिप्राय है कि जो श्रीमती महारानी विक्टोरियाको अपने राज्यके साल २१ व २२ की कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रबंध सुधारनेके लिये हुआ था अब प्राप्त है या आगे प्राप्त हों ।

ब्रिटिश इंडिया

(१६) गवर्नमेट हिंदके शब्दसे श्रीयुत नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर हिंद बइजलास कौंसल और यदि श्रीमान् अपनी कौंसलमे न हों तो प्रेजीडेंट बइजलास कौंसल या केवल नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर-हिंदका अभिप्राय है जैसा जिसका अधिकार कानूनके अनुसार हो ।

गवर्नमेंट हिंद.

(१७) गवर्नमेंट शब्दका अभिप्राय उस मनुष्य या उन मनुष्योंसे है जो बृटिश इन्डियाके किसी भागमे कानूनके अनुसार प्रबंध करनेके लिये स्वाधीन हों ।

गवर्नमेंट.

(१८) प्रेजीडेंसीके शब्दसे उन देशोका अभिप्राय है जो किसी एक प्रेजीडेंसीकी गवर्नमेंटके अधीन हो ।

प्रेजीडेंसी.

(१९) जजके शब्दसे उसी मनुष्यका अभिप्राय नहीं है कि जो सर्कारी तौरपर जज कहलाता हो किंतु उस प्रत्येक मनुष्यसे भी है कि जो कानूनके अनुसार किसी दीवानी या फौजदारीके अभियोगमें ऐसा फैसला करनेका अधिकार रखता हो कि जो कतई (सम्पूर्णतः) हो या यदि उसकी अपील न हो तो कतई हो जावे या जो फैसला किसी दूसरे हाकिमकी जॉच (तजवीज) से बहाल रहे तो कतई हो या उन मनुष्योंके किसी ऐसे समूहमेंसे हो जिसको कानूनानुसार ऐसे फैसलेके करनेका अधिकार हो।

जज.

उदाहरण।

(क) कोई कलक्टर जब कि वह किसी अभियोग (मुकदमा) में ऐक्ट नंबर १० सन् १८५९ ई० के अनुसार "अधिकार वर्त्तता हो" जज है।

(ख) कोई मजिस्ट्रेट जब कि वह किसी ऐसे अपराधके सबन्धमें कार्रवाई कर रहा हो कि जिसमें उसको जुर्माना या कैदकी आज्ञा देनेका अधिकार है जज है चाहे उसका फैसला अपीलके योग्य हो या न हो।

(ग) पचायतका प्रत्येक मनुष्य कि जो मदरासके कानून ७ सन् १८१६* ई० के अनुसार अभियोगोंका फैसला व तजवीज करनेका अधिकार रखता हो जज है।

(२०) कोर्ट ऑफ जस्टिसके शब्दसे उस जजका अभिप्राय है जिसको कानूनके अनुसार स्वयही अकेले अदालतके काम करनेका अधिकार प्राप्त हो अथवा जजोंके उस समूहसे अभिप्राय है कि जिसको कानूनके अनुसार इकट्ठा होकर अदालतके काम करनेका अधिकार प्राप्त हो उस अवस्थामें जब कि वह जज अथवा जजोंका समूह अदालतका काम कर रहाहो।

कोर्ट ऑफ जस्टिस.

उदाहरण।

वह पचायत कि जो मदरासके कानून ७ सन् १८१६ ई० के अनुसार वर्त रही हो और जिसको अभियोगोंके सबन्धमें तजवीज वा फैसला करनेका अधिकार प्राप्त है कोर्ट ऑफ जस्टिस है।

(२१) सरकारी नौकरके शब्दसे उस मनुष्यका अभिप्रायहै कि जो निम्नलिखित प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारमें हो अर्थात्—

सरकारी नौकर.

पहिले—श्रीमती महारानीका प्रत्येक प्रतिज्ञा किया हुआ नौकर।

दूसरे—प्रत्येक कमीशनदार अफसर जो महारानी विक्टोरियाकी जंगी अथवा जहाजी सेनामें हो उस अवस्थामें कि जब वह गवर्नमेंट हिन्द या और किसी गवर्नमेंटके अधीन किसी कामपर नियत हो।

---

* ऐक्ट ३ सन् १८७३ ई० के अनुसार उपरोक्त कानून रद होगया है।

तीसरे—प्रत्येक जज ।

चौथे—कोर्ट ऑफ जस्टिसका प्रत्येक ओहदेदार, जिसपर उस ओहदेकी योग्यतासे उचित है कि वह किसी कानून सम्बन्धी बात अथवा किसी घटनाकी जाच करे या उसके सम्बन्धमे रिपोर्ट भेजे या कोई लेख बनावे या तसदीक करे या अपनी चौकसीमे रक्खे, या किसी मालको अपनी सिपुर्दगीमे ले या उसको अपने निकटसे दूरकरे या अदालतके किसी आज्ञापत्र (हुक्मनामें) की कार्रवाई करे या कोई शपथ (हल्फ) दे या अनुवादका काम करे या अदालतमे प्रबन्ध रक्खे और प्रत्येक मनुष्य जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिसकी ओरसे उपरोक्त कामोंमेसे किसी कामके पूर्ण करनेका विशेष अधिकार प्राप्त हो ।

पांचवें—प्रत्येक मनुष्य ज्यूरी या प्रत्येक असेसर या प्रत्येक पंचायतका पच; उस अवस्थामें कि जब वह कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी सरकारी नौकरकी सहायता करता हो ।

छठे—प्रत्येक पच या कोई दूसरा मनुष्य जिसको किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी अधिकारी हाकिमने किसी अभियोग या झगडेको निवटानेके लिये नियत किया हो ।

सातवें—प्रत्येक मनुष्य जो ऐसा ओहदा रखताहो कि, जिसके अधिकारसे वह किसी मनुष्यके कैद करने या कैद रखनेका अधिकारी हो ।

आठवें—प्रत्येक सरकारी ओहदेदार, जिसको अधिकारहै कि वह अपराधोंको होना रोके और अपराधोकी घटनाओकी सूचना दे और अपराधियोंको अपने अपराधका उत्तर देनेके लिये कैद करावे और सर्व साधारणकी आरोग्यता कुशलता तथा सुगमताकी रक्षा करे ।

नवें—प्रत्येक ओहदेदार जिसका काम उस ओहदेदारीके द्वारा यह हो कि कोई माल गवर्नमेटकी ओरसे अपने अधिकारमें लाये या अपनी सिपुर्दगीमें ले या अपनी चौकसीमे रक्खे या खर्च करे या वह गवर्नमेटकी ओरसे धरतीके नापे या लगान लगावे या कौल करार करे या वह सरिस्तेमालके किसी हुक्मनामेको जारीकरे या किसी ऐसी बातकी जांचकरे कि जिससे गवर्नमेटका कुछ स्वार्थ रुपयेके मद्दे हो या उसके सम्बन्धमें कुछ लिखा पढीकरे या कोई लेख कि जिसमे गवर्नमेटका कुछ स्वार्थ रुपयेके मद्दे हो लिखे. या तस्दीक करे, या उस लेखको अपनी चौकसीमें रक्खे, या रुपयेके मद्दे गवर्नमेटके किसी स्वार्थकी रक्षाके लिये किसी कानूनके उलंघनको रोके, और प्रत्येक ओहदेदार

जो सरकारका नौकर हो, या गवर्नमेंटसे अपनी नौकरी का हक पाता हो, या उसको किसी सरकारी कामके करनेके बदले फीस या कमीशन मिलती हो।

दशवें—प्रत्येक ओहदेदार जिसका काम उस ओहदेदारीके द्वारा यह हो कि सर्व साधारणके लौकिक कामके लिये किसीगाव या कस्बा या शहर या जिलेके किसी मालको अपने अधिकारमे लाये या अपनी चौकसीमे ले या अपनी चौकसीमे रक्खे या खर्च करे या धरतीको नापे तथा लगान लगावे या किसी प्रकारकी रसूम व टैक्स उगाहे या किसी गाव अथवा कस्बे या जिलेके निवासियोका अधिकार निश्चय करनेके लिये किसी लेखको लिखे या तस्दीक करे या चौकसीमें रक्खे।

उदाहरण।

म्युनिसिपल कमिश्नर सरकारी नौकर है।

पहिला स्पष्टीकरण—वे मनुष्य जो ऊपर लिखे हुए प्रकारोंमेसे किसी प्रकारमें हों सरकारी नौकर हैं चाहे गवर्नमेंटसे उन्होंने वह ओहदा पायाहो या नही।

दूसरा स्पष्टीकरण—जहा "सरकारी नौकर" के शब्द आवे उनसे प्रत्येक ऐसा मनुष्य समझा जावेगा जो किसी सरकारी नौकरीपर यथार्थमें ही नियत हो चाहे उस ओहदे पर होनेके लिये उसके अधिकारमे कैसी ही कानूनी खोटाई हो।

१—"कनविक्ट वार्डर' अर्थात् कैदी चौकीदार दफा २२३ दण्डसग्रह हिदके अनुसार सरकारी नौकरमे गिनाजायगा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ६३)

२—जो चपरासी महकमा कलक्टरीसे नियमित वेतन न पावे बरन उसको उसके कामोकी कुछ फीस दीजावे वह इस २१ दफाके अनुसार सरकारी नौकर है (बंगाल लारिपोर्ट जिल्द ४ सफा १४६ श्रीमती महारानी बनाम कृष्णदास.)

३—एक इजिनियर कि जिसका काम म्यूनिसिपल फडका रुपया लेकर दूसरोंको देनेका है इस दफाके अनुसार सरकारी नौकर कहा जावेगा यद्यपि उसको ऐसे रुपयेके व्ययकी मजूरी देनेका अधिकार नहीं है (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ६४ श्रीमती महारानी बनाम अनन्तराव आत्माराम)

४—ठेकेदार मौजा जो जङ्गलकी आमदनीका हिसाब रक्खे और उसमेसे एकभाग सरकारको दे और शेष आप ले वह इस २१ दफाके अनुसार सरकारी नौकर नहीं है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १२ सफा १ श्रीमती महारानी बनाम रामाजी रावजी बाजीराव)-

५—गाडीवाला या और कोई मजदूर जिसको गवर्नमेंटने नौकर रक्खा हो सरकारी नौकर नही है (इडियन लारिपोर्ट सिलसिला मदरास जिल्द ७ सफा १८ श्रीमती बनाम बची मनी)

६—नामबनाजिर दण्डसंग्रह हिदकी दफा ४०९ के अनुसार सरकारी नौकर है न कि नाजिरका (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा २९८ श्रीमती बनाम महमूद-हुसेन)

(२२) स्थावर धन (माल मनकूला) इन शब्दोंका अभिप्राय सब प्रकारकी मूर्तिमान् वस्तुसे है सिवाय धरती और उन पदार्थोंके जो पृथ्वीसे बँधे हों और ऐसे पदार्थोंके जो पृथ्वीसे बँधे हुए किसी पदार्थके साथ सदैवको दृढ़तापूर्वक लगेहों ।

स्थावर धन

१—(क) बिना किसी अधिकार या आज्ञाके कई गाडी मिट्टी एक मौजाकी बिना तशखीस हुई धरतीसे खोदकर ले गया तजवीज हुई कि (क) चोरीका अपराधी नहीं है । (सिलसिला बम्बई जिल्द ११ हिस्सह ९ सितम्बर सन् १८८७ ई० सफा २५५ श्रीमती बनाम कोठा)

२—धरती और धरतीके समस्त पदार्थ पत्थर और धातु इत्यादि जब धरतीसे पृथक् किये जांय कि जिसमें वे लगे हैं स्थावर धन हैं और चोरी होनेके योग्य है जो कोई बदनियतीसे ऐसी मिट्टीको पृथ्वीसे अलग करता है वह चोरीका अपराधी होगा । (इंडियन लारिपोर्ट बंबई जिल्द १५ सफा ७०२ श्रीमती बनाम शिवराम)

(२३) अनीतिप्राप्त(इस्तहसाल नाजायज)वह प्राप्त किसी वस्तुकी है जो अनुचित रीतिसे कोई ऐसा मनुष्य प्राप्त करे कि जो कानूनके अनुसार उसका अधिकारी न हो ।

अनीतिप्राप्त.

अनीतिहानि (जियान नाजायज)वह हानि किसी वस्तुकी है जो अनुचित रीतोसे की जावे और हानि उठानेवाला मनुष्य कानूनके अनुसार उस वस्तुका अधिकारी हो ।

अनीति हानि.

अनीति प्राप्त केवल उसी अवस्थामें न कहाजायगा जब कि वह मनुष्य उस वस्तुको अनुचित रीतिसे प्राप्त करे वरन उस अवस्थामे भी कहा जायगा जब कि वह अनुचित रीतिसे अपने अधिकारमें रक्खे ।

किसी वस्तुको अनुचित रीतिसे रख छोडना अनीति प्राप्तमे गिनाजायगा.

अनीतिहानि केवल उसी अवस्थामें न कही जायगी जब कि वह मनुष्य किसी वस्तुसे अनुचित रीतिपर बेदखल रक्खा जावै वरन उस अवस्थामे भी कही जायगी जब कि वह मनुष्य किसी वस्तुसे अनुचित रीतिपर बेद-खल किया जाय ।

किसी वस्तुसे अनुचित रीतिपर बेदखल रखना अनीति हानिमे गिना जायगा.

१—जब कोई साहूकार अपने ऋणीका स्थावर धन उसके अधिकारसे जबरदस्ती (बल-पूर्वक) इस नियतसे ले लेवे कि उसका रुपया अदा करनेमें ऋणीको दबाव पहुँचे, तो ईसे

अवस्थामे यह कहा जावेगा कि उपरोक्त साहूकारने उस धनके सम्बधमें चोरीका अपराध किया जिसका वर्णन इस संग्रहकी दफा ३७८ में कियागया है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २२ सफा १०१७)

(२४) जब कोई मनुष्य इस नियतसे कोई काम करे कि वह किसी मनुष्यको अनीति

अधर्मपने (बददियानती) से. } प्राप्त कराये या किसी मनुष्यको अनीतिहानि पहुँचाये तो कहा

जायगा कि उसने वह काम बददियानतीसे किया।

१—जब कोई मुहर्रिर सर्कारी रुपयेको अपने व्ययमे लावे और फिर हिमाबकी किताबमें झूठा रुपया इस नियतसे लिखे ताकि मेरा उपरोक्त अपराध छिपजावे तो तजवीज हुई कि झूठा रुपया जमा करना जालसाजीका अपराध नही है और इसलिये उसको इस संग्रहकी दफा ४६५ के अनुसार दण्ड देना अनुचितहै (सिलसिला इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २२१ इ० ला० रि० श्रीमती बनाम जीवानद)

२—(क) अपनी जीवित अवस्थामें (ख) का ऋणी था (क) के मरने पश्चात् (ख) ने बिना अदालतदीवानी कुछ बैल (क) के उसकी स्त्री (ग) से लेलिये तजवीज हुई कि (ख) ने यह काम बदीयानतीसे किया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ६८ श्रीमती बनाम परमात्मानाथ बनर्जी)

३—अपराधकी तजवीज जो इस संग्रहकी दफा ४७१ के अनुसार बावत छल या बदनियती से जाली लेखको असली लेखके समान काममे लानेका था यह तजवीज हुई कि चार रसीदे जाली रुपयानेके अदा होनेकी अपराधीने उस अवस्थामें बनाई थीं कि, जब उसकी चार रसीदे असली खो गई थी—तजवीज हुई कि, अपराधीने इस संग्रहकी दफा २४ व २५ के अनुसार बदनियती से उपरोक्त अपराध नहीं किया इसलिये वह दफा ४७१ के अनुसार दण्डके योग्य भी नही हो सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ हिस्सा ६ सफा ४५९ श्रीमती बनाम शिवदयाल)।

४—एक हिस्सेदार साझेके मालमें बददियानती कर सकता है यदि वह उपरोक्त मालको साझेके अधिकारसे निकालकर अपने अलग अधिकारमें कर लेवे। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १० सफा १८६ श्रीमती बनाम नूरा)।

५—इन्ट्रेंस इम्तिहानके उम्मेदवारने सार्टीफिकेट अच्छे चालचलन आदिके इम्तिहानमे शामिल होनेके लिये हेडमास्टरके जाली दस्तखत बनाकर रजिष्ट्रारके यहा भेज दिये और रजिष्ट्रारने स्वीकार करके इम्तिहानकी आज्ञा भी दे दी—तजवीज हुई कि, अभियोग दफा ४१५ व ४७१ व ५११ के अनुसार चलाया जावे कि, उम्मेदवारकी नियत केवल इम्तिहानमें शामिल होनेके लिये थी कोई छल या बददियानती दफा २४ या २५ के अनुसार नहीं की इसलिये अपराधीने कोई भी अपराध नहीं किया। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३८० श्रीमती बनाम हरयान उर्फ राखलदास घोष)।

६—जब हिन्दू लोगोंने परस्पर मिलकर एक बैल और दो गायोंको एक मुसलमानके अधिकारसे अपने अनीतिप्राप्त या चौपायोंके स्वामीको अनीतिहानिके अभिप्रायसे नही बरन गायों

-को वधसे बचानेके अभिप्रायसे दूर कर दिया तो तजवीज हुई कि, इनके सम्बंधमें डकैतीका अभियोग नही चल सकता वरन केवल बलवेका चल सकता है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा २२ श्रीमती बनाम रघुनाथराय)।

छलछिद्रसे.

(२५) जब कोई मनुष्य कोई काम इस नियतसे करे कि वह किसीको किसी माल या अधिकारसे छलछिद्र द्वारा वेदखलकरे तो इस अवस्थामे कहा जायगा कि उस मनुष्यने वह काम छल छिद्रसेही किया।

१—एक खेतका नम्बर यथार्थमे २७२ था और लेखमे जो अपराधियोंने अदालतमे पेश किया वह नम्बर भूल से १० लिखा गया अपराधियोंने नम्बर १० के स्थानपर २७२ बनादिया और इसी लिये सेशनजजने उन्हे दफा ४७१ के अनुसार जाली लेखको असलीलेखके स्थानपर काममें लानेके लिये दोषी प्रमाणित किया तजवीज हुई कि जो कि नम्बर वदनियतीसे इस संग्रहकी दफा २४ के अनुसार व छलछिद्रसे इस संग्रहकी दफा २५ के अनुसार नही पलटागया और न उससे किसीको अनीतिप्राप्त तथा अनीतिहानि हुई थी इस लिये उनपर दफा ४६५ के अनुसार जाली लेख बनानेका दोष नही होसकता था और न उपरोक्त लेख दफा ४७० के अनुसार जाली लेख कहा जा सकता था और न उसको अदालतमे पेश करनेसे अपराधी दफा ४७१ के अनुसार दोषी प्रमाणित होसकते थे इस लिये उनपर दफा ४७१ का अपराध नहीं होसकता और जो कि इस संग्रहकी दफा १९२ के अनुसार लेखके किसी भूलको सही कर देना झूठे लेख या झूठे बयानमे नहीं प्रमाणित होसकता इस लिये वह अपराधी निर्दोषी है। (वीकली नोटिस किताब माह नवम्बर सन् १८८२ ई० सफा ७२८ श्रीमती बनाम फतह आदि)।

निश्चय माननेका हेतु.

(२६) यदि किसी बातका निश्चय करनेका पूरा कारण किसी मनुष्यके सामने वर्त्तमान हो तो इस अवस्थामे कहा जायगा कि वह मनुष्य उसबातका निश्चय करनेका कारण रखता है न कि किसी दूसरी अवस्थामें।

वस्तु जो स्त्री, मुहर्रिर या नौकरके अधिकारमे हो.

(२७) जब कोई वस्तु किसी मनुष्यकी ओरसे उसकी स्त्री या मुहर्रिर या नौकरके अधिकारमे हो तो इस संग्रहके अर्थानुसार उपरोक्त वस्तु उपरोक्त ही मनुष्यके अधिकारमें समझी जायगी।

स्पष्टीकरण—जो कोई मनुष्य थोडे दिनोके लिये या किसी मुख्य आवश्यकतापर मुहर्रिर या नौकरके अधिकारपर रक्खा जाय तो वह मनुष्य इस दफाके अनुसार मुहर्रिर या नौकर है।

खोटा बनाना

(२८) शुद्ध हुआ दफा ९ ऐक्ट १ सन् १८८९ ई० के अनुसार—जब कोई मनुष्य एक पदार्थको दूसरे पदार्थके समान इस अभिप्रायसे बनावे कि वह उस समानताके द्वारा धोखा दे या इस अभिप्रायसे कि उसके द्वारा धोखा चलजाना सम्भव है तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने खोटा बनाया।

स्पष्टीकरण १—खोटा बनानेके लिये यह अवश्य नहीं, कि समानता ठीक ही ठीकहो।

स्पष्टीकरण २—जब कोई मनुष्य किसी पदार्थको किसी पदार्थके समान बनावे और समानता ऐसी हो कि उससे किसी मनुष्यको धोखा होसकता हो तो उससे जबतक इसके विरुद्ध प्रमाणित न हो निश्चय किया जायगा कि जो मनुष्य उस भांतिपर एक पदार्थको दूसरे पदार्थके समान बनाता है वह उस समानताके द्वारा धोखा देनेकी इच्छा रखता है या यह जानता है कि उसके द्वारा धोखा होना सम्भव है।

(२९) लेखके शब्दोंसे किसी ऐसी लिखावटका अभिप्राय है जो किसी पदार्थ पर

लेख (दस्तावेज). } अक्षरो या अंको या चिह्नोके द्वारा या उनमेंसे दो या तीनोके द्वारा प्रगट या बाणत किया गया हो चाहे उन अक्षरो या अंको या चिह्नोको प्रमाण (सबूत) के लिये काममे लानेकी नियत हो चाहे ऐसाहो कि वह सबूतमे काम आसके।

स्पष्टीकरण १—इस बातकी कुछ विशेषता नही है कि किन वसीलोसे या किस वस्तुपर वे या अंक या चिह्न बनाये जाय या यह कि, किसी कोर्ट ऑफ जस्टिसमे प्रमाणकी रीतिपर काममे लानेकी नियत हो या न हो या वह प्रमाणका कारण काममे आवे या न आवे।

उदाहरण।

वह लिखौट कि जिसमे किसी कौल करारके नियम लिखे हो और जो उस कौल करारके लिये प्रमाणकी भांति काममे आसके, लेख (दस्तावेज) है।

चिक अर्थात् रुक्का किसी महाजनका लेख है।

मुख्तारनामा लेख है।

पृथ्वीका नक्शा या इमारतका नक्शा जो प्रमाण (सबूत) की भांति काममे आनेके अभिप्रायसे या काममे आनेके योग्य बनाया जाय, लेख है।

जिस लिखौटमे कोई हुकम व हिदायते हों वह लेख है।

स्पष्टीकरण २—जो अभिप्राय अक्षर या अंकों या चिह्नोसे सौदागरीके चलन अनुसार या किसी दूसरे व्यवहारमे प्रगट होता हो वही इस दफाके अर्थमें उन अक्षरो या अंकों या चिह्नोंमे प्रगट होना समझा जायगा चाहे वह अभिप्राय लेखमे न प्रगट किया गया हो।

उदाहरण।

यदि शिवशंकर किसी हुंडीकी पीठपर अपना नाम लिख दे और हुंडीमें लिखा हो कि जिसको करे उसे रुपया मिले तो सौदागरी व्यवहारके अनुसार इस लिखौटके यह अर्थ है कि जिस किसीके पास वह हुंडी हो वही उसको पा सकता है, इसलिये यह लिखौट लेख है और उससे वही अभिप्राय लेना चाहिये कि मानो दस्तखतके ऊपर यह लिखौट लिखा होता कि "अधिकारी हुंडीको रुपये दो" या कोई और इसी मजमूनकी लिखी होती।

(३०) किफालतुल्मालके शब्दसे उस दस्तावेजका अभिप्राय है जो ऐसी

किफालतुल्माल दस्तावेज. } दस्तावेज होय या ऐसी दस्तावेज समझी जानेकी योग्यता रखतीहो जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार प्राप्त किया जावे या बढाया जावे या एकसे दूसरेको दिया जावे या जिसकी अवधि नियत की जावे या नष्ट किया जावे या छोडदिया जावे या जिसके द्वारा कोई मनुष्य स्वीकार करे कि मैं कानूनके अनुसार अमुक बातके अधीन हूँ या कहे कि अमुक कानूनी अधिकार मेरा नहीं है।

उदाहरण।

यदि शिवशंकर किसी हुंडीकी पीठपर अपना नाम लिख दे तो जब कि आशय इस लेखका यह है कि उस हुंडीका अधिकार उसी मनुष्यको दिया गया जो नीतिपूर्वक उसका धनी बने अतएव वह लेख प्रमाणित (किफालतुल्माल) गिना जायगा।

१—एक तिलाकनामा इस संग्रहकी दफा ३० के अनुसार किफालतुल्माल (प्रमाणितलेख) में गिना जायगा और इसप्रकारकी जाली दस्तावेजको रजिस्ट्रीके लिये पेश करना और उसकी रजिस्ट्री करा लेना हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४७१ के अनुसार अपराध मे गिना जायगा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा १५ श्रीमती महारानी बनाम अजीमुद्दीन)।

२—पट्टेकी नकल इस दफाके अनुसार किफालतुलमाल नहीं है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ४ सफा २८ सरकार बनाम हीरामन)।

३—वह सनद कि जिसके द्वारा किसी मनुष्यको प्रतिष्ठा व सन्मान प्राप्त होता है किफालतुलमाल नही है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा ५८४)

(३१) वसीअतनामेके शब्दसे ऐसे लेखका अभिप्रायहै जो कोई मनुष्य मरनेसे पहिले

वसीअतनामा. } अपने माल आदिके प्रबंधके निमित्त लिखे।

(३२) इस संग्रहके प्रत्येक भागमे सिवाय उन भागोंके जहां लेखसे विरुद्ध आशय

करनेके कर्मो सम्बंधी शब्द कानून विरुद्ध चूकोंसे भी सम्बध रक्खैगे. } निकलता हो, वे शब्द जो किये हुए कर्मोंसे सम्बध रखते हैं कानून विरुद्ध चूकों से भी सम्बध रक्खेंगे।

(३३) शब्द " काम " से एक कामका और अनेक कामोका भी अभिप्राय है।

काम चूक तर्क. } और "चूक" के शब्दसे एक चूकका और अनेक चूकोका भी अभिप्राय है।

(३४) जब कुछ मनुष्योने किसी अपराधका काम एक सम्मति होकर किया हो तो उन मनुष्योंमेंसे प्रत्येक मनुष्य उसकामके लिये उसी प्रकार दण्डके योग्य होगा कि मानो वह काम उसीने अकेले किया है।

काम कि जो कई-एक मनुष्य एक सम्मति होकर करै.

१—(क) ने (ख) के सामने और (ख) की आज्ञासे किसी मनुष्यके एक घूंसा मारा इस अवस्थामें दोनों ही असली अपराधी गिने जांयगे—जब दो मनुष्य एक मनुष्यके मारनेमें सम्मिलित होवे और वह मनुष्य उनकी मारसे मरजावे तो इस बातके जांचनेकी कुछ आवश्यकता नहीं कि, वह मनुष्य किसकी मारके प्रभावसे मरा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २३ सफा ११)।

२—एक मनुष्यको कई मनुष्योने मिलकर मारा यहांतक कि उसकी अठारह पसलियां टूट गई और वह मरगया ऐसी अवस्थामें उनमेंका प्रत्येक मनुष्य मृत मनुष्यके मारनेका अपराधी ठहराया जावेगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा ५ फौजदारी)

३—अपराधियोंपर जो सर्वे डिपार्टमेंटमें नौकर थे हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ६१ के अनुसार कुछ मौजोंसे घूंस (रिश्वत) लेनेका अपराध लगाया गया—गवाही केवल उन्हीं मनुष्योंकी थी कि जिन्होने घूसमें चन्दा दिया था या चन्दा उगाहा था या रुपया नौकरोंको दिया था मजिस्ट्रेटने दफा ६१ के अनुसार कैदसख्त (कड़ीकैद) और जुर्मानेकी आज्ञा दी—तजवीज हुई कि फैसला ठीक २ नहीं हुआ क्योंकि कोई गवाही उन मनुष्योंकी गवाहीको दृढ नहीं करती जो सब अपराधमे संयुक्त है इसलिये गवाह कि जिन्होंने अपने रुपयेकी या शरीरकी (जाती) हानिसे बचनेके लिये किसी सरकारी नौकरको घूंस देनेका वचन दिया या घूंस दिलानेमें सहायता की उनकी गवाही स्वयही उनके अपराध करनेकी गवाही समझी जायगी (सिलसिला बम्बई इ० ला० रि० जिल्द १४ सफा ११५ श्रीमती महारानी बनाम मगनलाल व मोतीलाल)।

(३५) जब कि एक ऐसा काम कुछ मनुष्योद्वारा हुआ हो जो केवल इस कारणसे अपराध है कि वह बुरी नियत अथवा बुरे अभिप्रायसे किया गया है तो उनमेंसे प्रत्येक मनुष्य जिसने उसके करनेमें उसी प्रकारके ज्ञान या प्रयोजनसे साझा किया हो उस कामके सम्बंधमे उसी प्रकारसे दण्डके योग्य होगा कि मानो अकेलेही उस मनुष्यने उसही ज्ञान अथवा अभिप्रायसे उस कार्यको किया।

जब ऐसा कोई काम इसी हेतुसे अपराध हो कि बुरी नियत या बुरे अभिप्रायसे कियागया.

(३६) जब किसी परिणामका करना या करानेका उद्योग करना चाहे वह कुछ काम करनेसे हो चाहे चूकनेसे, अपराध गिनाजाय तो समझाजायगा कि उस परिणामका उत्पन्न करना कुछ तो काम करनेसे और कुछ चूक करनेसे भी वही अपराध होगा।

परिणाम जो कुछ करनेसे और कुछ चूकनेसे उत्पन्न हुआ हो।

उदाहरण।

यदि शिवशंकर जानबूझकर रमाशंकरकी मृत्युका कारण इस प्रकारसे हो कि कुछ तो वह रमाशंकरको आहारके देनेमे कानूनके विरुद्ध चूक करे और कुछ उसको मारे तो शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा।

(३७) जब कि कई एक कामोके द्वारा कोई अपराध होवे तो जो कोई मनुष्य उन कामोमेसे किसी कामको अकेलेही या किसी और मनुष्यके साझे करके जान बूझकर उस अपराधमें संयुक्त हो तो वह मनुष्य उपरोक्त अपराधका अपराधी होगा।

कई कामोंमेसे कि जिनमे अपराध बनता है. एक काम करके साझी होना

उदाहरण।

(क)–यदि शिवशंकर और रमाशंकर इस बातकी सम्मति करें कि हम दोनो पृथक् २ समयपर थोडा २ विष देकर उमाशंकरको मारडाले और इसी सम्मतिके अनुसार शिवशंकर व रमाशंकर उमाशंकरको मारनेकी नियतसे विष दे और उस विषसे जो इसप्रकार दिया गया, उमाशंकर मरजाये तो इस अवस्थामे शिवशंकर व रमाशंकर जानबूझकर ज्ञातघातमे संयुक्त हुए और जो कि इन दोनोंमेंसे प्रत्येकने वह काम किया कि जो उमाशंकरकी मृत्युका कारण हुआ इसलिये वे दोनों उपरोक्त अपराधके अपराधी हुए, यद्यपि उनके काम अलग २ थे।

(ख) शिवशंकर और रमाशंकर दोनों साझेमें जेलखानेके निरीक्षक हैं और उमाशंकर कैदी उनकी चौकसीमे उस अधिकारके कारण बारी २ से छह २ घंटे रहता है और शिवशंकर व रमाशंकरने इस नियतसे कि उमाशंकर मरजावे अपनी २ नौकरीकी बारीमे उमाशंकरको उस आहारके पहुंचानेमे जो उसे देनेके लिये मिला था कानूनके विरुद्ध चूक की कि जिससे भूंखके कारण उमाशंकर मरगया तो शिवशंकर और रमाशंकर दोनोंही उमाशंकरके अज्ञातघातके अपराधी हुए।

(ग)–शिवशंकर जेलखानेका निरीक्षक है और उमाशंकर कैदी उसकी चौकसीमे है–शिवशंकरने इस नियतसे कि उमाशंकर मरजावे उमाशंकरको आहारके देनेमे कानूनके विरुद्ध (चूक) की कि जिसके कारण उमाशंकर अत्यंतही निर्बल होगया परन्तु लंघन ऐसे भी न हुए कि जिससे उमाशंकर मरजाता–शिवशंकर अपने ओहदेसे हटादिया गया और रमाशंकर उसके स्थानपर नियत हुआ–रमाशंकरने भी विना शिवशंकरकी सहायता अथवा सम्मतिके उमाशंकरको आहारके देनेमें कानूनके विरुद्ध चूक की यह बात जानबूझकर कि इससे उमाशंकरका मरना सम्भव है–और उमाशंकर भूंखसे मरगया तो रमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी है परन्तु शिवशंकरने रमाशंकरको सहायता नहीं दी. इसलिये वह केवल ज्ञातघातके उद्योगका अपराधी हुआ।

(३८) यदि कुछ मनुष्य किसी अनुचित कामके करनेमें तत्पर हों या उससे कुछ सम्बन्ध रखते हो तो सम्भवहै कि वे मनुष्य उस कामके द्वारा पृथक् २ अपराधोके अपराधी हों।

कुछ मनुष्य जो किसी अपराध को करें अलग २ अपराधोके अपराधी होगे.

उदाहरण।

यदि शिवशंकरने किसी ऐसे भारी क्रोध करानेवाले कामकी अवस्थामे जब कि उसका उमाशंकरको मारडालना केवल ज्ञातघात गिना जाता उमाशंकरपर आक्रमण किया—रमाशंकर जिसकी ईर्षा उमाशंकरसे थी और उमाशंकरके मारडालनेकी नियत रखता था विना इसके कि उस प्रकारके क्रोध दिलानेवाले कामकी अवस्थाने उसपर कुछ प्रभाव किया हो उमाशंकरके मारनेमें शिवशंकरको सहायता दे तो इस अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर और रमाशंकर दोनोही उमाशंकरकी मृत्युके कारण हुए हैं परतु रमाशंकर ज्ञातघातके अपराधका अपराधी होगा और शिवशंकर केवल ज्ञातवत् घातका अपराधी।

(३९) जब कोई मनुष्य किसी परिणामको उन उपायोंसे उत्पन्न करे जिसके द्वारा उस परिणामका उत्पन्न करना उसकी नियतमे हो या उन उपायोंसे जिनके काममें लानेके समय वह मनुष्य जानता हो या जाननेका हेतु रखता हो कि उनसे वह परिणाम उत्पन्न होना सम्भव है तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने जान बूझकर उस परिणामको उत्पन्न किया।

जानबूझकर.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर रातके समय एक बडे नगरके किसी घरमें जिसमें मनुष्य रहते हो इस अभिप्रायसे आग लगाये कि उसके द्वारा डॉका डालना सहज होजावे और इसप्रकार वह किसीमनुष्यके मारनेका कारण हो तो इस अवस्थामे यद्यपि शिवशंकरकी नियत मारनेकी न हुई हो वरन् उसको इस बातका रज हो कि मेरे कामके कारण इस मनुष्यकी मृत्यु हुई तौभी वह जानबूझकर मारनेवाला कहलावेगा, कदाचित् उसने जानलिया हो कि मेरे इस कामसे किसीका मरना अतिसभव है।

(४०) इस कानूनमें सिवाय उन अध्याय और उन दफोंके जिनका वर्णन इस दफ़ाके जिमन २ व ३ में है "अपराध" शब्दका अभिप्राय उस वस्तुसे है जो इस संग्रहमें दण्डके योग्य ठहरा दीगई हो।

अपराध.

अध्याय चौथा और नीचे लिखी दफाएँ अर्थात् दफा.

६४, ६५, ६६, ६७, ७१, (ऐक्ट न० ८ सन् १८८२ ई०) १०९, ११०, ११२, ११४, ११५, ११६, ११७, १८७, १९४, १९५, २०३, २११, २१३, २१४, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३४७, ३४८, ३८८, ३८९, ४४५, (ऐक्ट न० २७ सन् १८७० ई० दफा २)

अपराध शब्दका अभिप्राय प्रत्येक कामसे है जो इस संग्रहके अनुसार या किसी विशेष कानूनके अनुसार या किसी विशेष स्थानके कानूनके अनुसार वर्णन किये गये इस संग्रहके दण्ड योग्य ठहरा दिया हो।

और जिस अवस्थामें कि वह काम जो किसी विशेष कानून या किसी विशेष स्थानके कानूनानुसार दण्डके योग्य है, उसी कानूनके अनुसार दण्ड कैद जिसकी अवधि छह महीना अथवा अधिक जुर्माने सहित व जुर्मानेकी हो तो इस दफा १४१, १७६, १७७, २०१, २०२, २१२, २१६ व ४४१ मे अपराध शब्दका वही अर्थ होगा जो ऊपर कह आये हैं।

१—अफ्सर पुलीसको इस प्रकारकी आज्ञा हुई कि वह (क) को दफा ५५ जाब्ता फौजदारीके अनुसार बदमाशी (बदचलनी) के अपराधमे कैद कर लावे—(क) दूसरे मनुष्योकी सहायता से कैद होकरमी भागगया यह तजवीज हुई कि (क) पर कोई अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ४० के अनुसार नही लगाया गया और इसलिये यदि वह कैदकी रोक टोक करके भागजावे तो वह किसी अपराधका हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २२४, २२५ के अनुसार अपराधी न होगा। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ६७ श्रीमती महारानी बनाम खदनिया)

विशेष कानून. (४१) विशेष कानूनसे कानूनका अभिप्राय है जो किसी मुख्य विषयसे सम्बन्ध रखता हो।

नोट—विशेष कानूनमें ऐक्ट जुआव इसी प्रकारके दूसरे ऐक्ट सयुक्त हैं।

देश विशेषी कानून. (४२) देश विशेषी कानूनसे उस कानूनका अभिप्राय है जो ब्रिटिश इंडियाके किसी मुख्य भागसे सम्बन्ध रखता हो।

नोट—जैसे कानून म्यूनिसिपालटी पजाब जो केवल पजाबमें प्रचलित है व कानून म्युनिसिपालटी मध्यप्रदेश जो केवल मध्यप्रदेशहीमे प्रचलित है।

कानून विरुद्ध. (४३) कानून विरुद्धका शब्द प्रत्येक ऐसे कामसे सम्बन्ध रखता है जो अपराध हो या जो कानूनानुसार वाजत हो या जिससे दीवानीकी नालिशका कारण निकले।

कानूनानुसार उचित. और जब कि चूक करना किसी कामका किसी मनुष्यपर कानूनके विरुद्ध हो तो कहा जायगा कि इस कामका करना इस मनुष्यपर कानूनानुसार उचित है।

१—यदि कोई मनुष्य कुंएके प्रबंधके अभिप्रायसे जो किसी मार्गसे आठ गजके अंतरपर उसकी निजधरतीमें है उसकी घेराबंदी न करे तो उसको दण्ड इस अपराधमें न दिया जावेगा कि उसने सर्व साधारणको दुःख पहुंचाया (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा २८०)।

हानि. (४४) हानिके शब्दसे हर प्रकारकी हानिका अभिप्राय है जो कानूनके विरुद्ध किसी मनुष्यके तन अथवा मन या यश अथवा धनको पहुँचाई जावे।

(४५) जीव शब्दसे केवल मनुष्यके जीवका अभिप्राय है सिवाय उसके जहा लेखसे

जीव } इसके प्रतिकूल अर्थ दिखाई दे ।

(४६) मृत्यु शब्दसे केवल मनुष्यकी मृत्युका अभिप्राय है—सिवाय उसके जहा लेखसे

मृत्यु } इसके प्रतिकूल अर्थ दिखाई दे ।

पशु. } (४७) पशुके शब्दसे सिवाय मनुष्यके प्रत्येक जीवधारीका अभिप्राय है ।

(४८) जहाजके शब्दसे उस पदार्थका अभिप्राय है जो मनुष्योंको अथवा मालको

जहाज. } पानीपर लेजानेके लिये बनाया गया हो ।

(४९) जिस स्थानमें वर्ष या महीनेका शब्द आया है वहा यह समझना चाहिये कि,

वर्ष या महीना. } वह वर्ष या महीना अगरेजी पत्रे जन्त्री के अनुसार गिना जायगा ।

(५०) दफाके शब्दसे इस सग्रहके किसी अध्यायके उन टुकडोमेंसे किसी टुकडेका अ-

दफा. } भिप्राय है कि, जिनके आरभमे पहिचानके लिये कोई अक लगा हो ।

(५१) शपथके शब्दमें सत्य बोलनेकी वह प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी जो कानूनानुसार

शपथ. } शपथके बदले ठहराई गईहो और और कोई प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी-जिसका करना किसी सरकारी नौकरके सामने, या जिसका किया जाना प्रमाण (सबूत) की भाति, चाहे किसी कोर्ट आफ जस्टिसमे हो या न हो कानूना-नुसार उचित या अवश्य हो ।

(५२) जिस कामके करने या मानने में यथोचित सावधानी व विचार न किया जाय

पाक इच्छा (नेक नियती.) } तो न कहाजायगा कि, उपरोक्त काम नेक नियतीसे किया गया या नेक नियतीसे मानागया ।

१—एक अफसर पुलीसने एक घोडा जो उसीके खोए हुए घोडेकी सूरतका था एक खेतमें बँधा देखकर पकड लिया और उस खेतवालेको चोरीके अपराधमें कैद किया—तजवीज हुई कि उप-रोक्त अफसरने यह काम नेक नियतीसे नहीं किया क्योंकि उसमें यथोचित सावधानी और विचार नहीं किया गया । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा २० श्रीमती महारानी बनाम मुहम्मद फाजिलखा)

अध्याय तीसरा ३.

(५३) इस सग्रहके लेखोके अनुसार अपराधी जिन दंडोंके योग्य होंगे वे यह

दड. } हैं ।*

पहिला—मृत्युदण्ड (सजाय मौत)

दूसरा—देश निकाला (हब्स व अबूर दरयायशोर)

तीसरा—कैदकी अवस्थामे सेवा दण्ड (मशक्कत ताजीरी वहालत कैद)

चौथा—कैद जो दो प्रकारकी है—

(१) कैद कठिन जो परिश्रमके साथ हो.

(२) साधारण कैद.

पांचवां—धनकी जब्ती.

छठा—जुर्माना.

---

* बेतके दण्डके बारेमे ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० को देखो (क) (ख)

(श्रीयुत नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरके यहांसे १८ फरवरी सन् १८६४ ई० को स्वीकार हुआ)

ऐक्ट जिसका यह अभिप्राय है कि, किसी २ अभियोगमे बेतका दण्ड प्रचलित किया जावे ।

यह बात उचित है कि किसी अभियोगमे दण्ड सग्रह हिदके लेखो (दफों) के अनुसार अपराधी बेतके दण्डसे दण्डित कियेजॉय इस लिये निम्नलिखित आज्ञा होती है कि-

दफा १—हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ५३ के अतिरिक्त अपराधी इस सग्रहके अनुसार बेतके दण्डके योग्य हैं ।

(क) यह ऐक्ट फिहरिस्तमे लिखे हुए जिलेके अतिरिक्त समस्त ब्रिटिश इंडियामे प्रचलित किया गया है । देखो ऐक्ट १५ सन् १८७४ ई० दफा ३.

यह ऐक्ट दफा ६ के अतिरिक्त ब्रह्मामें भी प्रचलित किया गया है । (देखो भाग १ क कोडपत्र २ ऐक्ट २० सन् १८८६ ई०)

यह ऐक्ट फिहरिस्तमें लिखेहुए जिलोके ऐक्टके अनुसार जो सन् १८७४ ई० मे प्रचलित किया गया था निम्नलिखित जिलोमें प्रचलित किया गया है ।

मृत्युदण्डके बदलेका दण्ड.

(५४) प्रत्येक अवस्थामें जहा मृत्युदडकी आज्ञा हुई हो गवर्नमेंट हिंद या उस गवर्नमेंटको जहा अपराधीको दडकी आज्ञा हुई हो अधिकार होगा कि, बिना अपराधीकी प्रसन्नताके उस दडको और किसी दडके साथ जो इस सग्रहमें नियत की गई है बदलदे।

दफा २–जो मनुष्य किसी अपराधका (कि जो नीचे लिखे हुए हैं) अपराधी हो तो उचितहै कि, उसको किसी दण्डके बदले जो दण्टसग्रह हिंदके अनुसारही बेंतका दण्ड दिया जावे और वह अपराध यह है।

१—चोरी जिसप्रकार कि उपरोक्त सग्रहकी दफा ३७८ में उसका वर्णन हुआ है।

२—इमारत या डेरे या जहाज अथवा नावमे चोरी करना–जिसप्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफा ३८० मे उसका वर्णन हुआ है।

३—चोरी जो मुहर्रिर या नौकर करे कि जिसका वर्णन उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८१ मे हुआ है।

४—किसी मनुष्यके मारने या हानि पहुचानेकी तैयारी करके चोरी करना कि जिसका वर्णन उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८२ में हुआ है।

५—धमकी देकर बलपूर्वक माल छीनना जिस प्रकार कि उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८८ में कहा है।

६—किसी पदार्थको बलपूर्वक प्राप्त करनेकी नियतसे किसी मनुष्यको बदनाम करनेकी धमकी देना जिस प्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८९ में वर्णित हुआ है।

सिंध देखो गजट आफ इंडिया १० अगस्त सन् १८७८ ई० हिस्सा १ सफा ४८२

अदन " २८ जून सन् १८७९ ई० हिस्सा १ सफा ४३४

पश्चिमी जलपाई गोडी व पश्चिमी ड्वारिस व पश्चिमी कोहिस्तान व दार्जीलिंग व तराई व डमसन सब डवीजन जिला दार्जीलिंग. } देखो गजट आफ इंडिया ५ मार्च सन् १८८१ ई. हिस्सा १ सफा ७४

जिला हजारीबाग व लोहार डग्गा व मानभूमि व पर्गना धालभूमि व कोल्हान जिला सिंहभूमि } देखो गजट आफ इंडिया २२ अक्टूबर सन् १८८१ ई० हिस्सा १ सफा ३७४

मुटाल अगल. " १५ फरवरी सन् १८७९ ई० हिस्सा १ सफा ६०

कमिश्नरी झांसी. " २१ अगस्त सन् १८७८ ई० हिस्सा १ सफा ५४६

कमायू व गढवाल देखो गजट ८ नवम्बर सन् १८७६ आफ इंडिया ई० हिस्सा १ सफा ५

फिहरिस्तमें लिखा हुआ जिला मिर्जापुर } " ३१ मई सन् १८७९ ई० हिस्सा १ सफा ३८३

जोतसारवावर ३१ मई सन् १८७९ ई० हिस्सा सफा ३८२

जिला हजारा पेशावर कोहाट बन्नू, डेराईस्मा ईल्खा, डेरागाजीखा } " ३० जनवरी सन् १८८६ ई० हिस्सा १ सफा ४८

जिला लाहौर " १ मई सन् १८८६ ई० हिस्सा १ सफा ३०१

फिहरिस्तमे लिखे हुए जिले मध्यहिंदके } " ३ दिसम्बर सन् १८७९ ई० हिस्सा १ सफा ७७१

कुर्ग २८ दिसम्बर सन् १८७८ ई० हिस्सा १ सफा ७४७

एडमान व नीकोबारद्वीप " २५ मार्च सन् १८८२ ई०

(५५) प्रत्येक अवस्थामें जहां जन्मभरके देशनिकालेके दडकी आज्ञा हुई हो गवर्नमेंट हिंद या उस गवर्नमेंटको जहां अपराधीको इस दडकी आज्ञा हुई हो अधिकार होगा कि, अपराधीकी विना प्रसन्नता उस दडको दोनो प्रकारमेंसे किसी प्रकारके दडके साथ जिसकी अवधि १४ वर्षसे अधिक न हो बदल दे ।

जन्मभरके देश निकालेकी कैदके बदलेका दण्ड.

(५६) जब कभी किसी मनुष्य पर जो यूरुप या अमेरीकाका रहनेवाला हो कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसका दंड इस संग्रहके अनुसार देश निकाला है तो अदालतको उचित है कि, ऐक्ट २४ सन् १८५५ ई० के अनुसार अपराधीको देश निकालेके बदले कैदकी अवस्थामे सेवादडकी आज्ञा दे ।

यूरुपियो और आमेरिकनोको देशनिकालेके बदले सेवादंडहो.

परन्तु शर्त यह है कि, जब कोई अपराधी यूरुप या अमेरिकाका रहनेवाला न प्रचलित हो तो उपरोक्त ऐक्टकी दंडाज्ञाके योग्य या देश निकालेके योग्य कि, जिसकी अवधि १० वर्षसे अधिककी होनी होती परन्तु जन्मभरको न होती तो वह इसके योग्य होगा कि, अदालत उसको कठिन सेवादड करे कि, जिसकी अवधि छ. वर्ष या इससे अधिक की हो—जन्मभरकी न हो ।

नोट—इस दफाकी शर्त ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० के अनुसार बढाई गई है ।

७—चोरीके मालको जानवूझकर बदनियतीसे लेना जिस प्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफा ४११ में कहा है ।

८—चोरीके मालको यह जानकर कि वह डकैतीसे पायागया है ले, बदादियानतीसे लेना कि, जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफा ४१२ में हुआ है ।

९—घर फोडकर या अनुचित रीतिसे घरमें घुसना कि जिसका वर्णन इस संग्रहकी दफा ४४३ व ४४५ मे किया गया है—ऐसे अपराधके अभिप्रायसे कि जिसका दड बेत दड होसकता है ।

१०—रातके समय घर फोडकर या अनुचित रीतिसे घरमें घुसना कि जिसका वर्णन इस संग्रहकी दफा ४४४ व ४४६ मे किया गया है ऐसे अपराधके अभिप्रायसे कि जिसका दंड इस दफाके अनुसार बेत दंड होसकता है ।

जिला सिलहट, देखो गजट आफ इंडिया, २४ अक्टूबर सन् १८७९ ई० हिस्सा १सफा६३१.

जिला कामरूप व नौ गाग व दारंग व शिवसागर व लखीमपुर व ग्वालपाडा व कछार } " २४ अगस्त सन् १८७८ ई० हिस्सा १ सफा ५३२

यह ऐक्ट उपरोक्त ऐक्टके अनुसार पश्चिमोत्तर देशके जिला तराईसे भी सम्बंध रखता है—देखो गजट आफ इंडिया २३ सितम्बर सन १८८६ ई० हिस्सा १ सफा ५०५

(५७) दडकी अवधीके विभाग करनेमें जन्मभरका देशनिकाला बीस वर्षके देश निकालेके समान समझा जायगा ।

दडकी अवधिके विभाग

नोट—इस दफाके अनुसार जन्मभरके देश निकालके दंडकी अवधि केवल २० वर्षकी रक्खी गई है ।

(५८) प्रत्येक अवस्थामें जहा देश निकाले दडकी आज्ञा हो जबतक देश निकाला न हो, अपराधीके साथ वैसाही वर्त्ताव किया जावेगा कि मानो उसको कठिन कैदकी आज्ञा हुई है और जो मीआद (अवधि) इस प्रकारकी कदमें व्यतीत होजायगी वह इसी देश निकालेके दडमें गिनी जावेगी ।

जिन अपराधियोंको देश निकालेके दडकी आज्ञा हो तो उनको देश निकाला होते तक उनके साथ किस प्रकार वर्त्ताव कियाजावे ।

(५९) प्रत्येक अवस्थामे जहाँ अपराधी सात वर्ष या अधिक अवधिकी कैदके योग्य हो वहा दण्ड देनेवाली अदालतको अधिकार होगा कि कैदका दड देनेके बदले अपराधीको किसी एक अवधिके लिये जो सात वर्ष से कम और उस मीआद (अवधि) से अधिक न हो जिस अवधि तक वह अपराधी इस सग्रहके अनुसार कैदके योग्य है देश निकालेके दडकी आज्ञा दे ।

कैदके दडके बदले किस २ अवस्थामें देश निकालेकी आज्ञा दीजा सकतीहै.

१—इस सग्रहकी दफा ५९ मे कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि उस कैदके बदले जो अदालत अपराधीको बन दड न बदल होनेके दे सकती हो, देश निकालेका दड दिया जावे (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा २८ लक्ष्मूसाह बनाम श्रीमती महारानी)

२—इस सग्रहकी दफा ५९ के अनुसार अदालत केवल उसी अवस्थामे देश निकालेका दड दे सकती है कि जब अपराधीको सात साल या अधिक कैदकी आज्ञा हो—अदालत अपराध के सम्बन्धमे दडकी आज्ञा करते समय कैदके दडको देश निकालेके दडमे बदल सकती है, परन्तु कैदके दडकी आज्ञा सुनानेके पश्चात् ऐसी अदल बदल न होसकेगी । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द सपलीमेंट सफा ३५)—

३—वह अफसर जिसको दफा १ ऐक्ट ५ सन् १८६२ ई० के अधिकार प्राप्तहो—दड कैदके बदले देश निकालेका दड दे सकता है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ६ श्रीमती महारानी बनाम बुधुआ)

दफा ३—यदि कोई मनुष्य जिसपर उपरोक्त अपराधोमेंसे कोई अपराध प्रमाणित होचुका हो और फिर दूसरी वारभी वह उसी अपराधका अपराधी हो तो उसे उस अपराधका दड अधिक देनेके साथही साथ बेतका भी दड दिया जासकता है ।

(ख) ब्रह्माजेरयनमे किसी २ अपराधमे जिनका वर्णन ऐक्ट सिपुर्दगी जुआरिमान व जेहलखाना ब्रह्माजेरयनमें है बेतकाभी दंड दिया जा सकता है । देखो ऐक्ट १६ सन् १८८६ ई० दफा ६ जिसकी मीआद ३० जून सन् १८८७ ई० को बीतजायगा देखो दफा ८ ऐक्ट उपरोक्त।

४—जब अपराधी कई एक अपराधोंको करे जिनमे प्रत्येक अपराध सात वर्षसे कमकी कैदके दंड योग्य हो परन्तु सब अपराधोका दंड मिलकर सात वर्षसे अधिक हो जाय तो ऐसी अवस्थामें इस संग्रहकी दफा ५९ के अनुसार सब दंड देश निकालेके दंडसे नहीं बदला जा सकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ४४ श्रीमती महारानी बनाम तानूराम माली)

कैदकी मुख्य अवस्थाओमे दंडकी आज्ञा कुछ या समस्त साधारण या कठिन हो सकेगी।

(६०) प्रत्येक अवस्था में जहाँ अपराधी दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदके योग्य हो वहा दंड देनेवाली अदालतको अधिकार होगा कि दंडकी आज्ञामे यहभी आदेश करे कि, समस्त कैद कठिन हो या साधारण हो या कि उस अवधिके कुछ समय तक कैद कठिन हो और शेष समयमें कैद साधारण रहे।

दफा ४—यदि कोई मनुष्य जिसपर कोई अपराध नीचे लिखे अपराधोंमेसे पहिले प्रमाणित हुआहो और फिर उसी अपराधमें पकडा जाकर वही अपराध प्रमाणित होवे तो उचित है कि, सिवाय किसी और दंडके कि जिसका वह हिंदुस्थानके दंडसग्रहके अनुसार दंडित हो उसको बेतका भी दंड दियाजावे अर्थात्—

१—झूठी साक्षी (गवाही) देना या बनाना इसप्रकार पर कि जिसका वर्णन दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ मे है।

२—ऐसे अपराधको प्रमाणित करनेके लिये कि जिससे मृत्युदण्ड हो झूठी साक्षी देना या बनाना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा १९४ मे कहा है।

३—ऐसे अपराधको प्रमाणित करनेके लिये कि जिससे देश निकालेके दंड होनेकी नियत हो झूठी साक्षी देना या बानाना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा १९५ मे कहा है।

४—किसीका झूठा दोष लगाना कि जिससे उसकी प्रतिष्ठामे हानि पहुंचे या प्रकृति विरुद्ध कोई कार्य करे जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा २२१ व ३७७ मे वर्णन किया गया है।

५—किसी स्त्रीका सतीत्व भङ्ग करनेके नियतसे बलपूर्वक आक्रमण करना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३५४ मे वर्णित है।

६—बलपूर्वक स्त्री प्रसङ्ग करना जिस प्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ३७५ में कहा है।

७—प्रकृतिके विरुद्ध काम करना जिसप्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ३७७ मे वर्णन किया गया है।

८—बलपूर्वक चोरी करना या डाका डालना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३९० व ३९१ मे उसका वर्णन किया है।

९—बलपूर्वक (धमकाकर) चोरी करनेका उद्योग करना जिसप्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ३९३ मे उसका वर्णन किया है।

१०—बलपूर्वक चोरी करनेके अपराधमे जानबूझकर किसीको हानि पहुँचाना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३९४ में उसका वर्णन है।

(६१) प्रत्येक अवस्थामे जहा कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित हो जावे कि, जिसके सम्बन्धमें वह इस योग्य हो कि उसका समस्त धन (जायदाद आदि) जब्त किया जावे (राज्यमें लेलिया जावे) तो ऐसी अवस्थामें अपराधी किसी मालकोभी नहीं पा सकेगा सिवाय इसके कि, वह माल गवर्नमेंटके लाभके लिये प्राप्त किया जावे जवतक कि, वह उस दडके वदले दूसरे ठहराये हुए दडको न भुगतले या जवतक कि, उसका दड न माफ (क्षमा) किया जाय।

धनकी जब्तीका दड.

उदाहरण।

शिवशकर जिसके ऊपर गवर्नमेंट हिन्दके विरुद्ध युद्ध करना प्रमाणित हुआ इस वातके योग्य है कि उसकी समस्त सम्पत्ति जब्त की जावे—दडकी आज्ञा होनेसे पीछे और भुगतनेसे पहिले शिवशकरका वाप मरा और वह जायदाद शिवशकरको उस अवस्थामें मिलती कि जब उसके सबन्धमें जब्ती जायदादकी कुछ आज्ञा न होती तो ऐसी अवस्थामे सपूर्ण सपत्ति गवर्नमेंटकी मिल्कियत होगी।

१—जायदाद जब्तीकी आज्ञा केवल उसी अवस्थामें दी जासकती है कि जब अपराध देशनिकालेके दडके योग्य हो या सात सालकी कैदके योग्य हो (वीक्ली रिपोर्टर-जिल्द ८ सफा ३५ फौजदारी)

११—समझ बूझकर स्वभावसेही चोरीका माल लेना या व्यवहार करना जिस प्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ४१३ में उसका वर्णन किया गया है।

१२—जालसाजी, जिसप्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ४६३ मे उसका वर्णन हुआ है।

१३—लेख (दस्तावेज) की जालसाजी कि जिसप्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ४६२ मे उसका वर्णन हुआ है।

१४—लेखकी जालसाजी कि जिसप्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ४६७ में उसका वर्णन हुआ है।

१५—धोखा देनेके अभिप्रायसे जालसाजी करना जिसप्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ४६८ में उसका वर्णन हुआ है।

१६—किसी मनुष्यकी नेकनामीमें वट्टा लगानेके अभिप्रायसे जाली दस्तावेज वनाना जिस प्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ४६९ में उसका वर्णन हुआ है।

१७—घर फोडकर या वलपूर्वक घरमे घुसना जिस प्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ४४३ व ४४५ में उसका वर्णन हुआ है ऐसा अपराध करनेके अभिप्रायसे कि जिसका दण्ड इस दफाके अनुसार वेत द्वारा हो सकता है।

१८—रातके समय घर फोडकर या वलपूर्वक अनीतिसे घरमे घुसना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४४४ व ४४६ मे उसका वर्णन हुआ है ऐसा अपराध करनेके अभिप्रायसे कि जिसका दंड इस दफाके अनुसार वेंत द्वारा हो सकता है।

२—जायदादकी जब्तीका एक ऐसा दंड है जो बडे भारी अपराधके लिये चाहिये या उन अपराधोंमें कि जो बहुतही बुरी अवस्थामें किये गये है क्योंकि यह दंड ऐसा है कि जो केवल कैदीके लियेही नहीं है वरन उसके संपूर्ण कुटुंबके लिये है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १७ फौजदारी)

जब्ती ऐसे अपराधियोंके मालकी जो मृत्यु दंड (वध), देशनिकाले या कैदके दंड योग्य हो

(६२) जब किसी मनुष्य पर ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले दंड वध हो सकता है तो अदालतको यह तजबीज करनेका अधिकार है कि, अपराधीका कुल धन स्थावर व अस्थावर (मनकूला व गैर मनकूला) गवर्नमेंटमे जब्त हो और जब कि, किसी मनुष्य पर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले देश निकालेका दण्ड या सात वर्षसे अधिककी कैद होसकती है तो अदालतको यह तजबीज करनेका अधिकार है कि, देश निकालेके दंड या कैदकी मीआदके भीतर अपराधीके कुल धन स्थावर व अस्थावरका लगान व किराया व मुनाफा इस शर्तके साथ गवर्नमेंटमें जब्त रहे कि, अपराधीके कुटुम्ब परिवार व स्त्री बच्चोंके लिये उपरोक्त दंडकी अवधिमें जो आजीविका गवर्नमेंट उचित समझे उस जायदादसे दे।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ६२, कि जिसमे जायदादके जब्त करनेके संबंधमें आज्ञा है केवल उसी अवस्थामे काम आसकेगी कि जब अपराधीको देश निकालेका दंड दिया गया हो या कमसे कम ७ वर्षके लिये कैदकी आज्ञा दी गई हो। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ३५ श्रीमती महारानी बनाम किरपा मगई आदि)

२—सेशनजजने एक जमीदारको इस अपराध देश निकालेका दंड दिया कि, उसने एक बहका लाये हुए मनुष्यको अनुचित रीतिपर बंद रक्खा और उपरोक्त दंड देनेके साथही साथ यहभी आज्ञा दी कि उसकी जमीदारीका लगान व मुनाफा जब्त किया जावे तजवीज हुई कि, इस दंडकी आज्ञा बहुतही कडी थी। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १७ श्रीमती महारानी बनाम सीतामियां)

जुर्माने की तादाद.

(६३) जहांपर कहीं जुर्माने की सीमा नियत नहीं की गई वहां पर उस जुर्माने की तादाद की अपराधी जिसके योग्य होगा असीम है परंतु चाहिये कि अटकलसे अधिक न हो।

दफा ५–उचित है कि किसी कम आयुवाले अपराधीको जो ऐसा अपराध करे कि जिसका दंड, दंडसंग्रहहिंदके अनुसार फांसी न हो चाहे वह अपराध उससे पहलीही बार हुआहो चाहे दूसरीबार–उसे बेतका भी दंड देना चाहिये।

(६४) प्रत्येक अभियोगमें जिसमें किसी अपराधीपर जुर्मानेका दड किया जाय तो दड करनेवाली अदालत दडके साथमें आज्ञा दे सकेगी कि, जुर्माना न अदा करेगा तो अपराधी इतनी अवधितक कैदमें रहेगा और यह कैद उस कैदसे सिवाय होगी जो उस अपराधीको दडमे की गई हो या उस कैदसे सिवाय होगी जो किसी दूसरे दडके बदले ठहराई गई हो।

जुर्माना अदा न होनेके बदले दडकी आज्ञा

१—जुर्माना न अदा होनेकी अवस्थामे उतनेही अवधि तकके लिये दड कैद की आज्ञा होगी कि जो अवधि अपराधके दण्ड कैदकी चौथाईसे अधिक न हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा २ फौजदारी)

२—जिस अभियोगमें देश निकालेका दंड हो उसमें जुर्माना न अदा होनेसे दड कैदकी आज्ञा नहीं हो सकती (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ३१)

(६५) यदि किसी अपराधके बदलेमें कैद और जुर्माना दोनोंही दड नियत हों तो जो कैद जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामे अदालतकी आज्ञासे निश्चय हो उसकी अवधि उस कैदकी बडीसे बडी अवधिके एक चौथाईसे अधिक न होगी जो उपरोक्त अपराधके दडमें नियत है।

जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामें कैदके अवधिकी सीमा जब कि अपराधका दड कैद और जुर्माना दोनो हों।

(६६) जो कैद जुर्माना न अदा होनेके बदले अदालतकी आज्ञासे निश्चय हुई हो वह उसी भांति की हो सकती है जो उस अपराधके बदलेमें अपराधीके लिये निश्चय हो सकती हो।

जुर्माना न चुकनेके बदले कैदका प्रकार,

दफा ६—जब किसी लोकल गवर्नमेंटने सर्कारी गजट द्वारा सूचना देकर इस दफाकी शर्तोंको किसी सरहद्दी जिला या देशके चारों ओर जगलमे जो उपरोक्त गवर्नमेंटके अधिकारमें हो प्रचलित किया जाय तो जो मनुष्य सूचना दिये जानेके पश्चात् उपरोक्त जिलों आदिमे दफा ४ के अपराधोंमेंसे किसी अपराधको करे—तो उचित है कि किसी और दडके बदले जिसका वह दडसग्रह हिंदके अनुसार दडके योग्य हो उसे बेतका दड दिया जावे।

दफा ७—(ऐक्ट न० १० सन् १८८२ ई० के अनुसार मसूख हो गई)
दफा ८—(ऐक्ट न० १० सन् १८७२ ई० के अनुसार मसूख होगई)
दफा ९—१०—(ऐक्ट न० १६ सन् १८७४ ई० के अनुसार मसूख होगई)
दफा ११—१२ (ऐक्ट न० १० सन् १८७२ ई० के अनुसार मसूख होगई)

(६७) यदि अपराधके बदलेमे केवल जुर्मानेहीका दंड नियत हो तो वह कैद जो अदालत जुर्माना न अदा होनेके बदले ठहरावेगी साधारण कैद होवेगी और उस कैदकी अवधि जो जुर्माना न अदा होनेकी अवस्थामे अदालतकी आज्ञासे निश्चय हों नीचे लिखी हुई सीमासे अधिक न होगी, अर्थात् जब जुर्मानेकी नादाद ५०) रु० से अधिक न हो तो दंड कैद दो महीनेसे अधिक न हो।

जब कि अपराधका दंड केवल जुर्माना है उस अवस्थामें जुर्माना न अदा होनेसे कैदकी अवधि.

जब जुर्माना १००) रु० से अधिक न हो तो दंड कैदकी अवधि ४ महीनेसे अधिक न हो और शेष अवस्थामे कोई अवधि जो छः महीनेसे अधिक न हो।

१—जिस अपराध का दंड कैद और जुर्माना दोनो या केवल जुर्माना का हो सकता है और मजिस्ट्रेट केवल जुर्माने के दंडकी आज्ञा दे तो जुर्माना न चुकनेके बदले कैदकी अवधि दफा ६७ के अनुसार नियत की जावेगी न कि दफा ६५ के अनुसार (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ३० फौजदारी)

(६८) जो कैद जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामे ठहराई गई हो वह उसी समय समाप्त हो जायगी जब कि जुर्माना अदा किया जाय या कानूनकी रीतिसे वसूल कर लिया जाय।

जुर्माना अदा करदेनेपर ऐसी कैद समाप्त होजायगी.

(६९) यदि उस कैदकी अवधि व्यतीत होनेसे पहिले जो जुर्माना न चुकनेकी अवस्थामे नियत हो कोई ऐसा भाग जुर्मानेका चुका दिया जाय या वसूल कर लिया जाय कि जितनी अवधि कैदकी व्यतीत होगई हो वह शेष, विना जुर्माना चुकेसे समीभूत हो तो वह कैद उसीसमय समाप्त होजायगी।

व्यतीत होना इस कैदका जब कि जुर्मानेका कुछ भाग चुका दिया जाय.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर पर सौ रुपये जुर्माने का दंड और जुर्माना न चुकने की अवस्थामे चार मासके लिये कैदकी आज्ञा हुई हो तो इस अवस्थामें यदि अवधि का एक महीना बीतनेसे पहिले ७५) रु० चुकाये जावे या वसूल कर लिये जावे तो पहिला महीना बीततेही शिवशंकर छूट जायगा और यदि पहिला महीना बीत जानेके समय या उसके पश्चात् शिवशंकरके कैद रहनेकी अवस्थामे ७५) रुपये चुकाये जायँ तो शिवशंकर तुरत ही छूट जायगा और यदि अवधिके दो महीने बीतनेसे पहिले जुर्मानेमें के ५०) रु० चुकाये जाँय या वसूल कर लिये जायँ तो दो महीने बीतते ही शिवशंकर तत्कालही छूटजायगा और यदि इन दो महीनोके बीततेही या उसके पश्चात् शिवशंकरके कैद करनेकी अवस्थामे ५०) रु० चुकाये जाँय या वसूल कर लिये जाँय तो शिवशंकर उसी समय छूट जायगा।

(७०) जुर्माना या उसका कोई भाग जो वसूल होनेसे शेष रहगया हो दडाज्ञाकी तारीखसे छः वर्षके भीतर हर समय वसूल किया जा सकता है और यदि अपराधी छः वर्षसे अधिक दडके योग्य हो तो वह उस दडकी अवधिके व्यतीत होनेसे पहले प्रत्येक समय वसूल किया जा सकता है।

जुर्माना ६ वर्षके भीतर या कैदकी अवधि में किसी समय वसूल किया जा सकता है.

और अपराधीके मरजानेसे कोई माल जो उसके मरनेके पश्चात् कानूनानुसार ऋणके झगडेमें फँस सकता है इस दायित्वसे नहीं छूट सकता।

अपराधीके मरजानेसे उसकी जायदाद नहीं छूटती

१ हिन्दुस्तानके दडसग्रहकी दफा ७० के अनुसार जुर्मानेका रुपया अपराधीके अनस्थावर (गैर मनकूला) धनमे उसकी जीवित अवस्थामे या उसके मरनेके पश्चात् किसी प्रकारसे भी नहीं वसूल हो सकता, केवल स्थावर धनसे वसूल हो सकता है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बबई जिल्द ५ सफा ६३)

२—जुर्माना प्रत्येक अवस्थामे वसूल कर लिया जावेगा चाहे अपराधीने जुर्माना न देनेके बदले दड कैदका भाग लिया हो, क्योंकि यह एक दण्ड अदालतके सवधमे है (वीक्ली रिपोर्टस जिल्द ३ सफा ६१)

(७१) जिस अवस्थामें कोई काम, जो अपराध है, कुछ टुकडोसे बना हो और इन टुकडोंका प्रत्येक टुकडा जो स्वयही अपराध हो तो अपराधीको उन अपराधोमेसे एकसे अधिक अपराधका दड न दिया जायगा सिवाय उस अवस्थामें कि, जब ऐसे दडकी आज्ञामें स्पष्ट लेख हो—

अपराधके दडकी अवधि तो कई अपराधों युक्त है

जब कोई काम ऐसा अपराध हो जो किसी ऐसे कानूनके जो उस समय प्रचलित हो दो या अधिक विरुद्ध लक्षणोमे सयुक्त हो जिसमे अपराधोका वर्णन या उनके दडोंका लेख हो या जब कुछ काम जिनमेसे एक या एक एकसे अधिकका सग्रह स्वय ही अपराध है, सबके सब इकट्ठा होकर कोई और अपराध होजावे, तो अपराधीको उस दडसे अधिक कडा दड न दिया जायगा जिसको अदालत, जो उसके सबधमें विचार करती है, ऊपर लिखे अपराधोंमेंसे किसी एक अपराधके सबधमें ठहरा सकती है।

उदाहरण।

(क) शिवशकरने रमाशकरको पचास लकडिये मारीं तो इस अवस्थामे सभव है कि, शिवशंकरने जान बूझकर रमाशकरको दुःख पहुचानेका अपराध इस सब मारपीटके द्वारा किया हो और यह भी कि चाहे उन चोटोमेसे जिनको मिलाकर वह सब मारपीट गिनी गई प्रत्येकके द्वारा किया हो—इस अवस्थामे यदि शिवशकर प्रत्येक मारके बदले दडके योग्य होता तो वह पचास वर्षतक कैद

रह सकता था, अर्थात् प्रतिमारके लिये एक वर्ष परन्तु वह कुल मारपीटके बदले केवल एकही दडके योग्य होगा।

(ख) फिर जब कि शिवशंकर रमाशंकरको मार रहा है उमाशंकर हस्ताक्षेप करे और शिवशंकर उमाशंकरको जान बूझकर मारे तब जो कि वह मार जो उमाशंकर पर पडी है, उस कामका कोई भाग नहीं है जिससे शिवशंकरने रमाशंकरको जान बूझकर कष्ट पहुंचाया—इसलिये शिवशंकर रमाशंकरको जान-बूझकर कष्ट पहुचानेके अपराधमे एक दडके योग्य होगा और उस मारके अपराधमे जो उमाशंकर पर पडी दूसरे दडके योग्य होगा।

१—जब कि एकसे अधिक अपराध प्रमाणित हों तो प्रत्येक अपराधके सबधमे विचार करना चाहिये चाहे दफा ७१ अभियोगसे संबध रखती हो या नहीं और दफा ७१ के अनुसार प्रत्येक अपराधका विचार होना चाहिये (इलाहाबाद जिल्द १० सफा ५८)

२—जब किसी मनुष्यपर घर फोडने (सेंध लगाने) का अपराध दफा ४५७ व चोरीका अपराध जो उसी समय की गई दफा ३८० दडसग्रह हिंदके अनुसार लगाया जावे तो वह इस दफाके अनुसार एकही अपराधका अपराधी ठहराया जावेगा (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफा ८७)

३—चोरी और चोरीके मालको लेजाना और रख छोडना एकही अपराध है इसलिये उनका दंड पृथक् २ नहीं हो सकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ६३)

४—अपराधीको मनुष्यवधके अपराधमे व कानूनके विरुद्ध इकट्ठा हुए मनुष्योंके समूहमें जानेके अपराधमे पृथक् २ दडकी आज्ञा दी गई—परन्तु हाईकोर्टके विचारमें दोनो अपराध एक ही अपराध समझे गये (क्योंकि पीछेका अपराध केवल पहले अपराधकी साक्षीकी भांति था) इस लिये इस पिछले अपराधमें अपराधी दडरहित किया गया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १३ फौजदारी)

५—एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर झूठा दोष लगाया और अभियोग चलनेके समय उस दोषकी दृढतामे झूठी गवाही भी अदालतमे दी—हाईकोर्टकी यह राय हुई कि अपराधीको झूठा दोष स्थिर करने और झूठी गवाही देनेके अपराधमे अलग २ दड होना चाहिये। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ५९ फौजदारी)

६—एकही गवाहीमें चाहे कितने ही झूठे बयान किये जावे परन्तु उनके सबधमे झूठी गवाही देनेका एकही अभियोग चलेगा झूठी गवाही देनेके अपराधोंकी तादाद (संख्या) झूठ बयानोंसे जो एकही गवाहीमें हो नहीं बढ सक्ती (मदरास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६—अपील सफा २७)

७—अपराध ले भागनेका दफा ४६३ के अनुसार और फिर बेचने अनसमझ (नाबालिग) का दफा ३७२ दडसग्रह हिंदके अनुसार अलग २ अपराध हैं और अलग २ दडके योग्य हैं (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १०४)

८—जब कुछ अपराध अपराधी पर प्रमाणित हो तो उसको एक अपराधका अपराधी ठहराना और दूसरे अपराधसे बरी करना उचित नहीं—चाहे अपराध एक दूसरेसे सम्बध ही क्यो न रखते हों (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा २)

(७२) प्रत्येक अवस्थामें जहा यह सिद्धान्त होवे कि कई अपराधोमेंसे कि जिन का वर्णन फैसलेमें हो किसी एक अपराधका कोई मनुष्य अपराधी हुआ है परतु इसका सदेह रहजावे कि वह मनुष्य उन अपराधोमेंसे कौनसे अपराधका अपराधी है तो अपराधीको उस अपराधके बदलेमे दड दिया जायगा जिसके लिये कमसे कम दड नियत किया गया है इस नियमसे कि उन सब अपराधोंके लिये एकही दड नियत नहीं किया गया हो।

उस मनुष्यका दड जो कई अपराधोंमेंसे एकका अपराधी पाया जावे जब कि आज्ञासे लिखागया हो कि निश्चय नही इन अपराधोंमेंसे किसका अपराधी है।

(७३) जब किसी मनुष्यपर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो जिसके बदले इस संग्रहके अनुसार अदालतको कडी कैदके दडकी आज्ञा देनेका अधिकार है तो अदालत अपने दडकी आज्ञामें यह आज्ञा देसकती है कि अपराधी निश्चय की हुई कैदकी अवधिमेंसे किसी एक अवधितक या कई अवधितक कि जिसका पूरा समय तीन महीनेसे अधिक न हो नीचे लिखे अनुसार एकात वासके दड (कैदतनहाई) में रहे. अर्थात्,—

एकातवासका दड (कैद तनहाई)

यदि कैदकी अवधि छ. महीनेसे अधिक न हो तो कैद तनहाई एक महीनेसे अधिक न होगी, यदि कैदकी अवधि छ॰ महीनेसे अधिक और एक सालसे अधिक न हो तो कैद तनहाई की अवधि दो महीनेसे अधिक न होगी और यदि कैदकी अवधि एक वर्षसे अधिक हो तो कैद तनहाई तीन महीनेसे अधिक न होगी।

१—कैद तनहाईका दड पुराने अपराधियोंके लिये बहुत ही लाभदायक है मुख्य करके उन अपराधियोंके लिये जो मालके अपराधोमें दडित किये जावें साधारण रीतिपर कैद तनहाईका दंड उन मनुष्योंके योग्य नहीं है जो मनुष्यवधके दडके योग्य अपराधी ठहराये जावें (सी. पी. ला. रि. जिल्द ५ सफा ८८ फौजदारी)

(७४) एकातवासका दड करनेमे यह अवधि कभी एक वार चौदह दिनसे अधिक न होगी और दोनोंके एकातवासके बीचका अतर उपरोक्त अवधिके समयसे कम न होगा और जब कि निश्चय की हुई कैदकी अवधि तीन महीनेसे अधिक हो तो कुल निश्चय की हुई कैदकी अवधिमेंसे किसी एक महीनेमें एकातवास सात दिनसे अधिक न होगा और एकातवासकी दो अवधियोंके बीचका अंतर उपरोक्त अवधिके समय (मुद्दत) से कम न होगा।

एकातवास की अवधि

उन मनुष्योंका दंड जो पहले किसी ऐसे अपराधके अपराधी-प्रमाणित होचुके हैं जिसके बदलेमें तीन वर्षकी कैद है और फिर वैसेही अपराधके अपराधी प्रमाणित हुए हों

(७५) यदि किसी मनुष्यपर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित होचुकाहो जिसके बदलेमे इस संग्रहके अध्याय १२ या १७ के अनुसार दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी तीन वर्ष या अधिककी कैद नियत है और वह मनुष्य फिर किसी ऐसे अपराधका अपराधी हो, जिसके बदलेमें किसी उपरोक्त अध्यायके अनुसार दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी तीन वर्ष या अधिककी कैद नियत है तो ऐसे प्रत्येक नये अपराधके बदले उस अपराधीको आजन्म देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारमेसे किसीप्रकारकी कैदका दंड जिसकी अवधि दश वर्षतक हो सकती है होसकता है ।

१–यदि एकहीसे कई अपराध एकही समयपर हो तो दफा ७५ के अनुसार कार्रवाई नही की जा सकती । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ९०)

२–हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ७५ के अनुसार अधिक दंड उस समय दिया जावेगा कि जब अपराधी इस संग्रहके प्रचलित होने उपरान्त अध्याय १२ व १७ के अनुसार दंडित हुआहो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा १७ फौजदारी)

अध्याय चौथा ४.

साधारण छूटके वर्णनमें ।

काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिसपर उसका करना कानूनानुसार उचित हो-या जिस वृत्तांतको यथार्थ न समझ लेनेसे अपने ऊपर उसका करना कानूनानुसार उचित जानताहो.

(७६) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्य करे जिसपर उसका करना कानूनानुसार उचित है या जिसको वह मनुष्य करे कि जो किसी वृत्तांतकी यथार्थ दशाको न समझकर न कि कानूनकी गलत समझीके कारण, नेक नियतीके साथ यह निश्चय करताहो कि इस कामका करना उसपर कानूनानुसार उचितहै ।

उदाहरण ।

(क) यदि शिवशंकर कि जो सिपाही है अपने अफसरकी कानूनानुसार आज्ञासे मनुष्योंके एक समूहपर बंदूक चलाये तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(ख) यदि शिवशंकरको कि जो किसी कोर्ट आफ जष्टिसका ओहदेदार है उस कोर्टसे रमाशंकरके कैद करनेकी-आज्ञा मिले और ठीक २ जांचके पश्चात् उमाशंकरको रमाशंकर जानकर कैद करे तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(७७) कोई काम अपराध नहीं है जो कोई जज अदालतका काम करते हुए किसी ऐसे अधिकारको काममें लाकर करे कि जो उसे कानूनानुसार प्राप्त है या जिसके सम्बन्धमे वह नेक नियतीके साथ यह निश्चय करता हो कि उपरोक्त अधिकार उसे कानूनानुसार प्राप्तहै।

जजका काम जब कि वह अदालतका काम कर-रहाहो.

(७८) कोई काम अपराध नहीं है जो किसी कोर्टआफजस्टिसकी किसी तजवीज या आज्ञाके अनुसार किया जावे या जिसके करनेकी आज्ञा उस तजवीज या हुक्मसे पाई जाती हो, इस दशामें कि उपरोक्त काम उस समयके भीतर कियाजाय जब कि वह तजवीज या आज्ञा प्रचलित रहे, चाहे उस कोर्टआफजस्टिसको ऐसी तजवीज या आज्ञा का अधिकार न हो परंतु काम का करनेवाला मनुष्य नेक नियती (शुद्धभाव) से निश्चय करता हो कि कोर्टआफजस्टिसको उस प्रकारका अधिकार प्राप्त है।

काम जो किसी कोर्ट आफजस्टिसकी तजवीज (विचार) या आज्ञानुसार किया जावे.

(७९) कोई काम अपराध नहीं है जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिसको उसका करना कानूनानुसार उचित है या वह मनुष्य करे जो किसी वृत्तातका यथार्थ अभिप्राय न समझनेसे, न कि कानूनकी गलत समझीके कारण, नेक नियतीके साथ अपने को उस कामके करनेका कानूनानुसार अधिकारी निश्चय करता है।

काम जो किसी ऐसे मनुष्यसे हो जो कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी है या जो वृत्तान्त अशुद्ध समझनेसे अपने को कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी समझताहो.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर रमाशंकरको ऐसा काम करते देखे जो शिवशंकरके निकट घातघात जानपड़े और शिवशंकर अपनी बुद्धिको यथासम्भव शुद्ध भावसे काममें लाकर उस अधिकारको वर्त्तनेमे जो कानूनानुसार सब मनुष्योंको प्राप्त है कि घात करते हुए घातकों को कैद करे रमाशंकर को इस लिये कैदकरे कि उसको किसी यथोचित अधिकारी हाकिमके सन्मुख लाये तो इस अवस्थामे शिवशंकर उस कामका अपराधी न हुआ, चाहे यह बात निश्चय, होजावे कि रमाशंकर वह काम अपनी रक्षाके लिये कर रहा था।

१—यदि कोई चौकीदार किसी मनुष्यको कैद करनेमें जिसको वह शुद्ध भावसे चोर जानताहो कुछ सख्ती करे या हानिभी पहुचावे तो वह इस संग्रहकी दफा ७९ के अनुसार किसी अपराधी का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ९ श्रीमती महारानी बनाम परनाग चौकीदार)

(८०) कोई काम अपराध नहीं है जो दैवात् या कुभाग्यसे बिना किसी अपराध योग्य नियत या समझबूझकर किसी उचित कामके करनेमें होजावे और वह काम उचित रीति व नीतिपूर्वक यथोचित सावधानी और चैतन्यताके साथ कियाजावे ।

नीतिपूर्वक काम करनेमें हठात् कुछका कुछ होजाना.

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर कुल्हाडी से काम करता हो और फल निकल कर किसी मनुष्यके जालगे जो समीपही खडा हो, और वह मरजावे तो इस अवस्थामें शिवशंकर का यह काम अपराध योग्य नहीं है जब कि शिवशंकरकी ओरसे यथोचित सावधानी मे कुछ कमी न हुई हो ।

(८१) कोई काम केवल इस कारणसे अपराध न होगा कि कर्त्ता यह जानकर करे कि उससे कोई हानि होनी सम्भव है बशर्ते कि उस कामके करने के प्रयोजनमें हानि पहूँचाने की नियत न हो और वह काम शुद्धभाव के साथ माल या जानको किसी दूसरी हानिसे बचाने या रोकनेके अभिप्रायसे किया जावे ।

काम जिस से हानि पहुँचना सम्भव है परंतु किसी कुप्रयोजनके विना और दूसरी हानि रोकने के लिये किया जावे.

स्पष्टीकरण—ऐसी अवस्थामें यह बात निश्चय करनी होगी कि वह हानि, जिसके रोकने या बचानेका अभिप्राय था इस प्रकारका और ऐसी सभावित थी कि ऐसे कामके ... जानेसे जोखिमका उत्पन्न करना उचित या क्षमाके योग्य हो सकता है या जब कि अपराधी जानता था कि उस कामके करनेसे हानि उत्पन्न होना सम्भव है ।

उदाहरण ।

(क) यदि शिवशंकर, कि जो एक धुएँवाले जहाजका कप्तान है, हठात् बिना किसी अपराध या, अचैतन्यताके एक ऐसे स्थान पर पहूँचा कि जब तक वह अपने जहाज को रोके तबतक रामबाण नावको जिसमे २० अथवा ३० यात्री थे अवश्य टक्कर लगती जान पडी और टक्कर बचानेका केवल यही उपाय था कि शिवशंकर अपने जहाजका मुह दूसरी ओर फेर देता परतु मुँह फेरनेसे इस बातकी हानि थी कि और एक नाव रुद्रशरको कि जिसमे केवल दोही यात्री थे टक्कर लगती तथापि उस का बचनाभी संभव था, यहां यदि शिवशंकर रुद्रशरनावको टक्कर देनेके अभिप्राय बिना और रामबाणके यात्रियो को टक्कर लगने की आपत्तिसे बचाने के निमित्त अपने जहाजका मुह शुद्ध भावसे फेर दे तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा, चाहे उसके इस कामसे जिसको वह जानता था कि इस से रुद्रशर नाव को टकर लगना अति सम्भव है रुद्रशर को टक्करभी लगजाती, जब कि यह बात प्रमाणित हो जावे कि वास्तवमें वह हानि, कि जिस्से बचाना उसकी नियतमें था ऐसी थी कि उसके कारणसे रुद्रशरको टक्कर दिलाना क्षमा के योग्य था ।

(ख) यदि बडी भारी आग लगी हो और शिवशंकर इस अभिप्रायसे घर गिरावे कि आग न फैलने पावे और वह यह काम शुद्धभावके साथ मनुष्योंके प्राण व धन बचानेके अभिप्रायसे करे इस अवस्थामें यदि यह बात प्रमाणित हो कि, वह हानि जिसकी रोकका अभिप्राय था

इस प्रकारकी और ऐसी संभवित थी कि उससे गिवराकरका काम क्षमाके योग्य हुआ तो गिवगकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

१—एक मनुष्यने अपने ताडीके वासनोंमें धतूरेका रस (अर्क) यह जानकर कि, यदि मनुष्य उसको पियेगा तो उसको हानि पहुचेगी, चोरको पकडनेके अभिप्रायसे जो उसकी ताडी चुराकर ले जाता था, भरदिया, उस अर्कको कुछ सिपाहियोंने छिपाकर वेचनेवालेसे मोल लेकर पी लिया और उससे उनको हानि पहुँची—तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्य हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३३८ के अनुसार दंडके योग्य था दफा ८१ में लिखेहुए हुक्मोंसे वह दंडसे नही बच सकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द ५ सफा ५९)

सातवर्षकी अवस्थासे नीचेके बालकका काम.

(८२) कोई काम जो सात वर्षसे नीचेकी अवस्थाके बालकने किया हो अपराध न होगा।

सातवर्षसे ऊपर और बारहवर्षसे नीचेकी अवस्थाके बालकका काम जिसे उचित बुद्धि न हुई हो.

(८३) कोई काम अपराध नहीं है जो सात वर्षसे अधिक और बारह वर्षसे कम अवस्थाका बालक करे जब कि उसकी समझ इतनी पकायतीको न पहुँची हो कि वह उस कामके गुण और उसके फलकी बुराई भलाईको समझसके।

१—एक कम उमर लडकेने एक हार १॥) रु० मूल्यका चुराया और एक दूसरे मनुष्यके हाथ ।–) में बेचा लडका इस कारण छोडा गया कि दंडसंग्रह हिंदकी दफा ८३ के अभिप्रायसे उसकी बुद्धि पकायतीको नही पहुची थी, मोल लेनेवाला दंडसंग्रह हिंदकी दफा ४४१ के अनुसार दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जान बूझकर चोरीका माल लिया। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा ३७३)

उस मनुष्यका काम जिसकी बुद्धि बिगडी हो.

(८४) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्य करे जो करते समय अपनी बुद्धिके बिगाडके कारण अपने कामका गुण या यह जाननेके योग्य न हो कि जो वह कर रहा है अनुचित या कानूनके विरुद्ध है।

१—अपराधीने अपने दो लडकोंको कुल्हाडीसे काट डाला, इस अपराधका कारण यह बयान किया गया है कि जब वह ज्वर (बुखार) में पडा हुआ था उसे उसके बच्चोंके चिल्लानेका शब्द बुरा जान पडा—यह भी बयान किया गया था कि ज्वरके कारण उसके स्वभावमें अन्तर आगया था और उसको शब्द भला नहीं लगता था, परन्तु यह प्रगट नहीं हुआ कि अपराध करनेके समय अपराधी अचैतन्य (बेहोश) था—अपराधीने सच्चा वृत्तान्त छिपानेकी कोई इच्छा नहीं प्रगट की—बरन प्रत्येक

अपराधको पूरा २ स्वीकार किया–हाईकोर्टने यह तजवीज की कि जिस अवस्थामें अपराधी अपने कामके गुणको जानता था तो उसके संबधमे विचार लेना चाहिये कि वह अपने कामके दंडको भी जानता था–इसलिये वही आतघातका अपराधी है। (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १० सफा ५१२)

२—कैदीने एक मनुष्यको लाठीसे मार डाला और जब वह पहली बार देखा गया तो लाशके आसपास अपनी लाठी घुमाता फिरता था और जब दूसरी बार देखा गया तो एक पेडके नीचे जहां एक घोडा बँधा हुआ था "हुश हुश" करता था–थोडी देरके पश्चात् उसने कुछ मनुष्योंपर आक्रमण (हमला) करके उनके संदूक तोड डाले और उनका असबाब गिरा दिया अफ्सर पुलीसने कि अपराधी जिसकी रक्षामे था बयान किया कि वह कभी तो सावधान हो जाता था और कभी असावधान (पागल) विचारके समय वह सावधानीकी बातें करता था परन्तु आकृतिसे व्याकुल जान पडता था, इसलिये हाईकोर्टसे छूट गया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ४२)

३—अपराधीने अपने लडकेको एक देवताके आगे मारडाला और स्वयं अपना गला काटकर उस देवता पर चढानेका उद्योग किया और एक दिनके पश्चात् पकडा गया, परन्तु वह बोल न सकता था इसलिये उसने यह (लिख दिया–मेरा लड़का मंगलके दिन जी उठेगा–मैंने चढावा माना था कि यदि मेरे लड़का उत्पन्न होगा तो उसको गङ्गाकी भेट करदूंगा और पूजा करूगा–यद्यपि लडका तो उत्पन्न हुआ परन्तु उसके साथ धन नहीं आया, इसलिये मैंने उसको मार डाला–यह भी प्रमाणित हुआ कि उपरोक्त अपराधी नशेकी अवस्थामे बहुतही सावधान रहता था, परन्तु कभी उसकी बुद्धि न बिगड़ी थी और विचारके समय उसने कियेहुए अपराधसे इन्कार किया–इसलिये अपराधी समझा जाकर दण्डित हुआ। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १००)

उस मनुष्यका काम जो अपनी इच्छाके विरुद्ध दिये हुए नशेके कारण विचार करनेको असमर्थहो.

(८५) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्य करे जो करते समय नशेमें होनेके कारण अपने कामका गुण या यह जाननेके योग्य न हो कि जो वह कररहा है अनुचित या कानूनके विरुद्ध है–उस अवस्थामें कि जब वह पदार्थ जिससे उसको नशा हुआ उस मनुष्यके अनजानमे या इच्छाके विरुद्ध उसे दियागयाहो।

यदि अपराधी स्वय ही अपनेको नशेकी अवस्थामें करले तो अपराधसे बचनेके लिये पूरा प्रमाण नहीं है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ७९ फौजदारी)

अपराध जिसमे विशेष ज्ञान या प्रयोजन अवश्य हो और जिसको वह मनुष्य करे जो नशेमे हो.

(८६) जिन अवस्थाओंमें कोई किया हुआ काम अपराध नहीं है, सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह किसी विशेष ज्ञान या प्रयोजनसे किया गया हो, उन अवस्थाओंमें उस मनुष्यके साथ, जो नशेकी अवस्थामे इस कामको करे उसीप्रकार वर्त्ताव किया जायगा कि मानो उसको वही ज्ञान था जो उसको नशा न होनेकी अवस्थामे होता, सिवाय इसके कि वह

पदार्थ जिससे उसको नशा हुआ उस मनुष्यके अनजान या इच्छाके विरुद्ध उसको दियागया हो।

(८७) जिस कामके करनेसे मृत्यु या अधिक हानिका अभिप्राय न हो और जिसके करनेवालेको यह जानकारी न हो कि उस कामसे मृत्यु या अधिक हानि होना सम्भव है, तो वह काम किसी ऐसी हानिके कारण अपराध न होगा जो उस कामसे अठारह वर्षसे अधिक उमरवाले किसी मनुष्यको पहुँचजाय या जिसका ऐसी उमरके किसी मनुष्यको पहुँचाना करनेवालेकी नियतमें होवे–जब कि, उस मनुष्यने हानि उठानेमे अपनी प्रसन्नता प्रगट की हो, और न ऐसी हानिके कारण वह काम अपराध होगा जिसके पहुँच जानेका सम्भव ऐसी उमरके किसी मनुष्यको करनेवालेकी जानकारीमें हो जब कि, वह मनुष्य ऐसी हानि उठाने पर सम्मत हुआ हो–

काम जिससे मृत्यु या अधिक हानि पहुँचनेकी नियत न हो और न उसका होना सम्भव जान- पडे और जो प्रसन्नता पूर्वक किया गया हो.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर और रमाशंकर मन बहलानेके लिये परस्परमें पटा खेलनेपर समत हों तो इससे यह बात समझी गई कि पटा खेलनेमें जो कुछ हानि बिना कपटके किसीको होजाय उसका सहना दोनोंने स्वीकार किया–शिवशंकरने जब कि वह बिना कपटके खेलता था रमाशंकरको चोट पहुँचाई तो शिवशंकरने कुछ अपराध नहीं किया।

(८८) कोई काम, जिसके करनेसे मृत्युका अभिप्राय न हो किसी ऐसी हानिके कारण अपराध नहीं है जो उपरोक्त कामसे ऐसे मनुष्यको पहुँचे या ऐसे मनुष्यको जिसका पहुँचाना करनेवालेकी नियतमें हो या ऐसे मनुष्यको जिसके पहुँचनेका इहतिमाल (सभव) करनेवालेकी जानकारीमे हो जिसके लाभके लिये शुद्धभावसे उपरोक्त काम किया जावे और जिसने इस हानि या उपरोक्त हानिके ज्ञानआघातको उठानेके लिये अपनी प्रसन्नता प्रगट की हो।

काम जिससे मृत्युका अभिप्राय न हो किसी मनुष्यके लाभके लिये उसकी प्रसन्नता पूर्वक शुद्धभावसे किया गया हो

उदाहरण।

शिवशंकर एक डाक्टरने यह बात जान बूझकर कि अमुक चीर फाडसे रमाशंकरकी मृत्यु, जो एक बडे रोगमे फँसा हुआ है, होना संभव है परन्तु उसके मृत्युकी इच्छा न करके वरन शुद्ध भावसे उसके लाभकी इच्छासे उसी चीर फाडका वर्त्ताव रमाशंकरकी प्रसन्नतासे किया तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है।

(८९) जो काम शुद्ध-भावसे किसी मनुष्यके लाभके लिये, जिसकी आयु १२ वर्षसे कम हो अथवा जो सिडी हो उसका स्वामी या वह मनुष्य कि, जिसकी रक्षामें उपरोक्त मनुष्य है करे, या उस स्वामी या रक्षककी आज्ञासे वह काम किया जावे चाहे वह आज्ञा प्रगट रीतिसे दी गई हो या अप्रगट रीतिसे-तो उस हानिके कारण जो उस कामसे उस मनुष्यको पहुँचे, या जिसका पहुँचना करनेवालेकी नियतमें हो या उसकी जानमें हो कि, इस कामके करनेसे हानि पहुँचना सम्भव है, वह काम नीचे लिखे नियमानुसार अपराध न गिनाजायगा।

काम जो नेक नियतीसे किसी लडके या सिडी मनुष्यके लाभके लिये स्वामीसे या स्वामीकी प्रसन्नतासे किया गया हो.

प्रथम-यह छूट अभिप्राय पूर्वक किसीकी मृत्यु करने या मृत्यु करानेके उद्योगसे सम्बन्ध न रक्खेगी।

दूसरे-यह छूट किसी ऐसे कामके करनेसे सम्बध न रक्खेगी जिसको करनेवाला जानता हो कि, इससे मृत्युका होना अति समवित है और जो किसी दूसरे अभिप्रायसे किया जाय सिवाय इस अभिप्रायके कि, उससे मृत्यु या भारी दुःखकी रोक हो या उससे किसी भारी रोग या दुर्बलताकी औषधि हो।

तीसरे-यह छूट जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाने अथवा पहुँचानेका उद्योग करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु या भारी दुःखकी रोक या किसी भारी रोग या दुर्बलताके मिटानेके अभिप्रायसे किया जाय।

चौथे-यह छूट जिस अपराधके करने पर लागू नहीं है, उसके करनेकी सहायता पर भी लागू न होगी।

उदाहरण।

यदि शिवशंकर शुद्धभावसे अपने लडकेके लाभके लिये उस लडकेकी विना प्रसन्नता पथरी निकलवानेके अर्थ डाक्टरसे उस पर डाक्टरी वर्त्ताव कराये, यह जानकर कि उस डाक्टरीके वर्त्तावमे लडकेका प्राण जाना संभव है परंतु यह नियत न करके कि वह काम उस लडकेकी मृत्युका कारण हो तो शिवशंकरसे यह छूट सम्बंध रक्खेगी, क्योकि लडकेका आरोग्य होना शिवशंकरका अभिप्राय था।

(९०) जो सम्मति किसी मनुष्यने हानिके भयसे या किसी वृत्तांतको यथार्थ न समझनेकी अवस्थामे दी हो और उस कामका करनेवाला यह जानता हो या जाननेका कारण रखता हो कि वह सम्मति उस डर या अनसमझीके कारणसे दीगई थी तो वह सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी कि इस सग्रहकी किसी दफाका अभिप्राय है और-

सम्मति जो डर या अनसमझीकी अवस्थामें दी गईहो.

न उस मनुष्यकी रजामदी जो सिडी या नशेके कारण उस कामका गुण और उसका फल नहीं समझ सकता, जिसके सवधमे वह अपनी रजामदी प्रगट करता है और न उस मनुष्यकी रजामदी जिसकी आयु बारह वर्षसे कम हो सिवाय इसके कि लेखमे इसके विरुद्ध आशय पाया जाय।

लडके या सिडीकी सम्मति.

हिंदुस्थानके दडसंग्रहकी दफा ९० के अनुसार रजामदी स्वाधीनतापूर्वक होनी चाहिये जो रजामदी किसी डर या हानिके कारण प्रगट की जावे वह उचित नहीं है—इसीलिये जब एक कानिस्टेबिलने एक चौकीदारको एक स्त्रीके घरके द्वारपर नियत कर दिया और आप भीतर जाकर उस स्त्रीसे समोग किया, यद्यपि उस स्त्रीको पहिले इन्कार था परन्तु फिर राजी हो गई थी क्योकि यदि वह सामना करती तो चौकीदार उस कानिस्टेबिलकी सहायताको पहुँचजाता और यदि वह भागनेकी इच्छा करती तो चौकीदार न जाने देता—विचार हुआ कि उपरोक्त कानिस्टेबिल बलपूर्वक स्त्रीसभोग करनेका अपराधी हुआ था। (वीकी रिपोर्टर जिल्द १ सफा २१)

(९१) जो छूटें दफा ८७, ८८ व ८९ में लिखी हैं वे उन कामोसे सम्बन्ध न रक्खेगी जो स्वय आपही अपराध है—विना किसी ऐसी हानिके जो उनसे रजामदी देनेवाली मनुष्यको या उस मनुष्यको जिसकी ओरसे रजामंदी दीजावे, पहुँचे या जिस हानिका उपरोक्त मनुष्यको पहुँचाना नियतमें हो या जिस हानिका उन कामोंसे उपरोक्त मनुष्यको पहुँचनेका समव हो।

काम जो इस बातको छोडकर कि राजी देने वाले मनुष्यको उससे हानि पहुँची आपही अपराधीहो दफा ८७, ८८ व ८९ की छूटोमें गिनवी न होंगे

उदाहरण।

गर्भका गिरवाना सिवाय इसके कि शुद्धभावमे स्त्रीका प्राण बचानेके लिये हो, स्वय आपही एक अपराध है, इस बातको छोडकर कि उससे कोई हानि उपरोक्त स्त्रीको पहुँचे अथवा पहुँचानेका अभिप्राय किया जाय—इसलिये यह काम उस हानि होनेके कारण अपराध नहीं है और ऐसे गर्भ गिरानेके सबधमे स्त्री या उसके स्वामीकी प्रसन्नता उपरोक्त कामको उचित नहीं करती।

(९२) कोई काम किसी ऐसी हानिके कारण अपराध नहीं है जो उस कामसे किसी ऐसे मनुष्यको पहुँचे जिसके लाभके लिये शुद्धभावसे विना प्रसन्नता उस मनुष्यके किया जाय, उस अवस्थामे जब कि उस मनुष्यको अपनी रजामदी (सम्मति) देना असम्भव होवे या जब कि उस मनुष्यको अपनी रजामदी प्रगट करनेका बल न हो और न उसका कोई स्वामी या कोई और

काम जो शुद्धभावसे किसी मनुष्यके लाभके लिये विना प्रसन्नता उसकी के कियागया हो.

उचित रक्षक वर्त्तमान (मौजूद) हो जिससे इतने समयमें रजामंदीका प्राप्त करना सम्भव हो ; जिससे उस कामके करनेमे लाभ निकले—परंतु नियम ये हैं कि:—

पहले—यह छूट जानबूझकर वध करने या जानबूझकर वध करानेके उद्योगसे सम्बन्ध न रखेगी।

दूसरे—यह छूट किसी ऐसे कामके करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी कि, जिसे करनेवाला जानता हो कि इससे मृत्युका होना अतिसम्भवित है—सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु अथवा भारी दु:खके रोकने, अथवा किसी भारी रोक या दुर्बलता मिटानेके निमित्त कियाजाय।

तीसरे—यह छूट जानबूझकर हानि पहुँचाने या हानि पहुँचानेका उद्योग करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह मृत्यु या हानि (जरर) की रोक करे।

चौथे—यह छूट जिस अपराधके करनेपर नहीं है उसके करनेकी सहायता परभी लागू न होगी।

उदाहरण।

(क) यदि शिवशकर घोडेसे गिरकर अचैतन्य होजावे और रमाशंकरको जो डाक्टर है, ज्ञात हो कि, शिवशकरकी खोपडीमे छेद करना आवश्यकीय है, और उसको जानसे मार डालनेकी नियत न करके वरन शुद्धभावसे उसके लाभके लिये, इसके प्रथम कि जब शिवशंकरको अपनी भलाई बुराई समझनेका ज्ञान प्राप्त होजावे, शिवशकरकी खोपडीमे छेद करे तो ऐसी अवस्थामे रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

(ख) यदि शिवशकरको शेर उठा लेजाय और रमाशकर यह जानकर कि बंदूक चलानेसे शिवशकरकी मृत्यु होना संभव है, परन्तु उसको जानसे मारडाल्नेकी नियत न करके वरन नेक नियतीसे उसके लाभके लिये उस शेर पर बदूक चलावे और रमाशंकरकी गोलीसे शिवशंकरको प्राणघातक घाव लगे तो ऐसी अवस्थामे रमाशकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

(ग) यदि शिवशकर जो एक डाक्टर है किसी बच्चेको एक ऐसी चोटमें देखे कि जिससे उसका मरना संभव है सिवाय उस अवस्थामें कि जब उसपर तत्काल चीर फाडका वर्ताव किया जाय; और उसके स्वामीसे आज्ञा लेनेका समय नही है—परन्तु यदि शिवशकर जिसको शुद्धभावसे उस बच्चेका लाभ स्वीकार था, उसके रोने पीटने परभी उसपर चीर फाडका कुछ वर्त्ताव करे तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

(घ) यदि शिवशंकर एक लडके रमाशंकरके साथ किसी ऐसे घरमे हो जिसमे आग लगी है और कुछ मनुष्य नीचे कम्मल ताने खडे हो और शिवशकर यह जानकर कि बच्चेको नीचे फेंकनेमे

उसका मरना सम्भव है, परन्तु उसके मृत्युकी इच्छा न करके बरन शुद्धभावसे उसके लाभकी इच्छा-से उसको छतसे नीचे डालदे तो यदि वह बचा गिरनेसे मरभी जावे तथापि शिवशकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

स्पष्टीकरण (तशरीह)—केवल द्रव्यसम्बन्धी लाभ दफा ८८–८९ व ९२ के अर्थमें लाभ न समझा जायगा।

(९३) शुद्धभावसे किसी बातका बतला देना इसीकारण अपराध न समझा जायगा

शुद्धभावसे किसी बातका बतला देना.

कि जिस मनुष्यको वह बात बतलाई गई उससे उसकी कुछ हानि हुई जब कि वह बात उस मनुष्यके भलेके लिये बतलाई गई हो।

उदाहरण।

यदि शिवशकर कि जो एक डाक्टर है किसी रोगीको यह बात बतलादे कि मेरी समझमें तुम जी नही सकते हो और वह रोगी इस समाचारके धक्केसे मरजाय तो ऐसी अवस्थामे शिवशकर किसी अपराधका अपराधी न होगा। यद्यपि वह यह जानता था कि इसप्रकार पर बतला देनेसे रोगीका मरना सभव है।

(९४) सिवाय ज्ञातघात और राजविरुद्ध अपराधोको छोडकर जिनके लिये बधक

काम जिसके करनेक लिये कोई मनुष्य धमकियोंसे विवश कियागया

दड नियत है, कोई काम अपराध नहीं है जब कि उसको कोई मनुष्य धमकीसे विवश होकर करे और उस धमकाये जाते मनुष्यको उससमय भलीप्रकारसे यह डर उत्पन्न होवे कि उस कामके न करनेसे तत्कालही उसकी मृत्यु होजायगी, परतु शर्त है कि उस कामके करनेवाले मनुष्यने स्वय अपनीही प्रसन्नतासे या अपनी किसी हानिके डरसे, जो तत्काल ही जानसे मारे जानेसे कमहो, अपनेको उस अवस्थामे न डाला हो जिसमे वह इस भाति विवश कियागया।

स्पष्टीकरण–१—यदि कोई मनुष्य स्वय अपनीही प्रसन्नतासे या मारपीटकी धमकीसे डाकुओंके किसी झुडमें उनकी चालचलन जानबूझकर मिलजावे तो उपरोक्त मनुष्य इस कारणसे, कि उसके साथियोंने उससे कोई ऐसा काम विवश करके कराया जो कानूनानुसार अपराध है, इस छूटसे लाभ उठानेका अधिकारी न होगा।

स्पष्टीकरण–२—यदि डॉकुओंका कोई समूह किसी मनुष्यको पकड लेजाय और वह मनुष्य तत्काल जानसे मारे जानेकी धमकीके कारण किसी ऐसे कामके करनेपर विवश किया जावे जो कानूनानुसार अपराध है, जैसे कोई लोहार अपने औजार ले जाने और किसी घरका

द्वार तोडडालनेके लिये विवश कियाजाय जिससे डाकू घरके भीतर घुसकर लूटे तो वह मनुष्य इस छूटके लाभ उठानेका अधिकारी होगा।

१—यदि कोई मनुष्य विवश होकर जातघातमे सहायता करना स्वीकार करे तो ऐसा स्वीकार करना अपराध माननेकी सीमातक नहीं पहुँचता (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ८ श्रीमती बनाम झल्दू मंडल आदि)

२—दडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ९४ से लाभ उठानेमे अपराधीको यह प्रमाणित करना चाहिये कि उसका काम तत्कालही मृत्युभयसे किया गया था—इसलिये जो मनुष्य झूंठी गवाही दे और बयान करे कि उसने वह गवाही धमकीके कारण दी थी—वह इस दफासे लाभ नहीं उठा सकता (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ४८)

कोई काम जिससे कुछ हानि पहुँचे.

(९५) कोई काम इस कारणसे अपराध नहीं है, कि उससे कोई हानि पहुँचे या उससे किसी हानिके पहुचानेका अभिप्राय है या जानकारीमे है कि, उससे किसी हानिका पहुँचना समव है जब कि वह हानि ऐसी तुच्छ हो कि साधारण बुद्धिका मनुष्य भी उस हानिकी फरियाद न करे।

१—अपराधीने एक छतरीसे किसी मनुष्यकी छातीमे चोट पहुँचाई, तो यह एक ऐसा तुच्छ काम नही है जो दडसग्रह हिंदकी दफा ९५ के अनुसार वह क्षमाके योग्य होवे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा ६७)

२—अपराधी सांडनी सवार है—उसने ऊटके चारेके लिये एक बडे पीपलकी झाडकी डालियां काटी इस कारण उसें चोरीका दंड दिया गया—परन्तु साहब जुडीशियल कमिश्नर मध्य प्रदेशके विचारमे अपराधीने दंडसग्रह-हिंदकी दफा ९५ के अनुसार कोई अपराध दडके योग्य नही किया। (सी. पी. ला. रि. जिल्द ८ सफा १५ फौजदारी)

निजरक्षाके अधिकारके विषयमें।

कोई काम जो निज रक्षाके लिये किया जाय अपराध नही है.

(९६) कोई काम अपराध नहीं है जो निजरक्षाका अधिकार वर्तनेमे किया जाय।

निज तन और धनकी रक्षाका अधिकार.

(९७) प्रत्येक मनुष्यको अधिकार है कि दफा ९९ के नियमोंके आधीन रहकर अपने तन और धनकी रक्षा करे।

पहले—अपने या किसी और मनुष्यके तनको, किसी ऐसे अपराधके दूर करनेमें जो मनुष्यके तनसे सम्बन्ध रखता हो।

दूसरे—अपने या किसी और मनुष्यके धनकी चाहे वह स्थावर हो या अस्थावर किसी ऐसे कामके रोकनेके लिये जो ऐसा अपराध है कि चोरी या जोरी या हानि पहुचाने या अनधिकारप्रवेशके लक्षणोंमें गिना जाय या चोरी या जोरी या हानि पहुचाने या अनधिकारके लक्षणोंके उद्योगमें गिना जाय।

टीप दफा ९६ की १—किसी स्त्रीके स्वामीने एक मनुष्यको कि जिसने रातके समय उसके घरमें उसकी स्त्रीके साथ बलात्कार (जिना) करनेके अभिप्रायसे प्रवेश किया था, मारा—तो दफा ९६ व १०४ के अभिप्रायसे उपरोक्त स्वामी किसी अपराधका अपराधी नहीं है क्योंकि वह ऐसी हानिके पहुँचानेका अधिकारी था कि जो मौतसे कम होवे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफा ३६)

टीप दफा ९७ की १—अपराधी जिसका माल बहुधा चोरी जाता था लाठी लेकर उसकी रक्षाके लिये निकला और उस लाठीसे एक चोरको मारा जो उसकी चोटसे मरगया—चोट और अपराधीके कामपर विचार करके हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि अपराधी दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ९७ व १०४ के लेख (अहकाम) के अनुसार अपराधसे बरी है, क्योंकि उसने उचित निजरक्षाके अधिकारका वर्ताव किया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १५)

२—जमींदारको विना अदालतकी सहायतासे अपने असामीकी फसलको कुर्क करनेका अधिकार है यदि उसने ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० की दफा ११६ के अनुसार इत्तिलाअनामा (सूचना पत्र) असामीके नाम भिजवा दिया हो और ऐसी अवस्थामें यदि वह असामी जानबूझकर भी उस कुर्कीमें रोक टोक करे तो वह हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ९७ के अहकामसे लाभ नहीं उठा सकता, परन्तु यदि जमींदारके आदमी विना उपरोक्त इत्तिलाअनामाके जारी हुए फसलकी कुर्की करें तो असामी उनके कामको अनधिकारप्रवेश समझ सकता है।

३—अपराधीने एक चोरको अपने घरमें सेंध करते पकडा और जब गांववाले चोरको देखने आये तब उन लोगोंने उसको मरा हुआ पाया, अपराधीका बयान है कि उसने चोरको एक लाठी मारी—परन्तु सेशनजजने उसके बयान पर कुछ भरोसा न कर उसे तीन साल कैदका दंड दिया क्योंकि डाक्टरकी रिपोर्टसे सेशनजजको मालूम हुआ कि चोरकी मौत फांसी लगानेसे हुई। परन्तु यथार्थमें रिपोर्ट और बयानके देखनेसे यह बात पाई गई कि चोरकी मौत श्वास बंद होजानेके कारण हुई और उसकी श्वास इस कारण बंद हुई कि जब चोर घरके भीतर अपना मुँह नीचेकी ओर करके घुस रहा था उस समय अपराधीने उसको पकडा और पकडे रहा—ऐसी अवस्थामें उसने कानूनानुसार निजरक्षाके अधिकारका वर्ताव किया, इसलिये अपराधी छोडने योग्य है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा १२)

निजरक्षाका अधिकारी सिडी इत्यादि मनुष्योंके कामसे.

(९८) जब कि कोई काम, करनेवालेकी कमउमरी या अनसमझी (बुद्धिकी पकायती न होना), या सिडीपन या नशेमे होनेके कारणसे या उसकी गलत समझीसे, अपराध न हो नहीं तो और अवस्थामे

अपराध होता, तो प्रत्येक मनुष्यको उस कामके रोकनेमे वही अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त है जो उस अवस्थामे होता जब कि वह काम अपराध होता।

उदाहरण।

(क) यदि शिवशंकर सिड़ीपनकी अवस्थामे रमाशंकरके वधका उद्योग करे तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है परन्तु रमाशंकरको अपनी रक्षाका अधिकार उसी भांति प्राप्त है जो उस अवस्थामे होता, जब कि शिवशंकर सिडी न होता।

(ख) यदि शिवशंकर रातके समय किसी घरमे जावे जिसमें जानेका उसको कानूनानुसार अधिकार है और रमाशंकर नेक नियतीसे शिवशंकरको चोर जानकर उसपर आक्रमण (हमला) करे तो रमाशंकर इस गलत समझीसे किसी अपराधका अपराधी नही है परन्तु शिवशंकरको रमाशंकरके रोकनेमे वही अधिकार निजरक्षाका प्राप्त है जो उस अवस्थामे होता जब कि रमाशंकर ऐसी गलत समझीसे वर्त्ताव न करता।

वे काम जिनके रोकनेमे निज रक्षाका अधिकार न होगा।

(९९) पहिला—जिस कामसे मृत्यु या भारी दुःख पहुंचनेका भय उचित कारणसे न हो तो उसके रोकनेके लिये कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं है उस अवस्थामें जब कि वह काम या उस कामका उद्योग किसी सरकारी नोकरकी ओरसे नेकनियतीके साथ और अपनी नौकरीके कारण किया जावे, चाहे उपरोक्त काम कानूनानुसार यथार्थमें उचित न हो।

दूसरा—जिस कामसे मृत्यु या भारी दुःख पहुचानेका भय उचित कारणसे न हो उस कामके रोकनेमे कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं है, उस अवस्थामें जब कि वह काम या उस कामका उद्योग किसी ऐसे सरकारी नौकरकी आज्ञासे किया जाय जो नेक नियतीके साथ अपनी नौकरीके कर्तव्यको पूरा करता हो, चाहे वह आज्ञा कानूनानुसार यथार्थमें उचित न हो।

तीसरा—ऐसी अवस्थाओंमे भी कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं है जब कि सर्व सबधी अधिकारियोसे रक्षा मिलनेका अवकाश हो।

चौथा—निजरक्षाका अधिकार किसी अवस्थामें ऐसा न होगा कि जितनी हानि पहुचना रक्षाके लिये अवश्य हो उससे अधिक हानि पहुचाई जाय।

स्पष्टीकरण २—जो कोई काम या कामका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी ओरसे किया जाय कि, जो अपनी नौकरीके कारण करता है, तो उस कामके रोकनेमें कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे रहित न किया जायगा सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह

मनुष्य यह जानताहो या जाननेका कारण रखता हो कि करनेवाला उस कामका ऐसाही सरकारी नौकर है ।

स्पष्टीकरण— जब कोई काम या उसका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी आज्ञासे किया जावे तो ऐसे कामके रोकनेमें कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे रहित न किया जायगा सिवाय उस अवस्थामे कि जब वह मनुष्य जानता हो या निश्चय करनेका कारण रखताहो कि उपरोक्त कामका करनेवाला ऐसी आज्ञासे वर्त्ताव करता है, या कि जब उपरोक्त मनुष्य ऐसी आज्ञा बतलादे जिसके अनुसार वह वर्त्ताव करता है, या यदि उसके पास लिखी हुई आज्ञा मौजूद होवे. तो जब वह ऐसी लिखी हुई आज्ञा मागनेके समय पेश करदे ।

१—इजराय डिगरीकी गिरफ्तारीके वारटमें अदालतके हाकिमके सक्षेप हस्ताक्षर (दस्तखत) थे—जिसकी तामीलके समय कर्जदारने बलपूर्वक तामील करनेवालेके साथ रोकटोककी तजवीज हुई कि यद्यपि यह बात उचित है कि जो मनुष्य वारटपर अपना दस्तखत करे वह अपना नाम पूरा लिखे परन्तु यह बात नही कही जासकती कि सक्षेप हस्ताक्षर होनेके कारण उस वारटकी तामील नही हो सकती थी—दडसंग्रह हिदकी दफा ९९ के अनुसार उसने जो निजरक्षा की वह अनुचित थी, इसलिये वह अपराधी दडके योग्य है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफा २९३)

२—यद्यपि प्रत्येक मनुष्यको अधिकार नहीं है कि वह स्वय किसीको कैद करे परन्तु यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको रातके समय सेध लगाते हुए या चोरी करते हुए पकडे तो पकडे हुए मनुष्यको निजरक्षाका अधिकार प्राप्त नहीं है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ८)

३—एक मनुष्यने एक दुर्बल और बूढी स्त्रीको अपने घरमे चोरी करते हुए पाकर मारडाला तजवीज हुई कि अपराधी दडसग्रह हिदके दफा ९९ के अहकामका अधिकारी न था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ३३)

४—यदि कोई चोर घरसे खाली हाथ भागा जाता हो और घरसे अन्तर पर हो तो उसका मार डालना धनकी निजरक्षाके अधिकारसे सम्बन्ध न रक्खेगा (बगाल लारिपोर्ट जिल्द १ सफा ८)

तनकी निजरक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा.

(१००) तनकी रक्षाका अधिकार पिछली दफामें लिखे हुए नियमोके आधीन रहकर आक्रमणकारी (हमला करनेवाले) को जानबूझ कर मृत्यु अथवा और कुछ हानि पहुँचाने तक हो सकेगा जब कि वह अपराध जिससे निजरक्षाको अधिकार वर्तना अवश्य हुआ नीचे लिखे प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका हो ।

पहिला—आक्रमण ऐसा होवे कि उसमे इस वातका भय उचित कारणसे हो कि यदि उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय तो मृत्यु होना सम्भव है।

दूसरा—आक्रमण ऐसा हो कि उसमे इस वातका भय उचित कारणसे हो कि यदि उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय तो उसका फल भारी दुःख होगा।

तीसरा—वह आक्रमण जो बलात्कार (बलपूर्वक व्यमिचार के अभिप्रायसे कियाजाय।

चौथा—वह आक्रमण कि जो स्वभावविरुद्ध कामातुरता पूरी करनेके अभिप्रायसे किया जाय।

पाँचवाँ—वह आक्रमण कि जो मनुष्यके ले भागने या भगा ले जानेके अभिप्रायसे किया जाय।

छठा—वह आक्रमण कि किसी मनुष्यको अनीतिबंदमें रखनेके अभिप्रायसे ऐसी दशाओंमें किया जाय जिससे उपरोक्त मनुष्यको इस वातका भय उचित कारणोस उत्पन्न हो कि उसको अपने छुटकारेके विषयमे अधिकारियो (हुक्कामो) से सहायता माँगना असम्भव है।

१—एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर भालेसे आक्रमण किया—दूसरे मनुष्यने पहले मनुष्यके लाठी मारी कि जिससे वह मरगया—तजवीज हुई कि—प्राण धनके बचावके लिये इस अभियोगमें निज-रक्षाका अधिकार उचित रीतिसे वर्तागया—क्योंकि ऐसा अधिकार दंडसंग्रह हिंदकी दफा १०० के अहकामात (अभिप्राय) के अनुसार उस अवस्थामें किसी मनुष्यको जानसे मार डालने तक है कि जब उसे भारी दुःख पहुंचानेका भय उचित कारणसे उत्पन्न होवे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ४१)

यह अधिकार मृत्युको छोडकर कोई दूसरी हानि पहुँचानेमें कबतक हो सकेगा.

(१०१) यदि अपराध उपरकी दफामे लिखे हुए प्रकारोमेसे किसीप्रकार का न हो तो तनकी रक्षाका अधिकार आक्रमणकारीको जानबूझकर मारडालनेतक न होगा परतु दफा ९९ मे लिखे हुए नियमोके आधीन यहातक हो सकेगा कि आक्रमणकारीको मृत्यु छोडकर कोई दूसरी हानि पहुँचा दीजाय।

तनकी निजरक्षाका आरंभ होना और स्थिर रहना.

(१०२) तनकी निजरक्षाका अधिकार उसी समयसे आरभ होगा कि जब अपराधके उद्योग या धमकीसे तनके लिये विपत्तिका भय उचित कारणसे उत्पन्न हो, चाहे वह अपराध किया भी न गया हो. और यह अधिकार उस समयतक स्थिर रहेगा कि जबतक तनके लिये विपत्तिका वही भय बनारहे।

(१०३) धनकी निज रक्षाका अधिकार दफा ९९ में लिखे हुए नियमोके अधीन अनीति करनेवालेको जानबूझकर मारडालने अथवा और कोई हानि पहुँचानेतक होसकेगा- उस अवस्थामें कि जब वह अपराध जिसके करनेसे या करनेके उद्योगसे उस अधिकारका वर्त्तना अवश्य हुआ आगे लिखे प्रकारो- मेंसे किसी प्रकारका हो ।

धनकी निजरक्षाका अधिकार मृत्युके करनेतक कब होसकेगा

(१) बलजोरि (सरका विल्जब्र)

(२) रातके समय सेंध लगाना (नक़बजनी)

(३) आगके द्वारा हानि पहुँचाना जो किसी ऐसे घरमें या डेरेमें या नावमें पहुँचाई जाय जो घर वा डेरा या नाव मनुष्योके रहनेके लिये या चीज वस्तुके धरनेके लिये काममें हो ।

(४) चोरी या हानि पहुँचाना, या घरमे बलपूर्वक अधिकार करना (मदाखलत- वेजा) ऐसी अवस्थामें कि इस बातका भय उचित कारणसे उत्पन्न हो कि यदि उस अपरा- धके रोकनेमे निजरक्षाके अधिकारका वर्त्तात्र न किया जाय तो उस अपराधका फल मृत्यु या भारी दुःख होगा ।

— १—कुछ मनुष्योने एकाएक अपराधियोंपर उनकी फसल काटनेके अभिप्रायसे आक्रमण किया अपराधियोंने रोका परन्तु पुलिसको सूचना देनेका उन्हें अवसर न मिला, इसलिये उन्होने आक्रमण कारियोंमेसे एकपर बासकी लकडीसे एक ऐसी चोट मारी कि जिससे वह मरगया—सेशन्सजजने अपराधियोंको दण्डसग्रह हिदकी दफा ३०४ व १४८ के अनुसार दंड दिया—परन्तु हाईकोर्टने यह तजवीज की कि जो चोट उमको पहुचाई गई थी वह ऐसी नहीं थी कि जिससे यह पायाजावे कि अपराधियोंने अपनी रक्षाके लिये निजरक्षाके अधिकारसे अधिक वर्त्ताव किया इसलिये अपराधी छोडे गये । (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ९ अपील विभाग)

(१०४) यदि वह अपराध जिसके किये जानेसे या किये जानेके उद्योगसे निजरक्षाके अधिकारका वर्त्तना अवश्य हुआ चोरी या हानि पहुँचाने या अन- धिकारप्रवेश पिछली दफामें लिखे हुए प्रकारोको छोडकर किसी दूसरे प्रकारकी हो तो वह अधिकार जानबूझकर मृत्युको छोडकर दूसरी कोई हानि अनीति करने वालेको पहुँचानेतक हो सकेगा ।

यह अधिकार मृत्युको छोडकर दूसरी कोई हानि करनेपर कब होसकेगा.

(१०५) पहिला—धनकी निजरक्षाका अधिकार उसी समय आरंभ होगा, जब कि धनकी विपत्तिका भय विशेष कारणसे उत्पन्नहो ।

धनकी निजरक्षाके अधिकार का आरंभ और स्थिर रहना.

दूसरा—धनकी निजरक्षाका अधिकार चोरी रोकनेमे उस समयतक स्थिर रहेगा जबतक अपराधी माल (धन) लेकर चलाजाय या अधिकारियों (हाकिमों) से सहायता प्राप्त होजावे या धन फेर लियाजावे ।

तीसरा—धनकी निजरक्षाका अधिकार जोरी (सरकाबिलजब) के रोकनेमे उस समयतक रहेगा कि जबतक अपराधी किसी मनुष्यको मारता रहे या दुःख पहुँचाता रहे या अनुचित रोकटोक (अनीतिवद्ध अर्थात् मुजाहिमत बेजा) करता रहे या इन कामोके करनेका उद्योग करता रहे या जबतक कि तत्काल मारडालने या तत्काल दुःख या तत्काल अनीतिवद्ध मुजाहिमत जिस्मानी का भय बना रहे ।

चौथा—धनकी निजरक्षाका अधिकार मदाखलतबेजा (अनधिकारप्रवेश) या उत्पात रोकनेको उतने समयतक रहेगा कि जबतक अपराधी मदाखलतबेजा या उत्पातका अपराध करता रहे ।

पाँचवाँ—धनकी निज रक्षाका अधिकार रातके समय सेंध लगानेकी रोकके लिये उस समयतक रहेगा कि जबतक वह घरकी मदाखलतबेजा, कि जिसका आरंभ उस सेंध लगानेके साथ हुवा है, बनी रहे ।

१—दंडसंग्रह हिंदुस्थानकी दफा ९९ के नंबर ३ को दफा १०५ के नंबर १ से मिलाकर पढ़ना चाहिये—धनकी निजरक्षाका अधिकार उस समयसे आरम्भ होता है जब धनकी विपत्तिका भय उत्पन्न हो, ऐसा भय उत्पन्न होनेके पहिले धनके स्वामीको आवश्यकता नहीं है कि वह अपने धनकी रक्षाके लिये किसी सरकारी नौकरसे सहायता मांगे—सरकारी नौकरसे उस भयका प्रगट कर देना अवश्य है परन्तु जब उसके भय होनेका यथार्थ कारण हो तो उस समय व उस स्थानसे हाकिमको सूचित करे जिससे कि उसका प्रबंध होसके । (बम्बई, इ० ला० रि० जिल्द १४ सफा ४४१)

(१०६) यदि किसी ऐसे आक्रमणके रोकनेको जिससे मृत्युका भय विशेष कारणसे उत्पन्न हो निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव किया जाय और रक्षा करनेवाला ऐसी अवस्थामें हो कि वह एक किसी निरपराधी मनुष्यको हानि पहुँचाये बिना अपने अधिकारका वर्त्ताव भली प्रकारसे नहीं कर सकता तो वह निजरक्षाके अधिकारके वर्त्तावमें उस मनुष्यको भी हानि पहुँचा सकता है ।

निजरक्षाका अधिकार मृत्युकारक आक्रमणके रोकनेको उस अवस्थामें जब कि किसी अनपराधी मनुष्यको हानिका भय हो.

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर पर कुछ मनुष्योंके समूहने उसे मारडालनेके अभिप्रायसे आक्रमण किया और शिवशंकर उस समूह पर बंदूक चलाए बिना निजरक्षाके अधिकारको भली प्रकारसे काममें नहीं

ला सकता और उन लडकोको जो उस समूहमे हैं हानि पहुँचानेके विना वह वदूक नहीं चला सकता तो यदि शिवशकरके इस प्रकार बवूक चलानेसे इन लडकोंमेंसे किसी लडके को हानि पहुँचे तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

अध्याय पाँचवाँ ५.

सहायताके विषयमें ।

सहायता किसी कामकी } (१०७) प्रत्येक वह मनुष्य किसी कामके करनेमे सहायता करता है जो,–

पहिले—किसी मनुष्यको उस कामके करनेमें बहकावे या ।

दूसरे—एक अथवा अनेक मनुष्योके साथ जत्थेमें मिलकर उस कामको करनेके लिये सम्मति करे जब कि उस जत्थेके मतके कारण और उस कामके होनेके निमित्त कोई काम या चूक कानूनविरुद्ध होजावे, या ।

तीसरे—किसी कानूनविरुद्ध चूक या कामके द्वारा उस कामके करनेमें जानवूझकर सहायता करे .

स्पष्टीकरण १–किसी कामको करनेके लिये बहकाना, उस मनुष्यके सम्बन्धमें कहा जायगा जो जानवूझकर झूठ बोलनेके द्वारा या ऐसी मुख्य वातको, जिसका प्रगट करना उसपर अवश्य है, छुपा रखकर अपनी इच्छासे उपरोक्त कामको करावे या उसके करानेका यत्न करे या करानेके यत्नमें उद्योग करे ।

उदाहरण ।

(क) कि जो एक सरकारी ओहदेदार है किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसके वारटसे (ख) को पकडनेका अधिकारी है–(ग) जो यह वात जानता है और यहभी जानता है कि (घ) (ख) नहीं है जानवूझकर (क) से यह कहे कि (घ) (ख) है और इसप्रकार (क) से (घ) को कैद करावे तो यहा कहा जायगा कि (ग) ने बहकाकर (घ) को पकडवाया ।

स्पष्टीकरण २—यदि कोई मनुष्य किसी कामके किये जानेके समय या उससे पहले कोई काम इस अभिप्रायसे करे कि वह उपरोक्त काम सुगमतासे होजावे और इस कामसे उसका

* यह अध्याय उन अपराधों से सम्बंधित है जो बमूजिब दफा १२१ (अ) व १२४ (अ) व २२५ (अ) व २९४ (अ) व ३०४ (अ) के दडयोग हैं–देखो ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० दफा १३ किसी २ अपराधकी सहायता राजीनामाके योग्य ह–देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० दफा ३४५.

करना सरल होजावे, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करनेमे सहायता की।

१—यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको डाकके द्वारा पत्र भेजकर किसी अपराधके करनेको बहकावे तो जिस समय उपरोक्त पत्रका वृत्तांत पत्र पानेवालेको ज्ञात होजावे उसी समय वह सहायताका अपराधी हो जावेगा और ऐसे अपराधकी जाच व तजवीज उस स्थानपर हो सकेगी कि जहां वह पत्र पाया गया हो । (ई० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १६ सफा ३८९)

२—दंडसग्रह हिंदुस्थानके अनुसार सहायताका अपराध एक असली अपराध समझा जाता है इसलिये सहायताके किसी अपराधीका दंड असली अपराधीके दडसे सम्बन्ध नहीं रखता (ई० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा १९)

३—किसी अपराधके होनेकी सूचना न देना उपरोक्त अपराधकी सहायतामें नहीं समझी जायगी सिवाय उस अवस्थामें कि जब उपरोक्त सूचना का न देना किसी उचित कर्तव्य या कानूनके विरुद्ध होवे—देखो दफा ४४ व ४५ मजमूआ जाब्ता फौजदारी (बगाल ला० रिपोर्ट जिल्द ४ सफा ७)

४—कोई मनुष्य अपने नौकरके अनुचित कामके लिये अदालत फौजदारीमे जिम्मेदार न होगा जब तक कि यह न प्रमाणित किया जावे कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करनेकी भलीप्रकारसे आज्ञा दी (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ६०)

(१०८) कोई मनुष्य किसी अपराधमे सहायता देनेवाला कहलावेगा जब कि वह

सहायता करनेवाला } या तो उसी अपराधके किये जानेमें या दूसरे किसी ऐसे कामके किये जानेमे सहायता दे जो उस अवस्थामें अपराध गिना जाता हो जब कि उसका करनेवाला कानूनानुसार अपराध समझताहो जब कि वह अपराध वैसेही अभिप्राय अथवा जानकारीसे करे जैसा कि उस सहायता करनेवालेका है।

स्पष्टीकरण १——किसी काममें कानूनविरुद्ध चूक करानेका सहायक होना अपराध होसकेगा चाहे उस कामका करना सहायकपर अवश्य भी न हो।

स्पष्टीकरण २——सहायताके अपराधके लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि जिस काममें सहायता दीगई वह हो ही जाय अथवा जिस परिणामका होजाना उस कामको अपराध बनानेके लिये अवश्य हो वह होही गयाहो।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरके वधके लिये उमाशंकरको बहँकाया और उमाशंकर उस कामके करनेसे 'नहीं' करगया तो शिवशंकर ज्ञातघात करनेके लिये उमाशंकरको सहायता देनेका अपराधी होचुका।

(ख) यदि शिवशंकर उमाशंकरको रमाशंकरका वध करनेके लिये बहँकावे और उमाशंकर उस बहँकानेके अनुसार रमाशंकरको घायल करे परन्तु इस घावसे रमाशंकर बच जावे तो शिवशंकर नातघात उमाशंकरके करनेके लिये बहँकानेका अपराधी होचुका।

स्पष्टीकरण—३—यह अवश्य नहीं है कि सहायता पानेवाला मनुष्य कानूनानुसार अपराध करनेके योग्यही हो या कि उसकी नियत या जानकारीमें वही कुज्ञान हो जो सहायता करनेवालेकी नियत या जानकारीमें है या उसकी नियत या जानकारीमे कुछ कुज्ञान हो।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने कुप्रयोजनसे किसी बच्चे या सिडीको एक ऐसे कामके करनेको बहँकाया कि जिसका करना उस मनुष्यसे अपराध होता जो कानूनानुसार अपराध करनेको समर्थ होता और जिसका अभिप्राय शिवशंकरकासा होता—तो इस अवस्थामें शिवशंकर अपराधमे सहायता करनेका अपराधी होगा, चाहे उपरोक्त काम हुआ हो या नहीं।

(ख) शिवशंकरने, रमाशंकरको मारडालनेके अभिप्रायसे उमाशंकरको कि जो सात वर्षसे कमती अवस्थाका एक बालक है एक ऐसा काम करनेको बहँकाया जिससे रमाशंकरकी मृत्युहो उमाशंकरने इस बहँकानेके कारण शिवशंकरकी अनुपस्थित अवस्था (गैरहाजिरी) में उस कामको किया कि जिसके कारण रमाशंकरकी मृत्यु होगई—यहांपर यद्यपि उमाशंकर कानूनानुसार किसी अपराध करने योग्य नहीं था तथापि शिवशंकरको उसी प्रकारका दंड मिलेगा कि मानों उमाशंकर कानूनानुसार अपराध करनेके योग्य था और उसने नातघातका अपराध किया—इसलिये शिवशंकर मृत्युदण्डके योग्य होगा।

(ग) शिवशंकरने रमाशंकरको किसी रहनेके घरमे आग लगानेके लिये बहँकाया, और रमाशंकर अपनी बुद्धिके बिगाडके कारण उस कामके गुणको न जानसका या यह न समझसका कि जो मै कररहा हू वह अनुचित या कानूनके विरुद्ध है—और रमाशंकर शिवशंकरके बहँकानेके कारण उस घरमें आग लगाए तो रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है परन्तु शिवशंकर घरमे आग लगानेके अपराधमे सहायता करनेका अपराधी होगा और उस दंडके योग्य होगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है।

(घ) शिवशंकर इस अभिप्रायसे कि चोरीका अपराध करावे, रमाशंकरको यह बहँकावे कि उमाशंकरका माल उमाशंकरके पाससे लेआवो और रमाशंकरको यह निश्चय कराए कि वह माल मेरा है—और रमाशंकर शुद्धभावसे यह निश्चय करके कि वह माल शिवशंकरका है उसे उमाशंकरके अधिकारसे निकाल लाए तो ऐसी अवस्थामें, जो कि रमाशंकर ऐसी गलत समझके कारण यह वर्ताव करता है न कि कुप्रयोजन (बद दियानती) से मालको लेता है, उस अपराधसे वह चोरीका अपराधी न होगा परन्तु शिवशंकर चोरीमें सहायता करनेका अपराधी और उस दंडके योग्य होगा जो उसको उस अवस्थामे होता जब कि रमाशंकर चोरीका अपराध करता।

स्पष्टीकरण-४—जो कि अपराधमें सहायता करना अपराध है तो ऐसी सहायतामें सहायता करना भी अपराध है ।

उदाहरण ।

शिवशंकर रमाशंकरको बहँकावे कि तुम उमाशंकरको हरशंकरके मारडालनेके लिये बहँकावो और रमाशंकर उसके अनुसार उमाशंकरको हरशंकरके मारनेके लिये बहँकावे और उमाशंकर रमाशंकरके बहँकानेसे उस अपराधको करे तो रमाशंकर इस अपराधके बदले उस दंडके योग्य होगा जो शातघातके बदलेमे ठहराया गया है और जो कि शिवशंकरने रमाशंकरको उस अपराधके करनेके लिये बहँकाया है इसलिये शिवशंकरभी उसी दंडके योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण-५—सम्मतिके द्वारा सहायताका अपराध करनेके लिये यह अवश्य नहीं है कि सहायता करनेवाला उस मनुष्यके साथ अपराध करनेके यत्नमें सम्मिलित हो जो उसे करता है बरन् यही बहुत है कि वह उस सम्मतिमें सम्मिलित हो जिसपर बर्ताव करनेसे वह अपराध हुआ ।

उदाहरण ।

शिवशंकरने उमाशंकरको विष देनेके लिये रमाशंकरके साथ परामर्श किया और यह ठहराव हुआ कि शिवशंकर विष देवे, इसके पश्चात् रमाशंकरने इस सम्मतिके वृत्तान्तको हरशंकरसे प्रगट किया और कहा कि एक तीसरा मनुष्य विष देगा परन्तु शिवशंकरका नाम न बतलाया और हरशंकरने विष ला देना स्वीकार किया और लाकर इस अभिप्रायसे रमाशंकरको दिया कि वह ऊपरके कहे हुए कामको करे—फिर शिवशंकरने विष खिलाया कि जिसके कारण उमाशंकर मरगया तो ऐसी अवस्थामे यद्यपि शिवशंकर और हरशंकरमें कुछ सम्मति नही हुई तथापि हरशंकर इस सम्मतिमें सम्मिलित रहा जिसपर बर्ताव करनेसे उमाशंकरका वध हुआ—इसलिये हरशंकरने वह अपराध किया जिसका लक्षण इस दफामे कहा है और वह उस दंडके योग्य होगा जो वधके बदले ठहराई गई है ।

ब्रिटिश इंडियामे उन अपराधोंकी सहायता करना जो उसके बाहर हो.

(१०८) यदि कोई मनुष्य ब्रिटिश इंडियाके भीतर किसी ऐसे कामके होनेमें सहायता करे जो ब्रिटिश इंडियासे पृथक् या उससे बाहर हो और ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेमें जो एक अपराध गिनाजाता तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने दंडसंग्रह हिंदके कानूनानुसार उस अपराधमें सहायता की ।

उदाहरण ।

(क) ने ब्रिटिश इंडियामे (ख) को जो अन्य देशका रहनेवाला है और गोवामे है, गोवामें मारनेको बहँकाया तो ऐसी अवस्थामें (क) शातघातके अपराधमे सहायता करनेका अपराधी होगा ।

१—यह दफा ऐक्ट न० ४ सन् १८९८ ई० के अनुसार, जिसके अनुसार दण्डसग्रह हिंद शुद्ध हुआ है, बढाई गई है ।

२—एक मनुष्य दो मनुष्योंके आक्रमणसे मरगया, परंतु इस बातका निश्चय न हुआ कि किसने मारा तो वे दोनो मनुष्य असल अपराधियोंके समान अपराधी होंगे न कि सहायकोंके समान (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ४९)

३—अपराधके तमाशा देखनेवालेके समान एक स्त्रीको सती होते हुए देखते थे परतु वे उसके किसी काममें सयुक्त नहीं हुए—खोज करनेसे जानागया कि उन्हें पहिलेहीसे जानकारी थी कि अमुक स्त्री सती होनेवाली है और उसी जानकारीके कारण वह अपराध (सती) होनेके समय उस स्थानपर तमाशा देखने गये थे इसलिये वह मनुष्य आत्महत्याकी सहायताके अपराधी ठहराये गये (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा २४६)

सहायताका दड, यदि उस कामका होना जिसमें सहायता कीगई है उस सहायताके कारण हुआ हो और जहा उसके दडके लिये कोई स्पष्ट आज्ञा न हो ।

* (१०९) जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता करे तो यदि उस सहायताके कारणसे वह काम हो जिसमें सहायता कीगई है और इस सग्रहमें ऐसी सहायताके दडके विषयमें कोई स्पष्ट आज्ञा न हो तो उस मनुष्यको वही दड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहरा हो ।

स्पष्टीकरण—जब कोई काम या अपराध उस बहँकानेके कारणसे या उस सम्मतिपर वर्त्ताव करनेसे या उस सहारेसे हो जिसको सहायता ठहराया गया है तो कहा जावेगा कि उपरोक्त काम या उपरोक्त अपराध सहायताके कारणसे हुवा ।

उदाहरण ।

(क)—शिवशंकरने रमाशंकरको कि जो एक सरकारी नौकर है इसलिये कुछ घूस देना कही कि वह अपने ओहदेका काम करते समय शिवशंकरके साथ कुछ पक्षपात करे और रमाशकर उस घूसको स्वीकार करे तो शिवशकरने उस अपराधमे सहायताकी जिसका वर्णन दफा १६१ में किया गया है ।

(ख)—शिवशकर रमाशकरको झूठी गवाही देनेके लिये बहँकावे और रमाशकर उस बहँकानेके कारण उस अपराधको करे तो शिवशकर उपरोक्त अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा और उसी दण्डके योग्य होगा जिसके योग्य रमाशकर है ।

(ग)—शिवशंकर और रमाशकर उमाशकरके विष देनेकी सम्मति करें और इस सम्मतिपर वर्त्ताव करके विष लावे और इस अभिप्रायसे रमाशकरको देवें कि वह उमाशंकरको खिलावे और रमाशकर इस सम्मतिके अनुसार शिवशकरके वहा न होनेपर उमाशकरको विष दे और

* दफा ४० को देखो ।

उस विषसे उमाशंकर मरजावे तो इस अवस्थामें रमाशंकर ज्ञातघातके अपराधका अपराधी होगा और शिवशंकर उस अपराधमें सम्मतिके द्वारा सहायता करनेका अपराधी होगा और ज्ञातघातके दंड योग्य होगा।

१—शिवशंकरने एक सतीकी चिता जलानेकी रमाशंकरको आज्ञादी, रमाशंकरने उस समय तो उसकी बात न स्वीकार की परंतु जब वह स्त्री उस चितासे भाग गई तब उसको फिर चितामें जानेके लिये बहँकाया—इसलिये शिवशंकर ज्ञातवत् घातकी सहायताका अपराधी और रमाशंकर आत्महत्याकी सहायताका अपराधी ठहराया गया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा १७४)

२—यदि कोई मनुष्य कानूनविरुद्ध दूसरा ब्याह करे तो पंडित जो इस ब्याहको करावे दंडसंग्रह हिंदकी दफा १०९ के अनुसार दफा ४९४ के अपराधका सहायक है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ६ सफा १२६)

सहायताका दंड, यदि वह मनुष्य कि जिसकी सहायता कीजावे कामको किसी ऐसे अभिप्रायसे करे जो सहायकके अभिप्रायसे विरुद्ध हो।

(११०) जो कोई मनुष्य किसी अपराधके होनेमें सहायता करे तो यदि वह मनुष्य कि जिसकी सहायता कीजावे उस अपराधको किसी ऐसे अभिप्राय या जानकारीसे करे जो सहायता करनेवाले मनुष्यके अभिप्राय या जानकारीके विरुद्ध हो तो सहायता करनेवालेको उस अपराधका दंड दिया जायगा कि जो अपराध इस अवस्थामें होता कि जब वह काम किसी और अभिप्राय या जानकारीसे नहीं वरन् सहायता करनेवालेकेही अभिप्राय या जानकारीसे किया जाता। (दफा ४० भी देखो)

सहायता करनेवालेका दंड जब कि एक काममें सहायता पहुँचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काम होजाय।

(१११) जब कि सहायता तो एक कामकी कीजावे और काम कोई दूसराही हो जावे तो सहायता करनेवाला उस कामके सम्बन्धमें कि जो हुआ है उसी प्रकारसे और उतनाही दंडके योग्य होगा कि मानों उसने भली प्रकारसे उस उपरोक्त कामकी सहायता की परन्तु नियम यह है कि, वह काम जो हुआ इस प्रकारका हो कि सहायतासे उसका होजाना अति संभावित पाया जाय और यह कि वह काम बहँकानेसे या उस सहारे अथवा सम्मतिपर वर्त्ताव करनेसे जिसको सहायता ठहराया गया है होवे।

उदाहरण।

(क)—शिवशंकर एक लडकेको रमाशंकरके भोजनमें विष डालनेके लिये बहँकावे और इसी अभिप्रायसे उसको विष दे—उस बहँकानेके कारण वह लडका उमाशंकरके भोजनमें जो रमा

शंकरके भोजनके पास रक्खा हो भूलकर विषडालदे तो इस अवस्थामें यदि उपरोक्त लडकेने शिव-शंकरके बहँकानेसे वह वर्त्ताव किया हो और वह काम जो हुआ ऐसी अवस्थाओमे कदाचित् उस सहायताका परिणाम हो तो शिवशंकर उसी प्रकार और उतनाही अपराधी होगा कि मानों उसने लडकेको उमाशंकरके भोजनमें विष डालनेके लिये बहँकाया ।

(ख)—शिवशंकरने रमाशंकरको उमाशंकरका घर जलादेनेके लिये बहँकाया, रमाशंकरने घरमें आग लगादी और उसी समय वहांका धनभी चुरालिया तो ऐसी अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर घर जला-देने मे सहायता करनेका अपराधी होगा, परन्तु वह चोरीमे सहायता करनेका अपराधी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक पृथक्ही काम था और घर जलानेका परिणाम सम्भवित न था ।

(ग) शिवशंकरने रमाशंकर और उमाशंकर दोनोको किसी बसे हुए घरमें जोरीसे चोरी करनेके लिये आधीरातके समय बलपूर्वक घुसनेको बहँकाया—और इस अभिप्रायके कारण शिवशंकरने उन्हें हथि-यार लादिये—यदि रमाशंकर और उमाशंकर बलपूर्वक उस घरमें घुसजावें और घरवालोमेंसे एक मनुष्य हरशंकरको जो उनका सामना करे मारडालें तो ऐसी अवस्थामे, यदि वह मारडालना सहायताका परि-णाम सम्भवित था तो शिवशंकर उस दडके योग्य होगा जो गातघातके लिये ठहराया गया है ।

(११२) यदि वह काम, जिसका सहायक दफा १११ के अनुसार दडके योग्य है उस कामके अतिरिक्त किया जावे जिसमें सहायता कीगई है और वह वास्तवमें दूसराही अपराध हो तो सहायक उन अपराधोंमेसे प्रत्येक अपराधके लिये दंडके योग्य होगा ।

जिस काममे सहायता कीगई हो—और जो काम कियागया है उसके लिये सहायक कब दोनो दड पावेगा

उदाहरण ।

शिवशंकरने किसी सरकारी नौकरकी कीहुई कुर्कीमे बलपूर्वक सामना करनेके लिये रमाशंकरको बहँकाया और रमाशंकरने उसके अनुसार कुर्कीको रोका और रोकनेमें रमाशंकरने जान बूझकर कुर्की करनेवाले ओहदेदारको भारी दुःख पहुँचाया तो यहा उसने दोनों अपराध किये इसलिये वह दोनो अप-राधोंके दड योग्य हुआ और जब कि शिवशंकरने यह बात जानली हो कि कुर्कीका सामना करनेमें भारी दुःख पहुँचना अति सभवित है तो शिवशंकर भी इन दोनों अपराधोंमें दड योग्य होगा ।

टीप—१—(क) ने (ख) के घरमे विना उसकी प्रसन्नताके जाकर उसकी स्त्रीके साथ सभोग किया—तजवीज हाईकोर्टकी यह हुई कि (क) दोनों अपराधोंके लिये अर्थात् व्यभिचार (जिनाकारी) और बलपूर्वक घरमें घुसने (मदाखलत बेजा) का अपराधी है और वह दोनो अपराधोका दड पासकता है क्योंकि वे दोनों अपराध अलग २ है—लेकिन् ऊपर लिखे अभियोग (हालात) मे (ख) की स्त्री कानूनानुसार मदाखलत बेजाके अपराधकी सहायता करनेके योग्य नहीं है । (पजाब रिकार्ड नं० सन् १८७१ ई०)

(११३) जब किसी काममें सहायता कीजावे और सहायता करनेवालेका यह अभिप्राय हो कि उससे कोई विशेष परिणाम होवे और वह काम जिसका सहायक अपनी सहायताके कारण दंड योग्य है किसी ऐसे परिणाम को उत्पन्न करे जो उस परिणामके विरुद्ध हो कि जो सहायककी नियत (इच्छा) में था तो सहायक उस परिणामके कारण जो उत्पन्न हुआ उसीप्रकार और उतनाही दंड योग्य होगा कि मानो उसने उस परिणामके उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे उस काममें सहायता की, परंतु नियम यह है कि जब वह यह जानता हो कि उस कामसे (जिसमें सहायता कीगई है) उस परिणामका उत्पन्न होना सम्भवहै ।

दंड सहायकको उस परिणामके बदले जो उस कामसे उत्पन्न हो जिसकी सहायता कीजावै और जो परिणाम काम करनेवाले के अभिप्राय विरुद्ध हो.

शिवशंकरने, उमाशंकरको भारी दुःख पहुँचानेके लिये रमाशंकरको बहँकाया और रमाशंकरने उस बहँकानेके कारण उमाशंकरको भारी दुःख (जररशदीदी) पहुँचाया और उमाशंकर इसी कारणसे मरगया—तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकर यह जानता था कि उस भारी दुःखके कारण मृत्यु होनेका भय है तो शिवशंकर उस दंडके योग्य होगा जो वध अपराधके बदले ठहराया है । (देखो दफा ४०१)

(११४) जब कोई मनुष्य, जो अनुपस्थित (गैरहाजिरी) अवस्थामें सहायता करनेके लिये दंडके योग्य होता तो उस काम या अपराध होनेके समय उपस्थित रहे जिसके मध्ये वह सहायता करनेके कारण दंडके योग्य होता तो वह उस काम या अपराधका करनेवाला समझा जावेगा—

अपराध किये जानेके समय सहायकका होना.

१—इस अभियोगमें अपराधी वधके समय उपस्थित था और वह यह नही जानता था कि ऐसा काम होवेगा—डरके मारे उसने उपरोक्त अपराधके रोकनेका कोई यत्न नही किया वरन उस मरे हुए मनुष्यकी लाश छिपानेमें वधिकों (अपराधियो) के साथ मिलगया—तजवीज हाईकोर्ट की यह हुई कि अपराधी वध करनेकी सहायताका अपराधी नही था वरन् वह उपरोक्त अपराधकी गवाहीको मिटादेनेका अपराधी दंडसग्रह हिंदकी दफा २०१ के अनुसार होगा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ८०)

(११५) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करनेमें सहायता करे जिसके बदलेमें मृत्युदंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है तो यदि वह अपराध उस सहायताके कारण न हो और ऐसी सहायताके मध्ये इस सग्रहमें कोई दंड न ठहराया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि सात वर्षतक हो सकती है और वह धन दंडके भी योग्य होगा ।

उस अपराधमें सहायता करना कि जिसका दंड मृत्यु या देश निकालेकाहै यदि अपराध सहायताके कारण न हो ।

और यदि कोई ऐसा काम किया जावे जिसके मध्ये सहायक सहायताके कारण दंडके योग्य है और जिस कामसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचे तो सहायक दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदके योग्य होगा जिसकी अवधि १४ वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

यदि काम जिससे हानि पहुँचे सहायताके कारण कियाजावे.

उदाहरण।

शिवशंकरने रमाशंकरको उमाशंकरके मार डालनेके लिये वहँकाया परन्तु रमाशंकरसे यह अपराध नही हुआ परन्तु यदि उमाशंकरको मारडालता तो वह मृत्युदंड या देश निकालेके दंडका भागी होता तो इस अवस्थामें शिवशंकर किसी कैदके योग्य होगा जिसकी अवधि सात वर्षतक हो सकती है और जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि इस सहायताके कारणसे उमाशंकरको कुछ हानि पहुँचे तो शिवशंकर किसी कैदके योग्य होगा जिसकी अवधि १४ वर्ष तक होसकती है और जुर्मानेके भी योग्य होगा।

(११६) जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता करे जिसके बदलेमें कैदका दंड ठहराया गया है तो यदि वह अपराध उस सहायताके कारण न हो और ऐसी सहायताके मध्ये इस सग्रहमें कोई विशेष दण्ड भी नहीं ठहराया गया तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके बदलेमें ठहराया गया है और उसकी अवधि (मीआद) उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाई तक हो सकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या कैद और जुर्माना दोनों दंड दिये जायँगे।

उस अपराधमें सहायता करना जिसका दंड कैद है यदि अपराधका होना सहायताके कारण न हो

और यदि सहायक या सहायता पानेवाला सरकारी नौकर हो तो सहायकको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके बदलेमें ठहराया गया है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदके एक आधे तक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है या कैद और जुर्माना दोनोंही दंड दिये जावेंगे।

यदि सहायक और जिसकी सहायता कीजाय दोनोंही सरकारी नौकरहो जिसपर अपराधका रोकना कर्त्तव्य है.

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको जो सरकारी नौकर है कुछ घूस इनामकी तौरपर इसलिये देने कहे कि रमाशंकर अपने ओहदेके काममें कुछ पक्षपात करे और रमाशंकर घूस लेनेसे नाही करे तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार दंडके योग्य होगा।

(ख) शिवशकरने रमाशकरको झूठी गवाही देनेके लिये बहँकाया इस अवस्थामें यदि रमाशकर झूठी गवाही न दे तो भी शिवशंकर उस अपराधका करनेवाला होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है और उसीके अनुसार दडके योग्य होगा ।

(ग) शिवशकर एक पुलीसके ओहदेदारने जिसका काम चोरीके रोकनेका है चोरी होनेमे सहायता की इस अवस्थामें यद्यपि चोरी न भी हुई तो भी शिवशंकर उस कैदकी बडीसे बडी मीआदके एक आधे भागके योग्य होगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

(घ) रमाशकर चोरीके होनेमे शिवशकरकी सहायता करे और शिवशकर पुलीसका एक ओहदेदार हो जिसपर ऐसे अपराधके होनेका रोकना उसका कर्तव्य कर्म है तो इस अवस्थामे चाहे चोरी न भी हो तो भी रमाशंकर उस कैदकी बडीसे बडी मीआदके एक आधेके योग्य होगा जो चोरीकी चोरीके बदलेमे ठहराई गई है ।

सहायता पहुँचाना किसी अपराधके करनेमें सबके द्वारा अथवा दशसे अधिक मनुष्योंके द्वारा।

(११७) जो कोई मनुष्य सर्व साधारण मनुष्योंको या मनुष्योंके किसी समूहको जो दश मनुष्योंसे अधिक हो किसी अपराधके करनेमे सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारके कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दड अथवा कैद और जुर्माना दोनोंही दड दिये जावेंगे । (दफा ४० को देखो)

उदाहरण ।

शिवशकर किसी सर्वसम्बन्धी स्थानमें एक विज्ञापन लगावे जिससे किसी सम्प्रदाय (फिर्का) को जिसकी संख्या दशसे अधिक हो यह बहँकावे कि वह किसी मुख्य समय और स्थान पर इस अभिप्रायसे इकट्ठे हों कि प्रतिकूल सम्प्रदायके मनुष्यों पर जब कि वह समाज बांधे हुए जाते हों आक्रमण (हमला) करें तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

किसी ऐसे अपराधके उद्योगको गुप्त रखना जिसका दड मृत्यु या देश निकाला है ।

(११८) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे, कि किसी अपराधका उद्योग जिसका दंड मृत्यु या देश निकाला है सहज होजावे या यह जान कर कि उसका सहज होना संभव है किसी काम अथवा कानूनविरुद्ध चूक (तर्क) के द्वारा उस उद्योगको छिपावे जो ऐसे अपराधके होनेको किया गया है या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा बयान करे जिसको वह झूठा जानता है तो उस अपराधके हो जानेपर उपरोक्त मनुष्यको दोनों

प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और यदि अपराध न हो तो दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और प्रत्येक अवस्थामें वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

उदाहरण।

शिवशंकर यह जानकर कि रामनगरमें डाका पडनेवाला है साहब माजिस्ट्रेटको झूठी सूचना (खबर) दे कि चन्द्रनगरमें जो दूसरी ओर है शीघ्रही डाका पडनेवाला है और इस प्रकार साहब मजिस्ट्रेटको धोखा दे इस अभिप्रायसे कि उस कामका होना सहज होजावे और इस उद्योगपर बर्त्ताव करनेसे रामनगरमें डाका पडजावे तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार दंडके योग्य होगा।

टीप १—मदरासमें चार अपराधियोंको वधके अपराधमें दंड दियागया और पाँचवें अपराधी-की तजवीज (विचार) जो मारेगये मनुष्यकी स्त्री थी, दंडसंग्रह हिंदकी दफा ११८ के अनुसार की गई—हाईकोर्टने इस अपराधिनीको दंड दिया, क्योंकि जाचनेसे यह पायागया कि स्त्रीको उसके स्वामीके वधके उद्योगका वृत्तान्त ज्ञात था और उसने इस वृत्तान्तको अपने स्वामीसे छुपाया—(मदरास केस नं० ३० सन् १८६८ ई०)

(११९) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है इस अभिप्रायसे कि किसी अपराधका होना कि जिसका रोकना उसका कर्तव्य कर्म (फर्ज) है सहज होजावे या यह जानकर कि उसका सहज होजाना सम्भव है किसी काम या कानूनविरुद्ध चूकके द्वारा स्वयं उस उद्योगको छिपावे जो होनेवाले अपराधके लिये किया गया हो या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो उस अपराधके होजानेपर उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके बदलेमें ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदके एक आधेतक होसकती है जो उस अप-राधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया है अथवा कैद और जुर्माना दोनो दंड दिये जावेंगे—और—

सरकारी नौकर जो किसी अपराध होनेके उद्योगको छिपावे जिसका रोकना उसका कर्त्तव्य है.

यदि उस अपराधके बदलेमें मृत्युदंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है तो दोनो प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद दश वर्षतक है होसकती है और यदि अपराध न हुआ हो तो उपरोक्त मनु-ष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये मुकर्रर है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाई तक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या कैद और जुर्माना दोनोही दंड दिये जायगे।

यदि अपराधका दंड मृत्यु आदि हो.

उदाहरण।

शिवशंकर पुलीसके ओहदेदारको कानूनानुसार उचित है कि जोरीकी चोरी (सरका विल-जब) के उद्योगोकी जो उसको ज्ञात हो सूचना करे और शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकर जोरीकी चोरीका उद्योग कर रहा है ऐसी सूचना करनी इस अभिप्रायसे रहित करे कि उस अपराधका होना सहज होजावे तो इस अवस्थामें शिवशंकरने कानूनविरुद्ध चूक (तर्क) के द्वारा रमाशंकरके होते हुए उद्योगको छिपाया, इसलिये इस दफाकी आज्ञानुसार वह दंडके योग्य हुवा।

उस अपराधके होनेके उद्योगको छिपाना जिसका दंड कैद है.

(१२०) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे कि किसी अपराधका होना, जिसके बदलेमें कैदका दंड ठहराया गया है सहज होजावे या यह जानकर कि उसके सहज होजानेका संभव है किसी काम या कानूनविरुद्ध चूकके द्वारा अपनी इच्छासे उस होते हुए उद्योगको छिपावे जो उपरोक्त अपराधके होनेके लिये किया गया है या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा वर्णन करे जिसको वह झूठा जानता हो तो यदि उपरोक्त अपराध होवे तो उस मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदके बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है और यदि अपराध न हुवाहो तो कैद एक आठवे हिस्सेतक होसकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है अथवा उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या दोनों दंड दिये जावेगे।

नोट—इस दफामें लिखे हुए दंड उन सरकारी नौकरोंके मध्ये अधिक कडे हैं जिनका काम अपराधोंके रोकनेका है—इस दफाके साथ मजमूआ जाब्ता फौजदारी ऐक्ट नं० ५ सन् १८९८ ई० की दफा ४४ व ४५ देखी जाय।

अध्याय छठा ६.*

राजविद्रोहके अपराधोके विषयमे ।

श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करना या उसका उद्योग या उसमें सहायता करना.

(१२१) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करे या ऐसे युद्ध करनेका उद्योग करे या ऐसे युद्ध करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको मृत्यु या देश निकालेका दड दिया जावेगा और उसका सब धन (जायदाद) जब्त किया जायगा ।

उदाहरण ।

(क) शिवशकर श्रीमती महारानीके विरुद्ध किसी विद्रोहमें साझी हो तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ख) शिवशकर, जो हिन्दुस्थानमे है विद्रोहियोको हथियार भेजकर एक विद्रोहमे सहायता करता है जो सीलोनटापूमे श्रीमती महारानीके विरुद्ध हुई हो, ऐसी अवस्थामें शिवशकर श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेमें सहायताका अपराधी होगा ।

टीप—(१) मुकद्दमे का विचार अदालत सेशन करसकती है ।
(२) पोलीस विना वारट अपराधीको नही पकडसकती ।
(३) पहिले वारट अपराधीके नाम जारी होना चाहिये ।
(४) अपराध जमानतके योग्य नही है ।
(५) राजीनामा (सधि) नही हो सकता है ।
(६) मजूरी दरकार है ।

उन अपराधोके करनेमे उद्योग जो दफा १२१ के अनुसार दडके योग्य है

(१२१) (अ) जो मनुष्य कि ब्रिटिश इंडियामे या उससे बाहर किसी अपराधको मरनेके लिये जो दफा १२१ के अनुसार दंडके योग्य हैं, या श्रीमती महारानीको ब्रिटिश इंडिया या उसके किसी भागके अधिकारसे अधिकार रहित (बे दखल) करनेके लिये उद्योग करे या अपराधयुक्त बलके द्वारा अथवा अपराधयुक्त बल दिखाकर गवर्नमेंट हिंद या किसी लोकल स्थानिक गवर्नमेंटकी न्यूनताके लिये उद्योग करे तो वह मनुष्य जन्म भरके लिये या इससे कम मीआदके लिये देश निकालेके दड योग्य होगा या उसे दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है ।

---

* ऐक्ट २७ सन् १८७० की दफा १४ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा १९६ को देखो ।

समस्त मनुष्योको उचित है कि दफा १२१ से १२६ तक व १३० दफाके अपराधोकी सूचना करें देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा २४

स्पष्टीकरण—इस दफाके अनुसार सहायता दिये जानेके लिये यह अवश्य नहीं है कि कोई काम अथवा कानून विरुद्ध चूक उसके उद्योगमें दिखाई दे। (दफा ४ ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन मुकद्दमेकी तजवीज करसकती है(२) पोलीस विना वारंट अपराधीको नहीं पकड़ सकती (३) पहिले वारट अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) अपराध जमानतके योग्य नहीं है (५) राजीनामा नही होसकता (६) मंजूरी दरकार है।

श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेके अभिप्रायसे शस्त्र आदि इकठा करना.

(१२२) जो कोई मनुष्य, सिपाही या हथियार या गोले बारूदकी किस्मसे कोई सामान इकठा करे या किसी और प्रकारसे युद्धकी तैयारी करे इस अभिप्रायसे कि श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करे या युद्ध करनेपर तैयार रहे तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या दोनो प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और उसका कुलधन (जायदाद) जब्त होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन मुकद्दमेकी तजवीज करसकती है (२) विना वारंट मजिस्ट्रेटके पोलीस अपराधीको नही पकड सकती (३) अपराध जमानतके योग्य नहीं है (४) पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (५) राजीनामा नही हो सकता (६) मंजूरी दरकारहै।

युद्ध करनेके यत्नको उसके सहल करनेके अभि प्रायसे छिपाना.

(१२३) जो कोई मनुष्य किसी काम या कानूनविरुद्ध चूकद्वारा किसी होने हुए उद्योगको जो श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये किया गया है, छिपावे इस अभिप्रायसे या यह जाननेके सभवसे कि ऐसे छिपानेसे युद्धका करना सहज होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन, (२) पोलीस दस्तन्दाजी (हस्ताक्षेप) नही कर सकती, (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा, (४) जमानत नही है, (५) राजीनामा नही हो सकता है, (६) मंजूरी दरकार है।

गवर्नर जनरल या गवर्नर आदिपर किसी उचित अधिकारके वर्त्तनेपर विवश करना या वर्त्तनेसे रोकनेके अभिप्रायसे आक्रमण करना.

(१२४) जो कोई मनुष्य गवर्नरजनरलहिंद या किसी प्रेजीडेंसीके गवर्नर या लेफ्टिनेन्टगवर्नर या गवर्नरजनरल वहादुर हिंदकी कौंसलके मेंबर (सभासद) पर आक्रमण करे या उसे अनीति रीति (मुजाहिमत बेजा) से रोके या अनीति रीतिसे रोकनेका उद्योग करे या किसी अपराध संयुक्त बल (जब्र मुजरिमाना) के द्वारा या अपराध संयुक्त बल दिखाकर डरावे या इस प्रकार डरानेका उद्योग करे इस अभिप्रायसे कि वह उस गवर्नर

जनरलवहादुर या गवर्नर या लेफ्टिनेन्टगवर्नर या कौसलके मेम्बरको दवावे या विवश करे कि वह गवर्नरजनरलवहादुर या गवर्नर या लेफ्टिनेन्टगवर्नर या कौंसलके मेम्बर किसी प्रकार अपने उचित अपराधमेंसे किसी अधिकारको वर्त्ते या किसी प्रकार वर्त्तनेसे रुका (वाज) रहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पुलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती; (३) वारट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं हो सकता (६) मञ्जूरी दरकार है।

(१२४)*(अ) जो मनुष्य शब्दोद्वारा जो बोले गय या लिखे गये हो या चिह्नोद्वारा या आखसे देखने योग्य कोई नकल बनाकर या और किसी भातिपर घृणा (नफ़रत) उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेका उद्योग करे या बुरे विचार श्रीमती महारानी या गवर्नमेंटके मद्धे जो ब्रिटिश इडियामे स्थिर कीगई है, उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभर या कुछ कम मीआदके लिये देश निकालेका दड हो सकता है जिसपर जुर्माना भी वढाया जा सकेगा या कैदका दड जुर्माना समेत जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है, या जुर्मानेका दड दिया जावेगा।

बुरे विचारोका उत्पन्न करना

स्पष्टीकरण-१-"बुरे विचार" के शब्दमे कृतघ्नता (वेवफाई) और शत्रुताके समस्त विचार सयुक्त है।

+स्पष्टीकरण-२-सरकारके-उद्योगोके मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करनेके अभिप्रायसे नुक्ताचीनी (टीका) करना इस अभिप्रायसे, कि उचित रीतोद्वारा उनमे अदल वदल कराया जावे बिना इस वातके कि, घृणा या बदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करनेका उद्योग किया जावे इस दफाके अनुसार कोई अपराध नहीं ठहरता।

---

* दफा ५-ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो।

इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ उन अपराधोंसे सम्बन्ध रखते हैं जो इस दफाके अनुसार दंडके योग्य है (ऐक्ट न० २७ सन् १८७० ई० की दफा १३ व १४ को देखो.

+ बुरे विचारों और अप्रसन्नताका स्पष्टीकरण कियागया देखो इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६९ सफा ३५.

स्पष्टीकरण ३—सरकारके प्रबंध या किसी और कामके मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करनेके अभिप्रायसे नुक्ताचीनी अर्थात् टीका करना विना इस बातके कि घृणा या बदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करनेका उद्योग किया जावे इस दफाके अनुसार कोई अपराध नहीं ठहराता ।

(टीप)-(१) अदालत सेशन या चीफ प्रे० म० या मजिष्ट्रेट जिला या म० दर्जा अव्वल जिस्से लोकल गवर्नमेंटने इस बारेमे अधिकार दिया हो (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) वारन्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

किसी एशियाई देशकी गवर्नमेंटके विरुद्ध जो श्रीमती महारानीसे मित्रता रखती हो युद्ध करना.

(१२५) जब कोई मनुष्य एशियाई देशकी किसी गवर्नमेंटके विरुद्ध जो श्रीमती महारानीसे मित्रता रखती हो युद्ध करे या युद्ध करनेका उद्योग करे या ऐसे युद्ध करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरके लिये देश निकालेका दंड दिया जावेगा और इसके सिवाय जुर्माना भी होसकता है या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और अतिरिक्त इसके जुर्माना भी हो सकता है या केवल जुर्मानेका दंड दिया जावेगा ।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी हस्ताक्षेप नहीं करसकती (३) वारन्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

ऐसे अधिपतिके राज्यमे लूट मार करना जो श्रीमती महारानीसे संधि रखता हो ।

(१२६) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे देशमें लूट मारकरे या लूटमार करनेकी तैयारी करे जिसका अधिपति श्रीमती महारानीसे मित्रता या संधि रखता हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह मनुष्य जुर्मानेका तथा उस माल व असबाबकी जब्तीके भी योग्य होगा जो उस लूटमारके काममें आया हो, या जिसका उसके काममे आना संभव हो जो उस लूटमारके द्वारा प्राप्त हुवा है ।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारन्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

(१२७) जो कोई मनुष्य कोई माल या असबाव यह जानकर ले कि वह उन अपराधोंमेंसे किसी ऐसे अपराधके द्वारा प्राप्त किया गया है जिनका वर्णन दफा १२५ व १२६ मे हुआ है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह मनुष्य जुर्मानेका और उस माल व असबावकी जब्तीके भी योग्य होगा जिसको वह इस प्रकार अपने अधिकारमे लाया हो।

लेना उस मालका जो दफा १२५व१२६के अनुसार युद्ध व लूटमारके द्वारा प्राप्त किया गयाहो।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता।

(१२८) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसकी चौकसीमें कोई राज्यविरोधी कैदी या युद्ध कैदी हो, उस कैदीके किसी स्थानसे जहा वह कैद है जानवूझकर माग जाने दे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म मरके लिये देश निकाला या दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दियां जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

सरकारी नौकर को अपनी चौकसीसे किसी राज विरोधी अपराध के कैदी अथवा युद्धके कैदी को भाग जाने देना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मजूरी दरकार है।

(१२९) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसकी चौकसीमें कोई राज्यविरोधी कैदी या युद्धका कैदी हो असावधानी (गफलत) से उस कैदीको उस स्थानसे कि जहा वह कैद है माग जानेदे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

सरकारी नौकरका अपनी चौकसीसे किसी राज्य विरोधी कैदी या युद्धके कैदी को भाग जाने देना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या म० अव्वल (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है।

(१३०) जो कोई मनुष्य जानवूझकर किसी राज्यविरोधी कैदी या युद्धके कैदीको उचित चौकसीसे भाग जानेमें सहायता करे अथवा सहारा दे या किसी ऐसे कैदीको छुडा लेजाय या छुडा लेजानेका उद्योग करे या ऐसे कैदीको जो उचित चौकसीसे भाग गया हो शरण दे या छिपारक्खे या किसी ऐसे कैदीके फिर पकडनेमें किसी प्रकारकी रोकटोक करे या

उपरोक्त कैदीको भाग जानेमें सहायता करना या उसको छुडाना या शरण देना.

रोकटोक करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

स्पष्टीकरण–कोई राज्यविरोधी कैदी अथवा युद्धका कैदी जिसको ब्रिटिश इडियाकी नियत सीमाके भीतर अपने न भागनेकी प्रतिज्ञाके अनुसार फिरनेकी आज्ञा हुई हो कदाचित् वह उसी सीमासे जिसके भीतर फिरनेकी आज्ञा हुई है बाहर निकल जाय तो कहा जायगा कि वह उचित चौकसीसे भाग गया।

टीप–(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं हो सकती (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है।

अध्याय सातवाँ ७.

जंगी अथवा जहाजी सेना सम्बंधी अपराधोंके विषयमें।

बगावतमे सहायता करना या किसी सिपाही जहाजी केवटको उसके कामसे बहॅकानेका उद्योग करना.

(१३१) जब कोई मनुष्य, विद्रोह करनेमे जो श्रीमती महारानीकी जगी या जहाजी सेनाकी अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटकी ओरसे हो, सहायता करे या ऐसे अफ्सर या सिपाही या केवटको नौकरी या नौकरीका काम न करनेके लिये बहॅकानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरके देश निकालेका या दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

स्पष्टीकरण–इस दफामे शब्द "अफसर" और "सिपाही" के अर्थमे प्रत्येक मनुष्य गिना जायगा जो आरटिकल्स आफ वार धर्म प्रबन्धी सेना श्रीमती महारानीके अधीन है या जो आरटिकल्स आफ वार ऐक्ट ५ सन् १८७९ के ई० लेखानुसार हो। (दफा ६ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप–(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारण्ट बनाम अपराधी (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(१३२) जब कोई मनुष्य विद्रोह करनेमे, जो श्रीमती महारानीके जगी या जहाजी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटकी ओरसे हो, सहायता करे और यदि उसकीही सहायताके कारण विद्रोह होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको मृत्युदंड या जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड या दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

विद्रोहमे सहायता करना जब कि वह विद्रोह उसी सहायताके कारण होजाय

टीप–(१) अदालत सेशन (२) पुलीस हस्ताक्षेप करसकती है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नही होसकता।

(१३३) जब कोई मनुष्य किसी आक्रमण (हमले) मे सहायता करे जो श्रीमती महारानीकी जगी या जहाजी सेनाका कोई अफ्सर या सिपाही जहाजी केवट अपने ऊपरके अफ्सरपर करे उस अवस्थामें कि जब वह अपने ओहदेका काम कररहा हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

किसी आक्रमणमें सहायता देना जो कोई सिपाही या जहाजी केवट अपने ऊपरके अफसर पर जब कि वह अपने ओहदेका काम कररहा हो करे.

टीप–(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या म० अ० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधी (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नही होसकता।

(१३४) जब कोई मनुष्य किसी ऐसे आक्रमणमे सहायता करे जो श्रीमती महारानीकी जगी या जहाजी सेनाका कोई अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवट अपने किसी ऊपरके अफसर पर ऐसी अवस्थामें करे कि जब वह अपने ओहदेका काम कररहा है तो यदि उस सहायताके कारण वह आक्रमण होवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

ऐसे आक्रमणकी सहायता कि जो होजावे.

टीप–(१) अदालत सेशन (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधी (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नही होसकता।

(१३५) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीकी जगी या जहाजी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटकी नौकरी परसे भाग जानेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेंगे।

किसी सिपाही या जहाजी केवटकी नौकरी परसे भागजानेमे सहायता करना.

टीप-(१) प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेट या म० अ० या० म० दोयम (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारट बनाम अपराधी (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

नौकरीसे भागे हुएको शरण (पनाह) देना.

(१३६) जो कोई मनुष्य सिवाय नीचे लिखी हुई छूटके श्रीमती महारानीकी जंगी अथवा जहाजी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटको यह जानबूझकर या जाननेका कारण रखकर कि यह अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवट अपनी नौकरीसे भाग आया है शरण दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

छूट—यह नियम उस अवस्थामे सम्बन्ध न रक्खेगा जब कि कोई स्त्री अपने स्वामीको शरण दे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत है. (५) राजीनामा नही होसकता ।

भागे हुएका सौदागरी जहाजमें नावपतीकी असावधानीसे छुपाहोना.

(१३७) उस सौदागरी जहाजका नावपति या अधिकारी जिसपर कोई ऐसा मनुष्य छुपा हो जो श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाजी सेनाकी नौकरीसे भाग गया है जुर्मानेके दंडके योग्य होगा जो पांचसो रुपयेसे अधिक न हो चाहे उस छुपे होनेकी उसको जानकारी न हो; परन्तु शर्त यह है कि उस छुपे होनेका मालूमकर लेना उसके अधिकारमे था यदि वह अपने नावपति या अधिकारीपनेके काममे असावधानी न करता या जहाजके प्रबंधमे कुछ खोट न होता ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

किसी सिपाही या जहाजी केवटकी ओरसे आज्ञाभंगके काममे सहायता देना.

(१३८) जो कोई मनुष्य किसी काममे सहायता करे जिसको वह श्रीमती महारानी जंगी या जहाजी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटकी ओरसे आज्ञाभङ्गका अपराध जानता है, तो यदि वह आज्ञाभंगका काम उस सहायताके कारण होवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड दिया जावेगा या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या० म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है। (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं हो सक्ता।

ऊपरकी दफोंका हिंदुस्थानकी जहाजी नौकरी से सम्बध रखना.

(१३८) (अ) इस अध्यायकी ऊपर लिखी हुई दफाये इस प्रकारपर सम्बध रक्खेंगी कि मानो हिन्दुस्थानी सरकारकी जहाजी नौकरी श्रीमती महारानीकी जहाजी सेनामे संयुक्त है—(यह दफा ऐक्ट १४ सन् १८८७ ई० के अनुसार वढाई गई है)

जो मनुष्य आरटिकल्स आफ वारके अधिकारमें है वो इस संग्रहके अनुसार दंड योग्य नहीहै.

(१३९) जब कोई मनुष्य किसी ऐसे कानूनके अधीन होवे जो आरटिकल्स आफ वार कहलाता है और श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाजी सेना या उपरोक्त सेनाके किसी टुकडेके लिये नियत (मुकर्रर) हैं तो वह मनुष्य उन अपराधोंमेसे किसी अपराधके वदलेमें कि जिनका वर्णन इस अध्यायमे किया गया है, इस संग्रहके अनुसार दंड योग्य न होगा।

सिपाहीके लिबास (वर्दी) का पहिनना.

(१४०) यदि कोई मनुष्य जो श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाजी सेनाका सिपाही न हो कोई ऐसा लिबास (वर्दी) पहिने या ऐसा चिह्न (निशान) धारण करे जिसको वह सिपाही वर्त्तता (इस्तेमाल) है इस अभिप्रायसे कि वह ऐसा सिपाही समझा जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जिसकी तादाद ५००) पांचसौ रुपयातक होसकती है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता।

अध्याय आठवाँ ८.

सर्व सम्बन्धी कुशलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें।

(१४१) पांच या अधिक मनुष्योंका प्रत्येक जमाव कानून विरुद्ध जमाव कहलावेगा

कानूनविरुद्ध जमाव.

जब कि उन मनुष्योंका, जिनसे वह जमाव बना है, यह अभिप्राय होवे—

पहले—हिंदुस्थानके लेजिस्लेटिव (कानून बनानेवाली) या इक्जेकिटियू (कारव्यवहार करनेवाली) गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडसीकी गवर्नमेंट या किसी लफ्टेन्ट गवर्नर या किसी सरकारी नौकरको जब कि वह अपनी नौकरीका अधिकार नीतिपूर्वक वर्त्त रहा हो, अपराध संयुक्त बलके द्वारा या अपराध संयुक्त बल (जब्रमुजरिमाना) दिखाकर डराना या—

दूसरे—रोकना किसी कानूनके प्रचारका; या कानूनानुसार आज्ञापत्रका; या—

तीसरे—हानि पहुँचाना या मदाखलत वेजा (अनीतिसे किसीपर अधिकार करना) अथवा किसी और दूसरे अपराधका करना या—

चौथे—अपराध संयुक्त बलके द्वारा या किसी और अपराध सयुक्त बलको दिखाकर किसी मनुष्यसे कोई माल लेना या उसपर अधिकार करना—या किसी मनुष्यको किसी मार्ग अथवा जलाशयका अधिकार भोगनेसे रहित करना या और किसी अमूर्त्ति (गैरमादी) अधिकारके लाभसे जिसको वह भोग रहा हो रहित करना या किसी अधिकार अथवा कल्पित अधिकार (इस्तेहकाकख्याली) को काममे लाना; या—

पांचवें—अपराध सयुक्त बलके द्वारा या अपराध सयुक्त बल दिखाकर किसी मनुष्यको विवश करना, उस कामके करनेमे जिसका करना उसपर कानूनानुसार उचित न हो या ऐसे कामके करनेमे चुकानेके लिये जिसके करनेका वह कानूनानुसार अधिकारी है ।

स्पष्टीकरण—सम्भव है कि कोई जमाव जो जमा होनेके समय कानूनके विरुद्ध न था जमाव होनेके पश्चात् कानूनके विरुद्ध हो जावे (दफा ४० को देखो)

१—किसी मनुष्यके सम्बन्धमे, कानूनविरुद्ध जमावमें सयुक्त होना या रहना इस अवस्थामें नही कहा जासकता कि जब साक्षी (गवाही) से यह प्रमाणित हो कि वह उस स्थानपर जहां कानूनविरुद्ध जमावके मनुष्य इकट्ठा थे अपने मालको हानिसे बचानेके लिये गया था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १९ सफा ६६)

२—यदि कानूनविरुद्ध जमावका कोई मनुष्य किसी अन्याय (जब) को करे तो उसके उस कामसें बलवेका अपराध उत्पन्न होगा, चाहे वह अन्याय कैसाही तुच्छ क्यो न हो—जब पांच या अधिक मनुष्योका अभिप्राय दफा १४१ मे कहे हुए किसी अभिप्रायसे अन्तर्गत हो तो उनका जमाव कानूनविरुद्ध जमाव कहलावेगा चाहे वह अभिप्राय उनके दिलमे जमा होनेके समय उत्पन्न हुआ हो चाहे पीछेसे (पंजाब रिकार्ड नं० ३४ सन् १८६८ ई०)

३—कानूनविरुद्ध जमावमें संयुक्त होना उस अवस्थामें दंड योग्य न होगा जहां दोनों ओर वालों (फरीकैन) की इच्छा किसी अधिकार या कल्पित अधिकारको काममें लानेकी न हो बरन् किसी अधिकारको विना रोक टोक स्थिर (कायम) रखनेकी हो जिसे वे उस समय वर्त्त रहे थे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २३ सफा २५)

किसी अनीति जमावमें साझी (शरीक) होना

(१४२) जो कोई मनुष्य उन बातोंको जानकर जिनके कारणसे कोई जमावकानून-विरुद्ध जमाव कहलाता है स्वयं उस जमावमें साझी होजावे या उनमें बनारहे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्य कानूनविरुद्ध जमावका साझीदार है।

दंड (सजा)

(१४३) प्रत्येक मनुष्यको जो कानूनविरुद्ध जमावका साझी हो दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलिस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसक्ती है (५) राजीनामा नहीं होसकता।

कुछ मनुष्योंकी तजवीज (विचार) के समय कि जिनपर कानूनविरुद्ध जमावका अपराध लगाया गया था, यह प्रमाणित किया गया कि कुछ धरतीके अधिकारके सम्बन्धमें अपराधी और कुछ दूसरे मनुष्योंमें बहुत समयसे झगडा चला आता है—दोनों ओरके जमावोंमेंसे किसी भी जमावका अधिकार विना रोक टोकके कभी भी नहीं रहा—अपराधी उस धरतीमें नील बोनेके लिये बहुतसे मनुष्योंका झुंड लेकर गये कि जिनके पास लाठियां थीं और वे आवश्यकताके कारण जबर्दस्ती करनेपर भी तैयार थे और लाठीवालोंने जब कि वह धरती बोई जाती थी दूसरे जमाववालोंको अपने हथियार घुमानेके द्वारा दूर रक्खा—हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि, दफा १४३ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार अपराधियोंपर कानूनविरुद्ध जमावमें साझी होनेका अपराध भलीप्रकारसे प्रमाणित है। (इं० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ९ सफा ६३९)

किसी गावमें उत्पाती मनुष्योंके दो जमाव थे, उनमेंसे एक जमाववालेने दूसरेको, एक ऐसी खाली जगह परसें जलसेके साथ जानेको मना किया, जो उस गावकी आम (सर्व साधारण) सडक पर है पोलीसने उनको अलग होनेका हुक्म दिया—परन्तु वह आज्ञा नहीं मानी गयी, इस लिये पोलीसने दूसरे उत्पाती जमावसे जल्सा छोड़देनेको कहा—तजवीज हुई कि वह मनुष्य जो अलग होजानेका हुक्म देनेपर अलग नहीं हुए कानूनविरुद्ध जमावमें साझी होनेके अपराधी थे। (इं. ला. रि मदरास जिल्द १४ सफा १२६)

(१४४) कोई मनुष्य जो किसी मृत्युकारक हथियार या किसी ऐसी वस्तुको जिसको मारनेके हथियारकी भाँति वर्त्ते जानेसे मृत्युका होना अति सम्भवित हो, बांधकर किसी कानूनविरुद्ध जमावका साझी होगा तो उपरोक्त मनुष्योको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

किसी कानूनविरुद्ध जमावमे मृत्युकारक हथियारके साथ साझी होना.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारण्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

यदि यह बात प्रमाणित हो कि अपराधी जमावमे साझी होनेके अतिरिक्त कानूनविरुद्ध एक बन्दूक या कोई और हथियार ऐसा रखता था जिसको यदि वर्ताजावे तो उससे मृत्यु होसके इसलिये ऐसी अवस्थामे अपराधी दफा १४४ दंडसग्रह हिन्दके अनुसार दंडके योग्य होगा ।

(१४५) जो कोई मनुष्य किसी कानूनविरुद्ध जमावमे दाखिल होवे (प्रवेश करे) या दाखिल रहे, यह जानकर कि उस कानूनविरुद्ध जमावको कानूनके ठहराये हुए नियमोके अनुसार अलग २ (मुतफर्रिक) होनेकी आज्ञा हो चुकी है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनोही दंड दिये जावेगें ।

यह बात जानकर भी कि किसी अनीति जमाव के अलग २ होनेकी आज्ञा होचुकी है उसमे मिलना या बनारहना.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधीके जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

(१४६) जब किसी कानूनविरुद्ध जमाव या उसके किसी साझीकी ओरसे उपरोक्त जमावके साझियोंका अभिप्राय प्राप्त करनेमे अन्याय (जब्र) या कड़ाई (सख्ती) का वर्त्ताव किया जावे तो उस जमावका प्रत्येक मनुष्य बलवा करनेका अपराधी होगा ।

बलवा.

१—एक जमीदारने अपने असामीको ऐक्ट वसूली लगान मंदरासके अनुसार पट्टा दिया था, जमींदारने लगान न पटने पर पोलीसकी सहायतासे उसके चौपाये कुर्क कर लिये उपरोक्त असामीने ग्यारह मनुष्योकी सहायतासे उस कुर्कीको रोका और इसलिये उनपर बलवेका अपराध लगाया गया हाईकोर्टके विचारमे अपराधीका दंड बलवेके अपराधमे सही पायागया—(इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा १४८)

२—कानूनविरुद्ध जमावका, कि जिसके कुछ साझियोने किसी मनुष्यको भारी दुःख पहुचाया था, कोई साझी उचित रीतिपर बलवेके अपराध और भारी दुःख पहुचानेके अपराधका दंड नहीं पासकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा २९)

(१४७) जो कोई मनुष्य बलवा करनेका अपराधी हो उसे दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दण्ड दिये जावेंगे ।

बलवेका दंड

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारट अपराधीके नामजारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—कुछ मनुष्योंने परस्परकी शत्रुताके कारण एकसाथ उपद्रव किया जिसका फल यह हुवा कि एक मनुष्यको भारी चोट लगी और वह उसके कारण मरगया—तजवीज हुई कि जो कि कोई जमाव कानूनविरुद्ध न था इसलिये बलवेका अपराध प्रमाणित नहीं होसकता—अपराधी पर उपद्रव (हंगामे) का अपराध ठहराना था और अदालतने इस बात पर कि इन अपराधियोंमेंसे कौन मनुष्य मानवत् घातका अपराधी हुवा या विचार नहीं किया । (वी० रि० जिल्द १४ सफा ७२)

२–दो जमावोंको बलवाले अपराधमें दंड हुवा, एक जमावमें पाच मनुष्योंसे कम न थे और उनके सम्बन्धमें यह मालूम हुवा कि वे लड़ाईके समय इकट्ठा हुए थे और वह और उनके शत्रु लाठियां बांधकर लड़नेके लिये आये थे—तजवीज हुई कि उनको बलवेका दंड देना उचित था क्योंकि उन सबका अभिप्राय अपने शत्रुओं पर आक्रमण करनेका था—दूसरे जमावमें केवल चार मनुष्य थे और यह बात मालूम नहीं कि वे सब पहिले जमावके मनुष्योंके साथ क्या अभिप्राय रखते थे और लड़ाई भी किसी सर्व साधारण स्थानपर नहीं हुई थी इसलिये दूसरे जमावको बलवेके अपराधमें दंड देना अनुचित है और तजवीज हुई कि लड़ाई किसी सर्व साधारण (नियत) स्थानपर होती तो यह समझा जासकता था कि दोनों जमावोंका यह अभिप्राय था परस्पर उपद्रव (हंगामालड़ाई) किया जावेगा (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ५ सफा २०८)

(१४८) कोई मनुष्य जो मृत्युकारक हथियार या ऐसी वस्तुको लेकर कि यदि उसको हथियारकी भाँति काममें लाए तो उससे मृत्यु होना सम्भवित है बलवा करनेका अपराधी हो तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

मृत्युकारक हथियारके साथ बलवा करना.

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या म० अ० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

यह बात आई कि " लाठी " दफा १४८ दंडसंग्रह हिंदके अभिप्रायसे मृत्युकारक हथियार है या नहीं—यह एक बात है कि जिसका (निश्चय) मुकद्दमेकी विशेष अवस्था पर होना चाहिये (इं० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा १९)

कुछ मनुष्योंने कैदियोंपर इस अभिप्रायसे आक्रमण किया कि उनकी फसल (खेत) काटलेवे कैदियोंने उनका सामना किया और पुलीसको सूचना देनेका अवसर न पाकर बांससे उन आक्रमण करने वालेके एक मनुष्यको चोट पहुचाई जिसके कारण वह मरगया, सेशन जजने कैदियोंको दफा १४८ व १४९ के अपराधमे दंड किया और हाईकोर्टकी तजवीज हुई कि कैदियोंने जो उनका सामना किया था और जो चोट आक्रमण करने वालोंको पहुँचाई थी वह उनके निज-रक्षाके अधिकारके वर्त्तावसे बाहर न था इसलिये कैदी छोडे गये। (बंगाल ला० रि० जिल्द ६ सफा ९)

(१४९) यदि कानूनविरुद्ध जमावके किसी साझीकी ओरसे उस जमावका अभिप्राय प्राप्त करनेमे कोई अपराध हो या कोई ऐसा अपराध हो जिसको उस जमावके साझी जानते हों कि उस अभिप्रायके प्राप्त करनेमें उसका (अपराध) होना सम्भवहै तो प्रत्येक मनुष्य जो उस अपराधके समय उस जमावका साझी है उपरोक्त अपराधका अपराधी है।

कानूनविरुद्ध जमावका प्रत्येक साझी उस अपराधका अपराधी गिना जायगा जो सब साझियोंका अभिप्राय प्राप्त होनेके लिये किया जाय.

१—एक जमावके बहुतसे मनुष्योंने दूसरे जमावके मनुष्योंकी राह रोकी जिसका फल यह हुवा कि परस्पर लडाई होने लगी—पहिले जमावका एक मनुष्य घायल होकर सडकके एक किनारे पर होगया और फिर उस लडाई मे साझी न हुआ, उसके अलग हो जानेके पश्चात् दूसरे जमावका एक मनुष्य मारा गया—तजवीज हुई कि उस घायल मनुष्यका उसके अलग होनेके पश्चात् कानूनविरुद्ध जमाव मे रहना नहीं ठहरता, और उसके ऊपर दफा १४९ के अनुसार वधका अपराध नहीं ठहर सकता (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफा १)

२—कुछ मनुष्य जो कानूनविरुद्ध जमावमे साझी थे (अ) को ले भागनेके अभिप्रायसे निकले और उनमेंसे एक मनुष्यने उपरोक्त अपराधके उद्योगमे (व) को मारडाला, तजवीज हुई कि सब मनुष्य जो ले भागनेके समय उस अपराधके उद्योगमे सम्बन्ध रखते थे, (व) के मारे जानेके कारण दण्डसंग्रह हिंदकी दफा १४९ के अनुसार अपराधी थे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १३ सफा ३३

३—जब कुछ मनुष्योंमेसे प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्यके मारनेमे साझी हुआ, यहां तक कि उस मनुष्यकी आठपसलिया टूट गईं और वह मरगया तो तजवीज हुई कि प्रत्येक मनुष्य ज्ञातघातका अपराधी हुआ था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा ५)

(१५०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी कानूनविरुद्ध जमावमें मिलने या साझी होनेके अभिप्रायसे नौकरीपर या उजरत (रोजनदारी) पर रक्खेगा या कामपर लगावेगा या उसे उजरतपर या नौकरीपर रखने या कामपर लगानेमे सहायता या सम्मति देगा तो वह मनुष्य उस कानूनविरुद्ध जमावके साझियोंकी भांति दण्ड पाने योग्य है और किसी ऐसे अपराधके मध्ये जो उस

किसी कानूनविरुद्ध जमावमे मनुष्योंको नौकर रखना या उन्हे रखनेके लिये सलाह करना.

मनुष्यकी ओरसे उस कानूनविरुद्ध जमावके अनुसार उस नौकर रक्खे जाने या उजरत पाने या कामपर लगाये जानेके किया जावे तो उसका दंड उसीप्रकार होगा कि मानो वह स्वयं उस कानूनविरुद्ध जमावमे साझी था या कि स्वयं उसीने वैसा अपराध किया।

टीप-(१) इस दफाके अनुसार अपराधका विचार वही अदालत करेगी जो किये हुए अपराधका विचार करसक्ती है।

काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है।

(२) अपराधके लक्षणोंके अनुसार वारट या समन अपराधीके नाम जारी होगा।

(३) अपराधके लक्षणोंके अनुसार जमानतका होना न होना ठहराया है।

(४) (५) राजीनामा नहीं होसकता है।

पाच या अधिक मनुष्यो-को किसी जमावमे उसके अलग होजानेकी आज्ञा होनेके पश्चात् साझी होना या रहना.

(१५१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर पाच या अधिक मनुष्योंके किसी ऐसे जमावमे, जिससे सर्वसाधारणकी कुशलतामे विघ्न पडना सभव है, पश्चात् इसके कि उपरोक्त जमावको कानूनानुसार अलग २ होजानेकी आज्ञा होचुकी हो साझी हो या साझी रहे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

स्पष्टीकरण—यदि वह जमाव दफा १४१ के अभिप्रायानुसार (हस्बमशाय) कानूनविरुद्ध जमाव हो तो वह अपराधी दफा १४५ के अनुसार दंड पावेगा।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

जब तीन मनुष्योका अभिप्राय केवल एक भीड इकट्ठा करनेका था और उन्होने ऐसे काम किये जिनके कारण पचास साठ मनुष्योका जमाव होगया और इस जमावसे सर्व साधारणकी कुशलतामे विघ्न पहुँचना सभव था—तजवीज हाईकोर्ट हुई कि उस जमावका इस प्रकारपर इकट्ठा होना दंडसग्रह हिंदकी दफा १५१ के अभिप्रायसे पांच या अधिक मनुष्योंके जमावमे गिना जायगा - और जब कि उन मनुष्योंको अलग होजानेकी उचित आज्ञा दीगई और उन्होने अलग होनेसे नाहीं की तो ऐसी अवस्थामे उन सबका दंड इस दफाके अनुसार होसकता है। (इ० ला० रि० बंबई जिल्द ७ सफा ४२)

(१५२) जब कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकर पर उस समय, आक्रमण करे या आक्रमण करनेकी धमकी दे या उसके साथ रोक टोक करे या रोक टोक करनेका उद्योग करे जब कि वह किसी कानूनविरुद्ध जमावको अलग करने या किसी बलवे या हंगामेको बंद करनेमें उस सरकारी नौकरीके कारण अपनी नौकरीका काम कर रहा हो, या ऐसे नौकर-पर अपराध संयुक्त बल करे या बलकरनेकी धमकी दे या अपराध संयुक्त बल करनेका उद्योग करें, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

किसी सरकारी नौकर पर उस समय आक्रमण करना या उसको रोकना जब कि वह बलवे आदि-को शांतकर रहा हो।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या० म० अ० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(१५३) जब कोई मनुष्य दुर्भावसे या विना किसी बात, किसी ऐसे कामको करके जो कानूनविरुद्ध है, किसी मनुष्यके दिलको क्रोध दिलावे इस अभिप्रायसे या इस बातको संभवित जानकर कि उस क्रोधके कारण बलवेका अपराध होवे, तो यदि उस क्रोधके कारण बलवेका अपराध किया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेंगे और यदि बलवेका अपराध न किया जावे तो दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

बलवा करानेके अभिप्रायसे किसीके दिलको बिना बात क्रोध करानेका काम करना।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) यदि बलवेका अपराध होजावे तो वारंट या बलवेका अपराध न होवे तो केवल समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

माह अगस्त सन् १८९३ ई० में बंबईमें हिंदू और मुसलमानोंके मध्य बलवा हुवा और उस समय कि बलवेका आवेश (जोश) बिल्कुल बंद नहीं होगया था, अपराधीने एक काव्य बनाकर छपवाया जिसमें बलवाका वर्णन लिखा था और हिन्दू लोगोंकी किसी २ कौम अर्थात् घाटियों और कमाठियोंकी, जिन्होंने मुसलमानोंके साथ बलवा करते समय बहादुरी दिखाई थी, तारीफ लिखी थी—उपरोक्त काव्यमें पहिले तो घाटियो और कमाठियोंकी तारीफ थी फिर उसमें नीचे लिखे अनुसार शेर थे:—

शेर--इलाही बख्शो तुमको इज्जतो जाह, खुशी हासिल हो तुमको हस्ब दिलख्वाह।
लडो फिर मुल्ककी हालत हो बेहतर, कमाठी लोग हैं अजबस दिलवर।
डरो मत मौतसे ऐ मेरे भाई, नहीं बचता कोई जब मौत आई।

ऊपरके काव्य गुजराती भाषामें लिखे थे जो घाटिये और कमाठी वरन् मुसलमान् भी भली प्रकारसे नही बोलते थे,--यह प्रगट नही हुवा कि यह काव्य उन मनुष्योको बाटा गया जो बलवेमें शामिल हुए थे और न उस कितावके छपने बाद कुछ नया बलवा हुआ--अपराधियोपर फौजदारीका अभियोग चलायागया और उनपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा ११७ व १५३ इसकारणसे लगाई गई कि ऊपर लिखे पदसे विशेष कर " लडो फिर " के शब्दसे घाटियों और कमाठियोको बलवेके लिये, बहॅकाया गया है कि वे नया झगडा उत्पन्न करें--तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि जिस इबारतके मध्ये एतराज (तर्क) किया गया है उसका अभिप्राय कुल काव्यसे निकालना चाहिये, उपरोक्त काव्यका अभिप्राय यह है कि आपसमें मेल व सम्मति होवे और उसमे आदिसे अततक बलवा व हानि व प्राणोके नाशहोनेका रज प्रगट किया गया है और हिन्दू मुसलमान दोनोको मेल व सम्मति करनेकी सलाह (परामर्श) दीगई है, और कोई बात उसमे ऐसी नहीं है जिससे यह मालूम होता हो कि काव्य बनानेवालेका यह अभिप्राय था कि हिन्दू और मुसलमान फिरसे बलवा करें, इसमे सदेह नहीं कि " लडो फिर " का शब्द एतराजके लायक है परन्तु इस शब्दका यह सही अर्थ नहीं है कि उसके अर्थको कितावके कुल लेख (मजमून) से बढादिया जावे (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफा ७५८)

(१५३ (अ) जो मनुष्य उन शब्दोंद्वारा कि जो बोले गये या लिखे गये हो या चिह्नोद्वारा या ऑखसे दिखाने-योग्य बनाई हुई नकलके द्वारा या और प्रकार पर शत्रुता या घृणाके विचार श्रीमती महारानीकी प्रजाके अलग २ जमावोमे बढावे या बढानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो सालतक होसकती है या जुर्मानेका दड या दोनों दंड दिये जावेगे।

जमावोमें शत्रुताका बटाना.

स्पष्टीकरण--इस दफाके अभिप्रायके अनुसार विना शत्रुताकी इच्छाके बरन-उनको दूर करनेके सच्चे अभिप्रायके साथ उन कामोंका, जो विचार शत्रुता या घृणाको श्रीमती महारानीके अलग २ जमावोमें उत्पन्न करते हैं या उनसे उत्पन्न होनेका अभिप्राय पाया जाता है, प्रगट करना किसी अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता।

टीप (१) प्रे० म० या० म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नही होसकता।

मालिक या काबिज धरतीका जिसपर कानूनविरुद्ध जमाव जुडे.

(१५४) जब कभी कोई जमाव कानूनविरुद्ध इकट्ठा हो या बलवा होजाय तो उस धरतीका स्वामी या अधिकारी जहां वह जमाव कानूनविरुद्ध इकट्ठा हुआ है, या वह बलवा हुवा है और भी ऐसा कोई मनुष्य जो वैसी धरतीमे अधिकार रखता हो या उस धरतीमें अधिकारका दावा रखता हो ऐसे जुर्मानेका देनदार होगा जिसकी तादाद एक हजार रुपयेसे अधिक न हो परन्तु शर्त्त (नियम) यह है कि उपरोक्त मनुष्य या उसका कारिन्दा या प्रबंधकर्त्ता (मुंतजिम) यह जानकर कि उपरोक्त अपराध हो रहा है, या होचुका निश्चय करनेका कारण रखकर कि उपरोक्त अपराधका होना संभवित है उस अधिकारी (अफ्सर) को जो सबसे निकटके थाना पोलीसमें है इस बातकी सूचना जहांतक उसके वशमे हो शीघ्र न करे और जब वह या वे निश्चय करनेका कारण रखता हो या रखते हों कि उपरोक्त अपराध शीघ्रही होनेवाला है वे सब उचित यत्न जो उसके या उनके वशमें हों उपरोक्त अपराधके रोकनेके लिये काममे न लाये या न लाये और अपराधके होजानेपर उस कानूनविरुद्ध जमावके अलग करने या उस बलवाको दवानेमे सब उचित यत्नोंका जो उसके या उनके वशमें हों वर्त्तावमें न लाये या न लाये ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) अपराध जमानती है (५) राजीनामा नही होसकता ।

किसी धरतीके स्वामीको, जहां पर कोई बलवा हुआ हो, फौजदारी अदालतमे अपराधी ठहरनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसे ऐसी घटना (वारदात) के होनेका हाल पहिलेसे मालूम होना चाहिये । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १२ सफा ५५०)

दड योग्य होना उस मनुष्यका जिसके लाभके लिये दंगा (बलवा) किया जाय.

(१५५) जब कभी कोई बलवा (दंगा) किसी ऐसे मनुष्यके लाभके लिये या उसकी ओरसे किया जाय जो किसी ऐसी धरतीका स्वामी या अधिकारी हो जिसके मध्ये वह बलवा हुवा था जो मनुष्य उस धरतीमें या झगडेके ऐसे काममे कि जिसके कारणसे बलवा हुवा है दावेका अधिकार रखता हो या जिसने उस धरती या उस कामसे कुछ लाभ स्वीकार किया या प्राप्त किया हो तो उपरोक्त मनुष्यको जुर्मानेका दड दिया जायगा; परंतु नियम यह है कि वह या उसका कारिन्दा या प्रबधकर्त्ता (मुन्तजिम) इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि उस बलवेका होना सम्भव था या यह कि उस कानूनविरुद्ध जमावके इकट्ठा होनेका भय था जिससे वह बलवा हुवा, वे सब उचित यत्न जो उसके या उनके वशमे हों उस इकट्ठा होते

हुए जमावके रोकने और उसको अलग २ करनेके लिये या उस होते हुए बलवेको रोकनेके लिये और उसके दवानेके लिये काममें न लाये या न लायें।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

ताजीरात हिंदकी दफा ५५ के अनुसार कोई जमीदार किसी ऐसे बलवेका जिम्मेदार न होगा जिसके होनेका पहिलेसे भय न हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ५४)

स्वामीका या अधिकारीका कि जिसके लिये कोई बलवा किया जावे, कारिंदाका जिम्मेदार होना.

(१५६) जब कभी कोई बलवा किसी ऐसे मनुष्यके लाभके लिये या उसकी ओरसे किया जावे जो किसी ऐसी धरतीका स्वामी या अधिकारी हो जिसके मध्ये वह बलवा (दंगा) हुवा, या जो मनुष्य, उस धरतीमें या किसी झगडेके काममे जिसके कारण बलवा हुवा किसी अधिकारका दावा रखता हो या जिसने उस धरती या कामसे कुछ लाभ स्वीकार किया या प्राप्त किया हो तो उपरोक्त मनुष्यके कारिन्दे या प्रबधकर्त्ताको जुर्मानेका दंड दिया जावेगा, परंतु नियम यह है कि ऐसा कारिन्दा या प्रबधकर्त्ता इस कामके निश्चय करनेका कारण रखकर, कि उस बलवेका होना सम्भवित था या उस कानूनविरुद्ध जमावके इकट्ठा होनेका भय था जिससे वह बलवा हुवा, वे सब उचित यत्न जो उसके वशमे हों उस बलवेके रोकने और उसको दवानेके लिये या उस इकट्ठा होते हुए जमावको रोकने और उसे अलग २ करनेके लिये काममे न लाये।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

कारखाना नीलके प्रबधकर्त्ता (मुतज़िम) को दंडसग्रह हिंदकी दफा १५६ के अनुसार दंड करनेके लिये योग्य साक्षियो (जायज शहादत) द्वारा यह प्रमाणित करना चाहिये कि:–(१) बलवा हुवा (२) यदि बलवा हुवा, तो वह अपराधीके लाभके लिये हुवा (३) अपराधीके यह जाननेका कारण था कि बलवा अवश्य होनेवाला है। (ई० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा ३३८)

उन मनुष्योंको जो किसी कानूनविरुद्ध जमावके लिये उजरतपर रक्खे गये हो छिपा रखना.

(१५७) जब कोई मनुष्य लोगोको किसी घर या घेरे (अहाते) मे जो उसके अधिकार या सिपुर्दगीमे हो छुपारक्खे या आने दे या इकट्ठा करे या वह जानकर कि वे लोग किसी कानूनविरुद्ध जमावमे भरती या साझी होनेके लिये उजरत पर रक्खे गये है या उनसे कुछ प्रतिज्ञा या काम लिया गया है या शीघ्रही वे उजरतपर रक्खे जॉयगे या उनसे कुछ प्रतिज्ञा या काम लिया जायगा

तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

किसी कानूनविरुद्ध जमावमें साझी होनेके लिये उजरतपर रक्खा जाना.

(१५८) जो मनुष्य उन कामोमेंसे जिनका वर्णन दफा १४१ में हुआहै किसी कामको करनेके लिये या उसके होनेमें सहायता करनेके लिये प्रतिज्ञा करने या उजरतपर रक्खे जानेको स्वीकार कराये या प्रतिज्ञा करने या उजरतपर रक्खे जानेको कहे या उसका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसीप्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेगे और वह मनुष्य जिससे प्रतिज्ञा लीगई हो या जो उपरोक्त उजरतकी भाँति रक्खा गया हो किसी मृत्युकारक हथियार या किसी ऐसी वस्तुको जिसको यदि हथियारके समान वर्ते तो मृत्यु होना अति सम्भवितहै लेकर फिरे या लेकर फिरनेकी प्रतिज्ञा करे या लेकर

या हथियार बांधकर फिरना.

फिरनेको कहे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्ष तक होसकती है या जुर्मानेका दड या दोनोंही दंड दिये जावेगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा परन्तु यदि हथियार लिये फिरे तो वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

हंगामा (लड़ाई. खानेजंगी)

(१५९) जब दो या अधिक मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी मार्गके स्थानपर लडकर सर्व सम्बधी कुशलतामें विघ्नडालेगे तो कहा जायगा कि उन्होंने हगामा किया ।

हंगामेका दड.

(१६०) जब कोई मनुष्य हंगामा करेगा तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जिसकी तादाद (१००)-एक सौ रुपयेतक होसकती है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय नवाँ ९.

उन अपराधोंके सम्बन्धमें जो सरकारी नौकरोंकी ओरसे किये जावें या उनसे सम्बन्ध रक्खें।

सर्व सम्बन्धी नौकर जो अपने ओहदेके किसी काम के मध्ये सिवाय कानूनानुसार चाकरी (उजरत) के कुछ घूसकी भांति ले.

(१६१) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है या जो सरकारी नौकरीकी आशा रखता (उम्मेदवार) हो, किसी सरकारी कामके करने या उससे बाज (पृथक्) रहनेके लिये या अपने सरकारी कामके वर्त्तनेमे किसी मनुष्यका पक्षपात करने या उस मनुष्यके विरुद्ध होनें या उससे बाज रहनेके लिये या हिन्दुस्थानकी लेजिस्लेटिव (कानूनकारक) या इकजेक्यूटिव गवर्नमेंट (कानून प्रवर्त्तक) या किसी प्रसीडेंसीकी गवर्नमेट या किसी लेफ्टनेन्ट गवर्नर या किसी सरकारी नौकरके सामने, किसी मनुष्यके साथ भलाई बुराई करनेके लिये, या उसका उद्योग करनेके लिये, किसी मनुष्यसे, चाहे अपनेही लिये या किसी दूसरे मनुष्यके लिये उचित उजरतके सिवाय और कुछ घूस लालच या इनामकी भाँति स्वीकार करे या प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन सालतक होसकती है. या जुर्मानेका दंड या दोन्में दंड दिये जावेंगे।

स्पष्टीकरण—"सरकारी नौकर होनेकी आशा रखना" यदि कोई मनुष्य जिसको सरकारी नौकरीकी आशा न हो, धोखा देकर औरोंको यह विश्वास दिलावे कि मैं सरकारी नौकर होनेवाला हू और तब तुम्हारे काम आऊगा और इस यत्नसे कुछ घूस लेवे तो ऐसी अवस्थामें वह मनुष्य ठगनेका अपराधी होसकेगा परंतु उस अपराधका अपराधी न होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

"घूस"—घूसके शब्दसे केवल ऐसीही घूंसका अभिप्राय नहीं है जो रुपयेसे सम्बन्ध रक्खे या जिसकी कूंत (अदाज) रुपयेमें होसके।

"कानूनानुसार उजरत" कानूनानुसार उजरतके, शब्दोंमें केवल उसी उजरतका अभिप्राय नहीं है जिसको कोई सरकारी नौकर उचित रीतिपर लेसके, वरन उसमें कुछ ऐसी उजरत (चाकरी) शामिल है जिसके स्वीकार करनेकी आज्ञा उसको गवर्नमेंटकी ओरसे मिलचुकी हो कि जिसकी वह नौकरी करताहो।

"कुछ करनेके लिये लालच या इनाम"—इन शब्दोमे वह मनुष्य भी गिना जायगा जो कुछ घूस किसी ऐसे कामके करनेके लिये, जिसका करना उसकी इच्छा (नीयत) में न हो लालचकी भाँति या कोई काम करनेके लिये जो उसने न किया हो इनामकी भाँति स्वीकार करे।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर एक मुसिफने एक साहूकार रमाशंकरसे अपने भाईके लिये रमाशंकरकी कोठीमे एक नौकरी रमाशंकरकी जीतमे एक मुकद्दमा फैसलकर देनेके बदले प्राप्त की तो शिवशंकरने वह अपराध किया कि जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है।

(ख) शिवशंकरने जो किसी आज्ञाकारी गवर्नमेंटके दरबार–रियासतमे रजीडेंटका ओहदा रखता है उस दरबारके दीवानसे एक लाख रुपया लेना स्वीकार किया—यह प्रगट नहीं है कि शिवशंकरने यह रुपया, अपने ओहदेका कोई विशेप काम करनेके लिये या रोकनेके लिये या सरकार अंगरेजीमे उस दरबारका कोई विशेष अभिप्राय निकालने या किसी विशेष अभिप्रायके निकालनेका उद्योग करनेके लिये इनाम या लालचकी भाँति स्वीकार किया, परन्तु यह प्रगट होता है कि यह रुपया शिवशंकरने अपने ओहदेका अधिकार वर्त्तनेमे साधारणतः उस दरबारका पक्षपात करनेके लिये लालच या इनामकी भाँति स्वीकार किया तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है।

(ग) एक सरकारी नौकर शिवशंकरने रमाशंकरको इस झूठी बातके मान लेनेका धोखा-दिया कि शिवशंकरकी सिफारिशके कारण रमाशंकरको सरकारसे एक खिताब मिला है, इस प्रकार पर फुसलानेके कारण रमाशंकरने शिवशंकरको कुछ रुपया इनामकी भाँति इस कामके बनादेनेके बदलेमें दिया—तो शिवशंकरने वह अपराध किया कि जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है।

टीप–(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या० अ० (२) पोलीस बिना वारंट अपराधीको नहीं पकड़सकती (३) समन अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) काबिल जमानत है (५) राजीनामा नहीं होसकता।

१—अपराधी मालके महकमेका एक मजकूरी था, उसको फीसमेंसे तनख्वाह मिलती थी, ऐसे मजकूरी आवश्यकताके समय रख लिये जाते हैं, परन्तु जब कोई सरकारी काम उसके सिपुर्द किया जावे और उसकी तनख्वाह फीसमैसे दीजाती हो तो उसको सरकारी नौकर कहा जावेगा, ऐसी अवस्थामे यदि वह घूंस लेवे तो उसका दंड इस दफाके अनुसार होसकता है (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ४४६)

२—एक डिप्टी इन्सपेक्टर पोलीसने ३५) रु० पेश किया जो उसे अपराधीने घूंसकी भाँति दिया था—साहेब मजिस्ट्रेटने अपराधीपर अपराध प्रमाणित कर उनमेंसे १०) रु. इनामकी भांति डिप्टी इन्सपेक्टरको दिया—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि मजिस्ट्रेटका हुक्म मजमूआजाब्ता फौजदारीकी दफा ४१८ के अनुसार उचित है (पंजाब रिकार्ड नं० ९ सन् १८७३ ई०)

३—कोर्ट आफ वार्डसका प्रबन्धकर्ता एक वक्तमें जो सरकारी खजानेका काम करता था, सरकारकी ओरसे रुपया दाखिल किया करता था उस वक्तके खजानचीने अपनी मिहनतके कारण कुछ इनाम लिया—तजवीज हुई कि जिमन ९ दफा २१ व दफा १६१ दंडसग्रह. हिंदके अनुसार खजानची सरकारका नौकर नहीं है इसलिये वह कैदसे छोडागया (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ३७६)

लेना घूंसका किसी सरकारी नौकरको बुरे अथवा अनुचित उपायसे फुसलानेके निमित्त.

(१६२) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको बुरे या अनुचित उपायोंके द्वारा इस बातको फुसलानेके लिये कि वह सरकारी नौकर कोई सरकारी काम करे या उसको न करे या सरकारी नौकरीके कारण अपने ओहदेके अनुसार किसी मनुष्यका पक्षपात करे या उसके विरुद्ध हो या हिंदुस्यानकी लेजिस्लेटिव या इक्जेक्यूटिव गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडसीकी गवर्नमेंट या किसी लेफ्टनन्ट गवर्नर या इलाहाबाद यूनीवरसिटीकी सीनेटके किसी मेंबर या किसी सरकारी नौकरके सामने किसी मनुष्यके साथ भलाई या बुराई करे या उसका उद्योग करे या किसी मनुष्यसे किसी प्रकारकी घूस इनामकी माति या फुसलानेके कारण अपने लिये या और किसी मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या प्राप्त करनेपर राजी हो या प्राप्त करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

सरकारी नौकरके साथ जाती दवाव डालनेके लिये कुछ घूस लेना.

(१६३) जब कोई मनुष्य अपनी निजी अनुरोध (जाती रुसूख) के काममें लानेसे किसी सरकारी नौकरको इस बातके फुसलानेके लिये कि वह कोई सरकारी काम करे या न करे या अपने ओहदेका काम करते समय सरकारी कामके वर्तनेमे किसी मनुष्यका पक्षपात करे या उसके विरुद्ध हो या हिंदुस्यानकी लेजिस्लेटिव या इक्जेक्यूटिव गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडसीकी गवर्नमेंट या किसी लेफ्टनन्ट गवर्नर या सरकारी नौकरीके ओहदेसें किसी सरकारी नौकरके सामने किसी मनुष्यके साथ भलाई या बुराई करनेके लिये या उसका उद्योग करनेके लिये किसी मनुष्यसे कुछ घूस इनामकी माति या फुसलानेके कारण अपने लिये या किसी और

मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या स्वीकार करनेपर राजी हो या प्राप्त करनेमें उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दड दिये जावेगे।

उदाहरण।

कोई वकील जो किसी जजके इजलासमे किसी मुकद्दमेके सम्बन्धमे प्रश्नोत्तर करनेके लिये मेहनताना ले–कोई मनुष्य जो किसी ऐसी अरजीको जिसमे अरजी देनेवालेकी कारगुजारी या अधिकार लिखकर गवर्नमेंटको दिया जायगा लिखे, या उसमे सम्मति दे–कोई अपराधी जिसको दंडकी आज्ञा होचुकीहो उसका कोई मुखत्यार जो मुखत्यारनामा लेकर काम करता है और जो गवर्नमेंटके सामने इस आशयके बयान करे कि दंडकी आज्ञामें अन्याय हुवा है, ये सब लोग इस दफामें न गिने जांयगे क्योंकि वे न तो अपनी निजी सिफारिशको काममें लाते हैं और न उसे काममे लानेको कहते हैं।

टीप–(१) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

उस सहायताका दंड जो सरकारी नौकर उन अपराधोमे करे जिनका वर्णन ऊपर कियागया है.

(१६४) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है, और उन अपराधोमेसे जिनका वर्णन इसके पहिलेकी दो पिछली दफाओमे कियागया है, कोई अपराध किया जावे और वह उस अपराधमें सहायता करे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्मानेका दड या दोनो दड दिये जावेगे।

उदाहरण।

शिवशंकर एक सरकारी नौकर है, उसकी स्त्री हरदेवीने शिवशंकरसे किसी मनुष्यको नौकरी दिलवानेकी प्रार्थना करनेके लिये कहकर लालचकी भांति उस मनुष्यसे कुछ भेट लेली और यदि शिवशंकर ऐसा करनेमे सहायता करे तो हरदेवी कैदका दड पावेगी जिसकी मीआद एक वर्षसे अधिक न हो या जुर्मानेका दड या दोनों दंड दिये जावेंगे–और शिवशंकर कैदका दड पावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दड या दोनो दड पावेगा।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

सर्व सम्बन्धी नौकर जो कुछ मोलदार वस्तु विना बदला दिये किसी मनुष्यसे ले जिसका कुछ स्वार्थ उस सरकारी नौकरके किये हुए किसी मुकद्दमे या काममे हो.

(१६९) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है किसी ऐसे मनुष्यसे, जिसको उसकी जानकारीमें किसी ऐसे मुकद्दमे या मामलेसे सम्बन्ध था या सम्बन्ध है या सम्बन्धके होनेका सम्भव है जिसको उस सरकारी नौकरने किया हो या जिसको वह करनेवाला है या जो उस सरकारी नौकर या किसी और सरकारी नौकरके ओहदेसे सम्बन्ध रखता है जिसके कि वह अधीन है या किसी ऐसे मनुष्यसे जिसको वह सरकारी नौकर जानता है कि वह उस मनुष्यसे जिसको उपरोक्त सम्बन्ध है कुछ लगाव या रिश्ता रखता है कोई मूल्यवान् वस्तु विना बदला दिये या ऐसा बदला देनेपर जिसको वह सरकारी नौकर अयोग्य जानता हो अपने लिये या किसी दूसरे मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या स्वीकार करनेपर राजी हो या प्राप्त करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

(क)—शिवशंकर किसी कलेक्टरने एक घर रमाशंकरका जिसका कोई मुकद्दमा बदोबस्ती उसके सामने दायर था, भाडेपर लिया और यह ठहराव हुवा कि शिवशंकर पचास रुपया महीना दिया करेगा—यद्यपि वह घर ऐसा है कि यदि शुद्धभावसे उसका ठहराव किया जाता तो शिवशंकरको दोसौ रुपया महीना देना पडता, तो ऐसी अवस्थामे कहा जावेगा कि शिवशंकरने विना पूरा बदला दिये रमाशंकरसे एक मूल्यवान् वस्तु प्राप्त की—

(ख)—शिवशंकरने, कि जो एक जज है रमाशंकरसे जिसका कोई मुकद्दमा शिवशंकर के यहा दायर है गवर्नमेंटका प्रामेसरी नोट जब कि वह उस समय बाजारमे बढतीपर विकते थे बट्टेसे मोल लिया तो शिवशंकरने मूल्यवान् वस्तु विना यथार्थ बदला दिये रमाशंकरसे प्राप्त की ।

(ग) शिवशंकरका भाई झूठी गवाही देनेके अपराधमे पकडा जाकर रमाशंकर नाम किसी मजिस्ट्रेटके सामने लायागया, रमाशंकरने शिवशंकरको किसी बंकके हिस्से फिरतेपर बेचे जब कि बाजारमें उन हिस्सोपर बट्टा लगता था और शिवशंकरने रमाशंकरको उसी अनुसार हिस्सोंका मूल्य चुकादिया तो जो रुपया रमाशंकरने इस भाति प्राप्त किया वह एक मूल्यवान् वस्तु है जो उसने विना देने यथार्थ बदलेके प्राप्त किया ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) आरंभमें अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—कामताप्रसाद एक अहलकार पोलीसने कुछ रुपया,—एक मनुष्यसे जिसके चोरी होगई थी औरचोरीके अपराधमे अपराधीको दंड हुआ था और रुपया उस मनुष्य (मुस्तगीस) को देदिया

गया था प्राप्त किया–तजवीज हुई कि वह दफा १६१ के अनुसार दंडके योग्य न था, वरन् दंडसंग्रह हिंदकी दफा १६५ के अनुसार दंडके योग्य था (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १ सफा ५३० श्रीमती महारानी बनाम कामताप्रसाद)

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे कानूनी आज्ञाका उल्लंघन (इनहराफ) करे.

(१६६) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है कानूनकी किसी आज्ञाका, जिसमे उसके लिये सरकारी नौकरीके भुगतानेका कर्तव्य (फर्ज) है जानबूझकर उलंघन करे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात जानकर कि उस उलंघनसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचेगी तो उसको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दड या दोनों दड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकर एक ओहदेदार है जिसको कानूनानुसार किसी डिगरीका रुपया वसूल करनेके लिये जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसने रमाशंकरके पक्षपातमे की है माल्कुर्क करनेकी आज्ञा है वह कानूनकी इस आज्ञाका जान बूझकर उल्लंघन करे इस बातको जानकर कि उस उल्लंघनसे रमाशंकरको हानि पहुँचेगी तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

टीप–(१) प्रे० मं० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे झूठा लेख (दस्तावेज) बनावे.

(१६७) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरीके कारण कोई लेख (दस्तावेज) बनाने या अनुवाद करनेका अधिकार प्राप्त है, इस प्रकारसे किसी दस्तावेजको बनावे या उसका अनुवाद करे जिसको वह झूठ जानता या झूठ निश्चय करताहो, इस अभिप्रायसे या इस बातका होना जानकर कि ऐसे वर्तावसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचेगी तो उसको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दड दिये जावेगे ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अपराधीने जो एक गाँवका पटवारी है अपने रोजनामचेके इवारतका एक झूठा उल्था तैयार करके एक दीवानी मुकद्दमे वादी (मुद्दई) को दिया–इस इवारतका अभिप्राय वादी व दूसरे मनुष्यके मध्यमें कुछ सम्बंध रखता था, अपराधीपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा १६७ का अपराध कायम करके उसी दफाके अनुसार दंड दिया गया–हाईकोर्टकी तजवीज यह हुई कि अपराधीको वहुत उचित दंड दिया गया है (पजाव रिकार्ड न० ३२ सन् १८७२ ई०)

(१६८) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरी करनेके कारण व्यापारसे सम्वन्ध न रखना कानूनानुसार उचित है, व्यापारसे सम्वन्ध रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे।

सरकारी नौकर जो कानूनकी आज्ञाके विरुद्ध व्यापारसे सम्वन्ध रक्खे.

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(१६९) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरी करनेके कारण किसी विशेष वस्तुको मोल न लेना या उसके लिये बोली न बोलना कानूनानुसार उचित है, उस वस्तुको अपने नामसे या किसी दूसरे मनुष्यके नामसे या दूसरोके सगमे या साझेमे मोल लेगा या उसके लिये बोली बोलेगा तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे और यदि वह वस्तु लीगई हो तो जब्त की जायगी।

सरकारी नौकर जो अनुचित रीतिपर कोई माल लेवे या उसके लिये बोली बोले.

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

एक सब इन्स्पेक्टर पोलीसपर एक टट्टूके मोललेनेका अपराध लगाया गया जो किसी काजीहौसमे कैद कियागया था–तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि मजिस्ट्रेटको ऐक्ट न० १ सन् १८७१ ई० की दफा १९ व दंडसंग्रह हिंदकी दफा १६९ के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिये थी, अपराधीको दंडसंग्रह हिंदकी दफा ४०६ के अनुसार दंड नहीं होसकता (वंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ८ सफा १ अपील)

(१७०) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकरकी भाँति पर किसी विशेष ओहदेपर होनेका मिस करे यह जानकर कि उसे वह ओहदा प्राप्त नहीं है या झूठ मूठ कोई ऐसा मनुष्य वने जो उस ओहदेपर नियत (कायम) है और इस वनी हुई अवस्थामे उस ओहदेके मिससे कुछ काम करे या किसी

सरकारी नौकर बनना.

कामका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

छलछिद्रके अभिप्रायसे सरकारी नौकरकी वरदी पहिरना या चिह्न रखना.

(१७१) जो कोई किसी विशेष प्रकारका सरकारी नौकर न होकर कोई वरदी या चिह्न जो उसी प्रकारके सरकारी नौकरोंकी वरदी या चिह्नके सदृश हो पहने, इस अभिप्रायसे अथवा यह जानकर कि वह मनुष्य सरकारी नौकरोके उस दर्जेमे गिना जावे—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो सौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय दशवाँ १०.

सरकारी नौकरोंके नीतिपूर्वक अधिकारका अपमान करनेके विषयमें.

सरकारी नौकरके जारी किये हुए समन अथवा और किसी आज्ञापत्रके लेनेसे बचनेके लिये छिप जाना.

(१७२) जो कोई मनुष्य इस लिये छिपजाय कि किसी ऐसे सरकारी नौकरके जारी किये हुए समन या सूचनापत्र (इत्तिलाअनामा) या आज्ञाका उसतक पहुँचना टल जावे जो उस सरकारी नौकरीके कारणसे उस समन या इत्तिलाअनामा या आज्ञाके जारी करनेका कानूनानुसार अधिकारी है, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है, या जुर्मानेका दंड जो पाचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

या यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या आज्ञा इस प्रकारकी हो कि कोई मनुष्य किसी कोर्टआफजस्टिस (न्यायालय) में स्वय उपस्थित (हाजिर) हो या अपने मुख्त्यारको उपस्थि

करे या वहा कोई दस्तावेज पेश करे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महींना तक होसकती है या जुर्मानेका दड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनो दड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) सबके पहले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मञ्जूरी दरकार है ।

किसी ऐसे हुक्मनामे (आज्ञापत्र) की कार्रवाईसे बचनेके अभिप्रायसे, कि जो सचनुचमें जारी नहीं हुवा है, किसी मनुष्यका भागना दफा १७२ दडसग्रहके अनुसार अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता, भागनेका अभिप्राय केवल स्थानही बदलनेसे नहीं है बरन उसमें छुप जानाभी सम्मिलित है जब कोई मनुष्य किसी आज्ञापत्र (हुक्मनामा) के जारी होनेसे पहिले छुपजावे और उसी आज्ञापत्रके जारी होनेके पश्चात् भी वह छुपा रहे तो कहा जावेगा कि वह भागा रहा (ई० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा ३९३)

यदि कोई मनुष्य अपने विरुद्ध वारटकी कार्रवाईको रोकनेके अभिप्रायसे छुप जावे तो उसका दंड दडसंग्रह हिदकी दफा १७२ के अनुसार अयोग्य है क्योंकि वारट इत्तिलाअनामा या समन कुछ भी नही है बरन वह किसी मुख्य अफसरके यहां तामीलके लिये भेजा जाता है न कि उस मनुष्यके यहां कि जिसकी हाजरीकी आवश्यकता है (पश्चिमोत्तर देश रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ३०२)

किसी समन अथवा और प्रकारके हुक्मनामेका जारी होने अथवा प्रगट किये जानेसे रोकना.

(१७३) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी सरकारी नौकरीके कारणसे जो उस सरकारी नौकरको कारणसे उस समन या इत्तिलाअनामा या हुक्मके जारी करनेका कानूनानुसार अधिकारी है, जारी किये हुए समन या इत्तिलाअनामा या हुक्मकी कार्रवाई अपनेपर या किसी दूसरे मनुष्य पर होनेसे किसी प्रकार जानबूझकर रोके, या—

जानबूझकर उस समन या इत्तिलाअनामा हुक्मको किसी स्थानपर उचित प्रकारसे चिपकाए जानेको रोके, या—

किसी ऐसे समन या इत्तिलाअनामा या हुक्मको किसी स्थानसे, जहा वह उचित प्रकार पर चिपकाया गया है, जानबूझकर छुटावे, या—

किसी ऐसे उचित रीतिपर प्रगट किये जाते हुये इश्तिहारको जानबूझकर रोके जो किसी ऐसी सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार हुवा जिसको अपनी सरकारी नौकरीके कारण उस इश्तिहारके प्रगट करनेका कानूनानुसार अधिकार हो, तो—

उस मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीने तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपये तक हो सकता है या दोनो दंड दिये जावेगे, या—

यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या हुक्म या इश्तिहार इस प्रकारका हो कि कोई मनुष्य किसी कोर्ट आफ जस्टिसमे स्वयं उपस्थित हो या अपने मुखत्यारको उपस्थित करे या वहा कोई दस्तावेज पेश करे, तो—

उस मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक हो-सकती है या जुर्मानेका दंड जो एकहजार रुपयातक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

टीप—१ किसी मनुष्यका समन पर दस्तखत करनेसे नाहीं करना दडसग्रह हिदकी दफा १७३के अपराधमे न गिना जायगा (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ३४)

२—समन भरपानेकी रसीद देनेसे भी नाहीं करना दफा १७३ के अपराधमें न गिना जायगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा ६२१)

३—समन लेनेसे नाही करना भी दफा १७३ के अपराधमे न गिना जायगा (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा १९९)

४—बहुत ही थोडा समय व्यतीत हुवा कि, एक मुकद्दमे मे कलकत्ता हाईकोर्टने यह तजवीज किया है कि समन पानेकी रसीद पर केवल दस्तखत करनेसे नाहीं करना दडसग्रह हिदकी दफा १७३ के अनुसार अपराध न होगा। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८)

सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार हाजिर होनेमें चूकना.

(१७४) जब किसी मनुष्यका जिसपर किसी मुख्यस्थान या समयपर ऐसे समन इत्तिलाअनामा, या इश्तिहारके अनुसार जो किसी ऐसे सरकारी नौकरकी ओरसे जारी हुवा है कि जिसको अपनी सरकारी-नौकरीके कारण जारी करनेका कानूनानुसार अधिकार हो स्वय या मुखत्यारके द्वारा उपस्थित होना कानूनानुसार उचित हो और वह मनुष्य उस स्थान या समयपर जानबूझकर उपस्थित होवे या उस स्थानसे जहां कि उसका उपस्थित रहना उचित हैं उस समयसे पहिले चलाजाय जब कि उसका वहासे चलाजाना उचित है, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीना तक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड जो पाचसौ रुपया तक हो सकता है या दोनो दंड दिये जावेगे। या यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या इश्तिहार इस प्रकारका हो कि कोई मनुष्य कोर्ट आफ जस्टिसमे स्वय उपस्थित हो या अपने मुखत्यारको उपस्थित करे, तो साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनो दड दिये जावेंगे।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर जिस पर कानूनानुसार अवश्य है कि कलकत्तेमें सुप्रीम कोर्टके सामने उसी कोर्टके जारी किये हुए सफीनेके अनुसार उपस्थित हो, परन्तु वह जानबूझकर वहां उपस्थित होनेसे चूका तो कहा जायगा कि शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ख) शिवशंकर जिसपर कानूनानुसार अवश्य है कि किसी जिलाजजके सामने उसी जिला जजके जारी किये हुए समनके अनुसार गवाही देनेको उपस्थित हो, परन्तु वह जानबूझकर वहा उपस्थित होनेसे चूका तो कहा जायगा कि शिवशंकरने इस दफामें कहा हुआ अपराध किया।

टीप—(१) एक कोई मजिस्ट्रेट (२) (अदम) दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) काबिल जमानत है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मजूरीदरकार है ।

१—जो किसी तहसीलदारने समन किसीके नाम इस अभिप्रायसे जारी किया हो कि वह किसी मौजेकी मर्दुमशुमारी (मनुष्यगणना) का नकशा तैयार करे, यदि वह मनुष्य उसके अनुसार कार्रवाई न करे तो दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७४ में लिखे हुए अपराधका अपराधी नहीं है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ३७७)

२—जो समन किसी मनुष्यके उपस्थित होनेको जारी किया उसमें उपस्थित होनेका समय तारीख व स्थान स्पष्ट स्पष्ट लिखा रहना चाहिये यदि इसमें किसी प्रकारकी भूल होगी तो वह मनुष्य उपस्थित न होनेपर उस अपराधका अपराधी नहीं गिना जायगा (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा ७)

३—एक मनुष्य समनके अनुसार वास्ते हाजिरी व जवाब देही मुकद्दमा फौजदारीके मजिस्ट्रेटकी अदालतमें आया, लेकिन वह समनमें लिखे हुए समय पर मजिस्ट्रेटको हाजिर न पाकर, एक उचित समयतक उसको परखे विना चलागया तो ऐसी अवस्थामें वह दफा १७४ के अपराधका अपराधी होगा। (इ० ला० रि० बबई जिल्द १० सफा ९३)

४—जब कोई ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किसी मनुष्यके नाम इस प्रकारका समन जारी करे कि वह उसके सामने एक ऐसे स्थानपर उपस्थित होवे जो देश अङ्गरेजी राज्यके बाहर हो और यदि वह मनुष्य उस समनकी आज्ञाको न माने तो उसके सम्बन्धमे यह न कहा जायगा कि उसने दफा १७४ का अपराध किया । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १६ सफा ४६३)

५—जब दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७४ के अपराधमें दंड होवे तो दंड होनेके पहिले इस बातका प्रमाणित होना अवश्य है कि अपराधीने जानबूझकर गैरहाजिरीकी (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द १ सफा २०३)

६—म्यूनिसिपल कमिश्नरान कि जो ऐक्ट २६ सन् १८५० के अनुसार नौकर है यद्यपि सरकारी नौकर हैं, परन्तु इस सरकारी नौकरीमे रहकर भी कानूनानुसार किसीकी हाजिरीके लिये आज्ञा

नहीं जारी कर सकते, इस लिये उनकी आज्ञाभङ्ग करनेवाला दंडसग्रह हि० की दफा १७४ के अपराधका अपराधी नहीं होसकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द ५ सफा ३३ श्रीमती महारानी वनाम पुरुषोत्तमलालजी)

किसी सरकारी नौकरके सामने कोई लेख (दस्तावेज) पेशकरनेसे चूकना, किसी ऐसे मनुष्यका जिस पर उसका पेश करना कानूनानुसार उचित है.

(१७५) कोई मनुष्य, जिसको किसी सरकारी नौकरके सामने उसकी सरकारी नौकरीके ओहदेसे किसी दस्तावेजका पेश करना या उसका उस नौकरको देदेना कानूनानुसार उचित है उपरोक्त दस्तावेजके पेश करने या दे देनेमें जानबूझकर चूक करे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पांच सौ रुपयेतक होसकता है या दोनो दंड दिये जावेगे और यदि वह दस्तावेज किसी कोर्ट आफ जस्टिसमे पेश किये जाने या दे देनेको हो तो साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकर जिसको किसी जिला कोर्टके सामने किसी दस्तावेजका पेश करना कानूनानुसार उचित है, उपरोक्त दस्तावेजको जानबूझकर पेश करनेमें तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

१—किसी दस्तावेजको पेश करनेके लिये गवाह बुलाया गया वह अदालतमे उपस्थित हुवा परन्तु उसने दस्तावेज न पेश की और शपथके अनुसार (हलफिया) यह बयान किया कि वह मेरे अधिकारमे नही है परन्तु इस बयान पर विश्वास न करके अदालत उसपर दफा १७४ जाब्तादीवानीके अनुसार ७५) रुपया जुर्माना किया—तजवीज हुई कि जुर्माना अनुचित रीतिपर वसूल किया गया जाब्ता दीवानीकी दफा १७४ के अनुसार दंड उस अवस्थामे दिया जायगा कि जब कोई गवाह जो समनपर न आवे गिरफ्तार करके अदालतके सामने पेश किया जावे, ऐसे गवाहके लिये जिसके यहा दस्तावेज हो परन्तु पेश न करे हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १७५ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा ४८० के अनुसार दंड देना चाहिये, परन्तु जब यह प्रमाणित होजावे कि उस अपराधीने झूठ कहा—(इ० ला० रि० वम्बई जिल्द १२ सफा ६३)

२—अदालत हाईकोर्टके सिवाय प्रत्येक अदालत उन मनुष्योंके अपराधोंके मध्ये जो स्वयं उसके सामने किया गया हो केवल ऐसी अवस्थामें विचार कर सकती है जिनसे दफा ४७७ या ४८० या ४८५ जाब्ता फौजदारीका सम्बन्ध है और उन दफोंमेंसे किसी दफाका सम्बन्ध नहीं है जब कि अपराधी पर हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १७५ का अपराध लगाया जावे. (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा ४२)

(१७६) कोई मनुष्य, जिसपर, किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी नौकरीके ओहदेसे किसी कामके मध्ये कोई सूचना या समाचार देना कानूनानुसार अवश्य है, उस समय और उस मातिपर जो कानूनानुसार नियत (मुकर्रर) है वह सूचना देने या समाचार पहुँचानेमे जानबूझकर चूकी करे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक हो सकती है या जुर्मानेका दड जो पाचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनो दड दिये जावेगे और यदि वह सूचना या समाचार कि जिसके देनेकी आज्ञा है किसी अपराधके होनेसे सम्बन्ध रक्खे या किसी होनेवाले अपराधकी रोकके लिये या किसी अपराधीको पकडनेके लिये अवश्य हो तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा या जुर्मानेका दंड जो एकहजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दड दिये जावेंगे। (दफा ४०को देखो)

वह मनुष्य सरकारी नौकरको सूचना या समाचार देनेमें चूक करे जिसको सूचना या समाचार देना कानूनानुसार उचितहै

टीप-(१) प्रे० म०, या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं (६) मजूरी दरकार है।

(नया मजमूआ जाब्ता फौजदारी, ऐक्ट न ५ सन् १८९८ ई० की दफा ४४ व ४५ को देखो जिनमें स्पष्ट लिखा है कि किन २ मनुष्योको किन २ अपराधोंके मध्ये सूचना या समाचार देना उचित है)

१-(क) दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १७६ के अपराधमे इस कारण दडित हुवा कि उसने जान बूझकर पोलीसको इस बातकी सूचना नहीं दी कि एक इश्तिहारी अपराधी (ब) एक विशेष गॉवमे उपस्थित था-अदालतने (ब) को इश्तिहारी अपराधी मानलिया था क्योंकि यह प्रमाणित होचुका कि (ब) की सब जायदाद (धन) मजमूआ जाब्ता फौजदारीकी दफा ८८ के अभिप्रायानुसार कुर्क की गई थी-तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि वादी (मुद्दई) को (ब) अपराधीके सम्बन्धमे इश्तिहारका जारी होना प्रमाणित करना चाहिये था-जिस मनुष्यपर किसी इश्तिहारी अपराधीके किसी विशेष गॉवमे होनेकी सूचना पोलीसको देना कानूनानुसार अवश्य होवे, उसपर फौजदारीका अभियोग (मुकद्दमा) उपरोक्त दफाके अनुसार ऐसी सूचना या समाचार न देनेके मध्ये उस अवस्थामें नहीं चलाना चाहिये कि जब पोलीसको इस घटना (वाकिआ) का वृत्तात पहिलेहीसे ज्ञात होगया हो (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा ४३६)

२-जब कई मनुष्योमेसे कोई एक, जिनपर पोलीसको सूचना देना मजमूआ जाब्ता फौजदारीकी दफा ४५ के अनुसार अवश्य होवे, अपराध वधके होनेकी सूचना देदेवे, जिसके कारण एक अहलकार पोलीस घटना (वारदात) होजानेके थोडी देर पश्चात् गॉवमें पहुँचा तो ऐसी अवस्थामे शेष दूसरे मनुष्योंपर कि जिनको ऐसी सूचना देना अवश्य था, दंडसग्रह हिंदकी दफा १७६ के अपराधका दड न दिया जावेगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३१६)

(१७७) शुद्ध हुआ ऐक्ट ३ सन १८९४ ई० की दफा ९ के अनुसार कोई मनुष्य जिसपर, किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी नौकरीके कारणसे किसी कामके मध्ये समाचार देना कानूनानुसार अवश्य हो, उस कामके मध्ये ऐसा समाचार सच की भांति दे जिसको वह झूठ जानता हो या झूठ जाननेका कारण रखता हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एकहजार रुपयेतक हो-सकता है या दोनों दंड दिये जावेगे और यदि वह समाचार जिसका देना उस मनुष्यपर कानूनानुसार अवश्य है किसी अपराधसे सम्बन्ध रखता हो या किसी होनेवाले अपराधके रोकके लिये या किसी अपराधीके पकडनेके लिये अवश्य हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दड या दोनों दंड दिये जावैंगे। (देखो दफा ४०)

झूठा समाचार देना.

स्पष्टीकरण—दफा १७६ और इस दफ़ामें " अपराध " के शब्दमे प्रत्येक ऐसा काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इडियाके बाहर किसी स्थानमें हुवाहो यदि ब्रिटिश इंडियाके भीतर किया जाता तो नीचे लिखी हुई दफोंमेसे किसी दफाके अनुसार दंड योग्य होता अर्थात्—दफा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, व ४६० और "अपराधी" के शब्दमें प्रत्येक ऐसा मनुष्य गिना जायगा जिसके मध्ये किसी ऐसे कामका अपराधी होना वर्णन कियागया हो।

उदाहरण।

(क) शिवशकर जमीदार अपने गॉवकी सीमाके भीतर ज्ञातघातका अपराध होनेसे जानकार होकर मजिस्ट्रेट जिलाको जान बूझकर यह झूठा समाचार दे कि वह मृत्यु दैवात् साँपके काटनेके कारण हुई—तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ख)—रमाशकर किसी गॉवका चौकीदार यह जानकर कि अनजाने मनुष्योका एक बडा समूह उसके गांवमेसे होकर पासहीके स्थानपर रहनेवाले उमाशंकर नामक एक धनवान सौदागरके घरमें डाका डालने गये हैं और रमाशकर पर सग्रह बंगालके कानून नं० ३ सन् १८२१ ई० की दफा ७ जिमन ५ के अनुशार सबसे निकट पोलीस स्टेशनके अफ्सरको शीघ्रता पूर्वक और ठीक २ इस कामका समाचार देना अवश्य है तो फिर यदि रमाशकर उस अफ्सर पोलीसको जानबूझकर झूठा समाचार दे कि किसी और प्रकारके मनुष्योका एक समूह उसके गॉवमेसे होकर किसी दूसरी ओर किसी विशेष स्थानको जो कुछ अंतरसे है डाकाडालने गया है: तो

इस अवस्थामें गिनाजाकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफाके पिछले भागमे किया है।

टीप–(१) प्रे० म० म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) जमानत (५) राजीनामा नही है (६) मजूरी दरकार है।

(नोट–संग्रह बगालका कानून) न० ३ सन् १८२१ ई० ऐक्ट न० १७ सन् १८६२ ई० के द्वारा मिटा (मन्सूख) दिया गया है।

१–किसी इकरारनामे (प्रतिज्ञापत्र) मे, जो किसी सरकारी नौकरके अधिकारमें रहता हो और उसके अफ्सरके यहा आज्ञानुसार भेजा जाताहो, कोई झूठी लिखावट (इबारत) बनाई जाय तो यह दडसग्रह हिंदकी दफा १७७ के अभिप्रायानुसार अपराधी है। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ४ सफा १४२)

२–एक मनुष्यने पोलीसमे भरती होनेके अभिप्रायसे डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीसको ऐसा समाचार दिया कि जिसको वह झूठ जानता था तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्यने कोई अपराध दफा १७७ या १८८ या उद्योग दफा ४१५ दंडसग्रह हिन्दुस्थानके नही किया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ९७)

३–जिस रोजनामचे (रोजनिधि) का लिखना और अफ्सरके यहा भेजना किसी सरकारी नौकर पर सरकारी आज्ञानुसार अवश्यहो, उसमे उसको झूठ इबारतका लिखना अपराध दफा १७७ दण्डसंग्रह हिन्दमे गिना जायगा। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ४ सफा १४४)

४–२२ नवम्बर सन् १८८० ई० को अपराधीने जो एक डिप्टी तहसील्दार था अपने अफ्सरको अपने अधिकारकी धरतीका झूठा नक्शा भेजदिया और फिर ५ दिसम्बर सन् १८९० ई० को एक झूठाबयान उसी प्रकारका मालकी तहकीकातमें प्रिन्सिपल असिस्टेन्ट कलक्टरके सामने किया–अपराधीको दडसग्रह हिदकी दफा १७७ के अपराधका दड दिया गया–हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि जब कि अपराधीपर दडसग्रह हिदकी दफा ४३ के अभिप्रायानुसार सूचना देना कानूनानुसार अवश्य न था तो उसका दंड अयोग्य है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ४८४)

(नोट–इस नजीरसे मदरास हाईकोर्टकी नजीर जिल्द ४ सफा १४४ की रद्द की गई)

५–ऐक्ट न० ५ सन् १८६१ ई० (ऐक्ट पोलीस) के अनुसार प्रत्येक पोलीसके अहलकारको उचित है कि वह अपने ऊपरके अफ्सरको ऐसे बलवाके होनेकी सूचना कि जो सर्वसाधारणकी कुशलतासे सम्बन्ध रखता हो देवे और अपने रोजनामचेमे उसे लिखे जिसका रखना उसको उपरोक्त ऐक्टकी दफा ४४ के अनुसार उचित है–ऐसे समाचारके देनेमें भूल करना दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १७७ के अपराधमें गिना जायगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २१ सफा ३०)

६–अपीलकी याददाश्तमें झूठाबयान करना कोई अपराध, दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १७के अनुसार नही है, क्योंकि उपरोक्त याददाश्तपर कानूनानुसार तस्दीक का लिखा जाना अवश्य नहीं है। (पजाब रिकार्ड न० १७ सन् १८७९ ई० फौजदारी)

(१७८) जो कोई मनुष्य सच सच बयान करनेके लिये शपथ करने या सच बोलनेकी प्रतिज्ञा करनेसे उस अवस्थामे नाहीं करे जब कि कोई ऐसा सरकारी नौकर उसको शपथ या प्रतिज्ञा करनेकी आज्ञा दे जो शपथ या प्रतिज्ञा करनेके लिये आज्ञा देनेका कानूनानुसार अधिकारी है तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनो दड दिये जावेगे।

शपथ करनेसे नाहीं करना जब कोई सरकारी नौकर शपथ करनेकी कानूनानुसार आज्ञा दे.

टीप–(१) वह अदालत जिसमें अपराध कियागया या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी लेनी चाहिये।

(१७९) कोई मनुष्य जिसपर किसी कामके मध्ये किसी सरकारी नौकरसे सच सच कहना उचित हो, किसी ऐसे प्रश्नका उत्तर देनेसे नाहीं करे जो वह सरकारी नौकर अपने कानूनानुसार अधिकारके वर्त्तनेमें उस कामके मध्ये उससे पूछे, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

किसी सरकारी नौकरको, जो प्रश्न करनेका अधिकार रखता है उत्तर देनेसे नाहीं करना.

१—दफा १६५ कानून शहादत (गवाह) ऐक्ट नं० १ सन् १८७२ ई० के अनुसार हाकिमको किसी गवाहसे मुकद्दमेके असम्बंधी प्रश्नोंके पूछनेका अधिकार है, जब कि वह घटना सम्बंधी गवाही प्राप्त करनेके अभिप्रायसे पूछे; परंतु यदि वह इस विचारसे प्रश्न पूछे कि गवाहके मध्ये फौजदारीकी कार्रवाई की जावे, तो गवाह पर अवश्य नही है कि उसका उत्तर देवे और उपरोक्त गवाह ऐसे प्रश्नोंका उत्तर न देनेकी अवस्थामे दफा १७९ दंडसंग्रह हिदके अपराधका अपराधी नहीं हो सकता। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफा १८५)

(१८०) जब कोई मनुष्य अपने किये हुए किसी बयान पर उस अवस्थामें दस्तखत करनेसे नाहीं करे, जब कि कोई सरकारी नौकर, जो उस मनुष्यको उसके उस बयान पर दस्तखत करनेके लिये आज्ञा देनेका कानूनानुसार अधिकारी होवे, उसको उस बयानपर दस्तखत करनेकी आज्ञा दे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनो दंड दिये जावेंगे।

बयान पर दस्तखत करनेसे नाहीं करना.

टीप-(१) वह अदालत जहां अपराध कियागया या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस विना वारट न पकडेगी (३) समन (४) काबिल जमानत है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है।

मालकी तहकीकातके समय अपराधीने अपने बयान पर दस्तखत करनेमे नाही की तो वह उस अपराधमें दण्डित न होगा जिसका दड हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा १९० के अनुसार होसकता है। (इ० ला० रि० बबई जिल्द १० सफा १५)

२—समन पानेकी रसीदपर दस्तखत करनेसे नाही करना, कोई अपराध दडसग्रह हिदकी दफा १७३ व १८० मे लिखा हुआ नहीं हो सकता (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८)।

(१८१) कोई मनुष्य, जिसको शपथ या सच कहनेकी प्रतिज्ञा करनेके अनुसार किसी ऐसे सरकारी नौकर या किसी ऐसे दूसरे मनुष्यके सामने जिसको कानूनानुसार ऐसा शपथ या प्रतिज्ञा करानेका अधिकार है किसी काममें सच २ बयान करना कानूनानुसार अवश्य हो, उस सरकारी नौकर या उस दूसरे मनुष्यसे जिसका ऊपर बयान हुवा है, उस कामके मध्ये कुछ बयान करे जो झूठा हो या जिसको वह झूठा जानता हो या झूठा निश्चय करता हो या जिसको वह सच्चा निश्चय न करता हो, तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

सरकारी नौकर या उस मनुष्यसे, जो शपथ करानेका अधिकार रखता है, शपथ करकेभी झूठ बयान करना.

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस विना वारट नही पकड सकती (३) वारट अपराधीके नाम (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है।

१—इस मुकद्दमेमे तीन मनुष्योंकी तजवीज जिनमेंसे एक वकील या एक संग की गई और उन्हें दडसग्रह हिंदकी दफा १८१ के अनुसार इस जडपर दियागया कि उन लोगोंने एक तहकीकातमें जो वकीलकी चाल चलनेके मध्ये ऐक्ट कानून पेशाके अनुसार हुई थी, सच कहनेकी प्रतिज्ञाकर झूठ कहा तजवीज हुई कि वकीलको दंड देना अयोग्य था क्योंकि उसका बयान सच कहनेकी प्रतिज्ञा कराकर नहीं लेना चाहिये था—यह भी तजवीज हुई कि जो तहकीकात ऐक्ट कानून पेशाके अनुसार कीगई वह अदालती कार्रवाईमे गिनना चाहिये इसलिये गवाहोंने जो झूठे बयान किये उनके मध्ये उनपर दडसग्रह हिंदकी दफा १९३ के अनुसार अलग अलग अपराधका ठहराना चाहिये। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा २५२)

२—इस मुकद्दमेमें अपराधीने दंडकी आज्ञासे अप्रसन्न होकर अपील दायर की, और अपीलकी याददाश्तमें उसने यह झूठा बयान लिखाया कि दंड देनेवाले मजिस्ट्रेटने उसके गवाहोंको बुलानेसे नाहीं की—जिस मजिस्ट्रेटके सामने उसकी अपील पेश थी उसने अपीलांटको दरख्वास्तके उपरोक्त

बयान पर सच कहनेकी प्रतिज्ञानुसार तसदीक करनेको कहा, और अपीलांटने भी उसकी कार्रवाईकी तजवीज हुई कि अपीलांटने कोई अपराध हिन्दुस्थानके दंडसंग्रह की दफा १८१ या १८२ मे लिखे हुए अनुसार नहीं किया। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफा ४५१)

(१८२) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको कोई ऐसा समाचार दे जिसे वह झूठी जानता या झूठ निश्चय करता हो और उसका यह अभिप्राय होने या इस कामके होनेका सम्भव उसकी जानकारीमें हो कि वह उस उपरोक्त समाचारके द्वारा किसी सरकारी नौरकसे,—

झूठा समाचार-इस अभिप्रायसे देना कि कोई सरकारी नौकर अपना कानूनानुसार अधिकार काममें लावे और उससे दूसरे मनुष्यको हानि पहुँचे.

(अ) कोई ऐसा काम करावे या काम करनेमे चूकी करावे जिसका करना या चूकी करना उस सरकारी नौकरको न चाहिये था, यदि उन घटनाओंका सच्चा वृत्तात, कि जिनके मध्ये वह समाचार दिया गया है, उसे ज्ञात होजाता, या—

(ब) ऐसे सरकारी नौकरके उचित अधिकारोंका वर्ताव किसी मनुष्यको हानि या रंज पहुँचानेके अभिप्रायसे, कराये—

तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दड दिये जावेगे।

उदाहरण।

(क) शिवशकरने एक मजिस्ट्रेटको यह समाचार दिया कि रमाशकर, जो अहलकार पोलीस है और उस मजिस्ट्रेटके अधीन है, अपने काममे असावधानी और कुचालका अपराधी है यह जानकर कि वह समाचार झूठा है और यह जानकर कि उस समाचारके कारणसे संभव है कि उपरोक्त मजिस्ट्रेट रमाशंकरको नौकरीसे निकला देगा ऐसी अवस्थामे शिवशकर उस अपराधक अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामे कियागया है।

(ख)—शिवशंकरने यह बात जानकर कि यह समाचार झूठा है और इससे रमाशकरके घरकी तलाशी होना तथा उसे कष्ट पहुँचना अति सम्भविन है, किसी सरकारी नौकरको समाचार दिया कि रमाशंकरने एक गुप्त घरमे चोरीका नमक रक्खा है, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है।

(ग) यदि शिवशकर किसी पोलिसके अहलकारको यह झूठा समाचार दे कि एक विशेष गांवके पडोसमें उसपर आक्रमण और जोरी (सरका बिलजब्र) हुई और आक्रमण करनेवालोंमेसे किसीका नाम न ले, परतु वह जानता है कि इस समाचारके अनुसार सम्भव है कि पोलीस

तहकीकात करके गॉववालोंकी तलाशी लेगी और उनमेंसे किसी २ को कष्ट पहुँचेगा, तो ऐसी अवस्थामे शिवशंकर उस अपराधका करनेवाला ठहराया जावेगा जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

टीप-(१) म० अ० या म० दो० या प्रे० म० (२) पोलीस विना वारंट नहीं पकड सकती (३) समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है (६) मंजूरी दरकार है ।

१-अपराधी जो बयान अपनी सफाई (बचत) में लिखवावे वह हिन्दुस्तानके दंडसग्रहकी दफा १८२ के अभिप्रायानुसार " समाचार कि जो सरकारी नोकरको दियागया " न समझा जावेगा (पश्चिमोत्तर देश रिपोर्ट जिल्द २ सफा १२८)

२-दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८२ उस अवस्थामे लागू (सम्बन्ध) न होगी जब कि वह सरकारी नौकर कि जिसे झूठीं समाचार दियागया है, उपरोक्त समाचार किसी दूसरे अफसरके नाम केवल भेज देनेका अधिकारी हो और जो उचित अधिकार उसको प्राप्त है उसके बर्तनेसे किसी ऐसे मनुष्यको तत्कालही क्लेश या हानि नही पहुँच सकती है जिसके विरुद्ध वह सूचना दीगई हो (इ०ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २४१)

३-मुहतमिम जगल अर्थात् जगलका अफसर एक ऐसा सरकारी नौकर है जिसको झूठा समाचार देना इस दफाके अनुसार दड योग्य है चाहे वह समाचार स्वयही कोई मनुष्य देवे चाहे उन प्रश्नोंके उत्तर द्वारा उस समाचारको प्रगट करे कि जो उस अफसरने उससे किये हों (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफा १२४)

४-अहीरकी जातिका एक मनुष्य जिसको सरकारी नौकरी नही मिलसकती, अपने आपको जाट बनाकर सेनामें नौकर होगया, हाईकोर्टकी तजवीज यह हुई कि वह इसी दफाके अनुसार अपराधी है न कि हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा ४१९ के अनुसार (पजाब रिकार्ड फौजदारी न० १४ सन् १८८० ई०)

५-जब कोई मनुष्य किसी विशेष रीति पर इस बातकी फरियाद पेश करे कि किसी दूसरे मनुष्यने अपराध किया है-और फरियाद (इस्तगासा) (अभियोग) दायर करनेवालेका अभिप्राय उस मनुष्यको हानि पहुँचानेका हो तो वह हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा २११ के अपराधका अपराधी होगा न कि दफा १८२ के अपराधका (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ७ सफा १८४)

६-जिलेके कलक्टर साहबको झूठी सूचना इस बातकी दीगई- कि कुछ जमीदारोंने बलपूर्वक सरकारी धरतीमे अधिकार करलिया है इस अभिप्रायसे कि उन जमीदारोंको कष्ट होवे और सरकारी नौकरोंका समय व्यर्थ व्यतीत होवे-तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा १८२ का अपराध उस मनुष्यने नहीं किया । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ४ सफा ४९८)

७-(क) ने दु ख पहुँचानेके अभिप्रायसे पोलीसको यह सूचना दी कि (ख) ने उसके घरसे माल चुराया था, इसलिये पोलीसने (ख) के घरकी तलाशी ली, और उपरोक्त सूचना झूठ प्रमाणित

हुई–तजवीज हुई कि (क) ने (ख) के विरुद्ध फौजदारीकी कार्रवाई की थी इसलिये वह दफा २११ के अपराधका अपराधी हुवा था न कि दफा १८२ के अपराधका । (पंजाब रिकार्ड नं० १६ सन् १८७० ई०)

८–हिन्दुस्तानके दंडसंग्रहकी दफा २११ के अपराधमे दफा १८२ का अपराध गिना जायगा इसलिये मजिष्ट्रेटको अधिकार है कि उन दफोंमेंसे किसी दफाके अनुसार वर्त्ताव करे, यद्यपि उक्त अभियोगोंमे जो बहुतही गुरुतर (संगीन, भारी) है दफा २११ का ही वर्त्ताव करना उचित है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा १८४)

९–बलदेवने बस्तीपूर पोलीसमे प्रकृतिविरुद्ध काम करनेका अपराध लगाया और फिर वही फरियाद (इस्तगासा) मजिष्ट्रेटके सामने दायर की–जो तहकीकात होनेके उपरान्त झूठी प्रमाणित हुई और अपराधी छोड दिया गया और बलदेवको दफा १८२ के अपराधमे दंड हुवा, तजवीज हुई कि बलदेवके मध्ये दंडकी आज्ञा जो दफा १८२ के अपराधमे हुई है अनुचित है क्योंकि उपरोक्त दफाका सम्बन्ध सरकारी नौकरके साथ सीमाबद्ध था बलदेवकी तजवीज दफा २११ के अपराधमें होनी चाहिये थी । (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह अगस्त सन् १८८२ ई० सफा १७८)

किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार मालके लिये जानेमें सामना करना.

(१८३) यदि कोई मनुष्य किसी मालके लिये जानेमें, जो किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार लिया जाता हो किसी प्रकारके रोक-टोक करे यह जानकर या यह निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह ऐसाही सरकारी नौकर है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीना तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप–(१) मे० म० या० म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस विना वारंट नहीं गिरफ्तार कर सकती (३) सुमन जारी होगा (४) काबिल जमानत (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

१–एक मनुष्यको दफा १८३ के अनुसार इस बातपर दंड दिया गया कि उसने सरकारी नौकरको किसी मालकी कुर्की करनेमें रोका–यह अपराध ४ फरवरी सन् १८८३ ई० को किया गया, परन्तु वारंटके वापसी की तारीख, कि जिसके अधिकारसे सरकारी नौकर सब कार्रवाई की वही थी या उसके एक दिन पहिले की थी, तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधीका दंड अयोग्य है, क्योंकि जिस तारीखको रोक टोक की गई उस तारीखको कुर्की करनेकी कानूनानुसार आज्ञा न थी और उस समय वारंटकी अवधि बीत चुकी थी (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा १८)

२—जब कोई विलिफ (अमीन) कुर्की करनेवाला अफसर किसी डिगरीके इजरायमें कोई माल कुर्क करे और वह मनुष्य कि जिसका माल है केवल यह कहे कि जबतक विलिफ उपरोक्त मालके मध्ये यह न लिखले कि वह उसका माल है तबतक वह (मालका स्वामी) विलिफको उपरोक्त मालके ले जानेसे रोकेगा—हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि इस प्रकार जबानी बयान दंडसग्रहहिदकी दफा १८३ के अपराधकी सीमा तक नहीं पहुँचता (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफा ५६४)

(१८४) जो कोई मनुष्य, किसी मालके नीलाममे जो किसी सरकारी नौकरके कानूनानुसार—अधिकारके अनुसार नीलामपर चढाया गया हो जानबूझकर रोक टोक करे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पॉचसौ रुपयातक होसकता है या दोनो दंड दिये जावेंगे ।

किसी मालके नीलामम जो किसी सरकारी नौकरके कानूनानुसार—अधिकारके अनुसार नीलाम पर चढाया गया हो रोक टोक करना.

टीप—(१) प्रेसीडसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या दर्जा दोयम् (२) पोलीस विना वारट अपराधीको नहीं पकडसकती (३) समन (४) अपराध जमानतके योग्य है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मञ्जूरी दरकार है ।

(१८५) जो कोई मनुष्य किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके अधिकारानुसार आज्ञा से होताहो, किसी मनुष्यके लिये (चाहे वह स्वयही हो या कोई दूसरा,) कोई माल मोलले या उसके लिये बोली बोले यह जानकर कि उस मनुष्यको उस उपरोक्त मालके मोल लेनेका कानूनानुसार अधिकार नहीं है, या उस मालपर बोली बोले और उन नियमोंके पूरे करनेका अभिप्राय न हो जो उस बोली बोलनेसे उसपर ठहरेंगे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो दोसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनो दंड दिये जावेगे ।

कोई माल जो सरकारी नौकरके अधिकारानुसार नीलाम पर चढाया गया हो कानूनविरुद्ध मोल लेना या उसके लिये बोली बोलना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस विना वारंट अपराधीको नहीं पकडसकती (३) समन (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मञ्जूरी दरकार है ।

जब कोई मजिस्ट्रेट किसी मालको नीलाम कर रहा है और यदि कोई मनुष्य ऐसे नीलाममें बोली बोले और उसके नियमोंको पूरा न करसके तो उपरोक्त मनुष्य सरकारी नौकरके उचित अधिकारका अपमान करनेका अपराधी दन्डसग्रहहिदकी दफा १८५ के अनुसार होगा ।

(१८६) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको अपनी नौकरीका काम भुगता-नेमे जानबूझकर रोकेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेगे ।

सरकारी नौकरीका काम करनेमे सरकारी नौकरका रोक टोक करना

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस विना वारट नहीं पकड़ सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है (६) मंजूरी दरकार है ।

(१) झूठा समाचार प्रसिद्ध करना और मनुष्योंको अपने बच्चोको टीका लगाने वाले सरकारी नौकरके हाथ टीका लगवानेसे रोकना दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८६ का कोई अपराध नही है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा ९३)

(२) किसी सरकारी नौकरकी उचित चौकसीसे किसी मनुष्यका भागजाना (वम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा १३४) व गाडीके स्वामीका किसी सरकारी नौकरको अपनी गाडी किरायापर देनेसे नाही करना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ९ सफा १६५) व किसी सरकारी क्लर्कसे विना रुपया दिये रसीद ले लेना (पश्चिमोत्तर देश हाईकोर्ट रिपोर्ट सन् १८६३ ई० सफा ६३) और किसी सरकारी नौकरके साथ अपने खेतकी माप करानेके लिये जानेसे नाही करना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ५१) दफा १८५ दंडसग्रहहिदके अनुसार अपराधमे नहीं है ।

(३) साहब जज जिलाने किसी अभियोगमे जो उनके सामने पेश था, एक प्रतिवादी (मुद्दाअलेह) का घर ढुंढवा करके कुछ माल अदालतमे लानेकी आज्ञा दी, और इस आज्ञाको पूरा करनेके लिये एक मनुष्यको नियत किया—वह मनुष्य घर पर गया, परन्तु उपरोक्त प्रतिवादीने अपने घरके किवाड़ भीतरसे बद करलिये और स्वयभी भीतर होरहा—बहुतसे मनुष्य वहा इकट्ठा होगये बलपूर्वक घरका ढूंढना भी असम्भव था—इस घटनापर प्रतिवादीपर दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८६ का अपराध लगाया गया और इसी दफाके अनुसार उसे दड दिया गया—हाईकोर्टकी रायमे इस घटनाके अनुसार कोई अपराध दंडसंग्रहहिदके अनुसार नही उत्पन्न हो सकता (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा २२१)

(४) जिस मनुष्यको, कलक्टर दफा ६९ एक्ट कास्तकारी बगालके अनुसार जमीदार व कास्तकारकी फसलका बटवारा करनेके लिये नियतकरे वह दफा १८६ के अभिप्रायानुसार सरकारी नौकर नहीं है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १८ सफा ५१८)

(५) नाजिरको अधिकार है कि वह गिरफ्तारीका वारंट उसकी कार्रवाईके लिये किसी चपरासीको दे दे—जिस चपरासीको समर्पित उपरोक्त वारट किया जावे वह दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २१ जिमन ४ के अभिप्रायानुसार सरकारी नौकर समझा जावेगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द२२ सफा ७५९)

(६) अपराधीका लडका घरसे निकल भागा और एक पोलीसकी चौकीपर जो थानेके निकट थी मिला और चौकीदारके साथ थानेपर भेजदिया गया–राहमें चौकीदारको अपराधी मिला और उसने अपना लडका चौकीदारसे मांगा परंतु चौकीदारने न दिया, और जब चौकीदार उसको थानेके भीतर लेजाने लगा तब अपराधी उसको छीन ले गया और चौकीदारको भी भला बुरा कहा–तजवीज हुई कि अपराधीने वास्तवमें ही दफा १८६ का अपराध किया (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह जुलाई सन् १८८३ ई० सफ़ा १७०)

किसी सरकारी नौकरको सहायता देनेसे चूकना, जब कि सहायता देना कानूनानुसार अवश्य हो

(१८७) जब कोई मनुष्य, जिसपर किसी सरकारी नौकरको उसके सरकारी कामके करनेमें सहायता देना या पहुँचाना कानूनानुसार अवश्य हो, जानबूझकर ऐसी सहायता देनेमें चूक करे तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो दोसौ रुपयातक होसकता है या दोनो दड दिये जावेंगे—

और यदि ऐसी सहायता उस मनुष्यसे किसी सरकारी नौकरने मागी हो जो ऐसी सहायता मागनेका कानूनानुसार अधिकारी है, करने कार्रवाई किसी हुक्मनामेके जिसे किसी कोर्ट आफ जस्टिससे उचित रीतिपर जारी किया हो, या किसी अपराधके होनेको रोकनें या किसी बलवा या लडाईको दबा देनेके लिये या किसी ऐसे मनुष्यको पकडनेके लिये जिसपर कोई अपराध लगाया गया हो, या जो किसी अपराधका या उचित चौकसीसे भाग जानेका अपराधी ठहराया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो पाचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनो दण्ड दिये जावेंगे (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस विना वारट गिरफ्तार नहीं कर सकती (३) समन (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है।

१—मजिस्ट्रेटने जमींदारको यह आज्ञा दी कि पन्द्रह दिनके भीतर चोरीका पता लगावो और पोलीसको सहायता दो—तजवीज हुई कि उपरोक्त आज्ञा अनुचित थी, इसलिये जमींदार दंडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८७ व १८८ के अपराधका अपराधी नहीं है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा-२०१)

२—ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके अनुसार किसी मालगुजार (जिमींदार) पर अहलकार पोलीसको मरे हुए मनुष्यकी लाश गडानेमें सहायता देना-उचित होवे। (मध्यप्रदेश इ० ला० रि० जिल्द ६ सफा ५ फौजदारी)

(१८८) जो कोई मनुष्य यह बात जानबूझकर कि मुझको, किसी सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार जो कानूनानुसार उस आज्ञाके देने अथवा प्रसिद्ध करनेका अधिकारी है, कोई काम करना वर्जित है अथवा किसी वस्तुके मध्य जो मेरे अधिकार अथवा प्रवन्धमे है कोई मुख्य प्रवन्ध करनेकी आज्ञा है उस आज्ञाको न मानेगा, तो–

न मानना किसी आज्ञाका जो किसी सरकारी नौकरने कानूनानुसार प्रगट की हो.

यदि ऐसी आज्ञाभंगसे उन मनुष्योको जो किसी नीतिपूर्वक (जायज) काममें लगे हुए है रोकटोक या क्लेश या हानि या रोकटोक, क्लेश या हानिका डर पहुंचे या पहुंचानेवाला हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दड जो दोसौ रुपयातक होसकता है या दोनो दण्ड दिये जावेगे, और,

यदि ऐसी आज्ञाभगसे मनुष्यके प्राण या आरोग्यता या कुशलताको हानि पहुंचे या पहुचानेकी ओर झुकती हो या बलवा या लडाई (हंगामा) उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेकी ओर झुके तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक हो सक्ता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे,

स्पष्टीकरण–यह अवश्य नहीं है कि अपराधीका अभिप्राय हानि पहुंचानेसेही हो या वह यह जानताही हो कि उस आज्ञाभगसे हानि उत्पन्न होगी, वरन इतनाही बहुत है कि वह उस आज्ञाको जानता हो जिसको वह भग करता है और यह कि उसका न मानना हानि उत्पन्न करता है या उससे हानि उत्पन्न होनेका भय है.

उदाहरण।

कोई आज्ञा किसी सरकारी नौकरकी ओरसे जो कानूनानुसार ऐसी आज्ञाके प्रसिद्ध करानेका अधिकारी है इस प्रकारकी प्रसिद्ध कराई गई कि कोई मजहबी (मतका) जमाव किसी विशेष गलीसे होकर न निकले यदि शिवशंकर जान बूझकर इस आज्ञाको न माने और इसके कारणसे बलवेका भय उत्पन्न करे तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(टीप)–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस विना वारट अपराधीको नही पकडसकती (३) समन (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है। (६) मंजूरी दरकार है।

(इस दफा १८८ को मजमूआजाब्ता फौजदारीकी दफा १३३ से १४४ तकके साथ पढ़ना चाहिये)।

१—उमरा १ बछिया चुरानेके अपराधमें दंडित हुवा, मूलाने चोरीकी बछिया अपराधी न० १ से मोल ली, परन्तु उसको डिप्टी कमिश्नरने यह आज्ञा दी कि बछिया मोल लेनेकी सूचना थानेमें दे देना, परन्तु मूलाने ऐसी सूचना नहीं दी, इसलिये उसे दंडसंग्रह हिंदकी दफा १८८ के अपराधमें दंड दिया गया हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि मूलाने उपरोक्त दफामें लिखा हुवा अपराध नहीं किया, क्योंकि जो आज्ञा डिप्टी कमिश्नरने दी उसके देनेका अधिकार कानूनानुसार उन्हें न था (पञ्जाब रिकार्ड न० १७ सन् १८६९ ई०)

२—यदि ऐसी आज्ञा दी है कि जिसके देनेका अधिकार उस सरकारी नौकरको नहीं है कि जिसने आज्ञा दी है तो उसका न मानना इस दफा १८८ के अनुसार अपराध होगा जैसे—

(१) किसी मजिस्ट्रेटको अधिकार नहीं है कि किसी मनुष्यके माल नीलाम किये जानेकी आज्ञा दे।

(२) किसी नम्बरदार व जमींदारको किसी मुकद्दमेका पता लगाने और पोलीसको सहायता देनेकी आज्ञा दे (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा २०१)

(३) यह आज्ञा दे कि प्रत्येक मनुष्य जो माल मोललेवे थानेमें उसकी सूचना दे (पञ्जाब रिकार्ड न० १० फौजदारी) या,

(४) यह कि कोई मनुष्य अपने घरसे गावके नबरदार या पोलीसको बिना सूचना दिये न जावे (पजाब रिकार्ड न० १२ सन् १८६८ ई० फौजदारी) या,

(५) यह कि कसाई लोग गोश्तको बेचनेके लिये खुला न रक्खे (पजाब रिकार्ड न० १३ सन् १८७२ ई०)

(६) और न लफ्टनन्टगवर्नरको यह आज्ञा देनेका अधिकार है कि किसी सड़कके किसी विशेष भागपर गाड़िया न चलाई जावे (पजाब रिकार्ड न० ८ सन् १८७३ ई०)

३—मजिस्ट्रेटने एक ऐसी आज्ञा प्रसिद्ध की कि—"चौपायोंके स्वामी उनकी उचित रक्षा करें, यदि वह आज्ञाभङ्ग करेंगे तो उन्हें कानूनानुसार दंड दिया जावेगा—" और कुछ मनुष्योंको दंडसंग्रह हिंदकी दफा १८८ के अनुसार आज्ञाभंगके अपराधमें दंड भी दिया—तजवीज हुई कि दफा ६२ जाब्ता फौजदारीके अनुसार मजिस्ट्रेटको ऐसी सर्व साधारण आज्ञाके देनेका अधिकार न था, इस लिये अपराधियोंको दफा १८८ के अनुसार दंड देना कानूनविरुद्ध था (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ४५)

४—मजिस्ट्रेटको दफा ६२ ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० व दफा १४४ ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० के अनुसार अधिकार है कि किसी विशेष मनुष्यको विशेष स्थानपर विशेष दिनके लिये जानेको वर्जित करदे यदि उसको दृढ विश्वास हो जावे कि ऐसी आज्ञासे बलवे या हंगामेका होना अवश्यही रुक जावेगा (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द १० सफा ४३४)

(१८९) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको या उस मनुष्यको जिसके मध्ये वह निश्चय करता हो कि उस सरकारी नौकरको वैसे मनुष्यसे अभिप्रायहै, इसलिये हानि पहुँचानेको कि जिससे उस सरकारी नौकरको किसी ऐसे कामके करने या न करने या देरीसे करनेके लिये कि जिसका सम्बन्ध उस सरकारी नौकरसे है धमकावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो साल तक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

सरकारी नौकरको हानि पहुँचानेकी धमकी देना.

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारट नहीं गिरफ्तार कर सकती (३) समन्न अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं हो सकता।

१-साहब जजकी तजवीज इस बातमें अयोग्य थी कि उन यथार्थ शब्दोंके दरियाफ्त करनेकी आवश्यकता नहीं कि जिनको अपराधीने वास्तवमें कहा कि जिस समय उसने सरकारी नौकरको धमकी दी थी बरन इसके विरुद्ध इस बातकी आवश्यकता थी कि अपराधीके यथार्थ २ शब्द अदालतके सामने प्रगट किये जाते जिससे अदालतको उस बातकी खोजका अवसर मिलता कि यथार्थमेंही अपराधीने सरकारी नौकरको दुःख पहुँचानेकी धमकी दी या नही। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफा ३८०)

(१९०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इस अभिप्रायसे हानि पहुँचानेकी धमकी दे कि वह किसी हानिसे रक्षा किये जानेके लिये किसी ऐसे सरकारी नौकरके यहां कानूनानुसार प्रार्थनापत्र (दरख्वास्त) न देवे या देनेसे रुक रहै, जो उस सरकारी नौकरीके कारण ऐसी रक्षा करने या करानेका कानूनानुसार अधिकारी हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

हानि पहुँचानेकी धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरसे रक्षा मांगनेसे रुकजाय.

अध्याय ग्यारहवाँ ११.



झूठी गवाहीं और सर्व साधारण न्यायके विरुद्ध अपराधोंके बयानमें ।

(१९१) कोई मनुष्य जिसपर कानूनानुसार, शपथके अनुसार या कानूनकी किसी विशेष आशासे सच २ बयान करना या कानूनके अनुसार किसी कामके मध्ये कुछ बयान करना अवश्य हो, कोई ऐसा बयान करे जो झूठा हो और जिसको वह झूठा जानता हो चाहै झूठा निश्चय करता हो या जिसको वह सचा न निश्चय करता हो तो कहा जायगा कि उसने झूठी गवाही दी.

झूठी गवाही देना.

स्पष्टीकरण—१ प्रत्येक बयान इस दफाके अभिप्रायमें गिना जायगा, चाहे वह जबानसे किया जाय या और प्रकार पर,

स्पष्टीकरण—२ कोई झूठा बयान जो तसदीक (निश्चय) करनेवाला मनुष्य अपनी जानकारी (दानिस्त) के मध्ये करे, इस दफाके अभिप्रायमें गिना जायगा और जैसे कि कोई मनुष्य यह बयान करनेसे कि मैं अमुक (फलानी) बात जानताहूँ, जिसको वह नहीं जानता है झूँठी गवाही देनेका अपराधी है वैसेही वह मनुष्य भी झूठी गवाही देनेका अपराधी होसकता है जो बयान करे कि मैं अमुक बातको निश्चय करता हूँ जिसे वह निश्चय न करता हो।

उदाहरण ।

(क)—यदि शिवशंकर, एक उचित दावेके अनुमोदन (ताईद) में जो रमाशंकर एक हजार रुपयेके मध्ये उमाशंकरपर रखता हो मुकद्दमेकी पेशीके समय झूठी शपथ करे कि मेरे सामने उमाशंकरने रमाशंकरके दावेके उचित होनेको स्वीकार किया है तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकरने झूठी गवाही दी।

(ख)—शिवशंकर कि जिसपर एक शपथके अनुसार सच २ बयान करना अवश्य है यह बयान करे कि मैं निश्चय करता हू कि अमुक (फलाने) दस्तखत रमाशंकरके हाथके लिखे हुए हैं जब कि वह उस दस्तखतको रमाशंकरके हाथके लिखे हुए निश्चय नहीं करता है तो इस अवस्थामें शिवशंकरने वह बयान किया जिसको वह झूठा जानता है और इस लिये उसने झूठी गवाहीं दी।

(ग)—शिवशंकर जो रमाशंकरकी लिखावटकी बनावट पहिचानता है यह बयान करे कि मैं जानता हू कि अमुक दस्तखत रमाशंकरके हाथके लिखे हुए है शुद्धभावसे ऐसाही जानता है तो इस

अवस्थामें शिवशंकरका बयान केवल अपनी जानकारी (दानिस्त) के मध्ये है और वह उसकी जानकारीके मध्ये सच्चा है और इसलिये शिवशंकरने झूठी गवाही नहीं दी, चाहे वह दस्तखत रमाशंकरके हाथके लिखे न हो।

(घ)–शिवशंकर जिसपर एक शपथके अनुसार सच २ बयान करना उचित है, यह बयान करे कि मैं जानता हूं कि रमाशंकर अमुक दिन अमुक स्थानपर उपस्थित था, यद्यपि वह इस कामके मध्ये कुछ न जानता हो, तो शिवशंकरने झूठी गवाही दी, चाहे रमाशंकर उस दिन उस स्थानपर उपस्थित था या न था।

(च)–शिवशंकर उल्था करनेवाला या अनुवादक (मुतरजिम) है जिसपर शपथके अनुसार अवश्य है कि किसी बयान या लिखतम (लेख दस्तावेज) का जवानी या लिखा हुवा सच्चा अनुवाद करे और वह यदि जवानी या लिखा हुवा झूठ अनुवाद (तर्जुमा) करे या उसकी तसदीक करे जो सच्चा न हो और जिसका सच्चा होना वह निश्चय न करता हो तो शिवशंकरने झूठी गवाही दी।

१–कैदीने एक पहिले मुकद्दमेमें जो बयान मजिस्ट्रेटके सामने किया था उसके विरुद्ध दूसरा बयान सेशन जजके सामने किया, इसलिये उसपर मजिस्ट्रेट या सेशन जजके सामने झूठी गवाही देनेका अपराध प्रामाणिक हुवा–तजवीज हुई कि उपरोक्त आज्ञा सही थी और जो गवाही सेशन जजने लीथी मजिस्ट्रेटके सामने झूठी गवाही देनेके अपराधका पूरा प्रमाण थी (बंगाल ला रिपोर्ट सफा ५२१)

२–जो मनुष्य दफा ११८ व १७९ ऐक्ट १० सन् १८७२ ई० के अनुसार पुलीसके प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये जो सूचनाके मध्ये हो बुलाये जावें उनपर झूठी गवाही देनेका अपराध प्रमाणित नहीं होसकता। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा १२१)

३–साहब मजिस्ट्रेट दर्जा तीसरे (सोयम) ने जो बयान दफा १६४ मजमूआजाब्ता-फौजदारीके अनुसार लिये हों, तो उपरोक्त मजिस्ट्रेटको ऐसे बयान लेनेका अधिकार न होनेके कारण उन बयान देनेवाले पर दण्डसंग्रह हिंदुस्थानकी दफा १९१ व १९३ का अपराध प्रमाणित नहीं होसकता (इ० ला० रि० बंबई जिल्द ११ सफा ५०२)

४–जानबूझकर झूठी गवाही देना उस अवस्थामें भी अपराध होसकता है कि जब गवाहसे शपथ या प्रतिज्ञा न कराई जाय (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३५५)

झूठी गवाही बनाना.

(१९२) जो कोई मनुष्य कोई सूरत (अवस्था) उत्पन्न करे या किसी किताब या सरिश्तेके कागजमें कोई झूठी लिखावट बनावे या कोई दस्तावेज जिसमें कोई झूठा बयान लिखा हो बनाय इस अभिप्रायसे कि वह सूरत या झूठी लिखावट या झूठा बयान अदालतकी किसी कार्रवाईमें या किसी कार्रवाई में जो कानूनानुसार किसी सरकारी नौकरके सामने या किसी सालस (प्रतिद्वंदी) के सामने होरही हो प्रमाण (सबूत) की भाँति पेश होसके और इस अभिप्रायसे कि वह सूरत या झूठी लिखावट

या झूठा बयान जो इस प्रकार प्रमाणके कारणमें पेश होसके किसी ऐसे मनुष्यको जो उस कार्रवाईमे प्रमाणके कारण (वजह सबूत) के मध्ये राय लगाएगा किसी कामके मध्ये जो उस कार्रवाईके फलके लिये आवश्यक झूठी रायके पहुँचानेका कारण होसके तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने झूठी गवाही बनाई।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर, रमाशंकरकी किसी सदूकमें इस अभिप्रायसे कुछ गहना रखदे कि यह गहना उस सदूकसे निकले, और यह सूरत रमाशंकरको चोरीका अपराधी प्रमाणित कराये तो शिवशं-करने झूठी गवाही बनाई।

(ख) शिवशंकर अपनी दूकानके बही खातेमें इस अभिप्रायसे कोई झूठी लिखावट बनाये कि वह उसको किसी अदालतमें प्रमाणकी भाँति पक्षपातीमें काम लाए तो शिवशंकरने झूठी गवाही बनाई।

(ग)–शिवशंकर इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरका विचार सयुक्त अपराधका अपराधी ठहराये इस प्रकार एक चिट्ठी लिखे कि उसमे रमाशंकरके लिखनेमे अपना लिखना मिलावे और वह चिट्ठी उस विचार सयुक्त अपराधके किसी साक्षीके नाम जानी जाय और उस चिट्ठीको ऐसे स्थान पर रक्खे जहां वह जानता हो कि पोलीसके ओहदेदार उसकी अवश्यही खोज करलेंगे। तो शिवशं-करने झूठी गवाही बनाई।

१–जब तारीख दस्तावेज कि जो दूसरी प्रकारपर रजिष्टरीके लिये पेश नहीं होसकती थी रजिष्टरी करा पानेके अभिप्रायमे बदली गई तो वह जालका अपराध नहीं है जबतक कि कोई प्रमाण इस बातका न हो कि उपरोक्त काम बद दियानतीसे या छलछिद्रकी राहसे दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा४६४जिमन २ के अभिप्रायानुसार किया गया, परन्तु गवाहीका अपराध दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १९२ के अभिप्रायानुसार है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४९२)

२–अपराधीने जो एक वकील था मुंसिफ जिलाकी अदालतमें एक वकालतनामा पेश किया जिसपर एक दीवानीके मुकद्दमेमें प्रतिवादी (मुद्दआअलेह) के दस्तखत थे और जिसके द्वारा अपरा-धीको प्रतिवादीकी ओरसे पैरवी करनेकी आज्ञा दी गई–वकालतनामामें यह झूठ लिखा था कि वह उस गाँवके अधिकारीके सामने लिखा गया है और उस पर अधिकारीके दस्तखत भी पाये जाते थे–अपराधीको हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा १९३ के अपराधमे दड दिया गया–हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि ऐसा मुकद्दमा इस दफाके अभिप्रायमे नहीं आता है और इसलिये अपराधी दडके अयोग्य है (मदरास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ३७३)

३–किसी अपराधीका अपनी सफाईके लिये झूठी गवाही बनाना दंडसग्रह हिन्दुस्थानके दफा १९२ के अनुसार अपराधमें गिना जायगा (पजाब रिकार्ड न० १० सन् १८८० ई०)

(१९३) जो कोई मनुष्य अदालती कार्रवाईकी किसी अवस्था (हालत) में जानबूझकर झूठी गवाही दे या इस अभिप्रायसे झूठी गवाही बनाये कि वह अदालतको किसी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें काममे लाई जाए तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा—

झूठी गवाहीका दंड.

और जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी और अवस्थामें झूठी गवाही दे या बनावे तो उसको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीनवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—१ जो कोई अभियोग किसी कोर्ट मारशलमे उपस्थित हो उसकी जांच और तजवीज अदालतकी एक कार्रवाई है ।

स्पष्टीकरण—२ किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुजूरकी कार्रवाईसे पहले जिस जांच (तहकीकात) के मध्ये कानूनानुसार आज्ञा हो वह जांच अदालती कार्रवाईकी एक अवस्था है चाहे वह जाच किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुजूरमें न हुई हो ।

उदाहरण ।

शिवशकर किसी जांचमे जो मजिस्ट्रेटके सामने इस अभिप्रायसे होरही हो कि रमाशंकर विचार (तजवीज) के लिये सेशनमे सिपुर्द किया जाय या नहीं शपथसे कुछ बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो जो कि यह जांच (तहकीकात) अदालतकी कार्रवाई की एक अवस्था है इसलिये शिवशकरने झूठी गवाही दी ।

स्पष्टीकरण—३ कोई जाच जिसके लिये कानूनके अनुसार किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी ओरसे अनुरोध हो और जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी आज्ञाके अनुसार वर्त्तावमें आवे अदालतकी कार्रवाईकी एक अवस्था है चाहे वह जांच किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुजूरमें न हुई हो ।

उदाहरण ।

शिवशकर एक जाचमे किसी अहलकारके सामने जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी ओरसे किसी खेतकी सीमा दरियाफ्त करनेके लिये नियत हुआ हो शपथके अनुसार कुछ बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो जो कि यह जांच अदालतकी कार्रवाईकी एक अवस्था है, तो शिवशकरने झूठी गवाही दी ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है ।

१–अपराधी दफा १९३ के अनुसार झूठी गवाही बनानेके अपराधमे व दफा ४१४ दडसग्रह हिदके अनुसार चोरीका माल छिपानेके अपराधमें अर्थात् दोनों अपराधोंमें अलग २ दड पासकता है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३७९)

२–(क) ने (ख) को बहॅकाया कि वह स्टाम्पका कागज (ग) के नामसे लेवे–इस लिये स्टाम्प-बेचनेवालेने स्टाम्पके कागज पर (ग) के नाम कागजका बेचना लिखा और यह कार्रवाई (क) ने इस अभिप्रायसेकी कि उपरोक्त कागजको अदालत दीवानीमें (ग) के विरुद्ध किसी मुकद्दमेमे काम लावे, तजवीज हुई कि अपराध झूठी गवाही बनानेका उसपर प्रमाणित हुआ (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ४ सफा १०५)

३–दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार उस मनुष्यको जिसका बयान पोलीसकी तहकीकातके समयमें अध्याय १४ जाब्ता फौजदारीके अनुसार हुवा हो, अवश्य है कि सच २ उत्तर देवे, यदि वह जानबूझकर झूठा उत्तर देवे तो दडसग्रह हिदकी दफा १९३ के अनुसार झूठी-गवाही देनेका अपराधी है (इ० ला० रि० बबई जिल्द ८ सफा २१६)

४–दंडसग्रह हिदकी दफा १९३ के अपराधमें इस बातके बयान करनेकी आवश्यकता नहीं है कि शपथके अनुसार दिये हुए दो बयानोमेंसे कौन बयान झूठा है यही बात बहुत है कि अपराधीने शपथके अनुसार एक समयमें एक बयान और दूसरे समयमें दूसरा झूठा बयान किया (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७)

५–दडसग्रह हिदकी दफा १८१ व १९३ के अहकामोंका झूठी गवाहीसे सम्बन्ध नहीं है जो दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार किये जाय, पोलीसके अहलकारको जो बयान दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार लिखे दस्तखत उन मनुष्योंके कराना कि जिनके सामने बयान लिखा गया हो कानूनविरुद्ध नहीं है परन्तु अनावश्यक है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा ११)

६–हाईकोर्टको ऐसे हुक्मकी सूरतमे दस्तन्दाजी करनेका अधिकार है जो किसी अदालतने दफा ४०६ जाब्ता फौजदारीके अनुसार प्रचारित किया हो और इस कामकी भी पूरी तजवीज करनेका अधिकार है कि उस अख्तियार तमीजीका निफाज (योग्य अधिकारोका वर्ताव) जो उस दफाके अनुसार किया गया है, उचित रीतिपर हुवा है या नहीं (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३२९)

७–झूठी गवाही देनेके मुकद्दमोंमे ऐसे बयानके प्रमाणित करनेके लिये, कि जिसके मध्ये झूठ होना कहा गया है, एक गवाहकी गवाही बहुत है–दड देना अदालतकी इच्छापर है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १४ सफा ५३)

८–जो गवाह दूसरेके नामसे झूठा बयान देवे उसपर हिदुस्थानके दडसग्रहकी दफा १९३ का अपराध ठहराया जावेगा न कि दडसग्रह हिंदकी दफा ४१५ व ४१९ के अनुसार (बबई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफा ५८९)

९–जब कोई मनुष्य किसी मुकद्दमेमें बयान लिखकर पेश करे और कानूनानुसार उक्त मनुष्यको सच २ बयान करना उचित हो और यदि वह उस लिखावटी बयानमें ऐसा लिखावे

जिसे वह झूठा जानता या झूठ निश्चय करता हो या सच न निश्चय करता हो तो वह दण्डसंग्रह हिंदकी दफा १९१ के अनुसार अपराधी गिना जायगा। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ६२६)

१०-सेशन जजको झूठी गवाही देनेके अपराधके मध्ये जो मजिस्ट्रेटके सामने हुवा हो अधिकार किसी मनुष्यको फौजदारी सिपुर्द करनेका नहीं है परन्तु वह उस मनुष्यको जो स्वयं उसीकी अदालतमे झूठी गवाही दे सिपुर्द फौजदारी करसकता है (बंगाल ला० रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ३५)

११-कैदीकी तजवीजमे जो ज्ञातघातका अपराधी था एक गवाहने शपथ पर सेशन जजके सामने बयान किया कि उपरोक्त अपराधको एक दूसरे मनुष्यने किया है और उसी गवाहने मजिस्ट्रेटके सामने कैदीको उस अपराधका अपराधी ठहराया था तजवीज हुई कि गवाह दण्डसंग्रह हिंदकी दफा १९३ का अपराधी था न कि दफा १९४ का।

१२-जिन सूरतोंमे झूठी गवाही देनेका अपराध कायम करनेके लिये अदालती आज्ञाकी आवश्यकता है उनमें यदि मुकद्दमा विना उपरोक्त आज्ञाके कायम किया जावे और अपराधीको दंड हो जावे तो दंडकी आज्ञा रद्द होनी चाहिये। (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफा २६)

१३-जब किसी मनुष्यका विचार (तजवीज) इस अपराध पर होवे कि उसने शपथ दिलाये जाने पर भी झूठी गवाही दी तो इस बातका प्रमाणित होना आवश्यक है कि अपराधीको शपथ दी गई (वीक्ली रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ९२)

१४-दफा ३१८ जाब्ता फौजदारीके अनुसार जो तहकीकात की जावे वह हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १९३ के लिये एक अदालती कार्रवाई है। (वीक्ली रिपोर्ट जिल्द ७ सफा १०४)

१५-जब कोई असिस्टेन्ट मजिस्ट्रेट किसी गुमनाम चिट्ठीका पता लगानेके लिये कि जिसमें कुछ मनुष्योंपर वधका अपराध लगाया गया था, कोई तहकीकात करे तो वह कार्रवाई अदालती नहीं है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ७२)

१६-अपराधीने समन तामीलकी कैफियत शपथके अनुसार झूठी लिखी तजवीज हुई कि, वह दफा १९३ के अनुसार झूठी गवाही देनेका अपराधी था न कि दफा १८१ के अनुसार (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा २७)

१७-कुछ मनुष्योंको एक ही अदालती कार्रवाईमे झूठी गवाही देनेके मध्ये एक साथ तजवीज करना कानूनविरुद्ध है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ४२)

१८-इस अभिप्रायसे झूठे हिसाबका बनाना कि वह अफसर जंगलके सामने जिसको तहकीकात करनेका अधिकार न था पेश किया जावे, दण्डसंग्रह हिंदकी दफा १९३ का अपराध न ठहराया गया। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १२ सफा १)

१९-झूठी गवाही देना उस अदालतके अपमानमे गिना जायगा कि जिसमें वह दी जावे इस लिये वह अदालत दफा ४७३ ऐक्ट १० सन् १८७२ ई० (जाब्ता फौजदारी) के अनुसार स्वयं अपराधका विचार नहीं करसकती (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १० सफा ७३)

२०—अपराधीने रेलकी चुराई हुई पटरिया अपने शत्रुके घरमे इस अभिप्रायसे छिपवा दी कि वह चोरीके अपराधमे दड पावे तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेटका अपराधीको दो अपराधोंमे अलग २ दंडित करना अर्थात् एक झूठी गवाहीका बनाना इस अभिप्रायसे कि वह अदालती कार्रवाईमें काम आसके दफा १९३ दडसग्रहहिदके अनुसार और दूसरे जानबूझकर चोरीका माल छिपानेमे सहायता करना दफा ४१४ दण्डसग्रहहिदके अनुसार बहुत उचित था (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १ सफा ३७६)

२१—अपराधी झूठी गवाही देनेपर इसलिये अपराधी ठहराया गया कि उसने एक प्रश्नमें जो दफा १९ ऐक्ट ९ सन् १८६९ ई० कानून इन-कमटैक्सके अनुसार तहसीलदारके सामने पेश हुवा था और जिसपर तस्दीककी इबारत लिखी हुई थी जानबूझकर झूठा बयान किया था तजवीज हुई कि तहसीलदारको उपरोक्त प्रश्नके सुननेका अधिकार न था इसलिये उस मनुष्यसे कोई अपराध नहीं हुवा। (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास जिल्द ५ सफा ३२६)

वध दडके योग्य अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायसे झूठी गवाही देना या बनाना.

(१९४) जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये, इस अभिप्रायसे या इस बातका होना सम्भवित जानकर कि उस झूठी गवाहीके कारण किसी मनुष्यको ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित कराये जिसके बदलेमे ब्रिटिश इंडियाके कानूनद्वारा (दफा ७ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० देखो) या इंग्लिस्तानके कानूनद्वारा वधका दण्ड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या कठिन कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और—

यदि निरपराधी मनुष्य उसके कारणसे अपराधी प्रमाणित होजावे और वधका दड पाजावे.

यदि कोई निरपराधी मनुष्य उस झूठी गवाहीके कारणसे अपराधी प्रमाणित हो जावे और वधका दड पा जावे तो उस मनुष्यको जिसने ऐसी झूठी गवाही दी हो, वधका दड दिया जावेगा या वह दड जो इस दफामे ऊपर लिख आये हैं। (दफा ४० को देखो)

देश निकाले या दड कैदके योग्य अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायमे झूठी गवाही देना या बनाना

(१९५) शुद्ध किया गया दफा १२९ ऐक्ट ९ सन् १८९० ई० रेलवे कानूनके अनुसार—जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उस झूठी गवाहीके कारण किसी मनुष्यको ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित कराये जिसके बदलेमे ब्रिटिश इंडियाके कानूनद्वारा (दफा ७ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को) या इंग्लिस्तानके कानूनद्वारा वधका दड तो नहीं ठहराया गया परन्तु देश निकालेका दड या कैद जिसकी मीआद सात वर्ष या अधिक है ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको

वह दंड दिया जावेगा जिसके योग्य वह मनुष्य है जो उस अपराधका अपराधी प्रमाणित होजावे । (देखो दफा ४०)

उदाहरण ।

शिवशंकर किसी कोर्टआफ़जस्टिसमे इस अभिप्रायसे झूँठी गवाही दे कि उसके द्वारा रमाशंकरको डकैतीका अपराधी प्रमाणित कराये तो जो कि डकैतीके लिये देश निकाले या कठिन कैदका दंड नियत है जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है जुर्माने सहित या विना जुर्मानेके, इस लिये शिवशंकर उस देश निकाले था उस कठिन कैदका जुर्मानेसहित या विना जुर्मानेके, योग्य है ।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

१—जब कोई मनुष्य अपना घर स्वयही जला दे और दूसरे मनुष्यपर अपराध लगावे तो उसको अपराधमे दडसंग्रहहिन्दकी दफा २११ के अनुसार दंड होना चाहिये न कि दफा १९५ के अनुसार । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा २६५)

२—एक मनुष्य दंडसग्रह हिन्दकी सफा १९५ के अनुसार इस अपराधका अपराधी ठहराया गया कि उसने एक मनुष्यको अपराधी प्रमाणित करानेके लिये झूठी गवाही बनाई थी अपराधीने इस उक्त कामको एक अत्यतही प्रगटरीतिपर किया था और उससे उपरोक्त मनुष्यको दंड होजानेका भय न था और न यह बात प्रमाणित हुई कि अपराधीने उस मनुष्यको अपराधी ठहरानेके लिये कोई यत्न किया था तजवीज हुई कि अपराधीको ऐसी अवस्थामे दंड नहीं होसकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट-पश्चिमोत्तर देश जिल्द ५ सफा १८८)

झूँठी जानी हुई वजह सबूत (प्रमाण)के कारणको काममे लाना.

(१९६) जो कोई मनुष्य किसी प्रमाणके कारणको जिसे वह जानता हो कि झूँठ या बनाया हुआ है सच्चे या यथार्थ प्रमाणके कारण (वजह सबूत) के समान काममें लावे या काममें लानेका उद्योग करे तो उसको उसी प्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी या बनाई ।

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) मुकद्दमेकी हैसियतसे जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधी एक दीवानी मुकद्दमे मे ऐसी दस्तावेजको जिसे वह जाली जानता था सच्ची दस्तावेजके समान काममें लाया था तजवीज हुई कि यह अपराध दंडसग्रह हिंद की दफा ४७१ के अनुसार है इसलिये अपराधी पर दफा ४७१ का ही अपराध ठहरना चाहिये या न कि दफा१९६ का (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ७१७)

२—जब कोई मनुष्य अदालतमे झूठी गवाही वकील द्वारा पेश करे और आप गैरहाजिर रहे तो वह दंडसंग्रहहिंदकी दफा १९६ के अनुसार दडयोग्य है । रिसाला मोरली साइब जिल्द १ सफा १०४)

३—एक मनुष्य (ल) ने दस्तावेजके अनुसार नालिश दायर की और तहकीकातके समय एक चिट्ठी अपना दावा प्रमाणित करनेके अभिप्रायसे पेश की, कि जो इस कामके अभिप्रायके लिये बनाई गई थी कि (ल) को दस्तावेजपर रजिष्टरी करानेका अवसर मिले—(ल) को दंडसंग्रहाहिदकी दफा १९६ के अनुसार दंड दिया गया तजवीज हुई कि यदि चिट्ठी रजिष्ट्रारके सामने पेश करनेके लिये बनाई गई थी तो कोई उज्र दंडकी तजवीजके मध्ये नहीं है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा २८९)

(१९७) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सार्टीफिकट जारी करे या उसपर दस्तखत करे जिसका दिया जाना या जिसपर दस्तखत किया जाना कानूनानुसार अवश्य है या जो किसी ऐसे काम वाकई (यथार्थ) से सम्बन्धित हो जिसके प्रमाणके कारण की भाति वह सार्टीफिकट कानूनानुसार ले लिये जानेके योग्य है और यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उस सार्टीफिकटमें कोई आवश्यकताकी बात झूँठ लिखी है, तो उस मनुष्यको उसीप्रकारका दंड दिया जायगा कि मानों उसने झूँठी गवाही दी।

झूठा सार्टीफिकट जारी करना या उसपर दस्तखत करना.

१—यदि कोई अदालत मालका चपरासी समनकी तामीलके मध्ये झूठी कैफियत बयान करे और इसप्रकार जानबूझकर नाजिरसे झूँठी इबारत दफा ४६ ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० के अनुसार एक झूठ बातके लिखवानेका कारण हो तो वह चपरासी दंडसंग्रहाहिदकी दफा १९७ के अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ३७)

२—अपराधीने जो अदालत मताल्या खफीफाके दफ्तरमें नकलनवीस था किसी एक दस्तावेजकी नकल जो किसी मिसलके साथ अदालतमें दाखिल हुई थी, इसप्रकार पर गलत बनाई कि उसमे एक ऐसा नाम बढादिया जो वास्तवमे न था और जब कानूनके अनुसार उस नकलकी तस्दीक होगई तब उसके सायल (जिसने उसके लेनेको दरख्वास्त दी थी) को दे दी गई जो कदाचित् अपराधीसे विरुद्धता रखता था, इसके पश्चात् वह नकल एक मुकद्दमेमें उस मनुष्यके मुकाबिले काममें लाई गई कि जिसका नाम छलसे उसमें बढा दिया गया था और उस समय छल पकडा गया—मजिस्ट्रेटने अपराधीको दफा १६७ के अपराधका अपराधी ठहराकर सौ रुपया जुर्माना किया—चीफकोर्टसे तजवीज हुई कि दफा १६७ का सम्बध मुकद्दमेसे न था क्योंकि यह बात प्रमाणित न थी कि अपराधी यह अभिप्राय रखता था या उसको इस बातके होनेकी जानकारी थी कि वह अपने उस कामसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचायेगा वरन अपराधीने झूँठा सार्टीफिकट जारी करने या उसपर दस्तखत करनेका अपराध दफा १९७ के अनुसार किया था और यह भी तजवीज हुई कि दस्तावेजकी नकल करना "दस्तावेज बनाने या अनुवाद करने" मे नहीं गिना जायगा। (पंजाब रिकार्ड नं० १५ सन् १८७९ ई०)

(१९८) जो कोई मनुष्य झूठे तौरसे किसी ऐसे सार्टीफिकटको सच्चे सार्टीफिकटके समान काममें लावे या काममे लानेका उद्योग करे यह जानकर कि उस सार्टीफिकटमें कोई आवश्यकताकी बात झूठ लिखी हुई है तो उसको उसीप्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी।

किसी सार्टीफिकटको जिसमे कोई झूठ बात जानी हुई हो सच्चे सार्टीफिकटके समान काममें लाना.

(१९९) जो कोई मनुष्य किसी बयानमे जो उसने दिया था जिसपर उसने दस्तखत किये हों और जिस बयानको किसी घटना (वाकिआ) के प्रमाणके कारण (वजह) सबूत की भांति ले लेना किसी कोर्ट आफ जस्टिस या किसी सरकारी नौकर या किसी और मनुष्यपर कानूनानुसार उचित या उसके लिये कानूनानुसार अवश्य हो उस अभिप्रायके किसी आवश्यकताके काम (अम्र अहम) के मध्ये जिसके लिये वह बयान दिया गया या काममें लाया गया है कुछ बयान करे जो झूठा हो या जिसका झूठा होना या तो वह जानता या निश्चय करता हो या जिसका सच्चा होना वह निश्चय न करता हो तो उस मनुष्यको उसीप्रकार दंडदिया जायगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी।

झूठा बयान करना किसी इजहारमें, जो कानूनानुसार प्रमाणके कारणकी भांति लिये जानेके योग्यहो

१—ऐक्ट काश्तकारी बंगालमे अधिकार किसी कार्रवाईका नहीं है कि जिसके अनुसार कोई मनुष्य मूल कारण बतलानेके लिये बुलाया जावे कि वह दस्तावेजात व कागजात ऐसी जायदादके सिपुर्द क्यों न करदे कि जिसका कोई सर्वसाधारण (आ) प्रबंधकर्त्ता (मुहतमिम) नियत कियागया है, यदि ऐसी कार्रवाईमे जो कोई मनुष्य झूठी गवाही देवे उसपर दंडसंग्रहहिंदकी दफा १९३ या १९९ के अनुसार अपराध न प्रमाणित होगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ७२४)

(२००) जो कोई मनुष्य झूठे तौरसे किसी ऐसे बयानको सच्चे बयानकी भांति काममें लावे या लानेका उद्योग करे यह जानकर कि उसमें कोई आवश्यकताकी बात झूठी है तो उसको उसीप्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी।

झूठ जाने हुए किसी बयानको सच्चेकी भाँति काममें लाना.

स्पष्टीकरण—१ प्रत्येक ऐसा बयान जो केवल किसी कानूनकी विरुद्धताके कारण ले लिये जानेके योग्य न हो दफा १९९ और २०० के अभिप्रायमें गिनाजायगा।

(नोट) (इस दफा तककी टीप अर्थात् अदालतसेशन आदि तथा जमानत आदिका ब्यौरा दफा १९६ के अनुसार समझना चाहिये)

(२०१) जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि कोई अपराध हुवा है उस अपराधके होनेके किसी प्रमाणको इस अभिप्रायसे छुपावे कि अपराधीको उचित दंडसे बचावे या इसी अभिप्रायसे उस अपराधके मध्ये कुछ समाचार दे जिसको झूंठा होना वह जानता या निश्चय करता हो तो यदि उस अपराधके बदलेमे जिसको वह जानता या निश्चय करता है वधका दंड ठहराया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्ष तक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा,—

अपराधीको अपराधसे बचानेके हेतु प्रमाणको छुपाना अथवा झूठा समाचार देना.

यदि वधके दंड योग्य हो.

और यदि उस अपराधके बदलेमे देश निकालेका या ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा,—

यदि देश निकालेके दंडके योग्य हो.

और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है जिसकी मीआद दश वर्षसे कम हो तो उस मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है और जिसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे। (दफा ४० को देखो)

यदि कैदका दंड दश वर्षसे कम हो.

उदाहरण।

शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरने उमाशंकरको मारडाला है लाश छुपानेमे इस अभिप्रायसे रमाशंकरकी सहायता करे कि रमाशंकरको दंडसे बचाए तो शिवशंकर सात वर्षके लिये दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदके योग्य है और जुर्मानेके भी योग्य है।

टीप–(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नही (५) राजीनामा नहीं है।

१–दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०१ उन प्रमाण छुपानेवाले मनुष्योंसे सम्बन्ध रखती है जो स्वयं अपराधी नहीं। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७१४)

२–दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०१ के अनुसार अपराधीको दंड देनेके लिये इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि प्रमाण छुपानेके जिस अपराधमे दंड दिया गया वह वास्तवमें सचमुचही किया गया था (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा २७९)

३—जो मनुष्य अपराध होनेमे असल मनुष्यके समान सम्बन्ध रखता हो वह उपरोक्त अपराधके प्रमाण छिपानेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ७४९)

४—यदि कोई मनुष्य स्वयं अपने किये हुए अपराधके प्रमाणके कारणको छुपावे तो उसको दडसंग्रहहिन्दकी दफा २०१ के अनुसार दंड नही हो सकता (रि० हाईकोर्ट बंबई जिल्द ८ सफा १२६)

५—पहिले इसके कि अपराधी दंडसंग्रहहिदकी दफा २०१ का अपराधी ठहराया जावे, प्रमाणित होना इस बातका आवश्यक है कि वह अपराध जिसके प्रमाणके कारणके छुपानेका दोष लगाया गया है वास्तवमे हुवा था और यह कि अपराधी उस वृत्तांतको जानता था या उसको ऐसी जानकारी हुई थी कि जो इस अपराधके होनेको निश्चय करनेके लिये बहुत थी (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ११ सफा ६१९)

६—कैदी ज्ञातघातके अपराधके समय उपस्थित था परन्तु उसको पहिलेसे यह जानकारी न थी कि उपरोक्त अपराध होनेवाला था उसने डरके कारणसे केवल उस अपराधके होनेको रोकनेमे ही यत्न नही किया वरन लाशके छुपानेमे भी घातकोंके साथ रहा। तजवीज हुई कि कैदी ज्ञातघातमें सहायता करनेका अपराधी न था वरन अपराधके प्रमाणके कारणको छुपानेका अपराधी था (वीक्ली रि० जि० ६ दफा १६०)

७—एक स्त्री अपने लडके समेत अपने स्वामीके घरसे निकल गई और फिर खोज करनेके पश्चात् अपने एक रिस्तेदारके घरमे मिली परन्तु उस लडकेका पता न लगा, इसलिये उस स्त्रीपर लडकेके मार डालनेका अपराध लगाया गया और उसने उस लडकेके मध्ये तीन अलग २ बयान किये, पहिले यह कि, वह उस लडकेको अपने स्वामीके यहा छोडगई थी, दूसरे यह कि एक मनुष्य रकील नामक उससे वह लडका उसके बापके यहां पहुँचानेको ले गया था तीसरे यह कि एक मनुष्य हिदायतउल्लानामकने उस लडकेको नदीमे बहादिया था—सेशन जजने इस तीसरे बयानको सही समझकर उस स्त्रीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २०१ के अनुसार प्रमाणके कारणके छुपानेका अपराधी निश्चय किया तजवीज हुई कि हिदुस्थानके दडसंग्रहकी दफा २०१ उस अवस्थासे सम्बन्धित नहीं है जब कोई मनुष्य जो अपराधी ठहराया गया हो अपनेको बचानेके लिये दूसरेको अपराधी ठहराये (इ०ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा १८९)

किसी अपराधका समाचार देनेमें वह मनुष्य जान बूझकर चूक करे जिसपर समाचार देना अवश्य है.

(२०२) जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि कोई अपराध हुवा, जानबूझकर उस अपराधके मध्ये किसी ऐसे समाचारके देनेमें चूककरे जिसका देना कानूनानुसार उसपर अवश्य है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे। (दफा ४० देखो)

टीप–(१) प्रे० म० था म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) समन (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१–किसी मनुष्यपर दडसग्रहहिंदकी दफा २०२ के अनुसार अपराव लगानेके पाहिले निम्नलिखित बातोंका प्रमाण होना आवश्यक है (१) यह कि अपराधीको अपराधके होनेकी जानकारी थी या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता था (२) यह कि उसने जान बूझकर उपरोक्त अपराधकी सूचना नही की (३) यह कि अपराधीको उपरोक्त सूचनाका देना कानूनानुसार अवश्य था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा ३१)

किसी अपराधके मध्ये झूंठा समाचार देना.

(२०३) शुद्ध हुई दफा ६ ऐक्ट ३ सन् १८९३ ई० के अनुसार—जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि कोई अपराध हुवा है उस अपराधके मध्ये कोई समाचार दे जिसका झूठा होना वह जानता या निश्चय करता हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दड या दोनो दड दिये जावेगे । (दफा ४० को देखो)

स्पष्टीकरण—दफा २०१ और २०२ में और इस दफामे "अपराध" के शब्दमें प्रत्येक काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इडियाके किसी बाहरी स्थानमे हुवा हो और जो ब्रिटिश इडियाके भीतर होनेकी अवस्थामें निम्नलिखित दफाओं अर्थात् दफा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, ४५९, ४६० मेंसे किसी दफाके अनुसार दंड योग्य हो ।

(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नही है ।

१—दडसंग्रहहिंदकी दफा २०३ का अपराध प्रमाणित करनेमें केवल यही बात काफी नहीं है कि अपराधी अपराधके होनेका निश्चय करता था, बरन यह भी प्रमाणित होना चाहिये कि वास्तवमेंही अपराध हुवा था और अपराधी उससे जानकार था या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफा ६६)

प्रमाणके कारणकी भाति किसी दस्तावेजको पेश किये जानेसे रोकनेके लिये उसे नष्ट करना,

(२०४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी दस्तावेजको छुपाए या नष्ट कर डाले जिसको वह किसी कोर्टआफजस्टिसके इजलासमे या किसी कार्रवाईमें जो कानूनानुसार किसी सरकारी नौकरके सामने उसकी सरकारी नौकरीके अधिकारसे होरही हो प्रमाणकी भाति पर पेश करनेके लिये कानूनानुसार विवश हो सके या उस सब दस्तावेज या उसके किसी भागको मिटाडाले या ऐसा कर दे कि पढी न जाय इस अभिप्रायसे कि उस कोर्ट या उस

उक्त सरकारी नौकरके सामने उस दस्तावेजका प्रमाणके कारणकी भांति पेश होना या काममें आना रुकजावे या इसके पश्चात् ऊपर लिखे हुए अभिप्रायको दस्तावेजके पेश करनेके लिये कानूनानुसार आज्ञा या हिदायत हो चुकी हो, उपरोक्त कामोंमेसे किसी कामका अपराधी हो तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दोवर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या० म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

१—वादी (मुद्दई) ने नालिशमे जो रजामदीसे पंचायतके सिपुर्द हुई थीं दस्तावेजको जो पचके यहां थी छीन लिया और वह उसको लेकर चलागया और उसको पेश करनेसे इन्कार किया—तजवीज हुई कि वास्तवमे अपराध हुआ परंतु वह चोरीका अपराध न था बरन दडसंग्रहहिंदकी दफा २०४ का अपराध था ॥ (इं० ला० रि० मदरास जिल्द ३ सफा २६१)

(२०५) जो कोई मनुष्य झूँठमूठ कोई और मनुष्य बनकर उस बनी हुई सूरतमें कोई प्रतिज्ञा (इकरार) या बयान करे या कोई इकबाल दावा दाखिल करे या कोई आज्ञापत्र (हुक्मनामा) जारी कराए या हाजिरजामिन या मालजामिन होजाए या दीवानी या फौजदारीके किसी मुकमद्दमे कोई और काम करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

किसी मुकद्दमेमें किसी काम या अमलदरामदके अभिप्रायसे झूठमूठ कोई और मनुष्य बनना.

टीप—(१) अदालत अंशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—दडसग्रहहिंदकी दफा २०५ का अपराध हो सकता है जब कि कोई मनुष्य अपनी कल्पित सूरत बनावे । (इंडियन ज्यूरिष्ट सफा १२२)

२—दडसग्रहहिंदकी दफा २०५ का अपराध उस अवस्थामे प्रमाणित होगा कि जब अपराधीने उस मनुष्यके नाम और वस्त्र आदिका धारण किया हो जिसके बननेका दोष उसपर लगाया गया हो, इसलिये दूसरे मनुष्यके नामसे कोई सवाल देना और जबतक उससे पूछा न जावे तब तक अपना नाम प्रगट न करना उपरोक्त अपराधके प्रमाणित करनेके लिये काफी नहीं है ।

(२०६) जो कोई मनुष्य छलछिद्रसे किसी मालको या किसी अधिकारको जो उस मालमें हो इस अभिप्रायसे दूर करे या छिपाये या किसीके नाम कर दे या किसी मनुष्यके सिपुर्द कर दे कि उस आज्ञाके अनुसार जो किसी कोर्टआफजस्टिस या किसी अधिकारी हाकिमकी ओरसे हुई हो या जिसको वह जानता है कि उस आज्ञाका होना सम्भवित है वह माल या अधिकार जो उस मालमें है, जब्ती या जुर्मानेके बदलेमें या उस डिगरी या आज्ञाके पूरे होनेमें जो दीवानीके किसी मुकद्दमेमें किसी कोर्टआफजस्टिसने जारी की हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उसका जारी होना सम्भव है लिया न जावे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे।

छलछिद्रसे उठा ले जाना अथवा छुपादेना किसी वस्तुका इस अभिप्रायसे कि जब्ती अथवा इजरायडिगरीमे उसका कुर्क किया जाना रुक जाय

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) वारंट (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१–जो मनुष्य छलसे किसी जायदादको दूसरेके नाम कर देवे, इस अभिप्रायसे कि वह इजराय डिगरीमें नीलाम न होसके तो डिप्टी मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २०६ का अपराध उसे लगाकर उसे दण्डित करे, यद्यपि उस अपराधकी फैसल दफा ४५ ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० के अनुसार होसकता है। (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द २ सफा ४)

२–दण्डसंग्रह हिंदकी दफा २०६ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि जायदाद छल छिद्र द्वारा इस अभिप्रायसे अलग करदी गई थी कि वह जब्त न होसके या डिगरी या जुर्मानेके बदले जब्त होनेसे बच जावे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा ६५).

(२०७) जो कोई मनुष्य किसी मालको या किसी अधिकारको जो उस मालमें हो छलसे स्वीकार करे या अपनी सिपुर्दगीमें ले या उसका दावा करे यह जानकर कि उस माल या अधिकारमे उसका कुछ अधिकार या उचित दावा नहीं है या किसी माल या उस अधिकारके किसी सबबके मध्ये जो उस मालमें है कोई धोखा देवे इस अभिप्रायसे कि उसके कारण वह माल या अधिकार जो उस मालमें है ऐसी आज्ञाके अनुसार जो किसी कोर्टआफजस्टिस या किसी और अधिकारी हाकिमकी ओरसे हुई हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उस आज्ञाका होना सम्भव है जब्ती या जुर्मानाके बदलेमें या किसी ऐसी

जब्तीकी भाँति या किसी डिगरीके मध्ये किसी मालका कुर्क किया जाना रोकनेके लिये छलसे उसका दावा करना

डिगरी या हुक्मकी तामीलमें जो किसी कोर्टआफजस्टिसकी ओरसे दीवानीके किसी मुकद्दमेमें जारी हुई हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उसका जारी होना सम्भवित है, लिया न जाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दड दिये जावेंगे ।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अनुचित रुपयेके लिये छलसे डिगरी जारी होने देना.

(२०८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यके दावामे ऐसे रुपयेके लिये जो पटाने योग्य न हो या उस रुपयेसे जो उस मनुष्यके पटाने योग्य है अधिक हो, या किसी माल या अधिकारके लिये जो उस मालमे हो जिसका वह मनुष्य अधिकारी न हो छलसे अपने ऊपर डिगरी या हुक्मजारी कराए या जारी होनेसे या किसी डिगरी या हुक्मको उसकी कार्रवाई होचुकनेके पश्चात् अपने ऊपर या किसी ऐसी वस्तुके लिये जिसके मध्ये उसकी कार्रवाई हो चुकी हो छलसे जारी कराए या जारी होने दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकर, रमाशंकरपर दावा करे और रमाशंकर यह जानकर कि मुझपर शिवशंकरका डिगरी पाना अति संभवित है उमाशंकरके दावेमे जिसका उसपर कुछ उचित दावा नहीं है इस अभिप्रायसे अपने ऊपर छल द्वारा अधिक तादादके मध्य फैसला होने दे कि उमाशंकर अपने लिये चाहे उसीके लिये रमाशंकरके मालके जरनीलाममेंसे जो शिवशंकरकी डिगरीके अनुसार नीलाम हो हिस्सा पावे तो रमाशंकरने इस दफाके अनुसार अपराध किया ।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

कोर्ट आफ जस्टिसमे वददियानतीसे झूठा दावा करना.

(२०९) जो कोई मनुष्य छलसे या बद दियानतीसे या किसी मनुष्यको हानि पहुँचाने या कष्ट देनेके अभिप्रायसे किसी कोर्टआफजस्टिसमें कुछ दावा करे जिसका झूठा होना वह जानता हो तो उसको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३ प्रारंट (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—जब कोई मनुष्य ऐसी डिगरीको जारी करानेके लिये दरख्वास्त देवे कि जिनका रुपया पट चुका है तो उसके कामसे दडसग्रह हिंदकी दफा २१० का सम्बन्ध है न कि दफा २०९ का—दफा २०९ उन झूठे और छली दावियोंसे सम्बन्ध रखती है जो कोर्ट आफ जस्टिसमें किये जाय और उस अदालत दीवानीके साथ सम्बन्ध रखती है जिसमें आरम्भकीही नालिश दायर की गई हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ३७)

(२१०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर ऐसे रुपयेके मध्ये जो उचित नहीं है या जो उचितसे अधिक है या किसी ऐसे माल या अधिकारके मध्ये जो उस मालमें हो और जिसका वह अधिकारी नहीं है कोई डिगरी या हुक्म छलसे प्राप्त करे या कोई डिगरी या हुक्म उसकी कार्रवाई हो चुकनेके पश्चात् किसी मनुष्य पर जारी कराए या किसी ऐसी वस्तुके लिये जारी कराए जिसके मध्ये उसकी कार्रवाई होचुकी हो या छलसे इस प्रकारका कोई काम अपने नामसे होने दे या उसके करनेकी आज्ञा दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायेगा जिसकी मीआद दो वर्ष हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगें।

अनुचित रुपयेके लिये छलसे डिगरी प्राप्त करना.

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—फरियाद करनेवाले (मुस्तगीस) ने कहा कि तीन मनुष्योंने मेरे हाथ और टाँग पकड़कर धरतीपर गिरा दिया और घूँसा, पत्थर और जूते मेरे छातीपर मारे उनमेंसे एकने दूसरेको चाकू देकर कहा कि वह चाकू मेरे (फरियादी) चुभोदे तजवीज हुई कि ऐसे मुकद्दमेमें दस्तबरदारीकी इजाजत देना न चाहिये थी। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ३७८)

२—यदि कोई मनुष्य ऐसी डिगरीके जारी करानेकी दरख्वास्त करे जिसका रुपया पट चुका हो तो दण्ड-सग्रहहिन्दकी दफा २१० के अपराधका वह मनुष्य अपराधी होगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ३७)

३—एक डिगरीदारने अपनी डिगरी इजराय की एक दरख्वास्त दी यह दरख्वास्त इस लिये खारिज की गई कि डिगरीका रुपया पट गया था—मदयूनको दफा २१० के अनुसार डिगरीदारपर मुकदमा चलानेकी आज्ञा हुई—तजवीज हुई कि डिगरी इजरा नहीं होने पाई थी इसलिये दफा २१० के अनुसार कोई अपराध नहीं ठहर सकता। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २३, सफा ९७१)

हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे झूठ मूठ अपराध लगाना.

(२११) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसपर फौजदारीमे नालिश दायर करे या कराये या किसी मनुष्य पर किसी अपराध होनेके मध्ये झूठ मूठ दोष लगाए यह जानकर कि न्यायानुसार या कानूनानुसार उस मनुष्यपर उस नालिश या दावेकी कुछ जड नहीं है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमे से किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दड या दोनो दड दिये जावेगे और यदि वह फौजदारीकी नालिश किसी ऐसे अपराधके झूठे दावेसे दायर कीजाए जिसके बदलेमे दड वध या देश निकाला या सात वर्ष या अधिक मीआदकी कैद ठहराई गई है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही कर सकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—हिंदुस्थानके दडसग्रहकी दफा २११ का अपराध कायम करनेके लिये केवल झूठा दोष ही लगाना बहुत है, चाहे नालिश न की जाय (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ४१७)

२—डिप्टी मजिस्ट्रेटको ऐसी आज्ञाके मध्ये दलील करनेका अधिकार नही है जो उसके अफसरने दंडसग्रह हिंदुस्थानकी दफा १८२ व २११ के अभिप्रायानुसार फौजदारीकी नालिश करनेकी मजूरी दी हो वह मजूरी चाहे सही दी गई हो चाहे गलत, परन्तु अपराधी दलील कर सकता है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द सफा ८६९)

३—पहिले इसके कि तजवीज किसी मनुष्यकी दफा २११ दडसग्रह हिंदके अपराधकी होवे उसको मुकद्दमेकी असलियत (यथार्थता) को प्रमाणित करनेका अवसर दिया जावेगा जब कि वह मनुष्य उससे लाभ उठानेकी प्रार्थना करे, और यह अवसर न पोलीसके सामने बरन मजिस्ट्रेटके सामने मिलना चाहिये । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४९७)

४—विना गवाहोंका बयान सुने कि जिनको अपराधी पेश किया चाहता है दंडसग्रह हिंदकी दफा २११ के अभिप्रायानुसार फौजदारीकी नालिशकी आज्ञा देना अनुचित है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ५८४)

५—अपराधके विचारके लिये यह बात अवश्य है कि झूठका अपराध उस अदालत या हाकिमके सामने जिसको जाच करने तथा दौरा सिपुर्द करनेका अधिकार प्राप्त है कायम किया जावे (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६६२)

६—अकस्टरा आसिस्टन्ट कमिश्नरको पोलीसकी रिपोर्टके आनेपर रिपोर्टरके मजमूनसे अपराधीको सूचना कर देनी थी और उसको अपने मुकद्दमेके प्रमाण (सबूत) के लिये अवसर

देना चाहिये था तब मुकद्दमेको फैसल करना उचित था। (इं० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफा ८७)

७—जब कोई मनुष्य विशेष करके इस बातकी नालिश करे कि दूसरे मनुष्यने कोई अपराध किया है और उपरोक्त मनुष्य ऐसा काम ऐसे दूसरे मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे करे तो वह दफा २११ दंडसग्रहहिंदके अपराधका अपराधी होगा। (इं० ला० रि० बम्बई जिल्द ७-सफा १८४)

८—यदि दोष कुभावसे न लगायाजावे वरन केवल बेपरवाहीसे लगाया जावे तो दोष लगाने वाला दंडके योग्य नहीं है चाहे उसका वर्त्ताव ऐसा समाचार पानेपर हुवा हो जो किसी बुद्धिमान् मनुष्यके माननेके लिये पूरा न था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा १०)

९—एक पोलीसके अहलकारने यह रिपोर्ट की कि अमुक मनुष्यने अमुक अपराध किया था और फिर अपने अफ्सरकी आज्ञानुसार जो उसकी रिपोर्टसे हुई उस मनुष्यपर झूठा अपराध लगाया तजवीज हुई कि उपरोक्त अफ्सर दंडसग्रहहिन्दकी दफा २११ के अपराधका अपराधी हुआ था और उसका यह कहना कि उसने अपने अफ्सरकी आज्ञानुसार वर्त्ताव किया था उसको कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकता था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ४५)

१०—यदि कोई मनुष्य अपना घर स्वयही जलादे और दूसरेपर उसका दोष लगावे तो वह दंडसग्रहहिंदकी दफा २११ के अपराधका अपराधी व उसी दफाके अनुसार दंडके योग्य है दफा १९५ के अनुसार नहीं। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ६५)

११—एक मनुष्यने पोलीसमे यह झूठी फरियाद की कि अमुक मनुष्य उसके लडकेके मार डालनेका कारण हुवा था तजवीज हुई कि फरियादीके कामसे दफा २११ का सम्बन्ध था न कि दफा १८२ का (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ६७)

१२—हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा २११ केवल उन्हीं लोगोंसे सम्बध नहीं रखती जो सरकारी नौकर नहीं है वरन पोलीसके अफसरसे भी सम्बध रखती है जो किसीको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसपर झूठा अपराध लगावे। (वीक्ली रिपोर्टर ११ सफा २)

१३—हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा २११ का अपराध दफा १८२ के अपराधमें गिना जायगा इसलिये मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि चाहे जिस दफाके अनुसार वर्त्ताव करे परतु भारी मुकद्-मोमे दफा २११ का ही वर्त्ताव करना उचित है। (इं० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा १३४)

१४—हिन्दुस्थानकी दंडसग्रहकी दफा २११ के अपराधके अपराधीने सेशनजजके सामने बयान किया कि जो नालिश उसने की थी वह झूठी थी और बिना सोचे समझे उसने कर दी थी, सेशनजजने उस बयानको अपराधकी स्वीकारता समझकर अपराधीको ८ महीनेकी कठिन कैदके दंडकी आज्ञा दी परतु उसका उज्र दफा २३७ जाब्ता फौजदारी (ऐक्ट १० सन् १८७२ ई०) के अनुसार नहीं लिखा गया था और न उसको फर्द करारदादजुर्म (अपराधके मान लेनेकी स्वीकारता) सुनाई और समझाई गई—तजवीज हुई कि दंडकी आज्ञा अनुचित थी क्योंकि मिस्लसे यह बात प्रमाणित नहीं होती थी कि अपराधीने एक काम जो दफा २११ दंडसग्रह हिंदकी अपराधमें अत्यत आवश्यक

है मान लिया था अर्थात् दूसरेको हानि पहुँचानेका अभिप्राय और यह बयान उसका कि उसने बिना सोचे समझे नालिश कर दी थी अपराध स्वीकार करनेकी सीमातक नहीं पहुँचता था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा ९६)

१५—ज्वाइंट मजिस्ट्रेटके सामने एक सवाल इस प्रकारका दिया गया कि पोलीसने इस तहकीकातके मध्ये जिसकी हिदायत उसको सायलकी दरख्वास्तपर हुई थी झूठी रिपोर्ट की थी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेटने पोलीसकी रिपोर्ट सुननेके पश्चात् वह सवाल अस्वीकार कर दिया और यह आज्ञाकी कि सायलपर झूँठा दोष लगानेके अपराधमे दंडसंग्रहकी दफा २११ के अनुसार मुकद्दमा कायम किया जावे तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेटको अपराधकी तहकीकातकी जाच करनेके पहिले दफा ४७६ जाब्ता फौजदारीके अनुसार उपरोक्त आज्ञा न करनी चाहिये थी। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा ३१५)

१६—जब कोई मनुष्य कुछ फरियाद करे और वह पोलीसकी रायमे झूठी ठहरे तो मजिस्ट्रेटको उचित नही है कि केवल पोलीसकीही रिपोर्टपर निश्चयकर एक साधारण तौरपर शीघ्रतासे कार्रवाई करे वरन् उसको दफा २११ के अनुसार वर्त्ताव करना चाहिये। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा ५७५)

१७—कैदीको जिसके मध्ये झूठी नालिश करनेके अपराधमें जिमन २ दफा २११ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार दंडकी आज्ञा हुई उसे कैदका दंड जुर्माने समेत होना चाहिये न कि केवल जुर्मानेहीका दंड हो। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा ३४)

१८—वसूल हुए रुपयोंके मध्ये स्टाम्पपर रसीद देनेसे नाहीं करना कानूनानुसार कोई अपराध नहीं है इसलिये नाहीं करनेवालेपर स्टाम्पपर रसीद देनेसे नाहीं करनेके मध्ये झूठी नालिश करना भी कोई अपराध दंड योग्य नहीं है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा ९२)

१९—यदि मजिस्ट्रेट किसी नालिशको झूठी या बेजड (अमूलक) समझे तो उसे समन या वारंट जारी करनेकी आवश्यकता नही है, प्रत्येक नालिश करनेवालेका बयान लेना उसे अवश्यही उचित है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफा २७२)

२०—अपराधीने एक मनुष्यपर झूठी नालिश दफा ३२४ दंडसंग्रहहिंदके अनुसार दायर की और इसी अदालतसे उसको दफा २११ दंडसंग्रहहिंदके अपराधमे दंड हुआ तजवीज हुई कि उपरोक्त अदालतको अपराधीकी तजवीज करनेका अधिकार न था। (पंजाब रिकार्ड नं० ३ सन् १८७७ ई०)

२१—अपराधीने केवल सहायपर यह अपराध लगाया कि उसने अपराधीपर आक्रमण करके उसका दांत तोडडाला था और केवल सहायने उस अपराधसे छूटकर अपराधीपर दफा २११ के अपराध की नालिश की और अपराधीको अदालत सेशनसे दंड मिला हाईकोर्टसे सेशन जजकी इस इबारतसे कि "यद्यपि केवल सहायने स्वयं अपराधीपर आक्रमण करके उसका दाँत नही तोडा था उसने उपरोक्त कामके मध्ये अपने नौकरोको बहँकाया था और उन्होने वह काम किया था" तजवीज हुई कि केवल सहायक उपरोक्त आक्रमणके होनेके समय वहाँ-

पर उपस्थित था इस कारण कानूनानुसार इस अपराधका करनेवाला हुवा इसलिये अपराधीने जो उसपर नालिश की थी, वह दफा २११ के अभिप्रायसे झूठी न थी इसलिये अपराधीके दंडकी आज्ञा रद्द कीगई। वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह फरवरी सन् १८८३ ई० सफा ३९)

अपराधीको आश्रय देना.

(२१२) शुद्ध हुआ दफा ७ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार—जिस अवस्यामें कि कोई अपराव हुवा हो तो जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे किसी मनुष्यको आश्रय दे या छिपाये जिसका अपराधी होना वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि उस अपराधीको उचित दंडसे बचाए,—

यदि वध दंडके योग्य हो

(तो यदि उस अपराधके बदलेमे वधका दंड ठहराया गया हो तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद पाच वर्षतक होसकती है और यह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और—

यदि देश निकाला या कैदके दंड योग्य हो.

यदि उस अपराधके बदलेमे देश निकाले या ऐसी कैदका दंड ठहराया गया हो जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी कैदका दंड ठहराया गया हो जिसकी मीआद एक वर्षसे अधिक और दश वर्षसे कम हो तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदकी वडीसे वडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

(१) शब्द "अपराध" में इस दफामे प्रत्येक ऐसा काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इंडियाके बाहर किसी स्थानमें हुवा हो और जो ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेकी अवस्थानमें निम्नलिखित दफो अर्थात् दफा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, ४५९, व ४६० मेंसे किसी दफाके अनुसार दंड योग्य होवे और ऐसा प्रत्येक काम इस दफाके अभिप्रायोंके लिये दंड योग्य समझा जायगा इसप्रकारपर कि मानों अपराधी मनुष्य ब्रिटिश इंडियाके भीतर उपरोक्त कामका अपराधी हुवा था।

छूट।

इस दफाकी आज्ञा उस अवस्थामे सम्बन्ध न रक्खेगी कि जब आश्रय देना छुपाना अपराधीके शौहर (स्वामी) या उसकी स्त्रीसे हुवा हो।

उदाहरण।

शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरने डाका डाला है, जानबूझकर रमाशंकरको उचित दंडसे बचानेके लिये छिपाए तो इस अवस्थामे जो कि रमाशंकर देश निकालेके दंड योग्य है इसलिये शिवशंकर दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदके योग्य होगा जिसकी मीआद तीन वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है.

१-हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २१२ के अपराधकी तजवीजको कायम रखनेके अभिप्रायसे इस बातकी आवश्यकता है कि गवाही इन बातोंकी होनी चाहिये। (१) कोई अपराध किया गया। (२) उस अपराधके अपराधीको आश्रय दिया गया या वह छिपाया गया। (इ० ला० रि० जिल्द १२ सफा ४३२)

अपराधीको दंडसे बचानेके लिये इनाम आदि लेना.

(२१३) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको छिपावे या किसी मनुष्यको किसी अपराधके उचित दंडसे बचावे या किसी मनुष्यको उचित दंड दिलानेका उपाय न करनेके बदले अपने लिये या किसी और मनुष्यके लिये कुछ इनाम या कोई वस्तु प्राप्त या स्वीकार करे या प्राप्त करनेका उद्योग करे या स्वीकार करनेपर राजी हो तो,-

यदि वध दंडके योग्य हो.

यदि उस अपराधके बदलेमे वधका दंड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और-

यदि देश निकाले अथवा कैदके दंड योग्य हो.

यदि उस अपराधके बदलेमे देश निकालेका दंड या ऐसी कैद ठहराई गई है जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि

उस अपराधके बदलेमे ऐसी कैदका दड ठहराया गया है जो दश वर्षसे कम हो तो उस मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकेगी जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दड या दोनो दड दिये जावेगे (देखो दफा ४०)

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

अपराधीको दडसे बचानेके बदले इनाम देना या कुछ वस्तु फेर देनी.

(२१४) जो कोई मनुष्य कोई अपराध छिपाने या किसी मनुष्यको किसी अपराधके उचित दडसे बचाने या किसी मनुष्यको उचित दड करानेसे रुके रहनेके बदलेमें किसी मनुष्यको कुछ इनाम दे या पहुँचाये या देने या पहुंचानेको कहे या देने या पहुचानेपर राजी होवे या किसी मनुष्यको कोई माल फेरे या फिराये, या फेरने या फिरानेको कहे या फिराने पर राजी हो, तो:—

यदि अपराध वधके दण्ड योग्य होवे.

यदि उस अपराधके लिये वधका दड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और.—

यदि अपराधका दड देश निकाला या कैदका होवे.

यदि उस अपराधके लिये देश निकाले या ऐसी कैदका दड ठहराया गया है जो दश वर्षतक होसकती है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। और यदि उस अपराधके लिये ऐसी कैदका दड ठहराया गया है जो दश वर्षसे कम हो तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारका दड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहरा है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है उस अपराधके लिये निश्चित की गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दड दिये जावेंगे। (दफा ४० को देखो)

छूट।

दफा २१३ व २१४ की आज्ञाएँ (अहकाम) किसी ऐसी अवस्था (सूरत) से

सम्बन्ध नहीं रखतीं, जिसमें अपराधके मध्ये कानूनानुसार राजीनामा होसकता हो (दफा ६ ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० को देखो)

(नोट) टीप दफा २१३ के अनुसार समझना चाहिये ।

१-हिदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २१४ के अनुसार जो मुकद्दमा तसफियाके लायक न हो वह तसफियाकी रूसे खारिज होजाय तो वह तसफिया नई नालिश करनेको नही रोक सकता (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा ६४)

२-जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेके मुकद्दमेमे, दंडसंग्रहहिंदकी दफा २१४ के अभिप्राया-नुसार राजीनामा नहीं हो सकता, राजीनामा उन फौजदारीके मुकद्दमोंमे होसकता है जिनमें नियतका लिहाज (अभिप्रायका विचार) न हो और जिनके मध्ये नालिश फौजदारीके स्थानपर नालिश दीवानी होसके (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १ सफा १४७)

३-अपराधीने सामीनाथ पिल्लेको इसलिये दश रुपये देने कहे कि वह कोलन्डावेलूके विरुद्ध जिसपर रातके समय सेंध लगानेका अपराध लगाया गया था गवाही न देवे—परन्तु सामीनाथ पिल्लेने कोलण्डावेलूके विरुद्ध गवाही दी लेकिन् वह अपराधसे छोड दियागया । अपराधीपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा २१४ का अपराध लगाया गया परन्तु छोड दियागया, तजवीज हुई कि, अपराधीको छोडदेना उचित था । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ४००)

४-आक्रमण (हमले) के अभियोगमें राजीनामा होसकता है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १६)

५-उस स्त्रीके स्वामीने जिसके साथ व्यभिचार (जिना) हुवा था मुकद्दमेकी पैरवीसे नाहीं की इस कारण अपराधी छोड दिया गया, इसलिये हाईकोर्टने भी दस्तन्दाजी करनेसे इन्कार किया। (रि० हाईकोर्ट बंबई जिल्द ५ सफा २७)

चोरीका माल आदि फिरसे पानेमे सहायता करनेके लिये कुछ इनाम लेना.

(२१५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी ऐसे स्थावरधन (मालमनकूला) का जो इस संग्रहके अनुसार दंड दिये जानेके योग्य किसी अप-राधके द्वारा उसके पाससे जाता रहा हो फिरसे पानेमें सहायता करनेके मिस या कारणसे कुछ इनाम ले या लेनेपर राजी हो या लेना स्वीकार करे तो फिर सिवाय इसके कि उपरोक्त मनुष्य अपराधीके पकडवाने और उसको उस अपराधका अपराधी प्रमाणित करानेके लिये अपनी सामर्थ्य भर सब यत्नोंको काममें लाये, उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) वारट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

(२१६) जब कभी कोई मनुष्य जो किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित हुवा हो या जिसपर उस अपराधका दोष लगाया गया हो उस अपराधके लिये उचित चौकसी (हिरासत) मे होकर उस चौकसीसे भाग जाए, या जब कभी कोई सरकारी नौकर अपने ओहदेका नीतिपूर्वक अधिकार वर्तनेमे किसी अपराधके लिये किसी विशेष मनुष्यको पकडे जानेकी आज्ञा दे तो जो कोई मनुष्य उस भाग जाने या उस पकडने (गिरफ्तारी) की आज्ञाको जानकर उस मनुष्यको न पकडे जानेके अभिप्रायसे आश्रय दे या छुपावे तो उपरोक्त मनुष्यको नीचे लिखे हुए नियमके अनुसार दंड दिया जावेगा, अर्थात्—

ऐसे अपराधीको आश्रय देना जो चौकसीसे भागा हो या जिसके पकडनेकी आज्ञा हो चुकी हो.

यदि उस अपराधके बदलेमें जिसके लिये वह मनुष्य चौकसीमे था या जिसके लिये उसके पकडे जानेकी आज्ञा दीगई है बधका दंड नियत (मुकर्रर) है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और:—

यदि अपराध बधके दंड योग्य हो.

यदि उस अपराधके बदलेमे देश निकालेका दंड या दश वर्षकी कैद नियत हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्ष तक हो सकती है जुर्मानेसहित या विना जुर्मानेके दी जावेगी और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी कैदका दंड नियत है जो एक वर्षसे अधिक और दश वर्षसे कम हो तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकेगी जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है, या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेंगे। (देखो दफा ४०)

यदि देश निकालेके दंड या कैदके योग्य हो

"अपराध" के शब्दमें इस दफामें प्रत्येक ऐसा काम या चूक कामभी शामिल है, जिसके अपराधी होनेका ब्रिटिश इण्डियाके बाहर किसी ऐसे मनुष्यके मध्ये बयान किया गया है जो ब्रिटिश इण्डियाके भीतर उसके अपराधी होनेकी अवस्थामें अपराध करनेकी भांति दण्ड योग्य होता और जिसके लिये उपरोक्त मनुष्यको अन्य रियासतोंके अपराधियोंके पकडनेके कानूनानुसार या भागे हुए अपराधियोंके ऐक्ट सन् १८८१ ई० के अनुसार या और प्रकार पर ब्रिटिश इण्डियाके भीतर पकडा जाना या चौकसीमें रखा जाना उचित

है और ऐसा हर काम या चूक काम इस दफाके अभिप्रायोके लिये इस प्रकार पर दड योग्य समझा जावेगा कि मानो वह अपराधी मनुष्य ब्रिटिश इण्डियाके भीतर उपरोक्त काम या चूक कामका अपराधी हुआ ।

(दफा २३ ऐक्ट नं० १० सन् १८८६ ई० को देखो)

छूट ।

इस दफाकी आज्ञा उस अवस्थासे सम्बन्ध न रक्खेगी जहा आश्रय देना या छुपाना उस मनुष्यके शौहर (पति) या स्त्रीसे हो, जिसके पकडे जानेका अभिप्राय है ।

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

डाकुओंको आश्रय देनेके बदलेमें दड.

(२१६) (अ) बढाया गया दफा ८ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके जाननेका कारण रखकर कि कोई मनुष्य बलपूर्वक चोरी या डकैती करनेवाले हैं या हालमे उन्होने बलपूर्वक चोरी या डकैती की है, उन सबको या उनमेसे किसी मनुष्यको इस अभिप्रायसे आश्रय दे कि वैसी बलपूर्वक चोरी या डकैतीका होना सहज हो जावे या वह मनुष्य या उनमेंसे कोई मनुष्य दण्डसे बचजावे, तो उसको कठिन कैदका दण्ड जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है दिया जायगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—इस दफाके अभिप्रायोंके लिये यह बात विचारके योग्य नहीं है—कि ब्रिटिश इडियाके भीतर या बाहर बलपूर्वक चोरी या डकैतीके करनेकी इच्छा की गई है या नहीं, या इस प्रकारकी घटना हुई है या नहीं ।

छूट ।

यह आज्ञा उस अपराधसे सम्बंध न रक्खेगी कि जिसमे अपराधीके स्वामी (पति) या स्त्रीकी ओरसे आश्रय दिया जावे ।

दफा २१२ व २१६ व २१६ (अ) मे आश्रयका लक्षण.

(२१६) (ब) बढाया गया दफा ८ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार दफा २१२ व २१६ व २१६ (अ) में शब्द " आश्रय " में किसी मनुष्यका आश्रय देना या उसको खानेपीनेकी वस्तु या रुपया या वस्त्र या युद्धका सामान पहुचाना या बोझा ढोनेका यत्न कर देना या किसी मनुष्यको किसी प्रकारकी गिरफ्तारीसे निकल भागनेमे सहायता देना गिना जायगा ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(२१७) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हो, कानूनकी किसी आज्ञा को जो उस ओहदेके कामसे सम्बन्ध रखती है जिसपर उसको उस सरकारी नौकरीके कारणसे चलना चाहिये जानबूझकर भंग करे इस अभिप्रायसे या इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मनुष्यको नीतिपूर्वकके दण्डसे बचाए या वह मनुष्य जितने दंडके योग्य है उससे कम दंड दिलाए या किसी मालकी जब्ती या किसी खर्चसे जिसका वह कानूनानुसार अधिकारी है, बचाए तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे या मालको जब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे नीतिपूर्वक आज्ञाको न मानना.

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१–दंडसंग्रह हिंदुस्थानकी दफा २१७ का अपराध प्रमाणित होनेके लिये केवल इतनाही बहुत है कि अपराधी मनुष्य अर्थात् सरकारी नौकरने किसी कानूनी आज्ञाको अपराधीके बचानेके लिये भंग किया यह आवश्यकता नहीं कि यह प्रमाणित कियाजावे कि वह मनुष्य जिसके बचानेके लिये आज्ञाभंग की गई वास्तवमें कानूनानुसार दंड पानेके योग्य था या नहीं–(इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा ४१२)

२–अपराधी पर दंडसंग्रह हिंदुस्थानकी दफा २१७ का अपराध लगाया गया परन्तु स्पष्ट २ यह नहीं दरियाफ्त किया गया कि वह कौनसी कानूनी आज्ञा थी जिसको अपराधीने भंग किया था और किस प्रकार भंग की थी तजवीज हुई कि जब किसी अपराधीको ऐसे अपराधके मध्ये दंडकी आज्ञा हुई हो जो स्पष्ट लेख (गैरमुईन इबारत) में बयान की गई हो तो मुकद्दमेकी पैरवी मुद्दईकी ओरसे अपीलमें उसी अर्थके सीमाबद्ध (महदूद) रहना चाहिये जिसमें उपरोक्त अपराध तजवीजके समय समझा गया हो (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द २ सफा १४२)

(२१८) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हो और सरकारी नौकरी होनेके कारणसे किसी सरिश्तेके कागज या किसी और लिखतमका बनाना उसका कर्तव्य कर्म हो और वह उस सरिश्तेके कागज या लिखतमको इस ढंगसे बनावे जिसको वह झूठ जानता हो इस अभिप्रायसे इस बातके होनेको सम्भवित जान कर कि उसके कारण सर्वसाधारणको या किसी मनुष्यको हानि

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे या मालको जब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे गलत लिखतम या मिसल बनावे.

पहुँचावे या इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मनुष्यको उचित दण्डसे बचावे या इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मालको जब्ती या किसी और खर्चेसे जिसका वह माल कानूनानुसार उचित है बचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैद्-का दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

१—सरकारी नौकरको जिसकी सिपुर्दगीमे कुछ दस्तावेजें थी, उपरोक्त दस्तावेजोंके पेश करनेको कहा गया परन्तु उसने पेश नही किया, वरन् उसी प्रकारकी दस्तावेजे इस अभिप्रायसे बनाकर पेश की कि जिससे वह दण्डसे बचजावे—तजवीज हुई कि इस प्रकारकी बनाई हुई दस्तावेजे सरिश्तेके कागज या लिखतम न थी जिनके तैयार करनेका अपराध लगाया था इसलिये अपराधीको दफा २१८ के अभिप्रायानुसार दण्ड नही होसकता और न उपरोक्त दस्तावेजे जाली (कल्पित) प्रमाणित होती हैं, क्योंकि वे उस अभिप्रायसे न बनाई गई थी जिनका वर्णन दफा ४६३ में है इसलिये अपराधीको दफा ४७१ के भी अभिप्रायानुसार दण्ड नहीं होसकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ दफा ५५३)

२—जब कोई पोलीसका अफसर असावधानीसे या अनुचित रीतिपर किसी तहकीकात मौकेके मध्ये झूठी रिपोर्ट करे तो उसको दफा २९ ऐक्ट ५ सन् १८६१ ई० के अनुसार दण्ड होसकता है यदि उसके कामको दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २१८ के अपराधमे लानेके लिये यथोचित प्रमाण न हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १७)

(२१९) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है अदालतकी कार्रवाईकी किसी अवस्थामे कुप्रयोजनसे या ईर्षासे कोई कैफियत तय्यार करे या कोई आज्ञा दे या कोई तजवीज या फैसला करे जिसका कानून-विरुद्ध होना वह जानता हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दिये जावेगे।

सरकारी नौकर जो अदालतकी कार्रवाईमे झूठी तौरसे ऐसी आज्ञा दें, या ऐसी कैफियत आदि बनावे जिसे वह कानूनविरुद्ध जानता हो.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) वारट (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

(२२०) यदि कोई मनुष्य जो किसी ऐसे ओहदेपर है जिसके आज्ञानुसार उसको कानूनानुसार मनुष्योंको तजवीज या कैदके लिये सिपुर्द करने या कैद करनेका अधिकार प्राप्त है उस अधिकारके वर्त्तावमे किसी मनुष्यको कुप्रयोजन या ईर्षासे तजवीज या कैदके लिये सिपुर्द करे या कैद रक्खे यह जानकर कि ऐसा करनेमे मैं कानूनविरुद्ध वर्त्ताव करता हूं तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

उस अधिकारी मनुष्यकी तजवीज मुकद्दमा या कैदके लिये सिपुर्दकरना यह जान बूझकर कि मैं कानूनविरुद्ध करता हू

टीप– (१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—एक कैदीको जो तजवीजके लिये भेज दिया गया था डिप्टी मजिस्ट्रेटने छोड़दिया और सब इन्सपेक्टरने उसको उसी अपराधके मध्ये फिर गिरफ्तार करके चालान करदिया। डिप्टी मजिस्ट्रेटने दूसरी गिरफ्तारीको कानूनविरुद्ध समझा और इसलिये उपरोक्त सब इन्सपेक्टर पर अनुचित कैद (हब्स बेजा) में रखनेका दंड प्रमाणित करके उसपर जुर्माना किया तजवीज हुई कि डिप्टी मजिस्ट्रेटकी आज्ञा बहुत ठीक थी। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १९ सफा २६)

(२२१) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर अपनी सरकारी नौकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका गिरफ्तार करना या कैदमे रखना कानूनानुसार अवश्य है जिसपर किसी अपराधका दोष लगाया गया है या जो किसी अपराधके मध्ये गिरफ्तार किये जानेके योग्य है उस मनुष्यके गिरफ्तार करनेमे जानबूझकर चूक करे या जानबूझकर उस मनुष्यको उस कैदसे भाग जाने दे या भाग जानेके उद्योगमें जानबूझकर सहायता करे तो उसे नीचे लिखे अनुसार दंड दिया जावेगा अर्थात्,–

जिस सरकारी नौकर पर किसीका पकडना कानूनानुसार अवश्य हो उसकी ओरसे पकडनेमें जानबूझकर चूक करना.

दंड. दोनो प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारकी कैद जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमे थाँ या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित था ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके लिये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य था जिसके बदलेमे वधका दंड ठहराया गया है या,–

दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है जुर्मानेके सहित या बिना जुर्माने, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया

जाना उचित था ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके लिये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य हो जिसके बेदलेमे देश निकालेका दड या ऐसी कैदका दड ठहराया गया है जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है, या—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है जुर्माने सहित या विना जुर्मानेके, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित था ऐसे अपराध का दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें दश वर्षसे कम मीआदके कैदका दंड ठहराया गया है । (देखो दफा ४०)

(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही होसकता ।

१—यदि कोई चौकीदार किसी शतघातके अपराधीको अपने मौजेके बाहर किसी विशेष मनुष्यके कहनेपर गिरफ्तार करनेसे नाहीं करे तो वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २२१ के अभिप्रायानुसार (हस्वमन्शाय) दड योग्य नहीं है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६०)

(२२२) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर अपनी सरकारी नौकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका पकडना या कैदमें रखना कानूनानुसार उचित है, जिसको किसी कोर्ट आफ जस्टिसने दडकी आज्ञा दी हो या जो कानूनानुसार चौकसीमें रक्खा गया हो उस मनुष्यके पकडनेमें जान बूझकर चूक करे या उस मनुष्यको जानबूझकर कैदसे भाग जाने दे या उस कैदसे भाग जाने या भाग जानेके उद्योगमे जानबूझकर उस मनुष्यकी सहायता करे तो उसे नीचे लिखे अनुसार दड दिया जावेगा, अर्थात्,—

किसी सरकारी नौकरकी ओरसे जानबूझकर किसी ऐसे मनुष्यकी गिरफ्तारीमें चूक करना कि जिसके मध्ये कोर्टआफजस्टिसने दंडकी आज्ञा दी हो और उस सरकारी नौकरको भी जिसका गिरफ्तार करना कानूनानुसार अवश्य हो.

देश निकालेका दड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद चौदह वर्षतक हो सकती है जुर्माने सहित या बिना जुर्मानेके, यदि उस मनुष्यके मध्ये जो कैदमे था या जिसका पकडा जाना उचित था बधके दडकी आज्ञा होचुकी हो, या;—

दंड

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है जुर्मानेसहित या विना जुर्मानेके, यदि वह मनुष्य जो कैदमें था या जिसका

पकड़ा जाना उचित था किसी कोर्ट आफ जस्टिसके दंडकी आज्ञा या उस दडकी आज्ञाके तबादिलेके अनुसार जन्म भरके देश निकाले या कैदकी अवस्थामे जन्मभरकी दड सेवा या दशवर्ष अथवा अधिक मीआदके देश निकालेका दड या कैदकी अवस्थामे दंड सेवा या कैदके योग्य हो, या,–

दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है जुर्मानेसहित या विना जुर्माने या दोनो दड, यदि वह मनुष्य जो कैदमें था या जिसका पकड़ा जाना उचित था किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी दड आज्ञाके अनुसार ऐसी कैदके योग्य हो जिसकी मीआद दश वर्षसे कम हो यदि वह मनुष्य कानूनानुसार चौकसीमे रक्खा गया हो । (दफा ४० को देखो) (दफा ८ ऐक्ट न० २७ सन् १८७० ई० को भी देखो)

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) मुकद्दमेकी छोटाई बडाईके अनुसार जमानत होसकती है और नहीं भी होसकती (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

सरकारी नौकर असावधानीसे कैदसे भाग जाने दे.

(२२३) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर उसकी सरकारी नौकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका कैदमे रखना कानूनानुसार उचित है उसपर किसी अपराधका दोष लगाया गया हो या जो किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित हुआ हो या जो कानूनानुसार चौकसीमे रक्खा गया हो असावधानीसे उस मनुष्यको कैदसे भाग जाने दे तो उसको साधारण कैदका दडं दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दड या दोनों दड दिये जवेंगे ।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

१—वाजिदहुसेन कानूनानुसार पोलीसके सिपुर्द चौकसीमे किया गया अशरफ अली को उचित था कि वह उस समयतक वाजिदहुसेनको चौकसीमे रखता जबतक कि वह कानूनानुसार छूट न जाता—इसलिये अशरफ अलीको जिसने वाजिदहुसेन को चौकसीमें रखनेकी असावधानीकी दफा २२३ के अपराधमे नीतिपूर्वक दडदिया गया । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२९)

२—दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२३ का केवल ऐसे मुकद्दमोसे सम्बन्ध है जिनमें कि वह मनुष्य जिसको भाग जाने दिया हो चौकसी (हिरासत) मे किसी अपराधके मध्ये हो या सिपुर्द किया गया हो न कि उन मुकद्दमोंसे सम्बध है जिनमे कि ऐसे मनुष्यकी केवल गिरफ्तारी दीवानीके हुक्मनामेके अनुसार कीगई हो । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफा १९०)

(२२४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके मध्ये जिसका दोष उस पर लगाया गया हो या जिसका वह अपराधी प्रमाणित हो चुका हो अपने नीतिपूर्वक पकडे जानेमे जानबूझकर किसी प्रकारका सामना करे या कानूनविरुद्ध रोक टोक करे या किसी चौकसीसे जिसमें उपरोक्त अपराधके कारण वह कानूनानुसार बंदी है भाग जाए या भाग जानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे। (देखो दफा ४०)

कोई मनुष्य जो अपनी उचित गिरफ्तारीमें सामना या रोक टोक करे.

स्पष्टीकरण—इस दफाका दड उस दण्डके अतिरिक्त है जिसका वह मनुष्य जो गिरफ्तार किये जानेको हो या जो चौकसीमें बन्दी हो, उस अपराधके बदलेमे दण्ड योग्य हो, जिसका दोष उसपर लगाया गया या जिसका वह अपराधी प्रमाणित हो।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

१–एक मनुष्य जब कि उसको मजिस्ट्रेटके सामने इस अभिप्रायसे लिये जाते थे कि उससे नेक चाल चलनकी जमानत ली जावे, चौकसीसे भाग गया तजवीज हुई कि वह दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२४ या २२५ के अपराधका अपराधी न था, क्योंकि वह किसी अपराधके मध्ये चौकसीमें न रक्खा गया था। (इ० लॉ० रि०-कलकत्ता जिल्द ८ सफा ३३१)

२—अपराधी चोरीमें पकडा जाकर देहाती मजिस्ट्रेटके सिपुर्द हुआ जिसने उसको देहाती नौकरोंकी चौकसीमें थाने पुलीसको भेज दिया, अपराधी रास्तेमें भाग गया, उसकी तजवीज दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२४ के अपराधमें हुई। (इ० लॉ० रि० मदरास जिल्द १० सफा ४८०)

३—जिस मनुष्यको गांवके चौकीदारने चोर समझकर पकडा हो और उसकी हाजिरीकी पोलीसमें आवश्यकता हो और वह उस चौकीदारकी चौकसीमें भाग जावे तो हिन्दुस्थानके दंड सग्रहकी दफा २२४ के अपराधका अपराधी नहीं है। (इ० लॉ० रि० मदरास जिल्द ५ सफा २२)

(२२५) जो कोई मनुष्य, किसी अपराधके मध्ये किसी दूसरे मनुष्यके नीतिपूर्वक पकडे जानेमें जानबूझकर किसी प्रकारका सामना करे या कानूनविरुद्ध रोक टोक करे या किसी चौकसीसे जिसमें उपरोक्त अपराधके कारण वह मनुष्य कानूनानुसार बंदी है छुडाले जाए या छुडा लेजानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारों-

किसी दूसरे मनुष्यकी उचित गिरफ्तारीमे सामना या रोक टोक करना.

मेंसे किसी प्रकारके अपराधका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दोवर्पतक हो सकती है या जुर्मानेका दड या दोनो दड दिये जावेगे, या,–

यदि वह मनुष्य जो पकडे जानेको हो या जो छुडाया गया या जिसके छुडानेका उद्योग किया गया हो, उसपर ऐसे अपराधका दोप लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह पकडे जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें देश निकाले, या कैदका दड ठहरा हुआ है जिसकी मीआद दश वर्पतक होसकती है तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्पतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, या–

यदि उस मनुष्यपर जो पकडे जानेको हो या छुडाया गया या जिसके छुडानेका उद्योग किया गया हो, उसपर ऐसे अपराधका दोप लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह पकडे जानेके योग्य हो जिसके बदलेमे वधका दण्ड ठहरा हुआ है तो उसको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्पतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, या,–

यदि वह मनुष्य, जो पकडे जानेको हो या जो छुडाया गया या जिसके छुडानेका उद्योग किया गया हो, किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी दडाज्ञा या उस दडाज्ञा (सजाका हुक्म) के तत्रादिलेके अनुसार देश निकाले या दशवर्ष अथवा इससे अधिक मीआदके देश निकाले या कैदकी अवस्थामें सवादड या कैदके योग्य हो तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सातवर्पतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, या,–

यदि वह मनुष्य, जो पकडे जानेको हो या छुडाया गया या जिसके छुडानेका उद्योग किया गया हो उसके मध्ये वधदडकी आज्ञा होचुकी हो तो उसको देश निकालेका दड या दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्पसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा (दफा ४० को देखो)

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० मुकद्दमेके अनुसार (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है और नहीं भी होसकती, इसका होना न होना मुकद्दमेकी छोटाई बडाई पर निर्भर है (५) राजीनामा नहीं है।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २२५ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य नही है कि चौकसी जिससे अपराधी छुडा लिया जावे पोलीसकीही चौकसी हो, इतनाही प्रमाण बहुत है कि ऐसी चौकसी हो जो 'कानूनानुसार उचित हो इसलिये किसी मनुष्यकी साधारण चौकसीसे छुडा लेजाना जिसने चोरको चोरी करनेमे पकडा है एक अपराध है। इडियन ला रिपोर्ट मदरास जिल्द ११ सफा ४४१-)

२—इसके पहिले कि जब किसी मनुष्यपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २२५ का अपराध प्रमाणित किया जावे इस बातके प्रमाणित होनेकी आवश्यकता है कि वह मनुष्य, जिसके बचानेका अपराध अपराधीपर लगाया गया था, बचाए जानेके समय उचित चौकसीमें था। वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २१ दफा २२)

ऐसी अवस्थामे सरकारी नौकरकी ओरसे पकडे जाने की चूक या भाग जाने देना जिसके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा नहो.

(२२५ *) (अ +) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकर होकर अपनी सरकारी नौकरीके ओहदेसे कानूनानुसार किसी मनुष्यको किसी ऐसी अवस्थामें पकडने या कैदमे रखनेका अधिकारी है, जिसके मध्ये दफा २२१ या दफा २२२ या दफा २२३ या किसी और समयके प्रचलित कानूनमें कोई आज्ञा नहीं लिखी तो ऐसे मनुष्यको गिरफ्तार करनेमें चूककरे या उसको कैदसे भाग जानेदे तो उसको निम्न लिखित दड दिया जायगा।

(क) यदि उपरोक्त नौकर जानबूझकर उस कामको करे तो उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दड या दोनों दड दिये जावेगे।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

(ख) यदि उससे वह काम असावधानीसे होजाए तो उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दोवर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दड दिये जावेगे।

(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

* दफा २ (१४) ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० को देखो।

+ इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ उन अपराधोसे सम्बंध रखते है जो इस दफाके अनुसार दण्ड योग्य हैं (दफा १३ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो)

(२२५)-(व)—जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसी अवस्थामें जिसके मध्ये दफा २२४ या दफा २२५ में या किसी और समयके प्रचलित कानूनमें कुछ आज्ञा नहीं लिखी अपने या किसी और मनुष्यके नीतिपूर्वक पकडे जानेमें सामना या कानून विरुद्ध रोक टोक करे या उस चौकसीसे भाग जावे या भाग जानेका उद्योग करे जिसमे वह नीतिपूर्वक बदी हो या किसी और मनुष्यको छुडा ले या छुडा लेनेका उद्योग करे जिसमें वह मनुष्य नीतिपूर्वक बंदी हो तो उस्को दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दण्ड दिये जावेगे।

ऐसी अवस्थामें नीतिपूर्वक पकडे जानेमें सामना या रोक टोक करना या भागजाना या छुडा लेना जिसके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा न हो.

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

(२२६) यदि कोई मनुष्य जिसको कानूनानुसार देश निकालेका दण्ड होचुका हो वह जब कि अपनी ठहराई हुई मीआद भुगत जानेसे पहिले या अपना दण्ड माफ किये जानेके विना लौट आवेगा तो उसको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड दिया जायगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और इस देश निकालेके दण्डको वर्त्तावमें लानेसे पहिले कठिन कैदके योग्य होगा जिसकी मीआद तीन वर्षसे अधिक न हो।

अनुचित रीतिसे देश निकालनेसे लौट आना.

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नही होसकती (५) राजीनामा नही है।

(२२७) कोई मनुष्य, जिसने दण्ड माफ होनेके लिये कोई नियम स्वीकार किये हो जानबूझकर किसी नियमके विरुद्ध करे जिसपर वह माफी स्वीकार कीगई है तो उसको वही दण्ड दिया जावेगा जिसकी आज्ञा उसके मध्ये पहले हो चुकी हो यदि उसने उस दण्डका कोई भाग भुगता न हो और यदि वह उस दण्डका कोई भाग (जुज) भुगतचुका हो तो उपरोक्त दण्डके उतनेही भागका दण्ड दिया जावेगा जो उसने नहीं भुगता।

दण्डकी माफीके नियमोका तोडना.

टीप-(१) वह अदालत जिसने असली अपराधकी तजवीज की हो (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

---

* दफा २४ (१) ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० को देखो।

(२२८) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करे या किसी प्रकारसे किसी नौकर सरकारीका विघ्नकारक (हारिज) हो जब कि वह सरकारी नौकर अदालतकी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें इजलास कर रहा हो तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो १०००) रु० तक होसकता है या दोनों दड दिये जावेगे।

जानबूझकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करना या विघ्न डालना जब कि वह अदालतकी किसी कार्रवाईकी किसी अवस्थामे इजलास कर रहा हो.

टी–(१) वह अदालत जिसमे अपराध किया गया (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—अपराधीने जानबूझकर मुसिफ देहीको मजिस्ट्रेटी अधिकारकी कार्रवाई करनेमे भला बुरा कहा, मजिष्ट्रेट दर्जा दोयम ने अपराधी पर दफा २२८ का अपराध पोलीसकी रिपोर्टपर कायम करके उसपर अपराध प्रमाणित किया—तजवीज हुई कि अपराधकी तजवीज ठीक थी और दफा ४८० व ४८४ मजमूआ जाब्ता फौजदारीका देही मुसिफोसे सम्बन्ध नही है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा १३१)

२—पहिले इसके कि अपराधीपर दफा २२८ का अपराध प्रमाणित कियाजाय, इस बातका प्रमाणित होना आवश्यक है कि अपराधी रज पहुँचानेका अभिप्राय रखता था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १५ सफा ६२)

३–प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर देनेसे नाहीं करना दडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२८ के अपराधमें न गिना जायगा। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बबई जिल्द ४ सफा ७)

(२२९) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बन जानेसे या किसी और प्रकारसे जानबूझकर यह बात कराये या जानबूझकर यह बात होने दे कि उसका नाम उन लोगोंकी फिहरिस्तमें लिखा हो जो ज्यूरी बनानेकी योग्यता रखते है या वह ज्यूरी हो या उससे ज्यूरी या असेसरकी भांति पर शपथ लिया जावे किसी ऐसे मुकद्दमेमें जिसमे वह जानता है कि वह कानूनानुसार ऐसी ज्यूरीकी फिहरिस्तमे लिखे जाने या ज्यूरी बनाये जाने या शपथ लिये जानेका अधिकारी नहीं है या यह जानकर कि वह कानूनविरुद्ध ऐसी ज्यूरीकी फिहरिस्तमे लिखा गया या ज्यूरी बनाया गया है या उससे शपथ लीगई है, जानबूझकर ऐसे ज्यूरीमें या ऐसे असेसरका काम दे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे।

ज्यूरी या असेसर बनाना.

(१) प्रे० म० या म० अ०। और सब कार्रवाई दफा २२८ के अनुसार होसकती है।

अध्याय बारहवाँ १२.

सिक्को और गवर्नमेंटके स्टाम्प सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें ।

(२३०) * शुद्ध हुआ दफा १ ऐक्ट ६ सन् १८९६ ई० । सिक्का वह धातु है जो कि मौजूद होनेके समय द्रव्यकी भाँति काममें आवे और किसी सरकार अथवा उस समयके राजाकी आज्ञासे इस प्रकार प्रचलित होनेके अभिप्रायसे मुहर किया गया और जारी किया गया हो ।

सिक्का.

श्रीमती महारानीका सिक्का वह धातु है जो श्रीमती महारानी या गवर्नमेंट हिंद या किसी प्रेजीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंटकी जो श्रीमती महारानीकी राज्यमें हो, आज्ञानुसार द्रव्यकी भाँति प्रचलित होनेके लिये ठप्पा किया और जारी किया गया हो—और वह धातु जो इस प्रकारपर ठप्पा किया और जारी किया गया हो इस अध्यायके अभिप्रायके लिये श्रीमती महारानीका सिक्का ठहरेगा यह समवित मानकर कि इस कामके लिये उसका प्रचलित होना बंद होगया हो ।

उदाहरण ।

(क) कौडियां सिक्का नहीं हैं ।

(ख) विना ठप्पा किये हुए तांबेके टुकडे सिक्का नहीं हैं चाहे वह द्रव्यकी भाँति काममें आते हों ।

(ग) तमगे सिक्का नहीं हैं क्योंकि वे द्रव्यकी भाँति काम आनेके अभिप्रायसे नहीं बनाये जाते ।

(घ) सिक्का जो कम्पनीका रुपया कहलाता है श्रीमती महारानीका सिक्का है ।

(च) फर्रुखाबादी रुपया जो गवर्नमेंट हिन्दकी आज्ञानुसार पहले रुपयाकी भाँति प्रचलित था श्रीमती महारानीका सिक्का है परन्तु अब ऊपर लिखे अनुसार उनका चलन नहीं रहा है ।

(२३१) जो कोई मनुष्य खोटा सिक्का बनावेगा, अथवा खोटा सिक्का बनानेके कामोंमेंसे जानबूझकर कोई काम करेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

खोटा सिक्का बनाना.

* एक्ट नं० १९ सन् १८७२ ई० को देखो ।

स्पष्टीकरण—वह मनुष्य इस अपराधका अपराधी होगा जो धोखा देनेके अभिप्रायसे या इस जानकारीसे कि उसके द्वारा धोखेका चल जाना सम्भव है किसी असली सिक्केको ऐसा कर दे कि वह किसी और सिक्केके समान जानपड़े।

टीप-(१) अदालतसेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है।

१—यदि कोई सिक्केके बदले बाजारमें मालमिलना सम्भव हो तो कहाजायगा कि वह सिक्का नकद है, अकबर बादशाहके समयका सिक्का बनाना दफा २३० व २३१ के अपराधमें न गिना जायगा क्योंकि वह सिक्का सर्व साधारणके काममें नहीं आता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ११ सफा १७२)

(२३२) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीका सिक्का खोटा बनावेगा अथवा खोटा बनानेके कामोंमेंसे कोई काम जानबूझकर करेगा तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दण्ड या दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनाना.

टीप—दफा २३१ के अनुसार है।

१—इस दफाके अनुसार अपराध प्रमाणित करनेके लिये इस अभिप्रायका होना कि जो सिक्का खोटा बनाया गया वह श्रीमती महारानीके सिक्केके समान काममें आवेगा या यह जानकर कि उस सिक्केका श्रीमती महारानीके सिक्केके समान काममें आनेका सम्भव है, । अवश्य है जानकारी या अभिप्राय उपरोक्त सिक्केके खोटेपन परही निर्भर है, सिवाय उन अवस्थाओंके कि जो भली भांतिसे उसको रद करती हो—परंतु जब कि ऐसी धोखेबाजी केवल नुमायश (शोभा) के लिये ही की गई हो और जब कि ऐसा धोखा अनुचित लाभ या हानिके लिये किया गया हो, तो इन दोनों अवस्थाओंका अंतर देखना चाहिये जो धोखा केवल नुमायशके लिये किया गया हो उसमें अपराध नहीं होसकता। (पंजाब रिकार्ड न० २६ सन् १८६८ ई०)

(२३३) जो कोई मनुष्य कोई ठप्पा या औजार बनाए या उसकी मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करनेके कामोंमेंसे कोई काम करे या उसको मोलले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे इस अभिप्रायसे कि वह खोटा सिक्का बनानेके काममें आए या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उसका खोटा सिक्का बनानेके काममें लाया जाना अति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी

खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना या बेचना.

कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप-(१) अदालतसेशन या म० अ०-और सब शेष बातें दफा २३१ के अनुसार हैं ।

(२३४) जो कोई मनुष्य कोई ठप्पा या औजार बनाए या उसकी मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करनेके कामोंमेंसे कोई काम करे या उसको मोलले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे, इस अभिप्रायसे कि वह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके लिये काममे लाया जावे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके निमित्त काममे आनेके अभिप्रायसे है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना अथवा बेचना

टीप-दफा २३१ के अनुसार समझो ।

(२३५) जो कोई मनुष्य कोई औजार या सामान अपने पास रखता हो, इस अभिप्रायसें कि वह खोटा सिक्का बनानेके काममे लाया जावे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उसका उस प्रयोजन के लिये काममें लाए जानेका अभिप्राय है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा-और यदि सिक्का जो खोटा बनाए जानेको है श्रीमती महारानीका सिक्का है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

औजार या सामानको खोटा सिक्का बनानेके अभिप्रायसे अपने पास रखना.

टी०-(१) अदालतसेशन या प्रे० म० या म० अ० यदि सिक्का महारानीका है तो अदालतसेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) अमानत नहीं है (५) राजीनामा नही है ।

(२३६) कोई मनुष्य जो ब्रिटिश इंडियाकी सीमाके भीतर हो ब्रिटिश इण्डियाकी सीमासे बाहर खोटा सिक्का बनानेमे सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको उसी प्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने ब्रिटिश इण्डियाकी सीमाके भीतर उस खोटे सिक्केके बनानेमें सहायता की ।

हिन्दुस्थानमें रहकर हिन्दुस्थानके बाहर खोटा सिक्का बनानेके लिये सहायता देना.

टीप-दफा २३१ के अनुसार समझते ।

(२३७) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का ब्रिटिश इण्डियाके भीतर लाए या उससे बाहर लेजाये यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह खोटा है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसें किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर लेजाना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है ।

(२३८) जो कोई मनुष्ये कोई खोटा सिक्का जिसको जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है ब्रिटिश इण्डियाके भीतर लाये या उससे बाहर ले जायं, तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दण्ड या दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

श्रीमती महारानीके खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर लेजाना.

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझो ।

(२३९) कोई मनुष्य जिसके पास कोई खोटा सिक्का हो और जिसको उसने अपने अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो उस सिक्केको छलसे या छल किये जानेके अभिप्रायसे किसी मनुष्यके सिपुर्द करे या किसी मनुष्यको उसके लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद पाच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

अधिकारमे लेते समय जिस सिक्केको जानागया हो कि यह खोटाहै उसे किसी दूसरेके सिपुर्द करना.

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

१—(क) और (ख) दोनो मनुष्योंको साथही दफा २३९ के अपराधमे दण्ड हुवा, (क) ने कहा कि मैने सिक्का (ख) से पाया है और उपरोक्त सिक्का कुछ मनुष्योंको (ख) के ही कहनेसे दिया—तजवीज हुई कि (क) के बयानोका (ख) से सम्बन्ध है जब वह अपराधी मनुष्य किसी एकही अपराधको जो एकही मामलेसे हो करे तो एक मनुष्यका बयान दूसरे मनुष्यके मुकाबिले काममे आसकता है चाहे उससे वह स्वयंही फँसता हो और उससे उसके मध्ये दूसरा अपराध कायम होता हो । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ८ सफा २३३)

२—दफा २३९ का सिक्का बनाने वालेसे सम्बध नहीं है बरन दूसरे मनुष्यसे सम्बध है, जो कोई खोटा सिक्का लेकर या प्राप्त करके किसीको सिपुर्द करे । (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफा १५०)

(२४०) कोई मनुष्य जिसके पास कोई ऐसा खोटा सिक्का हो जो श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है और जिसको उसने अधिकारमे लेते समय श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का जाना हो उस सिक्केको छलसे या छलके लिये जानेके अभिप्रायसे किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको उसके लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

अधिकारमे लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है उसे किसी औरके सिपुर्द करना.

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२४१) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का जिसको वह खोटा जानता हो, परन्तु उसको अधिकारमें लेते समय खोटा न जाना हो, खरे सिक्केके समान किसी दूसरे मनुष्यको देवे या उसके देनेका उद्योग करे या उसको उसके लेनेके लिये फुसलावे तो उसको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा या उस जुर्मानेका दड जो उस खोटे सिक्केसे दश गुणेतक हो दिया जायगा या दोनो दड दिये जावेंगे ।

खरे सिक्केकी भाति देना किसी मनुष्यको कोई ऐसा सिक्का जिसको देनेवालेने अपने पास आनेके समय खोटा न जाना हो

उदाहरण ।

शिवशङ्कर किसी सराफने कम्पनीके खोटे रुपये अपने साथी रमाशंकरको चलानेके लिये दिये और रमाशकरने वे रुपये उमाशकरको बेचे और उमाशंकरने यह जानबूझकर कि ये खोटे हैं मोल ले लिये फिर उमाशकरनेवे रुपये हरशकरको जिन्सके बदले दिये और हरशकरने खोटे न जानकर ले लिये और लेलेनेसे पीछे हरशंकरने जान लिया कि ये रुपये खोटे है परतु फिर भी खरेकी भाति कहीं चला दिये तो यहां हरशकर इसी दफाके अनुसार दण्ड योग्य होगा परतु रमाशकर और उमाशकर दफा २३९ या २४० के अनुसार जैसी अवस्था होगी दड पावेंगे ।

टीप–(१) प्रै० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीके पास एक खोटा सिक्का था उसने वह सिक्का अपने दोस्तको इस अभिप्रायसे दिया कि पोलीसको वह सिक्का अपराधीके अधिकारमे न मिलसके–तजवीज हुई कि कैदीने कोई अपराध नही किया था क्योंकि उसने वह सिक्का खरे सिक्केके समान नहीं दिया था और हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा २४१ का अपराध केवल उसी अवस्थामे उत्पन्न होता है कि जब कोई खोटा सिक्का खरे सिक्काके समान दिया जावे । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ४ सफा ६२)

उस मनुष्यका खोटे सिक्केको अपने पास रखना जिसने उसको लेते समय खोटा जाना हो.

(२४२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे खोटा सिक्का अपने पास रखता हो और उसको उस सिक्केके लेते समय यह जानकारी थी कि वह खोटा सिक्का है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह ज़ुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार है ।

उस मनुष्यका श्रीमती महारानीके खोटे सिक्केको अपने पास रखना जिसने उसको लेते समय खोटा जाना हो.

(२४३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे कोई खोटा सिक्का अपने पास रखता हो जो श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का हो और उसको लेते समय यह जानकारी थी कि वह सिक्का खोटाहै तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह ज़ुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार है ।

जो मनुष्य टकसालमे नौकर होकर कोई सिक्का कानूनानुसार ठहराई तौल या धातुसे दूसरी तौल या ढगका बनावे.

(२४४) जो कोई मनुष्य किसी टकसालमें जो ब्रिटिश इंडियामें उचित रीतिपर नियत कीगई है नौकर हो, और वह मनुष्य कोई काम करे या किसी ऐसे काममें चूक करे जिसका करना उसपर कानूनानुसार अवश्य है इस अभिप्रायसे कि कोई सिक्का जो उस टकसालसे निकले उस तोल या ढगसे जो कानूनानुसार ठहरा हुआ है दूसरी तौल या ढगका हो जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह ज़ुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा. २३१ के अनुसार समझना चाहिये ।

अनुचित रीतिसे किसी टकसालसे सिक्का बनानेका कोईऔजार लेजाना.

(२४५) जो कोई मनुष्य किसी टकसालसे जो ब्रिटिश इण्डियामे उचित रीतिपर नियत की गई हो, सिक्का बनानेका कोई औजार या सामान विना उचित अधिकारके निकाल लेजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह ज़ुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझना चाहिये ।

(२४६) जो कोई मनुष्य किसी सिक्केपर छल या बददियानतीसे कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी तौल कम होजावे, या उस सिक्केका ढग बदलजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

छल या बददियानतीसे किसी सिक्केकी तौल घटाना या उसका ढंग बदलना

स्पष्टीकरण—जो मनुष्य किसी सिक्केमेंसे खोद कोई भाग निकाल ले और गढ़ेमें कोई और वस्तु रख दे तो उसने उस सिक्केके ढगको बदल दिया।

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो।

(२४७) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्केपर छल या बददियानतीसे कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी तोल कम होजावे या उसका ढग बदल जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

छल या बददियानतीसे श्रीमती महारानीके सिक्केकी तौल घटाना या उसका ढग बदलना.

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो।

(२४८) जो कोई मनुष्य किसी सिक्केपर कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी सूरत बदल जाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्का किसी और प्रकारके सिक्केकी भातिसे चलजाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भाति चलजाय.

टीप—दफा २३७ के अनुसार समझना चाहिये।

(२४९) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्केपर कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी सूरत बदल जाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्का किसी और प्रकारके सिक्केकी भातिसे चलजाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

श्रीमती महारानीके सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भाति बनजाय.

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो।

(२५०) कोई मनुष्य जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसके मध्ये दफा २४६ या २४८ में बयान किया हुआ अपराध होचुका है और जिस समय यह वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह जानबूझकर कि वही अपराध उसके मध्ये होचुका है उस सिक्केको छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जाए किसी दूसरे मनुष्यके सिपुर्द करे या किसी दूसरे मनुष्यको उसके ले लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद पाच वर्ष तक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

अधिकारमे लेते समय जिस सिक्केके मध्ये जाना गया हो कि यह बदला हुवा है, उसे किसी और के सिपुर्दकरना.

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२५१) कोई मनुष्य जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसके मध्ये वह अपराध होचुका है जिसका बयान दफा २४७ या २४९ मे किया गया है और जिसने उस सिक्केको अधिकारमे लेते समय जान लिया हो कि उस सिक्केके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है उस सिक्केको छलसे या इस अभिप्रायसे कि छलका काम किया जाय किसी दूसरे मनुष्यको दे देवे या किसी दूसरे मनुष्यको उसके ले लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

अधिकारमे लेते समय श्रीमती महारानीके जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला हुवा है उसे किसी औरके सिपुर्द करना.

टीप—दफा २३७ के अनुसार समझो ।

(२५२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे, कोई ऐसा सिक्का अपने पास रखता हो जिसके मध्ये वह अपराध हो चुका है जिसका बयान दफा २४६ या २४८ मे किया गया है और उसने उपरोक्त सिक्केको अधिकारमे लेते समय जान लिया हो कि उसके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

उस मनुष्यका बदले हुए सिक्केको पास रखना जिसने उस अधिकारमे लेते समय जाना हो कि यह बदला हुवा है.

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२५३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जाए, कोई सिक्का अपने पास रखता हो जिसके मध्ये वह अपराध होचुका है जिसका बयान दफा २४७ या २४९ में किया गया है और उसने उपरोक्त सिक्केको अधिकारमें लेते समय जान लिया हो कि उसके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद पाच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

उस मनुष्यका श्रीमती महारानीके सिक्केको पास रखना जिसने उसको अधिकारमे लेते समय बदला हुआ जाना हो.

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो।

(२५४) जो कोई मनुष्य कोई सिक्का जिसके मध्ये वह जानता है कि कोई ऐसा वर्त्ताव, जिसका बयान दफा २४१ या २४७ या २४८ या २४९ में हुवा है हो चुका है, परतु जिसके मध्ये अपने अधिकारमें लाते समय वह नहीं जानता था कि वह वर्त्ताव हो चुका है खरे सिक्केकी भातिसे या जिसप्रकारका वह है उससे दूसरे प्रकारके सिक्केकी भाति किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको इस बातके फुसलानेका उद्योग करे कि वह मनुष्य इस सिक्केको खरे सिक्केकी भातिसे या जिसप्रकारका वह है उससे दूसरे प्रकारके सिक्केकी भातिसे अपने अधिकारमे ले तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो उस बदले हुए अथवा बदलनेका उद्योग किये हुए सिक्केके मोलके दशगुनेतकहो सकेगा किया जायगा।

ऐसे सिक्केको खरे सिक्केकी भाति किसी और को देना जिसको देनेवालेने पहिले अधिकारमें लेते समय बदला हुवा न जानाहो.

टीप—दफा २४१ के अनुसार जानो।

(२५५) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे स्टाम्पको जिसको गवर्नमेंटने अपनी आमदनीके निमित्त चलाया हो खोटा बनावेगा या जानबूझकर खोटा बनानेके कामोंमेंसे कोई काम करेगा तो उसको जन्मभरके देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

गवर्नमेंटका खोटा-स्टाम्प बनाना.

स्पष्टीकरण—वह मनुष्य इस अपराधका करनेवाला कहलावेगा जो एक प्रकारके सचे स्टाम्पको और प्रकारके सच्चे स्टाम्पकी सूरतका कर देनेसे खोटा करे।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नही है।

(२५६) जो कोई मनुष्य कोई औजार या सामान इस अभिप्रायसे अपने अधिकारमें रखता हो कि वह किसी ऐसे खोटे स्टाम्पके काममें आवे या वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि यह किसी ऐसे खोटे स्टाम्प बनानेके काम आनेके अभिप्रायसे है, जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बनानेके अभिप्राय से कोई औजार या सामान पास रखना.

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

(२५७) जो कोई मनुष्य कोई औजार बनाए या उसके बनानेके कामोंमेसे कोई काम करे या उस औजारको मोलले या बेंचे या अपने अधिकारसे अलग करे इस अभिप्रायसे कि वह किसी खोटे स्टाम्पके बनानेमें काम आवे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रख कर कि यह ऐसा खोटा स्टाम्प बनानेमें काम आनेके अभिप्रायसे है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

गवर्नमेंट स्टाम्पको खोटा करनेके अभिप्रायसे औजारका बनाना या बेचना.

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

(२५८) जो कोई मनुष्य कोई स्टाम्प बेचे या बेचनेके वास्ते रक्खे-यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह किसी ऐसे स्टाम्पसे झूठ बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

गवर्नमेटका खोटा स्टाम्प बेचना.

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

(२५९) जो कोई मनुष्य कोई स्टाम्प जिसको वह जानता हो कि किसी ऐसे स्टाम्पसे झूठ बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया है अपने पास रखता हो इस अभिप्रायसे कि उस स्टाम्पको सच्चे स्टाम्पकी भाँतिसे काममें

गवर्नमेटके खोटे स्टाम्प को पास रखना.

लाए या अपने अधिकारसे अलग करे या इस अभिप्रायसे कि वह असली स्टापकी भांतिमें काममें लाया जाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नही है।

सच्चे स्टापकी भांति काममे लाना गवर्नमेंटके किसी स्टापका जो जान लिया हो कि झूठा है.

(२६०) जो कोई मनुष्य सच्चे स्टापकी भांतिसे कोई स्टाप काममें लाए यह जान कर कि वह स्टाप किसी ऐसे स्टापसे झूठा बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जायँगे।

टीप—दफा २५९ के अनुसार है।

गवर्नमेंटको हानि पहुंचानेके अभिप्रायसे किसी वस्तुसे किसी लेखका मिटाना जिसपर गवर्नमेंटका कोई स्टाप लगा हो या दूर करना किसी दस्तावेजसे वह स्टाप जो उसके लिये काममें लाया गया है.

(२६१) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंटकी हानि कराए, किसी वस्तुसे जिसपर कोई ऐसा स्टाप लगा हो जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है कोई लेख या दस्तावेज दूर करे या मिटा डाले जिसके लिये वह स्टाप काममें लाया गया था या किसी लेख या दस्तावेजसे कोई स्टाप जो इस लेख या दस्तावेजके लिये काममें लाया गया हो इस अभिप्रायसे दूर करे कि वह स्टाप किसी और लेख या दस्तावेजके लिये काममें लाया जाए तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे।

टीप—२५९ के अनुसार है।

काममे लाए हुए गवर्नमेंट स्टापको जानबूझकर काममे लाना.

(२६२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंटकी हानि कराए, कोई स्टाप जो गवर्नमेंटसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया हो किसी, प्रयोजनसे काममे लाए यह जानकर कि वह पहले काममे आचुका है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

टीप-(१) प्र० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नही है।

उस चिह्नको छीलना जिससे यह प्रगट होता है कि स्टांप काममें आ-चुका है.

(२६३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंटकी हानि कराए किसी स्टांपपरसे जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है कोई ऐसा चिह्न छील डाले या दूर करे जो इस बातके प्रगट करनेके लिये उस स्टांपपर लगाया गया या छापा गया हो कि वह स्टांप काममे आचुका है या ऐसा स्टांप कि जिसको वह जानता हो कि काममें आचुका है और जिसपरसे वह चिह्न छीला गया या दूर किया गया हो जानबूझकर अपने पास रक्खे. या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकनी है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जायँगे।

टीप—दफा २५९ के अनुसार समझना चाहिये।

जाली स्टांपकी मनाही.

(२६३) (अ) बढाया गया दफा २ ऐक्ट ३ सन् १८९५ ई० के अनुसार (१) जो कोई मनुष्य (अ) कोई जाली स्टांप बनाए या जानबूझकर चलाए या उसका कारवार करे या वेचे या जानबूझकर कोई जाली स्टांप किसी डाक सवन्धी अभिप्रायसे काममें लाए या—

(ब) विना उचित उज्रके कोई जाली स्टाप अपने अधिकारमें रक्खे या,—

(ज) कोई ठप्पा या धातुकी खोदी हुई तख्ती या औजार या सामान जाली स्टांप तैयार करनेके लिये बनाए, या विना उचित उज्रके अपने अधिकारमे रक्खे उसको जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो दोसौ रुपयेतक होसकता है।

(२) उचित है कि ऐसा स्टांप या ठप्पा या धातुकी खोदी हुई तख्ती या औजार या सामान जो किसी मनुष्यके अधिकारमे किसी जाली स्टांपकी तैयारीके अभिप्रायसे पाया जावे वह गिरफ्तार कर लिया जाए और वह सामान आदि जब्त कर लिया जाए।

(३) इस दफामे शब्द "जालीस्टांप" से प्रत्येक ऐसे स्टापका अभिप्राय है जिससे यह गलत बात प्रगट होती हो कि उसको गवर्नमेंटने महसूल डाकके कोई नियम प्रगट करनेके अभिप्रायसे जारी किया है या ऐसे स्टापकी कोई नकल या सूरत शकलसे, अभिप्राय है जिसे गवर्नमेंटके ऊपरके अभिप्रायसे जारी किया हो चाहे वह कागजपर हो चाहे और भांति पर—

(४) " गवर्नमेंट " के शब्दमें इस दफा में और इसके अतिरिक्त दफा २२५ से लेकर दफा २६३ मे दोनों दफा मिलाकर, जब कि उसे किसी ऐसे सबधी स्टाम्पके साथ काममे लाया जावे जो किसी डाक सबधी नियमके प्रगट करनेके लिये जारी किया गया हो, विना लिहाज किसी मजमून दफा ७ में लिखे हुएके वह मनुष्य या वे मनुष्य दाखिल समझे जावेगे जो कानूनकारक गवर्नमेंटका प्रबध करनेके लिये हिन्दुस्थानके किसी भागमे और श्रीमती महारानीके राज्यके किसी भागमें या किसी दूसरे देशमे नीतिपूर्वक अधिकारी हो।

टीप—दफा २६२ के अनुसार है।

अध्याय तेरहवाँ १३.

नाप तोल सम्बंधी, अपराधोंके विषयमे

(२६४) जो कोई मनुष्य तौलनेके किसी औजारको जिसे वह झूठा जानता हो छलसे काममे लाए तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे।

तौलनेके झूठे औजारको छलछिद्रसे काममें लाना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

(१) तौलके झूठे औजारोंको छलसे काममे लानेका अपराध अपराधीकी वदनियतीपर निर्भर है इसलिये जब मुकद्दमेमे ऐसी नियतके मध्ये कोई गवाही न थी तो हाईकोर्टसे जुर्मानेकी वापसीकी आज्ञा हुई। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा ६०)

(२६५) जो कोई मनुष्य किसी झूठे बॉटको या तौल या लम्बाई नापनेके झूठे पैमानेको छलसे काममें लाए या किसी बॉट या तौल या लम्बाई नापनेके किसी पैमानेको किसी और बाँट या पैमानेकी भॉति से, जो उससे दूसरा हो छलसे काममे लाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दड या दोनों दड दिये जावेगे।

झूठे बाट या पैमानेको छलसे काममें लाना.

टीप—दफा २६४ के अनुसार जानो।

(२६६) जो कोई मनुष्य तौलनेका कोई औजार या कोई बॉट या तौल या लम्बाई जॉचनेका कोई पैमाना जिसे वह झूठा जानता हो अपने पास रखता हो और उसका यह अभिप्राय हो कि वह छलसे काममें लाया जावे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

झूठे बाटों या पैमानोंका अपने पास रखना ।

टीप—दफा २६४ के अनुसार समझो ।

१—नियत किये हुए नाप तौलसे बढकर नाप तौलको अपने पास रखनाही कोई अपराध नही है, अपराधीके छल छिद्रके अभिप्रायको प्रमाणित करना चाहिये । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा १८१)

(२६७) जो कोई मनुष्य तौलनेका कोई औजार या कोई बॉट या तौल या लम्बाई नापनेका कोई पैमाना जिसे वह झूठा जानता हो इस अभिप्रायसे बनाए या वेचे या अपने अधिकारसे अलग करे कि वह सच्चेके भॉतिसे काममें लाया जावे या यह जानकर कि सच्चेकी भॉतिसे उसका काममे लाया जाना अति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

झूठे बॉट या पैमाने बनाना वेचना ।

टीप—दफा २६४ के अनुसार समझो ।



अध्याय चौदहवाँ १४.

सब सम्बन्धी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता और सुलज्जिता और सज्जनता और सुशीलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें ।

(२६८) वह मनुष्य सब साधारण मनुष्यको कष्ट देनेका अपराधी होगा । जो कोई ऐसा काम करे या किसी ऐसी अनुचित चूकका अपराधी हो जो सर्व साधारणको या मुख्यकर उन मनुष्योंको जो उसके आस पास समीप में रहते या किसी धरती अथवा घरपर अधिकार रखते हों कोई हानि या विपत्ति या

सब संबन्धी कष्टके कारणका काम.

क्लेश पहुचाए या जो उन मनुष्योंको जिन्हे किसी सर्व साधारण अधिकारके काममे लानेकी आवश्यकता हो अवश्य करके कोई हानि या विपत्ति या क्लेश पहुचाए या रोक टोक करे।

कोई काम सर्व साधारणके कष्टका कारण इससे क्षमाके योग्य न होगा कि, उसमे कुछ आराम या लाभ देख पडता हो ।

१—कुछ मनुष्य कि जिन्होंने बासका बाध एक घटने बढनेवाली नदीके आरपार बांधा था उस नदीसे नावें भी जाती थी, यद्यपि उन्होने ऐसे बाधमे एक तग रास्ता नावोंके आने जानेके लिये छोड दिया था जो नावके आनेके समयके सिवाय बद रहता था—सब डवीजनल अफ्सरकी दरख्वास्तसे उसपर दफा २८३ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानका अपराध लगाया गया—तजवीज हुई कि—यह बात सदेहकी है कि दफा २८३ का मुकद्दमेमे सम्भव है परतु उन्होंने दफा २६८ हिन्दुस्थानके दडसंग्रहका अपराध किया और वह दफा २९० के अनुसार दण्ड योग्य है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६५६)

२—एक गावके कुछ मुसल्मानोंने मुहर्रमके दिनोमें उस धरतीपर जो गावके समीप थी एक पिडल कायम की और भी वहापर मजहबी चिह्न अर्थात् एक बट रक्खी, साहब मजिस्ट्रेटने हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा २९० का अपराध उनपर लगाकर यह बात प्रमाणित की कि उनका यह काम उस गावके सर्व साधारण हिन्दुओंके दु:ख पहुँचानेके अभिप्रायसे कि जिनके मदिर उस धरतीके निकटही थे किया गया है तजवीज हुई कि अपराधकी तजवीज अयोग्य थी (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा ५९०)

३—जो मनुष्य जानबूझकर चौपायेको किसी सर्व साधारण मार्गमे इस प्रकारसे काटे कि मार्ग चलनेवालोंको काटना सुनाई और दिखाई दे वह मनुष्य दफा २९० हिन्दुस्थानके दडसग्रहका अपराधी होगा परतु जब कि कुछ मुसलमानोंने मजहबी वर्त्तावके अभिप्रायसे दो गायोंको सूर्योदयसे पहिले किसी विशेष घरसे जो सर्व साधारण मार्गसे कुछ २ दिखाई देता था, काटा और दो गायोंमेंसे एकका काटा जाना केवल एक हिंदूने देखा तजवीज हुई कि ऐसा काम किया जाना सर्व साधारणको कष्ट पहुँचानेकी सीमातक नहीं पहुँचना जैसा कि हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २६८ मे कहा गया है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १० सफा ४४)

४—एक अपराधीने अपने बरामदेमे गोश्त जो मेहमानोके लिये पकनेवाला था उसको उन मनुष्योकी दिखावटमे जो सडकके ऊपरसे जा रहे थे जिनमे कुछ जैनी थे जिनका मंदिर समीपही था कटवाया—तजवीज हुई कि कोई अपराध उस मनुष्यपर प्रमाणित नहीं होता। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १२ सफा ४३७)

५—जब किसी नदी या खाडीमें कि जहासे नाव या जहाजका आना जाना होता है किसी रोक टोकके मध्ये किसीपर कोई अपराध लगाया जावे तो उसमे ऐसी गवाहीके होनेकी आवश्यकता

है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि वहांसे नाव या जहाजके आने जानेमे कोई रोक था किसी मनुष्यके आने जानेमे किसी प्रकारकी हानि या क्लेश पहुँचता है । बिना इस बातके प्रमाणित हुए दफा २६८ का अपराध किसीपर कायम नही होसकता । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ६६५)

(२६९) जो कोई मनुष्य कानूनविरुद्ध या असावधानीसे कोई ऐसा काम करे

असावधानीसे वह काम करना जिससे किसी घातक रोगका फैलना अति संभवित हो.

कि जिसको वह जानता है अथवा जिसके मध्ये वह निश्चय- करनेका कारण रखता है कि उससे किसी ऐसे रोगका फैलना संभवित है कि जिससे प्राणोंको हानि पहुंच सकती है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है, या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१–(क) यह जानकर कि मुझे हैजा हुआ है एक रेलगाडीके दर्जेमे बैठ गया और अपनी बीमारीकी दशाकी सूचना रेलवे कम्पनीके नौकरोसे न की–(म) ने (क) की दशा जानकर (क) का टिकट मोल लिया और वह (क) के साथ रवाना हुआ—तजवीज हुई कि (क) को दफा २६९ दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार दण्ड दिया जाना उचित हुवा क्योंकि वह जानता था कि इस बीमारीसे घातक बीमारीके फैलनेका भय है और (म) को अपराधमें सहायता करनेके अपराधमे दण्ड दिया जाना उचित हुवा (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा २७६)

२—कोई रंडी, जब कि उसे गर्मीका रोग हो गया हो और उसीके द्वारा उपरोक्त रोग उस मनुष्यको हो जावे जिसने उसके साथ प्रसग किया है, दफा २६९ दण्डसग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार दण्डके योग्य नही हो सकती परतु उसपर धोखा देनेकी नालिश दफा ४१७ हिन्दुस्थानके दंडसग्रहके अनुसार होसकती है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफा ६९)

(२७०) जो कोई मनुष्य दुर्भावसे ऐसा काम करे जो ऐसा है और जिसको

दुर्भावसे उस कामका करना कि जिससे किसी घातक रोगका फैलना अति सभवित हो.

वह जानता है या जिसके मध्ये वह निश्चय करनेका कारण रखता है कि उससे किसी ऐसे रोगका फैलना सभवित है जिससे प्राणोको हानि पहुचे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि दो वर्षतक होसकती है—या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

(२७१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसे कायदेकी आज्ञाको भंग करे जो हिन्दुस्थानकी गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंटने किसी जहाजको कारन्टाइनकी अवस्थामे रखनेके लिये या उन जहाजोंके बीचमें आने जानेके प्रबधके लिये कि जो कारन्टाइनकी अवस्थामें है और नदी अथवा समुद्रके किनारे अथवा और जहाजोके या ऐसे स्थानमें आनेजानेके प्रबधके लिये कि जहां कोई छूनेसे फैलनेवाला रोग फैला हुआ है और २ स्थानोमे जारी और प्रसिद्ध किया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

किसी कारन्टाइनकी आज्ञाको न मानना.

(ऐक्ट न० १ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नही है।

(२७२) जो कोई मनुष्य खाने या पीनेके किसी पदार्थमें इस प्रकारसे मिलावट करे कि वह पदार्थ खाने या पीनेमे हानिकारक होजाए, इस अभिप्रायसे कि उस पदार्थको खाने या पीनेके पदार्थकी भाँति बेचे या इस जानकारीसे कि खाने या पीनेके पदार्थकी भाँतिसे उस पदार्थका बिकजाना सम्भवित है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद १०००) एक हजार रुपयेतक होसकती है या दोनो दण्ड दिये जावेंगे।

किसी बेचनेवाले खाने पीनेके पदार्थमें मिलावट करना.

टीप—दफा २७१ के अनुसार है।

(अदालतको अधिकार है कि अपराध करनेका प्रमाण पातेही दफा २७२ या २७३ या २७४ या २७५ के अनुसार यह आज्ञा दे कि वह पदार्थ या दूसरा पदार्थ जिसके मध्ये अपराध हुवा है नष्ट कर दिया जावे) (ऐक्ट न० १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१ को देखो।)

(२७३) जो कोई मनुष्य खाने या पीनेके पदार्थकी भाँतिसे किसी ऐसे पदार्थको बेचे या बेचनेके निमित्त बाहर रक्खे या बेचनेके लिये निकाले जो हानिकारक बना दिया गया हो या ऐसी अवस्थामें हो कि खाने या पीनेके योग्य न हो, यह जानकर या इस कामके निश्चय करनेका कारण रखकर कि उपरोक्त

खाने या पीनेके हानिकारक पदार्थको बेचना.

पदार्थ खाने या पीनेके लिये हानिकारक है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद एक हजार रुपयेतक होसकती है या दोनो दण्ड दिये जावेगे।

टीप—दफा २७१ के अनुसार जाननी।

१—अपराधीने कुछ आटा फी रुपया सत्रह सेरके भावसे बेचा, यद्यपि अच्छे आटेका भाव पन्द्रह सेर था—डाक्टरने बयान किया कि वह आटा पुराना और रोग मिला हुवा था और यदि खाया जाता तो रोग होनेका भय था—अपराधीने आटा लेनेवालेसे आटा बेचनेके समय कह दिया था कि वह आटा बुरा होनेके कारण सस्ता बेचा गया था तजवीज हुई कि इस अपराधमें दफा २७३ दडसंग्रहहिन्दके अनुसार दण्ड देना अनुचित हुआ। (पञ्जाब रिकार्ड नं० १९ सन् १८७३ ई०)

(२७४) जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई या बिना बनी हुई औषधिमे इस प्रकारसे मिलावट करे कि उसके द्वारा उस बनी हुई या बिना बनी हुई औषधिका गुण कम करदे या उसका अमल बदल दे या उसको हानिकारक बना दे, इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेका सम्भव जानकर कि वह किसी रोगमे देनेके लिये इस प्रकारसे बिक जावे या काममें आवे कि मानों उसमें मिलावट नहीं हुई तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद एक हजार रुपये तक होसकती है, या दोनो दण्ड दिये जावेंगे।

(औषधियोंमे मिलावट करना.)

टीप—दफा २७१ के अनुसार है।

(२७५) जो कोई मनुष्य यह जानकर कि किसी बनी हुई या बिना बनी औषधिमें इस प्रकारपर मिलावट कीगई है कि उसके कारणसे उसका गुण कम होगया या अमल बदल गया या वह हानिकारक बना दीगई है, उसको बेचे या बेंचनेके लिये सामने रक्खे या बेचनेके लिये निकाले या औषधालय (दवाखाना) से रोगके ऊपर देनेके लिये ऐसी औषधिकी भाँतिसे जिसमें मिलावट नहीं कीगई, बांटे; या किसी मनुष्यसे जो उस मिलावटसे जानकार न हो रोगके ऊपर उसका वर्त्ताव करावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

(मिलावट कीहुई औषधियोंको बेचना.)

टीप—दफा २७१ के अनुसार है।

(अदालतोंको अधिकार है कि दफा २७२. २७३. २७४. २७५. के अपराधका प्रमाण पाते ही यह आज्ञा दे कि वह सामान या दूसरा पदार्थ जिसके मध्ये वह अपराध हुआ, नष्टकर दिया जावे। (ऐक्ट न० १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१ को देखो)

किसी औषधिको किसी बनी हुई या विना बनी औषधिकी भांतिसे बेचना.

(२७६) जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई या विना बनी हुई औषधिको किसी और बनी हुई या विना बनी हुई औषधिकी भातिसे जानबूझकर बेचे या बेचनेके लिये सामने रक्खे या बेचनेके लिये निकाले या औषधालयसे रोगके ऊपर देनेके लिये बांटे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि छः महीनतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

टीप–दफा २७१ के अनुसार है।

किसी सर्वसम्बन्धी कुआँ या कुंड इत्यादिके पानीको विगाड़ना.

(२७७) जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी कुआँ, नदी अथवा कुंडके पानीको जानबूझकर खराब या गदला करे इस प्रकारपर कि उसको ऐसा कर दे कि जिस अभिप्रायके लिये वह काममें आता है जैसा था वैसा उसके योग्य न रहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पाचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेगे।

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१–शब्द कुआ नदी अथवा कुण्ड दफा २७७ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानमे सर्व सम्बन्धी नदी न गिनी जायगी, इसलिये मछलियें पकडनेके अभिप्रायसे डालियोंका नदीमें डालना इस दफाके अनुसार अपराध नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा ३८३)

२—शब्द "सर्व सबधी कुंड" में सदैव बहनेवाली पानीकी धार जो किसी नदी में बहती हो न गिनी जायगी (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २२९)

हवाको आरोग्यताके लिये हानिकारक करदेना.

(२७८) जो कोई मनुष्य किसी स्थानकी हवाको जानबूझकर विगाड दे इस प्रकारपर कि वह उन मनुष्योंकी आरोग्यताके लिये हानिकारक हो जो विशेपकर उस स्थानके आसपास रहते या कारोवार करते हों या किसी सर्वसम्बन्धी मार्गसे होकर आवाजाही रखते हों तो उस मनुष्यको जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो पाचसौ रुपयेतक होसकना है।

टीप–दफा २७७ के अनुसार है।

(२७९) जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी मार्गमे ऐसी लापरवाही अथवा असावधानीसे कोई गाडी चलावे या सवार होकर निकले कि उससे मनुष्यके प्राणकी हानि हो अथवा किसी दूसरे मनुष्यको चोट या हानि पहुंचना अति संभवित हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीने तक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

किसी सर्व सम्बन्धी मार्गमे लापरवाहीसे गाडी चलाना या सवार होकर निकलना.

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—यदि लापरवाहीसे गाडी हांकनेमे वह गाडी किसी दूसरी गाडीसे भिड जावे और उस दूसरी गाडीको हानि पहुँचे तो गाडी हांकनेवाला न कि उसका मालिक दफा २७९ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा । (वीक्लीरिपोर्टर जिल्द १४ सफा ३२)

(२८०) जो कोई मनुष्य किसी नाव या जहाजको इस प्रकार पर लापरवाही या असावधानीसे चलाए कि उससे मनुष्यके प्राणकी हानि हो या किसी और मनुष्यको चोट या हानि पहुचना अति सभविन हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

लापरवाहीसे नाव या जहाज चलाना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

(२८१) जो कोई मनुष्य कोई झूठा प्रकाश (रोशनी) या झूठा चिह्न या पानी पर तैरनेवाला चिह्न दिखलाए, इस अभिप्रायसे या इस बातका होना सभवित जानकर कि उस दिखानेके कारणसे किसी चलानेवालेको मार्ग भुला दे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्पतक होसकती है जुर्मानेका दड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

झूठी रोशनी या झूठा चिह्न या पानी पर तैरनेवाला चिह्न दिखाना.

टीप-(१) सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नही है ।

(२८२) जो कोई मनुष्य पानीके मार्गसे किसी मनुष्यको किसी नावमें जब कि वह नाव ऐसी अवस्थामें हो या इतनी लदी हो कि उसमें उस मनुष्यके प्राणोका भय हो, जानबूझकर या असावधानी करके भाडेपर लेजावे या लिवा लेजावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनो दण्ड दिये जावेंगे।

पानीके मार्ग पहुँचाना किसी मनुष्यका भाडेके लिये किसी ऐसी नावसे जो अति बोझित या जोखिम की हो

टीप—दफा २८० के अनुसार है।

१—कुछ मनुष्योको अपराधी एक नदीसे नावपर पार उतारता था नाव बोझिल होनेके कारण बैठ गई कि जिससे वह मनुष्य डूब गये—तजवीज हुई कि अपराधीके मध्ये आतवत् घातके अपराधका प्रमाण जो आतघातकी सीमातक न पहुँचे नही होसकता था, क्योंकि यह बात प्रगट नहीं होती थी कि उसने कोई काम यह जानकर किया या कि इस कामसे दफा २९९ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहका अभिप्राय उसका था अतएव अपराधी असावधानीसे नावको भाडेपर ले जानेके लिये दफा २८२ के अनुसार दण्डके योग्य होसकता है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ३)

२—जो मल्लाह टूटी नाव किरायेपर चलावे और उससे मुसाफिरोंको अपने प्राणोंका अदेशा हो तो उस मल्लाहपर दफा २८२ का अपराध प्रमाणित करना चाहिये न कि अपराध दफा ३३६ का। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा १३७)

(२८३) जो कोई मनुष्य किसी कामके करनेसे या किसी मालके मध्ये जो उसके अधिकार या प्रबन्धमें हो, चौकसीमें चूक करनेसे किसी सर्व सम्बन्धी मार्ग अथवा नावके मार्गपर किसी मनुष्यको हानि या रोकटोक पहुँचाए तो उस मनुष्यको जुर्मानेका दंड दिया जावेगा जिसकी तादाद दोसौ रुपयेतक होसकती है।

जोखिम अथवा रोक डालना किसी सर्व सम्बन्धी मार्ग अथवा नावके मार्गमें.

टीप—दफा २८० के अनुसार है।

१—किसी शहरके मार्गके निकट मछलीका जाल फैलाना दफा २८३ दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानके अभिप्रायानुसार अपराध नहीं है जबतक कि यह न प्रमाणित किया जावे कि इस कामसे किसी विशेष मनुष्य या समूहको रोक पहुँचाई गई। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २३५)

(२८४) जो कोई मनुष्य किसी विषैले पदार्थसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणको हानि हो या किसी और मनुष्यको चोट पहुँचनेका सम्भव हो या किसी विषैले

किसी विषैले पदार्थके मध्ये असावधानी करना.

पदार्थके मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर या असावधानीसे ऐसी चौकसीमें चूककरे जो उस अंदेशेके मिटानेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस विषैले पदार्थसे है काफी हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २७५ के अनुसार है ।

अग्नि अथवा जलने वाली वस्तुके मध्ये असावधानी करना.

(२८५) जो कोई मनुष्य आग या किसी जलनेवाले पदार्थसे कोई काम, ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो अथवा जिससे किसी और मनुष्यको दुःख पहुँचना सम्भवित हो या किसी आग या किसी जलनेवाले पदार्थके मध्ये जो उसके निकट हो जानबूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूककरे जो उस दुःखके दूर करनेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस आग या जलनेवाले पदार्थसे है काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २७९ के अनुसार है ।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २८५ मे आये हुए शब्द "दुःख" का सम्बंध केवल मनुष्यके शरीरसेही नहीं बरन् मालसे भी है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा ६७)

भकसे उडजानेवाले पदार्थके मध्ये असावधानी करना.

(२८६) जो कोई मनुष्य भकसे उडजानेवाले किसी पदार्थसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो या जिससे किसी दूसरे मनुष्यको दुःख या हानि पहुँचनेका सम्भव हो या भकसे उडनेवाले किसी पदार्थके मध्ये जो उसके पास हो जान बूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूककरे जो उस भयको दूर करनेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस भकसे उडजानेवाले पदार्थसे है काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २७९ के अनुसार है ।

१—अपराधी अपने खेतकी फसल रातके समय देखने भालनेको गया था सवेरे एक भरी हुई बंदूक लिये हुए अपने घरको लौटा और उसने अपने घरके द्वारपर ताला लगा हुआ देखकर वह भरी हुई बंदूक जिसका घोडा टोपीपर गिरा हुआ था एक चारपाई पर रख दी जो द्वारपर पडी

हुई थी, और आप थोडी देरके लिये अपने पडोसीके घर चला गया यकायक वह बदूक छूट गई और अपराधीके एक पडोसीका लडका जो चार वर्षका था इससे मरगया, इस कारण अपराधीपर दफा २८६ का अपराध ठहराया गया और हाईकोर्टसे दडकी आज्ञा कानूनविरुद्ध ठहराई गई। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ८ सफा ४२१)

किसी कलके मध्ये जो अपराधीके पास हो या उसकी सिपुर्दमें हो असावधानी करना.

(२८७) जो कोई मनुष्य किसी कलसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानी के साथ करे कि जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो अथवा जिससे किसी दूसरे मनुष्यको दु:ख या हानि पहुचना समवित हो अथवा किसी कलके मध्ये जो उसके पास हो अथवा उसकी सिपुर्दगीमें हो जानबूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमे चूक करे जो उस भयके दूर करनेमे जिसके पहुचनेका सभव मनुष्यके प्राणको उस कलसे है काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छ: महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दड अथवा दोनोही दड दिये जावेगे।

टीप—दफा २७१ के अनुसार है।

किसी मकानके गिराने अथवा उसके बनानेके मध्ये असावधानी करना.

(२८८) जो कोई मनुष्य किसी घरके गिरा देने या उसके बनानेमे जानबूझकर या असावधानीके साथ उन मकानकी चौकसी करनेमें चूक करे जो उस डरसे कि जिसके पहुचनेका सभव मनुष्यके प्राणको उस मकान या उसके किसी भागके गिरनेसे है, काफी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों ही दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २७१ के अनुसार जानो।

किसी पशुके मध्ये असावधानी करना.

(२८९) जो कोई मनुष्य किसी पशुके मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमे चूक करे जो मनुष्यके प्राण-के भय अथवा भारी दु:खके डरको रोकनेके लिये जिसके पहुचनेका संभव उस पशुसे है काफी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयातक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २७१ के अनुसार है।

१—यदि जानवरका चचल तथा वदलगाम होना प्रमाणित न हो तो उसका स्वामी असावधानीके अपराधका अपराधी होगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ५१)

२—जब किसी घोडे, टट्टू, वैल अथवा कुत्तेसे कोई हानि पहुँचे और यह प्रमाणित न हो कि वह जानवर चचल था या यह कि उसकी चञ्चलतासे उसका स्वामी जानकार था तो उसके स्वामीपर कोई अपराध प्रमाणित नही होसकता अतिरिक्त उस अवस्थामे कि उसने यथोचित चौकसी जो प्रत्येक मनुष्य ऐसे जानवरसे रखते है न रक्खी हो। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १९ सफा १)

सर्व दुःखदायी काम का दंड.

(२९०) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सर्व दु.खदायी काम जो इस सग्रहके अनुसार और किसी भाति दण्डके योग्य नहीं है करेगा उसको दण्ड जुर्मानेका जो दोसौ रुपयेतक होसकेगा किया जायगा।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

१—तजवीज चौदह मनुष्योकी जिनपर पृथक् २ अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा२९० व २९१ के अभिप्रायानुसार ठहराये गये ये वर्त्तावमे आये। तजवीज हुई कि उपरोक्त कानूनविरुद्धता अपराधियोकी हकतलफीका कारण है, इसलिये तजवीज सजा मसूख हुई। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा २०)

२—सर्व दुःखदायी कामके दण्डमे जुर्माना किया गया हो और यदि वह जुर्माना न अदा किया जावे तो उसके वदलेमे कठिन कैदके दण्डकी आज्ञा नही होसकती। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ५७)

३—किसी कुँएका, जो सरकारी धरतीमे हो और सर्व सम्बधी मार्गसे आठ गजके अंतरपर बना हो घेरा न बनाना हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९० का अपराध नहीं है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा २८०)

४—कुछ मनुष्योने वांसका वाध एक घटने बढनेवाली नदीके आरपार नाव अथवा जहाजके निकल जाने योग्य बनाया था यद्यपि उन्होने ऐसे वाधमे एक छोटा रास्ता नावोके निकल जानेके योग्य छोड दिया था जो रास्ता नाव निकलनेके समयके अतिरिक्त बद रहता था सब डिवीजनल ऑफसरकी दरख्वास्तके अनुसार उन मनुष्योपर हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा २८३ का अपराव रोके (मुजाहिमत) करनेका लगाया गया—तजवीज हुई कि इस वातमें सदेह है कि दफा २८३ का मुकद्दमेसे सम्बंध है परंतु उन्होंने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २६८ का अपराध किया है और वह दफा २९० के अनुसार दण्डके योग्य है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६५६)

५—एक किरायेदार मनुष्यने अपना घर कायदेके विरुद्ध जुवा खेलनेके लिये जुवारियोको देदिया था और उसके कारणसे सर्व सम्बन्धियोंको हानि पहुँचती थी उसपर हिन्दुस्थानके दण्डसं-

ग्रहकी दफा २९० का अपराध प्रमाणित किया गया—यह बात मालूम होती है कि अपराधीने उस घरको जुवा खेलनेके लिये नहीं ठहराया था—तजवीज हुई कि अपराधका दण्ड ठीक २ था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ३६४)

६—किसी नदी या खाटीसे जहाज या नावका आना जाना सर्व सम्बधी दु:खदायी काममें नहीं गिना जायगा परन्तु यह बात अवश्य है कि जहाज या नावके चलनेमें अथवा कोई भय या दु:ख किसी मनुष्यके किसी सर्व सम्बधी मार्गमें नाव या जहाजके चलनेके समय न पहुँचाया जावे। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ६६५)

७—वे मनुष्य जो सर्व सम्बधी मार्गमें बैठकर गावमे आने जानेवालेको पत्ता खेलनेके लिये बहँकावे और उनसे रुपया जीते वह इस दफा २९० हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहके अनुसार अपराधी हैं। (कार्रवाई मदरास हाईकोर्ट २८ जनवरी सन् १८८७ ई०)

(२९१) यदि कोई मनुष्य किसी सर्व दु:खदायी कामको करे अथवा उसे करता रहे जिसको किसी ऐसे सरकारी नौकरकी ओरसे उस सर्व दु:खदायी कामके न करने अथवा उसे न करते रहनेकी आज्ञा होचुकी हो जो ऐसी आज्ञाके देनेका उचित अधिकार रखता हो, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे।

किसी सर्व दु:खदायी कामके न करते रहनेकी आज्ञा पाकर उसे करते रहना,

टीप—दफा २८० के अनुसार है।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९१ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य है कि अपराधीके नाम असालतन एक ऐसा हुक्मनामा जारी हुवा था कि जिसके द्वारा उसको उसी सर्व दु:खदायी कामके न करने अथवा न करते रहनेकी आज्ञा दीगई थी। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ९९)

(२९२) जो कोई मनुष्य अश्लील पुस्तक अथवा सग्रह [रिसाला] अथवा लिखावट (तहरीर) अथवा सादा चित्र अथवा रगदार अथवा मूर्ति अथवा प्रतिमा बेचे या बाटे या बेचने या भाडेपर चलानेके लिये दूसरे देशसे लाए या छापे या जानबूझकर सर्वसाधारणको दिखलाए या ऐसा करनेका उद्योग करे या ऐसा करनेको स्वय कहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनो दण्ड दिये जावेंगे।

अश्लील (फहश) पुस्तकोका बेचना आदि.

छूट।

यह दफा किसी ऐसे चित्रसे सवन्ध न रक्खेगी जो किसी मदिरके ऊपर या भीतर या प्रतिमा निकालनेके रथपर हो अथवा किसी मजहब या मत सबन्धी-कामके लिये रक्खी गई हो

या काममे आती हो चाहे वह मूर्ति कटकर वनी हो चाहे खुदकर और चाहे रंग-दार हो चाहे और प्रकारकी ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९२ व दफा २९४ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य है कि उन चित्रो और शब्दोका स्पष्टीकरण होना अवश्य है जिनका अश्लील होना वर्णन किया जावे । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १ सफा ३५६)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायानुसार जिस पुस्तकमे थोडी भी अश्लील इबारत हो वह अश्लील है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ८३७)

(नोट) अदालतोंको अधिकार है कि दफा २९२ व २९३ का अपराध प्रमाणित होनेपर वह यह आज्ञा दें कि वह पदार्थ जिसके मध्ये अपराध हुआ है नष्ट कर दिये जावे । ऐक्ट न १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१)

अश्लील पुस्तकको वेचने या दिखानेके लिये पास रखना.

(२९३) जो कोई मनुष्य कोई ऐसी अश्लील पुस्तक या कोई और पदार्थ जैसा कि पिछली दफामे वर्णन किया गया है वेचने या बांटने या सर्व साधारणको दिखलानेके लिये अपने पास रखता हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २९२ के अनुसार समझो ।

अश्लील काम और गीत.

(२९४) तबदील हुवा दफा ३ ऐक्ट ३ सन् १८९९ ई० के अनुसार जो कोई मनुष्य इस प्रकारसे कि औरोंको रञ्ज पहुंचे—

(अ) सर्व साधारणके आने जानेके किसी स्थानमें कोई अश्लील काम करे ।

(व) सर्व साधारणके आने जानेके किसी स्थानमें या उसके निकट कोई अश्लील गीत गावे अथवा कोई अश्लील शेर (छन्द चौपाई) पढे अथवा अश्लील बाते बके तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २९२ के अनुसार समझो ।

१--अपराधीके ऊपर लावनी गानेका अपराध जो सदैव अश्लील नहीं हुआ करती परन्तु बहुधा हुवा करती है लगायागया और मजिस्ट्रेटने उसे हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९४ के अनुसार अश्लील गीत गानेका अपराधी ठहराया परतु जो कि गवाही इस बातकी कि जो लावनी अपराधीने गाई थी वह अश्लील थी मौजूद न थी इस कारण वह दण्डकी आज्ञा से बरी किया गया। (रिपोर्ट बम्बई हाईकोर्ट जिल्द ४ सफा २५)

(२९४) * (अ) जो मनुष्य कोई दफ्तर या घर ऐसी चिट्ठी डालनेके अभिप्रायसे रक्खे जिसकी आज्ञा सरकारसे नहीं है उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छ० महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जॉयगे।

चिट्ठी डालनेका दफ्तर रखना.

जो मनुष्य किसी घटना या इत्तिफाकके होनेपर जो निस्वत या ताल्लुक किसी टिकट अथवा कुरअ अथवा नम्बर या हिन्दसा (अक) आदिसे ऐसी चिट्ठी डालनेमें रखता हो किसी मनुष्यके लाभके लिये कुछ रुपया चुकाने या कोई सामान सिपुर्द करने अथवा किसी कामके बत्तावमें लाने अथवा किसी कामके करने देनेके लिये कोई यत्न प्रगट करे उसको जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपया तक हो सकेगा दिया जायगा।

टीप---(१) दफा २९० के अनुसार है।

१---जुवा खेलना कानूनानुसार मुफस्सिलातमें मना नहीं है जो रुपया इस प्रकारका जुवा खेलनेके लिये उधार दिया जावे वह नालिशसे वसूल होसकता है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा ३०१)

२--शब्द "चिट्ठी डालने" मुन्दर्जेफिकरा (टुकडा) २ दफा २७४ (अ) हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहसे अभिप्राय प्रत्येक चिट्ठी डालनेका है जिसकी आज्ञा गवर्नमेंटने न दी हो और उसमें चिट्ठी अन्ये दशकी भी सयुक्त हैं और शब्द "प्रगट करनेवाले" मुन्दर्जे फिकरे मजकूरमे दोनो वह मनुष्य जो दरख्वास्त करता है और मालिक अखवार भी जो दरख्वास्त इश्तिहारको छापता है शामल है। मालिक अखवार बबई जिसने एक इश्तिहार अपने अखवारमें माल सम्बन्धी व वजन चिट्ठी डालनेका मुश्तहर (प्रगट) किया था वह हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९४ की मशासे दण्ड योग्य ठहराया गया। (अगरेजी इडियन लारिपोर्ट सिलसिला बम्बई जिल्द १० सफा ९७)

---

* ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफा १४ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा १९६ को देखो।

(इस सग्रहके अध्याय ४२५ व २३ उन अपराधोंसे सम्बध रखते हैं जो इस दफाके अनुसार दड योग्य हैं ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० दफा १३ को देखो)

अध्याय पन्द्रहवाँ १५.



उन अपराधोंके विषयमें जो मतसे सम्बन्ध रखते हैं ।

किसी सम्प्रदायके मतकी निन्दाके अभिप्रायसे पूजाके किसी स्थानको हानि पहुँचाना अथवा अपवित्र करना.

(२९५) जो कोई मनुष्य किसी पूजाके स्थानको अथवा किसी पदार्थको जिसको किसी सम्प्रदायके मनुष्य पूज्य मानते हो तोडे फोडे अथवा हानि पहुँचाए अथवा अपवित्र करे जिसके द्वारा मनुष्योंके किसी सम्प्रदायके मतकी निन्दा करनेके अभिप्रायसे अथवा उस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि मनुष्योंका कोई सम्प्रदाय उस तोड फोड या हानि पहुँचाने अथवा अपवित्र करनेको अपने मतकी एक प्रकारसे निन्दा समझेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा । जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनोंही दण्ड दिये जावेगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम सम्मन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

१-एक हिन्दूने एक स्त्रीके साथ एक मुसलमान फकीरकी कबरके हातेके भीतर व्यभिचार किया हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहको दफा २९५ के अनुसार वह अपराधी प्रमाणित हुआ तजवीज हुई कि इस बातका प्रमाण न होनेकी अवस्थामे कि उपरोक्त स्थान पूजाके लिये काममे लाया जाता था अथवा किसी और दूसरी रीतिपर पाक था अपराधीकी तजवीज अनुचित्त है वरन उसका दण्ड हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९७ के अनुसार होना ठीक है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १० सफा १२६)

२-हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९५ मे लिखे हुए शब्द "पदार्थ" से जानदार पदार्थका अभिप्राय नहीं है । (ई० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १० सफा १५०)

३-हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९५ मे लिखे हुए शब्द " पदार्थ " मे जानकर पदार्थ न गिने जायँगे, कोई सांड जो किसी हिन्दूकी श्राद्धमे स्वाधीन कर दिया जावे, इस दफामे लिखे हुए शब्द पदार्थसे सम्बन्ध न रक्खेगा-और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छिपाकर गोश्त और चमडेके लालचसे मार डाले तो उन्होने दफा २९५ का कोई अपराध नही किया और सांड स्थावर-धन (जायदाद मनकूला) दफा ३७८ या ४०३या ४२५ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायमे नहीं है । (इ० ला० रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द ७ सफा ७५२ मवर्रखे २७ मार्च व १५ अप्रैल सन् १८९० ई०)

(२९६) जो कोई मनुष्य जानबूझकर अपनी इच्छापूर्वक किसी समाजको दुःख पहुचाए, जो अपने मतकी पूजा अथवा मतकी रीतोको पूरा करनेमें उचित रीतिसे तत्पर हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दड अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे।

किसी मत सम्बन्धी समाजको छेडना.

टीप–दफा २९५ के अनुसार है।

१—मुसलमानोकी एक सर्व सबधी मसजिदमे कुछ खेफी मतके मुसलमान जिनकी रीतिके अनुसार शब्द "आमीन" धीरेसे बोलना चाहिये, नमाज पढते थे, वहा पर एक और मुसलमान दूसरे मतका मसजिदमे आया और नमाज पढतेमें अपनी रीतिके अनुसार शब्द "आमीन" बडी जोरसे कहा। इस कामके मध्ये वह हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा २९६ के अनुसार अपराधी प्रमाणित हुआ। इजलास कामिलसे हुक्म हुआ कि मुकद्दमेकी तजवीज दुबारा कीजावे और नीचे लिखी हुई बातोपर विचार किया जावे, कि कोई गिरोह (समाज) मतकी पूजाके लिये उचित रीतिपर इकठ्ठा हुआ था या नही और वास्तवमे ऐसे गिरोहको अपराधीने हानि पहुँचाई या नहीं और अपराधीका अभिप्राय हानि पहुँचानेका था या नही। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४६१)

(२९७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका दिल दुखाए अथवा किसी मनुष्यके मतकी निंदा करनेके अभिप्रायसे अथवा इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्यका दिल दुखेगा अथवा किसी मनुष्यके मतकी निंदा होगी किसी पूजाके स्थान अथवा कब्रस्थान अथवा ऐसे स्थानमे जो मृतक क्रियाओको करनेके लिये अथवा मरे हुओको गाडनेके लिये ठहराया गया हो, मदाखलत वेजा करे अथवा किसी मृत मनुष्यके शव (लाश) की अप्रतिष्ठा करे अथवा उन मनुष्योको हानि पहुंचावे जो मृतक क्रिया करनेको इकट्ठा हुए हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनोही दड दिये जावेगे।

कब्रस्थान आदिमें मदखलत वेजा करना.

टीप–दफा २९५ के अनुसार है।

१—धरतीके एक टुकडेमें (क) (ख) (ग) (घ) आपसमे साझी थे जिसमे वे अपने मृतकोंको गाडा करते थे। (क) और (ख) ने (घ) के नातेदारोकी कबरोके निकट एक गटा खोदा परन्तु किसी कब्रको कुछ हानि न पहुँचाई—तजवीज हुई कि (क) और (ख) के मध्ये हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा २९७ के अनुसार दड देना अनुचित था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ३ सफा १७८)

(२९८) जो कोई मनुष्य सोच विचारकर मतके विषयमे किसी मनुष्यका अन्तः-करण दुखानेके अभिप्रायसे कोई बात कहे अथवा कोई शब्द निकाले जिसको वह मनुष्य सुनसके अथवा उस मनुष्यके सामने कोई काम करे अथवा उसकी दृष्टिके सामने कोई पदार्थ रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

किसी मनुष्यके अन्त.-करणको मतके विषयमे जानबूझकर दुःख देनेके अभिप्रायसे कुछ कहना इत्यादि.

टीप–(१) प्रे॰ म॰ या म॰ अ॰ या म॰ दो॰ (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय सोलहवाँ १६.

उन अपराधोंके विषयमें जो मनुष्यके शरीरमें प्रभाव (असर) रखते हैं ।

उन अपराधोंके विषयमें जो मनुष्यके प्राणोंमें प्रभाव (असर) रखते हैं ।

(२९९) जो कोई मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे अथवा शरीरको ऐसा दु:ख पहुचानेके अभिप्रायसे जिससे मृत्युका होना अति संभवित है अथवा यह जानकर कि कदाचित् उस कामके करनेसे वह मृत्युका कारण होगा, कुछ काम करके मृत्युको उत्पन्न करे तो वह ज्ञातवत् घातका अपराध करने-वाला कहलावेगा ।

ज्ञातवत्घात (कतल) इसान मुस्तलजिम सजा.

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर किसी गढेके ऊपर कुछ लकडियां और घास फूस इस अभिप्रायसे पाट दे कि उसके द्वारा मृत्युका कारण हो अथवा इस जानकारीसे कि उसके द्वारा मृत्यु होना सम्भवित है और रमाशंकर उसको ठोसधरती जानकर उसपर चले और उसमे गिरकर मर जाये तो शिवशंकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी होगा ।

(ख) शिवशंकर यह जानता हो कि रमाशंकर किसी झाडीके पीछे है और उमाशंकर यह न जानता हो और शिवशंकर रमाशंकरको उस झाडीपर बन्दूक चलानेके लिये बहँकावे इस अभिप्रायसे अथवा इस बातके होनेको सम्भव जानकर कि वह बहँकाना रमाशंकरकी मृत्युका

कारण होगा—उमाशकर बदूक चलावे और रमाशकरको मार डाले तो इस अवस्थामे सम्भव है कि उमाशकर किसी अपराधका अपराधी न हो परन्तु शिवशकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी हुआ ।

(ग) शिवशकर किसी चिडियाको मारने अथवा चुरानेके अभिप्रायसे चिडियापर बंदूक चलावे और रमाशकरको जो किसी झाडीके पीछे हो मारे और शिवशकरको यह न ज्ञात हो कि रमाशकर वहा है तो इस अवस्थामे शिवशकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी न होगा यद्यपि वह एक अनुचित काम करता था । क्योंकि उसने रमाशकरको मार डालनेके अभिप्रायसे बदूक नहीं छोडी थी और न उसका यह अभिप्राय था कि ऐसे कामके करनेसे मृत्यु कीजावे जिससे वह जानता था कि मृत्यु होनेका भय है ।

स्पष्टीकरण—१ जब कोई मनुष्य किसी और मनुष्यको जो किसी रोग अथवा शारीरिक (जिस्मानी) निर्बलतामे फँसा हो, शारीरिक दु ख पहुचाए और उसके द्वारा उसकी मृत्यु शीघ्रही हो जावे तो उपरोक्त मनुष्य उसकी मृत्युका कारण समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण—२ जब मृत्यु शारीरिक दुःखके कारण हुई हो तो जो मनुष्य उस दुःखको पहुचानेवाला हो मृत्यु उत्पन्न करनेवाला गिना जायगा जब कि उचित यत्नो और सावधानीके साथ औषधि करनेसे उसकी मृत्यु रुकसकती हो ।

स्पष्टीकरण—३ किसी बालकका मारना उसकी माताके गर्भमें ज्ञातवत् घात न गिना जायगा परन्तु किसी ऐसे जीवित बालकका मारना कि जिसका कोई अग बाहर निकल आया हो ज्ञातवत् घात हो सकेगा चाहे उस बालकने श्वास भी न ली हो और उसका जन्म भी न होचुका हो ।

१—अपराधी एक मनुष्यके मारनेका कारण इस प्रकार पर हुआ कि उसने उसके पहलूमें एक पतला बांस मारा जो मोटाईमें एक इञ्चसे अधिक न था और उसकी चोटसे उस मनुष्यकी तिल्ली फट गई जिसमें कोई रोग था, अपराधी भारीचोट (जररशदीद) पहुँचानेका अपराधी प्रमाणित हुआ (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ३८)

२—अपराधियोंने एक चोरपर उसके पकडे जानेके पश्चात् आक्रमण (हमला) किया और किसी २ ने उसे लात और घूसोंसे मारा और दो मनुष्योंने एक छोटे पीढेसे उसको दो एक चोटें लगाई और उसकी नाक तोड डाली । वह चोर दो घटेके पश्चात् मरगया—सेशन जजने अपनी तजवीजमे लिखा कि वह पीढा भारी न था और डाक्टरकी गवाहीसे जान पडा कि उस चोरकी मृत्यु किसी चोटके कारण न हुई थी वरन बराबर कई एक चोटोंके लगनेसे हुई थी जो इस योग्य न थीं कि मृत्युका कारण हों । तजवीज हुई कि प्रतिवादी (मुद्दआअलेहुम) केवल भारी चोट पहुँचानेके अपराधी होगये थे क्योंकि उनके कामोसे यह न प्रगट होता था कि उनका अभिप्राय ऐसी चोटके पहुँचानेका था कि जिससे मृत्युका होना सम्भव हो और न यह प्रगट होता

था कि उनको यह जानकारी थी कि वे अपने कामोंसे कदाचित् मृत्युके कारण होंगे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ४१)

३—एक सपेरेने इस बातको जानकरभी कि उसने अपने सापका दॉत न तोडा था उस सापको एक तमाशा देखनेवालेके शिरपर रखदिया जिसको उसने काट खाया और वह तमाशा देखनेवाला मरगया। इसलिये वह सपेरा ज्ञातघातके अपराधका अपराधी हुआ और उसके मध्ये दफा ३०४ व ३०४ (अ) के अनुसार इस बातपर दण्डकी आज्ञा हुई कि उसने उपरोक्त काम इस जानकारीसे किया था कि उस कामसे मृत्युके होनेका सम्भव था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३५१)

४—अपराधीने अपनी स्त्रीको धरतीपर गिराकर अपना घुटना उसकी छातीपर रख दिया और दो तीन घूसे ऐसे जोरसे उसके शिरपर मारे कि उसके दिमागसे रक्त बहने लगा और वह तत्कालही अथवा थोडी देरके पश्चात् मरगई—तजवीज हुई कि अपराधी की इच्छा उसे मार डालनेकी न थी और जो शारीरिक चोटें उसको पहुँचाई गईं थी वह साधारण रीतिपर मृत्यु होनेके योग्य थी इसलिये अपराधी ज्ञातघातकी मृत्यु (कतल अल्द) का अपराधी न हुआ था वरन् ज्ञातवत् घातका अपराधी हुवा था जो ज्ञातघातकी सीमातक न पहुँचता था। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा ३४२)

(३००) उन अवस्थाओंके अतिरिक्त जो नीचे मुस्तसना (छूट) की जाती हैं

ज्ञातघात. } ज्ञातवत्घात ज्ञातघात होगा।

पहिले—यदि वह काम जिसके कारणसे मृत्यु हुई हो इस अभिप्रायसे किया गया कि मृत्युका कारण हो, अथवा—

दूसरे—यदि काम ऐसी शारीरिक चोटके पहुचानेके अभिप्रायसे किया गया हो जिससे अपराधीकी जानकारीमे उस चोट पाए हुए मनुष्यका मरजाना सम्भवित है अथवा—

तीसरे—यदि काम किसी मनुष्यको कोई शारीरिक दुःखके पहुचानेके अभिप्रायसे किया गया हो और वह शारीरिक दुःख जिसके पहुचानेका अभिप्राय किया गया हो ऐसा हो कि प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्यु उत्पन्न करनेके लिये काफी हो, अथवा—

चौथे—यदि वह मनुष्य जिसने उस कामको किया है यह जानता हो कि वह काम ऐसा भारी जोखिमका है कि उससे मृत्यु अथवा शरीरका ऐसा दुःख होना अति सम्भवित है कि जिससे मृत्युके होनेका भय है और उस कामके करनेमें मृत्युका भय अथवा उपरोक्त दुःख (जरर) का भय उत्पन्न करना बिल्कुल विना कारण हो।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरको मारडालनेके अभिप्रायसे उसपर बन्दूक चलाई और रमाशंकरकी उससे मृत्यु हुई तो शिवशंकरने ज्ञातघातका अपराध किया।

(ख) शिवशंकर यह बात जानबूझकर कि रमाशंकर किसी ऐसे रोगमें फँसा है जिसके कारण और एकही घूंसेसे उसकी मृत्युका होजाना सम्भव है, उसको शारीरिक चोट पहुँचानेके अभिप्रायसे मारे और रमाशंकर उस घूंसेके कारण मर जावे तो ऐसी अवस्थामे शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा, चाहे ऐसा घूसा प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी निरोगी मनुष्यकी मृत्युके लिये काफी न होता परन्तु यदि शिवशंकर यह न जानकर कि रमाशंकर किसी बीमारीमें फँसा हुआहै उसको एक ऐसा घूँसा मारे जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी निरोगी मनुष्यको मार डालनेके लिये काफी नहीं है तो इस अवस्थामे शिवशंकर, चाहे उसका अभिप्राय शारीरिक चोटके पहुँचानेका हो, ज्ञातघातका अपराधी नहीं परन्तु नियम (शर्त) यह है कि जब उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा ऐसी शारीरिक चोटके पहुँचानेका न था जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्युका कारण होती।

(ग) शिवशंकर तलवार या लट्ठसे रमाशंकरको जानबूझकर ऐसी चोट पहुँचाकर जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी मनुष्यको मार डालनेके लिये काफी हो और रमाशंकर उस चोटके कारणसे मर जावे तो इस अवस्थामें शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा चाहे रमाशंकरको मार डालना उसके अभिप्रायमे न हो।

(घ) शिवशंकरने विना कारण मनुष्योंकी भीडमें भरी हुई तोप चलादी और उसमेंसे एक मनुष्य मरगया तो इस अवस्थामे शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी हुआ यद्यपि उसने पहिले किसी विशेष मनुष्यको मारडालनेका मनोरथ न किया हो।

छूट १.

ज्ञातवत् घात किसी अवस्थामें ज्ञातघात न होगा.

ज्ञातवत् घात उस अवस्थामे ज्ञातघात न होगा जब कि अपराधीने किसी बडे और तत्काल क्रोध दिलानेवाले कामके कारण अपने आपेमें न रहकर उस मनुष्यको, जिसने वह क्रोध दिलानेका कारण उत्पन्न किया हो, मारडाला हो अथवा भूलसे या अकस्मात्से किसी दूसरे मनुष्यकी मृत्युका कारण हुआ हो—

परन्तु ऊपर लिखी हुई छूट नीचे लिखे नियमोके आधीन रहेगी,—

पहिले—यह कि, अपराधीने स्वयं उस तत्काल क्रोध दिलानेवाले कामको न चाहा हो अथवा जानबूझकर इस अभिप्रायसे उस क्रोध दिलानेवाले कारणको न ढूंढा हो कि उसे किसी मनुष्यके मार डालने अथवा उसको हानि पहुँचानेका कारण होजावे।

दूसरे-यह कि, वह तत्काल क्रोध दिलानेका कारण किसी ऐसे कामसे न हुआ हो जो कानूनके वर्त्ताव करनेमे किया गया है अथवा जिसको किसी सरकारी नौकरने अपनी नौकरीके अधिकारके उचित वर्त्तावमें किया हो।

तीसरे-यह कि, वह क्रोध दिलानेका कारण किसी ऐसे कामके कारणसे न दिलाया गया हो जो निज रक्षाका अधिकार कानूनानुसार वर्त्तनेमे किया गया हो।

स्पष्टीकरण-यह बात कि उस क्रोध दिलानेका कारण ऐसा बडा और एकाएकी (तात्कालिक) था या नहीं कि जिससे अपराधका ज्ञातघातकी सीमातक पहुचना रुकजावे, एक अम्र (काम) जांच करनेके योग्य है।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने क्रोधकी अवस्थामे, जिसके दिलानेका कारण रमाशंकरने उत्पन्न किया जानबूझकर रमाशंकरके बालक हरशंकरको मारडाला-तो यह ज्ञातघातका अपराध हुआ; क्योंकि बालकने क्रोध नही दिलाया था और न उस बालककी मृत्यु उस क्रोधकी अवस्थामे किसी कामके करनेसे अकस्मात् अथवा दैवगतिसे हुई।

(ख) शिवशंकरने रमाशंकरको अचानक और भारी क्रोध दिलानेका कारण उत्पन्न किया रमाशंकरने उस क्रोधके होतेही शिवशंकरपर पिस्तौल चलाया-परन्तु उसकी इच्छा उमाशंकरके मारडालनेकी, जो उसके समीपही खडा था परन्तु दिखाई नहीं देता था, न थी और न वह यह जानता था कि उमाशंकरका माराजाना सम्भव है-रमाशंकरने उमाशंकरको मार डाला तो इस अवस्थामे रमाशंकरने ज्ञातघातका अपराध नहीं किया बरन् केवल ज्ञातवत् घातका किया।

(ग) शिवशंकर कि जो नाजिरका पियादा है कानूनानुसार रमाशंकरको पकडे और रमाशंकर पकडनेके कारण यकायक क्रोधमें आकर शिवशंकरको मारडाले तो यह ज्ञातघात है क्योंकि वह क्रोध एक ऐसे कामके द्वारा दिलाया गया जो एक सरकारी नौकरकी ओरसे उसके अधिकारके वर्त्तनेमे किया गया था।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरके सामने जो मजिस्ट्रेट है गवाहकी रीति (तौर) पर उपस्थित (हाजिर) हो और रमाशंकर यह कहे कि मैं शिवशंकरकी गवाहीके एक शब्दपर भी विश्वास नहीं करता और शिवशंकरने झूठी शपथ (हलफ दरोगी) की है-और शिवशंकर इन बातोंसे यकायक क्रोधमे आजावे और रमाशंकरको मार डाले तो यह ज्ञातघात है।

(च) शिवशंकर रमाशंकरकी नाक मरोडनेका उद्योग करे और रमाशंकर निज रक्षाका अधिकार वर्त्तनेमे शिवशंकरको इसलिये पकडले कि उसको इस कामके करनेसे रोके और शिवशंकर इस कारणसे यकायक भारी क्रोधमें आकर रमाशंकरको मारडाले तो यह ज्ञातघात है।

क्योंकि वह क्रोध ऐसे कामके द्वारा दिलाया गया जो निज रक्षाके अधिकारके वर्त्तनेमे किया गयाथा।

(छ) शिवशंकर रमाशंकरको मारे और रमाशंकर उस क्रोध दिलानेके कारणसे अचानक क्रोधमें भर जावे और उमाशंकर जो समीपही खडा हो इस इच्छासे कि इस क्रोधमें शिवशंकरको रमाशंकरसे मरवा डालनेका सुयोग मिल जावे रमाशंकरके हाथमें एक छुरी देदे और रमाशंकर उस छुरीसे शिवशंकरको मारडाले तो इस अवस्थामें सम्भव है कि रमाशंकर केवल ज्ञातवत्घातका अपराधी हो परन्तु उमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा।

छूट २.

ज्ञातवत् घात ज्ञातघात न होगा, यदि अपराधी शुद्धभावसे अपने तन अथवा धनके मध्ये निज रक्षाके अधिकारको वर्त्तनेमे उस अधिकारसे बढजावे जो उसको कानूनानुसार प्राप्त है। और उस हानिसे, जो उस रक्षाके लिये अवश्य है, अधिक हानि पहुँचानेका पहिलेसे कोई शोच या विचार न करके उस मनुष्यको मारडाले जिसके रोकमें वह उस निज रक्षाके अधिकारको वर्त्तताहै।

उदाहरण।

शिवशंकर रमाशंकरको कोडे मारनेका उद्योग करे इस प्रकारपर कि, रमाशंकरको भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचे, और रमाशंकर तमचा निकालले और शिवशंकर उस उद्योगसे न रुके तब रमाशंकर शुद्धभावसे यह समझ कर कि वह अपनेको किसी और यत्नसे कोडे खानेसे नहीं बचा सकता शिवशंकरको तमचा मारकर मारडाले तो रमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी नहीं हुआ वरन् केवल ज्ञातवत्घातका हुआ।

छूट ३.

ज्ञातवत्घात ज्ञातघात न होगा यदि अपराधी जो सरकारी नौकर हो अथवा किसी ऐसी सरकारी नौकरकी सहायता कर रहा हो, जो सर्व संबधी न्यायके प्रचलित करनेका बर्त्ताव कर रहाहो उन अधिकारोंसे जो उसको कानूनानुसार प्राप्त है बढजाए और किसी ऐसे कामके करनेसे मृत्युका कारण हो जिसको वह शुद्धभावसे उचित और अपनी सरकारी नौकरीका काम यथोचितके भुगतानेके लिये अवश्य समझता हो और उस मनुष्यसे जो मरा है कुछ शत्रुता न रखताहो।

छूट ४.

ज्ञातवत्घात उस अवस्थामे ज्ञातघात न गिना जायगा जब कि वह एकाएकी झगडा होकर लडाईमें क्रोधकी अधिकताके कारण बिना पहिलेसे विचार किये होजाय और अपराधीने कोई अनुचित लाभ न उठाया हो, अथवा निर्दयीपनसे अथवा असाधारण रीतिसे कुछ काम न किया हो।

स्पष्टीकरण—ऐसी अवस्थाओंमें इस बातके विचारनेकी आवश्यकता नहीं है कि वह क्रोध किस ओरवालेने दिलाया अथवा पहिले किसने आक्रमण (हमला) किया ।

छूट ५.

ज्ञातवत्घात उस अवस्थामे ज्ञातघात न होगा जब कि वह मनुष्य जो मारा गया है अठारह वर्षसे अधिक अवस्थाका हो और वह अपनी प्रसन्नतासेही माराजाए अथवा मारे जानेकी जोखिम उठाए ।

उदाहरण ।

शिवशंकर रमाशंकरको जिसकी अवस्था अठारह वर्षसे कम है, बहँकाकर उसके हाथ जानबूझकर आत्महत्या (खुदकुशी) करावे, तो इस अवस्थामें रमाशंकर न्यून अवस्था होनेके कारण अपनी मृत्युके मध्ये प्रसन्नता करनेके प्रकट योग्य न था, इस कारण शिवशंकरने ज्ञातघातमें सहायता की ।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३०० की छूट ५ का, ऐसे झगडेके मुकद्दमेसे सम्बन्ध नही है जो कि मुकद्दमा दूसरी किस्मका सतीके मध्ये सम्बन्ध रखता हो । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३१)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०० का " क्रोधदिलाना " उस प्रकारका होना चाहिये कि जिससे अपराधी अपने अधिकारसे बाहर होजावे और इस बातकी जाच करनेमे कि वह क्रोध उपरोक्त प्रकारका था या नही अपराधीकी उस दिली हालत (अन्तःकरणकी अवस्था) पर विचार करना उचित है जो उपरोक्त क्रोध दिलानेके समयमे हो । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द २ सफा १२२)

३—झगडेके समयका बयान किसी मनुष्यका, अपराधीके सामने होना चाहिये नही तो प्रमाण (सबूत) मे वह बयान सुननेके योग्य न होगा । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा २११)

४—अपराधी पर उसकी स्त्रीके वधका अपराध लगाया—गवाहीसे यह प्रमाणित हुआ कि अपराधीके जीमे इस बातका पूरा सन्देह उत्पन्न होगया था कि उसकी स्त्री किसी दूसरे मनुष्यसे फँसी हुई है—एक रातको उसकी स्त्री यह जानकर कि उसका स्वामी सोता हुआ है चोरीसे उसके पाससे उठकर चली गई, अपराधीभी एक कुल्हाडी लेकर उसके पीछे २ गया । उसने अपनी स्त्रीको उसके आशनाके साथ सर्वसाधारण मार्गपर बातचीत करते पाया यह देखकर तत्काल उसने उस स्त्रीको जानसे मारडाला—तजवीज हाईकोर्टकी यह हुई कि अपराधीने ज्ञातघातका अपराध किया है क्योकि इस घटनासे "भारी और एकाएक क्रोध" का पहुँचना हस्बमशाय दफा ३०० छूट न० १ से प्रगट नहीं होता है कि जिससे ज्ञातघातका अपराध बदल कर ज्ञातवत्घातका होजावे । (इ० ला० रि० जिल्द८ इलाहाबाद सफा ६२२)

५—दो कैदियोंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी एक स्त्रीके साथ उस मारे गए हुए मनुष्यको व्यभिचार करते देखकर उसको उसी समय और उसी स्थान पर मारडाला था—तजवीज हुई कि एकाएक क्रोध हो आनेके कारण ज्ञातघात कम होकर ज्ञातवत्घात होगया था जो ज्ञातघातकी सीमातक नही पहुँचता था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ७)

६—जब अपराधीने यह समझकर कि अमुक (फला) मनुष्य उसकी स्त्रीके साथ आशनाई रखता था उस मनुष्यको मार डालनेका भय दिलाया और फिर उसको मारडाला तो तजवीज हुई कि अपराधीने ज्ञातघातका अपराध किया था और उसका काम दफा ३०० की छूट १ मे नहीं गिना जासकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ४६)

७—तीन भाइयोंने एक मनुष्यको अपनी बहिनके साथ लेटा हुआ देखकर उसको मारडाला तजवीज हुई कि उनका काम दफा ३०० की छूट १ मे गिना जायगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ३८)

८—यदि कोई अठारह वर्षसे अधिक आयुका मनुष्य अपनेको नपुसक (नामर्द) करडाले और नपुसक किये जानेमे वह मरजावे तो नपुसक करनेवाला ज्ञातघातका अपराधी नही बरन् ज्ञातवत्घातका है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ७)

९—यदि कुछ मनुष्य लठबद इकट्ठे होवे और उनका अगुवा एक ऐसा मनुष्य हो कि जिसके यहा बदूक हो और यह वृत्तान्त वह सब मनुष्य जानते हो और उनका अभिप्राय किसी मनुष्यका धन बलपूर्वक ले जानेका हो। तो यदि उन मनुष्योंमेसे कोई मनुष्य बंदूक उठाकर उस मनुष्यको मारडाले जो उचित रीतिपर अपने मालके ले जानेमे रोक टोक कर रहा हो तो ऐसी अवस्थामें कुल मनुष्य हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा १४९ के अनुसार ज्ञातघातके अपराधी गिने जासकते हैं। (कलकत्ता ला० रिपोट जिल्द ३ सफा ४९)

१०—वधके अभियोगोंमे जजोंको फॉसीका दण्ड देनेमे कुछ आगापीछा न करना चाहिये जब कि साक्षी (शहादत) पर विश्वास कर लिया जावे और उससे अपराध प्रमाणित समझा जावे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ६४)

जिस मनुष्यके मारनेका अभिप्राय था उसके अतिरिक्त किसी औरको मारनेसे ज्ञातवत्घातका अपराध होना.

(३०१) यदि कोई मनुष्य कोई ऐसा काम करनेसे जिससे उसकी यह इच्छा हो अथवा जिससे इस कामका समय उसकी जानकारीमे हो कि वह मृत्युका कारण होगा किसी ऐसे मनुष्यकी मृत्युका कारण हो कर ज्ञातवत्घातका अपराध करे जिसकी मृत्युके कारण होनेकी न तो उसने इच्छा की न उस कामका समय उसकी जानकारीमें था कि वह उसकी मृत्युका कारण हो तो यह ज्ञातवत्घातका अपराध जिसका वह अपराधी हुआ है उसी प्रकारका है जो उस अवस्थामें होता जब कि अपराधी उस मनुष्यकी मृत्युका कारण हुआ होता जिसकी मृत्यु उसकी इच्छामे थी अथवा उस कामका समय उसकी जानकारीमे था कि वह उसकी मृत्युका कारण होगा।

१—किसी मनुष्यने अपनी आशनाके स्वामीको मारनेके अभिप्रायसे अंधेरी रातमें घात लगाई और भूलसे किसी राहगीरको मार दिया तो ऐसी अवस्थामें उसे ज्ञातघातके अपराधमें फाँसीका दण्ड दिया गया। (देखो मोरले साहबकी डायजेस्ट जिल्द ३ सफा १२५)

दण्ड ज्ञातघात.

(३०२) जो कोई मनुष्य ज्ञातघातका अपराधी हो उसको वधका दण्ड अथवा देश निकालेका दण्ड दिया जायगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) विला जमानत (५) राजीनामा नही है।

१—यदि कोई मनुष्य जो किसी दूसरे देशमे रहता हो ब्रिटिश इंडियामेंसे किसी मनुष्यको भगा ले जाए और दूसरे देशमें उसको मारडाले तो ब्रिटिश इंडियामे उसकी तजवीज केवल भगा ले जानेके अपराधके मध्ये होसकती है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ३९)

२— जब कभी कोई गर्भिणी स्त्री ज्ञातघातका अपराध करे तो उसको वधका दण्ड न देना चाहिये। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा १५)

३—केवल इस बातसे कि वध किये मनुष्यकी लाश नहीं मिली कोई कारण अपराधीको ज्ञातघातका अपराधी प्रमाणित करनेका नहीं है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३८३)

४—अपराधीपर जो गांजाका पीनेवाला था ज्ञातघातका अपराध अपनी स्त्री व छोटे बच्चेके मध्ये ठहराया गया उसने स्वीकार किया कि मैंने अपनी स्त्रीको मारडाला है इस कारण कि वह मुझसे झगडा करती थी और दूसरे गांवमें चलनेके लिये मना करती थी जहां मैंने अपनी दरिद्रता (गरीबी) के कारण जानेका निश्चय किया था साहब जजने इस बयानसे अपराधीपर ज्ञातघातका अपराध निश्चय किया और उसे फाँसीकी सजाकी आज्ञा बमजूरी हाईकोर्टके दी तजवीज हुई कि अपराधीका बयान ज्ञातघातके अपराधीकी सीमातक नही है उसने एकाएकी क्रोधके आजानेका बयान किया—इस बातकी जांच करनी चाहिये—और यह भी तजवीज हुई कि गांजापीनेके कारण अपराधीकी दशा एक रोगीकीसी होगई थी जिससे वह अपने काम अथवा कामके अपराधका फल जानने योग्य न रहा था—हिंदुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ८४ उससे सम्बन्ध नहीं है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १४ सफा ५६४)

दण्ड उस ज्ञातघातका जो कोई जन्म मीआदी बँधुआ कर डाले.

(३०३) जो कोई मनुष्य जिसके मध्ये जन्मभरके लिये देश निकालेके दण्डकी आज्ञा होचुकी हो ज्ञातघातका अपराध करे तो उसको बध का दण्ड दिया जावेगा।

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है।

नोट—प्रत्येक मनुष्यको, चाहे वह प्रेसीडंसी शहरके भीतर रहता हो अथवा बाहर, जो अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०२ व ३०३ व ३०८ के अनुसार किसी मनुष्य द्वारा होनेका वृत्तान्त उसे ज्ञात होजावे, उचित है कि ऐसे अपराध अथवा अपराध करनेकी इच्छाकी सूचना सबसे निकटके मजिस्ट्रेट अथवा अफसर पोलीसको दे दे । (दफा ४४ मजमूआ जाब्ता फौजदारीको देखो)

दंड ज्ञातवत्घातका जो ज्ञातघाततक न पहुंचे.

(३०४) जो कोई मनुष्य ऐसे ज्ञातवत्घातका अपराधी हो जो ज्ञातघातकी सीमा-तक न पहुंचता हो तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दंड दिया जायगा अथवा दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा परन्तु नियम यह है कि वह काम जिससे मृत्यु हुई मृत्युका कारण होनेकी इच्छासे या ऐसी शारीरिक चोटका कारण होनेकी इच्छासे किया गया हो कि जिससे मृत्युके होनेका सम्भव है; अथवा दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्ष-तक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे परन्तु नियम यह है कि उपरोक्त काम इस जानकारीसे किया गया हो कि उससे मृत्युका होना सम्भव है परन्तु कुछ यह इच्छा न हो कि उससे मृत्यु हो अथवा ऐसी शारीरिक चोट पहुंचे कि जिससे मृत्युका होना सम्भव है ।

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

१—एक छोटेसे झगडेमें अपराधीने मारे गए हुए मनुष्यकी पीठमें ऐसे जोरसे धक्का मारा कि वह मेंडकपर जो ढाई हाथ नीचे थी गिरपडा और उससे ऐसी चोट पहुँची कि वह पांचवें दिन मरगया तजवीज हुई कि अपराध ज्ञातवत्घातका है ज्ञातघातकी सीमातक नहीं पहुँचता (इ० ला० रि० मदरास जिल्द २ सफा २२४)

२—हिन्दुस्थानकी दण्डसंग्रहकी दफा ३०४ शब्द (अ) ऐसे मुकद्दमेसे सम्बन्धित नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी मनुष्यकी ओरसे कोई अपराध किया जावे (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द सफा ७६४)

३—हाकिम अदालतको ज्ञातवत्घातके अपराधमें केवल इसही बातपर भरोसा न करना चाहिये कि मारा गया हुआ मनुष्य तिल्लीकी बीमारीमें फँसा था, बरन् उसको इस बातपरभी विचार करना चाहिये कि अपराधी इस बातसे जानकार था या नहीं कि उस मारे गए हुए मनुष्यको उपरोक्त रोग है और उसको चोट पहुँचानेसे बीमारीके कारण उसके प्राण निकल जानेका भय है अथवा नहीं । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ८१५)

४—जब किसीकी माँने जानबूझकर अपने लडकेको इस अभिप्रायसे छोड दिया कि वह छोड-नेके कारण मृत्युको प्राप्त हो और वह लडका छोडनेके कारण मरजावे तो उसको केवल दफा ३०४

अनुसार दण्ड दिया जासकता है न कि दफा ३१७ व ३०४ दोनोकेही अनुसार। (इ० लॉ० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३३९)

५—एक सपेरेने सर्व साधारणके सामने एक विषैले सॉंपका तमाशा किया जिसके विषैले दॉत उसकी जानकारीमे नही निकाले गये थे परन्तु किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेकी इच्छा विना उसने सॉंपको तमाशा देखनेवाले एक मनुष्यके शिरपर बिठा दिया उस मनुष्यने सॉंपके हटानेका यत्न किया सॉंपने उसको काट खाया और वह मरगया—तजवीज हुई कि सपेरेके ज्ञातवत्‌घातका अपराध ज्ञातघातकी सीमातक नहीं पहुँचता। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३५१)

६—शामको (म) ने एक कारीगर (न) को अपनी स्त्रीके साथ व्यभिचार करते हुए देखा और सुबहको जब बदचलनीके कारण उसके हृदयमे क्रोध आया तब वह (न) के निकट आया और एक हथियारसे उसको उसी स्थानपर मारडाला तजवीज हुई कि वह क्रोध उचित रीतिपर था जिसके कारण वह अपने आपेसे बाहर होगया और ज्ञातघातका अपराध घटकर ज्ञातवत् घातका हो गया। (इ० ला० रि० मंदरास जिल्द ३ सफा ३३)

७—(न) रेलवे कम्पनीका नौकर था उसके सिपुर्द चकरोंक चलानेका काम कुलियोंके द्वारा था, उसने उपरोक्त कामको असावधानीके साथ किया और इस कारण चक्कर उससे छूट गया। उसके आज्ञा देनेके अनुसार कुलियोमेसे एक कुलीने चक्करके ठहरा देनेका यत्न किया और वह उसकामके करनेमे मरगया—तजवीज हुई कि (न) का काम असावधानीके कारण दफा ३०४ (अ) के अभिप्रायानुसार हुआ जिससे उस कुलीकी मृत्यु हुई। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा २४८)

८—एक कविराजने बवासीरके मस्से काटनेमे साधारण चाकूसे एक मनुष्यपर डाक्टरी वर्त्ताव किया परन्तु वह मनुष्य मरगया—तजवीज हुई कि अपराधी चीड फाडके काममे अशिक्षित था और उसको इस काममे भली प्रकारसे जानकारी न थी इस लिये हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा ३०४ (अ) के अनुसार यथोचित दण्डकी आज्ञा हुई थी। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५६६)

९—एक बुड्ढी स्त्रीने जिसकी अवस्था ७० वर्ष की थी अठारह वर्षके लडकेको इस प्रकार मारा कि उस मारसे वह मरगया—असिस्टन्ट कमिश्नरकी यह राय थी कि उस स्त्रीने लडकेको शिक्षा देनेके अभिप्रायसे मारा था जैसा कि बहुधा मॉ बाप अपने नालायक लडकोंके साथ किया करते हैं तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि असिस्टन्ट कमिश्नरको मुकद्दमेके निबटानेका अधिकार न था उसका काम अदालत सेशनमे अपराधीको दफा ३०४ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार सिपुर्द करनेका है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा २३)

(३०४) (अ) यदि कोई मनुष्य किसी असावधानी अथवा गफलतके कामसे किसी मनुष्यकी ऐसी मृत्युका कारण हो जो ज्ञातवत् घातकी सीमातक न पहुँचे तो उसको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड उस मीआदतक होगा जो दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेंगे।

असावधानी करनेसे मृत्युका कारण होना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ व २३ उन अपराधोंसे सम्बन्ध रखते हैं जो इस उपरोक्त दफाके अनुसार दण्डके योग्य हैं)

१—अपराधियोंने एक चोरको इतना मारा कि वह मर गया—उसकी लाश पर मारके १४१ चिह्न थे—उसकी कई पसलियाभी टूट गई थीं—तजवीज हाईकोर्टकी यह हुई कि ऐसे मुकदमेमें दफा ३०४ (अ) का सम्बन्ध नहीं है बरन् अपराधीको दफा ३०४ के अनुसार दण्ड होना चाहिये (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर प्रदेश जिल्द ५ सफा २३५)

२—सरकारी घाटका एक ठेकेदार जिसका काम मुसाफिरोंको नदीमें आरपार करनेका था एक टूटी फूटी नावसे काम निकालता था नाव टूटी फूटी होनेके कारण, जब कि वह नदीके पार होरही थी डूब गई और कुछ मनुष्य जो उसमें सवार थे डूबकर मर गये। तजवीज हुई कि ठेकेदार घाट दफा ३०४ (अ) के अपराधका अपराधी है। (इ० ला० रिपोर्ट इलाहाबाद जिल्द १६ सफा४७२)

३—अपराधीको दफा ३०४ (अ) के अनुसार कैदका दण्ड दिया जाकर जुर्मानेकाभी दण्ड दिया गया और वह जुर्मानेका रुपया मारे गए हुए मनुष्यकी विधवा स्त्रीको दिलाया गया, तजवीज हुई कि यह रुपया विधवाको दिया जाना अनुचित है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफा३५२)

(३०५) यदि कोई मनुष्य जिसकी अवस्था अठारह वर्षसे कम हो अथवा कोई सिड़ी अथवा बेहोश, अथवा जन्ममूर्ख अथवा ऐसा मनुष्य जो नशा पिये हो आत्मघातका अपराध करे और जो कोई मनुष्य उस आत्मघातके अपराधमें सहायता करे तो उसको वधका दंड अथवा जन्मभरके देश निकालेका दंड अथवा ऐसी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

बच्चे अथवा सिड़ीका आत्महत्यामें सहायता करना.

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है।

(३०६) यदि कोई मनुष्य आत्मघातका अपराध करे और जो कोई मनुष्य उस आत्मघातके अपराधमें सहायता करे तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

आत्महत्यामें सहायता करना.

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है।

१—कुछ अपराधियोमेसे एक अपराधीने सतीकी चिता जलानेमे सहायता की और दूसरे अपराधीने उस स्त्रीको जो चितासे आग जलनेके पश्चात् उठ गई थी फिर चिता पर बिठलानेका यत्न किया इसलिये पहिला मनुष्य ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी समझा गया और दूसरा मनुष्य आत्मघात करनेमे सहायक प्रमाणित हुआ (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा १७४)

(३०७) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसी इच्छा अथवा ऐसी जानकारी और ऐसी अवस्थामे करे कि यदि वह उस कामके द्वारा मृत्युका कारण होता तो ज्ञातघातका अपराधी होता, उसको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि उस कामके कारणसे किसी मनुष्यको चोट पहुचे तो अपराधी जन्मभरके देश निकालेके दंडके अथवा उस दंडके योग्य होगा जिसका वर्णन इस दफामें पहिले किया गया है ।

ज्ञातघातका उद्योग.

जिस अवस्थामे कि कोई मनुष्य जो उपरोक्त दफाके अनुसार जन्मभरके देश निकालेके दंडको भुगत रहा हो उस अवस्थामे यदि किसी मनुष्यको चोट पहुंचावे तो उसको वधका दंड हो सकता है ।

(यह नीचेका टुकडा दफा ११ ऐक्ट न० २७ सन् १८७० ई० के अनुसार बढाया गया है)
टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर उमाशंकरको मारडालनेकी इच्छासे ऐसी अवस्थामें उसपर बंदूक चलाए कि यदि उससे मृत्यु होती तो शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होता तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार दण्डके योग्य है ।

(ख) शिवशंकर किसी छोटे बच्चेको मारडालनेके अभिप्रायसे उसको किसी उजाड स्थानमें डाल दे तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है । चाहे उस लडकेकी मृत्यु न हुई हो ।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको मारडालनेके अभिप्रायसे एक बदूक मोल ले और उसको भेरे तो अभी शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी नही है फिर शिवशंकर रमाशंकरपर बदूक चलाए तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है और यदि उस बंदूक के चलानेसे रमाशंकर घायल होजावे तो शिवशंकर उस दण्डके योग्य होगा जो इस दफाके निचले टुकडेमें ठहराया गया है ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरको विषसे मार डालनेकी इच्छा करके विष मोल ले और उसको उस खानेमे मिला दे जो शिवशंकरकी सिपुर्दगीमे रहता हो तो अभी शिवशंकरने उस अपराधको नहीं किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है फिर शिवशंकर उस खानेको रमाशंकरके पास

धरे अथवा रमाशंकरके नौकरोंको देदे कि वह उसको रमाशंकरके आगे रख दें तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

१—अपराधीने एक मनुष्यके शिरमें तीन लाठियाँ उसके मारडालनेके अभिप्रायसे मारीं, वह मनुष्य बेहोश होकर धरतीमें गिरपड़ा, अपराधीने यह निश्चय करके कि वह मरगया, उस झोंपड़ेमें जिसमें वह पड़ा हुआ था, इस अभिप्रायसे आग लगादी कि जिससे अपराध होनेका प्रमाण न मिल सके। डाक्टरकी गवाहीसे प्रमाणित हुआ कि अपराधीने जो चोटें मारी थीं वह मृत्युका कारण न थीं और न वह मृत्युका कारण हुई यथार्थमें मृत्यु जलादेनेके कारण ही हुई। तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधी दफा ३०७ के अनुसार ज्ञातघातका अपराधी है पारसन्स साहब जस्टिसकी यह राय थी कि अपराधी दफा ३०२ के अनुसार ज्ञातघातके अपराधका अपराधी है (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफा १९४)

ज्ञातवत् घातके अपराधका उद्योग.

(३०८) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसी इच्छा अथवा ऐसी जानकारीसे अथवा ऐसी अवस्थामें करे कि यदि वह उस कामके द्वारा मृत्युका कारण हो तो वह उस ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी हो जो ज्ञातघातकी सीमाको नहीं पहुंचता है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

और यदि उस कामके कारणसे किसी मनुष्यको चोट पहुंचे तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

उदाहरण।

शिवशंकरने एकाएकी किसी भारी क्रोध दिलानेवाले कामके कारण रमाशंकरके ऊपर ऐसी पिस्तौल चलाई जब कि कदाचित् रमाशंकरकी मृत्यु होजाती तो शिवशंकर उस ज्ञातवतघातके अपराधका अपराधी गिना जाता जो कि ज्ञातघातके तुल्य नहीं है तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तदाजी करसकती है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

आत्मघात करनेका उद्योग.

(३०९) जो कोई मनुष्य आत्मघातके अपराधका उद्योग करे और कोई ऐसा काम करे जो उपरोक्त अपराधके किये जानेकी ओर झुकता हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दण्ड दिये जावेंगे।

टीप–(१) ग्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नही है।

१—एक स्त्री कुएमे गिरकर आत्मघात करनेके अभिप्रायसे कुएके समीपतक दौडी गई और वहां वह पकड ली गई उसको आत्मघात करनेके उद्योगमे दफा ३०९ के अनुसार दण्ड दिया गया तजवीज हुई कि अपराधिनीका दंड अनुचित है। (इ० ला० रि० मदरास- जिल्द ८ सफा ५०)

(३१०) जिस मनुष्यने इस ऐक्टके जारी होनेके पीछे किसी समय, किसी और मनुष्य अथवा और मनुष्योके साथ स्वाभाविक (आदतन) इस अभिप्रायसे मिलाप रक्खा हो कि ज्ञातघातके द्वारा अथवा ज्ञातघात समेत बलपूर्वक चोरी (सरका बिलजब्र) अथवा बालकोकी चोरीका अपराध करे वह ठग कहलाया जावेगा।

ठग.

(३११) जो कोई मनुष्य ठग हो उसको जन्मभरके देश निकालेका दंड दिया जावेगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

दंड.

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है।

गर्भ गिराने; बिना उत्पन्न हुए बच्चोंको हानि पहुंचाने; बच्चोंको बाहर डाल देने और पैदायश छुपानेके विषयमें।

(३१२) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी स्त्रीके गर्भ गिरानेका कारण हो तो यदि वह गर्भपात शुद्धभात्रसे उस स्त्रीका जीव बचानेके लिये न किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे और यदि उस स्त्रीके पेटके बच्चेमें जान पडगई हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

गर्भ गिराना.

स्पष्टीकरण—वह स्त्री जो स्वयंही अपने गर्भके गिरानेका कारण हो इस दफाके अभिप्रायमें गिनी जायगी।

टीप–(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

१—प्रत्येक स्त्री हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३१२ के अभिप्रायानुसार तत्काही जब कि वह गर्भिणी हो जावे बच्चा उत्पन्न करनेवाली समझी जायगी। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ९ सफा ३६९)

(३१३) जो कोई मनुष्य स्त्रीकी प्रसन्नता विना उस अपराधका अपराधी हो

बिना स्त्रीकी प्रसन्नताके गर्भ गिराना.

जिसका वर्णन इसके पहिलेकी पिछली दफामें किया गया है, चाहे उस स्त्रीके पेटके बच्चेमे जीव पडगया हो अथवा नहीं, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दड दिया जावेगा अथवा दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं हो सकती (५) राजीनामा नहीं है।

(३१४) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीका गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे कोई ऐसा काम

मृत्यु जो किसी ऐसे कामके कारण हो जो गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे किया जाय

करे जो उस स्त्रीकी मृत्युका कारण हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

और यदि वह काम बिना प्रसन्नता उस स्त्रीके किया जाय तो या तो उसे जन्मभरके

यदि काम विना प्रसन्नता उस स्त्रीके किया गयाहो.

देश निकालेका दड दिया जावेगा अथवा वह दड दिया जावेगा जिसका वर्णन पहिले किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस अपराधके लिये अपराधीको यह जाननेकी आवश्यकता नहीं है कि उस कामसे मृत्युके होनेकी संभावना है।

टीप—दफा ३१३ के अनुसार है।

१—अपराधीने एक स्त्रीका गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे उसको दवा दी और वह स्त्री उसके खानेसे मर गई परन्तु यह बात न प्रमाणित हुई कि अपराधी इस बातको जानता था कि इस दवासे मृत्युके हो जानेका भय है। हाईकोर्टने अपराधीको नरघातके अपराधसे बरी किया परंतु हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा ३१४ के अपराधमें उसको दड दिया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ५९)

(३१५) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेके उत्पन्न होनेसे पहिले कोई काम इस अभिप्रायसे करे कि वह उसके कारणसे उस बच्चेको जीवित उत्पन्न होनेसे रोके अथवा उसके उत्पन्न होनेके पीछे उसकी मृत्युका कारण हो और यथार्थमें ही उसके ऐसे कामके द्वारा वह बच्चा जीवित उत्पन्न होनेसे रुक जावे अथवा उत्पन्न होनेके पीछे मरजावे तो यदि वह काम माँका प्राण बचानेकी इच्छासे न किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

कोई काम जो इस अभिप्रायसे किया जाय कि बालक जीवित न उत्पन्न होने पावे अथवा उत्पन्न होनेसे पीछे मर जाय.

टीप—दफा ३१३ के अनुसार है।

(३१६) जो कोई मनुष्य ऐसी अवस्थामे कोई काम करे कि यदि उसके द्वारा मृत्यु हो जाती तो वह ज्ञातवत्घातका अपराधी होता और उस कामके द्वारा किसी जीवित बच्चेकी मृत्यु करे जो अभीतक उत्पन्न नहीं हुआ है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

मृत्यु करनी किसी ऐसे बच्चेकी जो उत्पन्न न हुवा हो परन्तु पेटमे जीव पड़गयाहो कोई ऐसा काम करके जो ज्ञातवत्घातकी सीमातक पहुंचताहो.

उदाहरण।

शिवशंकर यह जानकर कि इस कामके करनेसे किसी गर्भवती स्त्रीकी मृत्यु होनी अति सम्भवित है कोई ऐसा काम करे कि कदाचित् उससे उस स्त्रीकी मृत्यु हो जाती तो वह काम ज्ञातवत्घातके समान गिना जाता, उस कामसे उस स्त्रीको दुःख तो हुआ परंतु मरी नही हा उसके गर्भमे जो बालक था और उसमें जीव पड गया था वह उस दुःखके कारण मर गया तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है।

टीप—दफा ३१३ के अनुसार है।

(३१७) जो कोई मनुष्य किसी बारह वर्षसे न्यून आयुवाले लड़केका बाप अथवा मां अथवा रक्षक होकर उस लड़केको किसी स्थानमे इस अभिप्रायसे डाल दे अथवा छोड दे कि उसका सम्बन्ध छूट जाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

मां बाप अथवा किसी रक्षक मनुष्यका बारह वर्षसे न्यून आयुके बच्चेको डालदेना अथवा छोड देना.

स्पष्टीकरण—इस दफासे यह अभिप्राय नहीं है कि यदि इस प्रकारपर डाल देनेसे वह

लडका मर जावे तो अपराधीका विचार ज्ञातघात अथवा ज्ञातवत्घातके अपराधमे जैसी कि अवस्था होवे न किया जावे।

टीप---दफा ३१-३ के अनुसार है।

१---अपराधिनीने अपने बच्चेको इस अभिप्रायसे छोड दिया कि उसका इस प्रकारसे छोडा जाना मृत्युका कारण होगा और बचा भी उसी प्रकारसे छोडे जानेके कारण मर गया तजवीज हुई कि उस स्त्रीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०४ के अनुसार अपराधी प्रमाणित करना चाहिये था न कि दफा ३०४ व ३१७ के अनुसार। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३४९)

२---एक स्त्रीके उस समय बच्चा उत्पन्न हुआ जब वह् अपने मायकेमें रहती थी और उस समय उसका पति कश्मीरमें था--उपरोक्त स्त्रीकी मां उस बच्चेको उस स्त्रीके पतिकी बहिनके यहॉं ले गई और वह बच्चा नंगा उसकी गोदमें रख दिया और कहा कि यह तेरे भाईका लडका है उस स्त्रीकी मा चली आई और वह बच्चा कुछ घंटोके पीछे मर गया तजवीज हुई कि उस स्त्रीकी माने कोई अपराध दफा ३१७ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार नहीं किया और न उस स्त्रीने ही उस अपराधके करनेमे सहायता की। (पंजाब रिकार्ड नं० ३३ सन् १८७२ ई०)

(३१८) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेकी लाशको गुपचुप गाड करके अथवा और किसी भांति अलग करके उसका उत्पन्न होना जानबूझकर छुपावेगा अथवा छुपानेका उद्योग करेगा चाहे वह बालक उत्पन्न होनेसे पहिले मरा हो चाहे पीछे--उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकेगी अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे।

[किसी बालककी लाश को चुपकेसे अलग करके उसकी पैदायशको छुपाना]

टीप--(१) अदालत सेशन या मे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१---किसी मनुष्यपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३१८ के अनुसार उस अवस्थामें अपराध नहीं ठहराया जा सकता जब कि उसने चार महीनेके पुतलेको छिपाया हो (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास एडकस जिल्द ४ सफा ६३)

दुःख (जरके) बयानमें ।

(३१९) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको शारीरिक पीडा अथवा शारीरिक रो.

दुःख. } अथवा शारीरिक निर्बलता पहुचावे तो कहा जायगा कि उसने दुःख पहुँचाया ।

भारी दुःख. } (३२०) नीचे लिखे प्रकारोंका दुःख मारी दुःख कहलावेगा

पहिले—किसीको हिजडा बना देना—

दूसरे—किसी एक आंखको सदैवके लिये फोड देना—

तीसरे—किसी एक कानको श्रवणशक्तिको सदैवके लिये रहित कर देना—

चौथे—किसी अङ्ग अथवा जोडको नष्ट कर देना—

पांचवें—किसी अग अथवा जोडको सदैवके लिये तोड डालना अथवा निर्बल कर देना—

छठवें—शिर अथवा चेहरेको सदैवके लिये कुरूप कर देना—

सातवें—किसी हड्डी अथवा दातका तोड डाला जाना अथवा उखाड डाला जाना—

आठवें—कोई दुःख जो जीवको जोखिममे डाले अथवा उस मनुष्यको जिसको दुःख दिया जाय बीस दिनतक कठिन शारीरिक पीडा सहावे अथवा उसको अपने साधारण उद्यमके करनेके अयोग्य कर दे ।

(३२१) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे कोई काम करे कि उसके द्वारा किसी

जानबूझकर दुःख पहुचाना. } मनुष्यको दुःख पहुचाए अथवा इस कामके होनेको सम्भावित जानकर कि उस कामके द्वारा वह किसी मनुष्यको चोट पहुंचावेगा और उसके द्वारा वह किसी मनुष्यको दुःख (जरर) पहुचावे तो कहा जायगा कि उसने जानबूझकर दुःख पहुचाया ।

(३२२) जो कोई मनुष्य जानबूझकर दुःख (जरर) पहुंचावे तो यदि वह दुःख

जानबूझकर भारी दुःख पहुचाना. } जिसका पहुचाना उसकी इच्छामे हो अथवा जिसको वह जानता हो कि उससे उसके पहुचानेका सम्भव है भारी दुःख (जरर शदीद) हो और जो दुःख (जरर) उसने पहुचाया है वह भारी दुःख है तो कहा जायगा कि उसने जानबूझकर भारी दुःख पहुंचाया ।

स्पष्टीकरण—यह बात कि एक मनुष्यने जानबूझकर भारी दुःख पहुंचाचाया, न कही जायगी सिवाय इसके कि वह भारी दुःख पहुंचाये और उसकी यह भी इच्छा हो अथवा इस कामके होनेका सम्भव उसकी जानकारीमे हो कि उस कामके द्वारा भारी दुःख (जर-

रशदीद) पहुचेगा परन्तु यदि वह यह इच्छा करके अथवा इस कामके होनेका सम्भव जानकर कि वह एक प्रकारका भारी दु:ख पहुचावेगा वास्तवमे किसी और प्रकारका भारी दु:ख पहुचाए तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने जानबूझकर भारी दु ख पहुचाया ।

उदाहरण ।

शिवशंकर इस अभिप्रायसे अथवा इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि रमाशंकरके चेहरेको सदेवके लिये कुरूप करदे रमाशंकरके एक चोट लगाए जो रमाशंकरके चेहरेको सदेवके लिये तो कुरूप न करे परन्तु उसके कारणसे बीस दिन तक रमाशंकरको कठिन शारीरिक पीडामें फंसाया रक्खे तो शिवशंकरने जानबूझकर भारी दु ख पहुँचाया।

१–(क) ने (ख) और (ग) को आज्ञादी कि तुम (घ) को बलपूर्वक पकड ले जाकर उसपर आक्रमण करो–इसपर (घ) इतना मारा गया और उसे दु ख पहुँचाया गया कि जिसके कारण वह मर गया–हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि (क) जान बूझकर भारी दु ख पहुँचानेके अपराधकी सहायताका अपराधी है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ६१)

(३२३) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३४ में

जानबूझकर दु'ख पहुचानेका दंड.

आज्ञा है जानबूझकर दु ख पहुचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा हो सकता है ।

१—अपराधीने, कि जिसे उसकी स्त्रीने भारी क्रोध दिलाया, दोनो हाथोंसे बल पूर्व्वक पृथ्वीपर उस स्त्रीको गिरा दिया, और जब वह नीचे गिरगई तब उसको कई एक थप्पड मारे इस दु:खसे स्त्री मर गई–डाक्टरके बयानसे जाना गया कि उसकी लाशपर कोई भारी मारके चिह्न न थे, परतु उसकी तिल्ली बढी हुई थी और उसकी मृत्यु तिल्ली फटनेके कारण हुई ऐसी अवस्थामें अपराधी केवल दु'ख पहुँचानेका अपराधी ठहराया गया न कि आतवत्घातका । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ९७)

२—जब किसी मनुष्यकी तजवीज जब मुजरिमानाके मध्ये की जावे और वह उस अपराधसे छूट जावे तो फिर उसपर उसी कामके मध्ये दु'ख (जरर खफीफ) पहुँचानेका अपराध नही ठहराया जा सकता । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १६ सफा ३)

३-अपराधीके पक्ष झलनेवाले मनुष्यकी तिहाल (-तिल्ली) मे कोई रोग था और अपराधी इस बातको न जानता था-अपराधीने उस मनुष्यको उसकी सुस्तीके कारण दो एक बार मारा और जो चोट कि उसको पहुँची वह उसकी मृत्युका कारण हुई-यद्यपि अपराधीकी इच्छा उसके मार डालनेकी नथी तजवीज हुई कि अपराधी हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा ३२३ के अनुसार दुःख (जरर) पहुँचानेका अपराधी है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ५२२)

४-एक ओर चिरजी और दूसरी ओर इन्दर और बचामे लडाई हुई चिरंजीने इन्दरको गाली दी इसलिये इन्दरने उसको एक छडी मारी और बचाने चिरंजीके शिरमे कुल्हाडी मार कर उसको गिरा दिया इसके अतिरिक्त चिरजीके शरीरमे औरभी दो चोटें कुल्हाडीकी थीं-चिरंजी शिरकी चोटके कारण मरगया-सेशन जजने इन्दर और बचाको दफा ३०४ का अपराधी ठहराया और फिर उन्हें दश वर्षकी कठिन कैदका दड दिया गया-तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि इन्दरका काम बचाके कामसे अलग था इसलिये मुकद्दमा हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३८ में दाखिल था-इसलिये इन्दरको दफा ३२३ के अनुसार छः महीनेके कठिन कैदका दंड देना चाहिये। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह फरवरी सन् १८८२ ई० सफा २३)

(३२४) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३४ में आज्ञा है तीर अथवा गोली आदि छोडने अथवा भोंकने अथवा काटनेके किसी हथियार अथवा किसी ऐसे हथियारके द्वारा जिसको हथियारकी भांति काममे लाए तो उसके कारणसे मृत्युका होना अति सभवित है अथवा आग अथवा किसी गर्म किये हुए पदार्थके द्वारा अथवा विप अथवा शरीरको गलित करनेवाले पदार्थ द्वारा, अथवा भकसे उडजानेवाले किसी पदार्थके द्वारा अथवा किसी ऐसे पदार्थके द्वारा, जिसको श्वासके द्वारा लेने अथवा निकालने अथवा रुधिरमें पहुंचानेसे मनुष्यके शरीरको अचेतना होती हो, अथवा किसी पशुके द्वारा जानबूझकर दुःख पहुंचाये तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

जोखिम हथियारों अथवा उपायों द्वारा जानबूझकर दुःख पहुंचाना.

टीप-(१) अदालत सेशन, अथवा प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट अथवा मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल अथवा मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा हो सकता है जब कि उस अदालतसे आज्ञा लीजाय कि जिसके सामने मुकद्दमा पेश है ।

१-जब कुछ मनुष्य मिलकर किसी मनुष्य पर आक्रमण (हमला) करे और फल यह हो कि उस मनुष्यका हाथ टूट जाए तो भारी दुःख (जररशदीद) के पहुँचानेका अपराध समझा जायगा न कि आक्रमणका। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १२)

२–किसी कानूनविरुद्ध जमावको जिसके दूसरी साक्षी भारी दुःख (जररशदीद) के अपराधी हुए हों बलवा के अपराध और जररशदीदके अपराधमें अलग २ दंड नहीं दिया जा सकता (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२१)

३–भारी दु.ख (जररशदीद) अपराधमें केवल जुर्मानेकाही दंड न होना चाहिये बरन् कैद जुर्माना दोनो होना चाहिये ।

४–जिस मनुष्यपर जररशदीदका अपराध ठहराया जावे वह तजवीजके लिये सेशनमें सिपुर्द होना चाहिये । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बबई जिल्द १ सफा १०१)

जानबूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुंचानेका दंड.

(३२५) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३५ मे आज्ञा है जानबूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुंचावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१–अपराधीने एक स्त्रीके शिर और कन्धेको जिसकी गोदमें बच्चा था दुःख पहुँचाया जिसकी चोटसे बच्चा मरगया–तजवीज हुई कि वह मनुष्य भारी दुःख (जररशदीद) के पहुँचानेका अपराधी है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा ६२३)

२–(ब) ने जानबूझकर (न) को जो तिल्लीकी बीमारीमें फँसा था इस निश्चयसे कि उसको जररशदीद पहुँचे दुःख (जरर) पहुँचाया परतु उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा शारीरिक चोटके पहुँचानेका न था-(न) उस दुःखके कारण मरगया–तजवीज हुई कि विचार अपराधीका जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेके अपराधमे होना चाहिये । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७६६)

३–एक मनुष्यने एक टुकडा ईटका एक मनुष्यको मारा जो उसकी तिल्लीपर लगा और जिसके कारण वह मरगया–यद्यपि अपराधीकी इच्छा उसके मार डालनेकी न थी तजवीज हुई कि अपराध जानबूझकर दुःख पहुँचानेका है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ५९७)

४–जब कोई मनुष्य दूसरेको एक ऐसा घूँसा जो मृत्युका कारण हो विना इच्छा मृत्युके मारे वह जान बूझकर भारी दुःख (जररशदीद) के पहुँचानेका अपराधी है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७७६)

५–किसी कानूनविरुद्ध जमावको जिसके कुछ साथियोने भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचाया हो–कानूनानुसार बलवेके अपराध और जररशदीदके अपराधमें दंड नही होसकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२१)

६–तीन मनुष्योको, जो अपराधी बलवा करनेके थे हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १४७ के अनुसार और उपरोक्त बलवाके समय भारी दुःख (जररशदीद पहुँचानेके हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३२५ के अनुसार ठहराए गए थे–छः २ महीनेका दण्ड दफा १४७ मे और तीन तीन महीनेका दण्ड दफा ३२५ के अपराधमे हुआ पिथरम् साहब चीफ जस्टिस और स्ट्रेट साहब व टरल साहबने तजवीज की कि मिसलकी गवाहियोंसे जान पडता था कि तीनो अपराधियोने अलग २ कामोका अपराध किया था जिनसे अलग २ भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचानेका अपराध विना सम्बध बलवेके अपराधके उत्पन्न हुआ था इसलिये दफा १४७ व ३२५ के अपराधमे अलग २ दण्ड दिया जाना अनुचित न था। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ७५७)

(३२६) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३५ मे आज्ञा है तीर अथवा गोली आदि छोडने अथवा भोकने या काटनेके हथियार अथवा किसी ऐसे हथियारके द्वारा, जिसको हथियारकी भाति काममे लाए तो उसके कारणसे मृत्युके होनेकी सम्भावना हो अथवा आग या किसी गर्म किये हुये पदार्थके द्वारा अथवा विष या शरीरको गलित करनेवाले पदार्थके द्वारा अथवा भकसे उड जानेवाले पदार्थके द्वारा अथवा किसी ऐसे पदार्थके द्वारा, जिसको श्वासके द्वारा लेने या रुधिरमें पहुंचाने या निगलनेसे मनुष्यके शरीरको अचेतना होती हो अथवा किसी पशुके द्वारा जानबूझकर भारी दुःख (जरर शदीद) पहुंचाए तो उस मनुष्यको जन्म भरके देश- निकालेका दण्ड दिया जायगा अथवा दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

जोखिम हथियारो अथवा उपायोंके द्वारा जान बूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुचाना.

टीप—(१) अदालत सेशन या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नहीं है।

१—प्रेसीडन्सी मजिस्ट्रेटने दफा ३२६ के अपराधमे अपराधीको दो वर्षकी कठिन कैदका दण्ड दिया–लोकल गवर्नमेंटने दण्डको मुनासिब न समझकर हाईकोर्टसे दुबारा तजवीज होनेका विचार किया तजवीज हुई कि दफा ३२६ के अपराधमे जन्म भरके देश निकालेका- दण्ड अथवा १० वर्षकी कठिन कैद या जुर्मानेका दण्ड नियत है–प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेटको चाहिये था कि अपराधीको तजवीजके लिये हाईकोर्टके सिपुर्द करते। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफा ५८)

(३२७) जो कोई मनुष्य, जानबूझकर इस अभिप्रायसे दुःख पहुचाए कि उस दुःख सहनेवाले मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे, जो उस दुःख सहनेवालेसे स्वार्थ रखताहो, किसी माल अथवा किफालतुलमाल को दबाकर प्राप्त करे अथवा इसलिये कि दुःख सहनेवाले मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको, जो उस दुःख सहनेवालेसे स्वार्थ रखता हो, कोई ऐसा काम करनेपर विवश करे जो कानूनविरुद्ध है अथवा जिससे किसी अपराधका होजाना सहल होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद्का दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफा ४० को देखो)

दबाकर कोई माल लेनेके लिये (मालका इस्तेहसाल बिलजब्र) अथवा किसी अनुचित काम पर विवश करनेके लिये जानबूझकर दुःख (जरर) पहुंचाना.

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलिस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिला जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

१—एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यको एक कांटेदार पेडकी डालीसे इस इच्छासे कोडे मारे कि उससे कोई धन बलपूर्वक ले—मजिस्ट्रेटने दफा ३२३ के दुःख (जरर खफीफ) का अपराध और दफा ३८४ के अन्यायपूर्वक धन लेने (इस्तेहसालबिलजब्र) का अपराध उसपर प्रमाणित किया, यद्यपि उस पर हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३२७ के अनुसार अभियोगका विचार करना चाहिये था। (वीक्ली रि० जिल्द १८ सफा ८)

(३२८) जो कोई मनुष्य किसी प्रकारका विष अथवा कोई अचेत करनेवाली अथवा नशा लानेवाली अथवा आरोग्यतामें हानि पहुंचानेवाली औषधि अथवा दूसरा पदार्थ इस अभिप्रायसे, किसी मनुष्यको खिलाए अथवा खिलवाए कि, उस मनुष्यको दुःख (जरर) पहुचे अथवा इस अभिप्रायसे कि, किसी अपराधको करे अथवा इस अभिप्रायसे कि, किसी अपराधका होना उससे सहल होजावे अथवा यह जानकर कि उससे दुःख पहुचनेका सभव है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड किया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफा ४० को देखो)

दुःख (जरर) आदि पहुंचानेके अभिप्रायसे अचेत करनेवाली औषधि खिलाना.

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) बिला जमानत (५) राजीनामा नहीं है।

१—अपराधीने अपने ताडीके बर्त्तनोंमें गूहडका दूध यह जानकर रखदिया कि यदि उसको कोई मनुष्य पीजावेगा तो उसको दुःख पहुचेगा—और अभिप्राय उसका यह था कि उसके द्वारा वह

उस चोरको पकड़ पाने जो चुराकर उन वर्त्तनोंसे ताड़ी लेजाया करता था—कुछ सिपाहियोंने वह दूध मिली ताड़ी एक मनुष्यसे मोल लेकर पीली और उससे उनको हानि पहुँची- हाईकोर्टकी तजवीज हुई कि अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३२८ के अनुसार उचित रीति पर दन्ड दिया गया है और दफा ८१ का ऐसे अभियोगसे सन्बन्ध नहीं है। रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा ५९)

घनको दवाकर लेने अथवा किसी अनुचित काम पर विवश करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुंचाना.

(३२९) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इस अभिप्रायसे भारी दुःख (जररशदीद) पहुंचाए कि दुःख सहनेवालेसे अथवा किसी मनुष्यसे जो दुःख सहनेवालेसे संबन्ध रखता है किसी माल अथवा किफालतुलमालको दवाकर प्राप्त करे अथवा इस अभिप्रायसे कि दुःख सहनेवाले मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको जो दुःख सहनेवाले मनुष्यसे स्वार्थ रखता है कोई ऐसा काम करनेपर विवश करे जो कानूनके विरुद्ध है अथवा जिससे किसी अपराधका होना सहल होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये काले पानीका दण्ड अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं हो सकती (५) राजीनामा नहीं है।

दवाकर इकरार कराने अथवा दवाकर किसी धनके लौटाने पर विवश करनेके लिये जान बूझकर दुःख पहुंचाना.

(३३०) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इसलिये दुःख पहुचावे कि, दुःख सहनेवालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस दुःख सहनेवालेसे अभिप्राय रखता हो दवाकर कोई ऐसा इकरार अथवा, मुखबिरी (समाचारका देना) कराए जिससे किसी अपराधका अथवा [illegible] संबन्धी अपराधका पता लगसके अथवा इस लिये कि, दुःख [illegible]नेवालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो दुःख सहनेवालेसे स्वार्थ रखता हो दवा[illegible] कोई मा[illegible] अथवा किफालतुलमाल फेरे अथवा फिरावे या कोई दावा अथवा तगादा [illegible] [illegible] मुखबिरी जिससे किसी माल अथवा किफालतुलमालका फेर पाना सुगम [illegible] उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जि[illegible]को [illegible] होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफा ४० का [illegible]

उदाहरण।

(क [illegible] [illegible] पोलीस है, रमाशंकरको इसलिये दुःख देवे कि वह (रमाशंकर) यह [illegible] उसने कोई अपराध किया है—तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका [illegible]

(ख) शिवशंकर कि, जो एक ओहदेदार पोलीस है, रमाशंकरको यह बात दबाकर पूछनेके लिये दुःख दे कि, चोरीका अमुक माल कहा रक्खा है तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है।

(ग) शिवशंकर, कि जो एक ओहदेदार माल है, रमाशंकरको इस कारण दुःख दे कि उससे दबाकर मालगुजारीकी बाकीका वाजिबी रुपया वसूल करे तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है।

(घ) शिवशंकर, कि जो एक जमीदार है किसी काश्तकारको लगानका रुपया देनेपर विवशकरनेके लिये दुःख पहुँचावे, तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

१—अपराधीने अपनी स्त्रीको इस बातपर दबाकर विवशकरनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाया कि वह उसके घर चले—वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३३० के अनुसार दोषी प्रमाणित हुआ तजवीज हाईकोर्ट हुई कि तजवीज अनुचित थी। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ११ सफा २५७)

दबाकर इकरार कराने अथवा कुछ माल फेर लेनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख (जररगदीद) पहुँचाना.

(३३१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इसलिये भारी दुःख (जररगदीद) पहुँचाए कि दुःख सहनेवालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो दुःख सहनेवालेसे अभिप्राय रखता हो, दबाकर कोई ऐसा इकरार अथवा मुखबिरी कराए जिससे किसी अपराधका अथवा चालचलन सम्बन्धी अपराधका पता लगसके अथवा इसलिये कि दुःख सहनेवालेसे अथवा जो मनुष्य उससे अभिप्राय रखता हो उससे दबा कर कोई माल अथवा किफालतुलमाल फेरे अथवा फिरावे या कोई तगादा चुकावे अथवा दबाकर ऐसी मुखबिरी करानेमे जिससे किसी माल अथवा किफालतुलमालका फेर पाना सुगम हो, विवश करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

(दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं हो सकत।

(३३२ जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका जो सरकारी नौकर है और जब कि वह अपनी नौकरीके कारण अपने ओहदेके कामको भुगता रहा हो, जानबूझकर दुःख पहुँचाए या इस अभिप्रायसे कि वह उस मनुष्यको अथवा किसी दूसरे सरकारी नौकरको, उसकी सरकारी नौकरीके कारण उसके ओहदेका काम करनेसे रोके अथवा डराए जानबूझकर दुःख पहुँचाए या किसी कामके कारण, जो उस मनुष्यने अपनी सरकारी नौकरीके कारण अपने ओहदेके उचित काममें किया हो अथवा करनेका यत्न किया हो, जानबूझकर दुःख पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन बर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

सरकारी नौकरको, उसके काम करनेमें डराकर न करनेके अभिप्रायसे जानबूझकर दुःखपहुँचाना.

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३३३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको जो सरकारी नौकर हो और वह अपनी सरकारी नौकरीकी रीतिपर अपने ओहदेका काम कररहा हो जान बूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचाए अथवा इस अभिप्रायसे कि वह उस मनुष्यको अथवा किसी दूसरे सरकारी नौकरको, उसके ओहदेका काम करनेसे रोके अथवा डराए वा जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाए, अथवा किसी कामके कारण जो उस मनुष्यने अपनी सरकारी नौकरीकी रीतिपर अपने ओहदे के उचित काममे किया हो अथवा करनेका यत्न किया हो, जान बूझकर भारी दुःख पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

सरकारी नौकरको, अपने ओहदेका काम भुगतानेमें डराकर न करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचाना.

टीप—दफा ३३१ के अनुसार है ।

(३३४) जो कोई मनुष्य भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेके कारण जानबूझकर किसीको दुःख पहुँचावे तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त, कि जिसके कारण वह क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे मनुष्यको दुःख पहुँचाना उसकी इच्छामे न हो अथवा ऐसे दुःख पहुँचानेकी होनहारीको वह न जानता,

क्रोध दिलानेपर जानबूझकर दुःख पहुँचाना.

हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनो दंड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा होसकता है ।

१-क्रोध दिलानेके कारण, उस मनुष्यको दु.ख पहुँचाना जिसने क्रोध उत्पन्न कराया दफा ३३४ के अनुसार दंड योग्य है न कि दफा ३२४ के अनुसार । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा १७)

क्रोध दिलानेपर जानबूझकर भारी दु.ख (जररशदीद) पहुचाना.

(३३५) जो कोई मनुष्य किसी भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेवाले कामके कारण जानबूझकर किसीको भारी दु ख (जररशदीद) पहुचावे तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त कि जिससे वह क्रोध पहुँचा, किसी दूसरे मनुष्यको भारी दु ख पहुँचाना उसकी इच्छामें न हो अथवा ऐसे भारी दु.ख (जररशदीद) के पहुचानेकी होनहारीको वह न जानता हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद चार वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

स्पष्टीकरण—पिछली दोनों दफाये उन्हीं नियमोके आधीन है, जिनके आधीन ३०० की पहिली छूट है ।

टीप-(१) अदालत सजन या मे० म० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा, अदालतकी आज्ञा लिये जाने पर होसकता है ।

१—अपराधीने एक मनुष्यका जब कि वह रातके समय अपराधीके कमरेमे उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार करनेके अभिप्रायसे घुसता था, एक घातक हथियारकी चोटसे मार डाला तजवीज हुई कि अपराधीने भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचानेका अपराध किया कि जो एकाएकी और भारी क्रोधके कारण किया गया था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ५५)

उस कामका दण्ड जो प्राण अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामे विघ्न डाले.

(३३६) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसे निधड़कपने अथवा असावधानीसे करे कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको जोखिम पहुचे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो अढाई सौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जो मल्लाह ऐसी नाव चलावे जो नदीमे चलने योग्य न हो और उसके कारण मुसाफिरोंके प्राणोकी जोखिम हो तो उसपर दफा २८२ हि० दं० के अपराधको ठहराना चाहिये न कि दफा ३३६ के अपराधको । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई १ सफा १३७)

ऐसे कामसे भारी दुःख (जररशदीद) पहुंचाना जो जान अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामे जोखिम डाले.

(३३७) जो कोई मनुष्य काम ऐसे निधडकपने अथवा असावधानीके साथ करनेसे, कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको जोखिम हो, किसी मनुष्यको दुःख (जरर) पहुंचाए तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो पांच सौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

ऐसे कामसे दुःख पहुंचाना जो जान अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामे जोखिम डाले.

(३३८) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसे निधडकपने अथवा असावधानीके साथ करनेसे कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको जोखिम हो किसी मनुष्यको भारी दुःख (जररशदीद) पहुचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा ३३५ के अनुसार है ।

१—अपराधीको भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचानेके अपराधमे दफा ३३८ हि० द० के अनुसार दण्ड दिया गया—गवाहीसे यह जान पडा कि अपराधी गाडीमे सवार होकर अपने घरको शहरकी सडकोंमे होकर रातके ७ आठ बजे जारहा था गाडी साधारण चालसे सडकके बीचो बीच जाती थी, रात अंधेरी थी और गाडीमे लेम्प न थी परन्तु कोचवान और साईस सडक पर आने जानेवाले मनुष्योंको सावधान करनेके अभिप्रायसे चिल्लाते थे, इतनेमे अपराधीकी गाडीने एक मनुष्यसे टक्कर खाई जो एक बुड्ढा और बहरा आदमी था, वह मनुष्य गिरपडा और उसके ऊपरसे गाडी चली गई और इस कारण उसके प्राण निकल गए—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अदालतको इस बातका फैसला करना था कि गवाही इस प्रकारकी है अथवा नही कि जिससे उस मनुष्यका मरना ऐसे कामसे पाया जावे कि जो अपराधीके निधडकपने अथवा असावधानीसे हुवा हो, परन्तु इस मुकद्दमेमे ऐसी गवाही नही है इसलिये अपराधी छोडा गया (मदराम हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ३१ अपील)

अनीति रोक (मुजाहिमतवेजा) और अनीतिवन्धन (हब्सबेजा) के विषयमें।

(३३९) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको जानबूझकर इसप्रकार रोकेगा कि जिससे वह मनुष्य ऐसी दिशाकी ओर जानेसे रुकारहे कि जिसमें वह जानेका अधिकार रखता हो, तो कहा जायगा कि उसने उस मनुष्यकी अनीति रोक (मुजाहिमतवेजा) की।

अनीतिरोक (मुजाहिमतवेजा.)

छूट।

रोकना किसी ऐसे निजके रास्तेका, चाहे थलका हो चाहे जलका, जिसके मध्ये कोई मनुष्य शुद्धभावके साथ निश्चय करता हो कि वह उसके रोकनेका उचित अधिकार रखता है, इस दफाके अभिप्रायके अनुसार अपराध नहीं है।

उदाहरण।

शिवशंकरने एक रास्तेको, जिससे रमाशंकरके चलनेका अधिकार है रोका, और शिवशंकर शुद्धभावके साथ यह निश्चय नहीं करता था कि वह उस रास्तेके रोकनेका अधिकारी है इस कारण रमाशंकर उस रास्तेमें चलने फिरनेसे रोकाजावे—तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरकी अनीति रोक की।

१—जब कोई पोलीसका ओहदेदार किसी एक मनुष्यको उसके घर न जाने दे जबतक कि वह जमानत न दाखिल करे तो यदि वह ओहदेदार शुद्धभावसे इस कार्रवाईको न करे तो कहा जायगा कि उसने इस दफाके अनुसार अनीति रोकका अपराध किया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा २०)

(३४०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी इस प्रकार पर अनीतिरोक करे कि उस मनुष्यको किसी मुख्य नियत की हुई सीमाके बाहर जानेसे रोके तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने उसके मध्ये अनीति बधन (हब्सबेजा) किया।

अनीतिबधन (हब्सबेजा.)

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको दीवार खिंचे हुए किसी घरके भीतर करके ताला लगा दे इससे रमाशंकर उस घरकी दीवारके बाहर किसी ओर जानेसे रुक जाए तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरको अनीतिबधन में रक्खा।

(ख) यदि शिवशंकर किसी घरके द्वारपर गोली मारनेके हथियार लिये हुए मनुष्योंको बिठा देवे और शिवशंकरसे कहे कि जो तू घरके बाहर निकलनेका यत्न करेगा तो ये मनुष्य तुझे गोली मारेंगे—तो इस अवस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरको अनीतिबधनमें रक्खा।

१—किसी मुकद्दमेमें अफसर पोलीसको दफा १५२ ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० जाब्ता फौजदारीके अनुसार किसी मनुष्यको एक घंटा भी रोक रखनेका अधिकार नहीं है, सिवाय उस अवस्थामे कि जब मुकद्दमेमे कोई उचित कारण हो। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ८८)

२—किसी मनुष्यको बलपूर्वक उसकी इच्छाके विरुद्ध किसी मुख्य स्थानपर रोक रखना अथवा किसी मुख्य रास्तेसे जानेपर विवश करना अनीतिबन्धनमे गिना जायगा। (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास जिल्द २ सफा ३९६)

३—कीना अर्थात् डाह अपराध "अनीतिबन्धन" के लिये जिसका लक्षण दफा ३४० हि० द० में कहा गया है, आवश्यकीय जुज (टुकडा) नहीं है—अपराधका होना उस समय कहा जावेगा कि जब कोई मनुष्य इस प्रकारपर अनुचित रीतिसे रोका जावे कि जिससे वह एक नियत की हुई सीमाके बाहर न जासके—और किसी मनुष्यका अनुचित रीतिपर रोकाजाना उस अवस्थामें कहा जावेगा कि जब वह जानबूझकर इस प्रकारसे रोका जावे कि जिससे वह किसी ऐसी ओर जानेसे रुका रहै कि जिधर जानेका वह अधिकार रखता है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १३ सफा २७७)

(३४१) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी अनीति रोक करे तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो ५००) रुपयेतक होसकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे।

अनीतिरोकका दण्ड.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम सँमन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा है।

१—एक मनुष्यने ले जानेके लिये कुछ माल गाडीपर रक्खा—अपराधीने बैलोंको जुएसे खोलकर मालको गाडीसे सडकपर गिरा दिया तब वह मनुष्य मालको छोडकर चलागया तजवीज हुई कि अपराध दफा ३४१ का नहीं होसकता परंतु उपरोक्त अपराध दफा ४१५ हि० द० गिना जायगा। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफा ५५)

२—अपराधीने एक मनुष्यको उसकी गाडी समेत एक मुख्य दिशाकी ओर जानेसे रोका और उसपर एक झूठा दोष लगाकर उससे कुछ रुपया अनुचित रीतिपर लिया—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधीने अनीतिरोकका अपराध किया न कि चोरीका। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ३५)

(३४२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिबंधनमें रक्खे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो १००) रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

अनीतिबंधनका दण्ड.

टीप—(१) प्रे० म० या न० अ० वा० म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा है ।

१—यदि कोई अफसर पोलीस किसी मनुष्यको स्वयं पकडनेके बदले किसी बिना नौकर-सरकारको उसको पकडने और अपनी चौकसीमें रखनेकी आज्ञा दे दे तो वह अफसरही उस बातका-जिम्मेदार है क्योंकि जो मनुष्य उसकी आज्ञानुसार पकडा जावे वह कानूनानुसार उसीकी चौकसीमें-समझा जावेगा । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ४)

२—फरियादी (मुद्दई) ने अपराधीपर अनीतिरोक और अनीतिबन्धनके मध्य अदालतमे नालिश की—बयान यह था कि फरियादीने अपराधीपर आक्रमण (हमला) किया और उस कारणसे वह पकडा गया—और जबतक पोलीस इन्स्पेक्टरने नहीं छोडा तबतक अनीतिबन्धनमें रहा, साहब मजिस्ट्रेटने ४ महीनेका दंड दिया—तजवीज हुई कि अपराधका विचार अनुचित था, जो कि अपराधीको मुकद्दमेकी दशा देखकर इस बातका दृढ संदेह होगया था कि जो कपडा फरियादीके यहां है वह चोरीका माल है, इसलिये उसके बाबत फरियादीसे पूछना उसका उचित काम था जिनके उत्तरोंसे उसका संदेह दूर होता—और उसने ऐसे उत्तर पाये कि जो माननेके योग्य न थे । (इं० ला० रि० बंबई जिल्द १२ सफा ३७७)

(३४३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको तीन दिन अथवा अधिक दिनतक अनीतिबन्धनमें रक्खे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

—तीन या अधिक दिनतक अनीतिबन्धन.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३४४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दश दिन अथवा अधिक दिनतक अनीतिबन्धनमे रक्खे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

दश अथवा अधिक दिन तक अनीतिबन्धन

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म०अ० या म०दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जो मनुष्य अनीतिबन्धनका अपराधी दफा ३४४ के अनुसार ठहराया जावे उसको केवल जुर्मानेकाही दंड न होना चाहिये, वरन् कैद भी होना चाहिये । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा ३९)

(३४५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिवधनमे रक्खे यह जानकर कि उस मनुष्यको छोड देनेके लिये कानूनानुसार आज्ञापत्र (हुक्मनामा) जारी होचुका है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और यह उस कैदकी मीआदके अतिरिक्त होगी जिसका वह इस संग्रहकी किसी और दफाके अनुसार योग्य होगा।

उस मनुष्यको अनीतिबंधनमें रखना जिसके छुटकारेकी आज्ञा हो चुकी है.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

(३४६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका इस प्रकारसे अनीतिवन्धनमे रक्खे कि जिस से यह इच्छा प्रगट हो कि उस मनुष्यका अनीतिवंधनमें रक्खा जाना किसी मनुष्यको जो अनीतिवधनमे रक्खे गए मनुष्यसे अभिप्राय रखता हो अथवा किसी सरकारी नौकरको न माळूम होसके अथवा वह कि उस अनीतिबंधनका स्थान ऐसे मनुष्य या सरकारी नौकरको जिसका वर्णन इस दफामे पहिले किया गया ज्ञात या सूचित न हो जावे तो उपरोक्त मनुष्यको किसी और दण्डके सिवाय जिसका वह उस अनीतिबन्धनके वदलेमे योग्य हो दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है।

गुप्त अनीतिबधन.

टीप—दफा ३४४ के अनुसार है।

१—किसी मनुष्यको दफा ३४६ के अपराधका अपराधी प्रमाणित करनेमें इस बातका जानना आवश्यकीय है कि अनीतिबन्धन उस प्रकारका था जिससे यह इच्छा प्रगट होती है कि अनीतिबन्धनमें रक्खा हुआ मनुष्य प्रगट न किया जावे। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ९ सफा २२१)

(३४७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये अनीतिवंधनमे रक्खे कि अनीतिवधनमे रक्खे हुए मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस अनीतिवधनमे रक्खे हुए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है किसी माल अथवा किफालतुलमालको दवाकर लेवे अथवा अनीतिवंधनमे रक्खे हुए मनुष्यको या किसी और मनुष्यको जो अनीतिवधनमे रक्खे गए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है, कोई ऐसा काम करनेपर जो कानूनविरुद्ध है अथवा ऐसी मुखबिरी करनेपर जिससे किसी अपराधका होना सहल हो जावे, विवश करे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी

दवाकर माल ले लेने अथवा किसी अनुचित कामपर विवश करनेके अभिप्रायसे अनीति बंधन

कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफा ४० को देखो)

टीप—दफा ३४४ के अनुसार है।

१—जब किसी मनुष्यपर हि० द० की दफा ३४७ का अपराध लगाया जावे और फरियादी (मुस्तगीस) तथा उसके गवाहोंका बयान अपराधीके सामने लिखा जाकर मुकद्दमा गवाहोंके बयानोंकी सफाईके लिये रुकजाय और उस दूसरी तारीखपर फरियादी न आवे तो मुकद्दमा उसके न आनेपर डिसमिस नहीं होसकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा २७)

दबाकर इकरार कराने अथवा मालके फेर देनेपर विवश करनेके अभिप्रायसे अनीतिबन्धन.

(३४८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये अनीतिबन्धनमे रक्खे कि उस अनीतिबन्धनमे रक्खे हुए मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस अनीतिबन्धनमे रक्खे हुए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है बलपूर्वक दबाकर कोई ऐसा स्वीकार या मुखबिरी कराए जो किसी अपराध अथवा चालचलन सम्बन्धी अपराधके पता लगानेकी ओर झुकता हो अथवा इसलिये कि अनीतिबन्धनमे रक्खे हुए मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको जो अनीतिबन्धनमे रक्खे गए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है किसी माल अथवा किफायतुलमालके लौटाने या लौटवानेके लिये या किसी दावे या तगादेके चुकाने अथवा ऐसी मुखबिरी करनेके लिये जो किसी माल अथवा किफायतुलमालके लौटाये जानेकी ओर झुकती हो, विवश करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सक्ती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

१—चोरने जब वह पोलीसकी चौकसीमें था कुछ माल चोरीका फरियादी (मुस्तगीस) को लौटा दिया—इसलिये उपरोक्त फरियादीका विचार दफा ३४८ के अनुसार हुआ परन्तु वह इस बात पर छोड़ दियागया कि उपरोक्त चोर कानूनानुसार पकड़ा गया था इसलिये उसका चौकसीमें रहना अनुचित न था।

अनीतिवल (जब्र मुजारिमाना) और आक्रमण (हमले) के विषयमें।

(३४९) जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको चलायमान करे अथवा उसकी चलायमानता (हरकत) को वदले अथवा उसकी चलायमानताको ठहरावे अथवा - किसी पदार्थको ऐसा चलायमान करे या उसकी चलायमानताको वदले या उसकी चलायमानताको ठहरावे कि जिससे वह पदार्थ उस दूसरे मनुष्यके शरीरके किसी भागसे छू जाय अथवा किसी ऐसे पदार्थसे छू जाय जिसको वह दूसरा मनुष्य पहिने हुए अथवा लिये हुए हो अथवा किसी ऐसे पदार्थसे छू जाय जो ऐसे स्थानमे हो कि जिसके कारण उस छूनेसे उस दूसरे मनुष्यकी त्वचा इन्द्रियको खेद पहुँचे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर वल किया परन्तु नियम यह है कि वह मनुष्य जो चलायमानताके करने या चलायमानताको वदलने या चलायमानताके ठहरानेका कारण हो नीचे लिखे हुए तीन प्रकारोंमेसे किसी प्रकार पर उस चलायमानताके करने या वदलने या ठहरनेका कारण हो।

वल (जब्र)

पहिले—स्वय अपनेही शारीरिक बलसे,

दूसरे—किसी पदार्थको इस प्रकारपर रखनेसे कि वह चाल अथवा चालका वदलाव अथवा चालकी रुकावट किसी और कामके विना हुए उस मनुष्यकी ओरसे अथवा किसी दूसरे मनुष्यकी ओरसे होवे।

तीसरे—किसी पशुको चलायमान करके अथवा उसकी चलायमानताको वदलकर अथवा उसकी चलायमानताको ठहराकर।

(३५०) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये किसी मनुष्यपर उसकी प्रसन्नताके विना जानबूझकर वल (जब्र) करे अथवा इस इच्छासे या यह काम अति सम्भवित जान कर कि ऐसा वल (जब्र) करनेसे वह उस मनुष्यको जिस पर वल किया गया है हानि या डर या दुःख पहुँचाएगा तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर अनीति वल (जब्रमुजरिमाना) किया।

अनीतिवल (जब्रमुजरिमाना)

उदाहरण।

(क) शिवशंकर किसी नावपर जो नदीमे रस्सोंसे बँधी है बैठा है, यदि रमाशंकर रस्सोंको खोल दें और इस प्रकार जानबूझकर नावको धारमे वहावे तो इस अवस्थामें रमाशंकर जानबूझकर शिवशंकरकी चलायमानताका कारण हुआ और उसने यह काम पदार्थको इस प्रकार

रखनेसे किया कि बिना किये किसी और कामके किसी मनुष्यकी ओरसे चाल उत्पन्न होगई तो इसलिये रमाशंकरने, शिवशंकरपर जानबूझकर बल किया और यदि उसने किसी अपराधके करनेके लिये या इस इच्छासे या यह काम अति सम्भवित जानकर कि वह बलकरके शिवशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाये, शिवशंकरकी बिना प्रसन्नताके ऐसा किया तो कहा जायगा कि रमाशंकरने शिवशंकर पर अनीतिबल (जब्रमुजारिमाना) किया।

(ख) रमाशंकर चरट गाड़ीपर सवार है, शिवशंकरने रमाशंकरके घोडोंको चाबुकमारकर भगाया तो यहा शिवशंकरने घोडोंसे उनकी चाल बदलकर रमाशंकरकी चालको बदला और इसलिये शिवशंकरने रमाशंकरपर बल किया, यदि शिवशंकरने यह काम रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवितजानकर किया हो कि उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचे, तो कहा जावेगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीति बल (जब्र मुजरिमाना) किया।

(ग) ईश्वरीप्रसाद पालकीमें चढा जाता है, रामप्रसादने ईश्वरीप्रसादको लूटनके अभिप्रायसे पालकीका डंडा पकडकर पालकीको रोक लिया, तो इस अवस्थामें रामप्रसाद, ईश्वरीप्रसादकी चाल रोकनेका कारण हुआ और यह उसने स्वय अपने शारीरिक बलसे किया, इसलिये रामप्रसादने ईश्वरी प्रसादपर बल किया और जो कि रामप्रसादने अपराध करनेके अभिप्रायसे बिना प्रसन्नता ईश्वरीप्रसाद के जानबूझकर ऐसा किया तो रामप्रसादने ईश्वरीप्रसाद पर अनीतिबल किया।

(घ) यदि शिवशंकर गलीमे रमाशंकरको जानबूझकर धक्का लगाए तो इस अवस्थामें शिवशंकरने अपने शरीरको अपनेही बलसे ऐसा चलायमान किया कि वह रमाशंकरसे छूगया इसलिये शिवशंकरने जानबूझकर रमाशंकरपर बल किया और यदि शिवशंकरने बिना प्रसन्नता रमाशंकरके इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर कि उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचेगा, ऐसा किया तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया।

(च) शिवशंकर एक पत्थर इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर फेंके कि वह रमाशंकरके शरीरसे अथवा रमाशंकरके कपडेसे अथवा किसी वस्तुसे जो रमाशंकर लिये हुए है, लगजावे अथवा यह कि वह पत्थर पानीमें लगकर रमाशंकरके कपडोंपर अथवा किसी वस्तुपर जो रमाशंकरपर लिये हुए है छींटे डाले तो इस अवस्थामें यदि उस पत्थरका फेंकना ऐसा फल उत्पन्न करे जिसके कारण कोई पदार्थ रमाशंकरसे अथवा रमाशंकरके कपडोंसे लगजाने, तो शिवशंकरने रमाशंकरपर बल किया और यदि उसने रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके ऐसा किया इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया।

(छ) शिवशंकर जानबूझकर किसी स्त्रीका घूंघट खोले तो इस अवस्थामें शिवशंकरने जानबूझकर उस स्त्रीपर बल किया और यदि उसने उस स्त्रीकी बिना प्रसन्नता, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर, ऐसा किया, कि उसके द्वारा वह उस स्त्रीको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए तो कहा जायगा कि शिवशंकरने उस स्त्रीपर अनीतिबल किया।

(ज) रमाशंकर नहीं रहा हो और शिवशंकर हौजमे ऐसा पानी जिसको वह खौलता हुआ जानता हो डाल दे तो इस अवस्थामें शिवशंकरने स्वयं अपने शारीरिक बलसे खौलते हुए पानीको इस प्रकारसे जानबूझकर चालदी कि वह पानी रमाशंकरके शरीरसे छू गया अथवा दूसरे पानीसे छूगया जो पानी ऐसे स्थानपर है कि उसका छूना रमाशंकरकी त्वचा इन्द्रियको खेद पहुँचावेगा इसलिये शिवशंकरने रमाशंकर पर जानबूझकर बल किया और यदि उसने रमाशंकरकी बिना प्रसन्नता इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर, ऐसा किया कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीति बल किया।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके रमाशंकरपर एक कुत्ता ललकार दे तो इस अवस्थामे यदि शिवशंकरका यह अभिप्राय हो कि रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए, तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया।

नीचे लिखी हुई बातें जो कानून इंगलिस्तानके अनुसार आक्रमण (हमला) के अपराधमें गिनी जाती हैं वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार अनीतिबलमे गिनी जाती है।

"गुरुको अपनी शिष्या लडकी की अनुचित स्वतंत्रताको लेना, बिना उसकी प्रसन्नताके चाहे वह नाहीं न करती हो, किसी डाक्टरका बिना आवश्यकता रोगी स्त्रीका वस्त्र हटाकर उसे नंगा कराना, इस मिषसे कि बिना वस्त्र खोले उसके रोगका वर्त्तान्त नहीं जाना जा सकता; किसी अफसरका कंगाल खानेमे किसी कंगालके बाल बलपूर्वक तथा बिना प्रसन्नता उसके कटवाना, किसी मनुष्यके मुँहपर थूकना, किसी घोडेको जिसपर कोई मनुष्य सवार है मारकर उस मनुष्यको नीचे गिरा देना, क्रोधकी अवस्थामे बदला लेनेके अभिप्रायसे अथवा शत्रुतासे किसी मनुष्यके शरीर अथवा वस्त्रको छूना अथवा पकड लेना," परन्तु छोटे आक्रमणोमे दफा ९५ हि० दं० का सम्बन्ध रहेगा।

(३५१) जो कोई मनुष्य कोई सूरतबनाए अथवा कोई तैयारी करे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उस सूरत बनाने अथवा तैयारी करनेसे कोई मनुष्य जो उस स्थानपर उपस्थितहो यह समझे कि सूरत बनानेवाला अथवा तैयारी करनेवाला मनुष्य मेरे साथ अनीतिबल करनेको हो—तो कहा जायगा कि उसने आक्रमण (हमला) किया।

आक्रमण (हमला)

स्पष्टीकरण—केवल शब्दोंका कहनाही आक्रमण (हमला) की सीमा तक नहीं पहुँचता परन्तु सम्भव है कि उन शब्दोंसे, जिनका कोई मनुष्य वर्त्ताव करे, उस मनुष्यकी सूरत बनानेका अथवा तैयारी करनेके मध्ये ऐसा अभिप्राय प्रगट हो कि वह सूरत बनाना अथवा तैयारी करना आक्रमण (हमला) की सीमाको पहुँच जावे।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर रमाशंकरपर घूँसा उठाये कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको यह निश्चय कराए कि वह उसको मारने वाला है तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर आक्रमण (हमला) किया।

(ख) शिवशंकर किसी कटहे कुत्तेकी मॅंवरकली खोलना आरम्भ करे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा रमाशंकरको यह निश्चय कराये कि वह रमाशंकर पर शीघ्रही उस कुत्तेको दौडाने वाला है—तो शिवशंकरने रमाशंकरपर आक्रमण (हमला) किया।

(ग) शिवशंकर एक लकडी उठाकर रमाशंकरसे कहे कि मैं तुझको मारूगा, इस सूरतमें यद्यपि यह शब्द जिनका उच्चारण शिवशंकरने किया किसी दशामें आक्रमण (हमला) की सीमाको नहीं पहुँच सकते—और भी केवल यह सूरत बनाना विना किसी और बातके हुए आक्रमण (हमला) की सीमाको न पहुँचेगा, तथापि वह सूरतका बनाना जिसका अभिप्राय शब्दोंसे प्रगट किया गया, आक्रमण (हमला) की सीमाको पहुँच सकता है।

(३५२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल (जब्र मुजरिमाना) करे, सिवाय इसके कि जब उस मनुष्यकी ओरसे कोई भारी और एकाएकी क्रोध दिलाए जानेका कारण उत्पन्न किया जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो ५००) रु० तक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे।

दण्ड अनीति बलका सिवाय इसके कि जो भारी क्रोध दिलाए जानेके कारण किया जाय

स्पष्टीकरण—भारी और एकाएकी क्रोधका कारण होनेसे, इस दफाके अनुसार अपराधके दण्डमे कमी न होगी, कदाचित् ऐसे क्रोधको अपराधीने कोई अपराध करनेके बहानेसे स्वयं आपही ढूंढा हो अथवा जानबूझकर कराया हो, या—

यदि वह क्रोध किसी ऐसे कामसे हुआ जो कानूनानुसार किया गया हो अथवा जो किसी सरकारी नौकरने अपनी सरकारी नौकरीके अधिकारोके उचित वर्त्तावमें किया हो, या—

यदि उपरोक्त क्रोध किसी ऐसे कामसे दिलाया गया हो जो निजरक्षाके अधिकारको कानूनानुसार वर्त्तनेमें किया गया हो—

यह बात देखना कि क्रोध ऐसा भारी और एकाएकी था, जो दंड घटानेके लिये काफी हो विचारके आधीन होगा।

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजो करसकती है (३) अपराधीके नाम बारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है ।

१–जो मनुष्य, आक्रमण (हमला) दफा ३५२ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अपराधसे जाच होनेके पश्चात् छोड दिया जावे तो फिर उसका विचार उसी कामके मध्ये दफा ३२३ के अपराधमें नहीं होसकता । (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफा २५)

२–जो आक्रमण (हमला) का अपराध भारी दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे किया जावे उसमें राजीनामा नहीं होसकता । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ६ सफा ३०२)

(३५३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर जो सरकारी नौकर है, जब कि वह

किसी सरकारी नौकरको अपने ओहदेका काम करनेसे डराकर रोक रखनेके लिये अनीतिबलको काममे लाना.

अपने ओहदेके कामको भुगता रहा हो, आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना) करे अथवा इस अभिप्रायसे कि उस सरकारी नौकरको अपनी नौकरीका काम भुगतानेसे रोके या डराए, आक्रमण अथवा अनीतिबल करे; अथवा किसी कामके कारण जो उस सरकारी नौकरने अपने ओहदेका काम भुगतानेमे उचित रीतिपर किया हो या करनेका उद्योग किया हो आक्रमण अथवा अनीतिबल करे, तो उक्तोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप–(१) प्रे० म० या० म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१–म्यूनिसिपल इन्सपेक्टर दफा ४१ म्यूनिसिपलिटी जिलेके अनुसार सरकारी नौकर है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा १३१)

२–एक पोलीस स्टेशनके अफ्सरने दूसरे पोलीस स्टेशनके अफ्सरको लिखा कि वह अपनी सीमामे एक घरकी तलाशी कराए–दूसरे अफसरने उस लिखनेके अनुसार घरकी तलाशीके लिये अपने दो सिपाही नियत कर दिये—परंतु उनको दफा ३७९ जाव्ता फौजदारीके अनुसार कोई आज्ञापत्र लिखकर न दिया–अपराधियोंने उस तलाशीमे रोकटोककी—तजवीज हुई कि अपराधियोंपर दफा ३४३ व ३५३ हि० दं० का अपराध नही ठहराया जासकता । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ७ सफा २०९)

(३५४) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीपर आक्रमण (हमला) या अनीतिबल (जब्र-मुजरिमाना) करे, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा उसकी लज्जा बिगड़ेगी तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

किसी स्त्री की लज्जा बिगाड़नेके अभिप्रायसे आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल करना.

टीप—दफा ३५३ के अनुसार है।

(३५५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर आक्रमण अथवा अनीतिबल करे यह इच्छा करके कि उसके द्वारा उस मनुष्यकी अप्रतिष्ठा करे, सिवाय इसके कि उस मनुष्यकी ओरसे कोई भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेका कारण प्रगट हुआ हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

भारी क्रोधके अतिरिक्त और प्रकार पर किसी मनुष्यकी बेइज्जत करनेके अभिप्रायसे उसपर आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल करना

टीप—(१) प्रे० म० या न० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा है।

(३५६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर किसी ऐसी वस्तुके छीन लेनेके उद्योगमें आक्रमण अथवा अनीतिबल करे जिसको वह मनुष्य उस समय पहिने या लिये हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे।

कुछ वस्तु जिसे कोई मनुष्य लिये जाता हो. उसके छीन लेनेका उद्योग करनेमें आक्रमण अथवा अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना) करना.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है।

(३५७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिबन्धनमें रखनेके उद्योगमे उस पर आक्रमण अथवा अनीतिबल करे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जावेंगे।

अनीतिबंधनके उद्योगमे आक्रमण अथवा अनीति बल (जब्र मुजरिमाना) करना.

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारन्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

भारी क्रोधपर आक्रमण अथवा अनीतिबल करना.

(३५८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर ऐसे भारी और एकाएकी क्रोधके कारण, कि जो उस मनुष्यने दिलाया हो, आक्रमण अथवा अनीतिबल करे, तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो दोसौ रुपयातक हो हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

स्पष्टीकरण–यह पिछली दफा उसी स्पष्टीकरणके आधीन है जिसके आधीन दफा ३५२ है ।

टीप—दफा ३५२ के अनुसार है ।

मनुष्यको ले भागने, भगा ले जाने; गुलाम बनाने और बेगार करानेके विषयमें ।

मनुष्यको ले भागना.

(३५९) मनुष्यको ले भागना दो प्रकारका है–ब्रिटिश इंडियामेंसे मनुष्यको ले भागना और किसी रक्षककी उचित रक्षामेंसे ले भागना–

ब्रिटिश इंडियासे मनुष्यको ले भागना.

(३६०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको विना प्रसन्नता उस मनुष्यके अथवा किसी और मनुष्यके जो उस मनुष्यकी ओरसे प्रसन्नता प्रगट करनेका कानूनानुसार अधिकारी है, ब्रिटिश इन्डियाकी सीमाके बाहर ले जाए, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्य उस मनुष्यको ब्रिटिश इंडियामेंसे ले भागा ।

रक्षककी उचित रक्षामेंसे मनुष्यको ले भागना.

(३६१) जो कोई मनुष्य किसी बालक लडकेको, जिसकी अवस्था १४ वर्षसे नीची और लडकीको, जिसकी अवस्था १६ वर्षसे नीची हो अथवा किसी मनुष्यको, जिसकी बुद्धि विगड गई हो (अर्थात् जो सिडी हो,) ऐसे न्यून अवस्थाके बालकके या उस मनुष्यके, कि जो सिडी हो, उचित रक्षककी रक्षामेंसे विना प्रसन्नता उस रक्षकके ले जाए अथवा फुसला ले जाए तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्य उस बालक अथवा उस मनुष्यको उचित रक्षामेंसे ले भागा ।

स्पष्टीकरण—इस दफामें "उचित रक्षक" का शब्द प्रत्येक किसी मनुष्यको शामिल है जिसके सिपुर्द उचित रीतिपर ऐसे बालक या दूसरे मनुष्यकी चौकसी या रक्षाका भार हो ।

छूट ।

यह दफा किसी ऐसे मनुष्यके कामसे सम्बन्ध न रक्खेगी जो अपनेको शुद्धभावसे किसी कमअसल (हराम) बालकका बाप निश्चय करता हो अथवा जो शुद्धभावसे अपनेको ऐसे बच्चेकी उचित रक्षाका रक्षक निश्चय करता हो, सिवाय उस सूरतके कि जब ऐसा काम लुचपन अथवा अनुचित अभिप्रायके लिये किया जावे ।

१—दशवर्षसे नीची अवस्थाका बच्चा रक्षकके आधीन रहता है—जो मनुष्य ऐसे बच्चेको बिना प्रसन्नता उसके रक्षकके ले जाए वह अपने कामके फलका उत्तरदाता है—दफा ३६१ (हि० द०) के अपराधमें यह उत्तर माननेके योग्य न होगा कि अपराधीने इस बातकी खोज नहीं की कि उपरोक्त बच्चेका कोई रक्षक है अथवा नहीं । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ३ सफा १७८)

२—कमअसल बच्चेकी मा उसके लड़कपनके समय तक उसका रक्षक है—इसलिये यदि ऐसी मा मरते समय अपना बच्चा किसी मनुष्यको सौंप जाय और यदि ऐसा मनुष्य उपरोक्त बच्चेकी रक्षाका भार स्वीकार करले तो कहा जावेगा कि उस मनुष्यकी "उचित रक्षा" में वह बच्चा है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ९७१)

३—१५ वर्षकी अवस्थावाली किसी हिन्दू लड़कीका पति अपनी स्त्रीका उचित रक्षक होगा; यदि नाबालिगाका बाप उस लड़कीको बिना प्रसन्नता उसके स्वामीके यहासे लेजावे तो ऐसा लेजाना भगा लेजानेके अपराधमें गिना जायगा, चाहे बापकी कोई अनुचित इच्छा ऐसे काममें न हो । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफा २९८)

(३६२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी स्थानसे जानेके लिये बलपूर्वक

मनुष्यको भगा ले जाना. } विवश करे अथवा धोका देनेके यत्नोद्वारा बहकावे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यको भगा ले गया ।

(३६३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ब्रिटिश इण्डियामेंसे अथवा किसी रक्षक-

मनुष्यको ले भागनेका दण्ड. } की उचित रक्षासे ले भागे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—यदि कोई नाबालिग बच्चा अपने पडोसीके घर जाता हो और उस समय उसको कोई मनुष्य भगा ले जाए तो कहा जायगा कि वह मनुष्य उस बच्चेको उसके उचित रक्षककी चौकसीसे भगाले गया था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ७)

२—नाबालिगकी गवाही यदि मानने योग्य हो तो वह दफा ३६३ के अपराधके प्रमाणके लिये काफी है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ९८)

३—उचित रक्षाका अभिप्राय उस मनुष्यकी रक्षासे भी है जिसकी सिपुर्दगीमे नाबालिग उचित रीतिपर छोड दिया गया हो । (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा २८६)

४—अपराधीको एक नौ वर्षकी लडकी और एक बकरी उसके बच्चे समेत और कुछ आटा इस अभिप्रायसे मिला कि वह उनको उस लडकीके बापके यहां जो छः मीलकी दूरी पर था पहुँचादे, परंतु वह उनको अपने घर ले गया जो चालीस मीलकी दूरीपर था, और वहाँ पर पकडा गया, दफा ३६३ के अपराधमे अदालत सेशनने उसको ४ वर्ष की कठिन कैदका दण्ड दिया—हाईकोर्टसे तजवीज हुई कि—जो कि अपराधी उस लडकीको उसके रक्षकोंकी इच्छाके विरुद्ध उनकी उचित चौकसीसे बाहर ले गया था इसलिये वह दफा ३६३ के अपराधका अपराधी अवश्यही हुआ परंतु जो कि अपराधीके काममें कोई अधिकता नहीं पाई जाती इसलिये दण्डकी आज्ञा बहुत कठिन है—आज्ञा हुई कि अपराधी अठारह महीने कठिन कैदमें रहे । (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह मई सन् १८८४ ईस्वी सफा १०६)

५—एक हिन्दू स्त्रीने अपने स्वामीके घरको छोड दिया, वह अपने साथ अपनी छोटी लडकीको लेकर (अ) के घरमें गई और उसी दिन उस लडकीका व्याह (ब) के साथ जो (अ) का भाई था, बिना प्रसन्नता उसके बापके कर दिया—तजवीज हुई कि (अ) का दण्ड भगा ले जानेमें सहायता करनेके अपराधमें दफा ३६३ व १०९ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार उचित रीतिपर किया गया । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ९६९)

वध (कतल) करनेके अभिप्रायसे मनुष्यको ले भागना या भगा ले जाना

(३६४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये ले भागे अथवा भगा ले जावे कि वह मनुष्य मार डाला जावे अथवा ऐसी अवस्थामें रक्खा जावे कि वह मारे जानेकी जोखिममें पडे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा अथवा कठिन कैदका दण्ड जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है दिया जायगा और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको ब्रिटिश इण्डियामेंसे ले भागे, और उसकी यह इच्छा हो अथवा इस कामका होना उसकी जानकारीमें हो कि रमाशंकर किसी देवताके सामने बलिदानमें चढाया जावे—तो शिवशंकरने उस अपराधको किया जिसका लक्षण इस दफामें वर्णन किया गया है ।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको उसके घरसे इसलिये बलपूर्वक ले जाए अथवा फुसला ले जाए कि रमाशंकर मार डाला जावे—तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका लक्षण इस दफामें वर्णन किया है।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

किसी मनुष्यको छुपा छुपी और अनीतिरीतिसे बंधनमे रखनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा लेजाना।

(३६५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ले भागे अथवा भगा ले जाए इस अभिप्रायसे कि वह मनुष्य छुपा छुपी और अनीति रीतिपर रोकमें रक्खा जाए, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ३६३ के अनुसार है।

किसी स्त्रीको व्याह आदिपर विवश करनेके लिये ले भागना या भगा ले जाना.

(३६६) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीको ले भागे अथवा भगा ले जाए इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि वह अपनी इच्छाके विरुद्ध किसी मनुष्यसे विवाह करनेके लिये विवश कीजावे अथवा उसकी यह इच्छा हो कि वह व्यभिचार करनेके लिये विवश कीजावे या फुसलाई जावे अथवा इस बातका होना उसकी जानकारीमें हो कि वह व्यभिचारके लिये विवश की जावेगी अथवा फुसलाई जावेगी, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ३६४ के अनुसार है।

१—धीरसिंहकी दो स्त्रियें (न) और (म) थीं, (न) के गर्भसे उसकी दो लडकियां हुई—धीरसिंह अपनी स्त्री (म) को साथ लेकर किसी व्याहमें एक गावपर चला गया और अपनी दूसरी स्त्री (न) को अपनी दोनों लडकियो समेत घरमें छोड गया—धीरसिंहके चले जानेपर (न) ने उन दोनो लडकियोंको अपने बहनोई (क) के घर भेज दिया और तीन मनुष्योंकी सहायतासे बडी लडकीका व्याह (ख) के साथ कर दिया—तजवीज हुई कि शब्द "स्त्री" सुन्दरजा दफा ३६६ में कोई नाबालिग लडकी भी शामिल है यह भी तजवीज हुई कि (न) की प्रसन्नता होनेपर भी भगा ले जानेका अपराध दफा ३६१ व ३६६ के अनुसार हुआ, क्योंकि धीरसिंहकी कुछ दिनोंकी गैरहाजिरीमें भी वह उसके ही अधिकारमें बनी रही और वही उसका उचित रक्षक था और (न) उसकी रक्षक न थी। (पंजाब रिकार्ड नं० ८ सन् १८७८ ई०)

२—वादीने अपराधी पर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३६६ के अनुसार अपनी स्त्रीके मध्ये अपराध ठहराया—डिप्टी मजिस्ट्रेटने दफा ४९८ के अनुसार तजवीज करके अपराधीको एक महीनेकी कठिन कैदका दंड दिया—तजवीज हुई कि डिप्टी मजिस्ट्रेटको दफा ४९८ के अनुसार दण्ड देनेका अधिकार न था क्योंकि मजमूआजाब्ता फौजदारीकी दफा १९९ के अनुसार पतिकी ओरसे कोई नालिश नहीं हुई तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि, कानूनका यह अभिप्राय है कि कोई मजिस्ट्रेट अपनीही ओरसे ऐसे अपराधोंकी जांच न करे जो व्याहसे सम्बन्ध रखते हों जब तक कि पति अथवा कोई दूसरा मनुष्य ऐसे अपराधोंकी जांचकी इच्छा न प्रगट करे परन्तु जब पति स्वयही फरियादी हो और वह फरियाद दफा ३६६ के अनुसार पेश करता है तो अपराधीका दण्ड ४९८ के अनुसार उचित है, यदि गवाही छोटे अपराधके लिये पूर्ण और बडे अपराधके लिये अपूर्ण हो । (इ० लॉ रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३८३)

किसी मनुष्यको भारी दुःख(जररशदीद)पहुँचाने अथवा गुलाम बनानेके लिये ले भागना अथवा भगा ले जाना.

(३६७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये ले भागे अथवा भगा लेजावे कि वह भारी दुःख (जररशदीद) उठाए, अथवा वह गुलाम बनाया जावे अथवा उससे कोई मनुष्य स्वभाव विरुद्ध प्रसंग करके आनद उठाए, अथवा इसलिये कि वह मनुष्य ऐसी अवस्थामें रक्खा जावे कि वह भारी दुःख (जररशदीद) उठाने, या गुलाम बनाए जाने या किसी मनुष्यकी स्वभावबिरुद्ध कामातुरता सहनेकी जोखिममे पडे या इस बातका होना उसकी जानकारीमें हो कि वह वर्त्ताव उस मनुष्यको सहने पडेंगे अथवा वह ऐसी अवस्थामे रक्खा जावेगा, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३६४ के अनुसार है ।

ले भागे हुए मनुष्यको छिपाना या बंधनमें रखना

(३६८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको यह जानकर कि उसको कोई ले भागा है अनुचित रीतिपर छिपाए अथवा अनीतिबंधनमे रक्खे, तो उपरोक्त मनुष्यको उसी प्रकार पर दण्ड दिया जावेगा कि मानों वह स्वयही उस मनुष्यको उसी इच्छा या जानकारी या उसी अभिप्रायसे जिससे उसने उस मनुष्यको छुपाया या अनीतिबंधनमे रक्खा है ले भागा अथवा भगा लेगया ।

टीप—दफा ३६४ के अनुसार है ।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३६८ उस मनुष्यसे सम्बन्ध रखती है जो किसी ऐसे मनुष्यके छुपानेमे सहायता करे जिसको कोई लेभागा हो या भगा लाया हो इसका सम्बन्ध स्वयं ले भागनेवाले या भगा लेजानेवाले मनुष्योंसे नहीं है । (वी० रि० जि० ६ स १७)

२---दफा ३६८ का अपराध ठहरानेके लिये यह आवश्यक है कि वह मनुष्य जिसको कोई लेभागा या भगा ले गया हो, इस अभिप्रायसे छुपा रक्खा जावे कि उसको कोई देख न ले और उपरोक्त मनुष्यके मध्ये केवल झूँठाही समाचार देना काफी नहीं है। (पजाब रिकार्ड नं० १० सन् १८७४ ई०)

(३६९) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेको, जिसकी अवस्था दशवर्षसे कम हो इस अभिप्रायसे ले भागे अथवा भगा लेजाए कि अधर्मसे उसके शरीरपरसे कुछ वस्तु उतार ले तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

दशवर्षसे कम अवस्थाके बच्चेको उसके शरीरपरसे कुछ माल चुरा लेनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा लेजाना.

टीप---दफा ३६३के अनुसार है।

जिस मनुष्यको, गहना आदि अभिप्रायसे चुरानेके बच्चा ले भागनेके अपराधमें दण्डकी आज्ञा होचुकी हो, उसको चोरीके अपराधमे अलग दण्ड नहीं होसकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास जिल्द ७ सफा ३७५)

(३७०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अन्य देशसे गुलामकी रीतिपर लाए अथवा अन्य देशमें ले जाए अथवा दूसरे स्थानमे पहुँचाए अथवा मोल ले अथवा वेचे अथवा अपने अधिकारसे अलग करे अथवा किसी मनुष्यको, उसकी इच्छाके विरुद्ध गुलामकी रीतिपर स्वीकार करे अथवा अधिकारमें ले अथवा रोक रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

किसी मनुष्यको गुलामकी रीतिपर मोल लेना अथवा उसको अपने अधिकारसे अलग करना.

टीप-- (१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

१---शिवशकरने एक लडकीको जिसकी अवस्था ११ वर्षकी थी अपने अधिकारमें लाकर एक मनुष्यके हाथ; कीमत लेकर इस अभिप्रायसे बेंच डाला कि वह उससे अपना व्याह करे तजवीज हुई कि शिवशकरने जो लडकी वेची वह हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३७० के अनुसार गुलाम बनाकर बेचनेमें नहीं गिनी जासकती। (इ० ला० रिपोर्ट इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७२४)

२---(स) ने (अ) के हाथ एक लडकी (व) को जो तेरह वर्षकी थी वेचकर उससे अपना अधिकार अलग कर लिया--दस्तावेजमे जिसमें उपरोक्त मामला लिखा गया था (व) लडकी गुलामी लिखी गयी जिसको (स) ने (प) से मोल लिया था, तजवीज हुई कि (अ) (व) को गुलामकी रीति पर मोल लेनेका अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३७० के अनुसार है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा १७०)

(३७१) जो कोई मनुष्य गुलामोंको व्यवहारके लिये अन्य देशसे इस देशमें लावे अथवा अन्य देशमे ले जावे अथवा दूसरे स्थानमें पहुँचावे अथवा मोल ले अथवा वेचे अथवा उनका व्यवहार या व्यवसाय करे तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

स्वभावसे ही गुलामीका व्यवहार करना.

टीप–(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नामसे वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(३७२) जो कोई मनुष्य किसी नाबालिग (बालक) को, जिसकी अवस्था सोलह वर्षसे कम हो वेचे अथवा किराये पर भेजे अथवा किसी और रीतिपर अपने अधिकारसे अलग करे, इस अभिप्रायसे कि वह नाबालिग वेश्यापन या किसी अनुचित काम या लुचपनेके लिये काममें लाया जाए अथवा यह जानकर कि उस नाबालिगके ऐसे काममें लगाए जाने या उससे ऐसा काम लिये जानेका सम्भव है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

वेश्यापन इत्यादि कामोंके लिये किसी नाबालिगको बेचना या किराये पर देना.

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१–हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ का अपराध ठहरानेके लिये यह अवश्य नहीं है कि लडकी इस प्रकार पर अलग की जावे कि जिससे लडकीपरके कुल अधिकार किसी मनुष्यके नाम कर दिये जावे। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द २ सफा २१४)

२–कुछ मनुष्योंने एक नीच जातकी लडकीको ऊंची जातके एक मनुष्यको दिखाकर झूठमूठ निश्चय कराया कि वह लडकी भी ऊंची जातकी है वह उसको मोल लेकर उससे अपना व्याह करे–तजवीज हुई कि जब उपरोक्त लडकी व्याह करनेके लिये वेची गई तो यद्यपि उसका व्याह शास्त्रके अनुसार ठीक नहीं है तथापि अपराधी हिन्दुस्थानेके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ व ३७३ के अनुसार दण्ड नहीं पा सकते। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ६९५)

३–अपराधीने अपनी लडकीको जिसकी अवस्था पांच छः वर्षकी थी, मन्दिरकी नौकरीमें बतौर नाचनेवाली लडकीके भेट की–गवाहीसे पाया गया कि, नाचनेवाली लडकियां जो मन्दिरसे सम्बन्ध रखती हैं वे सब वेश्यापनके कामोंको करती हैं, तजवीज हुई कि यह सब बातें, हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ के अपराधमें दब देनेके लिये काफी हैं। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफा ७३७)

४–एक मन्दिरकी नाचनेवाली स्त्रीने उपरोक्त मन्दिरके अधिकारीसे यह बात कही कि एक छोटी लडकी, जिसको उसने झूठ मूठ अपनी बेटी प्रसिद्ध की उसकी "कोढू" मीरास पर नियत की जावे–अधिकारीने आज्ञा दी कि वह लडकी दूसरी नाचनेवाली लडकियोंके समान तनख्वाह पर नियत कीजावे–वह मन्दिरके लिये नियत कीगई, यद्यपि "बुट्ट" बांधनेकी रीति नहीं कीगई (इस रीतिके पश्चात् लडकीका व्याह किसीके साथ नहीं होसकता) तजवीज हुई कि गवाहीसे पाया जाता है कि दफा ३७२ का अपराध नाचनेवाली स्त्री, अधिकारी और लडकीके माँ बापकी ओरसे हुआ। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा ४१)

५–अपराधीने अपनी एक नाबालिग लडकीका व्याह मन्दिरके देवतासे करदिया–चलनके अनुसार उस व्याहका यह फल होता है कि ऐसी लडकी किसी दूसरे मनुष्यसे उचित व्याह नहीं करसकी परन्तु जिस मनुष्यसे चाहे उससे प्रसंग करा सकती है और उसके लडके उस लडकीके बापके धनके अधिकारी होते हैं तजवीज हुई कि अपराधीने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ के अनुसार अपराध किया। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा ७५)

वेश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी बालकको मोल लेना या अधिकारमें लाना.

(३७३) जो कोई मनुष्य किसी बालकको जिसकी अवस्था १६ वर्षसे कम हो मोल ले अथवा किराए पर ले अथवा किसी और प्रकारपर अपने अधिकारमें लाए इस अभिप्रायसे कि, वह बालक वेश्यापनके काम अथवा किसी अनुचित काम अथवा लुचपनेके काममें लगाया जावे अथवा काममे लाया जावे अथवा यह जानकर कि, उस बालकके ऐसे काममें लगाए जाने अथवा ऐसा काम लिया जानेका सम्भव है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप–दफा ३७२ के अनुसार है।

अनीति बिगार

(३७४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको उसकी इच्छाके विरुद्ध अनीति रीतिसे दबाकर काम करानेपर विवश करे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है।

बलपूर्वक व्यभिचारके विषयमें ।

(३७५) जो कोई मनुष्य सिवाय आगे लिखी छूटके. किसी स्त्रीके साथ नीचे लिखे पांच प्रकारोंमेंके किसी प्रकार भोग करेगा तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने "बलपूर्वक व्यभिचार" किया ।

बलपूर्वक व्यभिचार.

पहिले—स्त्रीकी इच्छाके विरुद्ध,

दूसरे—स्त्रीकी बिना सम्मति,

तीसरे—स्त्रीकी सम्मतिके साथ, जब कि वह सम्मति मृत्यु अथवा दुःखका डर दिखाकर प्राप्त कीगई हो,

चौथे—स्त्रीकी सम्मतिके साथ, जब कि पुरुष यह जानता हो कि वह उस स्त्रीका पति नहीं है और यह कि स्त्रीकी ओरसे वह सम्मति इस कारण प्रगट कीगई हो कि वह निश्चय करती थी कि यह पुरुष वही पुरुष है कि जिसके साथ उसका व्याह उचित रीतिपर हुआ है अथवा जिसके साथ वह अपना उचित व्याह होना निश्चय करती है ।

पॉचवें—स्त्रीकी सम्मतिके साथ अथवा उसकी बिना सम्मति, जब कि उसकी अवस्था बारहवर्षसे कम हो ।

स्पष्टीकरण—उस सम्भोगमें जो बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधके लिये अवश्य है प्रवेशका होजानाही काफी समझा जायगा ।

छूट ।

किसी पुरुषका अपनीही स्त्रीके साथ भोग करना, जब कि उस स्त्रीकी अवस्था बारह वर्षसे कम न हो, बलपूर्वक व्यभिचार नहीं है ।

(३७६) जो कोई मनुष्य बलपूर्वक व्यभिचार करनेका अपराधी हो, उसको जन्म भरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

बलपूर्वक व्यभिचारका दण्ड.

यदि किसी पुरुषपर उसीकी स्त्रीके साथ बलपूर्वक व्यभिचारका अपराध लगाया जावे तो नीचे लिखी कार्रवाई होगी.

टीप–(१) अदालत सेशन (२) पोलीस विना वारण्ट अपराधीको न पकड सकेगी (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) अमानत है (५) राजीनामा नही है।

यदि कोई दूसरी स्त्री हो तो नीचे लिखी कार्रवाई होगी।

(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नही है।

१ बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधमे कानूनानुसार पांचवर्षका दण्ड नियत है इसलिये वह सात वर्षका दण्ड कालेपानीके साथ दफा ५९ हि० द० के अनुसार नही बदला जासकता। (बंगाल ला-रिपोर्ट जिल्द १ सफा ५)

स्वभावविरुद्ध अपराधोके वयानमे।

(३७७) जो कोई मनुष्य किसी पुरुष अथवा स्त्री अथवा पशुसे जानबूझकर प्रकृतिकी रचनाके विरुद्ध सम्भोग करेगा, उस मनुष्यको जन्म-मरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

स्वभावविरुद्ध अपराध.

स्पष्टीकरण–जो सम्भोग कि इस दफामे वर्णन किये हुए अपराधके लिये अवश्य है, उसमे प्रवेशका होना काफी समझा जायगा।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नही है।

१–अपराधीको स्वभावविरुद्ध अपराध करनेके विषयमें दण्ड दियागया परन्तु मुकद्दमेकी मिसलमें इन बातोंका बयान न था कि उसने उपरोक्त अपराध किस समय किस स्थान और किस मनुष्यके साथ किया था और न यह बातें साबितही हुई थीं, अपराधीके विरुद्ध जो साबित हुआ, उससे केवल इतना जाना गया कि वह स्त्रियोंके कपडे पहिना करता था और उसके शरीर पर ऐसे चिह्न थे, जिनसे उसके मध्ये उपरोक्त अपराधका करना पाया जाता था–तजवीज हुई कि ऐसे सबूत पर अपराधीको दण्ड नही दिया जा सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा २०४)

अध्याय सत्रहवाँ १७

(धन सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें)

सरका अर्थात् चोरीका बयान * ।

चोरी.

(३७८) जो कोई मनुष्य अधर्मसे कोई स्थावर धन किसी मनुष्यके अधिकारमेंसे उसकी बिना प्रसन्नताके लेनेकी इच्छासे. ऐसे लेनेके लिये उस धनको हटावे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने चोरीका अपराध किया।

स्पष्टीकरण—१ कोई वस्तु जबतक कि वह धरतीसे लगी हुई हो स्थावर धन नहीं है, इसलिये उसके मध्ये चोरी न होसकेगी, परन्तु जिस समय वह धरतीसे अलग कर दीजावे उस समय वह वस्तु चुरानेके योग्य होजावेगी।

स्पष्टीकरण—२ जिस कामके द्वारा कोई वस्तु जुदा की जाए, यदि उसी कामसे वह वस्तु हटाई जाए तो वह चोरी गिनी जासकेगी।

स्पष्टीकरण—३ जिस प्रकार किसी मनुष्यके मध्ये कहा जाता है कि वह किसी वस्तुके हटानेका कारण हुआ जब कि वह वास्तवमें उस वस्तुको हटाता है; उसी प्रकार उस अवस्थामें भी ऐसाही कहा जावेगा, जब कि वह किसी रोकको जिसके द्वारा वह वस्तु हटनेसे रुक जाय, हटावे अथवा उपरोक्त वस्तुको किसी और वस्तुसे अलग करदे।

स्पष्टीकरण—४ जो कोई मनुष्य किसी यत्नसे किसी पशुके हटाए जानेका कारण हो, उसके मध्ये कहा जावेगा कि उसने उस पशुको हटा दिया, और भी उस वस्तुको हटाया, जिसे उस पशुने ऐसे हटाए जानेके कारणसे हटाया।

स्पष्टीकरण—५ वह प्रसन्नता कि जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है शब्दोंके द्वारा होसकती है अथवा अर्थोंके द्वारा—और वह चाहे अधिकारी मनुष्यकी ओरसे दी गई हो, अथवा ऐसे मनुष्यकी ओरसे जिसको प्रगट अथवा अप्रगट रीतिसे इसके मध्ये आज्ञा प्राप्त हो।

---

* सब मनुष्योंको उचित है कि वे उन अपराधोंका समाचार दें जो तहत दफा ३८२ के दण्ड योग्य हैं। (देखो दफा ४४ ऐक्ट १० सन् १८८२ ई०)

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर रमाशंकरकी पृथ्वीमेंसे एक पेड इस अभिप्रायसे काटे कि उसको रमाशंकर के अधिकारमेंसे रमाशंकरकी विना प्रसन्नता अधर्मसे लेले तो इस अवस्यामें शिवशंकरने जिस समय पेडको इस अभिप्रायसे ले जानेके लिये जुदा किया उसही समय वह चोरीका अपराधी हुआ ।

(ख) शिवशंकर कुत्तोंके फुसलानेकी वस्तु अपने जेबमें रक्खे और इस प्रकारसे रमाशंकर के कुत्तेको अपने पीछे लगा लेवे तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकरका यह अभिप्राय हो कि वह अधर्म- से रमाशंकरके अधिकारमेंसे रमाशंकरकी विना प्रसन्नताके उसका कुत्ता लेले तो जिसही समय कि रमाशंकरके कुत्तेने शिवशंकरके पीछे चलना आरम्भ किया उसही समय शिवशंकर चोरी का अपराधी हुआ ।

(ग) शिवशंकरको एक बैल जिसपर खजानेका सन्दूक लदा हुआ हो मिलजाए और वह उस बैलको इस अभिप्रायसे एक मुख्य दिशाको हाँक लेजाए कि अधर्मसे खजाना लेले तो जिसही समय कि बैल हटाया गया उसही समय शिवशंकर खजानेकी चोरीका अपराधी हुआ ।

(घ) शिवशंकर जो रमाशंकरका नौकर है और जिसकी सिपुर्दगीमें रमाशंकरके चांदी या मुलम्मेके वर्तन रमाशंकरकी ओरसे रक्खे गये हैं विना प्रसन्नता रमाशंकरके उन वर्तनोंको अधर्मसे लेकर भाग जाए तो शिवशंकर चोरीका अपराधी हुआ ।

(च) हरिशंकर देशाटनके लिये तैयार होकर अपने चांदी व मुलम्मेके वर्तनोंको अपने लौट आने तक उमाशंकरको कि वह गोदामका मालिक है, सौंप दे और उमाशंकर उन वर्तनों को सुनारके पास ले जाकर बेच डाले तो इस अवस्थामें जो कि वे वर्तन हरिशंकरके अधिकारमें न थे इस लिये वे हरिशंकरके अधिकारमेंसे नहीं लिये जासकते थे और उमाशंकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ, परन्तु सम्भव है कि वह धरोहरके अनीति व्यय (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी ठह- राया जावे ।

(छ) लक्ष्मीशंकर गिरिजाशंकरकी अगूठी किसी मेजपर रक्खी हुई उस घरमें पावे जहां गिरि- जाशंकर रहता हो, तो इस अवस्थामें अगूठी गिरिजाशंकरके अधिकारमें है और यदि लक्ष्मीशंकर उसको अधर्मसे उठा ले जाए तो लक्ष्मीशंकर चोरीका अपराधी होगा ।

(ज) शिवशंकर एक अगूठी जो किसीके अधिकारमें न हो सर्व सम्बन्धी मार्गमें पडी पावे तो उसके लेनेसे शिवशंकर चोरीका अपराधी न होगा यद्यपि सम्भव है कि वह धनके अनीति व्यय (तसर्रुफ मुजरिमाना) का अपराधी ठहराया जावे ।

(झ) शिवशंकर उमाशंकरकी अगूठी उसके घरमें मेजपर पडी हुई देखे और शिवशंकर तलाशी होने तथा पास निकल आनेके डरसे उसी समय उस अगूठीके अनीति व्यय करनेका साहस न पाकर उसको ऐसे स्थानमें छिपाए जहांसे मिलजाना उसका उमाशंकरके ध्यानमें बिलकुल न आसके इस अभिप्रायसे कि जब अँगूठीका खोजाना उमाशंकरकी यादसे जाता रहे तब शिवशंकर उस अँगूठी को उस छुपे हुए स्थानसे निकालकर बेच डाले तो इस अवस्थामें शिवशंकर पहिली बार अंगूठीके हटातेही चोरीका अपराधी हुआ ।

(ट) शिवशंकर अपनी घड़ीकी चाल ठीक कर देनेके लिये उसको रमाशंकर घड़ीसाजको दे और रमाशंकर उसको अपनी दूकानपर ले जाए, और शिवशंकर, जिसको रमाशंकर घड़ी साजका कोई ऋण देना नहीं है जिसके बदलेमे घड़ीसाज उस घड़ीको जमानतकी रीतिपर उचित तौरसे रोक रख सकता हो, रमाशंकरकी दूकानमें खुलाखुली चला जाए और रमाशंकरके हाथसे वह घड़ी छीन लेकर चल दे तो इस अवस्थामे यद्यपि सम्भव है कि शिवशंकर मदाखलतबेजा मुजरिमाना और हमलका अपराधी हो परन्तु चोरीका अपराधी नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने किया अधर्मसे नहीं किया।

(ठ) यदि शिवशंकरको घड़ीकी मरम्मत करनेके मध्ये रमाशंकरका कुछ रुपया देना हो और रमाशंकर उस ऋणकी जमानतके तौर पर घड़ीको उचित रीतिसे रोक रक्खे और शिवशंकर रमाशंकरके अधिकारमेंसे उस घड़ीको इस अभिप्रायसे ले ले कि वह शिवशंकरसे उस मालको छीनकर ऋणकी जमानतको मेट दे तो शिवशंकर चोरीका अपराधी होगा क्योंकि वह उस घड़ीको अधर्मसे लेता है।

(ड) फिर, यदि शिवशंकर अपनी घड़ी रमाशंकरके यहां रेहन करे और बिना उस रुपयेके अदा किये जो उसने रमाशंकरसे घड़ी पर ऋण लिया है, घड़ीको रमाशंकरके अधिकारमेंसे उसकी बिना प्रसन्नता लेले तो यद्यपि घड़ी शिवशंकरका माल है परन्तु तो भी शिवशंकर चोरीका अपराधी होगा क्योंकि वह उसको अधर्मसे लेता है।

(ढ) शिवशंकर इस अभिप्रायसे रमाशंकरकी कोई वस्तु उसके अधिकारमेंसे उसकी बिना प्रसन्नता लेले कि जबतक रमाशंकरसे, उसके वापिस करनेके इनामके तौरपर कुछ रुपया न प्राप्त करे उपरोक्त वस्तुको वह अपने पास रक्खे तो इस अवस्थामे जो कि शिवशंकर अधर्मसे लेता है, इसलिये शिवशंकर चोरीका अपराधी हुआ।

(ण) शिवशंकर जो रमाशंकरके साथ मित्रताका व्यवहार रखता है रमाशंकरकी गैरहाजिरीमें उसके पुस्तकालयमे जाए और उसकी बिना प्रसन्नता प्रगट रीति पर कोई पुस्तक केवल पढनेके लिये ले जाए और उसका लौटाना शिवशंकरकी इच्छामे हो तो इस अवस्थामे सम्भव है कि शिवशंकरने यह समझा हो कि उसको रमाशंकरकी ओरसे रमाशंकरकी पुस्तक पढनेकी अप्रगट आज्ञा है, परन्तु यदि शिवशंकरकी यह इच्छा थी तो शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ।

(त) शिवशंकर रमाशंकरकी स्त्रीसे खैरात मांगे और वह शिवशंकरको रुपया खाना और वस्त्र दे जिसको शिवशंकर जानता हो कि वह उसके पतिका धन है तो इस अवस्थामें सम्भव है कि शिवशंकर यह समझता हो कि रमाशंकरकी स्त्री ऐसी खैरात देनेकी अधिकारिणी है—अतएव यदि शिवशंकरका यही विचार था तो शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ।

(थ) शिवशंकर रमाशंकरकी स्त्रीका यार है वह शिवशंकरको मूल्यवान् पदार्थ दे, जिसको शिवशंकर जानता हो कि उसके पति रमाशंकरका है और वह ऐसा पदार्थ है कि रमाशंकरकी ओरसे वह उसके देनेकी अधिकारिणी नहीं है बस यदि शिवशंकर अधर्मसे यह पदार्थ ले ले तो चोरीका अपराधी हुआ।

(द) शिवशंकर रमाशंकरके मालको अपना माल समझकर शुद्धभावसे उसके अधिकारमेंसे लेले तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर अधर्मसे नहीं लेता है इसलिये शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं है।

१—लकडीपर इन्सपेक्टर जनरलका अधिकार सरकारी अधिकारके तौरपर है और उसके अधिकारसे लकडीका अलग होना, चाहे उसकी प्रसन्नतासे अलग की जाय हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा३७८ के अनुसार चोरीमे दाखिल है यदि उसकी उपरोक्त प्रसन्नता विना अधिकार व कल्पित हो। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द २ सफा ६१०)

२—यदि किसी मनुष्यकी सिपुर्दगीसे कोई धन उसकी इच्छाके विरुद्ध जिसको प्रगट अधिकार अथवा कुछ अधिकार उपरोक्त धनके मध्ये प्राप्त हो, दूर कर दिया जाए, तो चोरीका अपराध ठहराना काफी है। (इ० ला० रि० बंबई जिल्द ९ सफा १३५)

३—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ में लिखे हुए "वस्तु" शब्दमें जानदार पदार्थ नहीं गिने जॉयगे। कोई साड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमें छोड दिया जावे, उस दफाके अभिप्रायानुसार "वस्तु" नहीं है और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छुपाकर गोश्त और चमडेके लालचसे मारडाले तो कोई अपराध दफा १९५ का नहीं कियागया और साड स्थावर धन दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ की मुरादके भीतर नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफा ८५२)

४—अपराधीने जो महकमे डाकखानेमें सरकारी नौकर था, जब कि चिट्ठियोंके बाटनेमें सहायता दे रहा था दो चिट्ठियोंको इस अभिप्रायसे छुपादिया कि उनको डिलेवरीवाले चपरासीको दे देगा और उसके साथ कुछ रुपयोंमें हिस्सा लगावेगा जो उनके मध्ये चुकाने योग्य है, उसपर ऐक्ट डाकखाना हिन्दकी दफा ४८ के अनुसार अपराध लगाया गया—तजवीज हुई कि जो कि अपराधीकी इच्छा उस चिट्ठीपानेवालेकी चिट्ठियोंके रोकनेकी न थी, इसलिये वह इस दफा ४८ के अनुसार चिट्ठी छुपानेका अपराधी नहीं था वह चिट्ठियोंके चुराने और अनौचित्व्यय (तसर्रुफबेजा) करनेका अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा २२९)

५—अपराधी अपने बापसे लडाईकर, अपने घरानेकी जायदादका एक भाग लेकर, विना अपने बापकी आज्ञाके जो उस जायदादका प्रबंधक था, चला गया तो ऐसी अवस्थामे अपराधीने चोरीका अपराध किया। (सी. पी. ला. रि. जिल्द ४ सफा १७४)

(३७९) जो कोई मनुष्य चोरीका अपराधी हो, उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

चोरीका दंड

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—विना गवर्नमेंटकी आज्ञाके ऐसे स्थानसे नमकका लेना जहांसे मनाही हो चोरीका अपराध है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २२८)

२—किसी गढेसे अनुचित रीतिपर मछलीका लेना चोरी नहीं है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ३९०)

३—जब कि अपराधी एक तालाबमें, जो कि शहरके भीतर था और जिसके आसपास घेरा खिंचा हुआ था और जिसमे शहरकी म्यूनिसिपल कमेटीका अधिकार था, विना आज्ञा म्यूनिसिपल कमेटीके मछली मारते हुए पकडा गया तो अपराधीपर चोरीका अपराध ठहराया जा सकता है। (इ० ला० रि० बम्बई १० सफा १९३)

४—अपराधियोंपर मछली मारनेका अपराध एक तालाबसे जो वादीके अधिकारमें था लगाया गया। वह दफा ३७९ व ४४७ के अपराधी ठहराए गए—तजवीज की गई कि वह तालाब चारों ओरसे विना घेरेका था और एक नहरके पानीसे भरा रहता था जो एक बहती हुई नदीसे मिली हुई थी कि जिससे मछलियां उसमें आजाती थी और तालाब मे मछलियां पाली और रक्खी नहीं जाती थीं और यह मछलियां उस समय मारी गई थीं कि जब पानी बढा और तालाब नदीसे मिला हुआ था इसलिये मछलियां उससे अपने आपही निकल पडीं—तजवीज हुई कि मछलियां स्वयं स्वाधीन थीं और उनपर वादीका अधिकार भी न था, इसलिये अपराधियोने कोई अपराध नहीं किया। यदि मछलियां अपनी स्वाधीनतासे रहित कीजातीं और स्वामीकी आज्ञासे मारे जानेके योग्य होतीं और ऐसी अवस्थामें वह मारी जातीं तो अपराधी दंड योग्य होते। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ४०२)

५—यदि हिन्दूजातकी स्त्री अपना स्त्रीधन अपने पतिके अधिकारसे विना उसकी प्रसन्नताके अलग करे तो वह चोरीकी अपराधिनी नहीं ठहराई जा सकती और जो मनुष्य ऐसे धनके हटानेमे उस स्त्रीका साझी हो वह चोरीमे सहायता करनेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ८ सफा ११)

६—चोरीके अपराधमें इस बातका प्रमाणित होना आवश्यकीय है कि उपरोक्त माल, लेनेके समय वादीकेही अधिकारमें था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफा ८०)

७—मुसल्मान जातकी ब्याही हुई स्त्री उस धनके मध्ये जो मुहम्मदी (मुसलमानी) शरह (शास्त्र) के अनुसार उसके ही पतिका धन समझा जाता है, चोरी अथवा चोरीमे सहायता करनेकी अपराधिनी ठहराई जा सकती है। (रि० हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ६ सफा ९)

८—अपराधियोने सरकारी पेड काटकर बेच डाले—तजवीज हुई कि उनको चोरी और नुकसान पहुँचाने (जररसानी) का अपराधी ठहराकर दण्ड दिया जाना कानूनविरुद्ध न था। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द २ सफा ३९२)

(३८०) जो कोई मनुष्य किसी घर अथवा तम्बू अथवा नावमें, जो मनुष्यके रहनेके स्थानकी भाँति अथवा माल असवाब रखनेके लिये काममें आता हो चोरी करेगा, तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

चोरी किसी घर अथवा तम्बू अथवा नावमें.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नहीं है।

(३८१) कोई मनुष्य जो गुमाश्ता अथवा नौकर हो या गुमाश्ता अथवा नौकर के कामपर तैनात हो किसी मालके मध्ये, जो उसके स्वामी अथवा कामपर लगाने वालेके अधिकारमें हो चोरीका अपराध करे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

जब कोई गुमाश्ता अथवा नौकर अपने स्वामीके पाससे कोई वस्तु चुरावे

(वेतके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नही है।

१—जो मल्लाह कि नौकरीपर रक्खा जावे वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३८१ मे लिखे हुए गुमाश्ते अथवा नौकर शब्दमें न गिना जावेगा और यदि वह नावपर चोरी करे तो उसको दफा ३८० के अनुसार दंड दिया जावेगा। (वी० रि० जिल्द ८ सफा ३२७)

२—सिविल स्टेशन राजकोटका इलाका ब्रिटिश इंडियाका हिस्सा नहीं है, इसलिये चोरीका अपराध ब्रिटिश इंडियामे नहीं हुवा—पस अदालत सेशन थानाको अधिकार नहीं था कि वह अपराधीका विचार हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३८१ के अनुसार करे—परन्तु हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४११ के अनुसार चोरीका माल बददियानतीसे रखनेके अपराधमें ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० के अनुसार वह विचार कर सकता था। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफा ८६)

(३८२) जो कोई मनुष्य चोरीके अपराधके लिये अथवा उस चोरीके पश्चात् अपने भाग जानेके लिये अथवा उस मालके बचा रखनेके लिये जो चोरीके द्वारा लिया जावे, मृत्यु अथवा दुःख अथवा रोक करनेकी, अथवा मृत्यु अथवा दुःख अथवा रोकका डर दिखानेकी तैयारी करके चोरीका अपराध करे तो उस मनुष्यको कठिन कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह—जुर्मानेके भी योग्य होगा।

चोरीका अपराध करनेके अभिप्रायसे वध करने अथवा भारी दुःख पहुचानेकी तैयारी करनेके पश्चात् चोरी करना.

उदाहरण।

(क) शिवशंकर उस मालके मध्ये, जो रमाशंकरके अधिकारमें हो चोरीका अपराध करे और जिस समय कि वह चोरीका अपराध कर रहा हो, उसके वस्त्रके नीचे एक भरा हुआ तमंचा हो, जो उसने इसलिये ले रक्खा हो कि, यदि रमाशंकर रोक टोक करे तो उसको दुःख (जरर) पहुँचाए, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुवा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ख) शिवशंकर अपने कुछ साथियोंको अपने आसपास इसलिये खडा करके रमाशंकरकी जेब काटे कि यदि रमाशंकर इस वृत्तान्तको जानकर कुछ रोकटोक करे अथवा शिवशंकरके पकड नेका उद्योग करे तो वे रमाशंकरको रोकें तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

टीप—(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत, नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—यदि चोरीका अपराध करते समय वास्तवमें किसीको दुःख (जरर) पहुँचाया जाय तो उपरोक्त अपराधका दण्ड बल सहित चोरीके अपराधमें दिया जायगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ८५)

दबाकर लेनेके विषयमें।

(३८३) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यको स्वय उस मनुष्यकी अथवा किसी दूसरे मनुष्यकी हानिका डर दिखाए और उसके द्वारा उस मनुष्यको जिसको इसप्रकार डर दिया गया है, इस बातके लिये धमकी दे कि वह कोई माल अथवा किफालतुलमाल अथवा कोई दस्तखत की हुई या मुहर कीहुई वस्तु जो किफालतुलमाल बनसकती है, किसी मनुष्यको देदे—तो उपरोक्त मनुष्य दबकर लेनेवाला कहलावेगा।

दबाकर लेना(इस्तेह साल बिलजब्र.)

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि तू मुझको रुपया दे नहीं तो मैं एक बात जो तेरी प्रतिष्ठामें बट्टा लगाएगी प्रसिद्ध कर दूंगा और इसप्रकारसे रमाशंकरको रुपया देनेके लिये धमकी दे तो शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी होगा।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि मैं तेरे बच्चेको अनीतिबन्धनमें रक्खूंगा नहीं तो एक रुक्का र दस्तखत करके उसको मेरे सिपुर्द कर जिसमें तेरी ओरसे मुझको रुपयेकी अमुक तादाद देनेका वादा हो, और रमाशंकर दस्तखत करके वह रुक्का शिवशंकरको दे दे तो शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी हुआ।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि मैं लठबंद आदमी भेजकर तेरा खेत जुतवा लूंगा नहीं तू एक तमस्सुक दस्तखत करके हरशंकरको दे जिसके अनुसार हरशंकरको किसी विशेष पैदावारका देना और पैदावार न देने पर जुर्मानेका देना रमाशंकर पर उचित हो—और उसके द्वारा शिवशंकर रमाशंकरसे उस तमस्सुक पर दस्तखत कराकर ले ले, तो शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी हुआ।

(घ) शिवशंकरने रमाशंकरको भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचानेका डर बताकर उसको कोरे कागजपर दस्तखत या मोहर करने और शिवशंकरको देदेनेके लिये अधर्मसे धमकाया—रमाशंकरने उस कागजपर दस्तखत करके शिवशंकरको दे दिया तो, जो कि इस अवस्थामें वह कागज कि, जिसपर इस प्रकार दस्तखत लिया गया किफालतुलमाल बन सकता है—इसलिये शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी हुवा।

(३८४) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध करे उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

दबाकर लेनेका दंड

टीप—(१) अदालत सेशन प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—केवल यह बात कि, दबाकर लेनेका अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३८४ के अनुसार, गांवके चौकीदारके सामने हुआ, चौकीदारको उपरोक्त अपराधमें सहायता करनेका दोषी नहीं ठहरा सकती। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ७२८)

२—इस मुकद्दमेमें अपराधीने मुकद्दमा फौजदारी दायर करनेकी धमकी देकर कुछ रुपया दबाकर लिया—तजवीज हुई कि अपराधीने दबाकर लेनेका अपराध किया है, चाहे वह मुकद्दमा जिसके चलानेकी उसने धमकी दी सच हो अथवा झूठ। (वी० रि० जिल्द ७ सफा २८)

(३८५) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेका डर दिखाए अथवा ऐसा डर दिखानेका उद्योग करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेका डर दिखाना.

टीप—दफा ३८४ के अनुसार है।

(३८६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको स्वयं उस मनुष्यके अथवा किसी दूसरे मनुष्यके मृत्यु अथवा भारी दु:खका डर बताकर दबाकर लेनेका अपराधी होगा तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दु:खका डर बताकर दबाकर लेना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(३८७) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दु:ख (जररशदीद) का डर दिखावेगा अथवा दिखानेका उद्योग करेगा—चाहे वह डर उसी मनुष्यकी मृत्यु अथवा भारी दु:खका हो चाहे किसी दूसरे की,—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दु:खका डर दिखाना.

टीप—दफा ३८५ के अनुसार है।

१—किसी मनुष्यसे बलपूर्वक रुपया लेनेके लिये आत्महत्या (खुदकुशी) के उद्योगकी इच्छा प्रगट करना एक अपराध दफा ३८७ के अनुसार है। (इंडियन जूरिस्ट न्यूसेरीज सफा ४२३)

(३८८) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध किसी मनुष्यको इस बातका डर दिखाकर करे कि मै तुझको अथवा और किसी दूसरे मनुष्यको, किसी ऐसे अपराधके करनेकी अथवा करनेका उद्योग करनेकी तुहमत लगाऊंगा, कि जिसका दण्ड वध अथवा जन्मभरका देश निकाला अथवा दश वर्षतककी कैद है, अथवा इस बातकी तुहमत लगानेका डर दिखाए कि उस मनुष्यने अथवा दूसरे मनुष्यने किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा अपराध करनेके लिये बहँकाया है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध ऐसा हो जिसका दण्ड दफा ३७७ के अनुसार होसकता है तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दण्ड दिया जासकता है। (दफा४० को देखो)

ऐसे अपराधमें फंसानेकी धमकी देकर कि जिसके लिये मृत्यु अथवा देश निकाले आदिका दंड नियत है दबाकर लेना.

टीप— दफा ३८६ के अनुसार है।

(ठेकेके दण्डके लिये एक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

(३८९) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध करनेके लिये किसी मनुष्यको इस बातका डर दिखावे अथवा दिखानेका उद्योग करे कि मैं तुझको अथवा और किसी दूसरे मनुष्यको, किसी ऐसे अपराधके करनेकी अथवा करनेका उद्योग करनेकी तुहमत लगाऊंगा, कि जिसका दण्ड वध अथवा जन्मभरका देश निकाला अथवा दशवर्षंतककी कैद है—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। और यदि वह अपराध ऐसा हो कि उसका दंड दफा ३७७ के अनुसार होसकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दंड दिया जावेगा। (दफा ४० को देखो)

दबाकर लेनेके अभिप्रायसे किसी मनुष्यको अपराध लगानेकी तुहमतका डर दिखाना.

टीप—दफा ३८६ के अनुसार है।

जोरी अर्थात् बलसहित चोरी (सरका बिलजब्र) व डकैतीके बयानमें।*

(३९०) प्रत्येक बलसहित चोरीमें या तो चोरी होती है या दबाकर लेना होता है।

बलसहित चोरी.

जोरी; उस अवस्थामे जोरी (सरका बिलजब्र) होगी कि जब चोरी करनेके लिये अथवा चोरी करनेमे, अथवा उस मालके लेजाने या लेजानेका यत्न करनेमे जो चोरीसे प्राप्त कियागया हो, अपराधी उस अभिप्रायसे जानबूझकर, किसी मनुष्यकी मृत्यु अथवा दुःख अथवा अनीति रोक (मुजाहिमतबेजा) का कारण हो, अथवा उसके कारण होनेका उद्योग करे अथवा तत्कालही मृत्यु होने अथवा तत्काल दुःख (जरर) पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर दिखाये अथवा डर दिखानेका उद्योग करे।

किस अवस्थामे चोरी बलसहित चोरी (जोरी) कही जावेगी.

दबाकर लेना, उन अवस्थामें जोरी कहलावेगा कि जब अपराधी दबाकर लेते समय उस मनुष्यके सामने उपस्थित हो कि जिसे डर बताया गया और उस मनुष्यको, स्वयं उसी मनुष्यकी या किसी दूसरे मनुष्यकी, तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल दुःख (जरर) पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर दिखाकर

किस अवस्थामे, दबाकर लेना (इस्तेहसाल बिलजब्र) बलसहित चोरी (जोरी) कहलावेगा.

---

* सब लोगोको उचित है कि वे दफा ३९३ से लगाकर दफा ३९९ तकके अपराधोंकी सूचना देवें। ऐक्ट नं० १० सन् १८८४ ई० की दफा ४४ को देखो।

दवाकर ले, और इस प्रकार डर दिखानेसे उस मनुष्यको कि जिसे डर दिखाया गया, बलपूर्वक प्राप्त कीहुई वस्तु उसी समय और उसी स्थानपर दे देनेको धमकी दे—

स्पष्टीकरण—यदि अपराधी इतना निकट हो कि जिससे वह उस दूसरे मनुष्यको तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल दुःख पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर काफी तौरसे दिखासके, तो कहा जावेगा कि अपराधी उपस्थित है ।

उदाहरण ।

(क) रमाशंकर शिवशंकरको दवा बैठे और शिवशंकरके कपडोंसेसे उसका रुपया और गहना बिना प्रसन्नता उसके बलपूर्वक ले ले, तो इस अवस्थामें रमाशंकरने चोरी की है और जो कि उस चोरीके लिये रमाशंकरने शिवशंकरके मध्ये जानबूझकर अनीति रोक (मुजाहिमत वेजा) की, इस लिये वह बल सहित चोरी अर्थात् जोरीका अपराधी हुवा ।

(ख) शिवशंकर सर्व संबंधी मार्गपर रमाशंकरसे मिला और रमाशंकरको तमंचा दिखाकर उसकी वसनी माँगी और रमाशंकरने उसके कारण अपनी वसनी विवश होकर छोड दी, इस अवस्थामें जो कि शिवशंकरने रमाशंकरको तत्काल दुःख (जरर) पहुँचानेका डर दिखाकर उससे वसनी दबाकर लेली, और दबाकर लेनेके समय रमाशंकरके निकट उपस्थित था, इसलिये शिवशंकर जोरीका अपराधी हुआ ।

(ग) शिवशंकर सर्वसाधारण सडकपर रमाशंकर तथा उसके बालकने मिला, और शिवशंकरने लडकेको पकडकर रमाशंकरको धमकाया कि यदि तू अपनी वसनी मुझे न दे देगा तो मैं तेरे लडकेको ऊँचाई परसे गिरा दूंगा, और रमाशंकरने उस कारणसे अपनी वसनी छोड दी—तो इस अवस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरको इस बातका डर दिखाकर कि बच्चेको जो वहा उपस्थित है तत्काल दुःख प्रहुँचाएगा, रमाशंकरने दबाकर वसनी लेली, इसलिये शिवशंकर रमाशंकरके मध्ये जोरीका अपराधी हुआ ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरसे कुछ माल यह कहकर लेवे कि तेरा लडका हमारे गिरोहके वशमें है, यदि तू हमको दशहजार रुपया न भेज देगा तो वह मारडाला जावेगा, तो यह दबाकर लेना (इस्तेहसालबिलजब्र) है, और उसके बदलेमें दबाकर लेनेकाही दंड दिया जायगा परंतु वह बल सहित चोरी नहीं है, सिवाय इसके कि रमाशंकरको लडकेके तत्काल मारडालनेका डर बतलाया जावे ।

१—यदि गहनेके छीन लेनेमें किसीको दुःख पहुँचे तो उस घटनाका अपराध बलसहित चोरी (जोरी) का अपराध गिना जायगा—इसलिये जब एक मनुष्यने नथ निकालनेमें स्त्रीके नथनोंको घायल किया, यहां तक कि उनसे खून बहने लगा तो वह बल सहित चोरीका अपराधी हुआ । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ९५)

२—कुछ मनुष्योंने एक नावको यह कहकर रोक लिया कि मजिस्ट्रेट रामपुर बलियाको उसकी आवश्यकता थी और फिर उसको लूट लिया और मल्लाहोंने कुछ सामना न किया,

तजवीज़ हुई कि वे बल सहित चोरी (सरका बिलजब्र) के अपराधी हुए थे क्योंकि चोरीका अपराध उस समय हुआ था कि जब मल्लाहोको अनीतिरोकका भय था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १९)

(३९१) जब पाच अथवा अधिक मनुष्य मिलकर जोरी करें अथवा करनेका उद्योग करे अथवा जब कि उन मनुष्योकी कुलसख्या जो जोरी अथवा जोरी का उद्योग मिलकर करते हो उन मनुष्योंकी सख्यासमेत जो वहां उपस्थित हो और उसके करने अथवा उद्योगमे सहायता करते हो, पाच अथवा पांचसे अधिक हों तो प्रत्येक मनुष्य जोरी करनेवाला अथवा उद्योग करनेवाला अथवा उसमें सहायता करनेवाला "डकैती" करनेका अपराधी कहलावेगा ।

डकैती.

१—जब हिन्दूलोगोने मिलकर एक बैल और दो गायोंको एक मुसलमानके अधिकारसे दूर कर दिया—उनका अभिप्राय यह न था कि वे अपना अनीतिलाभ (नाजायज फायदा) अथवा पशुओंके स्वामीको अनीतिहानि (नुकसान नाजायज) पहुँचावें, वरन् उनकी यह इच्छा थी कि वे पशुवध करनेसे बचजावें—तो तजवीज हुई कि उनके मध्ये डकैतीके अपराधमे विचार नही होसकता वरन् केवल बलवाका होसकता है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा २२)

(३९२) जो कोई मनुष्य जोरीका अपराध करे, उसको कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा—और यदि वह जोरी सर्वसाधारण मार्गपर सूर्योदय अथवा सूर्यास्तके मध्यमे कीजावे तो कैदकी मीआद चौदह वर्षतक होसकती है ।

जोरीका दण्ड.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नहीं है ।

बेतके दण्डके लिये (ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो ।)

१—जिस मनुष्यपर जोरीका अपराध प्रमाणित किया जावे वह चोट पहुँचाने (जरररसानी) का अपराधी नही ठहराया जासकता क्योंकि चोट पहुचाना जोरीका एक भाग है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ६५)

(३९३) जो कोई मनुष्य जोरीके अपराधका उद्योग करे उस मनुष्यको कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

जोरीके उद्योगका दड

टीप—दफा ३९२ के अनुसार है ।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो ।)

(३९४) यदि कोई मनुष्य जोरी करे अथवा जोरीके उद्योगमे किसी मनुष्यको जानबूझकर दुःख पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको तथा किसी दूसरे मनुष्यको जो उस जोरी करने अथवा जोरीके उद्योगमें साझीं हो जन्मभरके देशनिकालेका दंड अथवा कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

जोरी करनेमे जानबूझकर दु.ख (जरर) पहुँचाना.

टीप—दफा ३९२ के अनुसार है।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो।)

१—दफा ३०७ व ३९४ के दण्डोमे जन्मभरके देशनिकालेका दंड अथवा दशवर्षकी कठिन कैदका दंड दिया जावेगा १४ वर्षके लिये कालेपानीका दंड नही होसकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ४१)

(३९५) जो कोई मनुष्य डकैती करेगा, उसको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा कठिन कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

डकैती करनेका दण्ड.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नही है।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

१—जब बहुतसे हिन्दुओने मिलकर मजहबी जोशके कारण कुछ मुसलमानोपर आक्रमण करके सर्व साधारण सडकपर उनसे पशुओको छीन लिया तो तजवीज हुई कि हिन्दूलोग हिन्दुस्तानके दंडसंग्रहकी दफा ३९५ के अनुसार डकैतीके अपराधी है न कि केवल बलवाके। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा २९९)

(३९६) उन पाच अथवा अधिक मनुष्योमेंसे जो मिलकर डकैती करे, कोई एक मनुष्य उस डकैतीके करनेमें ज्ञातघातको करे, तो उनमेंसे प्रत्येक मनुष्यको वधका दंड अथवा जन्मभरके देशनिकालेका या कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

डकैतीके साथ ज्ञातघात.

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है।

१—जब डकैती करते समय कोई मनुष्य जानसे मारा जावे, तो यह बात विचारने योग्य न होगी कि वह डकैत, कि जिसपर इस दफाके अनुसार अपराध लगाया गया उस घरके भीतर था अथवा बाहर, जहां डकैती हुई थी अथवा यह कि उस वधका किया जाना घरके भीतर या बाहर

केवल उस सीमातक था कि जहांतक डाका डाला गया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफा ८६)

(३९७) यदि जोरी अथवा डकैती करनेके समय अपराधी किसी मृत्युकारक हथियारको काममें लाए अथवा किसी मनुष्यको भारी दुःख (जरर-शदीद) पहुँचाए अथवा किसी मनुष्यके वध करने या भारी दुःख पहुँचानेका उद्योग करे तो वह कैद जिसका दण्ड उस अपराधीको दिया जायगा सात वर्षसे कम न होगा।

जोरी अथवा डकैती मृत्यु करने अथवा भारी दुःख पहुँचानेके उद्योगके साथ

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है।

चोरी करते समय मृत्युकारी हथियारको काममें लानेसे चोरी जोरी होजाती है और वह अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३९७ के अनुसार दण्ड योग्य होगा चाहे उन चोरोंकी संख्या ५ हो अथवा कम। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ४९)

(३९८) यदि जोरी अथवा डकैती करनेके उद्योगके समय अपराधी किसी मृत्युकारक हथियारको लिये हो तो वह कैद जिसका दण्ड उस अपराधीको दिया जायगा सात वर्षसे कम न होगी।

मृत्युकारी हथियार बांधकर जोरी अथवा डकैतीका उद्योग.

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है।

(३९९) जो कोई मनुष्य डकैती करनेके लिये कोई तैयारी करे उसको कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

डकैती करनेके लिये तैयारी करना.

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है।

(४००) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके उपरांत ऐसे मनुष्योंके झुण्डमें साझी होगा जो परस्पर डकैती करनेके लिये मेल रखते हों तो, उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकाले अथवा कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

डकैतोंके झुण्डमें साझी होनेका दण्ड.

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है।

१—इस दफा ४०० के अनुसार अपराध ठहरानेके लिये इस बातके प्रमाणित होनेकी आवश्यकता है कि अमुक समयपर डाकुवोंका झुंड कि जिन्होंने डकैती करनेके अभिप्रायसे परस्पर मेल कर लिया था, उपस्थित था और अपराधी उस झुंडमें साझी था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा २३)

(४०१) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके उपरांत इधर उधर फिरनेवाले मनुष्योके झुण्डमें अथवा किसी और झुण्डमे साझी होगा जो चोरी अथवा जोरीके लिये परस्पर मेल रखते हों, परन्तु जो ठगों अथवा डाकुओंका झुण्ड न हो, तो उपरोक्त मनुष्यको कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

इधर उधर फिरनेवाले चोरोके झुण्डमे साझी होनेका दड.

टीप—दफा ३९२ के अनुसार है।

(४०२) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके पश्चात् उन पाच अथवा अधिक मनुष्योमेंसे होगा, जो डकैती करनेके लिये इकट्ठा हुए हों,—तो उस मनुष्यको कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

डकैती करनेके लिये इकट्ठा होना.

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है।

१—इस बातका प्रमाणित होजाना, कि अपराधी डाकुओंके गिरोहमेंसे एक मनुष्य था और उस गिरोहके अभिप्रायसे जानकार रहकर भी उसके साथ रहा करता था, दफा ४०२ का अपराध ठहरानेके लिये काफी है (वी० रि० जिल्द ७ सफा ९७)

मालके तसर्रुफ बेजा मुजरिमाना (अधर्मसे धनके अनीति व्यय करने) के वर्णनमें।

(४०३) जो कोई मनुष्य अधर्मसे, किसी स्थावर धनको अपने अनीति व्यय (तसर्रुफबेजा) मे अथवा अपने काममे लेआये, उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दड दिये जावेगे।

अधर्मसे धनका अनीति व्यय (बद दियानतीसे मालका तसर्रुफ बेजा)

उदाहरण।

(क) शिवशंकर, रमाशंकरके अधिकारमेसे रमाशंकरका माल ले और शुद्धभावसे उसके लेते समय यह निश्चय करता हो कि वह माल मेरा है तो इस अवस्थामे शिवशंकरने चोरी नहीं की, परंतु यदि शिवशंकर अपनी भूल जान लेनेके पश्चात् उस मालको अधर्मसे व्ययकर डाले तो वह उस अपराधका अपराधी है, जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है।

(ख) शिवशंकर जो रमाशंकरसे मित्रताका व्यवहार रखता है, रमाशंकरके पुस्तकालयमे उसकी गैरहाजिरीमें जाए और विना स्पष्ट आज्ञा रमाशंकरके एक पुस्तक लेजाए, तो इस अवस्थामे यदि शिवशंकरको यह निश्चय था कि पढनेके लिये पुस्तक लेनेकी मुझको रमाशंकरकी स्पष्ट आज्ञा प्राप्त है तो शिवशंकर चोरीका अपराधी नही है परतु यदि शिवशंकर इसके पश्चात् अपने लाभके लिये उस पुस्तकको वेच डाले तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है।

(ग) यदि शिवशंकर व रमाशंकर साझे किसी घोडेके मालिक हों और शिवशंकर घोडेको रमाशंकरके पाससे अपने काममें लानेके लिये ले जावे तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर उस घोडेको काममें लानेका अधिकारी है, इसलिये वह अधर्मसे उसको अनीतिव्ययमें नही लाता, परतु यदि शिवशंकर घोडेको वेच डाले और उसकी कीमतका सब रुपया अपने काममें ले आये, तो वह उस अपराधको अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामें कियागया है।

स्पष्टीकरण—१ अनीतिव्यय (तसर्रुफ़ वेजा) जो केवल कुछ समयके लिये अधर्मसे किया जाय, वह भी इस दफाके अनुसार अनीतिव्यय गिना जायगा।

उदाहरण।

शिवशंकरने एक गवर्नमेंट प्रामेसरी नोट जो रमाशंकरका माल था और जिसकी पीठपर बिक्रीकी इबारत बिना नामके लिखी थी, पाया, शिवशंकरने यह बात जानबूझकर कि यह नोट रमाशंकरका है, उसको किसी साहूकारके यहां इस अभिप्रायसे गहने रखदिया कि आगे किसी समय इसको रमाशंकरको फेर दूंगा, तो शिवशंकरने इस दफाके अनुसार अपराध किया।

स्पष्टीकरण—२ जो मनुष्य कोई माल जो किसी मनुष्यके अधिकारमे न हो पाये और उस मालको उसके मालिककी ओरसे प्रबन्ध करने अथवा उसके मालिकको लौटा देनेके लिये अपनी सिपुर्दगीमें लाए तो उपरोक्त मनुष्य उस मालको अधर्मसे अपनी सिपुर्दगी अथवा अनीतिव्यय (तसर्रुफवेजा) मे नहीं लाता, और न अपराधका अपराधी है—परन्तु वह मनुष्य उस अपराधका, जिसका लक्षण ऊपर कहा गया है अपराधी होगा - यदि वह उस मालको अपने कामके लिये अनीतिव्यय (तसर्रुफवेजा) मे लाए जब कि वह उसके मालिकको जानता हो अथवा उसके जान लेनेके उपाय रखता हो अथवा इससे पहिले कि, वह मालिकके ढूंढने और उसको सूचित करनेके उचित उपाय काममें ला चुका हो और एक उचित समय तक उस मालको अपनी सिपुर्दगीमें रक्खा हो जिससे कि मालिकको उसके दावा करनेका अवसर मिलता।

यह वात कि ऐसी अवस्थामे कौनसे उपाय वास्तवमे उचित हैं और कौनसा समय वास्तवमे उचित है, निर्णय करनेके योग्य होगी।

यह अवश्य नहीं है कि पानेवाला यह जाने कि उस मालका कौन मालिक है अथवा यह कि अमुक मनुष्य उसका मालिक है—वरन् इतनाही बहुत है कि मालको अपने व्ययमें

लाते समय वह यह निश्चय न करता हो कि यह उसका अपना माल है अथवा शुद्धभावसे यह निश्चय न करे कि उसका असल मालिक नहीं मिल सकता ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर सडकपर एक रुपया पाये और उसको यह जानकारी न हो कि यह किसका माल है, और शिवशंकर उस रुपयेको उठाले तो इस अवस्थामे शिवशंकर उस अपराधका करनेवाला नही हुआ, जिसका वर्णन इस दफामें कियागया है ।

(ख) शिवशंकर सडकपर एक चिट्ठी पाए और उसमें एक महाजनी हुंडी हो और लिफाफे तथा चिट्ठीकी लिखावटसे शिवशंकर जानले कि वह हुंडी अमुक मनुष्यकी है फिर शिवशंकर उसको अपने व्ययमे लाए, तो शिवशंकर एक अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ग) शिवशंकर एक रुक्का पाए, जिसका रुपया धनीको मिल सकता हो, परन्तु उसे यह निश्चय न होवे कि इसका खोनेवाला कौन है—तथापि जिस मनुष्यने रुक्का लिखा हो उसका नाम निकल आवे और शिवशंकर यह जानले कि इसका लिखनेवाला इसके मालिकका पता बतला सकेगा परन्तु फिरभी उसके ढूंढनेका कुछ उपाय किये विना उस रुक्केको अपने काममे ले आवे तो वह इस दफाके अनुसार अपराधका अपराधी है ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरके पाससे उसकी वसनी जिसमे रुपये हों गिरते देखे और शिवशंकर रमाशंकरको फेर देनेके अभिप्रायसे वसनीको उठा ले और उस वसनीको अपने कामके लिये व्ययमें लावे तो शिवशंकरने उस अपराधको किया जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

(च) शिवशंकर एक वसनी जिसमें रुपये हों पाये, यह न जानकरके कि वह किसका धन है, परन्तु पीछेसे जान लेवे कि वह रमाशंकरका धन है, और फिर उस वसनीको अपने काममे व्यय कर डाले तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

(छ) शिवशंकर एक बडे मोलकी अगूठी पाए, यह न जान करके कि वह किसका धन है और फिर उसके मालिकके ढूढनेका कोई यत्नकरके उसको तत्काल बेच डाले तो शिवशंकर एक अपराधका करनेवाला हुवा जिसका वर्णन इस दफामे कियागया है ।

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

१—जो सांड किसी मूर्ति या देवताके लिये छोडा जावे और स्वाधीनतापूर्वक फिरने दिया जावे वह इसलिये मिलकियत (धन) से खारिज नहीं है कि उस मन्दिरको जहां कि देवता अथवा मूर्तिकी पूजा होती है कुल अधिकार और जिम्मेदारियां उसके सम्बन्धमे प्राप्त हैं । (इंडियन ला रिपोर्ट मदरास जिल्द ११ सफा १४५)

२—एक मनुष्यको इस अपराधके मध्ये विचार होकर दण्डकी आज्ञा हुई कि उसने हिंदुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४११ के अनुसार यह अपराध किया था कि उसने अधर्मसे एक साडको यह जानबूझकर लिया कि उसके मध्ये तसर्रुफबेजा मुजरिमाना (अनीति व्यय) किया गया है। तजबीज हुई कि तसर्रुफबेजा (अनीति व्यय) करते समय वह साड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायानुसार "वस्तु (माल)" में नहीं गिना जा सकता था, क्योंकि पहले तो उसका कोई मालिकही नहीं रहा और दूसरे यह कि असली मालिकने अपने कुल अधिकार मिर्लाकियतके छोड दिये इसलिये ऐसे साडकी चोरी नहीं की जासकती है, और इसलिये अपराधी छोडा गया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफा ५१)

३—एक सरकारी नौकर था, जिसका यह काम था कि रुपया लेकर उसको खजानेमें रसीद लेनेके बाद जमाकरदे—उसने स्वीकार किया कि मैंने कई महीने तक रुपयेकी दो रकमें अपने यहां रक्खी, जब मुझे पकड जानेका भय हुवा तब मैने उनको खजानेमे दाखिल कर दिया और सदेह दूर करनेके लिये अपने रजिष्टरमें झूठमूठ इबारत लिखली—उसने अपने यहा रुपया रखनेका जो कारण बतलाया, उसपर साहब मजिस्ट्रेटने निश्चय नहीं किया और जिन्होने हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा ४०३ के अनुसार अनीति व्यय (तसर्रुफ बेजा) के अपराधमें उसका विचार किया—तजवीज हुई कि अपराधका विचार ठीक था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफा ४९)

४—हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९५ के अनुसार शब्द "वस्तु" मे जानदार वस्तुएँ नही गिनी जासकती—कोई साड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमे छोडा जावे, इस दफाके अभिप्राय के भीतर नहीं है और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छुपाकर गोश्त और चमडेके लोभसे मार डाले तो दफा २९५ के अनुसार कोई अपराध उन्होंने नही किया—और साड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रह की दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिप्रायके भीतर स्थावर धन नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफा ८५२)

५—अपराधीने सडकपर एक सोनेकी मुहर पाई—दूसरे दिन उसने उस मुहरको किसी सराफ के हाथ पूरे दामोपर बेचडाला और वह उसका रुपया अपने खर्चमें लाया—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि,—उन बातोके न मालूम होनेकी अवस्थामे, कि जिनमे उपरोक्त मुहर खोगई, और जो कि यह कदाचित् सम्भव हो कि उस मुहरका अधिकार असली मालिकने बिल्कुल छोड दिया हो, अपराधीको हिंदुस्थानके दडसग्रहकी दफा ४०३ के अनुसार अनीतिव्ययके अपराधमें दंड नहीं दिया जा सकता। इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफा २१२)

अधर्मसे किसीऐसे धन (माल)को व्यय (तसर्रुफ) कर डालना कि जो मरनेके समय किसी मरे हुए मनुष्यके अधिकारमें था.

(४०४) जो कोई मनुष्य कोई माल अधर्मसे अपने अनीति व्यय अथवा काममें यह जानकर लाए कि वह माल किसी मनुष्यके मरते समय उस मरे हुएके अधिकारमे था और यह कि वह माल उस समयसे किसी ऐसे मनुष्यके अधिकारमें नहीं रहा है। जो उस अधिकारका कानूनानुसार अधिकारी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी

मीआद तीनवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा और यदि अपराधी उस मरे हुए मनुष्यकी ओरसे उसके मरनेके समय गुमास्ता अथवा नौकर हो-तो कैदकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर कुछ माल और रुपयेपर अधिकारी होनेकी अवस्थामें करजाए और रमाशंकर उसका नौकर, इसके पहिले कि वह रुपया किसी ऐसे मनुष्यके अधिकारमें आजाए जो उस अधिकारका अधिकारी है, उपरोक्त रुपयेको अधर्मसे अपने अनीतिव्यय (तसर्रुफ बेजा) में लाए तो इस अवस्थामें रमाशंकरने वह अपराध किया, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४०४ अस्थावर धन (गैर मनकूला माल) से सम्बन्ध नहीं रक्खेगी । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ६ सफा ३३)

२—कोई मनुष्य उस रुपयेके अनीतिव्यय करडालनेमें दफा ४०४ के अपराधका अपराधी होगा, जिसको मरे हुए मनुष्यने उसकी सिपुर्दगीमें रक्खा हो चाहे उस रुपयेको वह अपने काममें न लाया हो । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा १)

दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) के बयानमें ।

दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना.)

(४०५) कोई मनुष्य जिसको किसी प्रकारसे कोई माल अथवा किसी मालका प्रबंध धरोहरकी रीतिपर (अमानतन) सिपुर्द हो, कानूनकी किसी आज्ञाको जिसमें ऐसी सिपुर्ददारीके वर्तनेकी रीति ठहराई गई हो अथवा किसी प्रगट या अप्रगट उचित कौल करारको,जो उस सिपुर्ददारीके मध्ये वह करचुका हो तोडकर उस मालको अधर्मसे व्यय करेगा अथवा अपने काममे लावेगा अथवा अधर्मसे उससे काम निकालेगा अथवा अलग करेगा अथवा जानबूझकर किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा करने देगा तो वह दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी कहलावेगा ।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने जो किसी मरेहुए मनुष्यके मालका अधिकारी था, उस कानूनका उल्लंघन करके जिसमें उसको आज्ञा थी कि वसीअतनामेके अनुसार माल असबावको बाट दे, अधर्मसे उस माल असवावको अपने काममें व्यय किया, तो शिवशंकरने दण्ड योग्य विश्वासघात किया।

(ख) शिवशंकर गोदामका मालिक हो और रमाशंकर, जो देशाटनको जाता हो शिवशंकरको अपना असबाब इस नियमपर सौंपजाय कि जिस समय गोदाम करके मध्ये भाडेका इतना रुपया दे दियाजाय उसे कुल असबाब लौटा दिया जायगा—और शिवशंकर उस असबाबको अधर्मसे बेच डाले तो शिवशंकरने दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) किया।

(ग) यदि कलकत्तेका रहनेवाला शिवशंकर देहलीके रहनेवाले रमाशंकरका गुमाश्ता न हो और उन दोनोंमें प्रगट अथवा अप्रगट रीतिसे यह कौल करार हो कि रमाशंकर जो रुपया शिवशंकरको हुंडी करे उसको शिवशंकर रमाशंकरकी आज्ञाके अनुसार लाभके लिये लगाले—रमाशंकर एक लाख रुपया इस आज्ञासे शिवशंकरके पास हुडी करे कि शिवशंकर उसको कम्पनीके प्रामेसरी नोटके मोल लेनेमें लगावे परतु शिवशंकर अधर्मसे उस आज्ञाके विरुद्ध अपने काममे व्ययकरे तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानतमुजरिमाना) का अपराधी होगा।

(घ) परतु ऊपरके पिछले उदाहरणमें यदि शिवशंकर अधर्मसे नही वरन् शुद्धभावसे यह निश्चय करके कि बेंक बंगालके हिस्से मोललेना रमाशंकरके लिये अधिकतर लाभदायक होगा—रमाशंकरकी आज्ञाके विरुद्ध करे और बेंकके प्रामेसरी नोट मोल लेनेके बदले बेंक बंगालके हिस्से रमाशंकरके नाम मोल ले तो इस अवस्थामे यद्यपि रमाशंकर हानि उठावे और उस हानिके मध्ये शिवशंकर पर दीवानीमे नालिश करनेका अधिकारी हो तथापि जो कि शिवशंकरने अधर्मसे वर्त्ताव नही किया इसलिये शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघातका अपराधी नहीं है।

(च) यदि शिवशंकर जो सरिश्ते मालका ओहदेदार है सरकारी रुपयेका सिपुर्ददार हो और उस पर चाहे कानूनकी आज्ञाके अनुसार चाहे किसी कौलकरारके अनुसार जो गवर्नमेंटके साथ प्रगट अथवा अप्रगट रीति पर हुआ हो, उचित हो कि वह कुल रुपया सरकारी जो उसके अधिकारमे है किसी मुख्य खजानेमें दाखिल करे—परन्तु शिवशंकर उस रुपयेको अधर्मसे अपने व्ययमें लाए तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमानाका) अपराधी है।

(छ) रमाशंकरकी ओरसे, शिवशंकरको जो माल व असबाब पहुँचानेका पेशा रखता है, कोई माल धरोहरकी रीतिपर सिपुर्द किया गया कि वह उसे थल अथवा जलके मार्गसे पहुँचा दे और शिवशंकर उस मालको अधर्मसे अपने काममें व्यय कर डाले तो शिवशंकर दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी होगा।

१—यदि कोई मनुष्य किसी रुपयाको जो उसने किसी विशेष काममें व्यय करनेके लिये पाया हो उस काममें व्यय न करे और उसका हिसाब मॉगेजानेपर हिसाब देनेसे नाहीं करे अथवा झूंठ हिसाब दे तो वह दण्ड योग्य विश्वासघातका अपराधी होगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफा २८)

२—नाजिर एक बडे सरिश्तेका अफसर है और जिस कामके मध्ये वह रिपोर्ट करे अथवा उसको स्वीकार करे उसकी सचाईका जिम्मेदार है और वह अपनी जिम्मेदारीसे इस बात पर नहीं बच सकता कि उसके मुहर्रिरने उसको धोखा दिया था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १०९)

(४०६) जो कोई मनुष्य दंड योग्य विश्वासघातको करे, उसको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

दंड योग्य विश्वास घात(खयानत मुजरिमाना का दंड.)

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० मजिस्ट्रेट या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीपर जो सब इन्स्पेक्टर पोलीस था, इसबातका अपराध लगाया गया कि उसने एक घोडा कांजीहौसमेसे मोल लिया था—तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेटको ऐक्ट १ सन् १८७१ ई० की दफा १९ व हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १६९ के अनुसार वर्त्ताव करना चाहिये था, उसपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४०६ के अपराधमें दड होना चाहिये था । (वी० रि० जिल्द १६ सफा ५१)

(४०७) यदि कोई मनुष्य, जिसको ढोईदार या घटवार या गोदामके मालिककी रीतिसे कोई माल सिपुर्द हो, उस मालके मध्ये दड योग्य विश्वास घात (खयानत मुजरिमाना) का अपराध करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

मालपहुँचानेवाले (ढोई दार) और घटवार इत्यादिकी ओरसे दण्डयोग्य विश्वासघात.

टीप—(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४०८) कोई मनुष्य जो गुमाश्ता अथवा नौकर हो या जो गुमाश्ता अथवा नौकरके कामपर तैनात हो और जिसको किसी प्रकार गुमाश्ता अथवा नौकरके कामके कारण कोई माल अथवा किसी मालका प्रबन्ध धरोहरकी रीतिपर (अमानतन) सिपुर्द हो, उपरोक्त मालके मध्ये दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी हो, तो उपरोक्त

गुमाश्ते अथवा नौकरकी ओरसे विश्वासघात.

मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ४०६ के अनुसार है ।

१—जब एक सब इन्स्पेक्टरने जिसकी चौकसीमे कुछ सरकारी रुपया था वह रुपया अनुचित रीतिपर एक कानिस्टेबिलकी सिपुर्दगीमे रख दिया और अपनेको हानिसे बचानेके अभिप्रायसे निजकी तौर पर उस कानिस्टेबिलसे जमानत लेली और उपरोक्त कानिस्टेबिल अधर्मसे उस रुके को अपने काममे ले आया, यद्यपि फिर उसने पीछेसे उस रुपयेको लौटा दिया—हाईकोर्टने मुकद्दमेको दफा ४०८ (न कि दफा ४०९ के अनुसार समझा और अपराधीको १० वर्षके काले पानी और ५००) रु० जुर्मानेके दडके स्थानपर बिनाजुर्माना एकवर्षकी कठिन कैदका दड दिया। (वी० रि० जिल्द ८ सफा १)

२—जब कोई नौकर किसी विशेष कामके लिये कुछ रुपया पावे और वह उसी काममे वह रुपया न लगावे और जब उससे उपरोक्त रुपयेका हिसाब मांगाजावे तो वह झूठ मूठ यह कहे कि उसने उस रुपयाको उसी काममें ल्याया है तो ऐसी अवस्थामे उपरोक्त मनुष्य दफा ४०८ के अनुसार अपराधका अपराधी होगा (ब० ला० रि० जिल्द १ सफा २१)

(४०९) जो कोई मनुष्य किसी भांति सिपुर्ददार किसी मालका अथवा मालके प्रबन्धका सरकारी नौकरीके कारण अथवा महाजन या सौदागर या आढतिये या दलाली या कारिन्दगरीके कारण हो कर उस मालके मध्ये दण्ड योग्य विश्वासघात करेगा उसको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

सरकारी नौकर या महाजन या सौदागर या आढतिये की ओरसे विश्वासघात.

टीप—दफा ४०७ के अनुसार है ।

१—अपराधीने उस निश्चयको जो सरकार उसके मध्ये रखती थी पूरा कर दिया, और उस का कुछ समय तक रुपयेका रोकना, दफा ४०९ के अनुसार अपराधमें न गिना जायगा जबतक कि अधर्मकी गवाही न पाई जावे। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफा २५६)

२—एक कानिस्टेबिल एक घरकी चौकसी करता था, जिसमें सरकारी माल रक्खा था उसने उस घरसे वह माल चुरा लिया—तजवीज हुई कि अपराधीको हिन्दुस्तानके दडसग्रहकी दफा ३८० के अनुसार दड देना चाहिये था नकि दफा ४०९ के अनुसार। (वी० रि० जिल्द ३ सफा ३०)

चोरीका माल लेनेके बयानमें।

(४१०) वह माल कि जिसपर चोरी अथवा दबाकर लेने अथवा जोरीसे, अधिकार किया गया हो और वह माल, कि जो दंड योग्य अनीतिव्यय (तसर्रुफ़ बेजा मुजरिमाना) मे लाया गया हो अथवा जिसके मध्ये दंडयोग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराध किया गयाहो "चोरीका माल" कहा जायगा—चाहे वह चोरी अथवा जोरी या अनीतिव्यय या दंड योग्य विश्वासघात ब्रिटिश इंडियाके भीतर हुवा हो अथवा बाहर,—परन्तु वह माल यदि पीछेसे उस मनुष्यके अधिकारमें आजाए कि जो उसके आधिकारका उचित रीतिपर अधिकारी है तब फिर वह माल "चोरीका माल" न कहा जावेगा।

चोरीका माल (मालमसरूका.)

१—जो रुपया जाली मनीआर्डरोंके द्वारा प्राप्त किया जावे वह दफा ४१० मे लिखे हुए चोरीके मालमे न गिना जायगा। (वी० रि० जिल्द २४ सफा ३३)

२—जब कोई हिन्दू किसी रिश्तेदारके मरनेके उपरांत कोई सांड अपने हिन्दूधर्म शास्त्रके अनुसार मृतककी आत्माके सुखके लिये स्वाधीन करदेता है, तब उसके पश्चात् वह उसका धन नहीं रहता—जो कोई अधर्मसे उसको अपने अधिकारमे लाए उसपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४१० व ४११ का अपराध नहीं ठहर सकता। इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ९ सफा ३४८)

(४११) जो कोई मनुष्य कोई चोरीका माल यह जानकर अथवा निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह माल चोरीका माल है अधर्मसे ले अथवा ले रक्खे उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेगे।

अधर्मसे चोरीके मालको लेना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनहीं है।

१—अधर्मसे चोरीका माल लेना चोरीके अपराधके समान नहीं है, इसलिये दफा ४११ के अपराधमें बेतका दण्ड देना अनुचित है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६२६)

२—यह बात कानूनके विरुद्ध है कि किसी मनुष्यपर चोरीमें सहायता करनेका अपराध प्रमाणित किया जावे और साथही उसके उसपर चोरीका माल लेनेका अपराध ठहराया जावे। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३७९)

३—किसी अपराधीकी एकही तजवीज दफा ४११ के अपराधके मध्ये (चोरीका माल लेने) व दफा ४१३ (आदतन चोरीकी जायदाद लेने) के मध्ये नहीं हो सकती । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ६३४)

४—जब कोई मनुष्य दफा ४११ के अपराधका अपराधी ठहराया जावे तो इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि उस मनुष्यने उस मालको चोरीका माल समझकर अधर्मसे लिया, विना इस बातके प्रमाणित हुए, केवल इसही बातपर कि वह उपरोक्त माल अपराधीके अधिकारमे है, अपराधी पर दफा ४११का अपराध नहीं ठहराया जा सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा २२४)

५—एक पानी पीनेका गिलास अक्टूबर सन् १८८३ ई० में चुराया गया और सितम्बर सन् १८८४ ई० मे अपराधीके यहा निकला—अर्थात् उसके अधिकारमें ग्यारह महीनेतक चोरी हो जानेके उपरान्त रहा—इसलिये यह कयास अपराधीके विरुद्ध इतना कम होजाता है कि केवल इसी बातपर उससे यह भी नही पूँछा जाना चाहिये कि, वह चोरीका माल उसके अधिकारमें कैसे आया—यह बात कि किन २ अवस्थाओंमें वर्तमानका अधिकार विचारा जाना चाहिये । एक ऐसी बात है जिसका फैसला चोरीके मालके ऊपर होना आवश्यकीय काम है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ११ सफा १६०)

६—पोलीसको, विना कानूनी सूचनाके, ऐसे मनुष्यको पकडने (गिरफ्तार) का अधिकार है कि जिसके यहा चोरीका माल पाया जावे—पोलीसको किसी ऐसे घरकी तलाशी करनेका भी अधिकार है कि जिसमे चोरीका माल होनेका संदेह होवे । (बी० रि० जिल्द ८ सफा २८)

७—जब मिसलमें इस बातकी गवाही न हो कि वह माल, कि जिसके लेनेके मध्ये अपराधीपर दफा ४११ का अपराध ठहराया गया है, वास्तवमें चोरीका माल है—तब अपराधीको इस दफाके अपराधमें दंड नहीं दिया जाना चाहिये । (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा १८७)

८—एक मनुष्यकी विरुद्ध, कि जिसपर हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा ४११ का अपराध लगाया गया था, केवल इस बातकी गवाही थी कि अपराधीने स्वयं वह स्थान बतला दिया कि जहा कुछ चोरीका माल किसी दूसरे मनुष्यके खेतमें छुपा रक्खा था—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि ऊपर लिखी हुई दफाके अपराधमें दंड देनेके लिये केवल इतनीही गवाही काफी न समझी जावेगी इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफा ५७६)

९—दफा ४११ का अपराध प्रमाणित करनेमें यह बात स्पष्ट २ मालूम होना चाहिये कि जो माल अपराधीके यहा था उसका स्वामी (मालिक) अमुक मनुष्य था । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा ९५)

१०—जिस मनुष्यको किसी मालके मध्ये दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) के अपराधमे हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ४०९ के अपराधमें दंड हो चुका हो उसको उसी

मालके मध्ये दफा ४११ के अपराधमे दूसरा दण्ड नहीं दिया जा सकता । रिपोर्टर हाईकोर्ट पश्चि-मोत्तर देश जिल्द ३ सफा ३१२)

११—जो मनुष्य डकैतीके अपराधमें दण्ड पा चुका हो वह उसी मालके मध्ये चोरीका माल लेनेका अपराधी नही ठहराया जा सकता । (वीक्ली रिपोर्टर सन् १८६४ ई० सफा २७)

१२—चोरने (अ) का माल चुराकर (ब) के यहां रेहन रख दिया जिसने वह माल बिना किसी अधर्मसे रख छोडा—चीफकोर्टने वह माल ऐक्ट ८ सन् १८६९ ई० की दफा १३२ के अनुसार (अ) को लौटवा दिया । (पजाब रिकार्ड न ३७ सन् १८७० ई०)

१३—जाब्ता फौजदारी ऐक्ट २५ सन् १८६१ की दफा ३२ के अनुसार मजिस्ट्रेटको किसी ऐसे दफा ४११ के अपराधीका विचार करनेका अधिकार नही है जो दूसरी रियासतका रहनेवाला है । परंन्तु जब कि चोरीका माल लेनेका अपराध सरकारी राज्यसे बाहर हुआ हो । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ४ सफा ३८)

१४—यदि कोई कम अवस्थाका मनुष्य अपनी कम अवस्थाके कारण हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रह-की दफा ८५ के अनुसार कैदसे छूट जावे तो इस बातपर वह मनुष्य जो उस चोरीके मालको उस कम अवस्थावाले चोरसे लेवे, दफा ४११ के अपराधमें दण्ड पानेसे नही छूट सकता । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा ३७३)

जो माल डकैतीमे चुराया गया हो, उसे अधर्मसे लेना.

(४१२) जो कोई मनुष्य कोई चोरीका माल अधर्मसे ले अथवा ले रक्खे, जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह डकैतीके द्वारा प्राप्त किया गया है अथवा किसी मनुष्यसे जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह डाकुओंके समूहमे साझी है अथवा साझी रहा है, कोई माल अधर्मसे ले जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड अथवा कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसक्ती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नहीं है ।

(बेतके दडके लिये ऐक्ट न० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

कुछ मनुष्योंके यहां, जो अगरेजी राज्यके रहनेवाले नही प्रमाणित किये गए थे, रियासत हिन्दुस्थानमे डकैतीका माल पाया गया कि जो डकैती अंगरेजी राज्यमे की गई थी, उनका डकैतीमें साझी होना नही प्रमाणित किया गया और कोई गवाही इस बातकी नही पाई गई कि उन्होंने कोई चोरीका माल ब्रिटिश इडियामें प्राप्त किया अथवा रक्खा उन्हे ५१२ के अपराधमे दड दिया गया—तजवीज हुई कि अगरेजी राज्यके भीतर किसी अपराधका किया जाना प्रमाणित नहीं है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ९ सफा ५२३)

(४१३) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा माल जिसको वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है स्वाभाविक (आदतन) लिया करता हो, उस मनुष्यको जन्मभरके देशनिकालेका दंड अथवा दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

स्वाभाविक (आदतन) चोरीके मालका व्यवहार करना.

टीप—दफा ४१२ के अनुसार है।

(बेतके दंडके लिये ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

१—कोई मनुष्य स्वभावसेही चोरीका माल लेनेवाला नहीं कहलाया जासकता जब कि उसने कुछ चोरियोका माल कुछ चोरोंसे एकही दिनमें लिया हो दफा ४१३ का अपराध ठहरानेमें यह प्रमाणित करना चाहिये कि अलग २ की चोरियोंका माल अलग २ समयोंपर लिया गया। इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा १९०)

(४१४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मालको छुपाने अथवा अलग करने अथवा नष्ट करनेमे जानबूझकर सहायता करे, जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

चोरीका माल छुपानेमें सहायता देना

टीप—दफा ४११ के अनुसार है।

१—अपराधी हि० द०.की दफा १९३ (झूठी गवाहीके बनाने) के अपराधमे व दफा ४१४ (चोरीका माल छुपाने) के अपराधमें अर्थात् दोनो अपराधोंमें अलग अलग दंड पा सकता है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २-सफा ३७९)

छल (दगा) के विषयमे।

(४१५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको धोका देकर उस धोखा खानेवाले मनुष्यको छलसे अथवा अधर्मसे ऐसा फुसलावे कि वह कोई माल किसी मनुष्यको देदे अथवा इस पर प्रसन्नता प्रगट करे कि कोई मनुष्य कोई माल ले रक्खे अथवा धोखा खानेवाले मनुष्यको किसी ऐसे कामके करने अथवा न करनेके लिये जानबूझकर फुसलावे, जिसको वह कभी न करता

छलना.

अथवा करनेमे न चूकता, जब कि उसको इस प्रकार धोखा न दिया जाता और जो काम अथवा चूक उस मनुष्यके शरीर या चित्त या नेकनामी या मालको हानि पहुँचाए अथवा उसका पहुँचना अति सम्भवित हो, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने छल किया।

स्पष्टीकरण—अधर्मसे किसी बातको छुपाना एक धोखा देना है जो इस दफ़ाके अर्थमे गिना जासकता है।

उदाहरण।

(क) देवदत्त झूँठ प्रतिज्ञा किया हुआ मुल्की नौकर बना और यज्ञदत्तको जानबूझकर धोखा दिया और उस धोखेके कारण अधर्मसे कुछ माल जिसके लौटानेकी इच्छा न थी यज्ञदत्तसे उधार लिया तो देवदत्तने छल किया।

(ख) शिवशंकर किसी वस्तुपर कोई झूठा चिह्न लगाकर जानबूझकर धोखा देके रमाशंकरको यह निश्चय कराए कि वह वस्तु अमुक नामवर कारीगरकी बनाई हुई है और इस प्रकार पर अधर्मसे रमाशंकरको उपरोक्त वस्तुके मोल लेने और दाम देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको किसी वस्तुका झूठा नमूना दिखाकर जानबूझकर धोखा देके रमाशंकरको यह निश्चय कराये कि वह वस्तु नमूनाके अनुसार है और इस प्रकार रमाशंकरको उसके मोल लेने और दाम देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया।

(घ) यदि शिवशंकर किसी वस्तुके मोलमे किसी कोठीपर जिसमे शिवशंकरका रुपया जमा नहीं है, एक बिल पेश करे, और उसको यह निश्चय हो कि उस कोठीमे यह बिल न पटेगा, और इस प्रकार रमाशंकरको जानबूझकर धोखा दे और इस प्रकारसे उसको, उपरोक्त वस्तुके देनेके अधर्मसे फुसलावे और उसका मोल न देना शिवशंकरकी इच्छामे हो तो शिवशंकरने छल किया।

(च) यदि शिवशंकर ऐसी वस्तुओको हीरोके समान गिरोरखकर, जिनको वह जानता है कि हीरा नहीं है, जानबूझकर रमाशंकरको धोखा दे और इस प्रकार रमाशंकरको रुपया ऋण देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया।

(छ) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि जो रुपया तू मुझको ऋण देगा उसके चुकानेकी मैं इच्छा रखता हूँ और इस प्रकारसे रमाशंकरको अधर्मसे रुपया ऋण देनेके लिये फुसलावे, और शिवशंकरकी रुपया चुकानेकी इच्छा न हो, तो शिवशंकरने छल किया।

(ज) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि मैं तुझको इतनी नीलकी लांक दूंगा जिसका देना उसकी इच्छामें न हो और उसके द्वारा इस देनेके निश्चय पर रमाशंकरको कुछ रुपया पेशगी देनेके लिये अधर्मईसे फुसलावे तो शिवशंकरने छल किया।

परन्तु यदि रुपया लेते समय नीलकी लांकका देना शिवशंकरकी इच्छामें हो और इसके पीछे वह अपना करार तोड डाले और नीलकी लाक न दे तो वह छल नही करता है परन्तु करार तोडनेके मध्ये उसपर केवल दीवानीमें नालिश होसकती है।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि मेरे और तेरे बीचमे जो वचन हुआ था उसके मध्ये मैंने अपना इकरार पूरा किया, जिसको उसने पूरा न किया हो और इस प्रकार अधर्मसे रमाशंकरको रुपया देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया।

(ट) शिवशंकर कोई जायदाद रमाशंकरके हाथ बेचे और उसके नाम लिखा पढी करदे और फिर यह जानकर कि बेचनेके कारण उस मालमे मेरा कुछ अधिकार नही रहा, बिना इस बातके प्रगट किये कि रमाशंकरके हाथ पहिले यह जायदाद बिक चुकी है उमाशंकरके हाथ उसको बेच दे अथवा रेहन कर दे और उमाशंकरसे बेच अथवा रेहनका रुपया ले ले, तो शिवशंकरने छल किया।

१—(अ) ने अपनेको झूठ मूठ (ब) बनाकर एक यूनिवर्सिटी इम्तिहानका (ब) के नामसे टिकट लिया—और प्रश्नोत्तरके पर्चोंके सिरनामेंपर (ब) के नामके हस्ताक्षर किये तजवीज हुई कि (अ) ने जाल तथा छलका अपराध किया (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफा १५१)

२—एक मनुष्यने किसी जिलेकी पोलीसमें, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिन्टेन्डेन्ट पोलीसको ऐसी बातें बतलाकर जिन्हे वह झूठ जानता था, भरती होनेका यत्न किया—तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्यने कोई अपराध हिंदुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा १७७ या १७८ अथवा छलके अपराधका उद्योग दफा ४१५ के अनुसार नही किया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ६७)

३—जब अपराधी दो लडकियोंको मोल लेकर एक दूसरे जिलेको लेआये और यह कर कि वे ऊची जातकी लडकिया थी उनका ब्याह दो राजपूतोंके साथ कर दिया और उनसे कुछ रुपया ले लिया, तब तजवीज हुई कि उनके ऊपर दफा ३७३ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता था वरन् वे दफा ४१५ व ४१६ के अपराधके अपराधी थे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ९५)

(४१६) जब कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यका मिस करके कि वह कोई और मनुष्य है, अथवा जानबूझकर एक मनुष्यको कोई दूसरा मनुष्य बना करके अथवा अपने आपको या किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा मनुष्य प्रगट करके कि जो वह स्वय अथवा दूसरा मनुष्य न हो छल करे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरा मनुष्य बनाकर छल किया।

दूसरा मनुष्य बनकर छल करना.

स्पष्टीकरण—जिस मनुष्यका मिस कियागया वह चाहे सचमुच हो चाहे मनसे बना लिया गया हो, तो भी यह अपराध हो सकेगा।

उदाहरण।

(अ) शिवशंकरने अपनेको अपने नामवाले किसी धनवान कोठीवालेका मिस करके छल किया तो कहा जायगा कि शिवशंकरने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया।

(ई) रमाशंकर यह बनकर छल करे कि मैं शिवशंकर हू और शिवशंकर एक मराहुआ मनुष्य हो तो रमाशंकरने दूसरा मनुष्य बन कर छल किया ।

१—अपराधीने एक दूसरे मनुष्यसे कहा कि, अमुक लडकी ब्राह्मणकी बेटी है, यद्यपि वास्तव में वह शूद्री थी, और वह कहकर उस मनुष्यको बहँकाया कि वह अपराधीको कुछ रुपया देकर उस लडकीका ब्याह अपने भाईके साथ करले तजवीज हुई कि अपराधीने दफा ४१६ के अनुसार छल करनेका अपराध किया था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १६ सफा ४१)

(४१७) जो कोई मनुष्य छल करे उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेंगे ।

छल करनेका दंड.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने अपनेको अफसर पोलीस कहकर गांवके लोगोसे कुछ रुपया ले लिया—तजवीज हुई कि अपराधीने छल करनेका और झूठे तौरपर अफ्सर पोलीस बननेका अपराध किया था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा २९)

२—जो मनुष्य रेल गाडीके छोटे क्लासका किराया देकर बडे क्लासकी गाडीमें बैठ जावे वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४१७ का अपराधी नही हो सकता वरन् वह रेलवे ऐक्टके अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बबई जिल्द १ सफा १४०)

३—यदि कोई चौकीदार किसी मनुष्यसे, छल की रीतिपर बहँकाकर अथवा अधर्मसे अथवा उस मनुष्यको दुःख पहुँचानेका डर दिखाकर, कुछ रुपया लेवे तो वह छल करनेके अपराधमें दफा ४१७ अथवा दवाकर लेनेके अपराधमे दफा ३८३ व ३८४ के अनुसार दंड योग्य होगा । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ३२)

(४१८) जो कोई मनुष्य यह जानबूझकर छल करेगा कि इससे अनीति हानि उस मनुष्यको होनी अति सम्भवित है जिसके स्वार्थकी रक्षा करनी उस पर उसी विषयमें जिससे वह छल सम्बन्ध रखता हो कानूनकी आज्ञानुसार अथवा किसी कानूनी कौल करारके अनुसार अवश्य है—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

छल करना यह, जान कर कि उससे किसी मनुष्यको अनीतिहानि पहुँचे जिसकी स्वार्थकी रक्षा करना उस अपराधी पर अवश्य है.

टीप—दफा ४१७ के अनुसार है ।

(४१९) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर छल करेगा, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

दूसरा मनुष्य बनकर छलना

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१-यदि कोई मनुष्य अपनेको दूसरा मनुष्य प्रगट करके गवाही दे, तो उसपर झूठी गवाही देनेका अपराध दफा १९३ के अनुसार ठहराना चाहिये, न कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४१९ के अनुसार। (रि० हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा ८९)

२-एक मनुष्यने जिसका नाम ऐसू था अपराधीको चार आने इस अभिप्रायसे दिये कि वह उसके लिये एक स्टाम्पका कागज मोललावे-जब स्टाम्प कलक्टरने अपराधीसे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बतानेके बदले ऐसूका नाम बताया-तजवीज हुई कि यह अपराध हिन्दुस्थानकी दण्डसंग्रहकी दफा १९७ के अनुसार झूठी खबर देनेका हुआ न कि दफा ४१९ के अनुसार छलनेका। (वी० रि० जिल्द ३ मद्रास ४२)

३-अपराधीने इश्तिहार दिया कि अंग्रेजी शब्दोंका कोष बनाया हुआ राबर्ट एस विल्सन एम, ए का तैयार है जिसका मूल्य २॥) है तलाशसे जाना गया कि अपराधीके पास कोई ऐसी पुस्तक बेचनेके लिये नहीं थी-तजवीज हुई कि अपराधीने जाल व छलका अपराध किया था। इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा २७)

(४२०) जो कोई मनुष्य छलकरे और उसके द्वारा धोखा खानेवाले मनुष्यको अधर्मसे फुसलावे कि वह कोई माल किसी मनुष्यको दे दे अथवा किसी किफालतुलमालके कुल या किसी भागको अथवा किसी वस्तुको जिसमे कोई दस्तखत अथवा मुहर हो अथवा जो किफालतुलमाल बन सकती हो, बनाए या बदले या नष्ट करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

छल और अधर्मसे माल दिला देना.

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१-अपराधीने मुहकमे अकालके अफसरसे कुछ चावल सोलह सेर फी रुपयाके भावसे मोल लिये और उसने प्रतिज्ञा की कि वह उसको पन्द्रह सेरके भावसे बेचेगा, परतु उसने वह चावल बारह

सेरके भावसे बेच डाले, इसलिये वह दफा ४२० हि० द० का अपराधी ठहराया गया तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २४ व २४ के अनुसार किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा लाभ नही हुआ इसलिये कोई अपराध हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा ४१५ के अनुसार नही किया गया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २२ सफा ८२)

छल छिद्र दस्तावेजों और छलछिद्रसे माल अलग करनेके विषयमें ।

साहूकारोमें बँटजानेसे बचानेके लिये मालको अलग कर देना अथवा छुपाना.

(४२१) जो कोई मनुष्य विना लेने उचित एवज (बदला) के कोई माल अधर्मसे अथवा छलसे दूर करे अथवा छिपाए अथवा किसी मनुष्यको सिपुर्द करे या देवे या दिलावे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसभवित जानकर कि उसके द्वारा उपरोक्त माल उसके साहूकारो अथवा किसी दूसरे मनुष्यके साहूकारोमेंसे बीचमे कानूनके अनुसार बँटजानेके लिये रुकजावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दड या दोनों दड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० थीं म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नही है ।

किसी ऋण अथवा तगादेको अपने साहूकारोको मिलनेसे अधर्म करके रोकना.

(४२२) जो कोई मनुष्य किसी ऋण अथवा तगादेको, जो उसका अपना अथवा किसी दूसरे मनुष्यका पाना हो अपने ऋण अथवा उस दूसरे मनुष्यके ऋणके अदा होनेके लिये कानूनके अनुसार लिये जानेमे छल अथवा अधर्मके साथ रोके तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दड या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा ४२१ के अनुसार है ।

अधर्मसे किसी दस्तावेज आदिका लिखना जिसमे मोलकी तादाद झूँठी लिखी हो.

(४२३) जो कोई मनुष्य अधर्म अथवा छलसे किसी ऐसे दस्तावेज या लेख पर दस्तखत करे अथवा उसको लिखे अथवा लिखानेवालोंमेंसे एक बने जिस दस्तावेज या लेखमे यह लिखावट हो कि कोई माल अथवा उपरोक्त मालका अधिकार उसके द्वारा बदल जावे अथवा उसपर कोई खर्च पडे और जिसमें कोई झूँठ बयान उस उपरोक्त बदलने अथवा खर्चके मोलके मध्ये लिखा

हो अथवा वह झूठ बयान उस मनुष्य अथवा उन मनुष्योंसे सम्बन्ध रखता हो जिसके अथवा जिनके वर्त्ताव या लाभके लिये उसका काममे आना आवश्यकीय है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दड दिये जावेंगे।

टीप—दफा ४२१ के अनुसार है।

मालको अधर्मसे दूर करना अथवा छुपाना.

(४२४) जो कोई मनुष्य अपना अथवा किसी दूसरे मनुष्यका कोई माल अधर्म अथवा छलसे छुपाये या दूरकरे या उसके छुपाने अथवा दूर करनेमें अधर्म या छलसे सहायता करे, अथवा अपना कुछ उचित तगादा या दावा अधर्मसे छोड दे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दड या दोनों दड दिये जावेंगे।

टीप—दफा ४२१ के अनुसार है।

हानि पहुँचाने (नुकसानरसानी) के बयानमें।

हानि पहुँचाना

(४२५) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे अथवा इस बातका होना अति सम्भवित जानकर कि सर्व साधारणको अथवा किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा हरजा पहुँचाए, किसी वस्तुके नष्टका अथवा किसी वस्तुके ऐसे वदलने अथवा उसके स्थानके ऐसे वदलनेका कारण हो जिससे उसकी वस्तु अथवा काममें आनेकी योग्यता नष्ट हो जाए अथवा कम हो जाये अथवा जिससे उसपर हानि पहुँचती हो तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने हानि पहुँचानेका अपराध किया।

स्पष्टीकरण—१—हानि पहुँचानेके अपराधमें यह कुछ अवश्य नहीं है कि उस वस्तुके मालिकको, जिसे हानि पहुँचाई गई अथवा जो नष्ट हो चुकी, हानि अथवा हरजा पहुँचाना अपराधी की इच्छामें हो, वरन इतनाही बहुत है कि उसका यह अभिप्राय हो अथवा इस कामका होना उसकी जानकारीमें हो कि किसी वस्तुको हानि पहुँचानेके द्वारा किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा हर्जा पहुँचाए, चाहे वह वस्तु उसी मनुष्यकी हो अथवा न हो।

स्पष्टीकरण—२—हानि पहुँचानेका अपराध किसी ऐसे कामके द्वारा हो सकता है जो किसी वस्तुपर प्रभाव करे चाहे वह वस्तु उस मनुष्यकी मिलकियत हो जो हानि पहुँचानेका अपराध करता है चाहे उस मनुष्य और दूसरे मनुष्योंके साझे की हो।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको अनीतिहानि पहुँचानेके अभिप्रायसे रमाशंकरकी किसी दस्तावे-जको जानबूझकर जलादे तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको अनुचित हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसके बर्फखानेमे पहुँचाए और इस प्रकारसे बर्फ पिघलनेका कारण हो तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका कारण हुआ।

(ग) शिवशंकर, रमाशंकरको हानि-पहुँचानेके अभिप्रायसे रमाशंकरकी अंगूठी जानबूझकर नदीमे फेकदे, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(घ) शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरका जो ऋण मुझपर आता है उसको चुकानेके लिये मेरा असबाव कुर्क होनेवाला है, उस असबावको नष्ट कर डाले, इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको अपना ऋण पानेसे रोके और इसप्रकारसे रमाशंकरको हरजा पहुँचाए, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(च) शिवशंकर किसी जहाजका बीमाकराके जानबूझकर उस जहाजके नष्ट कर डालनेका कारण हो, इस अभिप्रायसे कि वह बीमेवालोंको हानि पहुँचाए तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(छ) शिवशंकर किसी जहाजके नष्ट कर डालनेका कारण हो, इस अभिप्रायसे कि रमाशं-करको जिसने उस जहाजपर रुपया ऋण दिया हो हानि पहुँचाए, तो शिवशंगर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(ज) शिवशंकर जो रमाशंकरके साझेमे किसी घोडेका मालिक हो, उस घोडेको गोली मारे इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको अनुचित हानि पहुँचाए, तो शिवशंकर हानि पहुँचा-नेका अपराधी हुआ।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरके खेतमें चौपायोंके घुसजानेका कारण हो इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि रमाशंकरके खेतकी उपजको हानि पहुँचाए तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

१—गुलजारीलालको एक गढेमेंसे कुछ मिट्टी ले लेनेके अपराधमे दफा ४२५ के अनुसार दण्ड हुआ—तजवीज हाईकोर्ट हुई कि अपराधीके कामसे ऐसी तुच्छ हानि पहुँची थी कि जिससे हिन्दु-स्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ९५ सम्बन्ध रखती थी, इसलिये अपराधी छोड दिया गया। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह नवम्बर सन् १८६२ ई० सफा २२९)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ में लिखेहुए शब्द "वस्तु" से किसी जानदार वस्तुका अभिप्राय नही है। कोई साड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमें छोड दिया जावे एक वस्तु इस दफाके अभिप्रायसे भीतर नहीं है, और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान चुराकर गोश्त और चमडेके लालचसे मारडालें तो कोई अपराध दफा २९५ के अनुसार नही किया गया और साड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिप्रायके भीतर स्थावर धनमें नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा २५२)

(४२६) जो कोई मनुष्य हानि पहुँचावे, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी

हानि पहुँचानेका दंड

कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेंगे।

टीप-(१) कोई माजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा होसकती है जब कि हानि अथवा हरजा किसी अपनेही मनुष्यका किया गया हो।

१—किसी ऐसे दस्तावेजका नष्ट कर डालना जिसमे ऐसे इकरारका नियम लिखा है, कि जो सभ्यताविरुद्ध होनेके कारण नाजायज (न मानने योग्य) है हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४२६ के हानि पहुँचानेके अपराधमें गिना जायगा। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ९ सफा ४०१)

२—उस जानवरका मालिक, जो किसी दूसरे मनुष्यके खेतपर जाकर उसके खेतोंको हानि पहुँचावे हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४२६ के अनुसार मे लिखे हुए हानि पहुँचानेके अपराधका अपराधी नहीं ठहर सकता, सिवाय उस अवस्थाके कि जब उसने उस जानवरको जानबूझकर उस खेतमे हँका दिया हो। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफा १७३)

३—एक मनुष्य (अ) को किसी मजिस्ट्रेटने हानि पहुँचानेके अपराधमें दण्ड दिया, इस बात पर कि उसने २०) का एक प्रामीसरी नोट फाड डाला तजवीज हुई कि जो अपराध अपराधीने किया है वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४७७ में गिना जायगा।

(४२७) जो कोई मनुष्य हानि पहुँचानेका अपराधी हो और उसके द्वारा पचास

हानि पहुँचानेके द्वारा पचासरुपया तकका हरजा पहुचना.

रुपये अथवा अधिककी हानि या हरजा का कारण हो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नही है। सिवाय उस अवस्थाके कि जब हानि अपनेही मनुष्यकी की गई हो।

(४२८) जो कोई मनुष्य दश रुपयेके मोलके किसी पशु अथवा पशुओंके मार डालने

दश रुपयावाले किसी पशुको मारकर हानि पहुँचाना.

या विष देने या उसके किसी अंगको बेकाम करने अथवा उसको बेकाम करनेकेद्वारा, हानि पहुँचानेका अपराधी हो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दोयम (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) वारण्ट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

पशुआदि अथवा पचास रुपयेके मोलका कोई पशु मार डालने आदिसे हानि पहुंचाना.

(४२९) जो कोई मनुष्य किसी हाथी या ऊंट या घोड़े या खच्चर या भैंस या बैल या गाय या बधियाको जिसका मोल चाहे जितना हो अथवा पचास रुपये या अधिक मोलके किसी दूसरे पशुको मार डालने या विष देने या उसके अंगको बेकाम अथवा उसको बेकाम करनेकेद्वारा हानि पहुँचावेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्द दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांच वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिया जावेगे।

टीप—दफा ४२८ के अनुसार है। परन्तु इसकी तजवीज सेशनमें भी हो सक्ती है।

१–अपराधीने एक सांडको, जो एक मनुष्य चुन्नीलालने हिन्दू धर्मशास्त्रके अनुसार अपने चचेरे भाईके मरने पर छोड रक्खा था, इस कारण गोलीसे मारडाला कि उसने अपराधीके खेत को कुछ हानि पहुँचाई थी मजिस्ट्रेट उसको दफा ४२९ का अपराधी ठहराया–तजवीज हुई कि उपरोक्त सांड पर किसीका अधिकार न था, इसलिये दफा ४२९ का अपराध उसपर नहीं प्रमाणित होसकता (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह अप्रेल सन् १८८४ ई०, सफा ७८)

खेती आदिके लिये पानी की कमी करकें हानि पहुंचाना.

(४३०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे कामके द्वारा हानि पहुँचावे जिससे खेतीके कामों या मनुष्योके खानेपीनेके कामो या ऐसे पशुओंके कि जो माल है खानेपीनेके कामों अथवा स्वच्छताके कामो अथवा कोई कारखाना चलनेके कामोके लिये पानी का पहुँचना घटे अथवा घटना अति सम्भवित हो–तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद पाचवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप–दफा ४२९ के अनुसार है।

१—जब गवाहीसे यह बात पाई गई कि अकेला मुद्दई एक पानीकी नहरका मालिक है, और अपराधीको किसी प्रकारका अधिकार नहीं है, तो अपराधीकी ओरसे पानीका कमकर देना दफा ४३० के अनुसार हानि पहुँचानेके अपराधमे गिना जायगा, चाहे वह उपरोक्त नहरका पानी कम करनेके मध्ये अपना अधिकार बयान करता हो।

सर्वसम्बन्धी मार्ग या नदी या पुलको हानि पहुचानेकेद्वारा हानि पहुचाना

(४३१) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके, जिससे कोई सर्व सम्बन्धी मार्ग या पुल, अथवा नाव चलने योग्य नदी या नहर या नाला दुर्घट हो जाय अथवा चलने या माल पहुँचानेके लिये आने जाने योग्य न रहे अथवा उसकी निर्विघ्नतामें विघ्न पडजावे अथवा ऐसा हो जाना यह अति सम्भवित जानता हो–हानि पहुँचावे–तो उसको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांचवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

टीप—दफा ४२९ के अनुसार है।

(४३२) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे कामके द्वारा हानि पहुँचानेका अपराधी हो—जो किसी ऐसे सैलाव फैलानेका अथवा किसी नावदानकी ऐसी रोकका कारण हो, अथवा जिसको अपराधी जानता है कि उस कामके कारणसे ऐसे सैलाव फैलने अथवा ऐसी रोकका होना सम्भव है जिससे हानि या हरजा हो सकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पाचवर्ष तक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे।

अहलाकार अथवा पानीका निकास रोककर हानि पहुँचाना

टीप—दफा ४२९के अनुसार है।

(४३३) जो कोई मनुष्य किसी लायट हौस (प्रकाशगृह) अथवा किसी प्रकाशको जो समुद्री चिह्नकी भांति काममें आता हो; अथवा किसी समुद्री चिह्न या पानीपर तैरनेवाले किसी चिह्न, अथवा किसी और पदर्थको जो जहाज चलानेवालोंका मार्ग वतानेके लिये वनाया गया हो मिटाने अथवा हटानेके द्वारा या किसी ऐसे कामकेद्वारा, जो ऐसे लायट हौस या समुद्री चिह्न या पानीपर तैरनेवाले किसी चिह्न या उस प्रकारके किसी और पदार्थको जिसका वर्णन ऊपर हुआ, जहाजके चलानेवालोंको मार्ग वतानेके लिये कुछ एक वेकाम कर दे, हानि पहुंचानेका अपराधी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

लायट हौस (प्रकाशगृह) अथवा समुद्रके चिह्नको मिटाकर अथवा हटाकर अथवा कुछ एक निकम्मा कर देकर हानि पहुचाना

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) वारट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

(४३४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे धरतीके ठीहेको जो सरकारी आज्ञानुसार वनाया गया हो, मिटाने अथवा हटानेके द्वारा, अथवा किसी ऐसे कामके द्वारा जिससे वह धरतीका ठीहा कुछ वेकाम हो जाय हानि पहुँचानेका अपराधी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

धरतीके ठीहे (चिन्ह) को जो सरकारकी आज्ञानुसार बनाया गयाहो मिटा कर अथवा हटाकर हानि पहुचाना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(४३५) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा हानि पहुचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर कि किसी सौ रुपया अथवा अधिकके मालमें या जब कि जायदाद खेतीकी उपज हो तो दश रुपया या अधिकके मालमें हरजा पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

आग या भकसे उडनेवाले पदार्थके द्वारा सौ रुपयातक हरजा पहुचानेके अभिप्रायसे हानि पहुचाना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(सब लोगोको उचित है कि वे दफा ४३५ व ४३६ के अपराधोंकी सूचना दें) ऐक्ट न१० सन् १८८२ ई० की दफा ४४ को देखो।

(४३६) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उडजाने वाले पदार्थके द्वारा हानि पहुँचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा किसी घरकी बरबादीका कारण हो पूजाके स्थानकी भाति अथवा मनुष्योके रहनेके स्थानकी भाति या माल असबाबके रखनेके स्थानकी भांति काममे आता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड या दोनो प्रकारोंमेंसे किसी-प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है, और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

आग या भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा घर आदि नष्ट करनेके अभिप्रायसे हानि पहुचाना.

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा है।

१—आगके द्वारा हानि पहुँचानेके अपराध (दफा ४३६) में यह बात अवश्य होना चाहिये कि आग ऐसे घरमें लगाई गई हो जो मनुष्योंके रहनेके लिये काममें आता हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ३०)

(४३७) जो कोई मनुष्य किसी पटी हुई नाव (जहाज) अथवा किसी नावके मध्ये जिसमे ५६० मन अथवा अधिक बोझ लद सकता हो हानि पहुचनेका अपराधी हो इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उसको नष्ट करे अथवा उसकी निर्विघ्नतामें विघ्न डाले, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

पटी हुई नाव या ५६० मन बोझ ले जानेवाले नावको नष्ट करना अथवा उसको जोखिममे डालनेके अभिप्रायसे हानि पहुचाना.

टीप—दफा ४३६ के अनुसार है।

(४३८) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उड जानेवाले पदार्थके द्वारा उस हानिको पहुँचावे अथवा पहुँचानेका उद्योग करे जो इससे पहिलेकी पिछली दफामें कही गई है, तो उस मनुष्यको देश निकालेका दण्ड या दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

पिछली दफामें कही हुई हानि पहुँचानेका दण्ड जब कि वह हानि आगके द्वारा अथवा किसी भकसे उडनेवाले पदार्थके द्वारा पहुँचाई जाय

टीप—दफा ४३६ के अनुसार है।

(४३९) जो कोई मनुष्य किसी नावको जानबूझकर कम गहरे पानीकी धरती पर टकराए, अथवा किनारेपर टकराए, इस अभिप्रायसे कि कोई माल जो उस नावमे हो चुराए या अधर्मसे उस मालको अनीतिव्यय (तसर्रुफ वेजा) मे लाए अथवा इस अभिप्रायसे कि वह माल चुराया अथवा अनीतिव्ययमें लाया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

चोरी आदि करनेके अभिप्रायसे नावको किनारे पर टकराना.

टीप—दफा ४३६ के अनुसार है।

(४४०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी मृत्यु या दुःख (जरर) या अनीति रोक (मुजाहिमतवेजा) की, या मृत्यु या दुःख या अनीति रोकके डर बतानेकी तैयारी करके हानि पहुँचावे, तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकार की कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांच वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

मृत्यु अथवा दुःख (जरर) पहुँचानेकी तैयारीके उपरात हानि पहुँचाना.

टीप—(१) अ० से० या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नही है।

दण्ड योग्य अनीति प्रवेश (अनधिकार प्रवेश) (मुदाखलत वेजा मुजरिमाना) के वर्णनमें।

(४४१) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे माल मिलकियतपर जिस पर दूसरेका अधिकार हो,—कुछ अपराध करने अथवा जिस मनुष्यका उस माल मिलकियत पर अधिकार हो उसको डराने अथवा उसका अपमान करने अथवा उसको खेद पहुँचानेके अभिप्रायसे दखल करेगा अथवा कानूनानुसार उस माल मिलकियतपर दखल करके उस

दण्ड योग्य अनीति प्रवेग (मदाखलतवेजा मुजरिमाना).

मनुष्यको डराने अथवा अपमान करने अथवा खेद पहुँचानेके अभिप्रायसे वहां अनीति रीति पर ठहरेगा तो कहा जावेगा कि उसने "दंड योग्य मदाखलत बेजा" की। (देखो दफा ४०)

१—जो मनुष्य सर्व सम्बधी मार्गसे तीन मीलकी दूरीपर किरायेपर नाव चलावे, उसके मध्ये दफा ४४१ का अपराध होना नही ठहराया जा सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ५२७)

२—लोकल फडके किसी बाजारके भीतर केवल इस अभिप्रायसे जाना कि उसको महसूल न देना पड़े, मदाखलतबेजाके अपराधमे नहीं आता है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ३८२)

३—जब कोई अजनबी मनुष्य विना बुलाए और विना किसी अधिकारके आधीरातको किसी प्रतिष्ठित स्त्रीके सोनेवाले कमरेमें घुसे, और जब उसके पकडनेकी इच्छा की जावे तो वह वहांसे भागनेके लिये बहुतसा यत्न व श्रमकरे—ऐसी अवस्थामे अदालतको जान लेना चाहिये कि उसका कमरेमे घुसना इस अभिप्रायसे था जिसका वर्णन हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४४१ मे हुआ है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १६ दफा ६५७)

(४४२) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे घर या डेरे या नावमे जो मनुष्योके रहनेकी भांति काममे आती हो अथवा किसी ऐसे घरमें जो पूजाके लिये अथवा मालकी चौकसीके लिये काममे आता हो घुसने अथवा ठहरे रहनेके द्वारा दण्ड योग्य मदाखलत बेजा करे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने "घरकी मदाखलत बेजा" की ।

घरकी मदाखलत बेजा (अनधिकार प्रवेश)

स्पष्टीकरण—दण्ड योग्य मदाखलतबेजा करनेवाले मनुष्यका कोई अग घरमें पहुँच जाना घरकी मदाखलतबेजाके लिये काफी समझा जायगा । (देखो दफा ४०)

१—जब कोई मनुष्य हवालातमे इस अभिप्रायसे दाखिल हो कि वह एक कैदीके पास कि जिसकी तजवीज होनेको है, खाना ले जाए अथवा ले जानेका यत्न करे तो उसका काम हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४४२ में कहे हुए मदाखलतबेजाके अपराधमे न गिना जायगा । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३०१)

(४४३) जो कोई मनुष्य पहिलेसे यह यत्न करके घरको मदाखलतबेजा करे, कि जो मनुष्य उसको उस घर या डेरा या नावसे, कि जिसमें मदाखलत बेजा की जाय, निकाल देने अथवा रोकनेका अधिकार रखता हो उससे वह मदाखलत बेजा छुपी रहे, तो कहा जायगा कि उसने "छुपाकर घरकी मदाखलत बेजा" की ।

छुपाकर घरकी मदाखलत बेजा.

("छुपाकर घरकी मदाखलतवेजा" से अभिप्राय "घरमें मदाखलतवेजा करनेके लिये घात लगाना" है)

(४४४) जो कोई मनुष्य सूर्यास्तके उपरान्त और सूर्योदयसे पहिले छुपाकर घरकी मदाखलतवेजा करे तो कहाजावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने "छुपाकर रातके समय घरकी मदाखलतवेजा" की।

छुपाकर रातके समय घरकी मदाखलतवेजा.

(४४५) वह मनुष्य जो "घरकी मदाखलतवेजा" का अपराधी हो "घर फोडने" वाला कहलावेगा, यदि वह घर अथवा घरके किसी भागमें नीचे लिखे हुए छः प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारपर मदाखलत करे, अथवा, यदि कोई अपराध करनेके लिये घरमें या उसके किसी भागमें उपस्थित हो अथवा वहां किसी अपराधको करके, बतलाये हुए छः प्रकारोंमेंसे किसी एक प्रकारपर उस घरसे अथवा उस घरके किसी भागसे बाहर निकल आये-अर्थात्-

घर फोडना (नकबजनी)

पहिले—यदि वह ऐसे मार्गसे होकर भीतर जाए अथवा बाहर निकले जो स्वयं उसने ही अथवा घरकी मदाखलतवेजाके किसी सहायकने घरकी मदाखलत वेजा करनेके लिये बना लिया हो।

दूसरे—यदि वह ऐसे मार्गसे होकर भीतर घुसजाए अथवा बाहर निकल आए, जो सिवाय उसके अथवा उस अपराधके किसी सहायकके और किसी मनुष्यके आनेजानेके अभिप्रायसे न बना हो अथवा किसी ऐसे मार्ग होकर जहा वह निसेनी लगाकर अथवा दीवारपर या घरपर चढकर पहुँचा हो।

तीसरे—यदि वह किसी ऐसे मार्ग होकर भीतर घुसे या बाहर निकसे जिसको उसने स्वयं अथवा घरकी मदाखलतवेजाके किसी सहायकने घरकी मदाखलतवेजा करनेके लिये ऐसे यत्नोंसे खोल लिया हो जिनसे उस मार्गका खोला जाना घरके रहनेवालेके विचारमें न हो।

चौथे—यदि वह घरकी मदाखलतवेजा करनेके लिये, अथवा घरकी मदाखलत वेजा करनेके पश्चात् घरसे बाहर निकलनेके लिये कोई ताला खोलकर घुसजाए अथवा बाहर निकल आए।

पाँचवें—यदि वह अनीतिबल (जबमुजरिमाना) को काममें लाकर अथवा आक्रमण (हमला) करके अथवा किसी मनुष्यको आक्रमणकी धमकी देकर भीतर घुसजाए अथवा बाहर निकल जाए।

छठवें—यदि वह किसी ऐसे मार्गसे होकर भीतर घुसे या बाहर निकले जिसको वह जानता हो कि वह ऐसे घुसने अथवा निकलनेकी रोकके लिये बन्द किया गया है, और वह स्वयं उसहीने अथवा घरकी मदाखलतबेजाके किसी सहायकने खोल लिया हो ।

स्पष्टीकरण—कोई शागिर्द पेशेका घर अथवा और घर जिसमें, घरमें रहनेवालेका अधिकार हो और जिसके तथा उस घरके बीचमें कोई जानेके लिये भीतरी मार्ग (पैवस्त अन्दरूनी आमदरफ्त) हो, इस दफाके अर्थ अनुसार उसी घरका भाग है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरके घरकी दीवारमे छिद्र करके और उस छिद्रमे हाथ डालके घरकी मदाखलत बेजा की तो यह घर फोडना हुवा—

(ख) शिवशंकर किसी जहाजके भीतर एक धुंधुवेकी राहसे, जो पटावके बीचमें हो घुसकर घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोडना है ।

(ग) शिवशंकर एक खिडकी की राहसे रमाशंकरके घरमें घुसकर घरकी मदाखलतबेजा करे तो यह घर फोडना है ।

(घ) शिवशंकर एक बंद द्वार खोलकर उसकी राहसे रमाशंकरके घरके भीतर पहुँचकर घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोडना है ।

(च) शिवशंकरने रमाशंकरके द्वारके किवाडकी बिल्ली एक छिद्रमें तार डालकर उठा दी और घरमें घुसकर घरकी मदाखलतबेजा की, तो यह घर फोडना हुआ ।

(छ) शिवशंकर रमाशंकरके घरके द्वारकी कुंजी जो रमाशंकरके पाससे खोगई हो पाए और उस कुंजीसे द्वारका ताला खोल रमाशंकरके घरमें घुसकर घरकी मदाखलतबेजा करे तो यह घर फोडना है ।

(ज) शिवशंकर अपने द्वारमे खडा हो और रमाशंकर उसको मारकर तथा गिराकर बलपूर्वक घरमे घुसे और घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोडना है ।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरका पौरिया रमाशंकरके द्वारमे खडा होता और उमाशंकर शिवशंकरको इस बातकी धमकी देकर कि जो तू मुझको जानेसे रोकेगा पीटाजायगा, घरमे घुसजावे, और घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोडना है ।

(४४६) जो कोई मनुष्य सूर्यास्तके पश्चात् और सूर्योदयसे पहिले घर फोडे तो कहा जायगा कि उसने रातके समय घर फोडा ।

रातके समय घर फोडना.

१—दीवारपर कमदके द्वारा चढकर घरमे पहुँचना दफा ४४६ के अपराधमे गिनाजायगा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा २५)

२—दूकानका द्वार तोडकर भीतर घुसना, रातके समय घरका फोडना है न कि केवल रातके समय घरकी मदाखलत बेजा (वी० रि० जिल्द ४ स० १९)

(४४७) जो कोई मनुष्य दण्ड योग्य मदाखलतवेजाका अपराधी हो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो पाचसौ रुपयातक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे।

दण्ड योग्य मदाखलत बेजाका दण्ड.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है।

१—(अ) का (ब) के खेतसे कुछ सम्बन्ध न था, उसने एक हिरन पर जो (ब) के खेतके पास था गोली चलाई, हिरन (ब) के खेतकी ओर चला गया (अ) हिरनके पीछे (ब) के खेतमें घुसा—तजवीज हुई कि (अ) का यह काम मदाखलत बेजाकी सीमातक नही पहुँचसकता —(इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ८३७)

२—सर्व साधारण नदीके किसी भागमे अकेले एकही मनुष्यको मछली मारनेका अधिकार था यदि कोई दूसरा मनुष्य अनुचित रीतिपर उस अधिकारको तोड डाले तो वह हिन्दुस्थानके दडसग्रहमे लिखे हुए मदाखलत बेजाके अपराधका अपराधी न होगा। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा ३५४)

३—एक कानिस्टेबिल व दूसरे मनुष्योंने किसी घरके भीतर घुसकर कुछ मनुष्योंको जुवा खेलते हुए पकडा परन्तु कानिस्टेबिलने उन जुवारियोंसे कुछ रुपया लेकर उन्हें छोड दिया—ऐसी अवस्थामें अपराधीने मदाखलत बेजा व दबाकर लेनेका अपराध नहीं किया वरन् कानिस्टेबिलके मध्ये घूस-लेनेका अपराध हुवा और दूसरे मनुष्योंके मध्ये अपराधमें सहायता करनेनेका। (वी० रि० जिल्द५ सफा ४९)

(४४८) जो कोई मनुष्य घरकी मदाखलत बेजाका अपराधी हो, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है, अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे।

घरकी मदाखलतबेजाका दण्ड.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है।

१—(अ) ने (ब) की विना आज्ञा उसके घरमे घुसकर उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार किया तजवीज हुई कि (अ) को व्यभिचार और घरकी मदाखलतबेजाके अपराधमे अलग २ दण्ड दिया जासकता था क्योंकि वे अलग २ अपराध थे। (पजाब रिकार्ड न० ५ सन् १८७१ ई०)

(४४९) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये जिसके बदले वधका दंड ठहराया गया है, घरकी मदाखलत बेजा करे तो उस मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड अथवा कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और यह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

कोई ऐसा अपराध करनेके लिये जिसका दंड वध हो घरकी मदाखलत बेजा करनी.

टीप— (१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नही है।

(४५०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको मरनेके लिये, जिसके बदलेमे जन्मभरके देश निकालेका दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाखलत बेजा करे उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

जन्म भरके देश निकाले दण्ड योग्य कोई अपराध करनेके लिये घरकी मदाखलत बेजा करनी.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नहीं है।

(४५१) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमे कैदका दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाखलत बेजा करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा है चोरी हो तो कैदकी मीआद सात वर्षतक होसकती है।

कैदके दण्ड योग्य अपराध करनेके लिये घरकी मदाखलत बेजा करनी.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

और जब कि चोरी करनेकी इच्छा हो तब,—

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नही है।

(४५२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख (जरर) पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यपर आक्रमण (हमला करने या किसी मनुष्यकी अनीतिरोक (मुजाहिमत बेजा) करनेके लिये, अथवा किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीतिरोकका डर दिखानेके लिये तैयारी करके घरकी मदाखलतबेजा करे उस मनुष्यको

किसी मनुष्यको दुःख (जरर)पहुचानेकी तैयारीके उपरांत घरकी मदाखलत बेजा करना.

दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा- जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ४५१ के नं० २ के अनुसार है।

१—जब कोई मनुष्य गिरफ्तारीके एक जाली वारट द्वारा किसीके घरमें आकर किसी मनुष्य को उसकी इच्छाविरुद्ध उस वारटके जोरसे पकड लावे तो वह घरकी मदाखलतबेजाका अपराधी दफा ४५२ के अनुसार समझा जायगा। (वी० रि० जिल्द १२ सफा ३३)

(४५३) जो कोई मनुष्य छुपकर घरकी मदाखलतबेजा अथवा घर फोडनेका अपराधी हो उसको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

छुपकर घरकी मदाखलतबेजा अथवा घर फोडनेका दण्ड.

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० तो०. (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(बेतके दडके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० दफा २ व ३ व ४ को देखो)

१—जब अपराधी एक दूकानके बाहर पकडा गया और उस दूकानका द्वार टूटा हुआ मिला, तो अपराधीपर घर फोडनेका अपराध ठहराया गया। (वी० रि० जिल्द ४ सफा १४)

(४५४) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें कैदका दड ठहराया गया है छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करे अथवा घर फोडे, उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा हो चोरी हो तो कैदकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है।

कैदके दण्ड योग्य किसी अपराधको करनेके लिये छुपकर घरकी मदाखलत बेजा अथवा घर फोडना.

टीप—दफा ४५२ के अनुसार है।

(४५५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यपर आक्रमण करने अथवा किसी मनुष्यके अनीति रोक करनेकी या किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीति रोकका डर दिखानेकी तैयारी करके छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करे अथवा घर फोडे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद १० वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारी करनेके उपरांत घरकी मदाखलत बेजा अथवा घर फोडना

टीप—दफा ४५२ के अनुसार है।

रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करने अथवा घर फोडने का दंड.

(४५६) जो कोई मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करे अथवा रातके समय घर फोडे, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिना जमानत (५) राजीनामा- नहीं है।

१—रातके समय घर फोडने और चोरी करनेका अपराध एकही है और उनके मध्ये अलग २ दंड नहीं होसकता। (वी० रि० जिल्द २ सफा ६३)

२—हथियारोंसे सजे हुए पांच मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजाका अपराध करते हुए पाए गए–एक मनुष्य घरमे छेद कर रहा था और बाकी चार मनुष्य पहरेपर खडे थे–जब हल्ला हुआ तब पडोसी लोग दौडे आये और उन चोरोंमेंसे एक मनुष्यने एक गांववालेको काट डाला–तजवीज हुई कि जो अपराध उन्होंने किया था वह रातके समय घर फोडनेका था न कि डकैतीका। (वी० रि० सन् १८६४ ई० सफा ३९)

कैदके दंड योग्य कोई अपराध करनेके लिये रात के समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करना अथवा रातके समय घर फोडना.

(४५७) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमे कैदका दंड ठहराया गया है रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करे अथवा रातके समय घर फोडे उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांच वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा है चोरी हो तो कैदकी मीआद चौदह वर्षतक हो सकती है।

टीप—दफा ४५६ के अनुसार है।

१—तसद्दक हुसेनने जो अपने चचाके साथ एकही घरमे रहा करता था एक सन्दूक तोडकर उसमेंसे माल निकाल लिया–तजवीज हुई कि वह रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजाका अपराधी ठीक २ नहीं ठहर सकता।(रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ६ सफा ३०१)

२—जब किसी मनुष्य पर, चोरीके अभिप्रायसे रातके समय घर फोडनेका अपराध दफा ४५७ के अनुसार और चोरीका अपराध दफा ३८० के अनुसार प्रमाणित होवे तो उसको एक दण्ड दोनो अपराधोंके मध्ये अथवा अलग २ दंड प्रत्येक अपराधके मध्ये दिया जासकता है, परन्तु नियम यह है कि कुल दंडकी मीयाद उस दंडसे अधिक न हो जो बडे अपराधके मध्ये दिया जासकता हो। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा २१४)

(४५८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यपर आक्रमण करने अथवा किसी मनुष्यको अनीतिरोक (मुजाहिमत वेजा) करनेकी तैयारी करके अथवा किसी मनुष्य को दुःख या आक्रमण या अनीतिरोकके डर दिखानेकी तैयारी करके रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतवेजा करे अथवा रातके समय घर फोडे उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद चौदह वर्षतक हो सकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी मनुष्यको दुःख पहुंचानेकी तैयारीके उपरात रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत वेजा करनी अथवा रातके समय घर फोडना

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) विना जमानत (५) राजीनामा नहीं है।

(४५९) जो कोई मनुष्य छुपकर घरकी मदाखलतवेजा करने अथवा घर फोडनेकी अवस्थामें किसी मनुष्यको भारी दुःख (जररशदीद) पहुचाए, अथवा किसी मनुष्यके वध या भारी दुःख पहुंचानेका उद्योग करे, तो उसको जन्मभरके लिये देश निकाले का दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

छुपकर घरकी मदाखलत वेजा करने अथवा घर फोडनेकी अवस्थामे भारी दुःख (जरर शदीद) पहुचाना.

टीप—(१) अ० से० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) विना जमानत (५) राजीनामा नहीं है।

१—दफा ४५९ व ४६० का अपराध प्रमाणित करनेमे इस बातकी आवश्यकता है कि वह भारी दुःख (जररशदीद) घर फोडनेके समयमें पहुँचाया गया हो न कि घर फोडे जाने तथा अपराधीके घरसे चले जानेके उपरांत। (प० रि० न० १७ सन् १८७६ ई०)

(४६०) यदि रातको छुपकर घरकी मदाखलत वेजा करते समय अथवा रातको घर फोडते समय कोई मनुष्य जो उपरोक्त अपराधका अपराधी है जानबूझकर किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुचावे अथवा पहुचानेका उद्योग करे तो प्रत्येक मनुष्यको, जो उपरोक्त मदाखलतवेजा अथवा घर फोडनेमें साझी हो, जन्मभरके देश निकालेका दण्ड अथवा दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

सब मनुष्य जो घर फोडने आदिमे साझी हों, किसी मृत्यु अथवा भारी दुःख के बदले जो किसी एकने किया हो दण्डके योग्य होंगे.

टीप—दफा ४५९ के अनुसार है।

१—जो मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत वेजा करनेमे घरके स्वामीको जो उसके पकडनेका यत्न करे या जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेका उद्योग करे वह दफा ४६० के

ही अनुसार दंड योग्य होगा न कि दफा ४५७ व ३२४ के अनुसार । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ५२)

बददियानती (कुमाव) से किसी बन्द घरको जिसमे माल भरा हो तोडकर खोलना.

(४६१) जो कोई मनुष्य बददियानती (कुमाव) से अथवा हानि पहुचानेके अभिप्रायसे किसी बंद किये हुए घर अथवा सन्दूक आदिको जिसमें माल हो अथवा जिसमें मालका होना यह निश्चय करता हो तोडकर खोले अथवा उसका बद (जोड) खोले, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दड या दोनों दड दिये जावेगे ।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

उसी अपराधका दंड जब कि रक्षकही अपराध करे.

(४६२) जो कोई मनुष्य जिसको कोई बन्द किया हुआ घर आदि धरोहरकी रीतिपर सिपुर्द हो जिसमे कुछ माल हो अथवा जिसमे मालका होना वह निश्चय करता हो बददियानतीसे अथवा हानि पहुचानेके अभिप्रायसे विना इसके कि उसके खोलनेकी उसे आज्ञा हो उस घर आदिको तोडकर खोले अथवा उसका बद खोले तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप–(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय अठारहवाँ १८.

उन अपराधोंके वर्णनमें जो दस्तावेजोंसे और व्यापार अथवा मालके चिह्नोंसे सम्बन्ध रखते हैं ।

जालसाजी.

(४६३) जो कोई मनुष्य कोई झूँठ दस्तावेज अथवा उसका कोई भाग इस अभिप्रायसे वनाए कि वह सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको हरजा या हानि पहुचाए अथवा किसी दावे या अधिकारको प्रमाणित करे, अथवा किसी मनुष्यसे कोई माल अलग कराए, अथवा किसी प्रगट या अप्रगट करार करानेका

कारण हो, अथवा इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे या छल करे, तो उपरोक्त मनुष्य जालसाजीका करनेवाला कहलावेगा।

१—कैदीने स्वय अपनी असावधानी छिपानेके अभिप्रायसे मीरस्तेकी एक कैफियतको बदल दिया—तजवीज हुई कि अपराधीका काम, हिन्दुस्थानके दडसंग्रहकी दफा ४६३ में लिखे हुए जालसाजीके अपराधमे नही गिना जा सकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा ११)

२—किसी पिछली असावधानीको छिपानेके अभिप्रायसे मिसलमे कोई झूठी इबारत लिख देना जो छलकी सीमातक न पहुँचती हो जालसाजी नही है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ८ सफा ६५७)

३—दस्तावेजकी नकलमे जाल बनाना दफा ४६३ मे लिखा हुआ जालसाजीका अपराध है। (वीक्ली रिपोर्टर इजलास कामिल सफा ७१)

४—किसी नियत की हुई झूठी दस्तावेजकी नकल तैयार करने और उस झूठी दस्तावेजके लिखे जानेके लिये कागज स्टाम्प मोल लेने और यह दरियापत करनेसे कि उस दस्तावेजमें क्या लिखा जायगा—जालसाजी अथवा जालसाजीके उद्योगका अपराध नही ठहर सकता, बरन् यह बातें ऐसी है जिनसे जालसाजीकी सहायताका अपराध प्रमाणित हो सकता है क्योंकि इन कामोंसे अपराधके करनेमे सहलता होती है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ३ सफा ५)

५—अपराधी एक सरकारी नौकर है जिसके पास कुछ दस्तावेज रहा करती थी, उसको उपरोक्त दस्तावेजोंके पेश करनेके लिये आज्ञा हुई और अपराधी उनको पेश न करसका, तब उसने अपनेको दण्डसे बचानेके अभिप्रायसे उसी प्रकारकी दस्तावेजे बनाकर पेश करदीं—तजवीज हुई कि-इस प्रकारकी बनाई हुई दस्तावेजे ऐसे कागज अथवा लेख नही हैं कि जिसकी तैयारीका अपराध अपराधीपर लगाया गया था, इसलिये अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २१८ के अनुसार दण्ड नही हो सकता था, और न उपरोक्त दस्तावेजें जाली प्रमाणित हुई थी, क्योकि वे उस अभिप्रायसे न बनाई गई थी जिनका वर्णन दफा ४६३ मे है इसलिये अपराधीको दफा ४७१ के अनुसार भी दण्ड नही हो सकता था। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा ३५३)

६—एक खेतके मोल लेनेवालेने, कि जिस खेतका नम्बर ठीक ठीक २७२ था और जो बैनामेकी दस्तावेजमे भूलसे २१० लिख दिया गया था उस नम्बरको ठीक कर दिया अर्थात् २१०के स्थानपर २७२ बना दिया—तजवीज हुई कि उपरोक्त नम्बरका बदलना दफा ४६३ मे लिखे हुए जालसाजीके अपराधकी सीमातक नही पहुँचता था क्योकि वह छलसे अथवा अधर्मसे नही बनाया गया था। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २१७)

झूठी दस्तावेज बनाना } (४६४) उस मनुष्यके मध्ये कहा जायगा कि उसने झूठी दस्तावेज बनाई—

पहिले—जो कोई दस्तावेज अथवा दस्तावेजका कोई भाग अधर्मसे अथवा छलसे बनाए, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर करे, अथवा उसको लिखे, या कोई ऐसा चिह्नकरे जिससे किसी दस्तावेजका लिखा जाना प्रगट हो, और उसका अभिप्राय इस बातके निश्चय करादेनेका हो कि वह दस्तावेज अथवा दस्तावेजका वह भाग उस मनुष्यने बनाया, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर की अथवा उसने लिखा, या ऐसे मनुष्यकी आज्ञासे बनाया गया, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर की गई, अथवा वह लिखी गई है जिसको वह जानता है कि उस मनुष्यने न तो उसे बनाया न उसपर दस्तखत या मुहर की न उसने लिखा या न उसकी आज्ञासे वह बनाई गई, न उसपर दस्तखत या मुहर की गई, न वह लिखीगई अथवा ऐसे समयपर जिसमे वह जानता है कि वह न बनाई गई, न उसपर दस्तखत या मुहर की गई न वह लिखीगई, अथवा–

दूसरे—जो बिना उचित अधिकारके अधर्मसे अथवा छलसे काटकर अथवा किसी और प्रकार किसी दस्तावेजको, उसके किसी मुख्य भागमें बदले, इसके पश्चात् कि उस दस्तावेजको स्वय उसीने अथवा किसी दूसरे मनुष्यने बनाया हो अथवा लिखा हो, चाहे वह दूसरा मनुष्य उस बदलनेके समय जीता हो अथवा मरगया हो, अथवा–

तीसरे—जो अधर्मसे अथवा छलसे किसी दस्तावेजपर किसी मनुष्यसे दस्तखत या मुहर कराए अथवा उसको लिखवावे या बदलावे यह जानकर कि वह मनुष्य दस्तावेजके मजमून अथवा बदलनेके आशयको सिडीपने अथवा नशेमे होनेके कारण नहीं जान सकता अथवा किसी धोखेसे जो उसको दिया गया है नहीं जानता है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरके पास १०००० रुपयेतकका रुक्का रमाशंकरके नामपर उमाशंकरका लिखा हुआ हो और शिवशंकर रमाशंकरको ठग लेनेके अभिप्रायसे दश इजारकी संख्यापर एक शून्य बढाकर एक लाख बनाए, इस अभिप्रायसे कि रमाशंकर निश्चय करे कि उमाशंकरने वह रुक्का ऐसाही लिखा है तो शिवशंकरने जालसाजी की–

(ख) शिवशंकर बिना आज्ञा रमाशंकरके रमाशंकरकी मुहर एक दस्तावेजपर लगावे जिसका आशय इस प्रकारका जानपडे कि उसके अनुसार कोई मिलकियत रमाशंकरकी ओरसे शिवशंकरके अधिकारमे आवे, इस अभिप्रायसे कि शिवशंकर उस मिलकियतको उमाशंकरके हाथ बेचे और उसके द्वारा विक्रीका रुपया उमाशंकरसे प्राप्त करे—तो शिवशंकरने जालसाजी की ।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरका कोई पडा हुवा दस्तखती रुक्का जो किसी साहूकारके नाम हो उठाले, जिसका रुपया रुक्केके अधिकारीको मिलता हो परन्तु उपरोक्त रुक्केमे रुपयेकी तादा-

द न लिखी हो, शिवशंकर उस रुक्केमें दश हजार रुपया लिखकर उस रुक्केको छलसे काममें लावे—तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(घ) शिवशंकर अपने गुमाश्ते रमाशंकरको अपना दस्तखती एक रुक्का किसी साहूकारके नामका देवे, जिसमें रुपयेकी तादाद न लिखी हो—परन्तु वह रमाशंकरको यह आज्ञा दे कि अमुक २ मनुष्योंका रुपया देनेके लिये उस रुक्केमें कोई तादाद जो दश हजार रुपयेसे अधिक न हो, लिखकर उसको पूरा करे—और रमाशंकर छलसे रुक्केमें बीसहजार रुपया लिखलेवे—तो रमाशंकरने जालसाजी की।

(च) शिवशंकर कोई हुंडी अपने ऊपर रमाशंकरके नामसे विना आज्ञा रमाशंकरके लिखे, इस अभिप्रायसे कि उसको सही हुंडीकी रीतिपर किसी साहूकारसे मिती कटवाकर पटाले और उसका यही अभिप्राय हो कि अवधि पूरी होजानेपर उस हुंडीका रुपया अदा करे तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर साहूकारको यह धोखा देनेके अभिप्रायसे हुंडी लिखता है कि उसको यह निश्चय कराए कि वह रमाशंकरकी जमानत रखता है और उसके द्वारा हुंडीको मितीकाटकर पटाले, इसलिये शिवशंकर जालसाजीका अपराधी है।

(छ) रमाशंकरके वसीयतनामेमें यह लिखा हो कि "मैं आज्ञा देताहूं कि मेरा बचा हुआ सब धन शिवशंकर व उमाशंकर व गिरिजाशंकरमें बराबर २ बांटाजाय" शिवशंकर अधर्मसे उमाशंकरका नाम छील डाले, उस अभिप्रायसे कि यह निश्चय कर लिया जाय कि वह सब बचा हुआ धन उसके और गिरिजाशंकरके लिये है तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(ज) शिवशंकर किसी गवर्नमेंट प्रामेसरी नोटपर नीचेकी इबारत लिखकर कि, "रमाशंकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे इसका रुपया दियाजाय" और उस लिखी हुई इबारतपर दस्तखत करके रमाशंकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे नोटका रुपया पाने योग्य कर दे, और उमाशंकर यह इबारत कि, "रमाशंकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे रुपया दिया जाय" अधर्मसे छील डाले और उस इबारतको बिना नामकी इबारत कर दे तो उमाशंकरने जालसाजी की।

(झ) शिवशंकर कोई मिलकियत रमाशंकरके हाथ बेचे और उस पर उसका अधिकार करवा दे और फिर इसके पश्चात् इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरको उस मिलकियतसे छल करके दूर कर शिवशंकर दे, उस मिलकियतका बैनामा उमाशंकरके नाम लिख दे जिसके लिखनेकी तारीख रमाशंकरके बैनामेकी तारीखसे छः महीने पहिलेकी हो, इस अभिप्रायसे कि यह बात निश्चय कर लीजावे कि शिवशंकर उस मिलकियतको रमाशंकरके हाथ बेचनेसे पहिले उमाशंकरको बेच चुका था तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(ट) रमाशंकर शिवशंकरको अपना वसीयतनामा लिखनेके लिये जबानी इबारत बताता जाय और शिवशंकर उस अधिकारीके नामके बदले जो रमाशंकरने बताया है किसी दूसरे अधिकारीका नाम लिख दे और रमाशंकरसे यह कहकर कि तुम्हारी आज्ञानुसार मैंने वसीयतनामा तैयार किया है, रमाशंकरको उस वसीयतनामेपर दस्तखत करनेके लिये बहकावे तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(ठ) शिवशंकर एक चिट्ठी लिखकर, विना आज्ञा रमाशंकरके, उसपर रमाशंकरके दस्तखत करले और उसमे यह लिखा हो कि शिवशंकर नेकचलन है और दैवी आपदाओंके कारण दुःखित है, इस अभिप्रायसे कि उस चिट्ठीके द्वारा उमाशंकर और दूसरे मनुष्योंसे भिक्षा पावे तो इस अवस्थामे जो कि शिवशंकरने इस अभिप्रायसे एक झूठा दस्तावेज बनाया कि जिससे उमाशंकरका माल अलग किया जावे, इसलिये शिवशंकरने जालसाजी की।

(ड) शिवशंकर कोई चिट्ठी विना आज्ञा रमाशंकरके लिखकर उसमे रमाशंकरके दस्तखत करले, उसमें शिवशंकरकी नेक चाल चलनके मध्ये लिखा हो, इस अभिप्रायसे कि उसके द्वारा उमाशंकरके नीचे कोई नौकरी पावे, तो शिवशंकरने जालसाजी की—क्योंकि उसने उमाशंकरको जाली सार्टीफिकटके द्वारा धोखा देनेके अभिप्रायसे और उसके द्वारा उमाशंकरको नौकरीके मध्ये एक प्रगट अथवा अप्रगट इकरार करनेके लिये फुसलाया।

स्पष्टीकरण—१—किसी मनुष्यका स्वय अपनेही नामका दस्तखत करना जालसाजी की सीमातक पहुँच सकता है।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर किसी हुंडीपर अपने नामके दस्तखत इस अभिप्रायसे करे कि यह बात निश्चय कर लीजावे कि उस हुंडीको उसके नामवाले किसी दूसरे मनुष्यने लिखा है—तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(ख) शिवशंकर शब्द "सकारी" किसी कागजपर लिखे और उसपर रमाशंकरका नाम दस्तखत कर दे इसलिये कि उमाशंकर अंतको उसी कागजपर एक हुंडी अपनी ओरसे रमाशंकरके ऊपर लिखे और उसको रमाशंकरकी सकारी हुई हुंडीकी रीतिपर बेचडाले तो शिवशंकर जालसाजीका अपराधी है और यदि उमाशंकर इस यथार्थ बातको जानकर शिवशंकरकी इच्छाके अनुसार हुंडी उस कागजपर लिखे तो उमाशंकरभी जालसाजीका अपराधी है।

(ग) शिवशंकर कोई पडी हुई हुंडी जिसका रुपया उसी नामके किसी दूसरे मनुष्यकी आज्ञासे अदाके योग्य हो उठाले और उसकी पीठपर अपने नामसे बेचकी इबारत लिख दे, इस अभिप्रायके कि उसके द्वारा यह निश्चय कर लिया जावे कि यह बेचकी इबारत उस मनुष्यने लिखा है जिसकी आज्ञानुसार रुपया भुगतानके योग्य है तो इस अवस्थामे शिवशंकर जालसाजीका अपराधी है।

(घ) शिवशंकर कोई मिलकियत मोलले, जो रमाशंकरके ऊपर किसी डिगरीके मध्येमें नीलाम हुई हो—रमाशंकर उस मिलकियतकी कुर्की होजानेसे पीछे उमाशंकरके साथ मेल करके उसी मिलकियतका ठेका उमाशंकरको थोडीसी जमापर एक बडी मीआदके लिये लिख दे, और लिखनेकी मिती कुर्कीकी मितीसे छः महीना पहिलेकी हो, इस अभिप्रायसे कि शिवशंकर छल द्वारा मिलकियतसे दूर कियाजाय, और यह निश्चय कराए कि ठेका कुर्कीसे पहिले दिया गया है उस अवस्थामें यद्यपि रमाशंकरने वह ठेका अपने नामसे लिखा है, तथापि उसमे पीछेकी तारीख लिखनेके कारण वह जालसाजीका अपराधी है।

(च) शिवशंकर एक व्यापारीने अपना दिवाला निकालनेके पहिले अपने लाभके लिये कोई माल असबाब रमाशंकरके पास रख दिया और अपने ब्योहरोंको ठगनेके अभिप्रायसे तथा मामलेकी जड जमानेके प्रयोजनसे एक तमस्सुक इस आशयका लिख दिया कि मुझको रमाशंकरका इतना रुपया उस मालियतके मध्ये देना उचित है कि, जो मैं पा गया हूं और उस तमस्सुकमें कोई पिछली मिती लिखदी, इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय किया जाय कि वह उससे पहिले लिखा गया है कि जब शिवशंकर दिवाला निकालनेको था–तो शिवशंकर पहिले वर्णन की हुई जालसाजीके अपराधका अपराधी है ।

स्पष्टीकरण–२ किसी झूठे दस्तावेजका किसी कल्पित मनुष्यके नामसे बनाना, इस अभिप्रायसे कि यह बात निश्चय की जाय कि वह दस्तावेज किसी सच्चे मनुष्यने लिखा है अथवा उसका किसी मरेहुए मनुष्यके नामसे बनाना इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय किया जाय कि वह दस्तावेज उस मनुष्यने अपने जीतेजी लिखा है, जालसाजीकी सीमातक पहुँच सकता है ।

उदाहरण ।

शिवशंकर कोई हुंडी किसी कल्पित मनुष्यके ऊपर लिखे और छल पूर्वक उस कल्पित मनुष्य के नामसे उस हुंडीको सकारे, इस अभिप्रायसे कि उसको बेच डाले, तो शिवशंकर जालसाजीका अपराधी हुआ है ।

१–जब दस्तावेजकी तारीख कि जो और दूसरे प्रकारपर रजिस्टरीके लिये न पेश होसकती थी रजिस्टरी करा पानेके अभिप्रायसे बदली गई, तो यह जालसाजीका अपराध नहीं है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४८२)

२–अपराधीने बदोबस्तके हाकिमसे इस बातका प्रमाण पानेके लिये कि अपराधी लाख करके, लखका अधिकारी है, एक सनद उपरोक्त हाकिमके सामने जिससे उपरोक्त लखका पाया जाना प्रगट होता था पेश की, यह सनद असली नहीं है । तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४६४ व ४७१ के अनुसार दंड देना अनुचित है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा ५८४)

३–अपराधी दफ्तर सब डिवीजनलमें नकलनवीस था उसने क्लर्कीकी नौकरी पानेके लिये दरख्वास्त दी जो उस वक्त एक दफ्तरमें खाली थी–गवाहीसे पाया गया कि जो सिफारिशकी चिट्ठी सब डिवीजनल अफ्सरकी ओरसे लिखी जानपडती थी वह अपराधीने झूठी लिखी थी–इस दरख्वास्त के साथ एक दूसरी चिट्ठी भी शामिल थी जो साहब कलक्टरकी ओरसे सब डिवीजनल अफ्सरके नाम जान पडती थी–परन्तु जब हाकिम सब डिवीजनने कलक्टर साहबकी चिट्ठीपर संदेह कर एक निजी चिट्ठी साहब कलक्टरको उसकी असलियत जाननेके लिये डाकखानेमें भेजी तब अपराधीने एक

तीसरी चिट्ठी झूँठी लिखकर हाकिम सब डिवीजनकी ओरसे पोष्टमास्टरके नाम. इस अभिप्रायसे भेजी कि निजी चिट्ठी साहब कलक्टरके नामकी रवाने न की जावे--तजवीज हुई कि यह पहिली दो चिट्ठियोंके मध्ये हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४६४ का अपराध ठहर सकता है परन्तु तीसरीके मध्ये यह नहीं कहा जासकता कि उसने उसको अधर्म अथवा छलसे उपरोक्त दफाके अर्थ अनुसार झूठी बनाया। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३३९)

४—हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ४६३ में लिखे हुए शब्द दावेका सम्बन्ध दावा जायदादके साथ नहीं कहा जासकता--उपरोक्त दफामें लिखे हुए शब्द जायदादमें सार्टीफिकट तहरीरी शामिल होगा--और दफा ४६३ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य नही है, कि वह जायदाद जिससे यह अभिप्राय हो कि झूँठी लिखावट किसी मनुष्यको अलग करा देगी उस समय मौजूद हो जब झूँठी लिखावट बनाई गई।

एक मनुष्यने प्रिंसपिल क्वीन्स कालेज बनारसके सामने एक सार्टीफिकेट झूँठा, जिसका दिया जाना प्रिंसपिल केनिंग कालेज लखनऊकी ओरसे जान पडता था, कानूनी लेकचरोंको देनेके अभिप्रायसे और फिर उसके पश्चात् कुछ सार्टीफिकट उम्मेदवार इम्तिहान अदालत जजी कलकत्तामे करार पानेके प्रयोजनसे पेश किया--तजवीज हुई कि उसपर दफा २७१ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहका अपराध ठहराया जा सकता है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा २१०

जालसाजीका दंड.

(४६५) जो कोई मनुष्य जालसाजी करेगा उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा, जिसकी मीआद दो वर्ष तक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेगे।

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(बेतके दंडके लिये ऐक्ट न ६ सन् १८६४ ई० की दफा ४ को देखो।)

१—जब कोई मुहर्रिर जो दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराध करे और फिर हिसाबकी किताबमे अपराध छिपानेके अभिप्रायसे झूँठी इबारत लिख दे तो वह दफा ४६५ के अपराध जालसाजीका अपराधी नही होसकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा२२१

कोर्टआफ जस्टिसके सरिश्तेके कागज अथवा पैदायशके रजिस्टर आदिको जाली बनाना.

(४६६) जो कोई मनुष्य कोई जाली दस्तावेज बनाए जिसकी लिखावटसे जान पडता हो कि वह किसी कोर्ट आफ जस्टिसके सरिश्तेका कागज अथवा कागज मिसल है अथवा पैदायश (जन्म) या संस्कार या विवाह या मरणका रजिस्टर है जिसको कोई सरकारी नौकर अपनी नौकरीके कारण बनाता है अथवा कोई सर्टी-

फिकट या दस्तावेज बनाए जिसकी लिखावटसे जान पडता हो कि उसे किसी सरकारी नौकरने अपनी नौकरीके कर्त्तव्यपालनकी रीतिपर तैयार किया है अथवा किसी मुकद्दमेके दायर करने अथवा उसकी जबाबदिही करने अथवा उसमे किसी प्रकारकी पैरवी करने अथवा इकबाल दावा दाखिल करनेके लिये आज्ञापत्र (इजाजतनामा) है अथवा वह मुख्त्यारनामा है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलिस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) विना जमानत (५) राजीनामा नहीं है।

१—जब कोई दस्तावेज इस अभिप्रायसे बनाया जावे कि उससे किसी अदालत जस्टिसको धोखा दिया जाय—तो कहा जावेगा कि वह दस्तावेज उस अभिप्रायके लिये काममे लाए जानेकी इच्छासे बनाया गया। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५१३)

किफालतुलमाल अथवा वसीअतनामेका जाली बनाना.

(४६७) जो कोई मनुष्य कोई जाली दस्तावेज बनाए जिसकी लिखावटसे यह पाया जावे कि वह किफालतुलमाल या वसीअतनामा अथवा गोद लेनेका आज्ञापत्र (इजाजतनामा) है—अथवा उसके आशयसे यह पाया जावे कि वह किसी मनुष्यको किसी किफालतुलमालके बनाने या बेंचने अथवा मूल या व्याज या व्याजके भागोंको सिपुर्दगीमे लाने या सिपुर्दगीमे करनेका आज्ञापत्र है, अथवा कोई ऐसा जाली दस्तावेज बनाए कि जिसकी इबारतसे यह पाया जावे कि वह फारगखती या रसीद है कि जिसमें रुपयाके वसूल होनेका इकरार है, अथवा किसी स्थावरधन या किफालतुलमालके दिये जानेकी फारगखती या रसीद है तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) सिवाय उस अवस्थाके कि जब किफालतुलमाल गवर्नमेंट हिंदका प्रामिसरी नोट होवे, पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) विना जमानत (५) राजीनामा नहीं है।

१—अपराधीने यह इश्तिहार दिया कि एक अंगरेजी कोष राबर्ट एस. विल्सन. एम, ए. का बनाया हुआ कीमती २।) का तैयार है—परंतु उसके यहां कोई भी ऐसी किताब बेंचने योग्य नहीं थी-तजवीज हुई कि अपराधीने दगा व जालका अपराध किया था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा २७)

(४६८) जो कोई मनुष्य जालसाजी करे इस अभिप्रायसे कि वह जाली-दस्तावेज दगा देनेके लिये काममे लाई जायगी उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

दगाके लिये जालसाजी.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नही है ।

१—तजवीज हुई कि जब अपराधीका यह अभिप्राय था कि झूठा हिसाब बनाकर अपने मालिकको धोखा दे और उस धोखा देनेके द्वारा मालिकको हानि पहुँचना सम्भव हो तो अपराधीपर दफा ४६८ का अपराध दगा करनेका ठहराया जा सकता है । (वी० रि० जिल्द १८ सफा ४६)

(४६९) जो कोई मनुष्य जालसाजी करे इस अभिप्रायसे कि वह जाली दस्तावेज किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुंचाए, अथवा वह जानकर कि उसका इस काममें लाया जाना सम्भव है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीनवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुचानेके लिये जालसाजी.

टीप—दफा ४६८ के अनुसार है ।

(४७०) जो झूँठी दस्तावेज सब या कुछ जालसाजीसे बनाई गई हो वह " जाली दस्तावेज " की रीतिपर कहलाई जावेगी ।

जाली दस्तावेज.

१—खेतके साझियोंने नम्बरको बदल डाला जिनकी सराहत बैनामेमें थी ऐसी कार्रवाईके कारण उपरोक्त नम्बर सही नहीं रहे-तजवीज हुई कि दस्तावेजमे नम्बरका बदलना दफा ४६३ में लिखे हुए जालके अपराधमें नही है, और न उपरोक्त दस्तावेज तबदील होनेके उपरांत जालीदस्तावेज दफा ४७० के अनुसार ठहर सकती है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २७१)

(४७१) जो कोई मनुष्य किसी दस्तावेजको, जिसको वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह जाली दस्तावेज है सही दस्तावेज की रीतिपर छलसे अथवा अधर्मसे काममें लाए तो उस मनुष्यको उसी प्रकारका दण्ड दिया जावेगा कि मानो उसने दस्तावेजको जाली बनाया ।

जाली दस्तावेजको सही दस्तावेजकी रीतिपर छलसे काममें लाना.

१—अपराधी पर यह अपराध लगाया गया कि वह एक मुकद्दमा दीवानीमें एक दस्तावेजको जिसको वह जाली जानता था; सही दस्तावेजकी रीतिपर काममें लाया तजवीज हुई कि अपराधीने दफा ४७१ का अपराध किया था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ११८)

२—अपराधीके व्योहरने, जो पोलीस कान्स्टेबिल था सुप्रिन्टेन्डेन्ट पोलीस जिलाको दरख्वास्त की कि ऋण चुक जानेतक अपराधी (कान्स्टेबिल) की तनख्वाहसे दो रुपया मासिक कट जायाकरें—इसलिये सुप्रिन्टेन्डेन्टने रुपया काटे जानेकी आज्ञा दे दी तब अपराधीने एक रसीद पेश की जिससे १८) का अदा होजाना पाया जाता था, पीछेसे जानपडा कि वास्तवमे वह रसीद ८) की थी और अपराधीने उसपर १ का अक बढा दिया था—तजवीज हुई कि जो कि अपराधीकी यह इच्छा थी कि सुप्रिन्टेन्डेन्ट उसकी तनख्वाह कानूनविरुद्ध न काटे, इसलिये इस रसीदसे यह बात नहीं पाई जाती कि अपराधीकी यह इच्छा थी कि व्योहरोंका रुपया माराजावे, इसलिये उसे दफा ४७१ के अपराधमे दण्ड नहीं होना चाहिये। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४०३)

३—पोष्टमास्टरने कुछ रुपया मारा, और उसी समय एक झूठी दस्तावेज बनाई जो दस्तखती रसीद उस मनुष्यकी होना जान पडती है, जिसे रुपया मिलने योग्य था—उसके मध्ये जाली दस्तावेज बनानेके अपराधमें दफा ४७१ के अनुसार विचार किया गया—यह उज्र किया गया कि कोई जाल नहीं किया गया क्योंकि रसीद अपराध छिपानेके लिये बनाई गई थी—तजवीज हुई कि अपराधका विचार ठीक था—(इ० ला० रि० मदरास जिल्द ११ सफा ४११)

४—इन्ट्रेन्सकी परीक्षाके, प्रार्थीने अच्छे चाल चलनका सार्टीफिकट हेडमास्टरका दस्तखत बनाकर रजिस्ट्रारके यहा भेज दिया—उम्मेदवारपर जाली दस्तावेजको असलीकी रीतिपर काममें लानेके अपराधमे दफा ४७१ और दगाके उद्योगमें दफा ४१५ व ५११ का अपराध ठहराया गया तजवीज हुई कि उसकी यथार्थ इच्छा या प्रयोजन छल अथवा अधर्मकी दफा २४ व २५ के अनुसार न था, इसलिये उसने कोई भी अपराध नहीं किया। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३८७)

५—अपराधीपर हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ४७१ का अपराध इस बातपर लगाया गया कि वह कुछ दस्तावेजोको जिन्हें जाली जानता था अधर्म और छलसे काममें लाया था और विचार (तजवीज) के समय जाना गया कि लगानकी चार रसीदे जिन्हें अपराधी काममे लाया था, अपराधीने असली रसीदोंके बदले जो खो गई थीं बनाई थी। तजवीज हुई कि दफा २४ व २५ हि० द० मे लिखे हुए शब्द अधर्म व छलसे अपराधीने रसीदे नहीं बनाई थीं, इसलिये वह दफा ४७१ का अपराधी नहीं हो सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४५९)

(४७२) जो कोई मनुष्य कोई झूँठी मुहर या चपरास या छापनेका और कोई औजार इस अभिप्रायसे बनावे कि वह इस संग्रहकी दफा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य किसी जालसाजीके करनेमें काम आवे अथवा इस अभिप्रायसे कोई ऐसी मुहर या चपरास या और कोई औजार अपने यहां रक्खे यह जानकर कि वह झूँठा है, तो उस मनुष्यको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्ष तक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

दफा ४६७ के अनुसार दण्ड किये जाने योग्य कोई जालसाजी करनेके अभिप्रायसे झूँठी मुहर आदि बनानी अथवा पास रखनी.

टीप---दफा ४६६ के अनुसार है ।

१---जब झूँठी मुहरे और उनके बनानेके औजार अपराधीके यहां निकले और वह मानने योग्य उसका कारण न बतला सके कि वह क्योकर उसके अधिकारमे आये थे, तो यह बात मानी गई कि वह उनको छल पूर्वक काममे लानेके अभिप्रायसे अपने अधिकारमें रखता था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ५)

(४७३) जो कोई मनुष्य कोई झूँठी मुहर अथवा चपरास अथवा और कोई छापनेका औजार बनाए इस अभिप्रायसे, कि वह किसी ऐसी जालसाजी करनेके लिये काममें आए, जिसके बदलेमें इस अध्यायकी दफा ४६७ के अतिरिक्त किसी और दफाके अनुसार दंड दिया जा सकता है, अथवा उसी अभिप्रायसे कोई ऐसी मुहर अथवा चपरास अथवा कोई और औजार जिसको वह झूठा जानता है अपने पास रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

जालसाजी करनेके अभिप्रायसे जिसका दूसरा दण्ड ठहराया गया है झूँठी मुहर आदि बनाना अथवा पास रखना.

टीप--(१) अदालत सेशन (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नही है ।

१---जब कुछ मुहरें पृथक् २ भांतिकी, जालसाजी करनेके अभिप्रायसे अपराधीके अधिकारमे निकलीं तो तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४७३ के अनुसार प्रत्येक मुहरके मध्ये एक अलग और पूरे अपराधका किया जाना प्रमाणित था और अपराधी प्रत्येक मुहरके मध्ये अलग २ दोषी ठहराया जासकता था सिवाय उस अवस्थामें कि वे पृथक् २ मुहरे एक विशेष जालसाजीके अभिप्रायसे रक्खी गई हो । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १३ सफा १६)

(४७४) जो कोई मनुष्य कोई दस्तावेज अपने यहा रक्खे, यह जानकर कि वह जाली है और इस अभिप्रायसे कि वह सच्ची दस्तावेजकी भाति छल अथवा अधर्मसे काममें लाई जाय, तो यदि वह दस्तावेज उस प्रकारकी दस्तावेज है जिसका वर्णन दफा ४६६ में है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह दस्तावेज उस प्रकारकी दस्तावेज है जिसका वर्णन दफा ४६७ में है तो जन्मभरके देशनिकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

कोई दस्तावेज यह जानबूझकर कि यह जालसाजीसे बनी है अपने यहा इस अभिप्रायसे रखनी कि सच्चीकी भाति काममे लाई जाय.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१— हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४७४ के अपराधके प्रमाणके लिये इन बातोंके प्रमाणित करनेकी आवश्यकता है, कि दस्तावेज जिनके मध्ये अपराध लगाया गया जाली है, और अपराधी उनका जाली होना जानता था और वह उनको अपने अधिकारमे रखता था, और उसका यह अभिप्राय था, कि छल और अधर्मके द्वारा वह सच्ची दस्तावेजकी भाति काममे लाई जावे, और प्रत्येक दस्तावेज उसप्रकारकी है जिसका वर्णन हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४६६ व ४६७ में किया गया है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफा १६५)

२—अपराधी एक जाली दस्तावेज अदालतमे ले गया परन्तु उसको काममें न लाया तजवीज हुई कि वह उस दस्तावेजको आवश्यकताके समय काममें लानेकी इच्छा रखता था। (वीक्ली रिपोर्ट जिल्द ८ सफा ११)

(४७५) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा किसी वस्तुमें कोई चिह्न अथवा निशान, जो इस संग्रहकी दफा ४६७ मे कही हुई किसी दस्तावेजकी सचाई के लिये काममें आता हो इस अभिप्रायसे झूठा बनावेगा कि इस चिह्न अथवा निशानके होनेसे कोई दस्तावेज जो उसी समय उस वस्तुपर जालसाजीसे बनी हो अथवा पीछेसे बनाई जानेको हो प्रमाणिक दिखाई दे, अथवा उसी अभिप्रायसे कोई ऐसी वस्तु अपने पास रक्खे, जिसपर अथवा जिसमें उस चिह्न या निशानकी जालसाजी कीगई है, तो उस मनुष्यको जन्मभरके देशनिकालेकी अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी चिह्न अथवा निशानको जालसाजीसे बनाना जो दफा४६७मे कही हुई दस्तावेजकी सचाईके लिये काममें आवे अथवा किसी वस्तुको पास रखना जिसपर झूठा चिह्न लगाहो

टीप-(१) अदालत सेशन (२) गैरदस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

१-दफा ४७५ का अपराध प्रमाणित करनेमे इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है, कि अपराधीके अधिकारमें जो दस्तावेज है उसपर कोई झूठा चिह्न या निशान हो और यह भी प्रमाणित होना चाहिये कि अपराधी उस दस्तावेजको अपने अधिकारमें इस अभिप्रायसे रखता था कि वह झूठा चिह्न या निशान उस दस्तावेजकी सचाईके लिये काममें आवेगा और इस बातके भी होनेकी आवश्यकता है कि वह दस्तावेज इस संग्रहकी दफा ४६७ मे लिखी हुई दस्तावेजके अनुसार होवे । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २५ सफा १९)

जालसाजीसे बनाना किसी चिह्न अथवा निशानको जो दफा ४६७ मे कही हुई दस्तावेजोंको छोडकर और प्रकारकी दस्तावेजोंकी सचाईके लिये काममे आता हो, अथवा पास रखना किसी वस्तुका जिसपर झूठा चिह्न लगाहो.

(४७६) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा किसी वस्तुमे कोई चिह्न अथवा निशान जो इस संग्रहकी दफा ४६७ मे कही हुई दस्तावेजोंको छोडकर और प्रकारकी किसी दस्तावेजको प्रामाणिक करनेके लिये काममे आता हो, इस अभिप्रायसे झूठा बनावेगा कि उस चिह्न अथवा निशानके होनेसे कोई दस्तावेज जो उसी समय उस वस्तुपर जालसाजीसे बनी हो अथवा पीछेसे जाली बनाई जानेको हो, प्रामाणिक दिखाई दे, अथवा जो कोई मनुष्य ऐसे अभिप्रायसे कोई वस्तु अपने पास रखता हो जिसके ऊपर अथवा जिसमें इसीप्रकारका चिह्न अथवा निशान जालसाजीसे लगाया गया हो,: तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप-दफा ४७५ के अनुसार है ।

छल छिद्रसे किसी वसीअतनामेको, बिगाडना अथवा नष्ट करना आदि.

(४७७) जो कोई मनुष्य छल अथवा अधर्मसे अथवा इस अभिप्रायसे कि वह सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको नुकसान अथवा हानि पहुँचाए किसी ऐसी दस्तावेजको बिगाडे अथवा उसको नष्ट करे अथवा उसकी लिखावटको काट दे अथवा उसके नष्ट करने या बिगाड देने अथवा काट देनेका उद्योग करे जो वसीअतनामा अथवा लडका गोद लेनेका इजाजतनामा (आज्ञापत्र) अथवा कोई किफालतुलमाल हो अथवा होनेके योग्य हो अथवा ऐसी दस्तावेजके मध्ये कुछ हानि पहुँचावे तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) बिला जमानत (५) राजीनामा नहीं है।

१—पट्टेका फाड़ डालना दफा ४७७ के अनुसार किफालतुलमालका नष्ट कर देना है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ३८)

(४७७) (अ) बढ़ाया गया दफा ४ ऐक्ट ३ सन् १८९५ ई० के अनुसार

झूँठा हिसाब बनाना. } जो कोई मनुष्य मुत्सद्दी या अहलकार या नौकर हो अथवा मुत्सद्दी या अहलकार या नौकरकी रीतिसे काम करता हो अथवा नियत किया गया हो, जानबूझकर छलनेके अभिप्रायसे कोई वही या किताब या कागज या लिखावट या किफालतुलमाल या हिसाब जो उसके स्वामीका है अथवा उसके स्वामीके पास है अथवा, जो उसने अपने स्वामीके लिये अथवा अपने स्वामीके अधिकार (हक) में पाया हो नष्ट करे या बदले या उसमें काटकूट करे अथवा उसको झूँठा बनाए, अथवा जानबूझकर और छलनेके अभिप्रायसे किसी ऐसी वही या किताब या कागज या लेख या किफालतुलमाल या हिसाबमें कुछ झूँठ मूठ लिखे अथवा उसके लिखनेमे सहायता करे या उपरोक्त वही या किताब या कागज या लिखावट या किफालतुलमाल या हिसाबसे किसी आवश्यकीय बातको निकाल दे अथवा उसमें किसी आवश्यकीय बातको बदल दे अथवा निकाल देने या बदल देनेमे सहायता करे तो उसको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेंगे।

स्पष्टीकरण—जो अपराध इस दफाके अनुसार लगाया जाय उसमे यह काफी होगा कि यह बयान किया जाए कि विशेषरीतिसे छलनेकी इच्छा थी और किसी विशेष मनुष्यका नाम इस अभिप्रायसे न कियाजाए कि उसके छलनेकी इच्छा थी अथवा किसी विशेष रुपयेकी तादादका वर्णन न किया जाए जिसके मध्ये छल करनेका अभिप्राय था अथवा किसी ऐसे विशेष दिन या तारीखका वर्णन न किया जाए जिसमें वह अपराध हुआ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारट (४) बिला जमानत (५) राजीनामा नहीं है।

व्यापार और मालके चिह्नोंके विषयमें।

(४७८) जो चिह्न इस बातके प्रगट करनेके लिये काममे लाया जावे कि कोई अस-

व्यापारका चिह्न. } बाब किसी विशेष मनुष्यका बनाया अथवा तैयार किया हुआ है अथवा किसी विशेष समय या स्थानमें बनाया अथवा तैयार किया गया है अथवा किसी विशेष प्रकारका है वह व्यापारका चिह्न कहलाया जावेगा।

(४७९) जो चिह्न इस बातके प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि कोई स्थावर धन (मालमनकूला) किसी विशेष मनुष्यकों है, वह मालका चिह्न कहलावेगा ।

मालका चिह्न.

(४८०) जो कोई मनुष्य किसी असबाबपर या सदूक या गठरी या किसी और वस्तुपर जिसमे असबाब हो चिह्न बनाये अथवा कोई सदूक या गठरी या कोई और वस्तु जिसपर चिह्न हो काममें लाए यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे, कि वह असबाब जिसपर चिह्न है अथवा कोई असबाब जो ऐसे सदूक अथवा गठरी अथवा वस्तुमे है जिसपर चिह्न है, अमुक मनुष्यने बनाया अथवा तैयार किया है जिसने उसको न बनाया अथवा न तैयार किया हो अथवा यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि वह असबाब अमुक समय या अमुक स्थानपर बनाया गया या तैयार किया गया है जिसमें वह न बनाया गया अथवा न तैयारही कियागया हो अथवा यह कि वह असबाब विशेष प्रकारका है जिस प्रकारका वह न हो तो कहा जावेगा—कि उपरोक्त मनुष्यने व्यापारका झूठा चिह्न काममें लाया ।

व्यापारके झूठे चिह्नको काममें लाना.

(४८१) जो कोई मनुष्य किसी स्थावरधन (माल मनकूला) या असबाब पर या किसी सन्दूक या गठरी या किसी और वस्तुपर जिसमें स्थावरधन अथवा असबाब हो चिह्न बनाए अथवा कोई सन्दूक या गठरी या कोई और वस्तु जिसपर चिह्न हो काममे लाए, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि माल या असबाब जिसपर वह चिह्न है अथवा कोई माल या असबाब जो किसी सन्दूक या गठरी या दूसरी वस्तुमे है जिसपर वह चिह्न हो अमुक मनुष्यका माल है जिसका वह माल न हो, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्य मालके झूठे चिह्नको काममे लाया ।

मालके झूठे चिह्नको काममे लाना.

(४८२) जो कोई मनुष्य कोई व्यापारका झूठा चिह्न अथवा मालका झूठा चिह्न किसी मनुष्यको धोखा देने अथवा हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे काममें लाए, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

किसी मनुष्यको धोखा देने या हानि पहुचानेके अभिप्रायसे व्यापार अथवा मालके झूठे चिह्नको काममे लानेका दण्ड.

टीप—(१) मै० म० या म० अ० या म० दोयम (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) जमानत हैं (५) राजीनामा नहीं है ।

(४८३) जो कोई मनुष्य सर्व साधारणको अथवा किसी मनुष्यको हानि या नुकसान पहुंचानेके अभिप्रायसे जानबूझकर किसी ऐसे व्यापारके चिह्न अथवा ऐसे मालके चिह्नकी जालसाजी करे, जिसको कोई और मनुष्य काममें लाता हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दड या दोनो दड दिये जावेंगे ।

हानि अथवा नुकसान पहुंचानेके अभिप्रायसे व्यापार अथवा मालके किसी ऐसे चिह्नकी जालसाजी जिसको और कोई काममें लाता हो.

टीप—दफा ४८२ के अनुसार है ।

(४८४) जो कोई मनुष्य सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको हानि या नुकसान पहुचानेके अभिप्रायसे जानबूझकर किसी ऐसे मालके चिह्नको झूंठ बनावे जिसको कोई सरकारी नौकर काममें लाता हो अथवा ऐसे चिह्नको झूंठ बनावे जिसको कोई सरकारी नौकर यह प्रगट करनेके लिये काममे लाता हो कि कोई माल किसी विशेष मनुष्यने तैयार किया है अथवा किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थानमे तैयार किया गया है या यह कि वह माल किसी विशेष प्रकारका है अथवा किसी विशेष कचहरीमें होकर आया है या किसी माफीके योग्य है अथवा कोई ऐसा चिह्न जिसको वह झूंठ जानता हो सच्चे चिह्नकी रीतिसे काममें लाए तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

झूंठ बनाना, किसी ऐसे मालके चिह्नका जो सरकारी नौकर काममें लाता हो अथवा किसी ऐसे चिह्नका जो वह किसीमालके तैयार किये जाने आदिको प्रगट करनेके लिये काममें लाताहो

टीप—(१) अदालत सेशन प्रे० म० या म० अ० या म० अ० (२) दस्तन्दाजी पोलीस नही है (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४८५) जो कोई मनुष्य ठप्पा या चपरास या कोई और औजार जो सर्वसबधी अथवा विशेष मनुष्यके, मालका चिह्न अथवा व्यापारका चिह्न बनाने या झूंठ करनेके लिये हो बनाए अथवा अपने पास रक्खे, इस अभिप्रायसे कि उसको उस चिह्नके झूंठके लिये काममे लाए अथवा कोई ऐसा मालका चिह्न या व्यापारका चिह्न इस अभिप्रायसे अपने पास रक्खे कि वह इस बातको प्रगट करनेके लिये काममे लाया जावे कि अमुक माल अथवा सौदागरीकी वस्तु अमुक मनुष्य अथवा अमुक कारखानेकी बनाई अथवा तैयार की हुई

छल छिद्रसे बनाना अथवा पास रखना किसी ठप्पे या चपरास या औजारका, इसलिये कि कोई चिह्न मालका अथवा व्यापारका चाहे सर्व सबधी चाहे निजका झूंठ बनाया जाय.

है जिसको उसने न बनाया अथवा न तैयार किया हो, अथवा यह कि वह किसी समय या किसी स्थानमे बनाई अथवा तैयार की गई है जिसमे वह न बनाई अथवा न तैयार की गई हो, अथवा यह कि वह किसी विशेष प्रकारकी है कि जिस प्रकारकी वह न हो, अथवा यह कि वह किसी मनुष्यका माल है जिसका माल न हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा। जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

टीप—दफा ४८४ के अनुसार है।

जानबूझकर किसी ऐसे मालका बेचना जिसपर व्यापार अथवा मालका झूँठा चिह्न लगा हो.

(४८६) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मालको, जिसपर अथवा जिस सन्दूक या बेठन या वस्तुमें वह माल हो उसपर माल या व्यापारका कोई झूँठा चिह्न लगा अथवा छपा हो चाहे वह सर्वसबंधी हो चाहें निजका किसीको धोखा देने अथवा हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे यह बात जानबूझकर बेचेगा कि यह चिह्न झूँठा है अथवा जालसाजीसे लगाया गया है अथवा छापा गया है जो उस मनुष्यकी अथवा उस समयकी अथवा उस स्थानकी जो कि उस चिह्नसे जान पडता है बनी हुई नहीं है अथवा यह जानबूझकर कि जो प्रकार उस चिह्नसे प्रगट होता है व उस प्रकारकी नहीं है तो उसको दण्ड दोनोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकेगी दिया जावेगा अथवा जुर्मानेका दड या दोनो दड दिये जावेगे।

टीप—(१) प्रे० म० अ० या म० दो० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम समन (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

छल छिद्रसे किसी गठरी अथवा वस्तुपर जिसमें असबाब हो झूँठा चिह्न बनाना.

(४८७) जो कोई मनुष्य किसी गठरी अथवा वस्तुपर जिसमे माल रक्खा हो छलसे कोई झूँठा चिह्न बनाए, इस अभिप्रायसे कि किसी सरकारी नौकरको अथवा किसी और मनुष्यको यह निश्चय कराए कि उस गठरी अथवा वस्तुमें अमुक माल है जो उसमे नहीं है अथवा यह कि उसमें अमुक असबाब नहीं है जो उसमे है अथवा यह निश्चय कराए कि वह असबाब जो उस गठरी अथवा वस्तुमें है किसी भाति या प्रकारका है, जो वास्तवमें उस भाति अथवा प्रकारसे भिन्न हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दड या दोनों दड दिये जावेगे।

टीप—(१) अ० ई० या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

किसी ऐसे झूँठे चिह्नको काममे लानेका दण्ड

(४८८) जो कोई मनुष्य ऊपर लिखी हुई पिछली दफाके अभिप्रायसे कोई ऐसा झूँठा चिह्न छलपूर्वक काममे लाए यह जानकर कि वह चिह्न झूँठा है, तो उसको उसी प्रकारका दण्ड दिया जायगा कि जो पिछली कही हुई दफामे कहा गया है ।

हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे मालके किसी चिह्नको बिगाडना.

(४८९) जो कोई मनुष्य किसी मालके चिह्नको दूरकरे अथवा मिटाए या बिगाडे इस अभिप्रायसे अथवा यह जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्यको हानि पहूँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दड या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा ४८६ के अनुसार है ।

कारेसी नोट और बेकनोटोंके विषयमे ।

कारेंसी या बेकनोटका खोटा बनाना.

(४८९) (अ) जो कोई मनुष्य कारेंसी नोट अथवा बेकनोटको खोटा बनावेगा अथवा जानबूझकर खोटा बनानेके यत्नका कोई काम करेगा तो उसे जन्मभरके लिये देश निकालेका अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—इस दफा और दफा ४८९ ब, क ड के अभिप्रायके लिये शब्द "बैंकनोट" से प्रत्येक ऐसे प्रामिसरी नोट अथवा रुपया चुकानेके इकरारनामेका अभिप्रायहै जो ससारके किसी भागमे बेक अर्थात् महाजनी कारोवार करनेवाले ने जारी किया हो अथवा जो किसी रियासत या उस समयके बादशाहकी ओरसे अथवा आज्ञासे प्रचलित किया गया हो और जिसके मध्ये यह अभिप्राय होवे कि वह रुपयेके समान अथवा रुपयेके बदले काममें लाया जावे।

टीप–(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४८९)-(ब) जो कोई मनुष्य किसी जाली अथवा खोटे बनाए हुए करेंसी नोट या प्रामेसरी नोटको यह जानकर अथवा निश्चय करनेके लिये कारण रखकर कि वह जाली अथवा खोटा है, किसी दूसरे मनुष्यके हाथ बेंचे अथवा उससे प्राप्त करे या मोल लेवे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

जाली अथवा खोटे बैंक-नोट या कारेंसी नोटको सच्चेकोभांति काममे लाना

टीप—दफा ४८९ (अ) के अनुसार है।

(४८९)-(क)—जो कोई मनुष्य अपने पास कोई जाली अथवा खोटा कारेंसी-नोट या बेंकनोट रक्खेगा यह जानकर अथवा निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह जाली अथवा खोटा है और उसे सच्चेकी भांति काममें लानेकी इच्छा करे अथवा यह इच्छा करे कि वह सच्चेकी भाति काममे लाया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

जाली अथवा खोटे बेंकनोटों या कारेंसीनोटोंको अपने अधिकारमे रखना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

(४८९) (ड) जो कोई मनुष्य कोई कल, औजार या सामान बनावे अथवा बनानेके यत्न सम्बन्धी कोई कामको करे या बेचे या मोल ले या अपने अधिकारसे अलग करदे या अपने अधिकारमें रक्खे इस अभिप्रायसे अथवा यह निश्चय करनेके लिये कारण रखकर कि वह किसी कारेसी नोट या बेंकनोटके जाली बनाने अथवा खोटा करनेके काममें लाया जावेगा तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

कारेंसी नोट या बेंक नोटको जाली या खोटा बनानेके अभिप्रायसे औजार या सामान बनाना अथवा अधिकारमे रखना.

टीप—दफा ४८९ (अ) के अनुसार है।

अध्याय उन्नीसवाँ १९.



नौकरीका कौल करार दंड योग्य रीतिसे तोडनेके विषयमे।

जल अथवा थलके सफरमें नौकरीके कौल करारको तोडना.

(४९०) जो कोई मनुष्य, जिसपर किसी नीतिपूर्वक कौल करारके अनुसार किसी मनुष्यको अथवा मालको एक स्थानसे दूसरे स्थानको लेजाने अथवा पहुँचानेमे अपने शरीरसे काम करना अथवा जल या थलके मार्गमें किसी मनुष्यकी नौकरी करना अथवा जल या थलके मार्गमे किसी मनुष्य अथवा मालकी चौकसी करना अवश्य हो जानबूझकर ऐसा करनेसे चूकेगा, सिवाय बीमारी अथवा बदसलूकीकी अवस्थाके, तो उसे दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो सौ रुपये तक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर पालकीका एक कहार जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनुसार रमाशंकरको एक स्थानपर दूसरे स्थानसे ले जाना अवश्य था, राहपरसे भाग गया तो शिवशंकरने इस दफामे कहा हुआ अपराध किया।

(ख) शिवशंकर एक कुली जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनुसार रमाशंकरका असबाब एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना अवश्य था, असबाबको फेंककर चल दे तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ग) शिवशंकर बैलोंके एक मालिकने जिसपर अनीतिपूर्वक किये हुए कौल कारारके अनुसार कुछ माल अपने बैलोंपर लादकर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचाना अवश्य था, ऐसा करनेमें कानून विरुद्ध चूक की तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(घ) शिवशंकरने रमाशंकरको जो एक कुली है अनीति पूर्वक अपना असबाब ले चलनेके लिये दबाया, रमाशंकर राहमे असबाब रखकर भाग गया तो यहा जो कि असबाबका पहुँचाना रमाशंकरपर कानूनानुसार उचित न था, इसलिये रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं हुआ।

स्पष्टीकरण—इस अपराधके प्रमाणित होनेके लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि कौल करार उस मनुष्यके साथ किया जाय जिसकी नौकरी करनी हो वरन यही काफी है कि उस मनुष्यने जिसको वह नौकरी करनी पडेगी किसी मनुष्यके साथ वह कौलकरार कानूनके अनुसार किया हो, चाहे वह प्रगट रीतिपर किया हो अथवा अप्रगट रीतिपर।

उदाहरण ।

शिवशंकरने किसी डाक कम्पनीके साथ उसकी गाडी एक महीनेतक हांकनेका कौल करार किया, रमाशंकरने सफरमे जानेके लिये उस डाक कम्पनीकी गाडी भाडेकी और उस कम्पनीने रमाशंकरको उस महीनेके भीतर वही गाडी दी जिसको शिवशंकर हांकता था, शिवशंकरने जानबूझकर सफरमें गाडी छोडदी तो यहां- यद्यपि शिवशंकरने रमाशंकरके साथ कौलकरार नहीं किया था तथापि वह इस दफामें कहे हुए अपराधका अपराधी हुआ ।

टीप—(१) प्रे० म० म० अ० या म० दो० (२) पोलीस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, (३) अपराधीके नाम समन (४) जमानत है (५) राजीनामा है ।

१—अपराधीने एक मनुष्यके साथ वह इकरार किया कि वह मनुष्य अपराधीकी गाडीपर अपना माल एक नियत समयतक जहां चाहे वहा लेजाय, और फिर अपराधीने अपनी गाडी न दी तजवीज हुई कि अपराधीके अपराधका दफा ४९० से सम्बन्ध न था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ९ सफा १२)

असमर्थमनुष्यकी टहल करने, और जो वस्तु उसके लिये अवश्य चाहिये उसके पहुचानेके कौल करारको तोडना ।

(४९१) जो कोई मनुष्य, जिसपर नीतिपूर्वक कौल करारके अनुसार किसी ऐसे मनुष्यकी सेवा करना अथवा आवश्यकीय वस्तुओंका पहुंचाना उचित है जो कम अवस्थाके कारण अथवा सिडी होजानेके कारण अथवा रोग या शरीरकी दुर्बलताके कारण असमर्थ है—अथवा जो अपनी रक्षाका यत्न करने या जो वस्तु उसे चाहिये उसके प्राप्त करनेके अयोग्य है जानबूझकर ऐसा करनेमें चूक करे, तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो दो सौ रुपये तक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा ४९० के अनुसार है ।

किसी दूर देशमें नौकरी करनेके कौलकरारको तोडना. जहां नौकर मालिकके खर्चसे पहुंचाया गया हो.

(४९२) जो कोई मनुष्य, जिसपर किसी नीतिपूर्वक लिखे हुए कौल करारके अनुसार किसी और मनुष्यके लिये दस्तकार या कारीगर या मजदूरकी रीतिसे किसी समय तक, जो तीन वर्षसे अधिक न हो, ब्रिटिश इण्डियाके भीतर किसी ऐसे स्थानमे काम करना उचित है, जहा वह उस कौलकरारके अनुसार उस मनुष्यके खर्चसे पहुँचाया गया हो अथवा पहुँचाए जानेको हो, उस मनुष्यकी नौकरी परसे उस कौलकरारकी मीआदके भीतर जानबूझकर भाग जाए अथवा विना किसी उचित कारणसे उस नौकरीके करनेसे नाहीं करे जिसके करनेका उसने कौल करार किया हो और वह नौकरी उचित अथवा योग्य हो, तो उस को दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद

एक महीनेसे अधिक न हो अथवा जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद उस खर्चेकी दुगुनी तादादसे अधिक न हो या दोनों दंड दिये जावेगे सिवाय उस अवस्थामे कि जब यह बात पाई जावे कि नौकर रखनेवालेने उसके साथ बदसलूकी की हो अथवा अपनी ओरसे कौल करारका दावा पूरा करनेमे भूल की हो।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम समन (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

१—दफा ४९२ का जिसके अनुसार दस्तकार, कारीगर या मजदूरको नौकरीके कौल करारका तोडना अपराध है, बरऊ नौकरोंसे सम्बन्ध नहीं है। (पंजाब रिकार्ड नं० २० सन् १८७६ ई०)

अध्याय बीसवाँ २०.

उन अपराधोंके वर्णनमे जो विवाहसे सम्बन्ध रखते हैं।

संभोग, जो किसी पुरुषने नीतिपूर्वक विवाहका धोखा देकर कियाहो

(४९३) प्रत्येक ऐसे पुरुषको, जो किसी स्त्रीको जिसका नीतिपूर्वक विवाह उस पुरुषके साथ न हुआ हो, धोखा देकर यह निश्चय कराए कि उस स्त्रीका नीतिपूर्वक विवाह उसके साथ हुवा है, और उस निश्चयके द्वारा वह अपने साथ उस स्त्रीका संभोग करनेका कारण होवे उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नही है।

स्त्री अथवा पतिके जीते जी दुबारा विवाह करना

(४९४) जिस किसीकी स्त्री या पति जीवित हो और वह उस अवस्थामें विवाह करे कि जिसमें ऐसा विवाह उस स्त्री या पतिके जीवित रहनेके कारण रद्द हो जावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

छूट।

यह दफा ऐसे मनुष्यसे सम्बन्ध न रक्खेगी जिसका विवाह ऐसी स्त्री या पतिके साथ किसी अदालत मजाज (समर्थ न्यायालय) के न्यायसे रद्द कर दिया गया हो,

और न ऐसे मनुष्यसे यह दफा सम्बन्ध रक्खेगी जो अपने पहिले पति या स्त्रीके जीतेजी विवाह करे यदि वह पति या स्त्री उस पिछले विवाहके समय सात वर्षकी मीआद तक बराबर उसके पाससे बिछुड़ा रहा हो या रही हो और न उसने उस समयके बीचमें कभी सुना हो कि वह जीवित है–परतु नियम यह है कि पिछला विवाह करनेवाला या करनेवाली विवाह होनेसे पहिले उससे जिसके साथ विवाह करे सब वृत्तात सत्य २ जहातक जानता या जानती हो कह दे।

टीप–(१) अदालत सेशन (२) अपराधीके नाम वारण्ट (३) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

१—कैदीने अपनी स्त्रीके जीतेजी एक दूसरी स्त्रीके साथ ब्याह करनेके मध्ये इश्तिहारात (विज्ञापन) जारी किये और मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वलने उसको दूसरे विवाहके उद्योगमें अपराधी ठहराकर दफा ४९४ व ५११ के अनुसार सेशन सिपुर्द किया–और सेशन जज आगरेने उसको तीन वर्षकी कडी कैदका दण्ड दिया–हाईकोर्टने तजवीज की कि विज्ञापनका देना विवाह करनेकी तैयारीमे दाखिल था परन्तु उद्योगकी सीमातक न पहुँचता था। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा २१६)

२—यदि किसी कम अवस्थावाली (नाबालिग) मुसलमान स्त्रीका दूसरा विवाह उसके अव्वल पतिके जीतेजी उस स्त्रीका रक्षक किसी मनुष्यके साथ करदे तो उसपर दफा ४९४ व दफा १०९ का अपराध नही ठहराया जा सकता। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ हिस्सा १० नं० ३७९)

३—खानदेशके रहनेवाले एक राजपूतने अपनी स्त्रीको तलाकनामा (दस्तावेज छोड छुट्टी) लिख दिया–परन्तु उसमें कोई उचित कारण न लिखा, इसलिये वह दूसरा विवाह करनेवाला राजपूत दफा ४९४ का और विवाह करानेवाला पुरोहित दफा १०९ व ४९४ के अपराधमें सहायता करनेका अपराधी हुआ। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ६ सफा १२९ नं १७८)

४—यदि कोई हिन्दू स्त्री मुसलमानीमत स्वीकार करले, तो उसके मुसलमान हो जानेसे उसका विवाह उसके पतिसे रद्द न होजावेगा इसलिये वह अपने पतिके जीतेजी कोई दूसरा नीतिपूर्वक विवाह नहीं कर सकती अतएव किसी मुसल्मानके साथ निकाह करना हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४९४ के अपराधमे गिना जायगा (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ४ सफा ३३०)

५—एक कम अवस्थावाली (नाबालिग) मुसलमान लडकीका विवाह उसकी माने (क) के साथ कर दिया, लडकीके युवा (बालिग) होनेसे पहिले (क) जेलखाने चलागया, इस समयके बीचमे लडकी युवा हुई तब उसने (ख) के साथ विवाह कर लिया–इतनेमें (क) जेलखानेसे छूट आकर लडकी और (ख) के नाम दूसरा विवाह करनेके अपराधमे नालिश की–तजवीज हुई कि शिया व सुन्नी दोनो मतोमे लडकीको यह अधिकार है कि वह युवा होनेपर अपने निकाहको कायम रक्खे अथवा न रक्खे–इसलिये लडकीने युवा होनेपर अपने पहिले निकाह को स्वीकार नहीं किया अतएव कोई अपराध नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ७९)

६—ताजीरात हिन्दकी दफा ४९४ के अनुसार अपराधीका दण्ड नही ठहर सकता, उस अवस्थामे कि जब गवाहीसे यह प्रमाणित हो जावे कि उस कौमके चलनेके अनुसार सगाई या निकाहका विवाह उचित होता है, जब कि पति अपनी स्त्रीको छोड देवे। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ६२७)

यही अपराध पहिले विवाहका उससे जिसके साथ पिछला विवाह हुआ छिपाकर करना

(४९५) जो कोई मनुष्य पहिले विवाहका वृत्तात उससे छिपा रखकर जिसके साथ वह पिछला विवाह करता है उस अपराधका अपराधी हो जिसका वर्णन इसके ऊपरका पिछली दफामे किया गया है, उसको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाजी पोलीस नही है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नही है।

नीतिपूर्वक विवाह करनेके विना छलके साथ विवाहकी रीतिको पूरा करना.

(४९६) जो कोई मनुष्य अधर्मसे अथवा छलके अभिप्रायसे विवाहकी रीति भाति को पूरा करे, यह जानकर कि उसके द्वारा उसका विवाह नीति-पूर्वक नहीं ठहर सकता, उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानका भी देनदार होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नही है।

१—दफा ४९६ के अपराधमें इस बातका प्रमाणित होना अवश्य है कि अपराधीकी इच्छा छल करनेकी थी केवल अपने घरमें ही विवाहकी रीति भाँतिका पूरा करना—अनुचित विवाहमें सहायता करनेके अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता। (वीक्ली रिपोर्टर इस्पेशल सीजर सफा १३)

व्यभिचार.

(४९७) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी स्त्रीसे जो किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है या जिसको वह जानता अथवा जाननेका कारण रखता है कि वह किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है, विना प्रसन्नता अथवा सम्मति उस पुरुषके सम्भोग करे और वह सम्भोग बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधकी सीमातक न पहुँचे तो वह मनुष्य व्यभिचारके अपराधका अपराधी होगा और उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा, जिसकी मीआद

पांच वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दण्ड दिये जावेंगे—ऐसी अवस्थामें स्त्री सहायककी रीतिपर दंड दिये जानेके योग्य न होगी ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्र० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारट (४) जमानत है (५) राजीनामा है ।

१—मुकद्दमेकी अपील किये जानेके पश्चात् व्यभिचारके मुकद्दमेमें दस्तबरदारीकी इजाजत (मुकद्दमेको उठा लेना) नहीं दी जा सकती । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३३९)

२—(क) पर (द) और (च) ने जो (द) की स्त्री बयान की गई है (च)-से व्यभिचार करनेका अपराध लगाया और व्यभिचारका अपराध, तजवीजके अभिप्रायसे ठहराया गया विवाहकी गवाही उनके बयानोंमें न थी कि उनका विवाह आपसमें हुआ और (क) का यह बयान था कि (च) द की स्त्री नहीं है, (क) पर व्यभिचारका अपराध प्रमाणित हुआ—तजवीज हुई कि मुद्दइयोंकी गवाह व्यभिचारका अपराध प्रमाणित होनेके लिये काफी नहीं है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २३३)

३—एक स्त्रीके पतिने कि जिसके साथ अपराधीका व्यभिचार करना कहा गया था, मुकद्दमेकी पैरवी न की, तो अदालतने अपराधीको छोड दिया । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा २७)

४—जिस मनुष्यके साथ कोई स्त्री अपने पतिके जीते जी और उसकी इच्छाके विरुद्ध दूसरा विवाह करले तो वह मनुष्य उस स्त्रीके साथ सम्भोग करनेसे दफा ४९७ के अनुसार व्यभिचारका अपराधी गिना जायगा । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द २ सफा ११७)

५—(क) ने (ख) के घरमें विना आज्ञा (ख) के घुसकर उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार किया तजवीज हुई कि (क) को व्यभिचार और घरकी मदाखलत बेजाके अपराधमें अलग २ दंड दिया जा सकता था क्योंकि वे अलग अपराध थे । (पंजाब रिकार्ड नं ५ सन् १८७१ ई०)

बुरी इच्छासे किसी व्याही हुई स्त्रीका फुसला ले जाना या ले उडना अथवा रोक रखना.

(४९८) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीको जो किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है अथवा जिसको वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता है कि वह किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है, उस पुरुषके पाससे अथवा किसी और मनुष्यके पाससे जो उपरोक्त पुरुषकी ओरसे उपरोक्त स्त्रीका रक्षक हो, ले उडे अथवा फुसला लेजाय इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त स्त्री किसी मनुष्यसे अनुचित सम्भोग कराए अथवा उस अभिप्रायसे किसी ऐसी स्त्रीको छिपाए अथवा रोक रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) जमानत है (५) राजीनामा है।

१—जब एक स्त्री जिसको उसके पतिने छोड दिया था अपनी प्रसन्नतासे अपराधीके साथ चली गई तो अपराधीपर दफा ४९८ का अपराध नहीं ठहर सकता, क्योंकि अपराधीने उसको किसी प्रकारसे नहीं बहँकाया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ३५)

२—स्त्री भगा ले जानेके अपराधमें फरियादी (मुस्तगीस) व स्त्री व स्त्रीकी माँका बयान विवाहके हो जानेका पूरा प्रमाण है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ९ सफा ९)

३—अपराधीपर दफा ४९८ के अनुसार यह अपराध लगाया गया कि वह एक स्त्री (अ) को जो उस समय (म) की स्त्री थी और अपराधी उसको (म) की स्त्री जानता था, उसके साथ सम्भोग करनेकी इच्छासे ले भागा—तजवीज हुई कि अपराधीने अपराध किया था, यद्यपि स्वयं उस स्त्रीने अपने ले भागनेके लिये अपराधीसे कहा था और अपराधी बहुत दिनों तक उसका कहना माननेसे नाहीं करता रहा था। (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास जिल्द २ सफा ३३१)

४—अपराधीको दफा ४९८ के अपराधमें इसलिये दण्ड न दिया गया कि फरियादीने नालिश करनेके पहिले अपनी स्त्रीको तलाक दे दी थी—(पंजाब रिकार्ड न० २७ सन् १८७९ ई०)

अध्याय इक्कीसवाँ २१. *

अपयश लगानेके विषयमें।

(४९९) जो कोई मनुष्य शब्दोंसे जो उच्चारण किये गये हों अथवा जो पढ़े जानेके अभिप्रायसे हों अथवा चिह्नोंसे या प्रत्यक्ष चित्र इत्यादिसे किसी मनुष्यके मध्ये कोई जाल (तुहमत) लगावेगा या छापकर प्रगट करेगा इस अभिप्रायसे कि उस मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचे अथवा यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि, वह जाल उस मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचाएगा तो सिवाय आगे लिखी हुई छूटोंके कहा जायगा कि उसने उस मनुष्यको अपयश लगाया।

अपयश लगाना.

स्पष्टीकरण-१— किसी मरे हुए मनुष्यको कोई तुहमत लगानेसे भी अपयश लगाना हो सकेगा जब कि उस अपयशके लगानेसे उस मनुष्यके यशको जब कि वह

---

* कोई दण्ड अध्याय २१ सम्बन्धीका न्याय सताये (मजलूम) मनुष्यकी नालिश होनेपर होसकता है (देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा १९८)

अदालतोंको अधिकार है कि दफा ५०२ का अपराध प्रमाणित होनेपर किताबों अथवा और वस्तुओंके जिनके कारण अपराध हुआ नष्टकर देनेकी आज्ञा दे—(ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१)

जीवित होता हानि पहुँचती और उससे यह अभिप्राय हो कि उस मनुष्यके लडके वालों अथवा नगीचके नातेदारोंके मनको दुःख पहुँचे ।

स्पष्टीकरण—२—किसी कम्पनी या समाजको अथवा मनुष्योंके समूहको, जो कम्पनी या समाजकी रीतिसे इकट्ठा हुए हों, किसी बातकी तुहमत लगाना भी अपयशका लगाना हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण—३—दो अर्थवाले अर्थ शब्द कहकर अथवा व्याजस्तुति करके कुछ बातका कहना भी अपयशका लगाना हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण—४—किसी तुहमतके मध्ये न कहा जावेगा कि वह किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचाता है, सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह तुहमत स्पष्टरीतिपर या लौट फेरकर और लोगोंकी दृष्टिमे उस मनुष्यके सुचाल या बुद्धिमानीके कम होजानेका कारण हो, अथवा उसको जात पात या व्यवहारमे बट्टा लगे अथवा उसकी साख बिगडे अथवा इस बातके निश्चय किये जानेका कारण होवे कि उस मनुष्यका शरीर घृणित अवस्थामें या एक ऐसी अवस्थामें है जो बहुधा कलंकित गिने जानेका कारण है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने कहा कि—रमाशंकर ईमानदार मनुष्य है, उसने गिरिजाशंकरकी घडी कभी नहीं चुराई—यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि रमाशंकरने गिरिजाशंकरकी घडी चुराई है तो यह अपयशलगाना कहलावेगा सिवाय इसके कि छूटोंमेंसे किसी छूटमे आजाए ।

(ख) शिवशंकरसे पूछा गया कि, गिरिजाशंकरकी घडी किसने चुराई—शिवशंकरने रमाशंकरकी ओर इशारा किया, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि, रमाशंकरने गिरिजाशंकरकी घडी चुराई, तो यह अपयश लगाना कहलावेगा—सिवाय उस अवस्थामे कि, जब वह किसी छूटमे आजाए ।

(ग) शिवनन्दनने यशोदानन्दनका एक ऐसा चित्र (तस्वीर) खींचा कि वह रामस्वरूपकी घडी लिये भागा जाता है, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि—यशोदानन्दनने रामस्वरूपकी घडी चुराई है तो यह अपयशका लगाना है—सिवाय उस अवस्थामे कि, जब वह किसी छूटमें आजाय ।

किसी सच्ची बातकी तुहमत लगाना, जिसको लगाना, अथवा प्रगट करना सर्वसाधारणके लाभके लिये उचित हो.

१—छूट—किसी मनुष्यके मध्ये किसी सच्ची बातकी तुहमत लगानी अपयशका लगाना न कहलावेगा जब कि उसका लगाना अथवा प्रगट करना सर्वसाधारणके लाभके लिये उचित हो—यह बात जांचना, कि इससे वास्तवमे सर्व साधारणका लाभ है या नहीं, उस समयकी जांचके आधीन होगी ।

२—छूट—शुद्धस्वभावसे कुछ विचाराश (राय) किसी सर्वसम्बन्धी नौकरकी कार्रवाईके मध्ये अथवा उसके बर्त्ताव व चलनके मध्ये, वहीं तक जहा तक कि वह चलन उस कार्रवाईसे सम्बन्ध रखता हो प्रगट करदेना अपयश लगाना न कहलावेगा।

सरकारी नौकरका बर्त्ताव उसकी नौकरीकी रीतिपर.

३—छूट—किसी रायका शुद्धभावसे प्रगट करना किसी मनुष्यकी कार्रवाईके ढगके मध्ये, जो सर्वसाधारणके किसी कामसे सम्बन्धित हो, और उस मनुष्यके चलन अथवा गुणके मध्ये, जहातक कि वह चलन अथवा गुण उस कार्रवाईके ढगसे प्रगट होता हो और न उससे अधिक, अपयश-लगाना नहीं है।

सर्वसम्बधी कामके मध्ये किसी मनुष्यकी कार्रवाईका ढग.

उदाहरण।

शिवशकरका नीचे लिखी बातोंमें रमाशकरके वर्त्तावके मध्ये कोई राय शुद्धभावसे प्रगट करना अपयश लगाना नहीं है, अर्थात्, सर्व सम्बन्धी किसी कामके मध्ये गवर्नमेंटको अर्जी देनेमें, अथवा किसी सर्व सम्बधी मामलेकी सभा होनेके लिये बुलावेके कागजपर दस्तखत करने अथवा उस प्रकारकी सभाका मुखिया या साक्षी होनेमें अथवा सबसे सहायता मांगनेके लिये किसी सभाके जोडने या उसका साथी होनेमें, अथवा किसी ऐसे ओहदेके लिये, जिसका काम भली प्रकारपर करनेमें सर्वसाधारण मनुष्योंके अभिप्रायका सम्बन्ध हो, किसी उम्मेदवारके चुननेके मध्ये राय देने अथवा उसके लिये औरोंसे राय प्राप्त करनेके मध्येमें,—

४—छूट—कोर्टआफजस्टिसकी किसी कार्रवाई अथवा उसकी कार्रवाईके फलके मध्ये पक्की रीतिपर सच्ची कैफियतका प्रगट करना अपयश लगाना नहीं है।

कोर्टआफजस्टिसकी कार्रवाईकी कैफियतका प्रगट करना

स्पष्टीकरण—कोई जस्टिस आफ दी पीस या दूसरा अफसर जो खुली कचहरीमें तहकीकात कर रहा है, पहिले इसके कि वह मुकद्दमा किसी कोर्टआफजस्टिसमे पेश हो, एक ऐसी अदालत है जो ऊपर लिखी दफाके अभिप्रायमें गिनीजाती है।

५—छूट—दीवानी या फौजदारीके किसी मुकद्दमेकी व्यवस्थाके मध्ये, जो किसी कोर्टआफजस्टिसने निवटाया हो अथवा किसी मनुष्यकी कार्रवाईके ढगके मध्ये, उसके किसी ऐसे मुकद्दमेमें पक्षपाती या गवाह या कारिन्दा होनेकी रीतिसे या ऐसे मनुष्यके चलन अथवा गुणके मध्ये जहातक कि, उसकी कार्रवाईके ढंगसे वे चलन अथवा गुण प्रगट होते हों, और न इससे अधिक, किसी रायका शुद्धभावसे प्रगट करना, अपयश लगाना नहीं है।

किसी मुकद्दमेकी कैफियत, जिसका निबटेरा कोर्टआफजस्टिसमें हुआ-अथवा गवाही और और मनुष्योंकी कार्रवाईका ढंग जो उससे सम्बन्ध रखते हों.

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर कहै कि मेरी समझमे रमाशंकरकी गवाही अमुक मुकद्दमेमें ऐसी बुरी है कि वह अवश्य मूर्ख अथवा अधर्मी है–तो शिवशंकर इस छूटमे गिना जायगा यदि वह शुद्धभावसे यह बात कहता है, क्योकि वह राय जो शिवशंकर प्रगट करता है रमाशंकरके चलन व गुणसे सम्बध रखती है जैसा उसकी कार्रवाईके ढगसे गवाही होनेपर प्रगट होता है और न इससे अधिक–

(ख) परतु यदि शिवशंकर यह कहै कि रमाशंकरने अमुक मुकद्दमेमे. जो बयान किया है उसको मैं सत्य नहीं मानता, क्योंकि रमाशंकरका स्वभाव झूंठ बोलनेका है तो शिवशंकर इस छूटमें नहीं गिना जायगा क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके चलन व गुणके मध्ये बयान करता है ऐसी राय है जो रमाशंकरकी गवाहीसे सम्बन्ध नहीं रखती ।

६–छूट–शुद्धभावसे किसी सम्मतिका प्रगट करना किसी कामकी व्यवस्थाके मध्ये जिसको किसी काम करनेवालेसे सर्व साधारणकी रायपर छोडा हो अथवा काम करनेवालेके चलन व गुणके मध्ये, जहातक कि वे चलन व गुण उस कामसे प्रगट होते हों और न उससे अधिक, अपयश लगाना नहीं है ।

किसी सर्व सम्बन्धी कामकी व्यवस्था.

स्पष्टीकरण–कोई काम सब लोगोंकी रायपर या तो स्पष्ट रीतिसे छोडा जासकता है अथवा काम करनेवालेके ऐसे कामोसे जिनसे सब लोगोंकी रायपर उस कामका छोडा जाना पाया जाता हो ।

उदाहरण ।

(क) वह मनुष्य जो किसी पुस्तकको छपवाए, उस पुस्तकको सर्व साधारणकी राय पर छोडता है ।

(ख) वह मनुष्य जो सब लोगोके सामने कुछ बात कहता है, उस बातको सर्व साधारणकी रायपर छोडता है ।

(ग) कोई भाड या गवइया जो सर्वसाधारण जल्सेमे अपना गुण प्रगट करे वह अपने खेल अथवा गानको सर्व साधारण की रायपर छोडता है ।

(घ) शिवशंकर किसी पुस्तकके मध्ये जो रमाशंकरने छपवाई है कहै कि रमाशंकरकी पुस्तक मूर्खताकी है और इसलिये रमाशंकर अवश्य मूर्ख है अथवा रमाशंकरकी पुस्तक अश्लील (फह्हा)है और इसलिये अवश्य रमाशंकर निर्लज्ज (फाहिशुल अक्ल) मनुष्य है तो शिवशंकर इस छूटमे गिना जायगा–यदि वह यह बात शुद्धभावसे कहता है, क्योकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके मध्ये प्रगट करता है केवल रमाशंकरके चलन व गुणसे सम्बन्ध रखती है जहांतक कि वे रमाशंकरकी पुस्तकसे प्रगट होते हैं न कि उससे अधिक;—

(ङ) परतु यदि शिवशंकर यह कहे कि रमाशंकरकी पुस्तक मूर्खता और निर्लज्जता की होनेका मुझे कुछ आश्चर्य नहीं है क्योंकि वह मूर्ख और कामी मनुष्य है तो शिवशंकर इस छूटमें नहीं गिना जायगा, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके चलन व गुणके मध्ये प्रगट करता है ऐसी राय है जो रमाशंकरकी पुस्तकसे सम्बन्ध नहीं रखती ।

शिक्षादोष (लानत मलामत) जो शुद्ध भावसे कोई ऐसा मनुष्य दे जिस को कानूनकी रीतिसे दूसरे पर अधिकार प्राप्त हो

७—छूट—जिस मनुष्यको दूसरेपर कानूनकी रीतिसे अथवा किसी कौल करारके द्वारा जो उस दूसरेके साथ कानूनानुसार हुआ हो कुछ अधिकार प्राप्त हो उसकी ओरसे उस दूसरे मनुष्यकी कार्रवाईके मध्ये किसी बातमें जिसमें उसका नीतिपूर्वक अधिकार सम्बन्ध रखता हो शुद्धभावसे कुछ दोष लगाया जाय तो वह अपयशका लगाना न कहलावेगा ।

उदाहरण ।

नीचे लिखे हुए मनुष्य इस छूटमें गिने जायगे, अर्थात् कोई जज जो किसी गवाहको अथवा अपनी अदालतके अहलकारको उसकी कार्रवाई पर शुद्धभावसे शिक्षादोष (लानत मलामत) लगाता हो—अथवा किसी सरिश्तेका हाकिम जो शुद्धभावसे अपने आज्ञाकारियों (मातहतों) को शिक्षादोष लगाता हो अथवा कोई मा या बाप जो अपने बालकको और बालकोंके सामने शुद्धभावसे शिक्षादोष लगावे अथवा कोई मास्टर (अध्यापक) जिसको किसी विद्यार्थीके मा बापकी ओरसे अधिकार प्राप्त हो, उस विद्यार्थीपर और विद्यार्थियोंके सामने शुद्धभावसे शिक्षादोष लगाता हो -अथवा कोई स्वामी जो अपने नौकरको सेवा करनेमें सुस्त होनेके मध्ये शुद्धभावसे फटकारता हो अथवा कोई महाजन जो अपनी कोठीके खजानची (गोकड़िया) को उसके चलनके ढगके मध्ये उसके रोकड़िये-पनके काममें शुद्धभावसे शिक्षादोष लगाता हो ।

शिकायत जो अधिकारी मनुष्यके सामने पेश की जाये.

८—छूट—शुद्धभावसे किसी मनुष्यकी शिकायत करनी किसी मनुष्यके सामने उन मनुष्योंमेंसे, कि जो उस मनुष्यपर शिकायतके विषयके मध्ये उचित अधिकार रखते हैं अपयशका लगाना नहीं है ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर किसी मजिस्ट्रेटके सामने शुद्धभावसे रमाशंकरकी शिकायत करे अथवा यदि शिवशंकर शुद्धभावसे रमाशंकरके चलनके मध्ये जो नौकर है उसके स्वामीसे शिकायत करे—अथवा यदि शिवशंकर शुद्धभावसे रमाशंकरका जो एक बालक है उसके चलनके मध्ये उसके बापसे शिकायत करे—तो शिवशंकर इस छूटमें गिना जायगा ।

९—छूट—किसी मनुष्यके चाल चलनके मध्ये तुहमत लगाना अपयश लगाना नहीं है जब कि वह तुहमत शुद्धभावसे तुहमत लगानेवालेकी या किसी और मनुष्यकी स्वार्थरक्षाके लिये या सर्व साधारणके लाभके लिये लगाई जावे ।

अपने स्वार्थकी रक्षाके लिये अथवा सर्व साधारण के भलेके लिये किसी मनुष्यको शुद्धभावसे कुछ बात लगानी.

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर एक दूकानदार रमाशंकरसे जो उसका कामकाज करता है कहे कि तुम गिरिजाशंकरके हाथ कोई वस्तु न बेचो सिवाय इसके कि तुमको वह रोक दाम दे क्योंकि मैं उसकी कुछ साखी नही मानता हूं—तो शिवशंकर इस छूटमे गिना जायगा यदि उसने यह तुहमत अपनी स्वार्थरक्षाके लिये शुद्धभावसे गिरिजाशंकर पर लगाई हो ।

(ख) शिवशंकर एक मजिस्ट्रेटने अपने ऊपरके अफसरके यहा रिपोर्ट करके रमाशंकरके चलनकी बुराई लगाई तो यहां शिवशंकर इस छूटमे गिना जायगा जब कि वह बुराई शुद्धभावसे और सबके भलेके लिये लगाई गई हो ।

१०—छूट—एक मनुष्यको दूसरे मनुष्यके मध्ये शुद्धभावसे सावधान कर देना अपयश लगाना न होगा जब कि वह सावधानीकी बात उस मनुष्यके भलेके लिये हो जिससे वह कही गई हो अथवा और किसी मनुष्यके भलेके लिये जिसमे उसका कुछ स्वार्थ हो अथवा सबके लिये हो ।

सावधान करना जिसमे उस मनुष्यका लाभ हो कि जिसे सूचना दी गई हो अथवा जिससे सर्व साधारणके लाभका अभिप्राय हो

१—(म) को उसकी जातवालोंने इस जातपर जातबाहर कर दिया कि वह उसी जातकी एक स्त्रीके साथ पकडागया—उसी जातिके कुछ पंचोने अपनी जाति बिरादरी वालोंके यहां एक चिट्ठी भेजी जिसमें यह लिखा था कि (म) और उपरोक्त स्त्री जात बाहर कर दीगई बिरादरीवाले उन्हे अपने घरमे न रक्खें और न उनके साथ खावें यह बयान दफा ४९९ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहके अनुसार अपयश लगाना था, इसलिये तजवीज हुई कि यदि उपरोक्त मनुष्य असावधानीके साथ ऐसे शब्द-काममे लाए कि जो (म) से सम्बन्ध रखते थे तो उन मनुष्योने अपनी दायित्वसे ऐसा किया और वह (म) को अपयश लगानेके कारण किसी उपरोक्त शब्दके द्वारा नहीं बचसकते । (इ०ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६६४)

२—हिंदुस्थानमे किसी एडवोकेट (वकील आदि) के विरुद्ध, किसी ऐसे शब्दके मध्ये जो उसने अपने ओहदेके अधिकारसे कहा हो दीवानी या फौजदारी मुकद्दमा नही चलसकता । (इ०ला० रि० मदरास जिल्द १० सफा २८)

३—किसी समाचार पत्रका मेनेजर और एडीटर जो अपने समाचार पत्रमे अपयशसे भरा हुआ एक लेख एक शहरमे छापकर किसी दूसरे शहरमें अपने समाचार पत्रको भेजे, तो वह जबतक कि इसके विरुद्ध कोई दूसरा प्रमाण न होवे उस दूसरे शहरमे अपयशसे भरे हुए लेखके प्रगट करनेका जिम्मेदार होगा । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफा २८६)

४–अपराधी जो इन्स्पेक्टर पोलीस था इस बातकी जांचके लिये भेजागया कि ब्रजनाथ डाकुवों-का मुखिया है या नहीं–उसने रिपोर्ट की कि वह बात झूँठी है और गांवके बनिये ब्रजनाथको फँसाया चाहते हैं उसने यहभी लिखा कि मुझे गुप्त रीतिसे प्रगट हुवा है कि गांवमे ऐसी कोई बनियेकी स्त्री नहीं है जो एक या दो रात ब्रजनाथके पास न रही हो–हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि जो कि अफ्सर पोलीसने यह रिपोर्ट उस अवस्थामें की थी जब वह अपना सरकारी काम कर रहाथा और उसमें ऐसे बयान थे कि जो असावधानी अथवा अनुचित रीति पर नहीं लिखे गये, इसलिये इन्स्पेक्टर पोलीसकी रिपोर्ट अपयश लगानेकी सीमातक नहीं पहुँचसकती वरन् वह दफा ४९९ की छूट ९ का लाभ उठासकता है। (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ४२)

५–किसी गवाहपर अपयश लगानेका अपराध उन बयानोंसे नहीं ठहराया जा सकता जो उसने गवाही देते समय गवाहीके कठहरेमें किये हो। (इ० ला० रि०बम्बई जिल्द १७ सफा ५७३)

६–जब किसी ब्याही स्त्रीपर कुचालकी तुहमत लगाई जाय तो ऐसा कहा जावेगा कि उसका पति दुःख पाया हुआ मनुष्य है और मजिस्ट्रेट ऐसे पतिकी नॉलिशपर अपराधका विचार कर सकता है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ३७९)

७–हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहमें कहकर (वाक्य द्वारा) और लिखकर (लेख द्वारा) अपयश लगानेमें कोई अन्तर नहीं रक्खा गया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ३६)

८–अपराधीने एक मनुष्यको बहिन बेटीकी गाली दी, इसलिये मजिस्ट्रेटने अपराधीको अपयश लगानेका दोषी ठहराया, हाईकोर्टसे तजवीज हुई कि प्रायः ऐसी गालिया लोग आपसके झगडेमें दिया करते हैं, इसलिये अपराधीपर दफा ४९९ का अपराध नहीं ठहर सकता। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह फर्वरी सन् १८८३ ईस्वी सफा ३६)

९–किसी मनुष्यका चित्र बनाकर ऐसे स्थानमें रखना कि जहा उसे सब कोई देखसके और उसको उस मनुष्यके नामसे पुकारकर जूते मारना अपयश लगानेकी सीमातक पहुँचता है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर प्रदेश जिल्द २ सफा ४३५)

१०–अमीरहुसेन वकीलने अदालतमें यह कहा कि, रामगुलाम (विपक्षी, फरीकसानी) का बाप घास छीलते २ मर गया था उसपर रामगुलाम बोला कि अमीरहुसेन वकालत करना क्या जाने कलतक वह और उसका बाप बिसाती रहे हैं और गलियोंमें टके २ का सौदा बेचते फिरा किये हैं–इस बात पर अमीरहुसेनने रामगुलामके ऊपर और रामगुलामने अमीरहुसेनके ऊपर फौजदारीमें अपयश लगानेके अपराधमें नालिशें कीं और वहासे दोनोपर जुर्माना हुआ–तजवीज हुई कि, ऐसी सूरतोंमें मजिस्ट्रेटोको मुकद्दमा कायम करनेसे इनकार करना चाहिये, नहीं तो सरकारी काममें बडी हानि होगी जो कि दोनों ही मनुष्योंने अनुचित काम किया था, इसलिये जुर्मानेका रुपया वापिस होना चाहिये। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह जुलाई सन् १८८३ ई० सफा १६७)

११–अपराधी अपने साक्षीकी ओरसे एक मुकद्दमा दीवानीमें निगरा हाल (तजवीजकी जांच किया जाना) था, उपरोक्त मुकद्दमाके विचारके समय उसने अजमातहतको यह सूचना दी कि,फरिया-

दी उसके साक्षीके गवाहोंको उभारता है इसलिये उसको आज्ञा हो कि, वह अदालतमे बैठा रहे इसलिये जजमातहतने फरियादी (मुस्तगीस) को आज्ञा दी कि अदालतसे बाहर न जाय इसपर फरियादीने अपराधीपर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वलके सामने अपयश लगानेका अपराध लगाया और मजिस्ट्रेटने भी उसपर अपराध ठहराकर २५) जुर्माना किया और यदि जुर्माना न चुकाया जावे तो एक महीनेकी साधारण कैदका दंड होनेकी आज्ञा दी, इसपर अपराधीने सेशन जज जिला थानाको यह अर्जी दी कि, उसके मुकद्दमेकी मिसल मँगाई जाय और फिर मुनासिबहाल मालूम होनेपर फैसला किया जाय—इसलिये सेशनजजने वह मिसल मँगाई मिसल देखनेके बाद जजकी राय हुई कि अपराधीने तुहमत शत्रुता या अधर्मसे नही लगाई इसलिये इसका काम दफा ४९९ की छूट नवीमें गिना जायगा अतएव उसने कोई भी अपराध नही किया—तजवीज हाईकोर्ट हुई कि, सेशन जजकी राय सही थी। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफा २६९)

अपयश लगानेका दंड.

(५००) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका अपमान करेगा अर्थात् अपयश लगावेगा उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्ष तक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) जमानत है (५) राजीनामा है।

किसी मनुष्यको एक ऐसा नोटिस भेजना, कि जिसमे अपयश भराहुआ लेख लिखा हो, ऐसी तुहमत लगाने व प्रगट करनेके बराबर नही है, इस अभिप्रायसे कि जिस मनुष्यके मध्ये वह तुहमत लगाई जावे उसकी इज्जत घट जावेगी—इन मुकद्दमोंमे अपराधीने डाकके द्वारा फरियादीको एक नोटिस भेजा जिसमे कुछ झूठी तुहमत लिखी थी—इस पर फरियादीने अपराधीपर दफा ५०० के अनुसार फौजदारीमे नालिश की—तजवीज हाईकोर्ट हुई कि अपराधीपर दफा ५०० का अपराध नहीं ठहर सकता (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफा २०५)

छापना अथवा खोदकर दिखाना किसी बातका, यह जानकर कि वह अपमान करनेवाली है.

(५०१) जो कोई मनुष्य किसी बातको छापे अथवा खोदकर लिखे, यह जानकर अथवा निश्चय करनेका उचित कारण रखकर कि वह बात किसी मनुष्यका अपमान करनेवाली है, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) जमानत है (५) राजीनामा है।

(५०२) जो कोई मनुष्य किसी छपीहुई अथवा खुदीहुई वस्तुको जिसमें कोई अपयश लगनेवाली बात हो, यह जानबूझकर कि उस मे ऐसी बात लिखी है बेचेगा अथवा बेचनेके लिये सामने रक्खेगा तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेंगे।

बेचना किसी छपी हुई अथवा खुदी हुई वस्तुका जिसमे अपयश लगानेवाली बात हो.

टीप-(१) अ० से० या प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी (३) अपराधीके नाम वारट (४) जमानत है (५) राजीनामा है।



अध्याय बाईसवाँ २२.

दण्ड योग्य धमकी और अपमान तथा छेडनेके विषयमें।

(५०३) जो कोई मनुष्य किसी और मनुष्यको उसके तन या यश या धनको अथवा किसी मनुष्यके तन या यशको, जिसमें वह मनुष्य स्वार्थ रखता है, हानि पहुँचानेकी धमकी देवे, इस अभिप्रायसे कि उसको डरमे डाले अथवा उससे कोई ऐसा काम करावे जिसका करना कानूनके अनुसार उस पर उचित नहीं है अथवा उसे कोई ऐसा काम करनेसे चुकावे, जिसके करनेका उसे कानूनके अनुसार अधिकार है, जिससे कि ऐसे कामका करना या करनेमे चूकना उस धमकी की तकमील (पूरापन) के रुकावटके द्वारा हो तो कहा जावेगा कि, उपरोक्त मनुष्यने दण्ड योग्य धमकी दी।

दण्ड योग्य धमकी

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे मरेहुए मनुष्यके कि जिससे धमकाया हुआ मनुष्य स्वार्थ रखता है, यशको हानि पहुँचानेकी धमकी, इस दफामें गिनी जायगी।

उदाहरण।

शिवशंकरने रमाशंकरको किसी मुकद्दमा दीवानीकी पैरवीसे रोकनेके अभिप्रायसे उसका घर जलानेका धमकी दी, तो शिवशंकर दंडयोग्य धमकीके देनेका अपराधी हुवा।

१—अपराधीने एक नकली अर्जी एक साहब कमिश्नरकी सेवामे भेजी जिसमे यह धमकी लिखी थी कि यदि जंगलका हाकिम दूसरे स्थानपर न बदला जायगा तो वह मारडाला जावेगा. तजवीज हुई कि,—जो कि उस मनुष्यको जिसकी सेवामे अर्जी भेजीगई थी कोई सम्बन्ध धमकाये

हुए मनुष्यसे न था—इसलिये उसपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०३ का अपराध नहीं ठहर -सकता। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफा ३७६)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०३ मे कही हुई धमकी ऐसी धमकी होना चाहिये कि उसकी सूचना उस मनुष्यको होजावे जिसको धमकी दी जावे अथवा इस अभिप्रायसे धमकीका देना प्रगट किया जावे कि उसकी सूचना उपरोक्त मनुष्यको होजावे जिससे कि उस मनुष्यके मनमें प्रभाव उत्पन्न होजावे। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६७१)

सर्व साधारणकी कुशलतामे विघ्न डालनेके अभिप्रायसे जानबूझकर अपमान करना.

(५०४) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यका अपमान करे और उसके द्वारा उस मनुष्यको उभारे, इस अभिप्रायसे अथवा इस बातका होना सम्भवित जानकर कि उस उभारनेके कारण वह मनुष्य सर्व साधारणकी कुशलतामे विघ्न डाले अथवा किसी और अपराधको करे तो, उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा है।

(अ) ने (ब) को यहांतक गालिये दी कि (ब) भयभीत होगया—तजवीज हुई कि जो कि (अ) ने (ब) को इतना उभारा कि उससे सर्व सम्बन्धी कुशलतामे विघ्न पडनेका भय था, इसलिये वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०४ का अपराधी था। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफा ३५४)

विद्रोह कराने अथवा सर्व सम्बन्धी कुशलताके विरुद्ध कोई अपराध करानेके अभिप्रायसे झूँठी अफवाह आदिका उडाना.

(५०५) जो कोई मनुष्य कोई वर्णन या अफवाह या खबर जिसको वह झूठा जानता हो फैलाए अथवा प्रगट करे इस अभिप्रायसे कि श्रीमती महाराणीकी स्थल अथवा जलकी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाजके खालसीसे विद्रोह करावे अथवा इस अभिप्रायसे कि सर्व साधारण मनुष्योंको भय अथवा घबराहटमें डाले और उसके द्वारा किसी मनुष्यको कुछ राज्य सम्बन्धी अपराध या सर्व साधारणकी कुशलतामे विघ्न डालनेका अपराध करनेके लिये बहॅकावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दंड दिये जावेगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा नहीं है।

(५०६) जो कोई मनुष्य दण्ड योग्य धमकी देनेका अपराध करे उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

दण्ड योग्य धमकी देनेका दण्ड.

और यदि मृत्यु अथवा भारी दु:ख पहुँचानेकी अथवा अग्निसे किसी असवावके नष्ट करनेकी अथवा किसी ऐसे अपराधके किये जानेकी जिसके वदलेमें दण्ड वध या देश निकालेका दण्ड या ऐसी कैद ठहराई गई है जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा किसी स्त्रीके मध्ये कुचालीकी तुहमत लगानेकी धमकी हो तो दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दियाजावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

यदि वह धमकी, मृत्यु अथवा भारी दु:ख (जररशदीद (पहुचानेके लियेहो.

टीप–(१) अदालत सेसन या प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३ वारट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा है तथा नहीं है ।

(५०७) जो कोई मनुष्य किसी वेनामकी मुखविरी करके या धमकी देने वाले का नाम या रहनेका स्थान गुप्त रखनेका यत्न करके दण्डयोग्य धमकी देनेका अपराध करे, तो उस मनुष्यको सिवाय उस दण्डके जो उपरोक्त अपराधके लिये ऊपर लिखी हुई पिछली दफामे नियत है दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकाकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है ।

विना नामकी मुखवरीके द्वारा दण्ड योग्य धमकी देना.

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारट होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

(५०८) जो कोई मनुष्य जानवूझकर किसी मनुष्यसे कोई ऐसा काम कराए अथवा उसके कराने का उद्योग करे जिसका करना उसपर कानूनानुसार उचित न हो अथवा किसी ऐसे कामके करनेमे चूक कराए अथवा उसके चूक करानेका उद्योग करे जिसके करनेका वह कानूनानुसार अधिकारी है उस मनुष्यको, यह निश्चय करनेके लिये वहँकाने या वहँकानेका उद्योग करनेके द्वारा, कि यदि वह मनुष्य उस कामको न करेगा जिसका कराना उस मनुष्यसे अपराधीको स्वीकार है अथवा यदि उसकाममे चूक न करेगा जिसका चूक कराना उस मनुष्यसे अपराधीको स्वीकार है तो अपराधीके किसी कामके द्वारा वह मनुष्य या कोई और मनुष्य जिससे वह स्वार्थ रखता है ईश्वरका

काम जो किसीको वहँकाकर दैवीकोपका निश्चय करानेसे कियाजाय.

कोप होगा या कराया जायगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है, या जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेगे।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरके द्वार पर धरना देकर बैठे, यह बात निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि ऐसे बैठनेसे रमाशंकरको ईश्वरका कोप होगा, तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामे किया गया।

(ख) रमाशंकरने शिवशंकरको इसबातकी धमकी दी कि यदि शिवशंकर अमुक काम न करेगा तो रमाशंकर अपने बच्चोंमेसे किसी एकको ऐसी अवस्थाओंमे मार डालेगा कि जिससे यह बात निश्चय की जावे कि उस मारडालनेसे शिवशंकर पर ईश्वरका कोप होजावेगा तो रमाशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है।

किसी स्त्रीकी लज्जाका अपमान करनेके अभिप्रायसे वचन कहना या सैन देना.

(५०९ जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीको लज्जाका अपमान करनेके अभिप्रायसे कोई बात मुहसे निकाले अथवा सैन दे या कुछ शब्द करे या वस्तु दिखलाए इस अभिप्रायसे कि वह स्त्री उस बात या शब्दको सुने अथवा उस सैन या वस्तुको देखे अथवा उस स्त्रीके परदेमे घुसजाय, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दण्ड दिये जावेगे।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

सर्व साधारणके सामने किसी मतवाले मनुष्यकी कुचाल.

(५१०) जो कोई मनुष्य नशेकी अवस्थामे सर्व साधारणके आने जानेके किसी स्थानमे अथवा किसी ऐसे स्थानमे आ निकले जहा उसका पहुँचना मदाखलतबेजा (अनधिकार प्रवेश) है और वहां वह ऐसी रीतिपर वर्त्ताव करे कि उससे किसी मनुष्यको क्लेश पहुचे तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद चौबीस घंटेतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड जो दस रुपयेतक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेगे।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) वारंट होगा (३) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

अध्याय तेईसवॉ २३.

अपराध करनेके उद्योगके विषयमें।

(५११) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करनेका उद्योग करे जिसके बदलेमे इस संग्रहके अनुसार जन्म भरके देश निकालेका दंड अथवा कैदका दंड ठहराया गया है अथवा जो ऐसे अपराधके जानने के कारण का उद्योग करे और ऐसे उद्योगमे कोई ऐसा कामकरे जो उपरोक्त अपराधके होनेकी ओर झुकता हो तो उस अवस्थामें कि इस संग्रहमे ऐसे उद्योगका कोई विशेष दंड न ठहराया गया हो— उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दंड या किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहरायागया हो और उस जन्मभरके देश निकाले या कैदकी मीआद उस मीआदकी आधीतक हो सकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये बडीसे बडी मीआद ठहराई गई है या उस जुर्मानेके दंड जो उपरोक्त अपराधके बदलेमें ठहराया गया है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

उन अपराधोंके उद्योगका दण्ड जिनके लिये जन्म भरके देश निकाले या कैदका दंड ठहराया गया है.

उदाहरण।

(क) रमाशंकरने एक संदूक तोडकर कुछ गहना चोरानेका उद्योग किया और इस प्रकार उस संदूकके खोलने पर उसको जानपडा कि उसमे कुछ गहना नहीं है तो यहां उसने एक ऐसा काम किया जो चोरीके अपराध की ओर झुकता है और इसलिये रमाशंकर इस दफाके अनुसार अपराधी है।

(ख) रमाशंकरने शिवशंकरकी जेबमें हाथ डालकर उसकी जेबमेंसे कुछ निकालनेका उद्योग किया—परन्तु शिवशंकरकी जेबमें कुछ न होनेके कारण रमाशंकर इस उद्योगमें सफल न हुवा, तो रमाशंकर इस दफाके अनुसार अपराधी है।

टीप—(१) इस अपराधकी तजवीज वही अदालत करेगी कि जो उद्योग किये हुए अपराधकी तजवीज कर सकती है (२) यदि उद्योग किया हुआ अपराध दस्तन्दाजी पोलीसके योग्य हो तो इस अपराधमें दस्तन्दाजी पोलीस हो सकती है (३) वारण्ट या समन सबके पहिले जारी होता जैसा कि उस अपराधके लिये कि जिसका उद्योग किया गया, वारण्ट या समन जारी होगा (४) जमानत है, यदि वह अपराध कि जिसका उद्योग किया गया, जमानतके योग्य हो (५) राजीनामा है यदि वह अपराध कि जिसका उद्योग किया गया राजीनामेके योग्य होवे।

१ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५११ आतमघातके उद्योगके अपराधमें सम्बन्ध नहीं रखती जिसका दण्ड दफा ३०७ मे स्पष्ट रीतिपर लिखा है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १४ सफा ३८)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ७५ ऐसी सूरतोमें सम्बन्ध न रक्खेगी कि जो दफा ५११ मे आसकते है–जो अपराध दफा ५११ मे दाखिल होवे उनका दंड विना सम्बन्ध दफा ७५ के होना चाहिये। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफा १२३)

३–जो बयान प्रश्नोत्तरकी भांति पुलीसके कर्मचारीके द्वारा दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार तहकीकात पोलीसके समयमें किया जावे इस्तहकाकी है और वह जड किसी अपयश लगानेके अपराधकी सीमातक नही पहुँच सकती। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १६ सफा २३५)

४–किसी स्त्री पर यदि अनुचित आक्रमण किया जावे तो वह बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधका उद्योग न होगा, जब तक कि अदालतको निश्चय न होजावे कि अपराधीने अपने दिलमें यह बात जान ली थी कि चाहे कुछ भी होजावे और चाहे कोई कैसी भी रोक करे, परन्तु वह उस स्त्रीके साथ व्यभिचार करेगा (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ५ सफा ४०३)

५–जो मनुष्य चोरीके अपराधमें दण्डित हुआ हो और यदि वह अपराधी चोरीके उद्योगमें फिरसे दंड पावे तो उसे बढा हुआ दण्ड दफा ७५ के अनुसार न मिलेगा। (इ० ला रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ३५७)



पुस्तक मिलनेका ठिकाना–

खेमराज श्रीकृष्णदास,

"श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम् प्रेस–बम्बई.